नवम माला, खंड 3, अंक 11

Wednesday, 27th December, 1990

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

नवम माला, खंड 13, छठा सत्र, 1990-91/1912 (शक)

अंक 1, गुरुवार, 27 दिसम्बर, 1990/6 पौष, 1912 (शक)

विषय	
मंत्रियों का परिचय	1—3 और 9
निधन सम्बन्धी उल्लेख	4—8
नियम 388 के अधीन प्रश्न काल के निलम्बन के लिए प्रस्ताव के बारे में	9—12
नियम 388 के अधीन प्रश्न काल के निलंबन के लिए प्रस्ताव के बारे में, सरकार के गठन की वैधता और सभा में कांग्रेस (आई) की स्थिति	12—14
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	14—261
तारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 20	14—36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 155 और 157 से 230	36—251
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	262
(एक) दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त नोटिस के बारे में टिप्पणी	262
(दो) लोक सभा में विपक्ष के नेता को मान्यता	262
सभा पटल पर रखे गए पत्र	262—270 और 384
समितियों के लिए निर्वाचन	270—272
(एक) राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड	270
(दो) राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड	270—271
(तीन) नारियल विकास बोर्ड	271
(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	271—272

विषय	पृष्ठ
मंत्री द्वारा वक्तव्य	272 – 275
वर्तमान वित्तीय स्थिति	
श्री यशवन्त सिन्हा	272
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91 विवरण - प्रस्तुत	275
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (असम), 1990-91 विवरण—प्रस्तुत	275
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित	275 – 276
राशन की दुकानों से वितरित किए जाने वाले चावल के मूल्य में वृद्धि के बारे में	276 – 277
ऊर्जा मंत्री श्री कल्याण सिंह कालवी द्वारा सती प्रथा के कथित समर्थन के बारे में	277 – 279
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	277
श्री चन्द्र शेखर	278
श्री कल्याण सिंह कालवी	279
स्थगन प्रस्ताव	279 – 384
देश में साम्प्रदायिक स्थिति और साम्प्रदायिक ताकतों पर काबू पाने में सरकार की असफलता	
प्रो० मैफुद्दीन सोज	293
श्री इन्द्र कुमार गुजराल	311
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा	318
श्री देवी लाल	327
श्री सन्तोष मोहन देव	332

विषय	पृष्ठ
श्री सैफुद्दीन चौधरी	340
श्री इन्द्रजीत गुप्त	346
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	352
श्री वामनराव महाडीक	357
श्री राम कृष्ण यादव	358
श्री मित्रसेन यादव	359
श्री रामेश्वर प्रसाद	359
श्री मुन्नन खां	359
श्री चन्द्र शेखर	360
कार्य-मन्त्रणा समिति	385
सत्रहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	

नौवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अकबर, श्री एम० जे० (किशनगंज)
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र (झांसी)
अग्रवाल, श्री जे० पी० (चांदनी चौक)
अजित सिंह, श्री (बागपत)
अडईकलराज, श्री एल० (तिरुचिरापल्ली)
अतिन्दर पाल सिंह, स० (पटियाला)
अतीतन, श्री धनुषकोडी आर० (तिरुचेन्दूर)
अन्तुले, श्री ए० आर० (कोलाबा)
अन्बारासु इरा, श्री (मद्रास मध्य)
अमात, श्री डी० (सुन्दरगढ़)
अम्बरी, श्री लेइता (अरुणाचल पूर्व)
अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)
अर्गल, श्री छविराम (मुरैना)
अली, श्रीमती सुभाषिनी (कानपुर)
अवैध नाथ, महन्त (गोरखपुर)
अशोकराज, श्री ए० (पैरम्बलूर)
अहमद, श्री अनवार (उन्नाव)
अहमद, श्री कलालुद्दीन (हनमकोण्डा)
अहेर, डा० दौलतराव सोनूजी (नासिक)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण (नई दिल्ली)

इ

इन्द्र जीत, श्री (दार्जिलिंग)

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उमा भारती, कुमारी (खजुराहो)
उरांव, श्रीमती सुमति (लोहारडागा)

ए

एन्टनी, श्री पी० ए० (त्रिचुर)

ओ

ओडेयर, श्री चनैया (दावनगिरि)
ओवैसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

कटारिया, श्री गुलाब चन्द (उदयपुर)
कमल नाथ, श्री (छिन्दवाड़ा)
कमान्डर, श्री मोहम्मद हसन (लद्दाख)
करेददुला, कुमारी कमलाजी (भद्राचलम)
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम (उस्मानाबाद)
कापसे, प्रो० राम गणेश (ठाणे)
काबड़े, डा० वेंकटेश (नान्देड़)
कामसन, प्रो० मिजिनलंग (बाह्य मणिपुर)
कालका दास, श्री (करोलबाग)
कालवी, श्री कल्याण सिंह (बाड़मेर)
कालीमुथु, डा० के० (शिवकाशी)
काले, श्री सुखदेव नन्दाजी (बुलढाना)
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी (नरसारावपेट)
कुन्हू, श्री समरेन्द्र (बालासोर)
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बूटर)
कुमारमंगलम, श्री पी० आर० (सलेम)
कुरियन, प्रो० पी० जे० (मवेलीकारा)
कुशवाहा, श्री जगदीश सिंह (गाजीपुर)
कृपाल सिंह, श्री (अमृतसर)
कृष्ण, श्री जी० (इलुरू)
कृष्ण कुमार, श्री एम० (क्विलोन)
केशरी लाल, श्री (घाटमपुर)
कौंतल, श्री राम कृष्ण (अनकापल्ली)

कोटडीया, श्री मनुभाई (अमरेली)
कोडिकुन्नील, श्री (अडूर)
कौल, श्रीमती शीला (रायबरेली)
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम (दुर्ग)

ख

खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल (राजगढ़)
खटीक, श्री शंकर लाल (सागर)
खनोरिया, श्री डी० डी० (कांगड़ा)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री सुखेन्द्र (विष्णुपुर)
खां, हाजी वी० एम० (मुरादाबाद)
खान, श्री आरिफ मोहम्मद (बहराइच)
खालसा, श्रीमती विमल कौर (रोपड़)
खुराना, श्री मदन लाल (दक्षिण दिल्ली)

ग

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार (बरेली)
गंगाधर, श्री एस० (हिन्दूपुर)
गजपति, श्री गोपी नाथ (बरहामपुर)
गांधी, श्रीमती मेनका (पीलीभीत)
गांधी, श्री राजीव (अमेठी)
गाडगिल, श्री वी० एन० (पुणे)
गामित, श्री छोटूभाई देवजीभाई (मान्डवी)
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव (कोल्हापुर)
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या (नन्दरबार)
गिरि, श्री सुधीर (कोन्टाई)
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल (चित्रदुर्ग)
गुजराल, श्री इन्द्र कुमार (जालन्धर)
गुडादिन्नी, श्री बी० के० (बीजापुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (मिश्रनापुर)
गुप्त, श्री जनकराज (जम्मू)
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह (राजनन्दगांव)
गोखले, श्री विद्याधर (मुम्बई उत्तर मध्य)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गौंडर, श्री ए० एस० (पलानी)
गौड़ा, श्री डी० एम० पुट्टे (चिकमगलूर)

च

चक्रवर्ती, श्री सुशान्त (हावड़ा)
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति (दमदम)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)
चन्द्र शेखर, श्री (बलिया)
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम० (श्रीपेरुम्बुदूर)
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० बी० (शिमोगा)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चांद राम, श्री (हरदोई)
चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)
चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई (पाटण)
चिदम्बरम, श्री वी० (शिवगंगा)
चिन्ता मोहन, डा० (तिरुपति)
चेन्नीथाला, श्री रमेश (कोट्टायम)
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या (विजयवाड़ा)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां (मालदा)
चौधरी, श्री कमल (होशियारपुर)
चौधरी, श्री दसई (रोसेड़ा)
चौधरी, श्री राम प्रसाद (खलीलाबाद)
चौधरी, श्री रुद्रसेन (केसरगंज)
चौधरी, श्री लोकनाथ (जगतसिंहपुर)
चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)
चौहान, श्री प्रभातसिंह (कैरा)

ज

जगपाल सिंह, श्री (हरिद्वार)
जटिया, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)

जनार्दनन्, श्री बादम्बुर एम० आर० (तिरुनेलवेली)
जमुना, श्रीमती जे० (राजामुन्द्री)
जय प्रकाश, श्री (हिसार)
जयमोहन, श्री ए० (तिरुपत्तूर)
जसवन्त सिंह, श्री (जोधपुर)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाटव, श्री धान सिंह (बयाना)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)
जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)
जावाली, डा० वासवराज (गुलबर्गा)
जीवरत्नम, श्री आर० (आर्कोनम)
जू देव, श्री दिलीप सिंह (जांजगीर)
जेना, श्री श्रीकान्त (कटक)
जोरावर राम, श्री (पलामाउ)
जोशी, श्री दाऊ दयाल (कोटा)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (मधुबनी)
झिकराम, श्री मोहनलाल (मांडला)

ट

टंडेल, श्री डी० जे० (दमण और दीव)

ठ

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी (कपड़वंज)

ड

डोमर, श्री सोमजीभाई (दोहद)
डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)
डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई (दादरा और नगर हवेली)
डोम, डा० राम चन्द्र (बीरभूम)
डोरे, श्री राजा अम्बान्ना नायक (रायचूर)

ढ

ढाकणे, श्री बबनराव (बीड)

त

तम्बिदुरै, डा० (करूर)
तस्लीमुद्दीन, श्री (पूर्णिया)
तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास (खंडवा)
तारीफ सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
तिवारी, श्री जनार्दन (सीवन)
तिवारी, श्री बृज भूषण (डुमरियागंज)
तीरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)
तोपदार, श्री तरित बरण (बैरकपुर)
त्यागी, श्री के० सी० (हापुड़)

थ

थापा, श्री नन्दू (सिक्किम)
थामस, प्रो० के० वी० (एरणाकुलम)
थामस, श्री पी० सी० (मुवत्तुपूजा)
थुंगुन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)
थोरट, श्री एस० बी० (पंढरपुर)

द

दण्डवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दत्त, श्री अमल (डायमंड हार्बर)
दानवे, श्री पुंडलीक हरि (जालना)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री भक्त चरण (कालाहाण्डी)
दासगुप्त, डा० विप्लव (कलकत्ता दक्षिण)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री नरसिंह राव (भिण्ड)
देव बर्मन, श्री के० बी० के० (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री संतोष मोहन (त्रिपुरा पश्चिम)
देवरा, श्री मुरली (मुम्बई दक्षिण)

देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)
देवी लाल, श्री (सीकर)
देशमुख, श्री अनन्तराय (वाशिम)
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव (परभनी)
देशमुख, श्री चन्दूभाई (मढ़ोच)
देशमुख, श्री सुदाम दत्तात्रेय (अमरावती)

ध

धनखड़, चौ० जगदीप (झुन्झुनू)
धवन, श्री हरमोहन (चण्डीगढ़)
धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार (हमीरपुर)
ध्यान सिंह, श्री (फिरोजपुर)

न

नन्दी, श्री पेल्लैया (तिरुपेट)
नाईक, श्री जी० देवराय (कनारा)
नाईक, श्री राम (मुम्बई उत्तर)
नाथू सिंह, श्री (दौसा)
नायक, श्री नकुल (फूलबनी)
नायकर, श्री डी० के (धारवाड़ उत्तर)
नारायणन, श्री के० आर० (ओट्टापलम)
नारायणन, श्री पी० जी० (गोबिचेट्टिपालम)
निकाम, श्री गोविन्दराव (रत्नगिरि)
नीतीश कुमार, श्री (बाढ़)
नेगी, श्री सी० एम० (गढ़वाल)
नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)
नेहरू, श्री अरुण कुमार (बिल्हौर)

प

पंडियन, श्री डी० (मद्रास उत्तर)
पंवार, श्री हरपाल सिंह (कैराना)
पचेरवाल, श्री गोपाल (टोंक)
पटनायक, श्री शिवाजी (भुवनेश्वर)
पटेल, डा० ए० के० (मेहसाना)
पटेल, श्री अर्जुन भाई (बलसाड)
पटेल, श्री चन्द्रेश (जामनगर)
पटेल, श्री नटुभाई एम० (आनन्द)
पटेल, श्री प्रहलाद सिंह (सिवनी)
पटेल, श्री मगनभाई मणिभाई (साबरकंठा)
पटेल, श्री राम पूजन (फूलपुर)
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास (गोधरा)
पटेल, श्री सोमभाई (सुरेन्द्रनगर)
परास्ते, श्री दलपत सिंह (शहडोल)
परांजपे, श्री बाबूराव (जबलपुर)
पलनीसामी, श्री के० सी० (तिरुचेन्गोडे)
पांजा, श्री अजीत (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
पांडे, श्री राजमंगल (देवरिया)
पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव (इरन्दोल)
पाटिल, श्री एस० टी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वसंतराव (सांगली)
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री बासवराज (कोप्पल)
पाटिल, श्री यशवंतराव (अहमदनगर)
पाटिल, श्री शंकरराव (बारामती)
पाटिल, श्री शिवराज वी० (लातूर)
पाटीदार, श्री रामेश्वर (खारगोन)
पाठक, श्री हरिन (अहमदाबाद)
पाणि, श्री रवि नारायण (देवगढ़)
पाण्डेय, प्रो० यदुनाथ (हजारीबाग)
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पाल, श्री एम० एस० (नैनीताल)
पाल, डा० देवी प्रसाद (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
पाल, श्री रूपचन्द (हुगली)

पासवान, श्री छेदी (सासाराम)
पासवान, श्री राम विलास (हाजीपुर)
पासवान, श्री सुकदेव (अररिया)
पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम (अलेप्पी)
पुरोहित, श्री बनवारीलाल (नागपुर)
पेरुमान, डा० पी० बल्लल (चिदम्बरम)
पेंचालैया, श्री पी० (नेल्लौर)
पोटदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रभु, श्री आर० (नीलगिरी)
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन (मथुरापुर)
प्रसाद, श्री आर० एस० (नालन्दा)
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास (चामराजनगर)
प्रसाद, श्री हरि केवल (सलेमपुर)
प्रेम प्रदीप, श्री (नवादा)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर (उदीपी)
फर्नान्डीज, श्री जार्ज (मुजफ्फरपुर)
फर्नान्डीज, श्री जॉस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)
फुंडकर, श्री भाऊसाहेब पुंडलीक (अकोला)
फैलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बंगाली सिंह, डा० (हाथरस)
बंसी लाल, श्री (भिवानी)
बनातवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)
बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बर्मन, श्री पलाश (बलूरघाट)
बलरामन, श्री एल० (वन्डावासी)
बशीर, श्री टी० (चिरायिंकिल)
बसु, श्री अनिल (आरामबाग)
बसु, श्री चित्त (बारसाट)
बागा रेड्डी, श्री एम० (मेडक)
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)
बानखेले, श्री किशनराव बाबूराव (खेड)
बाल गौड, श्री टी० (निजामाबाद)
बाला, डा० असीम (नवद्वीप)
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला (मद्रास दक्षिण)
बासवराज, श्री जी० एस० (टुमकुर)
बीरेन्द्र सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)
बुलारा, श्रीमती राजिन्द्र कौर (लुधियाना)
बेंजामिन, श्री एस० (बपतला)
बेग, श्री आरिफ (बैतूल)
बेग, श्री युसुफ (मिर्जापुर)
बेगा राम, श्री (गंगानगर)
बेहेरा, श्री भजमन (ढेंकानाल)
बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)
बैस, श्री रमेश (रायपुर)
बोपचे, डा० खुशाल परसराम (भन्डारा)
ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको (बड़ोदा)
ब्रह्म दत्त, श्री (टिहरी गढ़वाल)

म

मक्त, श्री मनोरंजन (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भजन लाल, श्री (फरीदाबाद)
भट्टाचार्य, श्री नानी (बरहामपुर)
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी (जादवपुर)
भागेय गोवर्धन, श्री (मयूरभंज)
भाटिया, श्री राम सेवक (जालौन)
भारतीय, श्री सन्तोष (फर्रुखाबाद)

भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भार्गव, श्री गिरधारी लाल (जयपुर)
भूरिया, श्री दिलीप सिंह (झाबुआ)
भोये, श्री रेशमा मोतीराम (धुले)
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव (सतारा)

म

मंजय लाल, श्री (समस्तीपुर)
मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मक्कासर, श्री शोपत सिंह (बीकानेर)
मणवर, श्री बलवन्त (पोरबंदर)
मनेम्मा, श्रीमती टी० (सिकन्दराबाद)
मन्टोष, श्री पाल आर० (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)
मरबनिआंग, श्री पीटर जी० (शिलांग)
मरांडी, श्री साइमन (राजमहल)
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
मलिक, श्री मंगाराज (भद्रक)
मलिक, श्री सत्यपाल (अलीगढ़)
मल्लिकार्जुन, श्री (महबूबनगर)
मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार (दिल्ली सदर)
मसूदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)
महतो, श्री शैलेन्द्र (जमशेदपुर)
महाजन, श्री बाई० एस० (जलगांव)
महाजन, श्रीमती सुमित्रा (इन्दौर)
महाडीक, श्री वामनराव (मुम्बई दक्षिण मध्य)
महाता, श्री चित्त (पुरुलिया)
महाबीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महाले, श्री हरि शंकर (मालेगांव)
महेश्वर सिंह, श्री (मंडी)
माडे गौडा, श्री जी० (माण्डया)
माने, श्री आर० एस० (इचलकरांजी)
मायकर, श्री गोपालराव (पणजी)
मायावती, कुमारी (बिजनौर)
मारक, श्री सनफोर्ड (तुरा)
मिर्धा, श्री नाथू राम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहाबाद)
मिश्र, श्री बालगोपाल (बोलनगीर)
मिश्र, श्री राज मंगल (गोपालगंज)
मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)
मीणा, डा० किरोड़ी लाल (सवाई माधोपुर)
मीणा, श्री नन्दलाल (सलुम्बर)
मुंजारे, श्री कंकर (बालाघाट)
मुखर्जी, श्रीमती गीता (पैंसकुरा)
मुखोपाध्याय, श्री अजय (कृष्णनगर)
मुजाहिद, श्री बी० एम० (धारवाड़ दक्षिण)
मुण्डा, श्री कड़िया (खूंटी)
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र (क्योंझर)
मुथिया, श्री आर० (पेरियाकुलम)
मुन्नन खां, श्री (बलरामपुर)
मुरलीधरण, श्री के० (कालीकट)
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर (कनकपुरा)
मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण (आमालापुरम)
मेघवाल, श्री कैलाश (जालौर)
मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़)
मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र (मुम्बई उत्तर पूर्व)
मैथ्यू, श्री पलाई के० एम० (इडुक्की)
मोहम्मद, श्री इ० एस० एम० पकीर (मयीला-दुतुराई)
मोहम्मद शफी, श्री (श्रीनगर)

य

याज्ञदानी, डा० गुलाब (रायगंज)

यादव, डा० एस० पी० (सम्भल)
यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह (चन्दौली)
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद (भागलपुर)
यादव, श्री छोटे सिंह (कन्नौज)
यादव, श्री जनार्दन (गोण्डा)
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद (झंझारपुर)
यादव, श्री बालेश्वर (पदरौना)
यादव, श्री मित्रसेन (फैजाबाद)
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि (मधेपुरा)
यादव, श्री राम कृष्ण (आजमगढ़)
यादव, श्री राम शरण (खगरिया)
यादव, श्री रामजीलाल (अलवर)
यादव, श्री शरद (बदायूं)
यादव, श्री सत्यपाल सिंह (शाहजहांपुर)
यादव, श्री सूर्य नारायण (सहरसा)
यादव, श्री हुकमदेव नारायण (सीतामढ़ी)
यादवेन्द्र दत्त, श्री (जौनपुर)
युवराज, श्री (कटिहार)

र

रंगा, प्रो० एन० जी० (गंटूर)
रशीद मसूद, श्री (सहारनपुर)
राउतराय, श्री नीलमणि (पुरी)
राकेश, श्री आर० एन० (चैल)
राघवजी, श्री (विदिशा)
राजदेव सिंह, श्री (संगरूर)
राजवीर सिंह, श्री (आंवला)
राजू, श्रीमती उमा गजपति (विशाखापटनम)
राजू, श्री एम० एम० पल्लम (काकीनाडा)
राजू, श्री एस० विजय राम (पार्वतीपुरम)
राजू, श्री भू० विजयकुमार (नरसापुर)
राजे, श्रीमती वसुन्धरा (झालावाड़)
राजेश्वरन, डा० वी० (रामनाथपुरम)
राजेश्वरी, श्रीमती बासव (बेल्लारी)
राथवा, श्री एन० जे० (छोटा उदयपुर)
राठौड़, श्री उत्तम (हिंगोली)
राठौर, डा० भगवान दास (खुर्जा)
राणा, श्री काशीराम छबीलदास (सूरत)
राम अवध, श्री (अकबरपुर)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, चौ० (अम्बाला)
राम बाबू, श्री ए० जी० एस० (मदुरै)
राम सजीवन, श्री (बांदा)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
रामकृष्ण, श्री बाई० (कोलार)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानोर)
रामदास, डा० आर० (टिंडिवनम)
राममूर्ति, श्री के० (कृष्णगिरि)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (आरा)
राय, श्री ए० के० (धनबाद)
राय, श्री एम० रमन्ना (कासरगोड)
राय, श्री कल्प नाथ (घोसी)
राय, श्री रवि (केन्द्रपारा)
राय, श्री लालबाबू (छपरा)
राय, डा० सुधीर (बर्दवान)
राय, श्री हरधन (आसनसोल)
रायचौधरी, श्री सुदर्शन (सीरमपुर)
रायप्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)
राव, श्री आर० गुंडू (बंगलौर दक्षिण)
राव, श्री के० एस० (मछलीपटनम)
राव, श्री के० राम मोहन (बोब्बिली)

राव, श्री जे० चौका (करीमनगर)
राव, श्री जे० वेंगल (खम्मम)
राव, श्री पी० वी० नरसिंह (रामटेक)
राव, श्री वी० कृष्ण (चिक्कबल्लापुर)
राव, श्री श्रीनिवास (नालगोंडा)
रावत, प्रो० रामा सिंह (अजमेर)
रावत, श्री हरीश (अल्मोड़ा)
राही, श्री राम लाल (मिसरिख)
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र (वारंगल)
रेड्डी, श्री ए० वेंकट (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री एम० जी० (चित्तूर)
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० नरसा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री बी० एन० (मिरयालगुडा)
रेड्डी, श्री बोजा वेंकट (नन्दयाल)
रेड्डी, श्री राजमोहन (ओंगोले)
रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर (कुडप्पा)

ल

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री (मुकुन्दपुरम)
लाम्बा, श्री हरभजन (फिल्लौर)
लोढा, श्री गुमान मल (पाली)
लोधी, श्री गंगा चरण (हमीरपुर)

व

वघेला, श्री शंकरसिंह (गांधीनगर)
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ (चतरा)
वर्मा, श्रीमती ऊषा (खीरी)
वर्मा, श्री एस० सी० (भोपाल)
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद (बेतिया)
वर्मा, श्री फूलचन्द (शाजापुर)
वर्मा, श्री बी० राजरषि (पोल्लाची)
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास (धन्धुका)
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद (कोडरमा)
वर्मा, श्री शिव शरण (मछलीशहर)
वाडियर, श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज (मैसूर)
विजयराघवन, श्री ए० (पालघाट)
विश्वनाथम, डा० (श्रीकाकुलम)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (पेण्डापल्ली)
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस० (कुण्डालोर)
वैकारिया, श्री एम० एन० (राजकोट)

श

शंकरानन्द, श्री बी० (चिक्कोडी)
शकीलुर्रहमान, डा० (दरभंगा)
शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)
शर्मा, श्री धर्मपाल (उधमपुर)
शाक्य, डा० महादीपक सिंह (एटा)
शाक्य, श्री राम सिंह (इटावा)
शास्त्री, श्री अनिल (वाराणसी)
शास्त्री, श्री कपिल देव (सोनीपत)
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद (रीवा)
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई (बनास-कांठा)
शाह, श्री बाबूभाई मेघजी (कच्छ)
शिंगडा, श्री डी० बी० (दहानू)
शिवनकर, प्रो० महादेव (चिमूर)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)
शेखड़ा, श्री गोविन्दभाई कानजीभाई (जूनागढ़)
शेखर, श्री एम० जी० (धर्मपुरी)
श्रीकान्तय्या, श्री एच० सी० (हसन)
श्रीनिवासन, श्री सी० (डिन्डिगुल)
श्रीवास्तव, डा० शैलेन्द्रनाथ (पटना)

व

वल्लभ, श्री पी० (पांडिचेरी)

स

सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)
सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद (मुजफ्फरनगर)
समद, श्री अब्दुल (बेल्लोर)
सरताज सिंह, श्री (होशंगाबाद)
सरवर हुसैन, श्री (बुलन्दशहर)
सरोज, श्री सरजू प्रसाद (मोहनलालगंज)
सहाय, श्री सुबोध कान्त (रांची)
साठे, श्री बसंत (वर्धा)
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या (शोलापुर)
सान्याल, श्री माणिक (जलपैगुड़ी)
साय, श्री ए० प्रताप (राजपेट)
साय, श्री ए० लरंग (सरगुजा)
साय, श्री नन्द कुमार (रायगढ़)
सारण, श्री दौलत राम (चुरू)
साबे, श्री मोरेश्वर (औरंगाबाद)
सिंगम, श्री बासवपुन्नय्या (तेनाली)
सिंगरावडोवेल, श्री एस० (तंजावूर)
सिंधिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे (गुना)
सिंह, श्री अजय (आगरा)
सिंह, श्री आनन्द (गोंडा)
सिंह, श्री उदय प्रताप (मैनपुरी)
सिंह, श्रीमती उषा (वैशाली)
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी (आंतरिक मणिपुर)
सिंह, श्री ललित विजय (बेगूसराय)
सिंह, श्री जगन्नाथ (सीधी)
सिंह, श्री तेज नारायण (बक्सर)
सिंह, श्री धनराज (मुंगेर)
सिंह, श्री धर्मराज (शाहाबाद)
सिंह, श्री के० मानवेन्द्र (मथुरा)
सिंह, श्री प्रताप (बांका)
सिंह, श्री मानधाता (लखनऊ)
सिंह, श्री राधा मोहन (मोतिहारी)
सिंह, श्री राम नरेश (औरंगाबाद)
सिंह, श्री राम प्रसाद (सिवसगंज)
सिंह, श्री राम बहादुर (महाराजगंज)
सिंह, श्री रामदत्त (गिरिडीह)
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद (जहानाबाद)
सिंह, श्री लोकेन्द्र (दमोह)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फतेहपुर)
सिंह, श्री सुखेन्द्र (सतना)
सिंह, श्री सूर्य नारायण (बलिया)
सिंह, श्री हर गोविन्द (अनरोहा)
सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)
सिंह देव, श्री ए० एन० (आस्का)
सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)
सिलवेरा, डा० सी० (मिजोरम)
सुंदरराज, श्री एन० (पुडुकोट्टाई)
सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)
सुच्चा सिंह, बाबा (भटिंडा)
सुनील दत्त, श्री (मुम्बई उत्तर पश्चिम)
सुमन, श्री रामजी लाल (फिरोजाबाद)
सुम्बरुई, श्री बागुन (सिंहभूम)
सुर, श्री मनोरंजन (बसीरहाट)
सुल्तानपुरी, श्री के० डी० (शिमला)
सूबेदार, श्री (राबर्ट्सगंज)
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव (बीदर)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)
सेमा, श्री शिकिहो (नागालैंड)
सेलवम, श्री कांसी पन्नीर (चेंगलपट्टु)
सेल्वाराजु, श्री एम० (नागापट्टिनम)

सोज, प्रो० सैफुद्दीन (बारामूला)
सोढ़ी, श्री मानकूराम (बस्तर)
सोनकर, श्री कल्पनाथ (बस्ती)
सोरेन, श्री शिबू (दुमका)
सोलंकी, श्री सूरज भानु (धार)

ह

हंसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)
हन्नान मोल्लाह, श्री (उलूबेरिया)
हरीश, पाल, श्री (मेरठ)
हर्षवर्धन, श्री (महाराजगंज)
हान्डू, श्री प्यारे लाल (अनन्तनाग)
हीरा भाई, श्री (बांसवाड़ा)
हेत राम, श्री (सिरसा)
होटा, श्री भवानी शंकर (सम्बलपुर)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री रवि राय

उपाध्यक्ष

श्री शिवराज वी० पाटिल

सभापति तालिका

डा० तम्बि दुरै

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन

श्री जसवन्त सिंह

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी

श्रीमती गीता मुखर्जी

महासचिव

श्री के० सी० रस्तोगी

भारत सरकार

मंत्रिमण्डल के सदस्य

प्रधानमंत्री तथा रक्षा, गृह, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महासागर विकास, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, इलैक्ट्रानिकी, अंतरिक्ष, सूचना और प्रसारण, उद्योग, श्रम, कल्याण, योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा अन्य उन विषयों के प्रभारी, जो मन्त्रिमंडल स्तर के किसी अन्य मन्त्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) को नहीं दिए गए हैं।	श्री चन्द्र शेखर
उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री	श्री देवी लाल
विदेश मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
वित्त मंत्री	श्री यशवन्त सिन्हा
वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री	श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी
ऊर्जा मंत्री	श्री कल्याण सिंह कालवी
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री	श्री सत्य प्रकाश मालवीय
इस्पात और खान मंत्री	श्री अशोक कुमार सेन
शहरी विकास मंत्री	श्री दौलत राम सारण
वस्त्र मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री	श्री हुकमदेव नारायण यादव
रेल मंत्री	श्री जनेश्वर मिश्र
जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री	श्री मनुभाई कोटडीया
मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री राजमंगल पांडे
खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री	श्री बीरेन्द्र सिंह
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	डा० शकीलुर्रहमान

राज्य मंत्री

(स्वतन्त्र प्रभार)

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री हरमोहन धवन
पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री	श्रीमती मेनका गांधी
संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री	डा० संजय सिंह

राज्य मंत्री

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बबनराव ढाकणे
इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बासवराज पाटिल
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री भागेय गोवर्धन
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री भक्त चरण दास
कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री	श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री	श्री कमल मोरारका
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ललित विजय सिंह
कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री राम बहादुर सिंह
श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री रामजी लाल सुमन
स्वास्थ्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सरवर हुसैन
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्री सुबोध कान्त सहाय
पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री	श्रीमती उषा सिंह

उप मन्त्री

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा उद्योग मन्त्रालय में उप मन्त्री	श्री दसई चौधरी
वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री	श्री दिग्विजय सिंह
पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री	श्री जय प्रकाश
वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री	श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल

लोक सभा

गुरुवार, 27 दिसम्बर, 1990/6 पौष, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मंत्रियों का परिचय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ।

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सहयोगियों का आपसे तथा आपके माध्यम से सभा से परिचय कराता हूं :

श्री विद्याचरण शुक्ल, विदेश मंत्री ।

श्री राजमंगल पांडे, मानव संसाधन विकास मंत्री ।

श्री कल्याण सिंह कालवी, ऊर्जा मंत्री ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखें ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : हां श्री आचार्य, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री बसुदेव आचार्य : वे सती प्रथा के समर्थक हैं । वे सरकार में कैसे शामिल रह सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : हम सती प्रथा का समर्थन करने वाले मंत्री को नहीं रख सकते । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सब इकट्ठे बोलेंगे तो कैसे होगा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर : श्री मनुभाई कोटडीया, जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री ।

श्री दौलत राम सारण, शहरी विकास मंत्री।

राव बीरेन्द्र सिंह, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें विपक्ष के नेता की बात सुनने दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : मेरा सामान्य-सा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि किसी अन्य कार्यवाही के आरम्भ करने से पूर्व निधन सम्बन्धी उल्लेख लिये जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्ष के निर्देश पढ़िए। पहले मंत्रियों का परिचय और इसके पश्चात् निधन सम्बन्धी उल्लेख होता है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने अत्यधिक ध्यानपूर्वक देख लिया है कि कौन से ऐसे विभिन्न आदेश हैं जिसके अन्तर्गत विभिन्न मदों को लिया जा सकता है। (व्यवधान) कृपया मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनिये। आज विशेष परिस्थितियों में इसे लिया गया है। मैंने पहले ही नियम 388 के अधीन एक नोटिस दिया है जिसमें इस बात के लिए आपकी सहमति प्राप्त करने का उल्लेख है कि आज किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रश्न काल स्थगित किया जाता है। हम इस सरकार के गठन को चुनौती दे रहे हैं, विशेषकर श्री गाडगिल द्वारा यह घोषणा करने के पश्चात्···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : हम अब मंत्रियों का परिचय नहीं लेते हैं। हमें पहले निधन सम्बन्धी उल्लेख और तत्पश्चात् इस मद को लेना है। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, प्रधान मंत्री ने श्री कल्याण सिंह कालवी का मंत्री के रूप में परिचय कराया है जोकि सती प्रथा के जाने माने समर्थक हैं। ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में नहीं लिया जा सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रधान मंत्री।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चिदम्बरम, आप जानते हैं कि इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा से मंत्रियों का परिचय कराता हूं।

श्री देवी लाल, उप प्रधान मंत्री, कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री।

डा० शकीलुर्रहमान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री।

श्रीमती मेनका गांधी, पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय, पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री।

डा० संजय सिंह, संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री।

श्री हरमोहन धवन, नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री।

श्री सुबोध कान्त सहाय, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री।

श्रीमती उषा सिंह, पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री।

श्री रामजी लाल सुमन, श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री।

श्री जयंतीलाल वीरचन्द भाई शाह, कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री।

श्री बबनराव ढ़ाकणे, ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री।

श्री कमल मोरारका, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री।

श्री ललित विजय सिंह, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री।

श्री राम बहादुर सिंह, कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री।

श्री दसई चौधरी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री।

श्री जय प्रकाश, पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री।

श्री नकुल नायक, प्रधान के संसदीय सचिव

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब निधन सम्बन्धी उल्लेख आरम्भ होगा। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

11.09 ब० मु०

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपने आठ भूतपूर्व साथियों अर्थात् श्री धीरेन्द्र नाथ बसु, श्री सी० मुत्तुस्वामी, मौलाना अब्दुल रहमान, श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, मौलाना मुहम्मद सईद मसूदी, श्री वी० पी० नायर और श्री सुरेन्द्र मोहन्ती के दुःखद निधन की सदन को सूचना देनी है।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु ने वर्ष 1977-79 के दौरान छठी लोक सभा में पश्चिम बंगाल के कटवा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री बसु अल्पावस्था में ही स्वाधीनता आन्दोलन में कूद पड़े थे और उन्होंने 1942 में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में सक्रिय रूप से भाग लिया।

वह एक शिक्षा शास्त्री थे और उन्होंने 1952-57 की अवधि के दौरान जादवपुर विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की प्रशासनिक परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया था। कलकत्ता निगम की विभिन्न स्थायी समितियों के सभापति के रूप में उन्होंने कलकत्ता महानगर के नागरिक सुविधाओं का संवर्धन करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान किया। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में महिला अध्यापकों की नियुक्ति की दिशा में गहन रुचि ली।

श्री बसु एक प्रसिद्ध राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे तथा वह विभिन्न प्रकार से अनेक संगठनों के साथ सम्बद्ध थे।

श्री बसु का बहुमुखी व्यक्तित्व था और अंग्रेजी तथा बंगला में प्रकाशित होने वाली एक मासिक पत्रिका "स्वदेश बन्धु" के वह सम्पादक थे। श्री बसु ने विभिन्न स्थानों की व्यापक रूप से यात्रा की और 1973 में सोवियत संघ में आयोजित विश्वशांति परिषद के सम्मेलन में भारतीय शिष्ट मंडल में सदस्य के रूप में भाग लिया था।

श्री बसु एक योग्य सांसद थे और उन्होंने सदन की सभापति तालिका के सदस्य के रूप में भी कार्य किया तथा उन्होंने सदन की कार्यवाही का बड़ी योग्यता से संचालन किया।

श्री बसु का 72 वर्ष की आयु में 11 नवम्बर, 1990 को कलकत्ता में निधन हुआ।

श्री सी० मुत्तुस्वामी गौंडर ने तत्कालीन मद्रास राज्य के करूर निर्वाचन क्षेत्र का वर्ष 1967-70 की अवधि के दौरान चौथी लोक सभा में प्रतिनिधित्व किया।

श्री गौंडर व्यवसाय से कृषक थे और जिला सहकारी बैंक, त्रिचुरापल्ली के उपाध्यक्ष होने के अलावा वह त्रिची रेगुलेटिड मार्किट के निदेशक भी थे।

एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण तथा उत्थान के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। उन्होंने खादी के संवर्धन के प्रति गहरी रुचि दिखाई।

श्री सी० मुत्तस्वामी गौंडर का 73 वर्ष की आयु में 16 नवम्बर, 1990 को मद्रास में निधन हुआ।

मौलाना अब्दुल रहमान वर्ष 1957-62 की अवधि के दौरान दूसरी लोक के सदस्य थे।

वह एक प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी, सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने जम्मू तथा कश्मीर राज्य के विकास कार्यों में गहरी रुचि ली और अनेक सामाजिक तथा राजनैतिक संगठनों के साथ सम्बद्ध रहे।

मौलना अब्दुल रहमान उर्दू, फारसी तथा अरबी भाषा के विद्वान थे और उन्होंने जम्मू तथा कश्मीर विश्वविद्यालय के सीनेटर रहे। वह आकाशवाणी कश्मीर से प्रसारित होने वाले अनेक शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ सम्बद्ध रहे थे।

मौलाना अब्दुल रहमान का 68 वर्ष की आयु में 21 नवम्बर, 1990 को जम्मू में निधन हो गया।

श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह ने 1957-62 और 1962-67 के दौरान मध्य प्रदेश के क्रमश: रायपुर और राजनन्दगांव निर्वाचन क्षेत्रों का दूसरी तथा तीसरी लोक सभा में प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वह मध्य प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे जहां उन्होंने 1952-57 के दौरान उपगृह मंत्री के पद पर भी कार्य किया था।

श्री सिंह ने 1932 में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध सम्बन्धी कार्यों में भाग लिया। उन्हें भारतीय सेना में मेजर का रैंक दिया गया। वह 193९ में खैरागढ़ रियासत के शासक बने।

वह एक महान समाज सुधारक थे। उन्होने खैरागढ़ के तत्कालीन राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मंदिर प्रवेश के बारे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये और भू-दान आन्दोलन को भूमि दान दी। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों तथा आदिवासियों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात श्री सिंह ने भारतीय विदेश सेवा में विभिन्न पदों पर रहकर देश की सेवा की। श्री सिंह ने व्यापक रूप से यात्रा की और वर्ष 1954 तथा 1962 में टोरन्टो में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय समाज कल्याण सम्मेलनों में भाग लिया।

श्री सिंह भाषा शास्त्री और शिक्षाविद थे। इन्होंने शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कीं तथा सरकारी संस्थाओं को दान दिया। उन्होंने अपना रिहाइशी आवास इन्दिरा म्यूजिक यूनिवर्सिटी के लिए सरकार को दे दिया।

श्री सिंह ने सदन की कार्यवाही में, विशेषतया विदेशी, कृषि, सिंचाई तथा रक्षा संबंधी मामलों में गहरी रुचि ली।

श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह का लगभग 76 वर्ष की आयु में 28 नवम्बर, 1990 को रायपुर में देहान्त हो गया।

श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म एक सुविख्यात परिवार में हुआ था। वह एक सर्वाधिक प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता और स्वाधीनता सेनानी पंडित मोतीलाल नेहरू की पुत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहर लाल नेहरू की बहन थीं। वह स्वयं भी प्रसिद्ध

स्वीधनता सेनानी, योग्य राजनयिक, अद्वितीय राजनीतिज्ञ और अनथक समाजसेवी थीं। उन्होंने मानव अधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा उन्हें इस युग की एक महान महिला की संज्ञा दी जा सकती है।

श्रीमती पंडित वर्ष 1952-54 के दौरान नवम्बर, 1964 से मार्च 1967 तक तथा मार्च, 1967 से जुलाई, 1968 तक क्रमशः पहली, तीसरी और चौथी लोक सभा की सदस्य रहीं। इससे पहले उन्होने संविधान सभा के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण योगदान किया। वह वर्ष 1937-39 तथा वर्ष 1945-46 के दौरान उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद् की सदस्य रहीं। उन्हें वस्तुतः भारत में अंग्रेजी राज्य में प्रथम महिला मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में बढ़-चढ़कर भाग लिया। उन्होंने 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। 1941 और 1942 में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और वह जेल गई। 50 वर्षों से भी अधिक समय के अपने संघर्षपूर्ण कार्यकाल में उन्होंने न केवल देश के राजनैतिक जीवन में बल्कि राजनयिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वर्ष 1947 और 1961 के दौरान उन्होंने राजदूत के रूप में ख्याति अर्जित की और बाद में अनेक देशों में भारत की उच्चायुक्त रहीं। राजनयिक के रूप में उन्होंने सोवियत संघ, अमरीका, स्पेन, मैक्सिको तथा इग्लैंड में कार्य किया। लंदन में उच्चायुक्त के पद पर आसीन रहने के फलस्वरूप महारानी एलिजाबेथ द्वितीय तथा ड्यूक आफ एडनबर्ग ने 1960-61 में भारत की यात्रा की जो बहुत सफल रही।

वर्ष 1953-54 में उनके संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अध्यक्ष पद पर चुने जाने से देश को अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। इससे पहले वह 1947 से लेकर लगातार चार वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र में भारतीय शिष्टमंडल की नेता रहीं। 1963 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय दल का नेतृत्व किया।

वर्ष 1962-64 के दौरान वह महाराष्ट्र की राज्यपाल थी जहां उन्होंने कुशल प्रशासक होने का परिचय दिया। श्रीमती पंडित का बहुआयामी व्यक्तित्व था और उनको कई कार्य सबसे पहले करने का श्रेय प्राप्त है। वह स्वतन्त्रता-पूर्व काल में प्रथम महिला मंत्री थीं। संयुक्त राष्ट्र संघ में देश के शिष्टमण्डल की सबसे पहली महिला नेता थीं तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थीं।

श्रीमती पंडित को पद्म विभूषण से सुशोभित किया गया और इसके अलावा, उन्हें एक विश्व पुरस्कार, वर्ष की महत्वपूर्ण महिला पुरस्कार आदि भी मिले। उनकी प्रतिभा को मान्यता देते हुए विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उन्हें अनेक मानद उपाधियों से सुशोभित किया।

श्रीमती पंडित एक प्रसिद्ध सांसद थीं और उन्होंने सदन की कार्यवाही, विशेष रूप से विदेशी कार्य संबंधी कार्यवाही में गहरी रुचि ली।

यद्यपि श्रीमती पंडित का राजनीति और कूटनीति में निस्संदेह उल्लेखनीय योगदान है, इसके साथ ही उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने में भी गहरी रुचि ली। वह महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा देने की जबरदस्त पक्षधर थीं और उन्होंने महिला मुक्ति के लिए निरंतर कार्य किया। वर्ष 1940-42 के दौरान वह आल इंडिया वूमन कांफ्रेंस की अध्यक्ष

तथा अन्तर्राष्ट्रीय महिला शांति और स्वतन्त्रता लीग की उपाध्यक्ष थीं।

श्रीमती पंडित की मृत्यु से देश के इतिहास के उस युग से हमारा सम्पर्क टूट गया है जिसमें हमारे देश की स्वतन्त्रता प्राप्ति के लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने की दिशा में अथक योगदान करने वाले प्रयत्नशील नेताओं का प्रभुत्व था। उनकी मृत्यु से देश ने उच्च आदर्शों, व्यापक सहानुभूतियों तथा दृढ़ आस्थाओं से परिपूर्ण एक अद्भुत व्यक्तित्व खो दिया है।

मौलाना मुहम्मद सईद मसूदी संविधान सभा, अन्तरिम संसद और 1949 से 1957 तक जम्मू और कश्मीर राज्य से पहली लोक सभा के सदस्य थे। इससे पहले वह 1938 में जम्मू और कश्मीर प्रजा सभा के सदस्य रहे।

वह एक प्रतिष्ठित शिक्षक और एक जाने माने राजनैतिक कार्यकर्ता रहे, उन्होंने संभवत: 1932 में अपनी प्राध्यापकी छोड़कर स्वतन्त्रता संग्राम में हिस्सा लिया और उसके बाद उन्होंने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

वह श्री मसूदी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के निकट सहयोगी थे और उन्होंने कश्मीर छोड़ो आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसकी वजह से एक जिम्मेदार सरकार का गठन हो सका। वह कई वर्ष जेल में रहे तथा 1934 में उन्हें राज्य से एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया।

मौलाना मसूदी एक बड़े चरित्रवान व्यक्ति थे तथा मानवीय मूल्यों के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। वह एक निष्ठावान क्रांतिकारी तथा भारत के संविधान निर्माताओं में से एक थे। उन्होंने हमेशा संयमित और सादा जीवन बिताया।

मौलाना मसूदी ने पत्रकारिता में गहरी रुचि ली और 1935-40 में एक स्थानीय समाचार पत्र 'हमदर्द' के संपादक रहे तथा 1940 में 'खिदमत' नाम से एक साप्ताहिक आरम्भ किया। इससे पहले 1920 में, उन्होंने लाहौर से प्रकाशित एक उर्दू समाचार पत्र 'जमींदार' के लिए भी कार्य किया।

मौलाना मसूदी एक शिक्षाविद थे और उन्होंने जम्मू तथा कश्मीर विश्वविद्यालय की सीनेट के एक सदस्य तथा ओरियंटल संकाय के डीन के रूप में कार्य किया। उन्होंने पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन में गहरी रुचि ली तथा वह जम्मू तथा कश्मीर राज्य के पाठ्यक्रम पुस्तक सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे।

वह एक कुशल प्रशासक थे। 1936 में उन्होंने नगर पालिका आयुक्त के रूप में कार्य किया और 1947 में ऊरी मोर्चे पर आपातकालीन प्रशासन के दौरान सम्पर्क अधिकारी के रूप में काम किया।

13 दिसम्बर, 1990 को हमारी मातृभूमि के सच्चे सपूत मौलाना मसूदी की हत्या एक घृणित अपराध था जिसकी इस सदन के सभी वर्ग कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। राष्ट्र के प्रति उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए उन्हें लम्बे अर्से तक याद रखा जायेगा।

श्री पी० पी० नायर 1952-57 तथा 1957-62 के दौरान पहली तथा दूसरी लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने केरल की क्रमश: चिरयंकिल और क्विलोन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

वह पेशे से एक वकील थे तथा केरल राज्य के अनेक पर्यावरण दलों के साथ संबद्ध थे। उनकी खनिजों, लोक स्वास्थ्य तथा मछुआरों की समस्याओं के अध्ययन के प्रति गहरी रुचि थी।

सांसद के रूप में उन्होंने सदन की कार्यवाही में अपने अपार ज्ञान से काफी योगदान दिया।

वह 'केरल शब्दम' साप्ताहिक, जो त्रिवलोन से निकलता था, के संस्थापक संपादक थे।

वह एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। श्री नायर ने केरल राज्य में खेलों के विकास में गहरी रुचि ली।

श्री नायर का निधन 19 नवम्बर, 1990 को थीरूवन्नतापुरम में 72 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री सुरेन्द्र मोहन्ती वर्ष 1971-77 के दौरान पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने उड़ीसा के केन्द्रपाड़ा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले उन्होंने दूसरी लोक सभा (1957-62) में राज्य के धेनकेनाल निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह 1952-57 तथा पुन: 1978-1984 में राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

श्री मोहन्ती एक पुराने स्वतन्त्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

वह एक प्रतिष्ठित साहित्कार थे तथा उन्होंने अनेक कृतियों की रचना की और उन्हें 1959 तथा 1970 में क्रमश: राज्य तथा केन्द्र साहित्य अकादमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वह उड़ीसा साहित्य अकादमी के कई वर्षों तक अध्यक्ष रहे।

वह प्रसिद्ध सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता थे तथा उन्होंने उड़ीसा में राहत कार्यों का आयोजन किया था।

श्री मोहन्ती का बहुमुखी व्यक्तित्व था, वह एक साप्ताहिक 'जनता' तथा एक दैनिक 'गणतन्त्र' के संस्थापक संपादक थे तथा वह 'कलिंग' के संपादक भी थे। 1984 में उन्होंने उड़िया के एक दैनिक 'संवाद' के प्रमुख संपादक के रूप में कार्य आरम्भ किया तथा अन्तिम दिनों में भी वह इस दैनिक के लिए एक स्तम्भ नियमित रूप से लिख रहे थे।

श्री मोहन्ती ने कई देशों की यात्रा की तथा उन्होंने 1955 में चीन यात्रा के दौरान भारतीय संसदीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया।

वह एक योग्य सांसद थे तथा उन्होंने सदन की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री मोहन्ती का निधन 22 दिसम्बर, 1990 को कटक में 68 वर्ष की आयु में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा इनके संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरा साथ देगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे

11.22 म० पू०

मंत्रियों का परिचय—(जारी)

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : आपकी अनुमति से मैं श्री भागेय गोवर्धन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्री सरवर हुसैन, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री का सभा से परिचय कराता हूं। (व्यवधान)

11.22½ म० पू०

नियम 388 के अधीन प्रश्न काल के निलम्बन के लिए प्रस्ताव के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न लेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न काल के निलम्बन के बारे में एक नोटिस दिया है। मुझे एक निवेदन करने की अनुमति दी जाए।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम प्रश्न लेंगे। श्री भोये।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैंने नियम 388 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया है और मुझे एक निवेदन करना है। मुझे आपकी सम्मति लेने के लिए निवेदन करने का अधिकार है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तो सभा के नियमों को जानते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे आपकी सम्मति लेने के लिए निवेदन करने का अधिकार है। कृपया मुझे नियम 388 के अन्तर्गत आपकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निवेदन करने की अनुमति दीजिए। क्या मैं निवेदन कर सकता हूं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी सम्मति नहीं दी है। अब हम प्रश्न काल आरम्भ करें।

प्रो० मधु दण्डवते : पहले तो मुझे निवेदन करने का अधिकार है फिर सम्मति क्यों नहीं मिलनी चाहिए। यह सभा की परम्परा है ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

प्रो० मधु दण्डवते : यह सभा की परिपाटी है। आप मेरा नोटिस रद्द करें उससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने नियम 388 के अधीन एक नोटिस दिया है। मुझे आपसे अनुरोध करने का अधिकार है···(व्यवधान)

श्रीमती सुमाविनी अली (कानपुर) : श्री कालवी ने सती का समर्थन करके भारत के संविधान का उल्लंघन किया है। वह मंत्रिमंडल में नहीं रह सकते···(व्यवधान)

[हिन्दी]

आप मेरी बात तो सुनिये। इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी है। मुझे बोलने दीजिये.....

सती प्रथा के समर्थकों को बाहर कीजिये। ये सरकार में नहीं रह सकते हैं। आप इनको बाहर कीजिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम कर सकते हैं इसको क्या ?

[अनुवाद]

क्या मैं यह कर सकता हूं ?

कृपया अपने स्थानों पर जाइए।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मुझे यह अनुरोध करने का अधिकार है कि आप नियम 388 के अधीन प्रश्न काल निलम्बित करने के लिए सहमति क्यों दें··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं। आप कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया पहले अपने स्थान ग्रहण करेंगे ? मैं खड़ा हूं, श्री जार्ज फर्नान्डीज।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सुनूंगा, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : महोदय, मुझे अनुरोध करने की अनुमति दें। (व्यवधान)

इस समय श्री प्रकाश कोको शह्मभट्ट और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गये।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थानों पर वापस जाइए।

(व्यवधान)

इस समय श्री प्रकाश कोको शह्मभट्ट और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर चले गये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित होती है।

11 30 म० पू०

तत्पश्चात् लोक सभा 11.45 म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

11.50 म० पू०

लोक सभा 11.50 म० पू० पर पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, अयोध्या के मामले में मुझे कुछ कहना है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं। अब मैं मधु जी को बोलने के लिए बुलाऊंगा। मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हाउस को चलाने के लिए उन्हें पूरा असिस्टेंस देना चाहिए। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य कुछ चिंतित हैं।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : आपको सहयोग मिलेगा बशर्ते आप प्रत्येक को समान अवसर दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आप पहले मेरी बात सुनिए। मधु जी अभी आप बैठ जाएं, मैं कुछ कह रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब पहले मेरी बात सुनिए। मैं सब माननीय सदस्यों को कहूंगा।

[अनुवाद]

मैं आपसे अपील करता हूं और विनती करता हूं कि सभा का कार्य करने में मेरी सहायता करें।

[हिन्दी]

हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। माननीय सदस्य चिंतित भी हैं और सवाल उठाना चाहते हैं। इसलिए मैं मधु दण्डवते जी को बोलने के लिए बुला रहा हूं। वह अब अपना सब-मिशन करेंगे। मधु जी को सुनने के बाद विभिन्न दलों के नेता अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो मैं उन्हें बोलने की इजाजत दूंगा।

कृपया सभा कार्य करने में मुझे सहायता दें। अब श्री दण्डवते।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, कृपया माननीय सदस्यों से भी यह कहें कि अपना स्थान न छोड़ें और आपके तथा मेरे बीच में न आएं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं और क्या कह सकता हूं ?

11.52 म० पू०

नियम 388 के अधीन प्रश्न काल के निलम्बन के लिए, प्रस्ताव के बारे में, सरकार के गठन की बैधता और सभा में कांग्रेस (आई) की स्थिति

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, आप द्वारा अपने मत व्यक्त करने से पहले मैं आपसे केवल यह अनुरोध करता हूं कि आप हमारे अनुरोध को विस्तार से सुनें क्योंकि यह एक बहुत ही बुनियादी मामला है। यह मेरे पास है : पहले, मैंने नियम 388 के तहत नोटिस दिया है जिसमें कहा गया है कि प्रश्न काल से सम्बन्धित नियम 32 निलम्बित किया जाए और हमें सरकार के गठन की बैधता के प्रश्न पर चर्चा शुरू करनी चाहिए। मेरे पास 9 नवम्बर, 1990 की राष्ट्रपति भवन की प्रेस विज्ञप्ति है। सरकार-गठन के बारे में राष्ट्रपति के सन्देश में कहा गया है कि पहले उन्होंने कांग्रेस (आई) की सलाह ली कि क्या वे सरकार गठित करने के लिए तैयार हैं, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ऐसा अनुरोध किया और फिर वामपंथी मोर्चे से भी कहा कि क्या वे सरकार गठित कर सकते हैं। फिर, उन्होंने चन्द्रशेखर गुट से अनुरोध किया कि क्या वे सरकार गठित कर सकते हैं। इसमें कहा गया है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं :

"राष्ट्रपति ने श्री चन्द्रशेखर से पूछा कि क्या वह एक टिकाऊ सरकार गठित करने की स्थिति में हैं··· (व्यवधान)

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : क्या प्रश्न काल निलम्बित किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री कमलनाथ, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : महोदय, आप उन्हें किस नियम के तहत अनुमति दे रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैंने श्री दण्डवते को बोलने के लिए कहा है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैंने प्रश्न काल निलम्बित किए जाने के लिए नोटिस दिया है। (व्यवधान) महोदय, आप मुझे सुनिए। (व्यवधान)

श्री कमल नाथ : महोदय, क्या आपने प्रश्न काल निलम्बित कर दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री चन्द्रशेखर ने इस प्रस्ताव का उत्तर दिया और कांग्रेस (आई), ए० आई० ए० डी० एम० के०, बहुजन समाज पार्टी इत्यादि द्वारा उनके गुट को समर्थन देने का सबूत प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति प्रथम दृष्टि से संतुष्ट हैं कि उपरोक्त वर्णित पार्टियों के समर्थन से श्री चन्द्रशेखर के नेतृत्व वाला गुट एक टिकाऊ सरकार गठित करने लायक सामर्थ्य रखता है। (व्यवधान)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मुझे व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न करना है। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : व्यवस्था सम्बन्धी कोई प्रश्न नहीं है। **(व्यवधान)** प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था सम्बन्धी कोई प्रश्न नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : वह किस नियम के तहत बोल रहे हैं? **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था सम्बन्धी कोई प्रश्न नहीं होता, केवल नियम 388 के अधीन सूचनाएं **(व्यवधान)** केवल जब कांग्रेस आई तथा अन्यों द्वारा राष्ट्रपति को सूचित किया गया था कि "हम सरकार का समर्थन करेंगे", दूसरे शब्दों में जब वे सरकार के सहयोगी बने हालांकि भागीदार नहीं बने, तब सरकार गठित करने की अनुमति दी गई। आज के समाचारपत्रों में कांग्रेस (आई) अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सचिव श्री वी० एन० गाडगिल का प्रैस-साक्षात्कार प्रकाशित हुआ है, इसमें कहा गया है कि समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि कांग्रेस ने यह घोषणा की थी कि "हम एक विपक्षी पार्टी के रूप में कार्य करेंगे।" श्री गाडगिल ने घोषणा की है कि कांग्रेस (आई), न तो सरकार में सहायक है और न ही एक भागीदार है। अगर 195 सदस्यों की यह कांग्रेस (आई) इस सरकार की भागीदार नहीं है और इसकी सहायक भी नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए श्री चन्द्रशेखर को आमन्त्रित करने का आधार ही समाप्त हो जाता है। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं और इसलिए प्रश्न काल निलम्बित करना होगा और हमें इस सरकार की वैधता के बारे में चर्चा शुरू करनी चाहिए।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस शोर शराबे में अपने मित्र प्रो० दण्डवते का कथन समझ नहीं पाया। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अब बोलो। अब क्यों बैठ गये?

अध्यक्ष महोदय : आप उनको क्यों उभारते हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : क्या मैं स्पष्ट करूं?

श्री दिनेश सिंह : मैं उनकी शिकायत से यही समझ सका कि अगर हमने इस सरकार को समर्थन दिया तो हम एक विपक्षी पार्टी कैसे बने रह सकते हैं? अब, माननीय सदस्य को एक अल्पमत सरकार का अनुभव है उन्हें तो यह पता होना चाहिए कि वह उन दो पार्टियों द्वारा समर्थित थे जो स्वयं को विपक्ष मानती थी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप उन्हें ध्यानपूर्वक सुनें।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या मैं इस बारे में स्पष्टीकरण दूं?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात भी सुनूंगा।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्हें सच बोलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री दिनेश सिंह को अनुमति दी है।

श्री दिनेश सिंह : अगर वह सरकार का एक भाग बनने के गौरव का लाभ उठना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लोक सभा में एक समर्थन करने वाली पार्टी की कोई व्यवस्था नहीं है। (**व्यवधान**) समर्थन करने वाली पार्टी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक सत्ताधारी पार्टी होती है और बाकी विपक्षी पार्टियां कहलाती हैं। (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चावड़ा साहब, क्या यह जरूरी है कि आप यस नो कहेंगे ? यह जरूरी नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सोज जी, आपको क्या हो गया है ?

(**व्यवधान**)

श्री दिनेश सिंह : मेरे साथ कठिनाई यह है कि माननीय सदस्यों ने नियम नहीं पढ़े हैं। अगर वे नियमों का हवाला देकर कहें कि एक समर्थन करने वाली पार्टी का प्रावधान है तो मैं अपना कथन वापस ले लूंगा। लेकिन, आपकी अनुमति से मैं यह यह अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रो० कुरियन ने आपको एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि हम कांग्रेस (आई) एक विपक्षी पार्टी हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भूटान नरेश की भारत यात्रा

[अनुवाद]

*1. **श्री आर० एम० भोये** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान नरेश ने नवम्बर, 1990 में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी भारतीय नेताओं के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बातचीत के फलस्वरूप दोनों देशों के मध्य किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। भूटान नरेश 23 से 26 नवम्बर, 1990 तक चार दिन की भारत की यात्रा पर आए थे।

(ख) अपनी यात्रा के दौरान भूटान नरेश ने राष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरामन से मुलाकात की वे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री से भी मिले। बातचीत विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा आपसी हित के बहुपक्षीय मसलों पर केन्द्रित रही।

(ग) भारत और भूटान के बीच 25 नवम्बर, 1990 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि तला पनबिजली परियोजना (चुखा-2) और वांगचु जल भण्डारण योजना (चुखा-3) पर विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जा सकें।

(घ) तला पन बिजली परियोजना नदी प्रवाह योजना है और उम्मीद है कि इसमें 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने की निहित क्षमता होगी। वांगचु जल भण्डारण योजना में पत्थरों से बांध का निर्माण किया जाएगा और उम्मीद है कि इसकी निहित क्षमता 500-600 मेगावाट होगी। उम्मीद है कि विस्तृत परियोजना रिपोर्टें दिसम्बर, 1993 तक तैयार हो जाएंगी समझौता ज्ञापन की प्रति सदन को मेज पर रख दी गई है।

विवरण

वांग्चू थाले में तला पनबिजली परियोजना और वांग्चू जलाशय योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए भारत सरकार और भूटान की राजशाही सरकार के बीच समझौता ज्ञापन।

भारत सरकार और भूटान की राजशाही सरकार,

दोनों देशों की सरकारों और उनके लोगों के बीच मौजूद मैत्रीपूर्ण संबंधों एवं चुक्खा पन बिजली परियोजना को पूरा करने में दिखाए गए पारस्परिक विश्वास, समझ-बूझ और सहयोग को ध्यान में रखते हुए,

चुक्खा पन बिजली परियोजना को, जो पारस्परिक लाभकारी सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, सफलतापूर्वक पूरा होने पर गौर करते हुए,

भूटान की राजशाही सरकार की अपने राज्य में विशेषकर वांग्चू थाले में अतिरिक्त जल शक्ति संभावना के विकास करने के लिए भूटान की राजशाही सरकार की इच्छा को, और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा भूटान की राजशाही सरकार को सहयोग और सहायता देने की इच्छा पर भी गौर करते हुए,

भूटान में वांग्चू थाले में जल शक्ति के विकास के संबंध में तला पन बिजली परियोजना और वांग्चू जलाशय योजना के लिए विस्तृत जांच करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए समझौता सम्पन्न किया है।

परियोजना का सार

1. तला पन बिजली परियोजना

यह एक नदी प्रवाह योजना है जिसमें चुक्खा पन बिजली परियोजना के नीचे वांग्चू नदी के अनुप्रवाह से लगभग 880 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले जल का उपयोग किया जाएगा। चुक्खा परियोजना द्वारा किये गये प्रारंभिक अध्ययनों के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत पानी का प्रवाह रोकने के लिए एक बांध 20 किमी० की लम्बी मुख्य जल प्रवाह सुरंग, भूमिगत पावर हाउस और 3 किमी० लम्बी तल जल प्रवाह सुरंग का निर्माण शामिल है। चुक्खा परियोजना प्राधिकरण के

अध्ययनों में 1000 मेगावाट की संस्थापित क्षमता का प्रस्ताव रखा गया है।

2. वांग्चू जलाशय योजना

इस योजना के अन्तर्गत वांग्चू नदी पर पानी के भण्डारण के लिए एक बांध और एक बिजलीघर का निर्माण किया जाएगा। इस जल भण्डारण योजना के लिए बांध बनाने के लिए दो स्थानों का पता लगाया गया है। इसमें एक स्थान वांग्चू के साथ पोपींग नदी के संगम स्थल के नीचे होगा। (इसका पता चुक्खा परियोजना प्राधिकरण ने लगाया) और दूसरा स्थल प्रतिकूल प्रवाह से 6-7 किमी० की दूरी पर स्थित होगा। (जिसे टाट कन्सलटिंग इंजीनियर्स द्वारा अपनी चुलाई, 1988 की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया है।) इन प्रारंभिक अध्ययनों में 500 से 600 मेगावाट का संस्थापित क्षमता का प्रस्ताव किया गया है।

दो—आज तक किए गए अनुसंधान, जांच और अध्ययन

1. भूटान की राजशाही सरकार के अनुरोध पर, वांग्चू नदी के सर्वेक्षण जांच का कार्य 1961 में तत्कालीन भारत के केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा अपने हाथ में लिया गया था।

2. उपरोक्त वर्णित जांच और उसके बाद तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर चुक्खा पन बिजली परियोजना हाथ में ली गई और उसे पूरा किया गया।

3. चुक्खा परियोजना प्राधिकरण ने अप्रैल 1983 में तला पन बिजली परियोजना के लिए जून, 1987 में वांग्चू जलाशय योजना के लिए और नवम्बर, 1988 में तोरसा जलाशय योजना के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की।

4. मैसर्स टाटा कन्सलटिंग इंजीनियर्स, बम्बई ने जुलाई, 1988 में राजशाही सरकार के लिए रायडाक जल शक्ति योजना (वांग्चुक जलाशय योजना) और तोरसा जल शक्ति योजना के सम्बन्ध में पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की।

5. भूटान की राजशाही सरकार की इच्छानुसार चुक्खा परियोजना प्राधिकरण और टाटा कन्सलटिंग इंजीनियर्स की रिपोर्ट का भारत सरकार के संबद्ध विभागों द्वारा विस्तृत जांच किए जाने के बाद फरवरी, 1990 में संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया गया कि वांग्चू थाले में प्रस्तावित परियोजना की और आगे जांच किए जाने की आवश्यकता है।

6. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रीय पन बिजली शक्ति निगम लि०, केन्द्रीय जल आयोग भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के एक विशेषज्ञ दल ने 6 से 11 फरवरी, 1990 तक वांग्चू घाटी थाले का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट दी।

7. अप्रैल, 1990 में दिल्ली में दोनों देशों की सरकारों के प्रतिनिधिमण्डल की बैठक में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि वांग्चू थाले में दो परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम एक साथ हाथ में लिया जाए। यदि आवश्यक हो तो दो अलग-अलग एजेंसियों के जरिये यह काम करवाया जा सकता है।

तीन—जांच क्षेत्र

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए निम्नलिखित स्थानों पर जाकर जांच किए जाने की आवश्यकता है :

1. विकल्पों की प्राथमिक जांच

बांध बनाए जाने के लिए विभिन्न वैकल्पिक स्थानों के मूल्यांकन के लिए तथा विस्तृत जांच करने के लिए जल संचालन व्यवस्थाओं को परस्पर जोड़ने के लिए योजनाओं का चुनाव करने के लिए प्राथमिक जांच की जानी चाहिए।

2. स्थलाकृति सर्वेक्षण

इस सर्वेक्षण में दोनों परियोजना के बांध स्थलों से लेकर विद्युत केन्द्र तक का सम्पूर्ण क्षेत्र आता है।

3. भूगर्भ/भूभौतिकीय और आधारिक भूतभूत जांच

यह जांच बांध स्थलों और दोनों परियोजनाओं को लगाने के लिए अन्य संभावित स्थानों पर की जाए। इसमें विभिन्न स्थानों पर विस्तृत उप-सतह की खोज, भूमानचित्र, छेदन, ड्रापिंटग, जल क्षरण जांच और अन्य यांत्रिक जांच सम्मिलित हो।

4. भूकम्पीय निरीक्षण

विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के लिए भूकम्पीय पैरामीटर प्राप्त करने के लिए भूकम्पीय क्रिया के ऐतिहासिक आंकड़े और क्षेत्रीय भूगर्भीय संरचना की समीक्षा की जाये। इन अध्ययनों में परियोजना क्षेत्रों में भूकम्पीय वेधशालाओं के लिए एक ऐसी योजना शामिल की जाए ताकि भूटान की राजशाही सरकार भावी समीक्षाओं के लिए भूकम्पीय तंत्र की स्थापना कर सके।

5. द्रवधनत्व मापी निरीक्षण

दोनों परियोजनाओं के लिए द्रवधनत्वमापी निरीक्षण तुरन्त प्रारम्भ किया जा सके। एकत्रित किये जाने वाले आंकड़ों में वर्षा, मापमान, नदी गौज और निकासी, निलम्बित गाद और जल किस्म को शामिल किया जाये।

6. निर्माण सामग्री सर्वेक्षण

महत्वपूर्ण सामग्री तथा अन्य निर्माण सामग्रियों के लिए मिट्टी के सम्बन्ध में सुव्यवस्थित ढंग से नमूने लिए जाएं, परीक्षण किए जाए तथा मूल्यांकन किए जाएं और साथ ही यदि आवश्यक हो तो शैल वर्गीय जांच की जाए और क्षार सम्पूर्ण प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में प्रभाव्यता जांच के लिए अन्य विशेष परीक्षण किए जाएं ताकि स्थूल तथा सूक्ष्म परिणाम निकाले जा सकें।

7. गुण सर्वेक्षण

यह सर्वेक्षण स्थानीय भूटानी अधिकारियों के जरिए कराए जाएं।

8. संचार सर्वेक्षण

मौजूदा आधारभूत संरचना की प्रर्याप्तता की जांच करने, परियोजनों के लिए अपेक्षित साज-सामान के परिवहन के लिए अपनाए जाने वाले रास्तों का निर्धारण करने तथा मौजूदा सड़कों तथा पुलों के स्तर को बढ़ाने, तथा उन्हें चौड़ा करने की जरूरत का जायजा लेने के लिए भूटान की राजशाही सरकार के अधिकारियों के साथ परामर्श करके अध्ययन किए जाएं।

9. पर्यावरण अध्ययन

भूटान की राजशाही सरकार की जरूरतों के अनुसार पर्यावरणीय प्रभाव जांच अध्ययन किए जाएं।

10. अनुकूलतम अध्ययन

भारत तथा भूटान के प्रौद्योगिक आर्थिक कारणों तथा कार्य-प्रणाली संबंधी जरूरतों के आधार पर स्थिर शक्ति ऊर्जा उत्पादन, संस्थापित क्षमता तथा एककों के आकार को अभिष्टम बनाने के लिए विस्तृत अध्ययन किया जाए।

11. उपकरण मण्डी अध्ययन

बिजलीघर तथा स्विच यार्ड विन्यास के निर्धारण के लिए स्थानीय परिस्थितियों में उपकरणों की उपयुक्तता तथा एककों के आकार-प्रकार का सुनिश्चय करने के लिए अध्ययन किए जाएं और विद्युत उपकरणों के विनिर्माताओं से मूल आंकड़े एकत्र किए जाएं।

12. विद्युत संचरण तंत्र

उत्पादित विद्युत की निकासी के लिए वोल्टेज प्रणाली तथा विद्युत संचरण लाइनों की संख्या निर्धारित करने के लिए विस्तृत अध्ययन किए जाएं।

13. निर्माण प्रणाली अध्ययन

भूटान में श्रमिकों की कमी को ध्यान में रखते हुए निर्माण के लिए अपनाया जाने वाला तरीका अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा। श्रमिकों की जरूरत तथा निर्माण में लगने वाले समय को कम से कम करने के लिए मशीनों के प्रयोग को और अभिष्टतम बनाने के निमित्त अध्ययन किए जाएं तथा आवश्यक जांच की जाए। सुरंग भेदन मशीनों को प्रयोग में लाए जाने की संभावनाओं का पता लगाया जाए।

चार—आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता

कार्य करने वाले स्टाफ तथा श्रमिकों के शिविर कार्य स्थल के समीप लगाए जाएंगे। परियोजना के विभिन्न संघटक चुखखा तथा वांग्चू और पाइपिंग नदियों के संगम के बीच रखे जाएंगे। भूटान की राजशाही सरकार निम्नलिखित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी :

(क) तला पनबिजली परियोजना

चुखखा स्थित कार्यालय तथा कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाए। यदि चुखखा में आवास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने में कोई कठिनाई आए, तो कार्य सन्निष्ट स्टाफ सहित नियमित स्टाफ तथा श्रमिकों के लिए विभिन्न स्थानों पर अधिकतम कार्य अवधि के दौरान अपेक्षित श्रमिकों, जिनकी अनुमानित संख्या 200 के आसपास है, के लिए अस्थायी भवन निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि भूटान की राजशाही सरकार द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) वांग्चू जलाशय योजना

कार्यालयों, भण्डारों तथा नियमित तथा कार्य-सन्निष्ट कर्मचारियों के आवास के निर्माण के लिए भूमि भूटान की राजशाही सरकार द्वारा निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

पांच—परियोजना पूरी करने के लिए निर्धारित समय-सीमा

जांच एजेंसियों को कार्य सौंपे जाने की तिथि से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से संबद्ध जांच के लिए तीन कार्य मौसम लगेंगे। यह तब संभव होगा जबकि भाग-चार में दिए गए विवरणानुसार भूटान की राजशाही सरकार समय पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा देती है। इसके अतिरिक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार किए जाने के लिए छह माह का समय लगेगा। उपर्युक्त के अधीन रहते हुए अन्तिम रिपोर्ट दिसम्बर, 1993 तक तैयार की जाएगी।

छह—दोनों सरकारों के दायित्व

उपरोक्त भाग 3 तथा 4 में उल्लिखित कार्य मदों में से प्रत्येक के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें अग्रता के आधार पर भारत तथा भूटान में उन एजेंसियों से जो कि आपसी विचार-विमर्श से तय की जाएं, से द्वारा तैयार कराए जाने पर भारत सरकार तथा भूटान की राजशाही सरकार ने सहमति व्यक्त की।

दोनों सरकारों के उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे :

1. भूटान की राजशाही सरकार उपरोक्त भाग-चार में दिए गए विवरण के अनुसार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएगी तथा इनका खर्च भी वहन करेगी।

2. भाग-6 (1) में की गई व्यवस्था को छोड़कर भारत सरकार दोनों परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार कराए जाने का खर्च वहन करेगी।

3. जांच एजेंसियों के लिए तकनीकी, प्रशासनिक तथा अन्य सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का चयन तथा नियुक्ति दोनों देशों के राष्ट्रिकों तक सीमित होगा। भूटान की राजशाही सरकार उपरोक्त उल्लिखित सभी व्यक्तियों को, जो कि भारतीय राष्ट्रिक तथा उनके परिवार के हों, को बिना सुरक्षा धरोहर भुगतान के पहचान काई/परमिट जारी करेगी।

4. विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार किए जाने से संबंधित एजेंसियां, स्थल पर कार्य की अपेक्षाओं के अनुसार भूटान में तकनीकी तथा प्रशासनिक स्टाफ प्रतिनियुक्त करेगी। भूटान की राजशाही सरकार निशुल्क पहचान-पत्र जारी करेगी और उनका निशुल्क नवीकरण करेगी।

5. भूटान की राजशाही सरकार किसी प्रकार की फीस, कर और शुल्क लगाए बिना जांच से संबद्ध मशीनों और उपकरणों की आवाजाही का सुनिश्चय करने के लिए सुविधाएं मुहैया कराएगी।

6. भूटान की राजशाही सरकार विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार किए जाने के लिए भूमि अधिग्रहण, भवन, जहां कहीं आवश्यक हो मार्ग निर्माण अधिकार, जांच किए जाने के लिए जहां जरूरी हो पेड़ों को कटाई तथा जो भी आवश्यक हो, क्षेत्र सुविधाओं की आवश्यक व्यवस्था करेगी तथा प्रशासनिक अथवा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करेगी। किसी भी व्यवस्था के संबंध में मुआवजे का भुगतान, यदि कोई हो, करने के संबंध में किए जाने वाले दावों अथवा विवादों का निपटारा करने की जिम्मेदारी पूर्णत: भूटान की राजशाही सरकार की होगी।

7. जांचकर्ता एजेंसी की सिफारिश पर जांच के संबंध में आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने के लिए भारतीय निविदाकारों को लाइसेंस भूटान की राजशाही सरकार द्वारा दिए जाएंगे।

8. भूटानी व्यापार लाइसेंस भारत आस्थानी आपूर्तिकर्ता संविदाकारों से नहीं मांगे जाएंगे।

9. जांच एजेंसियों अथवा उनके संविदाकारों द्वारा विस्तृत जांच के लिए खरीदे गए माल तथा उपकरणों पर कोई सीमा शुल्क, रायल्टी, बिक्री कर, वील टैक्स अथवा कोई अन्य टैक्स नहीं लगाया जाएगा। यदि ऐसा कोई शुल्क अथवा कर लगाया जाता है तो उनकी देनदारी भूटान की राजशाही सरकार की होगी।

10. जांच के दौरान भूटान की राजशाही सरकार इमारती लकड़ी, शिलाखण्ड तथा समुच्चय अपेक्षाओं पर कोई रायल्टी तथा कर वसूल नहीं करेगी।

11. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने की प्रगति की जांच भूटान की राजशाही सरकार तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर की जाएगी।

12. जांच एजेंसियों के कार्मिक उस देश के कानूनों का सदैव पालन करेंगे। तथापि विस्तृत जांच करने, विस्तृत परियोजना को तैयार करने के लिए जांच एजेंसियों द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति के विरुद्ध सद्भाव से किए गए किसी कार्य अथवा सद्भाव के तात्पर्य से किए गए कार्य के लिए, कोई मुकदमा अभियोग तथा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

13. इस समझौता ज्ञापन के प्रावधानों के अर्थ का निरूपन अथवा उनको लागू करने के सम्बन्ध में किसी मतभेद को दोनों सरकारें आपसी सलाह-मशवरे द्वारा हल करेंगे।

नई दिल्ली में नवम्बर, 1990 के पच्चीसवें दिन को अंग्रेजी भाषा में दो मूल प्रतियों में सम्पन्न।

भारत सरकार की ओर से	भूटान की राजशाही सरकार की ओर से
ह०/—	ह०/—
(एल० एस० महरोत्रा)	(डाशो करमा लिथो)
सचिव भारत सरकार	भारत में असाधारण राजदूत तथा
विदेश मंत्रालय	पूर्णाधिकारी

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों में एम० एस० टी० डी० अथवा एस० टी० डी० की सुविधाएं

[हिन्दी]

* 2. **श्री सी० डी० गामित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात में सूरत जिले के मांडवी, सोनगढ़, वलोद, कथोर और मढ़ी स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों में एम० एस० टी० डी० अथवा एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन टेलीफोन एक्सचेंजों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० संजय सिंह) : (क) और (ख) सूरत जिले के

मांडवी, सोनगढ़, वलोद, कथोर और मढ़ी टेलीफोन एक्सचेंजों में इस योजना अवधि के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) (i) फोर्ड सोनगढ़ में मार्च, 1991 तक एम० एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इन सभी स्थानों पर एम० टी० डी० सुविधा 1993 तक उत्तरोत्तर रूप से संभव हो सकेगी।

(ii) इन एक्सचेंजों की इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में स्वचलीकरण और विश्वसनीय पारेषण माध्यम तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

कर्नाटक में पर्यटन स्थलों का विकास

[अनुवाद]

*3. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 नवम्बर, 1990 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'कर्नाटक लैक्स बेसिक टूरिस्ट फैसिलिटीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कर्नाटक में आवश्यक पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त राज्य में पर्यटन स्थलों का विकास करने और वहां सभी आवश्यक पर्यटन सुविधाएं प्रदान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटन सेक्टर से होनी वाली विदेशी मुद्रा आय में गत कुछ वर्षों के दौरान निरंतर वृद्धि हुई है। तथापि, कर्नाटक राज्य सहित समूचे देश की पर्यटन संभाव्यता का विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए और लाभ उठाया जा सकता है।

(ग) और (घ) पर्यटन आधार-संरचना का विकास करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों और प्रत्येक मामले के गुणों, निधियों की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकता के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता देती है। सातवीं योजना के दौरान केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार की 252.20 लाख की पर्यटन परियोजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की थीं। 1990-91 के दौरान कर्नाटक सरकार से परामर्श करके 10 परियोजनाओं की 111.12 लाख रु० की अनुमानित केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने के लिए प्राथमिकता निर्धारित की गई है।

बौद्ध स्थलों के विकास के लिए जापान से सहायता

*4. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जापान की सहायता से बौद्ध स्थलों का विकास कर रही है;

(ख) यदि हां, किन-किन राज्यों में बौद्ध धार्मिक स्थल स्थित है और इन स्थलों का विकास करने के लिए जापान द्वारा कितनी सहायता दी गई है;

(ग) क्या झालावाड़ जिले में स्थित बौद्ध गुफाओं और स्तूपों को देखने के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी सहायता देने का विचार है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध अभिरुचि के स्थानों पर उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में पर्यटक आधार-संरचना का जापान सरकार से लगभग 100-00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से विकास किया जा रहा है।

(ग) और (घ) पर्यटन का विकास करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिए विशिष्ट प्रस्तावों पर उनके गुणदोषों, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए वित्तीय सहायता देते हैं। जहां तक झालावाड़ का सम्बन्ध है वर्ष 1989-90 में 10.85 लाख रु० की लागत पर एक पर्यटन बंगला स्वीकृत किया गया था जिसमें से राज्य सरकार को 5.00 लाख रु० रिलीज किए जा चुके है।

कश्मीर घाटी में पर्यटन

*5. **श्री प्यारेलाल हांडू :**

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी में वर्ष 1990 के दौरान पर्यटकों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 और 1989 की तुलना मे इसमें कितनी कमी आई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार पर्यटन पर आश्रित घाटी के लोगों और परिवारों का पुनर्वास करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जून, 1990 तक कुल 6,101 पर्यटक कश्मीर घाटी की यात्रा पर गए। पूर्ववर्ती वर्षों की इसी अवधि की तुलना में, 1989 की अपेक्षा 97.6% की और 1988 की तुलना में 98.3%की कमी आई है।

(ग) जी, नहीं। घाटी के पर्यटन पर आधारित लोगों के पुनर्वास के लिए कोई विशेष योजना विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य

*6. **श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने कृषि उत्पादों की लागत और मूल्य संबंधी आयोग के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि उत्पादों के लागत और मूल्य संबंधी आयोग ने समर्थन मूल्यों के परिकलन के लिए कोई मानक सूत्र निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) कृषि को एक उद्योग के रूप में घोषित करने के मुद्दे पर विचार करने के लिए श्री भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसने कृषि लागत और मूल्य आयोग की कार्य-प्रणाली के संबंध में अपनी रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियां की हैं।

(ख) समिति कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सफलों की अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करने में अपनायी गयी कार्य-पद्धति से सहमत नहीं है। इसने सिफारिश की की है कि फार्म-उत्पादों के समर्थन मूल्य को समता मूल्य के साथ जोड़ा जाए, जिसका निर्धारण 1970-71 = 10 को आधार वर्ष मानते हुए समता के सिद्धांत के अनुसार किया जाए। समिति ने यह भी उल्लेख किया है कि यदि समता अवधारणा को समर्थन मूल्य के निर्धारण के आधार के रूप में माना जाता है तो कृषि लागत और मूल्य आयोग की सेवायें समाप्त की जा सकती हैं। फिर भी यदि आयोग को बनाये रखना है तो स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक मानदंड निर्धारण के अनुसार एक न्यायिक ट्रिब्यूनल के रूप में इसे कार्य करने के लिए बनाया जाए।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

खाद्यान्नों का उत्पादन

[हिन्दी]

*7. **श्री शोषत सिंह भक्कासर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 में रबी फसल के खाद्यान्नों का वास्तविक उत्पादन निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितना हुआ;

(ख) क्या इस वर्ष रबी और खरीफ की फसलों की भारी पैदावार को देखते हुए सरकार का चावल और गेहूं का निर्यात करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर किस दर से कितनी मात्रा में इनका निर्यात किया जाएगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) रबी 1989-90 के दौरान खाद्यान्नों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य तथा अनुमानित उत्पादन क्रमशः 770.00 तथा 697 लाख मीटरी टन है।

(ख) भुगतान संतुलन की स्थिति तथा वर्तमान वर्ष में सफल उत्पादन की अच्छी संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने वित्तीय वर्ष 1990-91 में खाद्यान्नों का निर्यात करने की अनुमति देने का फैसला किया है।

(ग) सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 10-10 लाख मीटरी टन गेहूं और चावल तथा एक लाख मीटरी टन गेहूं के उत्पादों के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय लिया है। बासमती चावल का निर्बाध निर्यात करने की अनुमति है, बशर्ते न्यूनतम निर्यात मूल्य 9500 रुपए प्रति मीटरी टन हो तथा माल जहाज में लादने से पहले उसका निरीक्षण कराया जाए। गैर-बासमती चावल के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य 6000 रुपए प्रति मीटरी टन है। जहां तक गेहू का संबंध है अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर निर्यात करना होता है जो समय-समय पर बदलते रहते हैं।

कुवैत से भारतीयों को निकालने के लिए विदेशों से प्राप्त सहायता

[अनुवाद]

*8. **श्री ए० विजय राघवन :**

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत से भारतीयों को निकालने के लिए सरकार को कोई विदेशी सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता प्राप्त करने हेतु कौन से कदम उठाये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जेनेवा की अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन संगठन ने अपने खर्च पर 101 विशेष और दूसरी उड़ानें चलवा कर लगभग 29,000 भारतीय राष्ट्रिकों को निकाला था। इसके अलावा, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भी 54 लाख डालर की लागत से उन 12,400 भारतीय राष्ट्रिकों को वहां से निकालने पर आने वाले खर्च को खुद उठाना स्वीकार किया था जिन्हें एयर इंडिया के विमानों के द्वारा निकालकर लाया गया था।

बिहार में पर्यटन का विकास

[हिन्दी]

*9. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई उन योजनाओं संबंधी ब्यौरा क्या है जो पूरी तरह कार्यान्वित की जा चुकी हैं;

(ख) क्या उपरोक्त राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, कोई अन्य प्रस्तावित योजना, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी है; और

(ग) यदि हां तो इन योजनाओं को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा तथा कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) पर्यटक स्थलों के विकास की

जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। पर्यटन मंत्रालय राज्य सरकारों को उनसे प्राप्त परियोजनाओं/स्कीमों के लिए उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करते हुए वित्तीय सहायता देती है। बिहार राज्य के लिए सातवीं योजनावधि के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं में से निम्नलिखित परियोजनाएं पूरे तौर पर कार्यान्वित कर दी गई हैं—

1. मेलों और त्यौहारों को बढ़ावा देने के लिए सहायता (कालचक्र त्योहार, बोधगया)
2. मैनर शरीफ में अल्पाहार गृह का निर्माण
3. बोधगया, नालन्दा और राजगीर में शौचालय और पेय जल सुविधाओं की व्यवस्था।

(ख) और (ग) पर्यटन आधारिक संरचना का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है और बोधगया में अल्पाहार गृह के लिए एक योजना वर्ष 1990-91 के दौरान 7.84 लाख रुपये की स्वीकृत की गई है। चार स्थानों पर सार्वजनिक सुविधाओं और कोयलवार और बरही में मार्गस्थ सुविधाओं के विस्तृत प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हो गए हैं और उन पर निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा।

आंध्र प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

*10. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश की किन-किन सिंचाई परियोजनाओं की केन्द्रीय सरकार की मंजूरी मिलना शेष है;

(ख) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं को निकट भविष्य में मंजूरी दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री अनुभाई कोडडीया) : (क) से (ग) केन्द्र के पास तीन वृहद और चार मध्यम परियोजनाओं में से एक वृहद परियोजना नामश: जुराला को परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया बशर्ते कि अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार पर्यावरणिक तथा वन दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करे। यद्यपि दो वृहद परियोजनाओं नामश: तेलुगु गंगा और वम्सधारा चरण-II का तकनीकी-आर्थिक रूप से मूल्यांकन किया गया है, लेकिन अंतर्राज्यीय मामलों को हल किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, वम्सधारा चरण-II के लिए राज्य सरकार द्वारा पर्यावरणिक स्वीकृति प्राप्त की जानी है। शेष चार मध्यम परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है तथा वन स्वीकृति भी प्राप्त करनी है।

कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य

*11. **डा० वेंकटेश काबड़े** :
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादों के लिए निर्धारित वर्तमान समर्थन मूल्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार का इनमें क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) सरकार ने वर्ष 1999-91 की खरीफ और रबी फसलों के लिए अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिए हैं। ब्योरा देने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ख) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा वर्ष 1991 मौसम के कोपड़ा तथा 1991-92 मौसम के पटसन के लिए की गई सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। जहां तक 1990-91 की रबी सफलों का संबंध है, जब भी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा संस्तुत कोई भी समीक्षा प्राप्त हो जाएगी, तब ही उस पर विचार किया जाएगा।

विवरण

फसल		अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्य
1		2
		(रुपये प्रति क्विंटल)
खरीफ फसलें 1990-91		
धान	सामान्य	205
	उत्तम	215
	श्रेष्ठ	225
मोटे धान्य (ज्वर, बाजरा, मक्का और रागी)		180
दालें (तुर, अरहर) मूंग तथा उड़द		480
साबूत मंगफली		580
सोयाबीन	पीला	400
	काला	350
सूरजमुखी का बीज		600
कपास	एफ० 414/एच० 777	620
	एच० 4	750
वर्जिनियां फल्यू कोर्ड तम्बाकू	एफ० 2 (रु० प्रति कि० ग्रा०)	13.25
	एल० 2 (—तदेव—)	14.25
पटसन	टी० डी-5 असम	320
गन्ना (सांविधिक न्यूनतम मूल्य)		23*
कोपड़ा		1600**

1	2
रबी फसलें 1990-91	
गेहूं	225
जौ	190
चना	450
तोरिया/सरसों	600
तोरिया	570
कुसुम	575

*उपर्युक्त उस स्तर की आनुपातिक वृद्धि के साथ 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली जुड़ी है।

वर्ष 1991-92 के लिए मूल्य 24 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

**कलैंडर वर्ष 1990 से संबंध है·····।

बहूद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना के लिए नेपाल के साथ समझौता

[हिन्दी]

*12. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के प्रधान मंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान कोसी, करनाली और पंचेश्वर नदियों पर बहूद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना के बारे में दोनों देशों के बीच कोई नया समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने वराह क्षेत्र में कोसी नदी पर एक बहूद्देशीय ऊंचे बांध के निर्माण के संबंध में वर्ष 1981 में एक परियोजना रिपोर्ट भेजी थी और नेपाल सरकार के अनुरोध पर जापानी विशेषज्ञों ने पूरे कोसी बेसिन का सर्वेक्षण किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समय इसका कार्य किस चरण में है;

(ङ) क्या कमला, बागमती, महानन्दा और तीस्ता नदियों पर बहूद्देशीय बांधों के निर्माण के संबंध में नेपाल के साथ कोई बातचीत की गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री अनुभाई कोटडीया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) कोसी, करनाली, पंचेश्वर, कमला और बागमती पर बांधों के निर्माण कार्य को शुरू करने संबंधी बातचीत अंतिम बार दिसम्बर, 1988 में की गयी थी, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तीस्ता नदी, जो भारत से निकलती है बंगलादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, इसलिए नेपाल और भारत के बीच इस नदी के विकास के लिए किसी बातचीत की आवश्यकता नहीं है।

उड़ीसा में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता

[अनुवाद]

*13. श्री गोपीनाथ गजपति :
श्री चित्त महाता :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के गंजम तथा अन्य जिलों में हाल में आई बाढ़ और तूफान से हुए नुकसान का सरकार द्वारा कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे प्रत्येक जिले में सम्पत्ति, फसल, जल-जीवन, पशुओं का अनुमानत: कितना नुकसान हुआ है तथा कितने व्यक्ति बेघर हुए हैं;

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए उड़ीसा सरकार ने कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी तथा केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता दी है; और

(घ) हाल ही में उड़ीसा का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य में 3-6 नवम्बर, 1990 के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ों के कारण हुई क्षति का मूल्यांकन कर लिया है । क्षति का संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) उड़ीसा सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए 267.75 करोड़ रुपए की राशि की मांग की है । राज्य आपदा राहत निधि में वर्ष 1990-91 के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्ण योगदान के रूप में 35.25 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है ।

(घ) एक केन्द्रीय सर्वेक्षण दल ने 13-16 नवम्बर, 1990 के बीच उड़ीसा का दौरा किया ताकि :

(1) जान-माल की हानि की मात्रा संबंधी प्रथम सूचना प्राप्त हो सके;

(2) प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों; और

(3) स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित तत्काल सहायता का आकलन किया जा सके ।

इस दल की रिपोर्ट पर विचार किया गया था तथा 25-12-90 को एक अन्य केन्द्रीय दल नियुक्त किया गया है ताकि आपदा पीड़ितों की राहत तथा पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुहैया की जाने वाली, यदि कोई हो, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आकलन किया जा सके ।

इस सर्वेक्षण दल ने भी केन्द्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों की निश्चित अनुवर्ती कार्रवाइयों की सिफारिश की थी। कृषि और सहकारिता विभाग के संकट प्रबन्ध दल की दो बैठकों में इन सिफारिशों पर विचार किया गया तथा इन सभी सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई की गई है ।

विवरण

उड़ीसा में समुद्री तूफान और बाढ़ों के कारण जान-माल आदि की हुई क्षति की मात्रा (राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

(1) प्रभावित खण्डों की संख्या 20
(नाम : छतरपुर, पुरुषोत्तमपुर, हिन्जीलिकुट, गंजम, पोलोसारा, के० एस० नगर, खल्लीकोटे, कोडाला, सन्खेमुण्डी, डिगपाहण्डी, चिकिनी, रंगेलुंडा, परतापुर, भांजनगर, सोरोड़ा, अस्क, शेरगडा, धारकोटे, बेल्लागुंठा, मोहाना)।

(2) प्रभावित शहरी स्थानीय निकायों की संख्या 9
(नाम : पुरुषोत्तमपुर, हिन्जीलिकुट, गंजम, पोलीसारा, डिगपाहण्डी, चिकिती, भांजनगर, अस्क)

(3) प्रभावित ग्राम पंचायतों की संख्या ... 152

(4) प्रभावित गांवों की संख्या ... 763

(5) क्षतिग्रस्त हुए निजी मकान (निवास स्थान)

(क) बह गए मकानों की संख्या ...	8,540
(ख) पूर्ण रूप से नष्ट हुए मकानों की संख्या ...	16,768
(ग) आंशिक रूप से नष्ट हुए मकानों की संख्या ...	50,716
	76,054

(6) गम्भीर रूप से प्रभावित कुल जनसंख्या ... 6.30 लाख

(7) हताहत हुए मानवों की संख्या ... 69
लापता ... 17

(8) खो गए मवेशियों की संख्या ... 11,574

(9) खो गए छोटे पशुओं की संख्या ... 16,147

(10) खो गए पक्षियों की संख्या ... 10,997

(11) प्रभावित सस्यगत क्षेत्र

(1) धान	2,50 लाख हैक्टेयर
(2) गैर-धान	32,237 हैक्टेयर

(12) क्षतिग्रस्त मुख्य फसलें ... धान, गन्ना, तिलहन, दालें, वनस्पति और पान के पत्ते

(13) बालू से भरा क्षेत्र 16 683 हैक्टेयर

(14) क्षतिग्रस्त लघु सिंचाई परियोजनाओं की संख्या ... 660

(15) क्षतिग्रस्त बाढ़ बचाव बांध का क्षेत्र	...	507.49 किलोमीटर
(16) क्षतिग्रस्त नहर प्रणाली का विस्तार	...	2655 किलोमीटर
(17) बुरी तरह से प्रभावित उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं की संख्या	...	700
(18) सड़क संचार		
(क) कार्य निर्माण विभाग—सड़कें	...	380 कि० मी०
(ख) ग्रामीण सड़कें	...	1780 कि० मी०
(19) सड़कों पर दरारों की लम्बाई	...	57.76 कि० मी०
(20) क्षतिग्रस्त क्रोस नालों के फार्म निर्माणों की संख्या	...	680
(21) क्षतिग्रस्त गैर-आवासीय सरकारी भवनों की संख्या		581
(22) क्षतिग्रस्त आवासीय सरकार भवनों की संख्या	...	1175
(23) बुरी तरह से क्षतिग्रस्त बड़े पुलों की संख्या	...	7
(24) शिक्षा संस्थान	...	964
(25) पीने के पानी के नलकूप (ग्रामीण नलकूप)	...	2713
(26) पाइप से पानी पूर्ति करने वाली परियोजनाएं	...	10
(27) बिजली के क्षतिग्रस्त संस्थान		
(क) बह गई 220 के० वी० (किलो वोल्ट) डी० सी० लाइन	...	12 टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं
(ख) क्षतिग्रस्त हुई 33 के० वी० (मिलो वोल्ट) की लाइनें	...	85 कि० मी०
(ग) 11 के० वी० लाइन	...	1100 कि० मी०
(घ) एल० टी० लाइन	...	500 कि० मी०
(28) क्षतिग्रस्त विद्युत चालित करघों की संख्या	...	51
(29) क्षतिग्रस्त लघु पैमाने की इकाइयों की संख्या	...	40
(30) क्षतिग्रस्त उड़ीसा सड़क परिवहन सम्पत्तियां	...	
(1) क्षतिग्रस्त हुए सार्वजनिक सेवा वाहनों की संख्या	...	३८

(2) गोपालपुर पत्तन	...	बैरेज, सैंड पम्प स्टेशन की क्षति, घोड़ों की हानि, नौयात्रा चेनल आदि की गाद निकालना
(31) वन विभाग की क्षतिग्रस्त हुई सड़क	...	76 कि० मी०

विदेश सचिव द्वारा वाशिंगटन का दौरा

* 14. **श्री आर० एम० राकेश** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश सचिव ने सितम्बर, 1990 में वाशिंगटन का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का प्रयोजन क्या था;

(ग) अमरीकी नेताओं के साथ हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या उक्त दौरे के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) विदेश सचिव की यात्रा भारत-अमरीका के बीच समय-समय पर होने वाली द्विपक्षीय बातचीत की प्रक्रिया का एक अंग थी।

(ग) विभिन्न स्तरों पर हुई बैठकों में द्विपक्षीय मसलों की समीक्षा की गई और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर विचार-विमर्श किया गया। इस बातचीत से विभिन्न मसलों पर एक दूसरे के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझा जा सका।

(घ) जी, नहीं।

टेलीफोन एक्सचेंज के उपकरणों की कमी

* 15. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पास टेलीफोन एक्सचेंजों में लगने वाले उपकरणों की भारी कमी है जिसके कारण पुराने एक्सचेंजों को बदलने में देरी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन व्यवस्था के कार्यकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं तथा देश में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० संजय सिंह) : (क) से (ग) महानगर टेलीफोन

लि० बंबई और दिल्ली के एक्सचेंजों से घिसी-पिटी और जिन लाइनों की कार्य-अवधि समाप्त हो गयी है, ऐसी 89,000 लाइनों को बदला जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष में 70,600 लाइनें तथा अगले वित्तीय वर्ष के दौरान 98,000 लाइनें और बदलने का कार्यक्रम है। निःसन्देह देश में स्विचन उपस्कर की कमी है। इसके बावजूद एम० टी० एन० एल० में पुराने और घिसे-पिटे एक्सचेंजों को बदलने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की तुलना में पुराने इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंजों की कार्यप्रणाली सामान्यतया घटिया है। इसलिए इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंज प्रणाली का कार्य निष्पादन पूर्ण इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रणाली की तुलना में अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली है। संपूर्ण आठवीं योजना अवधि के दौरान पुराने एक्सचेंजों की 3,18,000 लाइनें बदलने का प्रस्ताव है। महानगर टेलीफोन निगम लि० की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए जो अन्य उपाय किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं—

—कर्मचारियों की कार्यकुशलता और ज्ञान को बढ़ाने के लिए उन्हें पुनः प्रशिक्षण देना, और

—आधुनिकतम उपस्कर का बड़े पैमाने पर निवेश।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली में कथित अनियमितताएं

[हिन्दी]

* 16. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली के पहले निदेशक के स्थानान्तरण के पश्चात वहां पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पहले निदेशक के विरुद्ध आरोपों की जांच कर रही एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) पद रिक्त नहीं है, क्योंकि निदेशक निलम्बित हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच का काम सौंपा गया है और उसने सूचित नहीं किया है कि वह किस तारीख तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

दूरसंचार विभाग को निगम में बदला जाना

[अनुवाद]

* 17. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री मनोरंजन सुर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, दूरसंचार विभाग को निगम में बदलने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इस परिवर्तन का विरोध हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो विरोध के क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० संजय सिंह) : (क) से (घ) विकासात्मक और परिचालनात्मक आवश्यकताओं और वित्तीय निहितार्थों को ध्यान में रखते हुए देश में दूरसंचार सेवाओं के प्रबंध के लिए दूरसंचार विभाग में उपयुक्त संगठनात्मक संरचना की सिफारिश करने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है। इस मामले में प्राप्त सभी विचारों पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा और समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात सरकार द्वारा उपयुक्त निर्णय लिए जाएंगे।

कानपुर में गंगा नदी पर बांध का निर्माण

[हिन्दी]

* 18. श्री केशरी लाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कानपुर में गंगा नदी के कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) कानपुर में गंगा नदी पर बांध का निर्माण कार्य शुरू करने में कितना समय लगेगा;

(ग) उक्त परियोजना पर अनुमानत: कितनी लागत आएगी और इस लागत का कितना प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किए जाने की संभावना है;

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी; और

(ङ) निर्माण कार्य शुरू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इन अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री अनुभाई कोंडडीया) : (क) कानपुर बराज में अन्य लाभों के साथ-साथ बायें तट के कटाव की सुरक्षा की परिकल्पना की है।

(ख) और (ग) मॉडल अध्ययनों के परिणामों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा संशोधित परियोजना रिपोर्ट और तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए संशोधित लागत प्राक्कलन प्रस्तुत किए जाने हैं।

(घ) और (ङ) निर्माण कार्य शुरू करने तथा पूरा किए जाने की समय अनुसूची राज्य सरकार की निवेश स्वीकृति प्राप्त होने और धन-राशि प्रदान करने पर निर्भर है।

यूरोपीय देशों द्वारा कृषि परियोजनाओं के लिए सहायता

* 19. डा० बंगारी सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ यूरोपीय देशों ने वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान भारत में कृषि परियोजनाओं के लिए वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी किन-किन परियोजनाओं को सहायता दी गई है और इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि अथवा अन्य किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) नीदरलैंड, यू० के०, स्वीडन, जर्मनी, इटली, डेनमार्क जैसे कुछ यूरोपीय देशों तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०) ने भारत को वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान विभिन्न कृषि संबंधी परियोजनाओं के लिए वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

इन करारों के अंतर्गत दी गई सहायता मुख्यत: उच्चतर फसल उत्पादकता तथा उत्पादन के लिए भारत को विशेषज्ञ, उपकरण तथा प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हैं। ऐसी परियोजनाओं के नाम तथा इन परियोजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता की राशि/स्वरूप संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

कृषि संबंधी परियोजनाओं के नाम	यूरोपीय देशों द्वारा दी गई राशि/सहायता का स्वरूप	
	1989-90	1990-91
1	2	3
नीदरलैंड की सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
1. मृदा लवणता तथा भूमि सुधार चरण-2 के लिए भारत-नीदरलैंड आपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट	2.978 मिलियन डच गिल्डर (30.689 मिलियन रुपये के बराबर)*	
2. गुजरात में फार्म महिलाओं को कृषि में प्रशिक्षण		25.5 मिलियन रुपये
यू० के० की सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
3. कृषि विस्तार प्रबंध प्रशिक्षण परियोजनाएं		0.820 मिलियन पौंड स्टर्लिंग (28.259 मिलियन रुपये के बराबर)
4. बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी		0.279 मिलियन पौंड स्टर्लिंग (9.615 मिलियन रुपये के बराबर)*
स्वीडन की सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
5. भारत-स्वीडन सहयोग की रेपसीड मस्टर्ड सुधार अनुसंधान परियोजना	2.5 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (7.951 मिलियन रुपये के बराबर)*	

1	2	3
जर्मनी की सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
6. छोटे वाटरशेड के लिए हाइड्रोलोजिकल मानिटरिंग नेटवर्क संबंधी भारत-जर्मनी कार्यक्रम	0.724 मिलियन ड्यूश मार्क (8.416 मिलियन रुपये के बराबर)	
इटली की सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
7. हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में समशीतोष्ण जलवायु की फल फसलों के लिए इटली द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना (फैज-2)		6,745 मिलियन इतालवी लीरा (103.873 मिलियन रुपये के बराबर)
डनीडा की सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
8. कर्नाटक में वाटरशेड विकास परियोजना	48. 8 मिलियन डेनिश क्रोनर्स (147.966 मिलियन रुपये के बराबर)*	
9. तमिलनाडु में तिरूनेलवेली, कट्टाबमन और वी० ओ० चिदम्बरनार जिले में व्यापक वाटरशेड परियोजना		25.0 मिलियन डेनिश क्रोनर्स (75.803 मिलियन रुपये के बराबर)
यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
10. क्षारीय भूमि सुधार परियोजना		35.50 मिलियन यूरोपीय करेंसी यूनिट (752.60 मिलियन रुपये के बराबर)
11. भीमताल एकीकृत वाटरशेड प्रबंध परियोजना		4.40 मिलियन यूरोपीय करेंसी यूनिट (93.28 मिलियन रुपये के बराबर)

(*) दानकर्ताओं की राष्ट्रीय मुद्राएं भारतीय रुपयों में दिसम्बर, 1990 में चल रही विनिमय दरों पर परिवर्तित।

खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम करना

[अनुवाद]

*20. श्री कल्पनाथ राय :
श्री हम्माद मोल्लाह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संयुक्त राष्ट्र संघ और गुट-निरपेक्ष देशों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से खाड़ी क्षेत्र में व्याप्त तनाव को कम करने के लिए कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) खाड़ी क्षेत्र में तनाव को दूर करने के लिए भारत सरकार आन्दोलन के भीतर अन्य गुट-निरपेक्ष देशों के साथ तथा संयुक्त राष्ट्र में भी निकट रूप से काम कर रहा है। ये प्रयास जारी हैं।

भारत-पाक विदेश सचिव स्तर वार्ता का परिणाम

1. श्री शान्ताराम पोटदुखे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत व पाकिस्तान की बीच इस्लामाबाद में हाल ही में हुई विदेश सचिव स्तर की वार्ता का क्या निष्कर्ष निकला; और

(ख) यह वार्ता भारत-पाक संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाने में कहां तक सार्थक हुई है, विशेषकर जबकि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में विघटनकारी तत्वों की सहायता कर रहा है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच इस्लामाबाद में 18-20 दिसम्बर, 1990 को तीसरे दौर की बातचीत में दोनों देशों द्विपक्षीय बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अनेक उपाय कर सके। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं—नाभिकीय संस्थापनों तथा सुविधाओं पर अनाक्रमण से संबद्ध करार के अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान, सरक्रीक क्षेत्र में सीमांकन के मसले पर महासर्वेक्षणों के बीच विचार-विमर्श पुनः शुरू करना, तुलबुल नौवहन परियोजना पर विचार-विमर्श पुनः शुरू करना, सैन्य संचालन के महानिदेशकों के बीच अपेक्षाकृत अधिक नियमित संचार व्यवस्था और दोनों देशों के बीच विचाराधीन विश्वास उत्पन्न करने से संबंधित कुछ उपायों को अन्तिम रूप देना।

(ख) इस बातचीत से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव को कम करने की दिशा में कुछ प्रगति हुई। तथापि, हम पाकिस्तान द्वारा पंजाब और जम्मू कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकवाद को लगातार सहायता देने तथा उसके द्वारा हमारे घरेलू मामलों में लगातार दखल देने पर चिन्तित हैं।

दंगों के कारण पर्यटन व्यवसाय में घाटा

2. श्री शंकर सिंह वघेला :
डा० ए० के० पटेल :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में दंगों के कारण पर्यटन व्यवसाय को भारी क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य-वार कितनी-कितनी क्षति हुई है;

(ग) इन राज्यों में पर्यटन व्यवसाय को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कुछ वैकल्पिक पर्यटक स्थल विकसित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि पर्यटन उद्योग प्रमुख रूप से असंगठित प्राइवेट सेक्टर में है, हानि की ठीक-ठीक मात्रा का अनुमान लगा पाना संभव नहीं है।

(ग) से (ङ) सरकार ने देश के पर्यटन संसाधनों का छितराव करने और नए पर्यटक केन्द्रों तथा आकर्षणों का संवर्धन करने के लिए पहले ही अनेक उपाय शुरू किए हुए हैं। समुद्रतट पर्यटन, साहसिक पर्यटन, अवकाश पर्यटन, आदि के लिए सुविधाओं का विकास करने हेतु 18 विस्तार परिपथ निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 1991 को "भारत पर्यटन वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है ताकि विदेशों में भारत की एक पर्यटक गंतव्य के रूप में छवि को सुधारा जा सके और देश में पर्यटन के बारे में पर्याप्त जागरूकता उत्पन्न की जा सके।

पासपोर्टों को जब्त करना

[हिन्दी]

3. श्री हरीश पाल : क्या विदेश मंत्री 6 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4846 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पासपोर्टों को जब्त किए जाने के बारे में मांगी गई जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण और परिशिष्ट I, II और III में है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नौवीं लोक सभा, 1990 का तीसरा सत्र

विदेश मंत्रालय

संख्या और प्रश्न की तारीख	विषय	किया गया वायदा	कब और कैसे पूरा किया	अभ्युक्तियां
लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० : 4846 दिनांक 6-9-90 प्रश्नकर्ता : श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	**पासपोर्टों को जब्त करना** पूछा गया कि : (क) क्या वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान बड़ी संख्या में पासपोर्ट जब्त किए गए थे। (ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ? (ग) क्या सरकार को जब्त किए गए पासपोर्टों के विरुद्ध कोई आवेदन/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और (घ) यदि हां, तो अब तक इस प्रकार के कितने आवेदनों पर निर्णय होना है ?	(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।	विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों और भारत में सभी पासपोर्ट कार्यालयों से सूचना एकत्र कर ली गई है। (क) जी हां। (ख) भारत में पासपोर्ट कार्यालयों के सम्बन्ध में ब्यौरा परिशिष्ट-I में दिया गया है, और विदेश स्थित भारतीय मिशनों के संबंध में ब्यौरा परिशिष्ट-II में दिया गया है। पासपोर्टों को जब्त करने का कारण पासपोर्ट अधिनियम, 1967 का उल्लंघन था। (ग) जी, हां। (घ) ब्यौरा परिशिष्ट-III में दिया गया है।	

परिशिष्ट-I

वर्ष 1988-89 और 1989-90 में जब्त किए गए पासपोर्टों की संख्या

क्र० सं०	पासपोर्ट कार्यालय	1988-89	1989-90	कुल	(ग)	(घ)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अहमदाबाद	28	6	34	—	—
2.	बंगलौर	14	6	20	—	—
3.	बरेली	15	1	16	—	—
4.	भोपाल	2	2	4	दो	शून्य
5.	भुवनेश्वर	1	2	3	—	—
6.	बम्बई	7	2	9	दो	शून्य
7.	कलकत्ता	—	1	1	—	—
8.	चंडीगढ़	5	3	8	एक	शून्य
9.	कोचीन	16	9	25	एक	शून्य
10.	नई दिल्ली	8	1	9	एक	एक
11.	गोहाटी	—	—	—	—	—
12.	हैदराबाद	6	61	67	एक	शून्य
13.	जालन्धर	62	15	77	—	—
14.	कोजीकोड	24	14	38	—	—

1	2	3	4	5	6	7
15.	लखनऊ	20	4	24	—	—
16.	मद्रास	124+37	11	172	शून्य	शून्य
17.	पणजी (गोवा)	1	—	1	—	—
18.	पटना	18	9	27	—	—
19.	श्रीनगर	—	—	—	—	—
20.	शिमला	19	63	82	—	—
21.	नागपुर	—	—	—	—	—

परिशिष्ट-II

उल्लिखित वक्तव्य 1 वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान जब्त किए गए पासपोर्टों की संख्या

क्र० सं०	मिशन	कुल	(ग)	(घ)
1.	बैंकाक	3	एक	एक
2.	बौन	4	एक	एक
3.	ब्रुसेल्स	2	सुरेन्द्र मोहन ने सी०पी०ओ० के लिए आवेदन किया था।	ब्रूसेल्स के पास कोई आवेदन लम्बित नहीं है।
4.	एथेन्स	4	—	—
5.	डबलीन	1	—	—
6.	किशासा	2	—	—
7.	लीसा	2	—	—
8.	तेहरान	2	एक	तेहरान के पास कोई आवेदन लम्बित नहीं है।
9.	टोकियो	1	—	—
10.	टोरंटो	1	—	—
11.	सिंगापुर	1	—	—
12.	सानफ्रांसिसको	6	—	—
13.	बर्मिघंम	1	एक	शून्य
14.	माले	1	—	—
15.	बहरीन	1	—	—
16.	लन्दन	1	—	—

परिशिष्ट-III

वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान जब्त किए गए पासपोर्टों की संख्या

वर्ष	जब्त किए जाने के आदेशों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत आवेदन	अस्वीकृत आवेदन	अभी तक विचाराधीन आवेदन
1988-89	17	4	2	11
1989-90	9	3	2	2

मध्य प्रदेश में नलकूप

[अनुवाद]

4. श्री परशराम भारद्वाज : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप के निर्माण के संबंध में सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) यह लक्ष्य कहां तक प्राप्त किए गए हैं; और

(ग) अब तक मध्य प्रदेश में कितने नलकूप का निर्माण किया गया है और इनसे कितना क्षेत्र लाभान्वित हुआ है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (ग) ग्रामीण क्षेत्रों सहित मध्य प्रदेश राज्य में नलकूपों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्य 5500 था और सम्भावित उपलब्धि 4964 है। सातवीं योजना के अन्त तक सम्भवत: 13102 नलकूपों का निर्माण किया गया है और 43400 हेक्टेयर को उनमें शामिल करने की प्रत्याशा है।

कर्नाटक में जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० से जोड़ना

5. श्री जनार्दन पुजारी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में सभी जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ा गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सभी जिलों को एस० टी० डी० से कब तक जोड़ दिया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अब प्रकाश) : (क) जी हां, कर्नाटक के सभी जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ा जा चुका है।

(ख) लागू नहीं होता क्योंकि कर्नाटक के सभी 20 जिलों में एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है।

राजस्थान की बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

6. श्री कैलाश मेघवाल : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान की कितनी तथा कौन-कौन-सी बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी;

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास राजस्थान की कितनी बड़ी एवं मध्यम परियोजनाएं विचाराधीन हैं;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इन्हें कब तक मंजूरी दे दी जायगी;

(घ) राजस्थान में कौन-कौन-सी बड़ी एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य किस-किस तिथि से प्रारम्भ किया गया तथा ये परियोजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) तीन बृहद सिंचाई परियोजनाएं नामश: राजस्थान पोषक गंग नहर, सिद्धमुख तथा नोहर।

(ख) और (ग) 2 बृहद और 4 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से एक बृहद परियोजना नामश: जायसमॉड आधुनिकीकरण और तीन मध्यम परियोजनाओं नामश: गरारदा, बान्दीसेन्द्रा और सुक्ली पर केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना राज्य सरकार को करनी है। गम्भीरी आधुनिकीकरण, मध्यम परियोजना निवेश स्वीकृति हेतु योजना आयोग को भेजी गई है। शेष बृहद परियोजना नामश: नर्मदा नहर हाल ही में प्राप्त हुई है। राज्य सरकार को गुजरात सरकार की सहमति प्राप्त करनी है तथा अन्य तकनीकी-आर्थिक मामलों को हल करना है।

(घ) और (ङ) निर्माणाधीन अनुमोदित बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम, शुरू होने की तारीख तथा पूर्ण होने की सम्भावित तारीख संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राजस्थान में निर्माणाधीन बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम

क्रम सं०	परियोजना का नाम	कार्य शुरू करने की तिथि	कार्य पूरा किए जाने का संभावित समय
1	2	3	4
	निर्माणाधीन बृहद परियोजनाएं		
1.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-I	दूसरी योजना	ज्यादातर कार्य पूरे कर लिए गए हैं।
2.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना चरण-II	पांचवीं योजना	आठवीं योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
3.	जाखम परियोजना	तीसरी योजना	आठवीं योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
4.	माही बजाज सागर परियोजना	चौथी योजना	आठवीं योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
5.	कोटा बराज को ऊंचा उठाना	छठी योजना	प्राय: पूरे कर लिए गए।
6.	सिद्धमुख परियोजना	8वीं योजना	आठवीं योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
7.	नोहर परियोजना	8वीं योजना	आठवीं योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

1 2	3	4
8. हरियाणा में गुड़गांव नहर (अंतर्राष्ट्रीय परियोजना)	तीसरी योजना	आठवीं योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
मध्यम परियोजना		
1. सोम कमला अम्बा परियोजया	पांचवीं योजना	आठवीं योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
2. सोम कादगर परियोजना	पांचवीं योजना	आठवीं योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
3. पांचना परियोजना	पांचवीं योजना	आठवीं योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
4. भीम सागर परियोजना	पहली योजना	आठवीं योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
5. बिलास परियोजना	छठी योजना	आठवी योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
6. छापी परियोजना	छठी योजना	आठवी योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
7. परवन लिफ्ट स्कीम	छठी योजना	आठवी योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
8. सावन भादों परियोजना	छठी योजना	आठवी योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।
9. हरीश चन्द्र सागर परियोजना	पहली योजना	आठवी योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए नेत्रहीन और शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को छूट

[हिन्दी]

7. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेत्रहीन और शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितनी छूट दी जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें यह सुविधा निःशुल्क प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमंत्री तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) मौजूदा नियमों के अनुसार नेत्रहीनों एवं शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए किसी भी प्राथमिकता की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। तथापि, वृद्ध, अशक्त, संस्तंभी, विकलांग, पूरी तरह बहरे गूंगे व्यक्तियों, अनाथालयों और जनजातीय कल्याण के लिए स्वयंसेवी संगठनों तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसी प्रकार के अन्य संगठनों में गैर-आवासीय टेलीफोनों पर (दो टेलीफोन से अधिक नहीं) किराये में 25% की छूट की अनुमति प्रदान की जाती है।

पंजाब में किसानों को उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं की सप्लाई

[अनुवाद]

8. **डाक्टर सुब्रमण्यन सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान पंजाब में उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं के लिये गये नमूनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन नमूनों की जांच के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) पकड़े गये प्राधिकृत अथवा अप्राधिकृत डीलरों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) किसानों को अच्छी किस्म के उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचंद भाई शाह) : (क) से (ग) वर्ष 1989-90 के दौरान उर्वरकों एवं कीटनाशकों के लिए गए नमूनों की संख्या, उनके विश्लेषण के परिणाम तथा विवरण नीचे दी गई सारणी में दिये गए हैं —

	उर्वरक	कीटनाशक
1. लिए गए नमूनों की संख्या		
(क) राज्य प्रयोगशाला	1997	946
(ख) केन्द्रीय प्रयोगशाला	19	190
2. गैर-मानक/गलत नाम वाले नमूनों की संख्या		
(क) राज्य प्रयोगशाला	93	75
(ख) केन्द्रीय प्रयोगशाला	1	41
3. निरस्त किए गए डीलर, पंजीकरण प्रमाणपत्र की संख्या	69	—
4. चलाये गए अभियोजनों की संख्या	71	28
5. की गई अन्य कार्यवाही की संख्या	79	—

(घ) कुल लगभग 88000 नमूना प्रति वर्ष मूल्यांकन क्षमता रखने वाला केन्द्रीय उर्वरक गुण नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद सहित देश में 49 उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं हैं।

उर्वरक की गुणवत्ता उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के अधीन विनियमित की जाती है। इस आदेश के अधीन, विभिन्न उर्वरकों के मानक प्रतिमान रखे गए हैं। राज्य सरकारें प्रवर्तन-कारी प्राधिकरण हैं और उनके पास पर्याप्त शक्तियां यह सुनिश्चित करने के लिए दी गई हैं कि किसानों को मानक गुण के उर्वरक मिले।

किसानों को मानक कृमिनाशक की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकारों को कृमिनाशी अधिनियम, 1961 के अधीन पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कृमिनाशकों की गुणवत्ता की जांच के लिए कृमिनाशियों हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से लाभान्वित परिवार

9. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :**
श्री रमेश चेन्नीथाला :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में राज्य-वार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितने परिवारों को सहायता दी गयी;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इस कार्य के लिए दिये गए धन का उपयोग किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जैसा कि संलग्न विवरण से देखा जा सकता है, 1989-90 के दौरान राज्यों/संघशासित क्षेत्रों, दोनों ने मिलकर उन्हें आबंटित निधियों का 102.36 प्रतिशत खर्च किया है। चालू वर्ष के दौरान अक्तूबर, 1990 तक, राज्यों और संघशासित क्षेत्रों द्वारा उन्हें आबंटित निधियों का 37.67 प्रतिशत खर्च किया गया है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में देखे जा सकते हैं।

विवरण

वर्ष 1989-90 और 1990-91 (अक्तूबर, 1990 तक) के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	सहायता किए गए कुल परिवार (संख्या)		निधियों के उपयोग का प्रतिशत	
		1989-90	1990-91 (अक्तूबर, 90 तक)	1989-90	1990-91 (अक्तूबर, 90 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	255228	117799	109.47	57.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	8532	2305	59.48	21.72

लिखित उत्तर

1	2	3	4	5	6
3.	असम	61146	13762	115.50	23.15
4.	बिहार	449033	149198	84.95	31.34
5.	गोवा	3858	1970	112.39	64.63
6.	गुजरात	102465	37853	116.65	53.67
7.	हरियाणा	55657	14977	214.60	81.20
8.	हिमाचल प्रदेश	30417	7818	290.21	99.60
9.	जम्मू व कश्मीर	14375	2240	161.87	36.89
10.	कर्नाटक	140275	38371	86.70	26.89
11.	केरल	74150	29196	102.97	50.02
12.	मध्य प्रदेश	325995	94677	91.29	31.53
13.	महाराष्ट्र	248059	67832	101.67	31.17
14.	मणिपुर	3716	408	224.22	41.83
15.	मेघालय	2320	1167	102.33	57.36
16.	मिजोरम	4982	1222	102.89	41.26
17.	नागालैण्ड	4932	1545	128.96	51.68
18.	उड़ीसा	185969	39345	84.98	22.10
19.	पंजाब	56128	16613	272.93	101.85
20.	राजस्थान	159039	29122	96.37	23.86
21.	सिक्किम	1717	799	126.61	53.40
22.	तमिलनाडु	221509	101952	104.43	55.45
23.	त्रिपुरा	12275	1756	260.23	60.52
24.	उत्तर प्रदेश	630024	184834	104.41	39.95
25.	पश्चिम बंगाल	291847	102051	115.13	30.62
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	1939	615	105.38	29.75
27.	चण्डीगढ़		लागू नहीं हुआ		
28.	दादर व नगर हवेली	387	180	100.10	57.26
29.	दिल्ली	2375	483	88.08	42.00
30.	दमन व दीव	726	341	77.86	51.74
31.	लक्षद्वीप	209	73	28.14	10.00
32.	पाण्डिचेरी	2089	259	109.23	32.11
	अखिल भारत	3351373	1060763	102.36	37.67

चित्तौड़गढ़ के किले पर डाक टिकट जारी करना

10. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक किले पर डाक टिकट जारी किया जा रहा है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) इस समय चित्तौड़गढ़ के किले पर कोई डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव नहीं है। इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि विजय स्तम्भ (विक्ट्री टावर) जोकि चित्तौड़गढ़ किले का एक भाग है, पर एक डाक टिकट 15 अगस्त, 1949 को जारी किया गया था।

(ख) उपर्युक्त भाग "क" के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी एकक का कार्य निष्पादन

11. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी एकक के प्रत्येक भाग का वित्तीय परिणाम और कार्य निष्पादन क्या रहा;

(ख) क्या वर्तमान वर्ष के दौरान इन एककों के कार्य निष्पादन में और गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कदम उठाए गए है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एफ० सी० आई० सिंदरी एकक के प्रत्येक भाग का वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार रहा :

(घाटा रु० लाख में)

अमोनिया की बिक्री	1987-88	1988-89	1989-90
अमोनिया की बिक्री	(—)175	(—) 215	(—)242
यूरिया	(—)342	(—)1775	(—)959
अमोनिया सल्फेट	(—)955	(—) 516	(—)816
अमोनियम नाइट्रेट	(—)165	(—) 166	(—)354
नित्रिक एसिड की बिक्री	(—) 45	(—) 26	(—) 49
अमोनियम बाइकारबोनेट	(—) 2	(—) 12	(—) 21
अन्य	(—) 41	(—) 318	(—)576
कुल	(—)1639	(—)2369	(—)2975

निष्पादन (000 मी टन)

वर्ष	अमोनिया	यूरिया	अमो० सल्फ०	अमो० नाइ०	निट्रि० एसिड	कखग
1987-88	208.5	271.4	44.0	12.6	39.3	2.1
1988-89	209.4	268.8	57.7	16.1	44.2	2.4
1989-90	179.90	209.2	54.2	16.5	50.3	2.5

(ख) और (ग) वर्तमान वर्ष के दौरान सिंदरी एकक का समग्र निष्पादन कोयले की अपर्याप्त की आपूर्ति तथा कोटि का होने, एयर सेपरेशन यूनिट में रिसाव होने, तथा अन्य उपस्करों के खराब होने से असंतोषजनक रहा है। उत्तम कोटि के कोयले की आपूर्ति करने; उपस्करों में सुधार तथा कैप्टिव विद्युत संयन्त्र के नवीनीकरण हेतु कदम उठाए गये हैं। एफ० सी० आई० के निदेशक मंडल ने सिंदरी एकक के प्रथम चरण में नवीनीकरण हेतु लगभग 14.77 करोड़ रु० का निवेश करने का निर्णय लिया है।

डाक विभाग में घाटा

12. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग को वर्ष 1989-90 में विगत तीन वर्षों की तुलना में कितना घाटा हुआ;

(ख) क्या डाक दरों में भारी वृद्धि करने के बावजूद चालू वित्त वर्ष के दौरान घाटा होने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या विशेष कारण हैं; और

(घ) डाक विभाग में घाटा पूरा करने हेतु यहां कार्यक्षमता बढ़ाने, और इसमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) पिछले तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान डाक विभाग को हुई क्षति का ब्यौरा इस प्रकार है—

	करोड़ रुपए
1989-90	262.99
1988-89	169.73
1987-88	190.87
1986-87	216.43

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान सम्भावित क्षति : 161.86 करोड़ रुपए।

(ग) क्षति मुख्यतया प्रचालन लागत में निरन्तर वृद्धि और डाक नेटवर्क के विस्तार की

दृष्टि से विकास में हुई वृद्धि को विभिन्न सेवाओं के लिए निश्चित किए गए डाक शुल्क में पूर्ण-रूपेण शामिल नहीं किया जाना है।

(घ) कड़े मितव्ययी उपायों और व्यय-नियन्त्रण करके कार्यकारी व्यय में कटौती करने के लगातार साथ-साथ जहां तक संभव हो पाता है, कार्य पद्धति को सरल बनाकर बचत करने के लगातार प्रयास किए जाते हैं।

दुग्ध चूर्ण संयंत्र

[हिन्दी]

13. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दुग्ध चूर्ण संयंत्रों की संख्या कितनी है; देश में राज्यवार दुग्ध चूर्ण की प्रतिवर्ष कितनी खपत होती है और इसकी कुल मांग कितनी है;

(ख) कितने संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहे हैं और कितने संयंत्र बन्द पड़े हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों की इन संयन्त्रों के कार्यकरण में सुधार करने तथा साथ ही अधिक टिकाऊ टेट्रा पैक संयन्त्रों की मांग राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के पास लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो कब से और बोर्ड ने अब तक क्या उपचारात्मक उपाए किए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) देश में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित 51 दुग्ध चूर्ण संयन्त्रों का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	दुग्ध चूर्ण संयन्त्रों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	6
2.	बिहार	2
3.	गुजरात	9
4.	हरियाणा	2
5.	कर्नाटक	3
6.	मध्य प्रदेश	2
7.	महाराष्ट्र	5
8.	पंजाब	7
9.	राजस्थान	7
10.	तमिलनाडु	4
11.	उत्तर प्रदेश	3
12.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	51

दुग्ध चूर्ण की अनुमानित वार्षिक मांग लगभग 1,20,000 मीटरी टन है। दुग्ध चूर्ण की *वार्षिक मांग और खपत का कोई राज्यवार मूल्यांकन नहीं किया गया है।*

(ख) दुग्ध चूर्ण संयन्त्रों की स्थापना मुख्यत: डेरियों द्वारा अधिप्राप्त दूध में मौसम के अनुसार विषमता से हुए अतिरेक को बदलने के लिए की गयी है। इस परिप्रेक्ष को ध्यान में रखते हुए आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत स्थापित 51 दुग्ध संयन्त्रों में से 22 दुग्ध चूर्ण संयन्त्र विगत प्रचुरता वाले मौसम के दौरान अपनी पूर्ण क्षमता या लगभग पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहे थे। विगत प्रचुरता वाले मौसम में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी दुग्ध चूर्ण संयन्त्रों की कुल उपयोग क्षमता 82 प्रतिशत थी।

(ग) किसी भी राज्य सरकार से कोई विशेष मांग नहीं की गयी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता है।

खेती के कार्य में मशीनों का उपयोग

[अनुवाद]

14. **श्री बाल गोपाल मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने खेती के कार्य में मशीनों का उपयोग करके खाद्यान्न उत्पादन में तथा फलों और सब्जियों की खेती भारी सफलता प्राप्त की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) फार्म यंत्रीकरण उस नयी प्रौद्योगिकी का एक वह घटक है जिसे सन साठ से आरम्भ होने वाले दशक के मध्य से भारतीय कृषि में अपनाया गया है। इससे अनेक राज्यों में खाद्यान्नों और फलों तथा सब्जियों के उत्पादन में आमतौर पर वृद्धि हुई है।

(ख) 1969-70 और 1989-90 को समाप्त होने वाले तीन वर्ष के दौरान खाद्यान्नों के औसत उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण (राज्यवार) संलग्न है। जहां तक फलों और सब्जियों का सम्बन्ध है, अधिकतर राज्यों में इसके आंकड़े नहीं रखे गये हैं। फिर भी 1969-70=100 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि को आधार को मानकर उप-समूह (फल और सब्जी) के लिए कृषि उत्पादन का अखिल भारतीय सूचकांक 1989-90 में पर्याप्त रूप से बढ़कर 222.3 (अस्थायी) हो गया है।

विवरण

1969-70 और 1989-90 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के दौरान औसत खाद्यान्न उत्पादन

राज्य	1969-70	1989-90
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	71.4	118.1
असम	21.5	28.3
बिहार	83.5	111.4

1	2	3
गुजरात	29.7	38.3
हरियाणा	38.6	81.5
कर्नाटक	52.0	67.7
मध्य प्रदेश	98.2	150.8
महाराष्ट्र	69.7	118.0
उड़ीसा	49.3	66.2
पंजाब	62.0	177.2
राजस्थान	51.2	79.9
तमिलनाडु	58.1	76.9
उत्तर प्रदेश	168.7	325.5
पश्चिम बंगाल	67.6	112.1
अखिल भारत	961.9	1603.0

सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र

15. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1990-91 के दौरान सिंचाई के अन्तर्गत और क्षेत्रफल लाने का है;

(ख) यदि हां, तो 1990-91 के दौरान, राज्यवार, कुल कितना क्षेत्रफल सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाएगा;

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान, कुल कितने हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई; और

(घ) सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने के लिए यदि कोई कारण घटक जिम्मेदार हैं, तो वे क्या हैं; और

(ङ) यह कहां तक सहायक होगा ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल भूतल मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) 2971.82 हजार हेक्टेयर (प्रत्याशित)।

(घ) और (ङ) 1990-91 के दौरान सिंचाई विस्तार का लक्ष्य 1989-90 की प्रत्याशित उपलब्धि से कम है।

विवरण

(हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1990-91 के दौरान सृजित की जाने वाली प्रस्तावित सिंचाई क्षमता (लक्ष्य)
1.	आन्ध्र प्रदेश	200.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.58
3.	असम	82.00
4.	बिहार	390.00
5.	गोवा	4.09
6.	गुजरात	55.00
7.	हरियाणा	20.70
8.	हिमाचल प्रदेश	3.15
9.	जम्मू और कश्मीर	5.86
10.	कर्नाटक	91.00
11.	केरल	52.16
12.	मध्य प्रदेश	126.50
13.	महाराष्ट्र	53.51
14.	मणिपुर	2.70
15.	मेघालय	4.23
16.	मिजोरम	0.56
17.	नागालैण्ड	1.10
18.	उड़ीसा	82.00
19.	पंजाब	46.70
20.	राजस्थान	20.08
21.	सिक्किम	1.00
22.	तमिलनाडु	10.88
23.	त्रिपुरा	5.45
24.	उत्तर प्रदेश	1220.85
25.	पश्चिम बंगाल	136.85
	कुल राज्य	2620.20
	संघ राज्य क्षेत्र	1.82
	कुल योग	2622.02

आन्ध्र प्रदेश में हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

16. **श्री राज मोहन रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक एक्सचेंज के मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) 1-4-1990 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में 110 करचल टेलीफोन एक्सचेंज हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान उपस्कर उपलब्ध होने पर, 30 एक्सचेंजों की इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने की योजना है। शेष टेलीफोन एक्सचेंजों को आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर रूप से इलेक्ट्रॉनिक/इलेक्ट्रो-मैकेनिकल टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलने की योजना है।

(ग) बप्टाला, सल्लूरपेट, कल्याणदुर्ग और मंदापेटा के चार करचल टेलीफोन एक्सचेंजों को पहले ही इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों में बदल दिया गया है। 26 और एक्सचेंजों को (संलग्न विवरण के अनुसार) 1990-91 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने के लिए तय किया गया है।

विवरण

1990-91 के दौरान करचल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने का कार्यक्रम।

1. अट्टीली
2. इचापुरम
3. पेड्डा पल्ली
4. बेलम्पल्ली
5. बोधन
6. द्रोणाचलम
7. गरीविडी
8. रायदुर्ग
9. रेपले
10. सथनापल्ले
11. यमिगनूर
12. बांसबाड़ा
13. नरसन्नापेट
14. श्रीसैल्म
15. उर्वाकोंडा

16. यल्लमनचिल्ली
17. यलेश्वरम
18. इन्कोल्लु
19. कोडावलुरू
20. मुलुग
21. नरस्यपुर
22. नारायणखेट
23. पडेरू
24. पडलाकुरू
25. उटनूर
26. अमनगल

दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

17. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों द्वारा हाल ही में की गई हड़ताल सरकार द्वारा दिए गए कतिपय आश्वासनों के आधार पर समाप्त कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगों के संबंध में क्या आश्वासन दिये गए थे; और

(ग) कर्मचारियों को दिये गये आश्वासनों को लागू करने के लिए कितनी धनराशि अपेक्षित होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी, हां।

(ख) समझौता ज्ञापन की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) लगभग रु० 50 करोड़ प्रतिवर्ष।

विवरण

दूरसंचार विभाग और तीन महासंघों के बीच हुआ समझौता ज्ञापन

1. संचार राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार एम० टी० एन० एल० सहित दूर संचार विभाग की फील्ड यूनिटों के पुनर्गठन के बारे में 10 दिसम्बर, 1990 तक में निर्णय लेगी ताकि दूरसंचार विभाग में सेवारत् कर्मचारियों और एम० टी० एन० एल० में प्रतिनियुक्त दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के बीच प्रतिमाह 100 रुपये के तदर्थ अंतरिम भुगतान की मंजूरी संबंधी कथित भेदभाव को समाप्त किया जा सके।

2. कर्मचारी पक्ष ने, प्रचालन कार्य में लगे कर्मचारियों के काम के घंटों की कमी करने के फैसले को लागू किए जाने पर जोर दिया। दूरसंचार विभाग ने इस फैसले को लागू करने पर सरकारी अड़चनों के बारे में बताया। कर्मचारी पक्ष ने कहा कि उच्च प्रौद्योगिकी को शुरू करने के

कारण सरप्लस हुए कर्मचारियों को खपा कर और कार्य की पद्धति को युक्तिसंगत बनाने से फैसले को लागू करने में समयोपरि भत्ता संबंधी कोई अधिक लागत नहीं आएगी। इस बात पर सहमति हुई कि फैसले को लागू करने के सभी पहलुओं पर पूरी चर्चा की जाएगी।

3. समयोपरि भत्ते के भुगतान के बारे में 1981 के माध्यस्थम् के फैसले को लागू कर दिया गया है। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतनमानों के आधार पर समयोपरि भत्ते की दरों को तय करने का प्रश्न सामान्य नीति संबंधी मामला है जो सरकार के अन्य विभागों पर भी लागू होता है। यह मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के विचाराधीन रहा है। विभाग, कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों की देय समयोपरि भत्ते की दरों में 1-12-1990 से नीचे लिखे अनुसार वृद्धि करने पर सहमत हुआ है—

संशोधित परिलब्धियों पर आधारित वेतन वर्ग	प्रतिघंटे के आधार पर देय समयोपरि भत्ता	
	कार्य दिवस	अवकाश के दिनों में
1200 रु० से कम	7.95	10.60
1201 से 1450 तक	9.55	12.75
1451 से 1700 तक	11.35	15.15
1701 से 1950 तक	13.15	17.55
1951 से 2200 तक	14.95	19.95
2201 और इससे अधिक	15.85	21.15

केवल 2200 रुपये अथवा इससे कम मूल वेतन वाले कर्मचारी तथा पहले से विनिर्दिष्ट वर्गों के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी ही समयोपरि भत्ते का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे।

4. सर्किल कार्यालयों में समयमान लिपिक योजना शुरू करने के कार्य का अध्ययन अन्तिम चरण में है। इस योजना को लागू करने से पहले विद्यमान अवर श्रेणी लिपिकों/प्रवर श्रेणी लिपिकों को नयी योजना में स्थानान्तरण करने के मामले को कार्मिक विभाग के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाएगा। अन्तिम निर्णय 2 महीनों के भीतर ले लिया जाएगा।

5. बी० सी० आर० योजना को लागू करने के आदेश जारी कर दिये हैं। इस योजना के अन्तर्गत अविलंब लाभ देने की दृष्टि से, सभी मुख्य महाप्रबन्धकों को, विभागीय पदोन्नति समिति की औपचारिकताएं पूरी होने तक स्थानापन्न व्यवस्था करने के लिए आदेश जारी कर दिये गए हैं। पुनर्गठन को लागू करने के संबंध में, भर्ती नियमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, रिक्त स्थानों का पता लगाने के ब्यौरे को अंतिम रूप देने के लिए सलाहकार (एच० आर० डी०) की अध्यक्षता में, उप महानिदेशक (कार्मिक), उप महानिदेशक (ई), उप महानिदेशक (टी० एस०) उप महानिदेशक, (प्रशि०) को सदस्य मनोनीत कर एक समिति का गठन किया जा रहा है। समिति को छः महीनों में कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। शेष बचे हुए संवर्गों का पुनर्गठन करने के लिए कर्मचारी पक्ष की मांगों पर विचार किया जाएगा।

6. इस बात पर सहमति हुई कि औचित्य पर आधारित तथा कार्य के लिए संस्वीकृत नान-टेस्ट वर्ग के पदों का, जिन्हें नियमित मजदूरों के कार्यों के रूप में सूचीबद्ध किया है, मानदण्ड पूरा करने की शर्त पर, नियमित मजदूरों के पद के तौर पर पुनर्वर्गीकरण किया जाएगा।

7. एक समयबद्ध पदोन्नति योजना में शामिल नहीं किये गये कर्मचारियों के संवर्ग की समीक्षा संबंधी सरकारी आदेशों को जल्दी लागू किया जाएगा।

8. (i) दिनांक 23-2-1988 के आदेश संख्या 10-13/87-दर के अन्तर्गत यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि अर्द्धकुशल/कुशल कार्यों को करने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों को मजदूरी उनके समवर्ती ग्रेडों में देय न्यूनतम वेतन के आधार पर तय की जाएगी। इसे लागू करने के लिए फील्ड यूनिटों को अनुदेश जारी किए जाएंगे।

(ii) नियमों में ढील देने और दूर-संचार विभाग में, जहां भर्ती में सेवा चयन बोर्ड का दखल नहीं है, अर्द्धकुशल/कुशल नैमित्तिक कर्मचारियों को समाविष्ट करने के बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेशों को लागू करने का तरीका तैयार किया जाएगा।

(iii) (क) दूर संचार विभाग, डाक विभाग में अपनायी जा रही प्रक्रिया पर ही नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने की योजना की समीक्षा का मामला कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ उठाएगा।

(ख) उन पात्र नैमित्तिक कर्मचारियों को जिन्हें पहले अस्थायी स्तर नहीं दिया गया है, के मामलों की समीक्षा जल्दी की जाएगी।

(ग) रेलवे में अपनायी जा रही प्रक्रिया के अनुसार "अस्थायी स्तर" वाले कर्मचारियों को बोनस देने की योजना में आशोधन के मामले पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से और आगे विचार किया जाएगा।

9 हड़ताल की अवधि की मजदूरी के बारे में, संचार राज्य मंत्री ने महासंघों के अनुरोध पर शीघ्र विचार करना स्वीकार कर लिया है। दूरसचार विभाग ने, कटौती को दिसम्बर, 1990 के वेतन तक स्थगित रखने पर सहमति व्यक्त की है।

10. हड़ताल में शांतिपूर्वक तरीके से भाग लेने वाले कर्मचारियों को परेशान नहीं किया जाएगा।

11. तीनों महासंघ, हड़ताल वापस लेने और सेवाओं को यथाशीघ्र सामान्य ढंग से चलाने में प्रशासन को सहयोग देने पर सहमत हो गए हैं।

ह०/-
(सी० रमेश)
उ० म० नि० (एल० आर०)
दूरसंचार विभाग

ह०/-
(चौ० राघवीर सिंह)
कर्मचारी पक्ष के नेता जेसीएम
विभागीय परिषद्

ह०/-
(ओ० पी० गुप्त)
महासचिव
एन० एफ० टी० ई०

ह०/-
(आर० वेंकटरमण)
महासचिव
एफ० एन० टी० ओ०

ह०/-
(मानस मुखर्जी)
महासचिव
बी० टी० ई० एफ०

सं० 29-18/90-एस० आर० टी० दिनांक 23 दिसम्बर, 1990

दूरसंचार विभाग और तीन महासंघों के बीच हुए समझौता ज्ञापन की प्रति आपकी जानकारी के लिए भेजी जा रही है।

ह०/-
(उमेश वर्मा)
निदेशक (एस० आर०)

राष्ट्रीय जल बोर्ड की बैठक

18. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल बोर्ड की 27 नवम्बर, 1990 को बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या निर्णय लिए गए और अब तक कौन-कौन से निर्णय कार्यान्वित किए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनु भाई कोटडीया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल बोर्ड की पहली बैठक 27-11-1990 को आयोजित की गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति पर ड्राफ्ट कागज तैयार करने, नदी बेसिनों की स्थापना और ड्राफ्ट जल सूचना बिल तैयार करने हेतु बोर्ड की 3 उप समितियों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था।

दिल्ली में टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन

19. **श्री बलवन्त मणवर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीफोन सलाहकार समिति के गठन में अत्यधिक विलम्ब हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समिति का गठन कब तक हो जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) से (ग) चूंकि देश में दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समिति के गठन संबंधी नीति की समीक्षा की जा रही थी। इसलिए दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन नहीं किया जा सका। दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति का पुनर्गठन निकट भविष्य में किए जाने की आशा है।

उदयपुर में नए टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

20. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 में उदयपुर सिटी में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में से कितने नए टेलीफोन कनेक्शन जारी किए गए; और

(ख) वर्ष 1992 के दौरान कितने नए टेलीफोन कनेक्शन जारी किए जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) 1-1-90 की कुल 7081 की प्रतीक्षा सूची में से 1-1-90 से 30-11-1990 की अवधि के बीच 287 नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए।

(ख) 1990 91 में 600 नए टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की आशा है। 1991-92 के लिए 5000 लाइनों की क्षमता का एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज अलाट किया गया है और इस एक्सचेंज के चालू जाने के पश्चात् और टेलीफोन कनेक्शन दिए जा सकेंगे।

दूध की खपत

[अनुवाद]

21. **श्री के० सी० त्यागी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, अलग-अलग प्रति व्यक्ति दूध की खपत का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दूध की खपत बढ़ाने के लिए यदि कोई प्रस्ताव है, तो वह क्या है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) सांख्यिकी विभाग का राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन पारिवारिक उपभोक्ता खर्च पर नियमित रूप से राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करता है। यह सर्वेक्षण दुग्ध और दुग्ध उत्पादों पर व्यय सहित पारिवारिक मदों के विभिन्न समूहों के उपभोग मूल्य को मुहैया करता है। 1986-87 से 1988-89 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पृथक रूप से किये गये सर्वेक्षण के राज्यवार परिणामों को दर्शाते वाला विवरण संलग्न है, जिसमें 30 दिवसों की अवधि के लिए दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के उपभोग का मूल्य दिया गया है।

(ख) और (ग) चूंकि दूध की खपत इसके उत्पादन के साथ जुड़ी हुई है, अत: इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इस सम्बन्ध में अपनाई जा रही नीति निम्नांकित है :—

(1) राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण पशु नस्लों का उनके घरेलू स्थानों में चयनित प्रजनन के उनका आनुवंशिक सुधार और अन्य चयनित क्षेत्रों में उनका संवर्धन,

(2) विदेशी डेरी नस्लों के साथ अज्ञात नस्ल के पशुओं का संकर प्रजनन;

(3) चयनित प्रजनन के जरिये महत्वपूर्ण भैंस नस्लों को आनुवंशिक सुधार और दुग्ध उत्पादन में सुधार करने के लिए अन्य क्षेत्रों में अज्ञात नस्ल की भैंसों का संवर्धन करना;

(4) आहार और चारा स्रोतों का विकास;

(5) उत्पादन कार्यक्रम के समर्थन के लिए प्रभावी पशु स्वास्थ्य सेवाओं का संगठन; और

(6) आपरेशन फ्लड कार्यक्रम ।

विवरण

30 दिवसों की अवधि के लिये प्रति व्यक्ति दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की खपत के मूल्य

राज्य	1986-87		1987-88		1988-89	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	8.61	15.36	7.93	15.02	8.87	16.88
2. असम	8.56	17.66	6.74	15.81	7.49	18.17
3. अरुणाचल प्रदेश	क	क	7.99	21.17	ख	ख
4. बिहार	7.47	19.43	8.05	14.99	8.65	18.38
5. गुजरात	23.10	32.18	22.41	32.49	24.40	36.41
6. गोवा, दमण और दीव	10.10	21.12	6.90	25.41	घ	घ
7. हरियाणा	49.57	39.62	52.91	47.12	60.72	54.45
8. हिमाचल प्रदेश	30.40	37.68	28.94	41.25	ग	ग
9. जम्मू व कश्मीर	19.29	28.44	19.71	34.51	ग	ग
10. कर्नाटक	9.80	16.72	10.04	17.34	9.64	20.17
11. केरल	9.57	14.04	9.76	16.27	11.20	18.68
12. मध्य प्रदेश	10.12	21.32	11.53	25.41	10.27	22.73
13. महाराष्ट्र	10.74	24.95	9.77	25.81	10.79	30.00
14. मणिपुर	2.72	3.86	2.42	3.86	ख	ख
15. मेघालय	2.92	19.70	4.89	18.92	ख	ख
16. मिजोरम	6.97	15.38	11.03	20.29	ख	ख
17. नागालैण्ड	क	14.98	क	23.86	ख	ख
18. उड़ीसा	2.69	21.7	2.90	12.97	3.71	14.29

1 2	3	4	5	6	7	8
19. पंजाब	45.80	42.89	44.87	42 35	49.68	49.08
20. राजस्थान	32.18	38.17	31.44	36.29	41.50	44.59
21. सिक्किम	21.17	22.57	21.40	26.58	ख	ख
22. तमिलनाडु	6.14	15.20	5.82	15.26	6.41	15.20
23. त्रिपुरा	8.29	25.98	9.06	14.19	ख	ख
24. उत्तर प्रदेश	16.16	23.20	16.54	25.42	19.51	27.31
25. पश्चिमी बंगाल	6.00	16.95	6.00	16.23	6.38	18.72

स्रोत : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी विभाग, योजना मंत्रालय

(क) शामिल नहीं

(ख) उत्तर-पूर्वी राज्यों के समूह के लिये समूह औसत व्यय।

ग्रामीण : 7.25 शहरी : 13.80

(ग) उत्तर-पश्चिमी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिये समूह औसत व्यय।

ग्रामीण : 32.85 शहरी : 49.72

(घ) दक्षिणी राज्यों/संघ राज्यों के समूह के लिये समूह औसत व्यय।

ग्रामीण : 11.39 शहरी : 13.97

डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को बिना बारी के सरकारी आवास का आबंटन

[हिन्दी]

22. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को बिना बारी के सरकारी आवास आवंटित किए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर; और

(ग) 1 जनवरी, 1990 से 30 नवम्बर, 1990 तक की अवधि के दौरान ऐसे कितने क्वार्टर आवंटित किए गए है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली डाक और दूरसंचार सर्किलों की मकान आबंटन समिति द्वारा टी बी/कैंसर, हृदय के रोगी, विकलांग कर्मचारियों तथा नियमों में निर्धारित शर्त भी पूरा करने वाले विशिष्ट खिलाड़ियों को भी बारी आने से पहले क्वार्टरों का आबंटन किया जाता है। विभाग के प्रभारी मंत्री को उनके अपने विवेक पर प्राथमिकता के आधार पर बारी आने में पहले आबंटन करने का अधिकार है।

(ग) बारी आने से पहले आबंटन के 109 मामले मंजूर किए गए। 44 मामलों में क्वार्टर दे दिए गए हैं और खाली क्वार्टरों के अभाव में शेष क्वार्टर नहीं दिए जा सके।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वेतनमानों और सुविधाओं में एकरूपता

[अनुवाद]

23. **श्री० पी० एम० सईद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय में तथा अपने संस्थानों में वेतनमानों तथा कर्मचारियों को दी जा जा रही सुविधाओं में एकरूपता लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जतन्सीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) महोदय, कुछ कर्मचारियों की ओर से इस संबंध में एक मांग प्राप्त हुई है।

(ख) इस संबंध में समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन

24. **श्री जी० एस० बासवराज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने सिफारिश की है कि अधिक भूमि पर खेती के लिए भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन किया जाए;

(ख) किन राज्यों ने इस सिफारिश को लागू करने पर सहमति प्रकट की है; और

(ग) क्या समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों को ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है क्योंकि यह इस विषय पर राष्ट्रीय मार्गदर्शिकाओं के प्रतिकूल होगा।

(ग) समिति की सिफारिशें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं।

स्मारक डाक टिकटें जारी करना

25. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान विशेष तथा स्मारक डाक टिकटें जारी करने के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) टिकट-संग्रह सलाहकार समिति के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) वर्ष 1991-92 के प्रस्तावों पर समिति/सरकार द्वारा कब तक विचार किया जायेगा; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन विशेष टिकटों के लिए विषय, विचार, व्यक्तियों एवं घटनाओं के बारे में जनता से सुझाव मांगने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) स्मारक/विशेष डाक टिकट जारी करने का कार्यक्रम कलैंडर वर्ष के आधार पर तैयार किया जाता है। वर्ष 1990 के शेष महीनों और वर्ष 1991 में जारी किए जाने वाले प्रस्तावित डाक टिकटों का विस्तृत ब्यौरा क्रमशः विवरण-1 और 2 में दिया गया है।

(ख) समिति की वर्तमान संरचना संलग्न विवरण-3 में दी गई है।

(ग) जैसा कि विवरण-2 में दिया गया है वर्ष 1991 के लिए प्रस्तावों को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। वर्ष 1992 के लिए प्रस्तावों को फिलैटलिक सलाहकार समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जायेगा।

(घ) सुझावों के लिए जनता को आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी जैसा कि विवरण-3 में समिति की संरचना में दर्शाया गया है। जनता के सदस्यों में से नेताओं के विचारों को फिलैटलिक सलाहकार समिति के समक्ष रखा जाता है। स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिये विषय वस्तु के संबंध में सुझाव देने के लिए अन्य व्यक्तियों के विचारों का भी स्वागत है।

विवरण-1

वर्ष 1990 के शेष महीनों के दौरान जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित स्मारक/विशेष डाक टिकटों की सूची

28 दिसम्बर	कलकत्ता के तीन सौ वर्ष
31 दिसम्बर	ज्ञानेश्वरी

विवरण-2

वर्ष 1991 के दौरान स्मारक/विशेष डाक टिकट जारी करने का अनंतिम कार्यक्रम

क्र० सं०	माह	विषय वस्तु
1	2	3
1.	जनवरी	सड़क सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
2-3.	जनवरी	भारत भ्रमण पर्यटन वर्ष और युवा पर्यटन पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
4-5.	फरवरी	वन्य प्राणी (मेरिन मैमल्स)
6.	फरवरी	7 वीं ट्राइनल
7.	—वही—	जगन्नाथ शंकरसेट
8-9.	—वही—	इन्पेक्स 91
10-11.	मार्च	अंतरिक्ष यान —3 वर्ष पूरे होने पर
12-15.	मार्च	जनजातीय नृत्य
16.	अप्रैल	बाबू जगजीवन राम
17.	अप्रैल	डा० बी० आर० अम्बेडकर

1	2	3
18-20.	मई	योगा
21.	मई	आर्यकुडी रामानुजा अयंगर
22.	—वही—	कर्पूरी ठाकुर
23-24.	—वही—	नई दिल्ली की हीरक जयन्ती
25-26.	जून	अण्टार्कटिका
27-32.	जून	ऑर्चिड
33-34.	जुलाई	कार्टून-शंकर पिल्लई
35-38.	अगस्त	एडवेंसर स्पोर्ट्स
39.	अगस्त	राकेट मेल शताब्दी
40.	अगस्त	श्री प्रकाश
41-44.	अक्तूबर	वन्य प्राणी
45-46.	अक्तूबर	हस्तशिल्प (कमला देवी चटोपाध्याय)
47.	नवम्बर	एयर मेल की पोस्ट कार्ड की हीरक जयन्ती
48-51.	दिसम्बर	भारतीय संगीत
52.	दिसम्बर	नोबल पुरस्कार के लिए 90 वर्ष
53.	—वही—	मद्य निषेध
54.	—वही—	डब्ल्यू ए० मोजार्ट
55.	—वही—	18 वीं कवेलरी

जारी करने वाले डाक टिकट जिनकी तिथि निश्चित की जानी है

56.	जय शंकर प्रसाद
57.	महा देवी वर्मा
58.	भारती भवन पुस्तकालय

विवरण-3

फिलाटेली सलाहकार समिति की वर्तमान संरचना नीचे दी गई है

अध्यक्ष

1. डा० संजय सिंह — संचार राज्य मंत्री

सह-अध्यक्ष

2. श्री जय प्रकाश — संचार उप मंत्री

उपाध्यक्ष	
3. श्री कैलाश प्रकाश	सचिव डाक विभाग
सरकारी सदस्य	
4. श्री एस० पी० गुलाटी	सदस्य प्रचालन डाक विभाग
5. श्री एस० कृष्णन	सदस्य वित्त विभाग
6. श्री डी० सुब्बाराव	संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग
7. श्री एस० डी० इदुगुंजी	महाप्रबंधक भारतीय सेक्युरीटी प्रेस नासिक रोड-422101
गैर-सरकारी सदस्य	
संसद सदस्य	
8. श्रीमती सरला महेश्वरी 420 बी० पी० हाउस, नई दिल्ली	सी० एफ० 204 साल्ट लेक, कलकत्ता-700064
9. श्रीमती उमा गजपति राजु 8, तुगलक लेन, नई दिल्ली	ओड विट नं० 1, केरलमपुड्डी ले आउट विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश
10. श्रीमती कमला सिन्हा, बिहार भवन, नई दिल्ली	ग्राम शिवपुरी, डाघकर श्री कृष्णापुरी जी० पी० ओ० पटना(बिहार)
11. श्री ए० एन० सिंह देव, उड़ीसा भवन, नई दिल्ली	पेलेस पोस्ट आफिस, धाराकोटे जिला गंजाम, उड़ीसा
फिलैट लिस्ट और डाक टिकट विक्रेता	
12. श्री धीरूभाई मेहता	103, डलमल चेम्बल, सरविठ्ठलदास ठाकरसी मार्ग-400020
13. श्री जी० मदनमोहन दास	41, पेरूमल मुडाली स्ट्रीट, शोकारपेट, मद्रास-600069
14. श्री दीलिप साह	799, गोल बाजार, राइट टाउन, जबलपुर-482002
15. श्री योगेश कुमार	विष्णु भवन, 370, मेकनियर रोड, प्रेम नगर बरेली-243005
16. श्री मधुकर देवगांव का	22/2, आचार्य जे० सी० बोस रोड, कलकत्ता-700
17. श्री जी० बी० पई	डालफिन्स, एस-484, ग्रेटर केलास पार्ट-2, नई दिल्ली-110048
18. श्री एन० एस० नाहर	फिलेटली विभाग, श्री अरविन्दो आश्रम, पाण्डीचेरी

19.	श्री एम० वी० सुखानी	पोस्ट बाक्स नं० 2049, कलकत्ता-700001
20.	श्री ए० एम० मुखी	इम्पायर बिल्डिंग, वी० टी० बम्बई-400001
	आर्टिस्ट और प्रमुख व्यक्ति	
21.	श्री ओ० पी० शर्मा	प्रधानाचार्य, कालेज आफ आर्ट्स, 20, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001
22.	श्री जतिन दास	सी-12, निजामुद्दीन ईस्ट, नई दिल्ली-110013
23.	श्री शंकर सुहैल	23/144-ए, विक्रम विहार, लाजपत नगर-4, नई दिल्ली-110024
24.	श्री के० के० नायर	बिल्डिंग नं० 3, एका कालोनी, अंधेरी, वेस्ट बम्बई-400058
25.	श्री आर० एस० बिस्ट	भूतपूर्व प्रधानाचार्य, राजकीय कला कालेज, लखनऊ
26.	श्री डी० के० भट्टाचार्य	चेयरमैन, साहित्य अकादमी, रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली
27.	श्रीमती मल्लिका साराभाई	दर्पण अकादमी आॅफ परफॅरमिंग आर्ट्स चिदाम्बरम उस्मादपुरा, अहमदाबाद-380013
28.	डॉ० डी० एन० तिवारी	वाईस चांसलर, गुरु गासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर, मध्य प्रदेश
29.	श्री टी० सुब्रमी रेड्डी	हाऊस नं० 6-3-249/5 ए, रोड नं० 1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
30.	श्री असम्बा संगतम	समरोक डेले, मोकोकचुंग, नागालैंड
31.	श्री अजय भारद्वी	सी-103, आनन्द लोक, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, मयुर विहार, फेस-1, नई दिल्ली-110092
	सदस्य सचिव	
32.	श्री वी०एन० सक्सेना	उप महानिदेशक, फिलाटेली

केरल में पर्यटन का विकास

26. **श्री पी० सी०थामस** : क्या **पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल मे पर्यटन के विकास के लिये वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी धनराशि का आवंटन किया गया;

(ख) क्या होटलों के निर्माण हेतु विदेशी एजेंसियों से सहायता प्राप्त करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान, राज्य सरकार के परामर्श से 30.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पर्यटन स्कीमों को प्राथमिकता निर्धारित की गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता टेलीफोन को महानगर टेलीफोन निगम में परिवर्तित करना

27. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और बम्बई महानगर टेलीफोन निगमों की तरह कलकत्ता टेलीफोन को एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में परिवर्तित करने हेतु अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार दूरसंचार तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं के प्रचालन का दायित्व दूर-संचार विभाग से नये निगमों को सौंपने के अपने पिछले निर्णय को करने और महानगर टेलीफोन निगम को बंद करने के बारे में विचार कर रही है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) से (ग) सरकार ने कलकत्ता टेलीफोन सहित दूरसंचार संगठनों का पुनर्गठन करने के सभी पहलुओं का अध्ययन करने और वित्तीय विविक्षाओं के साथ साथ विकास एवं प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए अत्यन्त उपयुक्त संगठनात्मक ढांचे की सिफारिश करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया हो। समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही इस संबंध में उपयुक्त निर्णय किया जाएगा।

केरल में अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास

28. **श्री रमेश चेन्नीथाला** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पोषित योजनाओं के अन्तर्गत केरल में अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास पर कुल कितनी रकम खर्च की गई है; और

(ख) योजना के अंतर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडिया) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार, केन्द्र द्वारा प्रायोजित आई० डब्ल्यू० टी० स्कीमों की स्वीकृत लागत का 50 प्रतिशत भाग ऋण सहायता के रूप में प्रदान करती है। केरल में केन्द्र द्वारा प्रायोजित आई० डब्ल्यू० टी० स्कीमों के सम्बन्ध में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा किया गया खर्च इस प्रकार है :—

(i) नीन्दाकारा-चेरियाझिकल जलमार्ग का सुधार	22.30 लाख रु०
(ii) उद्योग मंडल नहर का सुधार	63.00 लाख रु०
(iii) चम्पाकारा नहर का सुधार	73.55 लाख रु०
	जोड़ 158.855 लाख रु०

नीन्दाकारा- चेरियाभीकल जलमार्ग के सुधार की योजना पूरी हो गई है। उद्योग मंडल नहर के संबंध में निकर्षण सहित 82 प्रतिशत भू-कार्य और 63 प्रतिशत परिरक्षण कार्य पूरा हो चुका है। चम्पाकारा नहर से सम्बन्धित सुधार कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं।

बिहार में कीटों द्वारा धान की फसलों का नाश

[हिन्दी]

29. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटों ने बिहार में धान की पकी फसल को नष्ट कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1990 के दौरान बिहार के रोहतास और भोजपुर जिले के कुछ क्षेत्रों में धान की फसलों में "ब्राउन प्लांट होपर" जो स्थानीय रूप से "मधुआ" के नाम से जाना जाता है, की घटना घटित हुई। राज्य सरकार और कृषकों द्वारा अपनायी गयी तत्काल और समय पर किये गये नियंत्रण उपायों से इस कृमि को प्रभावशाली ढंग से रोका गया और धान की फसल को होने वाली बड़ी हानि से बचा लिया गया।

सामाजिक कार्यकर्ताओं की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले टेलीफोन कनेक्शन

30. **श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड सामाजिक कार्यकर्ता श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कनेक्शनों पर प्रतिबन्ध लगा रखा है और कोई नया चल टेलीफोन कनेक्शन नहीं दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे प्रतिबन्ध को हटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) टेलीफोन आवंटन नियमों के अनुसार नए टेलीफोन कनेक्शन आवंटित करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता की कोई अलग श्रेणी नहीं है। तथापि राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर खेल, ललित कलाओं साहित्य, पत्रकार नियोजन, प्रौढ़ शिक्षा एवं दलितों के उत्थान सहित विज्ञान या सार्वजनिक गतिविधियों के किसी भी विशेष क्षेत्र में ख्याति प्राप्त विशिष्ट व्यक्तियों को गैर-ओ० वाई० टी० विशेष श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आतंकवाद के सम्बन्ध में ब्रिटेन के साथ समझौता

[अनुवाद]

31. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवाद से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ कोई समझौता किया जारहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) आतंकवाद का सामना करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में अमरीका के साथ लगातार बातचीत चल रही है। अभी तक किसी समझौते को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व के कार्यक्रम के अधीन सड़क निर्माण के लिए निर्धारित मानदण्ड

32. **श्री के० चोक्का राव** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य की सड़कों के केन्द्रीय ऋण सहायता कार्यक्रम के अधीन निर्माण संबंधी निर्धारित मानदण्ड क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार ने प्रत्येक राज्य को कितना धन दिया है तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन योजनावार कितना धन खर्च किया गया ?

जल संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्यीय सड़कों के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता के अधीन परियोजनाओं पर विचार किए जाने के लिए अपनाए गए मानदण्ड निम्न प्रकार हैं—

(I) निर्बाध संचार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्तर्राज्यीय सड़कें,

(II) उन नये क्षेत्रों को खोलने के लिए अपेक्षित परियोजनाएं जिनके लिए निकट भविष्य में रेल सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकतीं;

(III) ऐसी परियोजनाएं जो तीव्र आर्थिक विकास में वास्तविक रूप से योगदान दे सकती हैं।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत खर्च शुरू में राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से किया जाता है और राज्य की हकदारी तथा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कुल निधियों को ध्यान में रखते हुए एक मुश्त आधार पर रिलीज किया जाता है। 7वीं योजना के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रिलीज की गई निधियों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की सड़कों के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को रिलीज की गई निधियां

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जोड़
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	247.50
2.	असम	56.00

1	2	3
3.	बिहार	263.00
4.	गोवा	25.00
5.	गुजरात	81.00
6.	हरियाणा	128.00
7.	हिमाचल प्रदेश	198.50
8.	जम्मू एवं कश्मीर	78.50
9.	कर्नाटक	402.00
10.	केरल	131.00
11.	मध्य प्रदेश	155.00
12.	महाराष्ट्र	205.00
13.	मणिपुर	96.00
14.	मेघालय	40.00
15.	मिजोरम	13.00
16.	नागालैंड	10.00
17.	उड़ीसा	633.00
18.	पंजाब	244.00
19.	राजस्थान	877.00
20.	सिक्किम	33.00
21.	तमिलनाडु	85.00
22.	उत्तर प्रदेश	1355.00
23.	पश्चिम बंगाल	383.50
	जोड़	5740.00

'उड़ीसा में पर्यटन का विकास

33. **श्री मंगाराज मलिक** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से राज्य में सामाजिक/धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने संबंधी कोई योजना मिली है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या भद्रक को बरास्ता अखंडलमणी और जयपुर मार्ग से, जो छोटा होगा, राज्य

की राजधानी से जोड़ने का तथा उड़ीसा में अखंडलमणी की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को सुविधायें प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन आधार-संरचना का विकास करना मुख्यत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों से मिलने वाले विशिष्ट प्रस्तावों तथा प्रत्येक मामले में उसके गुण-दोष, निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करते हुए राज्यों को वित्तीय सहायता देती है। उड़ीसा सरकार ने वर्तमान वर्ष के दौरान पर्यटन का विकास करने के लिए प्रस्ताव भेजे थे। इन प्रस्तावों में से, 11 परियोजनाओं की 160 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु प्राथमिकता निर्धारित कर ली गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई पत्तन का आधुनिकीकरण व विकास

34. **श्री राम नाईक** : क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई पत्तन के आधुनिकीकरण व विकास के लिए वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) 31 अक्तूबर, 1990 तक वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) बकाया स्वीकृत राशि के उपयोग के लिए क्या समयबद्ध कार्यक्रम है ?

जल-संसाधन मन्त्री तथा जल-भूतल परिवहन मन्त्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) 1990-91 की संशोधित वार्षिक योजना में बम्बई पत्तन न्यास की विकास स्कीमों के लिए 19.08 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

(ख) अक्तूबर, 1990 तक 4.64 करोड़ रु० व्यय हो चुके हैं।

(ग) बम्बई पत्तन न्यास द्वारा उन्हें आवंटित, शेष समस्त परिव्यय का उपयोग किए जा सकने की संभावना नहीं है।

गुजरात में दूरसंचार सुविधाएं

35. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर में विभिन्न स्थानों पर तथा जामनगर जिले के गांवों, कस्बों व तालुकों में और अधिक टेलीफोन, एस० टी० डी०, फैक्स व टेलीप्रिंटरों की व्यवस्था किए जाने की भारी मांग है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान जामनगर व इस जिले के विभिन्न स्थानों पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जामनगर व जिले के विभिन्न स्थानों में कितने नये टेलीफोन, फैक्स, एस० टी० डी० व टेलीप्रिंटर स्थापित किये गये ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जामनगर और जामनगर के गांवों, कस्बों और तालुकाओं में फैक्स और टेलीप्रिंटर की कोई मांग नहीं है। टेलीफोन कनेक्शनों के लिए मांग इस प्रकार है—

जामनगर—1360

जामनगर ग्रामीण क्षेत्र—196

(ख) नए एक्सचेंज खोलने, एक्सचेंजों का विस्तार करने और एक्स एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलकर आधुनिकीकरण करने की योजना पहले ही बनाई जा चुकी है। केन्द्रीय तार घर जामनगर में हाल ही में सार्वजनिक फैक्स सेवा उपलब्ध कराई गई है।

(ग) उपस्कर उपलब्ध होने पर 90-91 के दौरान जामनगर जिले के निम्नलिखित एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

जामनगर (1500 लाइनें), खम्भालिया (200 लाइनें), द्वारका (100 लाइनें), वडिनार आलियाबाद, जोडिया में 128 पी-डाट, मोताहालुगढ़, कल्याणपुर, बालाचाड में 64 एम० आई० एल० टी० प्रोल, कालावड, जमजोधपुर में 512 आई० एल० टी०, ओखा, सिक्का में 200 ई०एस० ए० एक्स०, मनवाद में एस० टी० डी० सुविधा।

91-92 के दौरान: जामनगर में 5000 लाइनों का ई-10 की बकाया में मैक्स-III के स्थान पर 128सी डाट, बाल्वा में मैक्स-III के स्थान पर 64 आई० एल० टी०, द्वारका में 100 लाइनों से विस्तार।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिए गए नए टेलीफोन कनेक्शन/फैक्स/एस० टी० डी० और टेलीप्रिंटरों की संख्या इस प्रकार है—

वर्ष		नए टेलीफोन कनेक्शन
1987-88		308
1988-89		540
1989-90		1773
टेलीप्रिंटर और फैक्स		शून्य
एसटीडी—द्वारका	1987-88	
मीठापुर	1988-89	

देवतलाब, मध्य प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज और उप डाकघर की स्थापना

[हिंदी]

36. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देवतलाब नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और तीर्थस्थल में रहने वाले निवासियों ने टेलीफोन कनेक्शन के लिए कई वर्ष पहले आवश्यक धनराशि जमा कराई थी;

(ख) यदि हां, तो देवतलाब में अब तक टेलीफोन एक्सचेंज और उप डाकघर स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार का देवतलाब में सन् 1991 तक एक टेलीफोन एक्सचेंज और उप डाकघर स्थापित करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) देवतलाब के 14 निवासियों ने मार्च, 90 में अपेक्षित राशि जमा करा दी थी।

(ख) (i) देवतलाब में टेलीफोन एक्सचेंज की परियोजना हाथ में ले ली है।

(ii) एक उप डाकघर खोलने के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

(ग) (i) जी हां। 1991 में टेलीफोन एक्सचेंज प्रदान करने की योजना है।

(ii) उप डाकघर खोलने के मामले पर विचार हो रहा है।

रनकपुर मंदिर के लिये विमान सेवा

37. श्री गुमान मल लोढ़ा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन स्थलों के लिये चार्टर उड़ानें और एयर टेक्सी सेवा उपलब्ध कराने की सरकार की नीति है;

(ख) यदि हां, तो क्या रनकपुर मंदिर, जो विश्व में अपनी मूर्ति कला के लिये विख्यात है, के लिये चार्टर उड़ानें/एअर टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उक्त विमान सेवाएं कब तक उपलब्ध कराई जायेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई निर्णय लेने का है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) अंतर्राष्ट्रीय हवाई चार्टर उड़ानों की अनुमति एक नीति के अनुसार दी जाती है जिसके द्वारा चार्टर्ड वायुयान, महानिदेशक, पर्यटन की अध्यक्षता में गठित समिति की पूर्व अनुमति से पर्यटकों को भारत में ला सकते हैं। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा गठित समिति की पूर्व अनुमति से हवाई टैक्सी सेवाएं अनुमत हैं।

(ख) रनकपुर चार्टर के चार्टर उड़ानें/हवाई टैक्सियां शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अल्मोड़ा में नया टेलीफोन एक्सचेंज

38. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्मोड़ा टेलीफोन एक्सचेंज की नए टेलीफोन कनेक्शन जारी की क्षमता समाप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा के उपलब्ध न होने के कारण, उपरोक्त एक्सचेंज के विस्तार के लिए अपेक्षित उपकरणों के आयात में देरी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस शहर के उपभोक्ताओं के लाभ के लिए 400 लाइनों की क्षमता वाले एक नए टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त नया एक्सचेंज कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं। वर्तमान एक्सचेंज के स्थान पर 1991-92 के दौरान देश में निर्मित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाये जाने की योजना है ।

(घ) मार्च, 1992 तक बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों ।

पंजाब में भूमि अधिग्रहण के संबंधों में पर्यावरणीय मानदंड

[अनुवाद]

39. **श्री कमल चौधरी** : क्या कृषि मंत्री पंजाब में भूमि अधिग्रहण के संबंध में पर्यावरणीय मानदंड के बारे में 30 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3676 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में भूमि अधिग्रहण के संबंध में सरकार द्वारा प्रस्तावित पर्यावरणीय मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में अधिग्रहीत की गई कृषि भूमि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) और (ख) पंजाब सरकार ने अभी तक सूचना नहीं भेजी है और उनसे सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पर्यटन का विकास

[हिंदी]

40. **प्रो० यदुनाथ पाण्डेय** :

श्री मान्धाता सिंह :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों में पर्यटन के विकास और विस्तार हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्ष 1988, 1989 और 1990 में राज्य-वार अलग-अलग कितनी उपलब्धि हुई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान कितने होटलों का विस्तार किया गया है और विभिन्न स्थानों पर कितने नये पांच सितारा होटल या अन्य श्रेणियों के होटल खोले गए हैं तथा उन पर वर्ष-वार खर्च की गई धनराशि तथा इस अवधि के दौरान अर्जित लाभ का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) पर्यटन का विकास और विस्तार करना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मन्त्रालय पर्यटन आधार-संरचना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों की विशिष्ट स्कीमों, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर आधारित रहते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) 1987-88, 1988-89 और 1989-90 वर्षों के दौरान, विभिन्न राज्यों को रिलीज की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्र सरकार स्वयं होटलों का निर्माण नहीं करती। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान, भारत सरकार के एक उपक्रम, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पूरी की गई परियोजनाओं के संबंध में व्यय/आय इस प्रकार है—

	1987-88	88-89	89-90
1. लक्ष्मी विकास पैलेस होटल, उदयपुर (3-स्टार श्रेणी का विस्तार)			
(क) व्यय	23.64	27.37	शून्य
(ख) लाभ/हानि	8.02	14.68	22.87
2. जोधपुर में यात्री गृह का परिवर्तन/विस्तार (3-स्टार श्रेणी)			
(क) व्यय	39.31	44.86	शून्य
(ख) लाभ/हानि	उपलब्ध नहीं	13.45	9.77
3. कलिंग भुवनेश्वर (3-स्टार श्रेणी)			
(क) व्यय	18·14	—	शून्य
(ख) लाभ/हानि	—28.95	—24.46	—20.88
	(—) हानि		

इसके अलावा, गुलमर्ग में एक होटल का निर्माण करने के साथ-साथ, 3 संपत्तियों यथा, अशोक रेडिसन बीच रिसार्ट, कोवलम होटल जयपुर अशोक का विस्तार, मनाली स्थित यात्री गृह का

परिवर्तन/विस्तार किया जा रहा है। भारत पर्यटन विकास निगम ने छः स्थानों यथा, गुवाहाटी, रांची, पुरी, पांडिचेरी, भोपाल, और ईटानगर में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए इक्विटी में योगदान भी दिया है।

विवरण

1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान रिलीज की गई वित्तीय सहायता

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य	रिलीज की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता		
		1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	35.45	132.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	15.00	1.00
3.	असम	—	26.50	—
4.	बिहार	12.00	6.00	2.00
5.	गोवा	5.58	2.00	14.70
6.	गुजरात	31.60	27.30	21.25
7.	हरियाणा	109.00	97.14	78.08
8.	हिमाचल प्रदेश	8.44	22.00	33.44
9.	जम्मू एवं कश्मीर	22.00	20.24	180.80
10.	कर्नाटक	7.00	31.00	56.99
11.	केरल	129.43	163.10	170.13
12.	मध्य प्रदेश	1.14	50.91	27.13
13.	महाराष्ट्र	15.00	4.00	24.53
14.	मणिपुर	10.25	18.00	1.00
15.	मेघालय	--	10.00	34.00
16.	मिजोरम	18.00	17.50	15.00
17.	नागालैंड	16.36	21.50	43.62
18.	उड़ीसा	25.00	0.89	5.00

1 2	3	4	5
19. पंजाब	38.00	—	9.29
20. राजस्थान	6.41	39.09	46.00
21. सिक्किम	11.40	5.00	26.86
22. तमिलनाडु	46.50	54.60	67.00
23. त्रिपुरा	19.00	11.00	21.50
24. उत्तर प्रदेश	51.56	60.18	117.24
25. पश्चिम बंगाल	43.44	26.00	86.65
जोड़	627.11	764.40	1215.50

डाक छंटाई का कंप्यूटरीकरण

[अनुवाद]

41. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ शहरों में डाक छंटाई का कंप्यूटरीकरण करने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन शहरों के नाम क्या हैं जहां पर डाक छंटाई का कंप्यूटरीकृत कार्य शुरू हो गया है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान कुछ और शहरों को कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत लाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आठवीं योजना के दौरान कर्नाटक के किन शहरों में डाक छंटाई का कंप्यूटरीकरण का कार्य आरंभ किया जायेगा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां। सात शहरों में।

(ख) फिलहाल किसी में नहीं। इसे शुरू करने के लिए कदम उठा लिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केवल बंगलौर में।

उर्वरक की खपत

[हिन्दी]

42. डा० चिन्ता मोहन :
श्री फूलचंद वर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विश्व के अन्य राष्ट्रों की तुलना में उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल): (क) देश में उर्वरकों की औसत खपत 1987-88 और 1988-89 के दौरान अस्थायी रूप से क्रमश: 49.7 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर तथा 62.4 कि०ग्रा० प्रति हैक्टेयर होने का अनुमान है। भारत में प्रति हैक्टेयर उर्वरक की खपत अधिकांश विकसित देशों की तुलना में कम है। फिर भी आस्ट्रेलिया और कनाडा तथा अनेक अन्य देशों की तुलना में अधिक है।

(ख) उर्वरक की कम खपत होने का कारण यह है कि सकल सस्यगत क्षेत्र का लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र असिंचित है। अत: कृषकों द्वारा कम उर्वरक प्रयोग किया जाता है उर्वरक की की खपत करने वाली अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती वर्षासिंचित क्षेत्रों में कम की जाती है जिसके फलस्वरूप उर्वरक की कम खपत होती है।

मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर और नर्मदा सागर परियोजनाओं के कार्यान्वयन का प्रभाव

[अनुवाद]

43. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर और नर्मदा सागर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण मध्य प्रदेश की कितनी कृषि और अन्य भूमि डूब जाने की संभावना है;

(ख) इस कारण कितने गांव और परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) इससे विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गुजरात में किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(घ) मध्य प्रदेश के कितने परिवार गुजरात में पुनर्वास के लिए वहां चले गए हैं; और

(ङ) इस पुनर्वास के लिए इन विस्थापित व्यक्तियों को उपलब्ध की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया):(क)और(ख) इन परियोजनाओं से प्रभावित मध्य प्रदेश की कृषि भूमि, गांवों तथा परिवारों की संख्या बताते हुए विवरण निम्नवत् है --

परियोजना का नाम	कृष्य भूमि (हैक्टेयर में)	अन्य भूमि	गांवों की संख्या	परिवारों की सं०
1. नर्मदा सागर परियोजना	44,363	46,985	254	16,100
2. सरदार सरोवर परियोजना	7,883	12,945	193	8,884

(ग) गुटल, चंद्रनगर, गोलागामदी, कसूमबिया, वनदाबा, बाममुंडी, मोरखाला, सूर्या, कविया और फेंटा गांव।

(घ) 78 परिवार गुजरात में पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। दिसंबर, 1990 के दौरान राज्य सरकार ने परियोजना से प्रभावित और 350 व्यक्तियों की पुनर्स्थापना के प्रबंध किए हैं।

(ङ) कृषि भूमि, आवासीय प्लाटों, पुनर्स्थापना अनुदानों, भरण-पोषण भत्ते, घरेलू वस्तुओं की निशुल्क ढुलाई, उत्पादक परिसंपत्तियां, नागरिक सुविधाओं जैसे स्कूल, पार्क, कुएं, हैंड पंप, पहुंच सड़कें, आंतरिक सड़कें, पेड़े, प्लेटफार्म और व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था और कार्यों/रोजगार की कुछ श्रेणियों को प्राथमिकता देना।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का दूरसंचार आयोग में विलय

44. श्री अनादिचरण दास :

श्री यशवंतराव पाटिल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूरसंचार की सुविधायें समान रूप से उपलब्ध कराने के विचार से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का दूरसंचार आयोग में विलय करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) से (ग) जी नहीं। इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने विकासात्मक और प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के साथ-साथ वित्तीय विविक्षाओं को ध्यान में रखते हुए देश में दूरसंचार संगठन के पुनर्गठन के सभी पहलुओं का अध्ययन करने और अत्यंत उपयुक्त

संगठनात्मक ढांचे की सिफारिश करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही इस संबंध में उपयुक्त निर्णय किया जाएगा।

सरदार सरोवर परियोजना

45. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सरदार सरोवर परियोजना को पर्यावरण तथा आर्थिक व्यवहार्यता की दृष्टि से मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व बैंक द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियां क्या हैं;

(ग) इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से कितनी वित्तीय सहायता मिलने की संभावना है;

(घ) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठनों द्वारा इस परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता पर प्रश्न उठाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी हां।

(ख) विश्व बैंक ने यह पाया है कि इस परियोजना से काफी लाभ हैं, जो तत्काल मानव और पर्यावर्णिक विघटन की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। बांध के बिना, व्यक्तियों के लिए दीर्घावधिक लागतें बहुत अधिक होंगी तथा भावी पीढ़ी के लिए आय के साधनों की कमी पर्यावरण पर अधिक दबाव डालेगी।

(ग) विश्व बैंक दो परियोजनाओं नामशः (i) नर्मदा नदी विकास सरदार सरोवर बांध और विद्युत परियोजना; तथा (ii) नर्मदा नदी विकास (गुजरात) जल वितरण और जल निकास परियोजना के अंतर्गत सरदार सरोवर परियोजना के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डालर की वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(घ) जी हां।

(ङ) सरकार का दृष्टिकोण यह है कि यह परियोजना तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य है।

कुवैत को जहाज से खाद्यान्न भेजना

46. **श्री उत्तम राठौड़ :**
श्री शांताराम पोटदुखे :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाज "विश्वसिद्धि" जिसे भारतीय और अन्य एशियाई लोगों के लिए

खाद्यान्न लेकर कुवैत भेजा गया था, कुवैत के बंदरगाहों में प्रवेश नहीं कर सका और उसे खाद्यान्न उतारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो उस जहाज की समुद्री यात्रा से संबंधित तथ्यों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इराकी प्राधिकारियों ने इस जहाज पर गोदी प्रभार के रूप में दण्ड भी लगाया था;

(घ) यदि हां, तो यह राशि कितनी थी और इस मामले को किस तरह सुलझाया गया;

(ङ) क्या जहाज अन्ततः अपने उद्देश्य में सफल रहा और वापस भारत लौट आया; और

(च) इस खाद्यान्न के परिवहन तथा जहाज से भेजने पर पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई और इस व्यय को किसने वहन किया ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) जहाज एम० वी० विश्वविद्धि को कुवैत के किसी पत्तन पर नहीं भेजा गया था। जहाज का ईराक की पत्तन उम्मकासर पर राहत खाद्य आपूर्ति उतारने का कार्यक्रम था। जहाज ने 9475 टन खाद्य सामग्री लेकर 16-9-90 को कोचीन से यात्रा शुरू की और 22-9-90 को खोर फक्कान (ओमन) पर पहुंचा। ताजे जल की भराई और अतिरिक्त लाइफ जैकटों की व्यवस्था करने के बाद जहाज 22-9-90 को खोर फक्कान से रवाना होकर 26-9-90 को ईराकी पत्तन उम्म कासर पर पहुंचा। खाद्य सामग्री उतारने में मुख्यतः उपकरण और श्रमिकों की अनुपलब्धता जैसी प्रशासनिक अड़चनों के कारण कुछ कठिनाइयां पेश आईं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जहाज ईराक और कुवैत में फंसे भारतीय और अन्य देशों के राष्ट्रिकों को खाद्य सामग्री देने के अपने मिशन में सफल रहा। जहाज 12-12-90 को उम्म कासर से रवाना हुआ और 14-12-90 को दुबई पहुंचा। जहाज ने अब अपने वाणिज्यिक प्रचालन पुनः शुरू कर दिए हैं।

(च) खाद्य सामग्री की लागत और इसके परिवहन पर लगभग 8 करोड़ रु० का अनुमानित खर्च हुआ है। सारा खर्च विदेश मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा।

भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु के कारणों की जांच

[हिन्दी]

47. **श्री हर्षवर्धन :**
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री वी० देवराजन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के इस वर्ष लंदन में हुई भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच की रिपोर्ट सरकार को दे दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) भारत के प्रधान न्यायाधीश की सिफारिश पर सरकार के इस मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के किसी सेवा निवृत्त न्यायाधीश से कराने का अनुरोध किया था तथा उसकी सहमति ले ली थी। उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

टेलीफोन के दुरुपयोग की शिकायतें

[अनुवाद]

48. श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन उपभोक्ताओं से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें ऐसी कॉलों के भी बिल मिल रहे हैं, जो उन्होंने नहीं की हैं;

(ख) क्या ये बिल टेलीफोन कर्मचारियों की मिलीभगत से असामाजिक तत्वों द्वारा इन टेलीफोनों के दुरुपयोग का परिणाम हैं;

(ग) क्या किन्हीं टेलीफोन अधिकारियों के विरुद्ध ऐसे आपराधिक कार्यों के लिए कोई कार्यवाई की गई है; और

(घ) सरकार का इन गतिविधियों पर किस प्रकार रोक लगाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां, कभी कभी शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं लेकिन उनकी संख्या अब तक पूरे भारत में जारी किए गए बिलों का लगभग 1 प्रतिशत है जो कि असामान्य नहीं मानी जाती।

(ख) इस प्रकार की मिली भगत को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना संभव नहीं है।

(ग) (ख) को देखते हुए, शून्य

(घ) प्रयोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

(1) ई० 10 बी किस्म के आधुनिक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में एस० टी० डी०/आई० एस० डी० के गलत प्रयोग को कुशलतापूर्वक रोकने की सुविधा है, इसे उपभोक्ता भी स्वयं चला सकता है। इस प्रकार वह विभागीय कर्मचारियों सहित व्यक्तियों द्वारा एस० टी० डी०/आई० एस० डी कालों के संभावित गलत प्रयोग को रोक सकेगा।

(2) एस० टी० डी० रोकने की सुविधा अन्य सभी एक्सचेंजों में उपलब्ध है।

(3) ई० 10 बी एक्सचेंजों से जुड़े सभी उपभोक्ताओं को एस० टी० डी०/आई० एस० डी० कालों के ब्यौरे निःशुल्क जारी करना।

(4) कालों की संख्या सामान्य कालिंग पैटर्न से अधिक हो जाने की स्थिति में और उपभोक्ता द्वारा उसके टेलीफोन पर अधिक बिलिंग की शिकायत करने पर टेलीफोन लाइनों पर नजर रखना।

(5) मुख्य वितरण फ्रेम कक्षों में प्रवेश को नियंत्रित करना और वितरण प्वाइंटों की ऊंचाई पर लगाना।

(6) सतर्कता दलों का गठन।

तिलहनों का उत्पादन

[हिन्दी]

49. श्री रामलाल राही :

श्री प्रकाश वी० पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति के अंतर्गत गत तीन वर्षों की तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान तिलहनों का कितना उत्पादन हुआ तथा मूंगफली के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इससे उत्तरी भारत, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मूंगफली उत्पादन क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) क्या सरकार खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, हां। भारत सरकार ने एक समेकित तिलहन उत्पादन नीति तैयार की है।

(ख) वर्ष 1986-87 से 1989-90 तक तिलहन और मूंगफली का उत्पादन निम्न प्रकार है—

(उत्पादन लाख मीटरी टन में)

वर्ष	उत्पादन		
	तिलहन	मूंगफली	प्रतिशत वृद्धि
1986-87	112.69	58.75	—
1987-88	126.54	58.54	(—)0.4
1988-89	180.33	96.58	64.4
1989-90	167.49	80.88	37.7

(ग) वर्ष 1986-87 से 1989-90 के दौरान राजस्थान और उत्तर-प्रदेश में होने वाला मूंगफली का उत्पादन निम्न प्रकार है—

वर्ष	मूंगफली का उत्पादन			
	राजस्थान	प्रतिशत वृद्धि	उत्तर प्रदेश	प्रतिशत वृद्धि
1986-87	1.30	—	1.11	—
1987-88	1.38	6.2	0.75	(—)32.4
1988-89	2.60	100.0	1.31	18.0
1989-90	2.14	64.6	1.34	20.7

(घ) खाद्य तेलों की उपलब्धता में सुधार करने/को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं—

(1) परिष्कृत तोरिया/सरसों के तेल पर उत्पाद शुल्क में छूट देना।

(2) रियायती दर पर दिए जाने वाले तेल का उपयोग विलायक सीसम तेल और साल से प्राप्त निष्काषित तिल तेल तथा साल बीज वसा के लिए भी करने की अनुमति दी गयी।

(3) ऋण योजनाओं का मार्गरीन तक विस्तार करना।

(4) थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की भंडारण सीमा में 26-4-90 से कटौती करना।

(5) थोक एवं फुटकर विक्रेताओं के तिलहन भंडारण सीमा में 2-7-1990 से कटौती करना।

(6) उत्पादकों की तेल एवं वनस्पति तेल की भंडारण सीमा में 2-7-1990 से 50 प्रतिशत की कटौती करना।

(7) निर्धारित भंडारण सीमा पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य सरकारों द्वारा संचय विरोधी प्रचालन शुरू करना।

(8) मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को पूरा करने लिए तेल का आयात करना।

(9) 23-4-1990 को जारी की गयी अधिसूचना के द्वारा पी० एफ० ए० के अंतर्गत परम्परागत तेलों का अपरम्परागत तेलों में समिश्रण करने की अनुमति देना।

(10) वनस्पति तेल में पेरे गए सरसों के तेल की 20 प्रतिशत मात्रा का मिलावट करने की अनुमति वापस लेना।

(11) इस वर्ष के दौरान वनस्पति सहित तिलहनों तथा वनस्पति तेल के स्थान पर बैंक पेशगियों पर 30 प्रतिशत तक न्यूनतम मार्जिनों में वृद्धि करना।

(12) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम जिसके लिए 1990-91 में 70 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं, के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों के जरिए तिलहन उत्पादन में वृद्धि करना।

महाराष्ट्र में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार

[अनुवाद]

50. श्री धर्मन्ना मोन्डय्या सादुल : क्या संचार मंत्री 30 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3613 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर महाराष्ट्र में दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार के बारे में सूचना एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी पहले ही एकत्र की जा चुकी है और अनुपालन रिपोर्ट संसदीय कार्य मंत्रालय को 4-12-90 को भेजी जा चुकी है।

अनुपालन रिपोर्ट की एक प्रति विवरण के रूप में दी गई है।

विवरण

फील्ड कार्यालयों से जानकारी एकत्र कर ली गई है।

(क) गोआ सहित महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 1990-91 के दौरान विस्तार कार्यक्रम इस प्रकार है :

362 घिसे-पिटे एक्सचेंजों को उपयुक्त क्षमता के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों द्वारा बदलने का प्रस्ताव है और इसके परिणामस्वरूप 14571 लाइनों की वृद्धि हो सकेगी। उसके अतिरिक्त मौजूदा छोटे एक्सचेंजों (एम० ए० एक्स० 3 और मैनुअल) का विस्तार करने का प्रस्ताव है और इस प्रकार 1700 लाइनों की वृद्धि हो सकेगी। कुल मिला कर अंतत: 1990-91 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 16,271 लाइनों की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में 1500 लंबी दूरी के पी० सी० ओ० भी ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने का प्रस्ताव है।

जी नहीं। महाराष्ट्र में ये सुविधाएं अन्य अनेक राज्यों की सूचना में बेहतर हैं और कुल मिलाकर राष्ट्रीय औसत के बराबर है।

(ग) उपर्युक्त को देखते हुए लागू नहीं होता।

दिल्ली परिवहन निगम के बहाल किये गए कर्मचारियों को पूरा वेतन

[हिन्दी]

51. श्री मदन लाल खुराना : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहाल किये गये दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की इस मांग पर कि उनकी बर्खास्तगी की अवधि के लिए, पूरा वेतन दिया जाये, कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) जी, हां। यह निर्णय लिया गया है कि बरखास्तगी और बहाली के बीच की अवधि के लिये बहाल किये गये कर्मचारियों को मूल वेतन का 50% और मूल वेतन के 50% की दर से अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, और नगर प्रतिपूर्ति भत्ता अनुमत होगा।

विदेशी सहायता प्राप्त जल संसाधन और सिंचाई परियोजनायें

[अनुवाद]

52. **श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की विदेशी सहायता प्राप्त जल संसाधन और सिंचाई परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्णय किया है;

(ख) देश में विदेशी सहायता प्राप्त जल संसाधन और सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त परियोजनाओं में से प्रत्येक किस स्थिति में है; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) जी हां। ब्यौरा देते हुए विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, वित्त पोषण तथा कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। संलग्न विवरण में उल्लिखित सिंचाई तथा जल संसाधन परियोजनाएं, जो बाह्य अभिकरणों द्वारा वित्तपोषित की जा रही हैं, सभी निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	परियोजना की अवधि/क्रेडिट समाप्ति की तिथि	सहायता की मात्रा
1	2	3	4
विश्व बैंक			
1.	आंध्र प्रदेश कम्पोजिट सिंचाई-II परियोजना	30-6-94	271 मिलियन अमे० डालर
2.	बिहार सार्वजनिक नलकूप परियोजना	31-5-94	68 मिलियन अमे० डालर

1	2	3	4
3.	गुजरात मध्य सिंचाई-II परियोजना	31-12-90	172 मिलियन अमे० डालर
4.	सरदार सरोवर बांध तथा विद्युत	30-6-95	300 मिलियन अमे० डालर
5.	सरदार सरोवर-जल वितरण तथा जल निकास परियोजना (गुजरात)	02-7-90	150 मिलियन अमे० डालर
6.	हरियाणा सिंचाई-II परियोजना	31-3-91	150 मिलियन अमे० डालर
7.	महाराष्ट्र कम्पोजिट सिंचाई-III परियोजना	30-6-91	160 मिलियन अमे० डालर
8.	महाराष्ट्र जल उपयोग परियोजना	31-8-90	547 मिलियन अमे० डालर
9.	मध्य प्रदेश वृहद सिंचाई परियोजना	30-6-90	220 मिलियन अमे० डालर
10.	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना	31-3-90	114 मिलियन अमे० डालर
11.	पेरियार वैगई सिंचाई-II परियोजना	30-4-90	35 मिलियन अमे० डालर
12.	अपर गंगा आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजना	30-9-91	125 मिलियन अमे० डालर
13.	दूसरी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक नलकूप परियोजना	31-3-91	101 मिलियन अमे० डालर
14.	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना	31-3-91	99 मिलियन अमे० डालर
15.	अपर कृष्णा सिंचाई-II परियोजना	31-12-96	325 मिलियन अमे० डालर
16.	पंजाब सिंचाई तथा जल निकास परियोजना	31-3-98	165 मिलियन अमे० डालर
संयुक्त राज्य अमेरिका			
1.	मध्य प्रदेश लघु सिंचाई परियोजना	30-6-91	46 मिलियन अमे० डालर
2.	महाराष्ट्र लघु सिंचाई	30-6-91	50 मिलियन अमे० डालर
3.	पहाड़ी क्षेत्र भूमि या जल विकास परियोजना	30-9-91	52 मिलियन अमे० डालर
4.	जल संसाधन प्रबन्ध तथा प्रशिक्षण परियोजना	30-9-92	51 मिलियन अमे० डालर
नीदरलैंड सरकार			
1.	तुंगभद्रा चाक जल प्रबन्ध परियोजना	2½ वर्ष	2.3 मिलियन डी० एफ० एल०
2.	खारलैंड पुनरूद्धार परियोजना	30-6-91	1.5 मिलियन डी० एफ० एल०
3.	उत्तर प्रदेश नलकूप परियोजना	3 वर्ष	90.00 मिलियन डी० एफ० एल०
4.	जल प्रबन्ध में प्रशिक्षण (चरण-II)	2 वर्ष	5.588 मिलियन डी० एफ० एल०

1	2	3	4
जापान (ओ० ई० सी० एफ०)			
1.	अपर इंदरावती सिंचाई परियोजना	5 वर्ष	3.744 मिलियन येन
2.	अपर कोलाब सिंचाई परियोजना	5 वर्ष	3.769 मिलियन येन
3.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए इंजीनियरिंग सेवा	एक वर्ष	84.00 मिलियन येन
ई० ई० सी			
1.	जल नियंत्रण प्रणाली (महाराष्ट्र)		15.00 मिलियन ई० सी० यू०
2.	तमिलनाडु टैंक सिंचाई (चरण-I)	31-03-91	25.00 मिलियन ई० सी० यू०
3.	तमिलनाडु टैंक सिंचाई (चरण-II)	31-10-95	24.5 मिलियन ई० सी० यू०
4.	आंध्र प्रदेश सिंचाई परियोजनाएं	30-06-91	30.0 मिलियन ई० सी० यू०
एफ० आर० जी०			
1.	राजस्थान लघु सिंचाई	31-12-93	15.00 मिलियन डी० ए०
कनाडा			
1.	राजस्थान कृषि संबंधी जल निकास अनुसंधान परियोजना	31-12-95	57.54 मिलियन कनेडियन डालर
आई० एफ० ए० डी०			
1.	उत्तर प्रदेश नलकूप परियोजना	31-03-91	35.3 मिलियन आई० एफ० ए० डी० डालर

विदेशी पर्यटकों का आगमन

53. डा० दौलतराव सोनूजी अहेर : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत वर्ष के दौरान आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और थाइलैंड से आए पर्यटकों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है; और

(ग) इन देशों से और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह): (क) और (ख) गत 3 वर्षों के दौरान

आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और थाइलैंड से भारत आए विदेशी पर्यटकों की संख्या तथा प्रतिशत अन्तर नीचे दिए गए हैं :

देश	पर्यटकों की संख्या			अन्तर	
	1987	1988	1989	1988/87	1989/88
आस्ट्रेलिया	32,883	31,462	30,443	—4.3	—3.2
न्यूजीलैंड	7,265	7,775	8,141	7.0	4.7
सिंगापुर	26,380	27,565	29,377	4.5	6.6
थाइलैण्ड	9,586	9,910	10,576	3.4	6.7

(ग) इन देशों से पर्यटकों का आगमन बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत-से संवर्धनात्मक अभियान शुरू किए हैं। इन अभियानों में ये सम्मिलित हैं –इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रत्यक्ष उपभोक्ता विज्ञापन, संवर्धनात्मक सेमिनारों का आयोजन, परिचायक यात्राओं के संबंध में यात्रा लेखकों, फोटोग्राफरों को आमंत्रण, विशेष उत्पाद का विज्ञापन और निजी संपर्क कार्यक्रम। वर्ष 1991 को "भारत पर्यटन वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है ताकि देश में पर्यटन के प्रति चेतना जागृत की जा सके और पर्यटक गन्तव्य के रूप में भारत की छवि विदेशों में सुधारी जा सके।

कुवैत के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का प्रस्ताव

54. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुवैत के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के उस प्रस्ताव पर ध्यान दिया है जिसमें कहा गया है कि यदि एक निर्धारित तारीख तक इराक कुवैत से हटने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ सभी आवश्यक उपाय किये जाएं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की वास्तविक शर्तें क्या हैं;

(ग) उक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के इस आशय के संकल्प पर ध्यान दिया है कि "वह कुवैत की सरकार के साथ सहयोग करने वाले सदस्य राज्यों को यह अधिकार देता है कि अगर इराक 15 जनवरी तक या उससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्पों का पूरी तरह पालन न करे तो वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्पों के सम्मान और उसके क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक तरीकों से काम लें।

(ग) से (ङ) भारत सरकार ने कुवैत से इराकी फौजों की बिना शर्त पूर्णतः वापसी के

लिए और कुवैत की संप्रभुता तथा स्वाधीनता की बहाली के लिए बराबर मांग की है। भारत सरकार का मत यह है कि खाड़ी में संकट को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाना चाहिए।

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर जुर्माने की राशि को कम करना

55. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी :**

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :

श्री बालेश्वर यादव :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में प्रदूषण बनाने वाले वाहनों पर जुर्माने की राशि को कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, नहीं। सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूमिहीन कृषक

56. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूमिहीन कृषकों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार की उन्हें भूमि देने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में भूमिहीन कृषकों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फिर भी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अन्य बातों के साथ-साथ "उपभोक्ता व्यय और रोजगार तथा बेरोजगारी" पर अपने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 38वें राउंड (जनवरी-दिसम्बर, 1983) में परिवारों द्वारा स्वामित्व में रखी गयी भूमि से संबंधित सूचनां एकत्र की थी। इस सर्वेक्षण के अनुसार, अनुमान है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में स्वरोजगार परिवारों और कृषि श्रमिक परिवारों में 29.76 लाख ऐसे परिवार थे, जिनके पास 0.01 एकड़ से भी कम भूमि थी (स्वामित्व वाली और बिना स्वामित्व वाली वास भूमि के साथ)।

(ख) और (ग) पिछले वर्षों के दौरान सरकार ने भूमिहीन ग्रामीण गरीबों को भूमि का वितरण करने हेतु अनेक प्रयास किए हैं। फिर भी, देश में भूमिहीन कृषकों की संख्या को देखते हुए, सभी को भूमि का वितरण करना संभव नहीं दिखता।

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन लगाने या शिफ्ट करने का शुल्क

57. **श्री राम सागर (संबलपुर)** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन लगाने या शिफ्ट करने के लिए बहुत अधिक शुल्क वसूल करता है और बिना ब्याज दिए अनेक महीनों का किराया अग्रिम वसूल करता है और समस्त निःशुल्क कॉलों के इस्तेमाल न किए जाने के लिए न तो छूट देता है न ही उन्हें आगे समायोजित करता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपभोक्ताओं की विभाग के पास जमा राशि पर ब्याज देने, टेलीफोन लगाने या शिफ्ट करने की शुल्क में कमी करने और इस्तेमाल न की गई कालों के लिए या तो नकद राशि देने या इन्हें आगे समायोजित करने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन लगाने/शिफ्ट करने संबंधी प्रभार तथा अग्रिम किराए प्रभार संबंधी नियम वही हैं जो सारे देश में लागू हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार, जिन निशुल्क कालों का उपयोग नहीं किया गया उन्हें न तो आगे समायोजित किया जाता है और न ही उनका वापिस भुगतान किया जाता है।

(ग) ऐसे उपाय किए जाने का कोई विचार नहीं है।

नागालैंड में नये डाकघरों और उप डाकघरों का खोला जाना

58. **श्री शिकिहो सेमा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागालैंड राज्य में इस समय कुल कितने डाकघर और उप डाकघर काम कर रहे हैं और वर्ष 1990-91 के दौरान कितने नये डाकघर और उप डाकघर खोले जाने की संभावना है; और

(ख) इसके लिए कितने बजट की व्यवस्था की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) नागालैंड में एक प्रधान डाकघर, 37 विभागीय उप डाकघर और 230 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर हैं।

विभाग इस समय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से सातवीं योजना के कार्यक्रम का मूल्यांकन कर रहा है ताकि उक्त मूल्यांकन के आधार पर 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपनाए जाने वाले मानदण्ड निर्धारित किए जा सकें। अन्य राज्यों की भांति नागालैंड के लिए भी बजट प्रावधानों सहित वास्तविक कार्यक्रम को इस कार्य के पूरा होने पर अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

पारादीप पत्तन में नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करना

59. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप पत्तन में नैमित्तिक मजदूरों की संख्या कितनी है और वे कब से नैमित्तिक मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं; और

(ख) उन्हें नियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) पारादीप पत्तन न्यास ने 1 नवम्बर, 1980 से विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग ठेकेदारों द्वारा सप्लाई किए गए 415 नैमित्तिक श्रमिकों को, पत्तन न्यास द्वारा सीधे भुगतान हेतु, अपने अधीन ले लिया है। 22-3-1985 को उन्हें पारादीप पत्तन न्यास श्रमिक (रोजगार का विनियम) स्कीम 1985 के अधीन लाए जाने तक उनकी संख्या में समय-समय पर वृद्धि होती रही। पत्तन न्यास द्वारा पात्र नैमित्तिक श्रमिकों को, आधार स्तर के श्रेणी III व IV के पदों पर जब कभी रिक्तियां होती हैं भर्ती किया जाता है, बशर्ते कि वे भर्ती नियमों की शर्तें पूरी करते हों। नैमित्तिक श्रमिकों की मौजूदा संख्या 619 से घटकर 395 हो गई है।

फसलों का बीमा

60. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने आम, काजू, नारियल और सुपारी को फसलों का बीमा आरंभ किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

बलेस देशों की आर्थिक स्थिति

[हिन्दी]

61. **श्री हांरकेवल प्रसाद** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में माले में आयोजित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की पांचवी शिखर बैठक में सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए निर्णय लिया गया था;

(ख) क्या इस निर्णय के कारण हमारे देश की निर्यात-आयात स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां। माले में हाल ही में सम्पन्न दक्षिण एशियायी क्षेत्रीय सहयोग एसोसियेशन के पांचवें शिखर सम्मेलन में कुछ निर्णय लिए गए थे, जिनसे आगे चलकर सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने में सहायता मिल सकती है।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

अभी इस स्थिति में उपर्युक्त (क) में बताए गए निर्णयों और अपने देश की आयात-निर्यात

स्थिति में कोई मेल नहीं बिठाया जा सकता क्योंकि अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है कि जिसके बारे में यह कहा जा सके कि इसका ऐसा अंजाम होगा ।

पाकिस्तानी नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों का अपहरण

62. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी नौसेना ने गत तीन महीनों के दौरान कच्छ की खाड़ी से कुछ भारतीय मछुआरों का अपहरण किया है;

(ख) यदि हां, तो कितने ?

(ग) उनके अपहरण के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मछुआरों की रिहाई के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की समुद्रीय सुरक्षा एजेन्सी ने पिछले तीन महीनों में पाकिस्तान के प्रादेशिक समुद्र में कथित रूप से मछली पकड़ने के लिए 20 नावें पकड़ी हैं जिनमें कुल मिलाकर 13 मछेरों के चालक दल थे ।

(घ) उनकी रिहाई और प्रत्यावर्तन का मामला करांची स्थित हमारे राजदूतावास द्वारा तथा 17 से 20 दिसम्बर, 1990 तक इस्लामाबाद में हुई विदेश सचिव स्तर की बैठक में भी पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया गया था।

अम्मान के आस-पास के शिविरों में भारतीय शरणार्थी

[अनुवाद]

63. **श्री यादवेन्द्र दत्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत से गये अम्मान के आस-पास के विभिन्न शिविरों में भारतीय शरणार्थियों को भोजन और पानी की कमी तथा उनके भारत लौटने के अपर्याप्त प्रबंधों के कारण भारी असुविधा हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय दूतावास के कर्मचारियों, जिन्होंने इन शरणार्थियों को परिचालित पासपोर्ट परिपत्रों को एकत्रित किया उन्होंने इन परिपत्रों को भरने में भी उनकी सहायता नहीं की;

(ग) क्या यह भी सच है कि वहां की यात्रा पर गये मंत्रियों ने भी उनसे किये गये वायदे समय पर पूरे नहीं किये, जिस कारण उनकी कठिनाइयों में अधिक वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इन शिविरों में भारतीय शरणार्थियों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न और पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने तथा उन्हें भारत वापस लाने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) शरणार्थियों की अत्यधिक संख्या के कारण खाद्यान्नों तथा पानी की कुछ कमी हो गई थी ।

(ख) अम्मान स्थित भारत के राजदूतावास के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने वहां से लौटने वाले लोगों को फार्म भरने तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी कराने में सभी संभव सहायता दी।

(ग) और (घ) मौजूदा स्थितियों में दिए गए वचनों को यथासंभव पूरा किया गया था।

(ङ) कुवैत गए भारतीय राष्ट्रिकों को यथासंभव सहायता देने के लिए भारत सरकार जार्डन की सरकार के साथ निकट सम्पर्क में रही। जार्डन सरकार को एक करोड़ रु० मूल्य के खाद्यान्न और दवाइयों के रूप में सहायता सामग्री भेजी गई थी और बाहर आने वाले वायुयान शिविरों के लिए पानी की बोतलें ले गए थे।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत पक्की छोटी नहरें और नालियां

[हिन्दी]

64. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी नहर परियोजना व चम्बल क्षेत्र के अन्तर्गत सन् 1974 से पक्की नहरें और नालियों (लाइन्ड वाटर कोर्सेस) के निर्माण के लिए किसानों को बैंकों ने कुल कितना कर्ज दिया व उस पर ब्याज की देनदारी कितनी बनती है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने इस व्यय को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व बैंकों में विभाजित करके किसानों को इस खर्च से मुक्त करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) वर्ष 1974 से दिसम्बर, 1989 तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा चम्बल क्षेत्र में पक्के जलमार्गों के निर्माण पर कृषकों को अग्रिम रूप में दिए गए कुल बैंक ऋण तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज लगभग 110 करोड़ रुपए है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस मामले की जल संसाधन मंत्रालय में जांच की गई थी। मंत्रालय ने कर्ज माफ करने में अपनी असमर्थता के बारे में बता दिया है क्योंकि इस मंत्रालय के अधीन ऐसी कोई स्कीम नहीं है जो इस उद्देश्य के लिए सहायता कर सके।

इजरायल के साथ सम्बन्ध

[अनुवाद]

65. **श्रीमती जयवन्ती मनीनचंद्र मेहता** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत 6 महीनों के दौरान सरकार ने इजरायल के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इस समय इजरायल के साथ भारत के राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं। इस स्थिति में परिवर्तन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। सरकार का मत है कि इजरायल के साथ सम्बन्धों की बेहतरी का सवाल इस बात से जुड़ा हुआ है कि फिलिस्तिनियों का मामला वास्तव में किस हद तक आगे बढ़ता है।

कपास का उत्पादन

66. *श्री काबम्बुर एस० आर० अनार्दनन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कपास के उत्पादन का कितना लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है; और

(ख) गत वर्ष कपास का कितना उत्पादन हुआ था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) राज्यों से वर्ष 1990-91 के लिए कपास के उत्पादन के अनन्तिम अनुमान अभी देय नहीं हुए हैं। फिर भी, वर्तमान अनुमान के अनुसार लक्षित 115 लाख गांठों की तुलना में कपास का उत्पादन लगभग 106 गांठें होने की संभावना है।

(ख) 1989-90 के दौरान कपास का उत्पादन 114.14 लाख गांठें थीं।

सी-डॉट टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

[हिन्दी]

67. **श्री काशीराम राणा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में टेलीफोनों की मांग पूरी करने के लिए सी-डॉट तकनीक शुरू करने का निर्णय लिया था; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी सी-डॉट स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान 180 सी-डॉट एक्सचेंज संस्थापित किए गए। 1990-91 के दौरान नवम्बर, 1990 तक 169 सी-डॉट एक्सचेंज चालू किए जा चुके थे।

आन्ध्र प्रदेश में तूफान प्रवण क्षेत्र

[अनुवाद]

68. **श्रीमती टी० मनेम्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में तूफान प्रवण क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में लोगों को तूफान की विभीषिका से बचाने के लिए क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सभी नौ समुद्र तटीय जिले समुद्री तूफान प्रवण हैं।

वे जिले हैं : नैल्लोर, प्रकाशम, गुंटूर, कृष्णा, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, विशाखापत्तनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम । इन जिलों में दीर्घावधि समुद्री तूफान से बचाव एवं समुद्री तूफान आश्रय बनाने के उद्देश्य से इन जिलों को तटीय रेखा से 0-5 कि० मी०, 5-10 कि० मी०, 10-12 कि० मी० और 10-20 कि० मी० के खंडों में विभाजित कर दिया गया है ।

(ग) सावधानी के तौर पर उठाए गए कदमों में पूर्व चेतावनी प्रणाली आश्रय पट्टी वनरोपण, समुद्री तूफान आश्रय, समुद्री तूफान आपातिक योजनाएं एवं साइक्लोन स्टोर सम्मिलित हैं।

राजस्थान और महाराष्ट्र में स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक

[हिन्दी]

69. श्री हरिशंकर महाले : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और राजस्थान में से प्रत्येक राज्य के भ्रमण के लिए आये स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) इन राज्यों में पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन राज्यों में और अधिक संख्या में स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इनमें और अधिक पर्यटन स्थलों का विकास करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकों से प्रत्येक राज्य को कितनी आय प्राप्त हुई ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1988 और 1989 के दौरान महाराष्ट्र तथा राजस्थान की यात्रा करने वाले स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या इस प्रकार है :

(संख्या लाखों में)

	1988		1989	
	स्वदेशी	विदेशी	स्वदेशी	विदेशी
महाराष्ट्र	37.54	5.70	38.64	6.28
राजस्थान	34.93	3.66	38.33	4.15

(ख) सामान्यत: इन दोनों राज्यों में आवास, परिवहन, खरीदवारी, मनोरंजन, आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ग) सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके विस्तार परिपथ निर्धारित किए हैं ताकि अवकाश पर्यटन, वन्य जीव पर्यटन, आदि के लिए आधार-संरचनात्मक सुविधाओं का विकास किया जा सके ।

(घ) विदेशी मुद्रा आय और स्वदेशी पर्यटकों से होने वाली आय के राज्य-वार अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

दक्षेस राष्ट्रों में मैत्री समितियां

[अनुवाद]

70. **श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षेस देशों के लोगों को जोड़ने वाली मैत्री समितियों को बढ़ावा देने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सरकार दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों को बढ़ावा देने को अत्यधिक महत्व देती है और इसी उद्देश्य के लिए जागरूकता और जनमत पैदा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। अतः सरकार जनता के स्तर पर मैत्री समितियां बनाने की पहलकदमियों का स्वागत करेगी।

केरल के पश्चिमी घाटों की सर्वेक्षण रिपोर्ट

71. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल के इडुक्की जिले सहित पश्चिम घाट के सम्बन्ध में पर्यटन की संभावना के बारे में कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को केरल के इडुक्की और अन्य पर्वतीय जिलों में पर्यटन का विकास करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती ऊषा सिंह) : (क) और (ख) पश्चिमी घाटों पर पूरी रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि केरल के इडुक्की जिले पर विशेष रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है और उसे राज्य सरकार को भेज दिया गया है। रिपोर्ट की सिफारिशों में भूमि उपयोग योजनाओं की तैयारी, साइलेंट वैली में पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था, सड़क और आवासीय सुविधाओं का निर्माण आदि शामिल हैं। ऐसी स्कीमों की साध्यता और प्राथमिकताओं का मूल्यांकन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

(ग) और (घ) सातवीं योजनावधि के दौरान, केरल के पहाड़ी जिलों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बहुत-सी स्कीमों को सहायता प्रदान की गई थी। इनमें वायनाद में मार्गस्थ सुविधाएं और आवास, थेकड़ी हेतु नौकाएं, पारम्बिकुलम में वन गृह, वायनाद बांध के लिये मिनी बसें,

आदि शामिल हैं। तथापि, वर्ष के दौरान इडुक्की और पहाड़ी जिलों के विकास के लिये केरल सरकार से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पान के पत्तों का उत्पादन

72. **श्री सुधीर गिरि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्ष-वार देश में कुल कितने मूल्य के पान के पत्तों का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का पान के पत्तों के उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पान के पत्तों के उत्पादकों के कल्याण हेतु अब तक सरकार द्वारा क्या उपाय किए गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान पान के पत्तों के कुल उत्पादन का मूल्य उपलब्ध नहीं है। तथापि पान के पत्तों की खेती का वार्षिक कारोबार लगभग 700 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पान के पत्ते उन जिन्सों में शामिल नहीं हैं जिनके लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विचार किया जाता है।

(घ) पान के पत्तों के उत्पादकों के कल्याण के लिए उन्नत कृषि तकनीकों का प्रदर्शन करना, अच्छी किस्म के पौध रोपण सामग्री की आपूर्ति के लिये जर्मप्लाज्म में सुधार करना, रियायती दर पर आदानों की आपूर्ति करना, लीफ्लेट्स का वितरण करना, आदि जैसे विभिन्न उपाय किये गये हैं।

कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए डीजल

73. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल की कमी के कारण रबी की फसल बुवाई पर तथा कृषि उत्पादों को बाजार में लाने-ले जाने और उपभोक्ताओं पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) देशभर में खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाये गये हैं। चूंकि खुदरा बिक्री केन्द्रों को हाई स्पीड डीजल, खरीफ कटाई मौसम और रबी बुवाई मौसम के साथ-साथ निर्मुक्त किया गया, अतः तेल कंपनियों को राज्य स्तरीय समन्वयकों को राज्य सरकारों की सलाह से कृषि की मांग की पूर्ति प्राथमिकता के आधार पर करने के अनुदेश जारी किये गये थे। अधिकांश राज्यों में कृषि कार्यों और फार्म उत्पादों के परिवहन के लिये प्राथमिकता के

आधार पर आवंटन किया गया था। फिर भी कुछ राज्यों में रबी बुवाई और फार्म उत्पादों का परिवहन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ। खुदरा बिक्री केन्द्रों को की जाने वाली हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति से प्रतिबंध उठा लिया गया है, जिससे देश के परिवहन एवं कृषि क्षेत्र को राहत मिली है।

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में दूरसंचार और डाक सेवाओं का विकास

74. **श्री वसंत साठे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में दूरसंचार और डाक सेवाओं का गहन और समेकित आधार पर विकास करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यान्वयनाधीन/अगले तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वित किए जाने वाले प्रस्तावों और इस कार्य के लिए आवंटित/प्रस्तावित आवंटन का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आठवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कोई प्रशिक्षण/अनुसंधान संस्थान, संचार उपकरण निर्माण इकाई स्थापित करने का विचार है; और

(घ) वर्धा जिले में अगले तीन वर्षों के दौरान उपलब्ध की जाने वाली दूरसंचार सुविधा का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) :(क) दूरसंचार सेवाओं से संबंध में –जी हां। डाक सेवाओं के संबंध में—नए डाकघर खोलने के मानदण्डों की इस समय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के साथ मिलकर समीक्षा की जा रही है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही महाराष्ट्र (विदर्भ क्षेत्र सहित) और अन्य राज्यों के साथ-साथ डाक नेटवर्क के विस्तार के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) आगामी 3 वर्षों के दौरान उपस्कर उपलब्ध होने पर 3 मुख्य इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज और 13 इलैक्ट्रानिक ग्रामीण आटो एक्सचेंज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

विवरण

जिला	कार्यान्वयन के अधीन प्रस्ताव	अन्य प्रस्ताव (13 वर्ष)	वित्तीय प्रावधान के आंकड़े हजारों में	
			बीता गया प्रावधान	प्रस्तावित प्रावधान
1	2	3	4	5
अकोला	12	7	23321	19700
अमरावती	15	19	14665	41900

1	2	3	4	5
भंडारा	1	28	9077	61900
बुल्डाना	11	38	4300	58100
चन्दरपुर	7	12	20641	42379
गढचिरोली	3	5	1100	18000
नागपुर	19	36	67319	233577
नवतकाल	5	31	2100	52610
वर्धा	3	8	1100	49300

उड़ीसा में पर्यटन क्षमता का उपयोग

75. **श्री शिवाजी पटनायक** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा के समुद्र-तटों, चिल्का और अंशुपा झीलों, राष्ट्रीय पार्कों, पक्षी अभयवनों, हरे-भरे वनों, पहाड़ी स्थलों, जल प्रपात में, ऐतिहासिक और पुरातत्व संबंधी स्थानों आदि के पर्यटन क्षमता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार इस अल्प उपयुक्त क्षमता का दोहन कर, पर्याप्त विदेशी-मुद्रा अर्जित करने के लिए, क्या कदम उठा रही है; और

(ग) क्या राज्य में इन पर्यटन स्थलों का विकास करने के लिए समुचित योजनाएं लागू करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यटन संभाव्यता का विकास करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। पर्यटन मंत्रालय राज्यों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों, प्रत्येक मामले के गुण-दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए, वित्तीय सहायता देता है। देश में पर्यटन की सम्भावना, जिसमें उड़ीसा राज्य देश में भी सम्मिलित है, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए और दोहन किया जा सकता है। मंत्रालय ने सातवीं योजना के दौरान 19 परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की है और 1990-91 के लिये उड़ीसा सरकार को वित्तीय सहायता देने के वास्ते 11 स्कीमों की प्राथमिकता निर्धारित की गई है।

दूरसंचार सलाहकार समिति का पुनर्गठन

76. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न स्तरों पर दूरसंचार सलाहकार समितियों के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) जी हां। विभिन्न दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है और इन्हें जल्दी ही पुनर्गठित कर दिए जाने की आशा है।

हसन जिले में ताल्लुकों को एस० टी० डी० से जोड़ना

77. श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के हसन जिले में सभी ताल्लुक एस० टी० डी० टेलीफोन सुविधा से जुड़े हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कौन-कौन से ताल्लुकों में एस० टी० डी० उपलब्ध नहीं है और इन्हें कब तक एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ दिया जाएगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी नहीं।

(ख) अभी तक केवल हसन में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जा सकी है।

(ग) शेष तालुका क्षेत्रों में चालू योजना अवधि के दौरान एस० टी० डी० प्रदान करने का प्रस्ताव है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में महानिदेशक का रिक्त पद

78. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में महानिदेशक का पद गत छः महीने से रिक्त पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पद को भरने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) महोदय, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार के सचिव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप मे काम करते हैं। इस समय कृषि और सहकारिता विभाग के सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग का काम देख रहे हैं।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार के सचिव पद के लिये उम्मीदवार का चयन करे।

बिहार के सूखा-प्रवण क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधनों का अध्ययन

[हिन्दी]

79. श्री जनार्दन यादव : क्या संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान बिहार के सूखा प्रवण क्षेत्रों में भूमिगत जल संसाधनों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1990-91 में बिहार के गोड्डा, देवघर और दुमका जिलों को भूमिगत जल संसाधन विकास योजना में शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीय) : (क) और (ख) बिहार के सूखा-प्रवण क्षेत्रों में भूजल अध्ययन पहले ही पूरे किये जा चुके हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान, दुमका जिले के 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जलभूवैज्ञानिक पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। पलमऊ तथा गोड्डा सूखा-प्रवण जिलों में भूजल के वास्ते अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग की जा रही है ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार उपलब्ध भूजल संसाधनों के विकास के लिए जल संसाधन परियोजनाओं की योजना तैयार करती है तथा उसे क्रियान्वित करती है ।

केन्द्रीय मत्स्यन प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट

[अनुवाद]

80. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय मत्स्यन तकनीकी संस्थान को कालीकट से केरल स्थित कोचीन में स्थानान्तरित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) महोदय, कालीकट स्थित केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान के अनुसंधान केन्द्र को बन्द करने का प्रस्ताव है, पर इस संस्थान का विस्तार सेल कालीकट में काम करता रहेगा।

(ख) अनुसंधान केन्द्र की उपयोगिता अब समाप्त हो गई है।

बिहार के समस्याग्रस्त गांवों के लिए स्वच्छ पेय जल

81. **श्री प्रताप सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सभी समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और बिहार के सभी समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेयजल सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह): (क) और (ख) 1-4-85 को बिहार में पता लगाये गये 9199 समस्याग्रस्त गांवों मे से सातवीं योजना के

दौरान 1-4-90 को 44 "बिना जल स्रोत वाले" समस्याग्रस्त गांवों को छोड़कर 9155 गांवों में पूर्ण रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया गया था।

(ग) बजट संसाधनों की कमी के कारण सभी गांवों में पूर्ण रूप से पेयजल सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं। "बिना जल स्रोत वाले" सभी 44 गांवों में 31-3-91 तक स्वच्छ पेयजल सुविधायें उपलब्ध करा दी जाएंगी। आंशिक रूप से कवर किये गये सभी गांवों में 31-3-92 तक पूर्ण रूप से पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन की कैप्रोलैक्टम परियोजना प्रारम्भ करना

82. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावणकोर लिमिटेड, कोचीन को कैप्रोलैक्टम परियोजना बन कर पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक चालू होगी;

(ग) इस परियोजना की कुल लागत कितनी है;

(घ) क्या परियोजना के अनुमानित व्यय में कोई वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस परियोजना के पूरा होने में देरी के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) और (ख) कैप्रोलैक्टम परियोजना पहले ही 25-10-1990 से चालू कर दी गई है।

(ग) परियोजना के संशोधित लागत अनुमान लगभग 376.5 करोड़ रु० है।

(घ) और (ङ) जी हां, 315 करोड़ रु० के अनुमोदित अनुमान नवम्बर, 1987 के मूल्यों पर आधारित थे, जबकि फेक्ट ने जून, 1990 में मूल्यों के आधार पर 376.5 करोड़ रु० की संशोधित लागत कर अनुमान लगाया है। फेक्ट के अनुसार, 61.50 करोड़ रु० की वृद्धि के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं—

	(रु० करोड़)
(1) सामग्री तथा श्रमिकों की लागत में वृद्धि	6.10
(2) विदेशी मुद्रा की दरों में अन्तर	14.31
(3) करों, शुल्कों तथा उत्पादन पूर्व ब्याज की दर में वृद्धि	23.10
(4) कार्य क्षेत्र में परिवर्तन	1.49
(5) विविध (वेतन और मजदूरी, आरंभ करने के दौरान ईंधन तेल की लागत, आरंभ-पूर्व आदि में वृद्धि)	16.50
योग	61.50 करोड़

(च) आयातित मदों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने में विलम्ब, महत्वपूर्ण उपस्कर और सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब तथा संस्थापन में भी विलम्ब के कारण परियोजना के आरंभण में 24 महीनों का विलम्ब हुआ।

सिद्धमुख, नोहर फीडर और लिंक नहर परियोजना

[हिन्दी]

83. **श्री बेगाराम चौहान** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सिद्धमुख, नोडर फीडर और लिंक नहर परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का राजस्थान सरकार को इन नहरों के निर्माण के लिए कोई आर्थिक सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) सिद्धमुख और नोहर परियोजनाओं की निवेश स्वीकृति योजना आयोग द्वारा जुलाई, 1990 में प्रदान की गई और इसके बाद ही राज्य सरकार इन परियोजनाओं को प्रारम्भ कर सकी। इंदिरा गांधी पोषक और गंग नहर को जोड़ने वाला लिंक चैनल पूर्ण होने को है।

(ग) और (घ) ये परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा अपनी राज्य योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य योजना को ब्लॉक ऋणों और ब्लॉक अनुदानों के रूप में सहायता प्रदान करती है जो किसी भी स्कीम, क्षेत्र अर्थात् विकास से संबंधित नहीं होती।

विभिन्न परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक क्षमता का अध्ययन करने संबंधी सलाहकार समिति

[अनुवाद]

84. **श्री भजमन बेहेरा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई बड़ी और मध्यम दर्जे की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं बहुद्देशीय परियोजनाओं को पूंजी निवेश संबंधी मंजूरी हेतु योजना आयोग को भेजने से पहले उनकी तकनीकी-आर्थिक क्षमता पर विचार करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार वर्ष 1989-90 और 1990-91 (30 अक्तूबर, 1990 तक) के दौरान ऐसी कितनी परियोजनाएं विचार के लिए प्राप्त हुईं और मंजूरी के लिए कितनी परियोजनाओं को योजना आयोग के पास भेजा गया;

(ग) उपयुक्त अवधि के दौरान उड़ीसा से ऐसी कितनी परियोजनाएं प्राप्त हुईं और कितनी परियोजनाओं को योजना आयोग की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई;

(घ) क्या विगत समय में उड़ीसा सरकार ने बहुद्देशीय भीमकुण्ड परियोजना प्रस्तुत की थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई अथवा करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) शून्य।

(घ) और (ङ) भीमकुण्ड बहुप्रयोजनी परियोजना चरण-I के लिए 349.29 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का परियोजना प्रस्ताव जून, 1980 में प्राप्त हुआ था जिसे जांच के बाद केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना न किए जाने के कारण अक्तूबर, 1983 में राज्य सरकार को लौटा दिया गया था।

विवरण

कुछ टिप्पणियों की अनुपालना के अध्यधीन परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार की गई तथा स्वीकार्य पाई गई नई एवं संशोधित परियोजनाओं (राज्यवार) की संख्या

क्रम सं०	राज्य	विचार की गई और स्वीकार्य पाई गई परियोजनाओं की संख्या 1989-90 के दौरान					
		वृहद सिंचाई/ बहुप्रयोजनी		मध्यम सिंचाई		बाढ़ नियंत्रण	
		विचार की गई	स्वीकार्य पाई गई	विचार की गई	स्वीकार्य पाई गई	विचार की गई	स्वीकार्य पाई गई
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	असम	—	—	—	—	1	—
2.	बिहार	1	1	1	1	—	—
3.	गुजरात	—	—	—	—	—	—
4.	जम्मू तथा काश्मीर	—	—	2	2	—	—
5.	केरल	1	1	—	—	—	—
6.	मध्य प्रदेश	1	1	1	—	—	—
7.	महाराष्ट्र	6	6	1	1	—	—
8.	मणिपुर	—	—	1	1	—	—
9.	मेघालय	—	—	1	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	पंजाब	4	4	—	—	—	—
11.	राजस्थान	3	3	—	—	—	—
12.	तमिलनाडु	2	2	1	1	—	—
13.	उत्तर प्रदेश	2	1	—	—	2	—
14.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—
15.	गोआ, दमन व द्वीव	1	1	—	—	—	—
	कुल	21	20	8	7	3	—

1990-91 के दौरान (10/91 तक)

वृहद सिंचाई/ बहुप्रयोजनी		मध्यम सिंचाई		बाढ़ नियंत्रण	
विचार की गई	स्वीकार्य पाई गई	विचार की गई	स्वीकार्य पाई गई	विचार की गई	स्वीकार्य पाई गई
9	10	11	12	13	14
1	—	—	—	1	1
1	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	1	1
1	—	—	—	—	—

9	10	11	12	13	14
2	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	1
—	—	—	—	—	—
5	1	1	1	3	3

हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

[हिन्दी]

85. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान हिमाचल प्रदेश में कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाए जायेंगे; और

(ख) 30 नवम्बर, 1990 तक मंडी और शिमला डिवीजन में कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए हैं और किन-किन स्थानों पर लगाए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) हिमाचल प्रदेश परिमण्डल में वर्ष 1990-91 के दौरान संस्थापित किए जाने सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या 80 है।

(ख) (i) मण्डी डिवीजन में 30-11-1990 तक खोले गए सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या 8 है।

(ii) शिमला डिवीजन में 30-11-1990 तक खोले गए सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या 10 है।

सतलुज-यमुना लिंक नहर

[अनुवाद]

86. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतलुज-यमुना लिंक नहर की कुल लम्बाई कितनी है और पंजाब तथा हरियाणा में नहर की लम्बाई कितनी-कितनी पड़ती है;

(ख) इस परियोजना की प्रारम्भिक लागत कितनी थी और इसके निर्माण पर कुल कितना खर्च होने की संभावना है; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार का इस परियोजना को अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-सूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) 212 किलोमीटर, जिसमें से नई नहर का 121 किलोमीटर पंजाब में आता है तथा 91 किलोमीटर

हरियाणा में आता है (75 कि० मी० नई नहर और 16 कि० मी० पुरानी नहर का आधुनिकीकरण इसमें शामिल है)।

(ख) तीसरे संशोधित अनुमान के आधार पर इस परियोजना पर आने वाला संभावित व्यय 499 करोड़ रुपये है। जैसा कि वर्ष 1985 में परामर्शदात्री समिति ने स्वीकार किया था, परियोजना की प्रारम्भिक लागत 272 करोड़ रुपये थी।

(ग) जी, नहीं। इस कार्य के लिए केवल केन्द्रीय सरकार धनराशि प्रदान कर रही है।

बांधों की सिंचाई क्षमता

87. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या जल संसाधन मंत्री बांधों की सिंचाई क्षमता के बारे में 29 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3385 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिंचाई के उद्देश्य से बनाए गए ऐसे कितने बांध हैं जिनसे निर्धारित लक्ष्य से कम भूमि की सिंचाई हो रही है; और

(ख) सरकार इन बांधों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सिंचाई के योग्य बनाने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) 26 वृहद और 142 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं छठी योजना के अंत तक पूर्ण की गई जिनका सातवीं योजना के अंत तक 90% से कम उपयोग किया गया।

(ख) किए गए उपायों में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आन-फार्म विकास कार्य, उन्नत जल प्रबन्ध पद्धतियां, आधुनिकीकरण और विद्यमान परियोजनाओं एवं जल बजटीय पद्धतियों का स्थिरीकरण, किसानों का प्रशिक्षण और जल प्रबंध में उनकी सहभागिता सम्मिलित है।

दुग्ध चूर्ण संयंत्रों की स्थापित क्षमता

88. **श्री बाबू भाई मेघजी शाह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न डेयरियों के दुग्ध चूर्ण संयंत्रों की स्थापित और उपयोग क्षमता कितनी है;

(ख) क्या दुग्ध चूर्ण के उत्पादन की स्थापित क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के प्रबन्ध के अधीन कोई दुग्ध चूर्ण संयंत्र नहीं है। दुग्ध चूर्ण संयंत्र ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं ताकि डेरियों द्वारा दूध की अधिप्राप्ति से होने वाले मौसमी उतार-चढ़ावों के फलस्वरूप उत्पादित अतिरिक्त दूध को चूर्ण में परिवर्तित किया जा सके एवं इस बात को दृष्टिगत रखकर ही क्षमता के उपयोग की समीक्षा की जानी चाहिए। जनवरी, 1988, जनवरी, 1989 एवं जनवरी, 1990 तक अतिरेक वाले महीनों के दौरान दुग्ध चूर्ण संयंत्रों की कुल अधिष्ठापित क्षमता तथा क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता निम्नानुसार है—

माह	अधिष्ठापित क्षमता (मीटरी टन/दिन)	उपयोग की गई क्षमता का प्रतिशत
जनवरी, 1988	624.50	70
जनवरी, 1989	654.00	68
जनवरी, 1990	663.00	82

राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी यातायात

89. **श्री जो० के० शेखडा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पिछले दो वर्षों के दौरान भारी यातायात के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन राज्यों में से ये आंकड़े लिए गए; और

(ग) सरकार द्वारा उन राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यातायात के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 के अहमदाबाद-बड़ोदरा खंड पर 1988 में 42900 पी० सी० यू० और 1989 में 47900 पी० सी० यू० तक की अधिकतम यातायात सघनता देखी गई है।

(ख) यह खंड गुजरात राज्य में है।

(ग) अहमदाबाद-बड़ोदरा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा यह निर्माणाधीन है।

पंजाब के होशियारपुर जिले में बाढ़ से प्रभावित गांव

90. **श्री सरजू प्रसाद सरोज** : क्या कृषि मंत्री 17 मई, 1990 के प्रश्न संख्या 9280 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन किसानों को जिन्होंने अपने खेतों से रेत हटाने के लिए पंजाब सरकार से 270 रुपये प्रति घंटे की दर से बुलडोजर किराए पर लिए थे, कोई धनराशि वापस नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा किसानों को इस राशि के शीघ्र भुगतान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

91. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है जिनका गत वर्ष आधुनिकीकरण किया गया था;

(ख) राज्य में हस्तचालित एक्सचेंजों का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या इनके आधुनिकीकरण की कोई समयबद्ध योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) केरल में पिछले वर्ष के दौरान निम्नलिखित एक्सचेंजों को आधुनिक बनाया गया—

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	संस्थापित किया गया इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज
1.	शोरनूर	700 लाइन एन० ई० ए० एक्स०
2.	ओट्टापलम	600 लाइन एन० ई० ए० एक्स०
3.	फेरोके	2048 पोर्ट आई० एल० टी०
4.	कोडोट्टी	512 पोर्ट आई० एल० टी०
5.	अंदरेठ	512 पोर्ट आई० एल० टी०
6.	अंबालापुटा	512 पोर्ट आई० एल० टी०
7.	नेदुनगणडोम	512 पोर्ट आई० एल० टी०
8.	कल्लामबालम	512 पोर्ट आई० एल० टी०
9.	चेलक्कारा	512 पोर्ट आई० एल० टी०
10.	इरिक्कुर	512 पोर्ट आई० एल० टी०
11.	पेरियारम	200 पी० ए० एम० ई० एम० ए० एक्स०

(ख) शून्य।

(ग) और (घ) लागू नहीं होता।

राज्यों में पर्यटन का विकास

92. **श्री शंकर सिंह बघेला :**
डा० ए० के० पटेल :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, बोधगया और वैशाली में पर्यटन का विकास करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों से कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1990-91 के लिए उपयुक्त प्रत्येक स्थान पर पर्यटन का विकास करने हेतु सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित/निर्धारित की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा आज तक औसतन कितने व्यक्तियों का आगमन हुआ ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, पर्यटन मंत्रालय ने निम्नलिखित स्कीमें स्वीकृत की थीं—

1. वाराणसी घाटों का विकास।
2. मथुरा में पर्यटक बंगला।
3. अयोध्या में ओपन-एयर थियेटर और मार्गस्थ सुख-सुविधाएं।
4. बोधगया में गौतम वन का विकास।
5. बोधगया में टायलेट और पेय जल सुविधाएं।

उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों से परामर्श करके, 1990-91 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित स्कीमों की प्राथमिकता निर्धारित की गई थी :

1. अभिषेक पुष्करणी (वैशाली) का विकास।
2. वैशाली में कुटीरें।
3. बोधगया में अल्पाहार-गृह।
4. वैशाली और बोधगया में सार्वजनिक सुविधाएं।

बोधगया में अल्पाहार-गृह 7.84 लाख रु० की लागत पर स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकारों से मिलने वाले प्रस्तावों पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा निधियों का निर्धारण निर्भर करता है।

(घ) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, इन केन्द्रों पर पर्यटक आगमन के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान बोधगया, वैशाली, मथुरा, अयोध्या और वाराणसी में पर्यटक आगमनों के ब्यौरा इस प्रकार हैं—

	पर्यटक आगमन					
केन्द्र	स्वदेशी (1987)	विदेशी	स्वदेशी (1988)	विदेशी	स्वदेशी (1989)	विदेशी
1	2	3	4	5	6	7
बोधगया	345412	60323	514342	16957	458232	8628
वैशाली	उपलब्ध नहीं	305	2479	405	1105	714

1	2	3	4	5	6	7
मथुरा	24982	53	42534	446	48212	642
अयोध्या	6168	99	7991	107	4340	130
वाराणसी	87950	29140	100800	30480	75339	23422

वर्तमान वर्ष 1990 के दौरान अभी तक पर्यटक आगमनों के आंकड़े इस प्रकार हैं—

केन्द्र	पर्यटक आगमन		
	स्वदेशी	विदेशी	
बोधगया	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
वैशाली	496	107	(मार्च तक)
मथुरा	34669	388	(अगस्त तक)
अयोध्या	2725	113	(अगस्त तक)
वाराणसी	49777	31000	(अगस्त तक)

टिप्पणी : मई, 1990 के आंकड़े अनुमानित हैं।

उत्तर प्रदेश में नए डाकघर खोलना

93. **श्री हरीश पाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में इस समय, राज्यवार, कितने डाकघर कार्यरत हैं;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) विभाग अब राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से सातवीं योजना के कार्यक्रम का मूल्यांकन कर रहा है, ताकि उक्त मूल्यांकन के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपनाए जाने वाले मानदंड निर्धारित किए जा सकें। अन्य राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश के लिए वास्तविक कार्यक्रम को इस कार्य के पूरा होने पर अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कार्य कर रहे डाकघरों का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	16265
2.	असम	3602
3.	अरुणाचल प्रदेश	254
4.	बिहार	11180
5.	गोवा	237
6.	गुजरात	8666
7.	हरियाणा	2496
8.	हिमाचल प्रदेश	2553
9.	जम्मू व कश्मीर	1550
10.	कर्नाटक	9636
11.	केरल	4847
12.	मध्य प्रदेश	10868
13.	महाराष्ट्र	11791
14.	मणिपुर	595
15.	मेघालय	446
16.	मिजोरम	322
17.	नागालैंड	262
18.	उड़ीसा	7714
19.	पंजाब	3757
20.	राजस्थान	9804
21.	सिक्किम	155
22.	तमिलनाडु	11973
23.	त्रिपुरा	661

1	2	3
24.	उत्तर प्रदेश	18848
25.	पश्चिम बंगाल	8337
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	97
2.	चंडीगढ़	49
3.	दिल्ली	538
4.	दादर एवं नागर हवेली	33
5.	दमन एवं द्वीप	18
6.	लक्षद्वीप	10
7.	पांडिचेरी	99
		योग 1,47,663

मोरक्को की फर्म से फास्फोरिक एसिड का आयात

[हिंदी]

94. श्री हरीश पाल : क्या कृषि मंत्री 23 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2524 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोरक्को की एक फर्म से तीन लाख टन फास्फोरिक एसिड के आयात के सौदे की जांच करने वाली एजेंसी ने अब तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) और (ख) सी० बी० आई० ने मामले पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है । रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

"ब्लोज" टेलीफोन एक्सचेंज क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शनों के स्थानांतरण के बारे में मानदंड

95. डा० बंगाली सिंह : क्या संचार मंत्री 6 सितंबर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4794 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(क) पूरी क्षमता पर काम कर रहे (फ्रीज) टेलीफोन एक्सचेंज क्षेत्रों में सामान्यतः नये टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी अथ-ा चालू टेलीफोन कनेक्शनों के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाती है। तथापि, अपवादिक मामले में, मामले के गुणावगुणों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर इसकी अनुमति दे सकता है।

(ख) और (ग) चिकित्सकों, सरकारी उच्च अधिकारियों आदि जैसे विशेष वर्ग के उपभोक्ताओं को पूरी क्षमता पर कार्यरत (फ्रीज) टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन की मंजूरी/स्थानांतरण के लिए कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दी जाती है।

(घ) चूंकि लक्ष्मीनगर टेलीफोन एक्सचेंज अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा है अतः सामान्य तौर पर इस एक्सचेंज में टेलीफोन कनेक्शनों को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तथापि किसी विशिष्ट मामले पर उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जा सकता है।

कर्नाटक में डाकघरों के लिए भवन निर्माण

[अनुवाद]

96. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में वर्ष 1989 और 1990 के दौरान डाक घरों के लिए कितने भवन बनाए गए। और

(ख) वर्ष 1991 के दौरान कितने भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) कर्नाटक में वर्ष 1989 के दौरान डाकघरों के लिए 8 और वर्ष 1990 के दौरान 14 भवनों का निर्माण किया गया था।

(ख) 1991 के दौरान डाकघरों के लिए 22 भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है।

"गारलैंड वाटर ग्रिड" योजना

97. **श्री जर्नादन पुजारी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की सभी बड़ी नदियों को जोड़कर एक "गारलैंड वाटर ग्रिड" योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना पर कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय सरकार के पास लंबित कर्नाटक की सिंचाई परियोजनाएं

98. श्री जर्नाधन पुजारी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 दिसम्बर, 1990 तक कर्नाटक की कितनी सिंचाई परियोजनाएं मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लंबित हैं; और

(ख) इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) चार बृहद परियोजनाएं नामशः हिपारगी, करांजा, बेनिथोरा और रामथल लिफ्ट सिंचाई।

(ख) राज्य सरकार को केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन करना है।

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज

99. श्री कैलाश मेघवाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में विद्यमान टेलीफोन एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण करने और नये टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थापित करने के लिए कौन से विशेष प्रस्ताव विचाराधीन हैं;

(ख) राजस्थान में इस समय कितने सार्वजनिक टेलीफोन और कितने लम्बी दूरी की सुविधा वाले सार्वजनिक टेलीफोन कार्य कर रहे है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे कितने टेलीफोन स्थापित किये जाएंगे;

(ग) राजस्थान में इस समय कितने शहरों को एस० टी० डी० टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी सुविधा कितने शहरों में दी जाएगी; और

(घ) राजस्थान में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने-कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का उन्हें टेलीफोन कनेक्शन देने का क्या कार्यक्रम है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

(i) सभी मैनुअल एक्सचेंजों को स्वचालित बनाना।

(ii) ऐसे घिसे पिटे इलैक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को जिनका उपयोगी जीवन समाप्त हो चुका है, को इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों द्वारा बदलना। 651 टैलीफोन एक्सचेंजों को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है।

नये एक्सचेंज

आठवीं योजना के दौरान 263 नये एक्सचेंज संस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) मद	इस समय चालू	8वीं योजना के दौरान संस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित
(i) सार्वजनिक टेलीफोन घर	1914	करीब 7000
(ii) लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन	1781	करीब 8000

(ग) एस० टी० डी० सुविधा युक्त शहरों की संख्या

(i) इस समय जोड़े गए	—	28
(ii) 8वीं योजना के दौरान अतिरिक्त प्रस्तावित	—	117

(घ) 95833

वर्तमान मांग प्रोजेक्शनों के आधार पर 8वीं योजना के अन्त तक 8वीं योजना का उद्देश्य 5000 लाइनों से कम की क्षमता वाले एक्सचेंजों में मांग करने पर टेलीफोन प्रदान करने तथा 5000 लाइनों और उससे अधिक की क्षमता वाले एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची को एक ही वर्ष तक सीमित करने का है। इस उद्देश्य से 8वीं योजना अवधि के दौरान वर्तमान प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर निपटाने की दृष्टि से विस्तार योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

उपर्युक्त कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएंगे बशर्ते कि उपस्कर समय पर उपलब्ध हों।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग

100. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई कितनी है;

(ख) राजस्थान में सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में कितने किलोमीटर सड़कें जोड़ी गईं और आठवीं योजना में उस तरह के कितने प्रस्ताव हैं; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत और कितनी लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया और आठवीं योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितनी और कितनी लम्बी सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 2931 किलोमीटर है।

(ख) सातवीं योजना में राजस्थान की राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में 374 किलोमीटर लम्बाई बढ़ाई गई थी। 8वीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और इसलिए अभी यह बताना संभव नहीं है कि 8वीं योजना अवधि के दौरान कितनी सड़कों को, यदि कोई हो, नए राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया जाएगा।

(ग) केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत 7वीं योजना के दौरान साठ परियोजनाओं से संबंधित विकास स्कीमों को, जिनमें लगभग 702 किलोमीटर लम्बाई शामिल है, स्वीकृति दी गई थी जिनकी प्रगति विभिन्न अवस्थाओं में है। 8वीं योजना के दौरान नई स्कीमों को केन्द्रीय सड़क निधि में वास्तविक वृद्धि होने के बाद शुरू किया जाएगा।

गरी का समर्थन मूल्य

101. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से गरी का समर्थन मूल्य बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) जी, हां। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने के लिए केरल सरकार से अनुरोध प्राप्त किया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने 1991 के मौसम के लिए खोपरा संबंधी मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशों में केरल सरकार के प्रस्ताव को ध्यान में रखा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

केन्द्रीय सरकार के पास लंबित केरल की सिंचाई परियोजनाएं

102. **श्री ए० विजयराघवन :**
श्री पी० सी० थामस :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की कितनी सिंचाई परियोजनाएं मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लंबित हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार ने क्या इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने हेतु कदम उठाए हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (ग) जून, 1990 में केन्द्र में प्राप्त 67.40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत और 27,500 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली इडमालियर सिंचाई परियोजना नामक अकेली वृहद सिंचाई परियोजना पर जल आयोग की स्क्रिनिंग समिति की टिप्पणियों की जांच करने के लिए राज्य सरकार से अपने कार्मिकों को प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

पंजाब में कृषि उत्पादन

103. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के विभिन्न जिलों में फसलों का उत्पादन होने के क्या कारण हैं; और

(ख) सघन खेती की सुविधा देने के संबंध में क्या प्रस्ताव है ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) पंजाब राज्य में उगाई जाने वाली सबसे अधिक महत्वपूर्ण फसलें हैं—गेहूं, चावल, और कपास। इस राज्य में इन फसलों की प्रति हैक्टेयर पैदावार अन्य राज्यों तथा इन फसलों के मामले में राष्ट्रीय औसत पैदावार की तुलना में काफी अधिक है। लेकिन, इस राज्य में फसलों की पैदावार में और अधिक वृद्धि करने के लिए चुनिन्दा जिलों में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं—अर्थात् गेहूं का विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, समेकित चावल विकास कार्यक्रम और गहन कपास विकास कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को आदान सहायता सेवाएं सुलभ हो सकें।

सिन्दरी एकक के कैप्टिव विद्युत संयंत्र का कार्यनिष्पादन

104. **श्री ए० के० राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम की सिन्दरी यूनिट के अन्तर्गत कैप्टिव विद्युत संयंत्र के कार्य-निष्पादन का पिछले तीन वर्षों के दौरान का ब्योरा क्या है;

(ख) बिजली की लागत कितनी है तथा प्रति यूनिट बिजली बेचकर कितनी धनराशि वसूल की गई है;

(ग) क्या सिन्दरी यूनिट के कैप्टिव विद्युत संयंत्र के नवीनीकरण की कोई योजना बनाई गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा पिछले एक वर्ष में इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) और (ख) ब्यौरे नीचे दिये गये हैं—

वर्ष	ऊर्जा का एम० डब्ल्यू० एच० उत्पादन	क्षमता उपयोग प्रतिशत	विद्युत उत्पादन का औसत मूल्य रु० एम० डब्ल्यू० एम०	बिक्री मूल्य रु०एम०डब्ल्यू० एम०	वसूल की गई राशि रु० लाखों में
1987-88	241815.7	34.40	879.41	1088	153.23
1988-89	263210.7	37.50	967.04	1193	267.20
1989-90	223968.8	31.96	1184.24	1193	6.63

(ग) जी हां।

(घ) एफ० सी० आई० के बोर्ड द्वारा 5.80 करोड़ की अनुमानित लागत पर बिजली संयंत्र के नवीनीकरण के एक प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। तथापि अतिरिक्त पुर्जों तथा यंत्रों के अभाव के कारण इसके कार्यान्वयन में विलंब हुआ। इसलिए एफ० सी० आई० ने अपने बोर्ड की सहमति से अपनी योजना में सुधार करने का निश्चय किया है जिसके द्वारा वर्तमान विद्युत संयंत्र, जो करीब 39 वर्ष पुराना है, को 4-5 वर्ष और चलाया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की जांच करने हेतु भानु प्रताप समिति

[हिन्दी]

105. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की जांच करने के लिए गठित की गई भानु प्रताप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल): (क) और (ख) श्री भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में फरवरी, 1990 में कृषि पर एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाई गई थी, जिसने देश में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करनी थी खासकर निर्यात के लिए फालतू उत्पादन करने की दृष्टि से। उस समिति ने कृषि को उद्योग घोषित करने की संभावना/वांछनीयता की भी जांच करनी थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की है कि भारतीय खाद्य निगम के काम-काज को न तो सुधारा जा सकता है और न ही इसकी लागत कम की जा सकती है। उस समिति ने खाद्यान्नों के वितरण की लागत कम करने तथा जरूरत के समय सरकार के हाथों में हस्तक्षेप करने की प्रभावी शक्तियां देने के लिए एक वैकल्पिक खाद्य प्रणाली की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) वैकल्पिक खाद्य सुरक्षा प्रणाली संबंधी सिफारिशों सहित उस समिति की सभी सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है।

मत्स्य पालन को प्रोत्साहन

106. श्री शिव शरण वर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक दल ने देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दल ने मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या सुझाव दिए हैं; और

(ग) इन सुझावों को क्रियान्वित करने तथा देश में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ग) खाद्य और कृषि संगठन/विश्व बैंक निवेश केन्द्र परियोजना के एक तैयारी मिशन ने कुछेक राज्यों में खारा जल और अंतर्देशीय ("आक्स बी" आकार की झीलों/छोटे जलाशयों) मात्स्यकी के विकास के लिए सूचना/आंकड़े एकत्रित करने और एक उचित परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मई-जून, 1990 के दौरान भारत का दौरा किया। "आक्स बी" आकार की झीलों/छोटे जलाशयों पर इस मिशन द्वारा मांगी गई कुछ अतिरिक्त सूचना/आंकड़े संबंधित राज्यों से एकत्रित किए गए हैं, और इस सूचना/आंकड़ों को रोम स्थित इस मिशन को भेज दिया गया है। खारा जल और अंतर्देशीय मात्स्यकी के विकास पर परियोजना रिपोर्ट पूरी करने के लिए एक दूसरे मिशन के आगामी वर्ष के शुरू में भारत का दौरा करने की संभावना है, ताकि इस परियोजना रिपोर्ट को विश्व बैंक के सम्मुख मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया जा सके।

तम्बाकू उत्पादकों का शोषण

107. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तम्बाकू उत्पादकों का शोषण रोकने के लिए बहुराष्ट्रीय सिगरेट कम्पनियों के कृषि उद्योगों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) सरकार का बहुराष्ट्रीय सिगरेट कम्पनियों के सिगरेट व्यापार अथवा अन्य कृषि उद्योगों में प्रवेश करने पर रोक लगाने का कोई विचार नहीं है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस देने और उनके द्वारा निवेश किए जाने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं और इन मानदंडों का अनुपालन किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर मनेश नदी के ऊपर बने पुल की मरम्मत

[अनुवाद]

108. **बाल गोपाल मिश्र** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (गुवाहाटी) पर मनेश नदी के ऊपर बने उस पुल

की मरम्मत की गई है जो कि अप्रैल, 1990 में बोडो उग्रवादियों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो उसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह पुल यातायात के लिए कब तक खोल दिया जाएगा और इसकी मरम्मत पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (ग) क्षतिग्रस्त विस्तार (स्पेन) पर तत्काल ही एक लेन का बेलि पुल खड़ा कर दिया गया था और एक सप्ताह के भीतर ही ट्रैफिक पुनः चालू कर दिया गया था। जहां तक पुल की स्थायी मरम्मत का संबंध है, चरण-I में 158.54 लाख रु० की लागत से लकड़ी के एक अर्ध स्थायी डायवर्शन पुल के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी और निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ट्रैफिक अब डायवर्शन पुल से भी होकर जा रहा है। क्षतिग्रस्त विस्तार के पुनर्निर्माण से संबंधित चरण-II के निर्माण कार्य के लिए 19.34 लाख रु० की योजना स्वीकार की जा चुकी है। क्षतिग्रस्त विस्तार की मरम्मत के इस कार्य के पूरा होने की तारीख तथा उस पर होने वाले व्यय के बारे में अभी से बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है।

आस्ट्रेलिया को स्किम्ड मिल्क का निर्यात

109. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड आस्ट्रेलिया को बड़ी मात्रा में स्किम्ड निर्यात करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने विगत में किसी देश को व्यापारिक दृष्टि से दुग्ध चूर्ण, मिल्क पाउडर का निर्यात किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को खाद्य तेल की नई पैकिंग व्यवस्था के लिए लाइसेंस देना

110. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को माल्टीलेयर पोलोपैक फिल्म्स के निर्माण के लिए परियोजना स्थापित करने तथा खाद्य तेल के लिए नई पैकिंग व्यवस्था हेतु विशेष मशीन के लिए लाइसेंस जारी किया है;

(ख) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने इस संबंध में इक्विटी और तकनीकी सहयोग के लिए किसी विदेशी कम्पनी से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने भारत सरकार के अनुमोदन से मैसर्ज डूपोंट, कनाडा के साथ इक्विटी की भागीदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह प्रतिपादित है कि डूपोंट तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारत में एक संयुक्त उद्यम कम्पनी बनायेंगे, जो एक संपूर्ण खाद्य तेल की थैली की पैकिंग प्रणाली का निर्माण और विपणन करेगी, जिसमें भारत में खाद्य तेल उद्योग के लिए अधिक मजबूत प्लास्टिक की पैकिंग फिल्म का निर्माण शामिल है। यह प्रणाली किफायती तथा क्वालिटी की होगी। इस उद्यम में डूपोंट की विनिर्दिष्टयों के अनुसार स्वदेश में ही मूल पैकिंग मशीनरी का निर्माण भी किया जाएगा। इस किस्म की पैकिंग इसलिए शुरू की जा रही है कि उपभोक्ता-पैकों में तेल की बिक्री बढ़ाई जा सके और व्यापार में तेल के व्यापारियों का महत्व कम किया जा सके। डूपोंट से संयुक्त उद्यम कम्पनी को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होगा। डूपोंट भारत में खाद्य तेल की लचीले पाउच-पैकिंग की जो नई प्रौद्योगिकियां विकसित करेंगे वह पहले इस संयुक्त उद्यम कम्पनी को पेश की जाएगी।

पुणे के निकट तटीय भू-केन्द्र की स्थापना

111. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुणे के निकट एक ऐसा पूर्ण स्तर का तटीय भू-केन्द्र स्थापित किया है जो जहाज से समुद्र तट तथा समुद्र तट से जहाज तक संचार सेवा प्रदान करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भू-केन्द्र अब पूरी तरह चालू हो गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में अन्य किन-किन स्थानों पर "इंटरनेशनल डाटा रेट अर्थ स्टेशन" स्थापित किए जाएंगे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां। पुणे के निकट आरवी में एक तटीय भू-केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

(ख) तटीय भू-केन्द्र इनमारसैट उपग्रह नेटवर्क के साथ काम करेगा और यह समुद्री जहाजों से समुद्र तट तथा समुद्री तट से समुद्री जहाजों के बीच टेलीफोन और टेलैक्स की सुविधा प्रदान करेगा।

(ग) तटीय भू-केन्द्र की संस्थापना की जा रही है और वर्ष 1991 के अंत तक इसके चालू हो जाने की संभावना है।

(घ) इंटर-मीडिया डाटा रेट (आई० डी० आर०) भू-केन्द्रों को मद्रास, नई दिल्ली और कलकत्ता में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

नर्मदा सागर परियोजना के विस्थापितों का पुनर्वास

112. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा सागर परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन विस्थापितों के पुनर्वास के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में निकट भविष्य में पुन: यदि कोई कदम उठाने का विचार है, तो वे क्या हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया): (क) और (ख) नर्मदा (इंदिरा सागर) परियोजना-मध्य प्रदेश के विस्थापितों के लिए मध्य प्रदेश की पुनर्वास और पुन: स्थापन नीति के अनुसार भूमि स्वामियों और अतिक्रमणकर्ताओं को कृषि भूमि, वयस्क पुत्रों सहित सभी विस्थापितों को आबादी वाले मुफ्त प्लाट, अनुतान सहायता, गिराई हुई इमारतों की बची हुई सामग्री आदि सहित व्यक्तिगत सामान की मुफ्त ढुलाई, पुनर्वास अनुदान, नागरिक सुख-सुविधाएं प्रदान की जाएगी तथा उन्हें परियोजना और सम्बद्ध कार्यों पर रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। विस्थापितों के पुनर्वास और पुन: स्थापन से संबंधित पूरे कार्य पांच सोपानों में किए जाने हैं ताकि बांध कार्य पर हुई प्रगति के साथ-साथ उन्हें पूरा किया जा सके। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत 8 गांवों और हरसूद कस्बे के लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है। भूमिहीन श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। 254 गांवों में से 110 गांवों के घरेलू सर्वेक्षण पूरे हो गए हैं। जलमग्नता के सोपान-I के अंतर्गत आने वाले 12 गांवों के लिए पुनर्वास योजनाएं तैयार की जा रही हैं। हरसूद गांव के लिए भी खंडवा में चन्दारा गांव के पास एक नए नगर क्षेत्र के लिए योजनाएं बनाने हेतु कार्रवाई शुरू की गयी हैं।

कार फोन क्षमता का विस्तार

113. **श्री जनकराज गुप्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार फोन क्षमता का विस्तार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) मौजूदा 8 आर० एफ० कैरियरों में सात और आर० एफ० कैरियर, की वृद्धि करके प्रणाली क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। इस समय दिल्ली में 140 मोबाइल टेलीफोन कार्य कर रहे हैं। इस विस्तार के साथ 130 अतिरिक्त मोबाइल कनेक्शन प्रदान किए जा सकेंगे।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराना

114. **श्री आर० एम० भोये :**
श्री आर० एन० राकेश :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य में अधिक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए इन राज्यों में और अधिक टेलीफोन केबिल बिछाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इन राज्यों में किन-किन स्थानों पर अभी तक एस० टी० डी० सुविधा प्रदान नहीं की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इन दोनों राज्यों में बिछाये जाने वाले भूमिगत टेलीफोन केबल और इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई गई निधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम सं०	राज्य का नाम	स्थानीय केबल बिछाने का लक्ष्य (एल० सी० के० एम०) (1990-91)	आवंटित की गई निधि (करोड़ रुपयों में) (1990-91)
1.	महाराष्ट्र	15.89	131.00
2.	उत्तर प्रदेश	6.01	40.00

(घ) 8वीं योजना की शेष अवधि के दौरान इन दोनों राज्यों के उन स्थानों का नाम जहां एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध करने का प्रस्ताव है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आठवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने के लिए केन्द्रों की सूची

अकोट, बालापुर, अचलपुर, अमलनेर, गार्डिगलाज, उदगीर, कटोल, सवनेर, उमरेड, दिगलूर, राजगुरुनगर, महाड, आरवी, हींगनघाट, खामगांव, वाई, पंढरपुर, नवापुर, गोकुलसिरगांव, लोनी, अकलुज, जयसिंहपुर, कमलेश्वर, संगमनेर, वैजापुर, गडकाट, रामटेक, निफाड, डिगोली, सैलू, भोलेगांव, फाल्टन, टहानू, चालीसगांव, चोपदा, ओजार, सतना, सिनेर, नागोथाणे, गुलगांव, विराड, पालघाट, नलसोपारा, इस्लामपुर, पेन, पचोरा, राहुरी, कोपेरगांव, श्रीवर्धन, पीरनगुट, कामल, चंद्रपुर, एम० आई० डी० सी०, शिरडी, अम्बेजोगई, धरनी, दपोली, चिपलुन, कंकापली, दरवाहा, सावंतवाड़ी, पुसाड, बानी, परलीवैजनाथ, नीटा, पिम्पलगांव, लासलगांव, देवली, वालिव, नरखाड़, कमान, कुपवाड, जयगढ़, मनगांव, जुनार, मोर, भोंडा, औसा, मूल, चिखाली, शेगांव, पैथान,

जयकवाड़ी, मैथेरान, मंगरूलपीर, मूर्तिजापुर, चंदूर, रेलवे, दरयापुर, शकोली, नरोरा, सिरोंचा, कुर्दवाड़ी, वाशीम, पंढरकावाढा (केलपुर), वाड़ा, जवाहर, तममुरनी, ननाज, मंगलेवदा, पुसेगांव, शिराला, राजापुर, लोटेपरशुराम (पिपलुनी), नवेड, करजाट, बीखाड़ी, शिरूर, चिट्टूर उमरगा, हाथकंगाले, तिरोरा, मोरशी, जलगांव, जमोड, ब्रह्मापुरी, राजुरा, मलकापुर, करवाला, गजे रवड़पोली, घमनगांव, पारेनर, एलोरा/अजंता, किनवाट, पादुर, देसाइगंज, लखानी, गढेंगांव, देवराज, माजलगांव।

उत्तर प्रदेश में 8वी योजना के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित केन्द्रों की सूची

फरुखाबाद, झांसी, उत्तरकाशी, फिरोजाबाद, न्यू टिहरी, गोपेश्वर (चमोली), सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ऋषिकेश, शामली, काशीपुर, खतौली, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुलसीपुर, टणकपुर, संकीशा, हत्याहरा, नेमिशारण्य, भोला-गोकर्णनाथ, चित्रकूट, देवाशरीफ, अयोध्या, पल्लीकानन, दुधवा, नवाबगंज, चोरीचोरा, फतेहपुर सीकरी, सितारगंज, मथुरा तेलशोधक, डिबियापुर, बरुआसू-भरपूर, ऊंचाहार, शक्तिनगर, अन्नपारा, बिसपुर, ओबरा, रामनगर, रानिया, जैनपुर, मुरादनगर, लोनी, पिलखुआ, देवबंद, शामली, चिनहट, सतरिया, मालावान, गजरौला, गंज जुडवारा, सिरसागंज, गुरु-जयगंज, अतसारा, रदौली, गुसाईगंज, बड़हलगंज, नौतनवा, चंपावट, धारचूला, मुशीयारी, डिडिहाट, बागेश्वर, रानीखेत, अतरौली, इगलास, खैर, सिकन्दराराउ, गभाना, हुंडिया, भेजा, फूलपुर, सुरवान, चैल, सिराथु, मजहनपुर, बारा, करछना, एतमादपुर, फतेहाबाद, किरौली, कैरागढ़, बाह, सागरी, घेसी, महमूदाबाद, फूलपुर, लालगंज, बांसडीह, रसड़ा, भिगा, लालपाड़ा, केसरगंज, बबूरू, कार्वी, मोचीब, नारायणी, रामसुचीघाट, फतेहपुर, हैदरगढ़, अमोला, बहेड़ी, नवाबगंज, फरीदपुर, भीमपुर, नगैना, निजामबाद, बंशी, हरियाणा, उमरियागंज, खलीलाबाद, तेलरी-बाजार (नवगढ़) गुन्नेर, बिसवानी, दातागंज, सहसवान, मलेमपुर, त्रिगपुर, अकबरपुर, चकराता, औरिया, विधुना, मरताना, अलीगंज, जलेसर, टांडा, बिन्दकी, खागा, छिबरामऊ, कैमगंज, मोहम्मदाबाद, सैदपुर, जमानिया, दाद, गढ़मुक्तेश्वर, सिकन्दराबाद, अनूपशहर, महाराजगंज, बांसगांव, फरेन्दा, तरबगंज, बलरामपुर, अतरौला, बिलग्राम, संडीला, शाहाबाद, चरखड़ी, रघोल, रथ, महोबा, कुलपहाड़, कैरावत, मड़ियाहू, मछली शहर, शाहगंज, मूठ, गऊरानीपुर, मेहरूणी, तालिबनाद, अकबरपुर, बिलहापुर, भोगनीपुर, देरापुर, घाटमपुर, मोहम्मदी, दरहरा, निघासन, मोहनलालगंज, चाबा, मोठ, सैदाबाद, मोगान, जमराना, दरहाल, बागपत, मरघना, नवाना, चुनार, दुद्धी, राबर्टगंज, बिनारी, हसनपुर, अमरोहा, संबल, चन्दौसी, ठाकुरद्वारा, मुगाना, लनसाठ, कैराना, कथिमा, सितारगंज, जालौन, कूंच-काल्पी, टिहरी, देवप्रयाग, लैन्सडाउन, कोटद्वार, नकूल, बिसलपुर, पूरनपुर, बिलासपुर, निसाक, शाहाबाद, स्वार, बिसवान, सिधौली, सिधौली, महमूदाबाद, कादीपुर, दालमू, महाराजगंज, सालोन, जायस, लालगंज, कुंडा, पट्टी, लालगंज, पुवायन, जलालाबाद, तिलहर, हसनगंजपुखा, नवाबगंज, सफीपुर, बन्दौली, ज्ञानपुर, चकिया, पुमोला, राजगढ़ी, डोंडा, भखरी, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, ओखीमठ।

मंडल आयोग विरोधी आंदोलन के दौरान क्षतिग्रस्त हुई दिल्ली परिवहन निगम की बसें

[हिन्दी]

115. श्री आर० एम० भोये :
श्री आर० एन० राकेश :
डा० बंगाली सिंह :
श्री कमल चौधरी :
श्री यशवन्त राव पाटिल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने मंडल आयोग विरोधी आंदोलन के दौरान अपनी बसों को हुए नुकसान का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो निगम को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है और आंदोलन के परिणामस्वरूप वर्तमान बसों के बेड़े में से कितनी बसें क्षतिग्रस्त हुई हैं;

(ग) क्या आंदोलन के दौरान जिन बसों के शीशे तोड़ दिये गये थे उन्हें फिर से लगवा दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सर्दियों के मौसम को देखते हुये उन्हें तत्काल लगवाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम के अनुसार लगभग 3290 बसों के क्षतिग्रस्त होने के कारण लगभग 1.02 करोड़ रु० का नुकसान हुआ है।

(ग) और (घ) लगभग 80 प्रतिशत बसों में टूटे हुए शीशे बदले जा चुके हैं और शेष बसों में शीशे बदलने का कार्य प्रगति पर है जो 15-1-1991 तक पूरा हो जायेगा।

इराक-तुर्की सीमा पर रुके भारतीय

[अनुवाद]

116. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री वी० श्री निवास प्रसाद :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक और कुवैत में रह रहे भारतीय बड़ी संख्या में अभी भी इराक-तुर्की सीमा पर रुके पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इराक सरकार से यह बताने को कहा है कि ये भारतीय किस स्थान पर रुके पड़े हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें वापस लाने के लिए सरकार का और क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) इराक स्थित हमारे राजदूतावास के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप इराक सरकार ने उन भारतीय राष्ट्रिकों को अपनी कारों के साथ इराक से चले जाने की अनुमति दे दी है जो अपनी कारों के साथ इराक-तुर्की सीमा पर फंस गए थे।

पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा जम्मू और कश्मीर में अलगाववादियों के प्रति अपने समर्थन को दोहराना

117. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
प्रो० यदुनाथ पाण्डेय :
श्री मदन लाल खुराना :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री शांताराम पोटदुखे :
श्री कमल नाथ :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में अलगाववादियों के प्रति अपनी सरकार के समर्थन को दोहराया है और कहा है कि पाकिस्तान शिमला समझौता मानने को बाध्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस नाजुक मामले के समाधान करने हेतु पाकिस्तान सरकार से नये सिरे से बातचीत करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) सरकार ने 24-11-90 को इंडियन एक्स प्रेस में छपी वह खबर देखी है जिसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि पाकिस्तान काश्मीरियों को नैतिक, राजनैतिक तथा राजनयिक समर्थन "बराबर देता रहेगा। बताया जाता है कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान मसले को "शिमला समझौते की परिधि में या उसके बाहर" सुलझाने के महत्व के बारे में भी कहा और यह भी कि "कोई भी चीज हम पर (शिमला समझौते सहित) बाध्यकारी नहीं है।" पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने 25 नवम्बर को जारी एक वक्तव्य में कहा कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की टिप्पणियों को गलत ढंग से उद्धृत किया गया है और पाकिस्तान शिमला समझौते सहित अपनी सभी द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के प्रति प्रतिबद्ध है।

(ग) और (घ) भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बातचीत का तीसरा दौर 18

से 20 दिसम्बर तक इस्लामाबाद में हुआ। यह बताया गया कि पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकवाद को पाकिस्तान का निरन्तर समर्थन न केवल शिमला समझौते का और अन्त:राज्यीय आचरण के सार्वभौम रूप से स्वीकृत मानदंडों का उल्लंघन है बल्कि इससे दोनों देशों के बीच संबंधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बात पर सहमति हुई कि इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए दोनों विदेश सचिव फरवरी, 1991 के अन्त में फिर मिलेंगे।

नई कृषि नीति

118. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री मनोरंजन सुर :
श्री विजय कुमार मल्होत्रा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच कोई नई राष्ट्रीय कृषि नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों के दृष्टिकोणों पर विचार किया गया था;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ङ) नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब तक की जाएगी ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) कृषि नीति संकल्प तैयार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) मसौदा कृषि नीति संकल्प को तैयार करने में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से सलाह ली गई है। मसौदा संकल्प पर 15 जून, 1990 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भी विचार किया गया। इस सम्मेलन में राज्य सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों एवं प्रख्यात वैज्ञानिकों, कृषि अर्थशास्त्रियों एवं कृषि के क्षेत्र में काफी अनुभव रखने वाले वरिष्ठ प्रशासकों ने भाग लिया। मसौदा संकल्प तैयार करने में कृषि नीति तथा कार्यक्रमों संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों तथा कृषि नीति संकल्प तैयार करने के संबंध में स्थाई कृषि सलाहकार समिति के विचारों पर भी विचार किया जा रहा है।

(ङ) नई कृषि नीति को यथासंभव शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

उर्वरकों का अभाव

119. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 दिसम्बर, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "फर्टिलाइजर्स स्केयरसिटी टू कंटिन्यू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या नाइट्रोजन युक्त और फास्फेट युक्त दो महत्वपूर्ण उर्वरकों की कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उर्वरकों की कमी दूर करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) :(क) जी हां।

(ख) देश में नाइट्रोजन युक्त और फास्फेटिक उर्वरकों सहित किसी उर्वरक की कोई कमी नहीं है।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

पहलगांव (कश्मीर) में यात्री निवास का निर्माण

120. श्री प्यारे लाल हान्डू : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम को पहलगांव (कश्मीर) में एक यात्री निवास का निर्माण करने के लिये किसी भूखंड का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो भूखंड कब तक आवंटित किया गया था; और

(ग) क्या इस बीच निर्माण कार्य शुरू हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) जम्मू-कश्मीर की सरकार ने राज्य सरकार द्वारा यात्री निवास का निर्माण करने के लिए उपयुक्त भू-खंड निर्धारित कर दिया है जिसके लिये केन्द्रीय सरकार ने धन की स्वीकृति दे दी है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने जनवरी, 1987 में इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार कार्य पूरा होने वाला है।

राष्ट्रीय पर्यटन नीति की मांग

121. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :
श्री दौलतराव सोनूजी अहेर :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेवल एजेन्ट्स एसोसियेशन आफ इंडिया द्वारा हाल ही में आयोजित इंडिया ट्रेवल कांग्रेस ने पर्यटन क्षेत्र के लिए अलग कैडर स्थापित करने पर जोर देते हुए सरकार से अनुरोध किया है कि एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति तैयार की जाये;

(ख) यदि हां, तो कांग्रेस (सम्मेलन) में उठाई गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) भारतीय यात्रा अभिकर्ता संघ ने संकल्प किया है कि पर्यटन से संबंधित राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाए तथा केन्द्र एवं राज्यों के पर्यटन विभागों के पुनर्गठन की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। यह भी जरूरी है कि एक नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति स्थापित की जाये।

(ग) सरकार ने ऐसे एक बोर्ड की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया है। तथापि, चूंकि इस प्रस्ताव में अतिरिक्त स्टाफ व्यय शामिल है और जैसा कि पर्यटन के महत्वपूर्ण घटक राज्य सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड की स्थापना करने को व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

कर्नाटक को केन्द्रीय सड़क निधि से राशि

122. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया गया है कि वह चालू वित्त वर्ष में केन्द्रीय सड़क निधि से कम से कम 100 करोड़ रुपये कर्नाटक राज्य सरकार को दे ताकि वह निर्माणाधीन सड़कों को पूरा कर सके तथा नई सड़कें बना सके; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य सरकार ने वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन अपनी 102.80 लाख रु० की आवश्यकता परियोजित की है। उनकी हकदारी के अनुसार वर्ष 1990-91 में राज्य सरकार को आवंटन हेतु 7.00 लाख रु० की राशि निर्धारित की गई है और इसकी सूचना उन्हें पहले ही भेजी जा चुकी है।

कर्नाटक में तटीय कटाव

123. श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक सरकार से राज्य में तटीय कटाव के बारे में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस पर कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

थारपारकर नस्ल की गायों में क्षय रोग

[हिन्दी]

124. **श्री शोपत सिंह मक्कासर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पशुपालन केन्द्रों में थारपारकार नस्ल की गायों में क्षय रोग तेजी से फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या किसी अधिकारी की लापरवाही से यह रोग फैल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ में गायों की थारपारकर नस्ल में क्षय रोग पर काबू पा लिया गया है।

(ख) समय-समय पर पूरे यूथ की जांच की जाती है। पहली जांच के समय सन्देहास्पद पाये जाने वाले मामलों में कुछ अंतराल बाद फिर से जांच की जाती है। रोग की पुष्टि होने पर संबंधित पशुओं को राजस्थान राज्य के गो-सदनों को भेज दिया जाता है।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

सेंट्रल स्टेट फार्मों में कृषि भूमि का क्षेत्रफल

125. **श्री शोपत सिंह मक्कासर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक सेंट्रल स्टेट फार्म में कितनी भूमि पर खेती हो रही है; और

(ख) ऐसे प्रत्येक फार्म में पिछले दो वर्षों के दौरान कृषि पर कितनी धनराशि खर्च हुई और प्रति एकड़ पैदावार कितनी है ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) भारतीय राज्य फार्म निगम के विभिन्न फार्मों में खेती के अंतर्गत क्षेत्र के बारे में ब्योरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) इन फार्मों में प्रति हैक्टेयर पैदावार तथा किए गए खर्च के बारे में सूचना क्रमशः विवरण-II और विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

(हैक्टेयर में)

फार्म का नाम	1988-89	1989-90
1. केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़	6523	6144
2. केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़	4325	4116
3. केन्द्रीय राज्य फार्म, जेतसर	4405	3316
4. केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार	3598	3264
5. केन्द्रीय राज्य फार्म, लाडोवाल	1265	1209
6. केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराइच	3175	3057
7. केन्द्रीय राज्य फार्म, रायबरेली	244	247
8. केन्द्रीय राज्य फार्म, कोकिलाबाड़ी और बारापेटा	1654	1515
9. केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर	1276	1394
10. केन्द्रीय राज्य फार्म, चेंगम	1347	1345
11. केन्द्रीय राज्य फार्म, अरालम	2287	2356
12. केन्द्रीय राज्य फार्म, मिजोरम	178	175
कुल :	30277	28138

विवरण-II

औसत पैदावार प्रति हैक्टेयर

(क्विंटल में)

फार्म का नाम	वर्ष	फसल			
1	2	3			
		गेहूं	चना	धान	सरसों
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़	1988-89	28.86	10.91	33.80	11.07
	1989-90	22.72	9.87	31.12	7.60
केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़	1988-89	27.75	11.87	32.67	11.53
	1989-90	18.20	9.76	31.86	8.04

1	2	3			
		गेहूं	चना	कपास	सरसों
केन्द्रीय राज्य फार्म, जेतसर	1988-89	16.26	4.82	9.54	7.73
	1989-90	22.41	8.30	7.14	5.75
		गेहूं	चना	कपास	सरसों
केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार	1988-89	39.15	14.43	9.66	11.35
	1989-90	32.57	12.07	16.67	9.37
		गेहूं	मटर	धान	आलू
केन्द्रीय राज्य फार्म, लाडोवाल	1988-89	33.87	6.97	41.45	81.46
	1989-90	34.51	6.80	36.70	98.64
		गेहूं	राजमां	धान	सोयाबीन
केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराइच	1988-89	25.14	9.65	26.58	9.75
	1989-90	19.52	14.91	30.57	11.74
		गेहूं	धान		
केन्द्रीय राज्य फार्म, रायबरेली	1988-89	11.48	11.92		
	1989-90	15.51	8.17		
		गेहूं	धान	सरसों	सोयाबीन
केन्द्रीय राज्य फार्म, कोकिलाबाड़ी और चारापेटा	1988-89	24.44	28.97	2.10	3.35
	1989-90	16.64	27.02	2.44	4.90
		गेहूं	सूरजमुखी	पटसन	बाजरा
केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर	1988-89	16.66	2.81	1.70	5.18
	1989-90	15.25	3.86	9.02	14.49
		बाजरा	मक्का	टमाटर	सी० नट
केन्द्रीय राज्य फार्म, चेंगम	1988-89	4.13	15.40	135.00	2.08
	1989-90	16 93	10.36	100.20	6.83
		नारियल (संख्या)	काजू (कि० ग्रा०)	रबड़ (कि० ग्रा०)	काली मिर्च (कि० ग्रा०)
केन्द्रीय राज्य फार्म, अरालम	1988-89	1704	318	544	765
	1989-90	5417	537	638	732
		(88-89 के लिए पैदावार के आंकड़े 9 महीने के उत्पादन पर आधारित हैं)			
		धान			
केन्द्रीय राज्य फार्म, मिजोरम	1988-89	25.23			
	1989-90	25.03			

विवरण-III

खेती पर हुआ फार्मवार खर्च

(लाख रुपये में)

फार्म का नाम	1988-89	1989-90
1. केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़	330.79	482.02
2. केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़	182.77	268.79
3. केन्द्रीय राज्य फार्म, जेतसर	175.76	253.08
4. केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार	195.86	292.13
5. केन्द्रीय राज्य फार्म, लाडोवाल	96.44	138.45
6. केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराइच	185.48	262.38
7. केन्द्रीय राज्य फार्म, रायबरेली	21.61	30.73
8. केन्द्रीय राज्य फार्म, कोकिलाबाड़ी और बारापेटा	93.40	129.82
9. केन्द्रीय राज्य फार्म, रायचूर	86.93	124.52
10. केन्द्रीय राज्य फार्म, चेंगम	95.98	154.72
11. केन्द्रीय राज्य फार्म, अरालम	216.08	279.66
12. केन्द्रीय राज्य फार्म, मिजोरम	24.03	30.59
कुल :	1705.13	2446.89

खाड़ी देशों से निकालकर लाए गए भारतीय

126. श्री शोपत सिंह मक्कासर :
श्री ए० विजयराघवन :
श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :
श्री कमल चौधरी :
श्री जी० एस० वासवराज :
श्री कमल नाथ :
प्रो० पी० जे० कुरियन :
श्री यशवन्तराव पाटिल :
श्री के० मुरलीधरन :
श्री ए० के० ए० अब्दुल समद :
श्री राम नाईक :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुवैत, इराक और अन्य खाड़ी देशों से अब तक प्रत्येक राज्य के कितने-कितने भारतीय नागरिकों को निकालकर लाया गया है;

(ख) सरकार ने खाद्य सामग्री के खर्चे सहित इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च की है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त देशों से निकालकर लाए गए भारतीयों से कोई धनराशि वसूल की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इन व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(छ) क्या इराक, कुवैत तथा अन्य खाड़ी देशों में कुछ असहाय भारतीय नागरिक वहां से निकालकर लाए जाने की अभी तक प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ज) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और अभी तक खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) लगभग 1,50,000 भारतीय राष्ट्रिक इराक और कुवैत से प्रत्यावर्तित किए गए। उनके प्रत्यावर्तन के दौरान परिस्थितियों को देखते हुए राज्यवार आकड़े देना सभव नही है।

(ख) असहाय भारतीयों के प्रत्यावर्तन पर लगभग 300 करोड़ रुपये का अनुमानित व्यय हुआ है।

(ग) कुछ मामलों में, अपने प्रत्यावर्तन का व्यय चुकाने में समर्थ लोगों ने अपने प्रत्यावर्तन का व्यय चुकाया है।

(घ) संबंधित मिशनों से ब्योरा मांगा जा रहा है।

(ङ) और (च) खाड़ी क्षेत्र से वापस आने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय समिति बनाने का निर्णय लिया गया है। खाड़ी राहत और पुनर्वास कोष की भी स्थापना की जा रही है।

(छ) जी नहीं।

(ज) खाड़ी में भारतीय राष्ट्रिकों के हितों की यथासम्भव अच्छी से अच्छी देखभाल के लिए वचनबद्ध है।

बिहार के वन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

127. श्री तेज नारायण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के वन विभाग द्वारा भूमि का हस्तांतरण न किए जाने के कारण वन और आदिवासी क्षेत्रों से गुजरने वाली तथा भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों के निर्माण में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) बिहार सरकार ने वन विभाग द्वारा भूमि का हस्तांतरण न किये जाने के कारण वन और आदिवासी क्षेत्रों से गुजरने वाली तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली सड़कों के निर्माण में किसी समस्या की सूचना नहीं दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में नया टेलीफोन एक्सचेंज

128. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1989-90 के दौरान बिहार में पांच हजार लाइनों की क्षमता वाले एक नये टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य आरंभ हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक स्थापित किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में पेयजल परियोजना

129. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान बिहार में पेयजल परियोजना के लिए वार्षिक परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस वर्ष के दौरान इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) इसका निर्माण पूरा होने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 के लिए आवंटन निम्न प्रकार है —

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम (ए० आर० डब्ल्यू० एस० पी०)	मिनी मिशन	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम० एन० पी०)
1989-90	27.10	1.51	31.20
1990-91	27.10	7.44	28.68

(ख) 1990-91 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अक्तूबर, 1990 तक का व्यय क्रमश: 9.83 करोड़ रुपये तथा 8.90 करोड़ रुपये है।

(ग) सभी 44 बिना जल स्रोत वाले गांवों (18 पेयजल समस्या वाले गांवों में अक्तूबर, 1990 तक पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है) में 31-3-91 तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों में आठवीं योजना के पहले दो वर्षों अर्थात् 31-3-92 तक पूर्ण रूप से स्वच्छ पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

आन्ध्र प्रदेश में सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाना

[अनुवाद]

130. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश में प्रमुख राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने संबंधी लम्बित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

जल-संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल किए जाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर भेजी गई सड़कों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में इन सड़कों को शामिल करने अथवा नहीं करने का निर्णय कब लिया जाएगा क्योंकि आठवीं योजना के आकार के संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल किए जाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित सड़कों के विवरण की सूची

1	2	3
1.	विजयवाड़ा से मछलीपत्तनम	70 कि० मी०
2.	काकीनाडा से जगदलपुर बरास्ता राजमुंदरी भद्राचलम और वेंकटपुरम	360 कि० मी०
3.	हैदराबाद से वेंकटपुर बरास्ता वारंगल	260 कि० मी०
4.	आंगल से रायचूर बरास्ता गिद्दलपुर नान्डयाल, कुरनूल, और उप्पल	340 कि० मी०
5.	चित्तूर से भद्राचलम बरास्ता कुटाया मार्कापुर, मथेरिया, नागार्जुन सागर और कम्माम	680 कि० मी०

1	2	3
6.	हैदराबाद से चन्द्रपुर बरास्ता करीम नगर और मंचरियल, जो रा० रा० 6 और 7 को जोड़ता है	332 कि० मी०
7.	रा० रा० 5 पर भद्राचलम-चित्तूर, सिलेरु चिन्तापल्ली पदेरु-अराकू-विजयनगरम-पालाकोंडा-श्रीकाकुलम	400 कि० मी०
8.	नापुडंपटा-तिरुपति-चित्तूर जो रा० रा० 5 और 4 को जोड़ता है	130 कि० मी०
9.	तमिलनाडु में रा० रा० 5 पर रेडहिल्स से रा० रा० 7 पर गूटी तक बरास्ता पूतूर, रेनीगुंटा, कुडापा पेरागुंटला	330 कि० मी०
10.	मल्लौर से हुबली बरास्ता गूटी	370 कि० मी०
11.	पालामनेरु से अनन्तपुर जो रा० रा० 4 तथा रा० रा० 7 को जोड़ता है	228 कि० मी०
12.	कुरनूल से चित्तूर	369 कि० मी०
13.	पेनूगोंडा-हिन्दूपुर-मादाकसीरा से कर्नाटक सीमा तक जो रा० रा० 7 और रा० रा० 4 को जोड़ता है	47 कि० मी०
14.	मैसा के निकट राज्य सीमा से लकसेटीपेट तक बरास्ता निर्मल	170 कि० मी०
		4114 कि० मी०

माले में भारत एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत

[हिन्दी]

131. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री हरीश रावत :
श्री डी० एम० पुट्टे गौडा :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री शांताराम पोतदुखे :
श्री आर० गुंडु राव :
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने माले में दक्षेस सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ आपसी हितों के विषयों पर बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बातचीत के क्या परिणाम निकले; और

(ग) दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने के विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की बैठक 22 नवम्बर, 1990 को मालदीव में हुई थी। इस बात पर सहमति हुई थी कि सभी मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से और बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाएगा तथा विदेश सचिव स्तर की बातचीत का तीसरा दौर 18 से 20 दिसम्बर, 1990 तक इस्लामाबाद में होगा। तभी संयुक्त आयोग की अगली बैठक तथा तुलबुल परियोजना तथा सरक्रिक के बारे में बातचीत जारी रखने के लिए तारीखें निश्चित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने भारत के आन्तरिक मामलों में पाकिस्तान के हस्तक्षेप के प्रश्न पर अपनी स्थिति दोहराई। दोनों प्रधानमंत्री एक दूसरे के सम्पर्क में रहने पर सहमत हुए। इसके अनुसरण में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक 18 से 20 दिसम्बर तक इस्लामाबाद में हुई तथा वे तनाव कम करने के कई उपायों को करने पर सहमत हुए।

गोपालपुर पत्तन के विकास के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता

[अनुवाद]

132. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोपालपुर लघु पत्तन को बारहमासा पत्तन में विकसित करने के लिए एशियाई विकास बैंक से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो एशियाई विकास बैंक से प्राप्त सहायता राशि या प्राप्त की जाने वाली सहायता राशि क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में इन्द्रावती बहुद्देशीय परियोजना

133. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में निर्माणाधीन इन्द्रावती बहुद्देशीय परियोजना के पूरा होने पर कुल कितने हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने की संभावना है;

(ख) परियोजना पूरी होने पर कुल कितने मैगावाट विद्युत उत्पादित होने की संभावना है;

(ग) परियोजना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) परियोजना कब तक पूरी होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) 1,09,300 हेक्टेयर।

(ख) विद्युत घटक—सितम्बर, 1993
सिंचाई घटक (लिफ्ट को छोड़कर)—1995-96

(ग) 600 मैगावाट (संस्थापित क्षमता)।

(घ) की गई प्रगति का विवरण संलग्न है।

विवरण

सितम्बर, 1990 को निर्माण कार्यों के मुख्य घटकों पर हुई भौतिक प्रगति

क्रम सं०	वृहद घटक का नाम	कार्य की मुख्य मद का नाम	प्रतिशत पूर्ण
1	2	3	4
यूनिट-I			
I.	इन्द्रावती बांध	कांक्रीट और चिनाई	75
II.	पोदागाद बांध	बांध भरना	32
III.	कपूर बांध	बांध भरना	66
IV.	मुरान बांध	कांक्रीट और चिनाई	33
यूनिट-II			
V.	हाती बराज	पूर्ण	100
VI.	बायां मुख्य नहर 0 कि० मी० से 50.4 कि० मी० तक	पूर्ण	100
VII.	बांया मुख्य नहर 50.4 कि० मी० से 52 कि० मी०	खुदाई	93
VIII.	बायां वितरणियां और माइनर 0.15 कि० मी०	पूर्ण	100
	15 कि० मी० से 29 कि० मी०	मिट्टी कार्य	36
	29 कि० मी० से 40 कि० मी०	मिट्टी कार्य	41
	40 कि० मी० से 52 कि० मी०	मिट्टी कार्य	52
IX.	यूरियागढ़ शाखा नहर	मिट्टी कार्य	28
X.	चिलचिला शाखा नहर	मिट्टी कार्य	53
XI.	दायां मुख्य नहर		
	0 से 11 कि० मी०	मिट्टी कार्य	68
	11 कि० मी० से 22 कि० मी०	मिट्टी कार्य	19
	22 कि० मी० से 33 कि० मी०	मिट्टी कार्य	15

1	2	3	4
	33 कि० मी० से 45 कि० मी०	मिट्टी कार्य	5
	45 कि० मी० से 53 कि० मी०	मिट्टी कार्य	7
	53 कि० मी० से 63 कि० मी०	मिट्टी कार्य	13
	63 कि० मी० से 83 कि० मी०	मिट्टी कार्य	29
यूनिट-III (विद्युत सिविल)			
XII.	हैड रेस चैनल	खुदाई	61
XIII.	टनल	खुदाई	100
		पक्का करना	14
XIV.	सरज शाफ्ट	खुदाई	81
		पक्का करना	54
XV.	वाल्व हाऊस	खुदाई	100
		कांक्रीट व चिनाई	39
XVI.	पेनस्टाक	खुदाई	88
		कांक्रीट	79
		फेब्रिकेशन	68
		ईरेक्शन	0.19
XVII.	विद्युत घर	खुदाई	100
		कांक्रीट	62
XVIII.	टेल रेस चैनल	खुदाई	79
		पक्का करना	4
XIX.	भूमि अधिग्रहण	यूनिट-I (बांध)	92
		यूनिट-II (नहर)	40
		यूनिट-III (विद्युत कार्य)	94
XX.	पुनर्वास	यूनिट-I (बांध)	17

इसके अलावा, बायां डाइक से 2 और 3, दायां डाइक सं० 1 से 4 तथा गुटकुलम लिंक चैनल अब पूरे हो गए हैं।

विदेशी पर्यटक

134. श्री गोपीनाथ नजपति :

श्री चित्त महाता :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में वर्ष 1990 के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी विभिन्न कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार ने वर्ष 1991 के दौरान अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराकर अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) चालू वर्ष के प्रथम ग्यारह महीनों के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटक यातायात में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में थोड़ी सी कमी हुई है।

(ख) पर्यटक यातायात में कमी, देश के कुछ भागों में गड़बड़ी, विदेशी बाजारों में इन घटनाओं का प्रतिकूल प्रचार, स्वदेशी क्षेत्रों में एअरसीट क्षमताओं में कमी, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जैसे खाड़ी संकट, पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का एकीकरण, सोवियत संघ की आर्थिक पुनर्संरचना आदि के कारण हुई।

(ग) भारत आने वाले पर्यटक यातायात में तेजी लाने के लिए सरकार अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों में चार्टर पालिसी में ढील, 5 वर्ष की अवधि के लिए बहु प्रवेशीय वीसा की शुरूआत, वीसा शुल्क को चेक/क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान करने की व्यवस्था, पर्यटक सुविधाओं में सुधार, प्रतिबंधित क्षेत्र के परमिट नियमों में ढील, पर्यटन आधार-संरचना सुविधाओं को उन्नत बनाना, होटल और अन्य स्थापनाओं में मुद्रा विनिमय सुविधाओं का विकास आदि शामिल हैं। भारत की छवि को सुधारने के लिए वर्ष 1991 को भारत पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है।

भारत स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग द्वारा लगाये गये आरोप

135. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग ने भारतीय अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वे उसके राजनयिक अधिकारियों को "परेशान करते हैं और चिढ़ाते हैं और धमकाते हैं" तथा इससे उच्चायोग के कार्यकरण में बाधा आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इन आरोपों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी, हां। पाकिस्तान के हाई कमीशन ने 30 नवम्बर, 1990 को जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में इस आशय के आरोप लगाए थे।

(ग) भारत सरकार ने इन आरोपों को अस्वीकार कर दिया है जो कि कराची तथा इस्लामाबाद में स्थित भारतीय मिशनों में काम करने वाले कार्मिकों को इस तरह से परेशान करने की कार्रवाईयों को ढकने का प्रयास मात्र है जिनसे उत्तेजना पैदा हो सकती है।

देश में खाद्य तेलों की स्थिति

136. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या खाद्य तेलों का आयात किया जा रहा है, यदि हां, तो कितना;

(ग) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा बेचे जाने वाले लोकप्रिय रिफाइंड मूंगफली के तेल धारा के मूल्य में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) तेल वर्ष 1989-90 के दौरान, मूल तथा गौण स्रोतों से खाद्य तेलों की कुल घरेलू उपलब्धता लगभग 5.6 मिलियन मीटरी टन होने का अनुमान है।

(ख) तेल वर्ष 1989-90 में 6.07 लाख मीटरी टन की कुल मात्रा में खाद्य तेल आयात किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) लगभग आठ माह तक "धारा" के मूल्यों को अपरिवर्तित रखा गया, जबकि अन्य सभी खाद्य तेलों के बाजार मूल्य बढ़ गए थे। चूंकि ये मूल्य खुले तेल के मूल्यों की तुलना में बहुत कम थे, इसलिए इसके दुरुपयोग की सम्भावना थी। इसलिए, उन्हें खुले तेल के मूल्यों के लगभग बराबर लाने के लिए अक्तूबर, 1990 में अंत में "धारा" के मूल्यों को संशोधित किया गया। संशोधन के बाद भी "धारा" के मूल्य अन्य ब्रान्डों के तेलों के मुकाबले काफी कम हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत संस्थान

[हिन्दी]

137. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य कर रहे उन संस्थानों के नाम क्या हैं जिनमें विभागाध्यक्ष नहीं हैं;

(ख) ये पद कब से खाली पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पदों को भरने में कितना समय लगेगा ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयमीलाल वीरचन्द-भाई शाह) : (क) और (ख) महोदय, एक विवरण संलग्न है।

(ग) इन पदों को भरने के लिए समय की कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है।

विवरण

भा० कृ० अनु० परिषद् के अंतर्गत कार्यरत उन संस्थानों के नामों का विवरण जो बिना नियमित निदेशक/प्रायोजना निदेशक के काम कर रहे हैं और उसके कारण।

क्र० सं०	संस्थान का नाम जो बिना नियमित, निदेशक/प्रायोजना निदेशक के काम कर रहे हैं	कब से पद खाली पड़ा है	रिक्ति का कारण
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर	अगस्त, 1976	नया सृजित पद
2.	सब्जी निदेशालय	अक्तूबर, 1986	उपरोक्त
3.	राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, कालीकट	दिसम्बर, 1986	उपरोक्त
4.	राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र, पुट्टूर	दिसम्बर, 1986	उपरोक्त
5.	राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंध, केन्द्र, फरीदाबाद	जुलाई, 1987	उपरोक्त
6.	भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची	जनवरी, 1988	निधन
7.	राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र	नवम्बर, 1986	नया सृजित पद
8.	कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, बम्बई	मई, 1988	सेवानिवृत्ति
9.	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर	नवम्बर, 1988	पदोन्नति
10.	केन्द्रीय उत्तरी मैदानी बागवानी संस्थान, लखनऊ	जनवरी, 1989	स्थानांतरण
11.	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला	अप्रैल, 1989	अवधि पूरी होना
12.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	जून, 1989	स्थानांतरण
13.	केन्द्रीय मृदा और भूमि संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून	सितम्बर, 1989	सेवानिवृत्ति
14.	केन्द्रीय कृषि इंजीनियर संस्थान, भोपाल	अक्तूबर, 1989	पदोन्नति
15.	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर	जनवरी, 1990	सेवानिवृत्ति
16.	राष्ट्रीय खुम्भी अनुसंधान केन्द्र, सोलन	मार्च, 1990	सेवानिवृत्ति
17.	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	अप्रैल, 1990	—वही—

1	2	3	4
18.	केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	अप्रैल, 1990	सेवानिवृत्ति
19.	भारतीय कृषि अनुसधान संस्थान, नई दिल्ली	जुलाई, 1990	—वही—
20.	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	जुलाई, 1990	अवधि पूरी होना
21.	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार	जुलाई, 1990	उपरोक्त
22.	केन्द्रीय धान अनुसंधान संस्थान, कटक	नवम्बर, 1990	सेवानिवृत्ति

कृषि नीति का प्रारूप

[अनुवाद]

138. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि संबंधी स्थायी सलाहकार समिति द्वारा तैयार किए गए कृषि नीति के प्रारूप की पुनरीक्षा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस नीति की घोषणा कब तक किए जाने की आशा है ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) फार्म नीति के प्रारूप के बारे में स्थायी कृषि सलाहकार समिति के विचारों पर कृषि नीति संकल्प के निरूपण के लिए विचार किया जा रहा है।

(ख) नई कृषि नीति को यथाशीघ्र अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है।

पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध

139. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री राजमोहन रेड्डी :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए हाल में सरकार द्वारा कोई प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) 22 नवम्बर, 1990 को मालदीव में

भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों की बैठक के बाद दोनों देशों के विदेश सचिवों की 18 से 20 दिसम्बर, 1990 तक इस्लामाबाद में बैठक हुई जिसमें दोनों में तनाव कम करने के लिए कई उपायों पर तथा द्विपक्षीय बातचीत को जारी रखने पर सहमति हुई। इस बात पर भी सहमति हुई कि परमाणु क्षेत्र में सीमा संबंधी बातचीत फरवरी, 1991 के प्रारम्भ में शुरू की जाएगी और उसके बाद तुबबुल परियोजना पर बातचीत होगी, दोनों ओर के सैन्य कार्य महानिदेशक नियमित रूप से हर सप्ताह एक-दूसरे से बात करेंगे, उपयोग की उपयुक्त समय पर बैठक होगी तथा नाभिकीय प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर आक्रमण न करने से संबद्ध समझौते के अनुसमर्थन के दस्तावेजों का जनवरी, 1991 में आदान-प्रदान किया जायेगा। फरवरी, 1991 के अन्त में नई दिल्ली में दोनों ओर के विदेश सचिवों की पुनः बैठक होने की संभावना है।

व्यापक फसल बीमा योजना

[हिन्दी]

140. **श्री केशरी लाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में व्यापक फसल बीमा योजना लागू की गई है;

(ख) क्या कानपुर सिटी और कानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह योजना लागू की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना से कानपुर सिटी और कानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के कितने किसान लाभान्वित हुए हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) 1-4-1985 से वृहत फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन शुरू होने से अब तक उत्तर प्रदेश राज्य ने केवल पहले तीन वर्षों के लिए इस योजना को लागू किया है तथा इसके बाद रबी 1989-90 के मौसम को छोड़कर इस योजना को लागू नहीं किया है। वर्तमान रबी 1990-91 के मौसम में भी, राज्य सरकार कानपुर शहर तथा इसके आस-पास के ग्रामीण इलाकों सहित किसी भी जिले में वृहत फसल बीमा योजना को लागू नहीं कर रही है।

(ग) अब तक, कानपुर शहर और इसके आस-पास के ग्रामीण इलाकों में रबी 1985-86 से रबी 1987-88 के अंत तक वृहत फसल बीमा योजना के तहत लाभान्वित किसानों की संख्या क्रमशः 653 तथा 1671 है।

पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों का उत्पीड़न

141. **श्री केशरी लाल** :
श्री शांताराम पाटवुखे :
श्री रमेश चेन्नथाला :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों एवं उनके परिवारों को तंग किए जाने की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन घटनाओं पर पाकिस्तान सरकार को अपनी चिंता व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) इस्लामाबाद और कराची में स्थित हमारे मिशनों में काम करने वाले भारतीय राजनयिकों तथा कर्मचारियों और उनके परिवारों पर दुराग्रही निगरानी रखने तथा उन्हें परेशान करने के कई मामले हुए हैं। इन सभी घटनाओं को सदैव पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाया जाता रहा है और उपयुक्त विरोध प्रकट किया जाता है।

(ग) और (घ) पाकिस्तान की सरकार आमतौर पर इस बात का खंडन करती है कि इस प्रकार की वारदातों में उसके कार्मिकों का हाथ है। हम पाकिस्तान सरकार पर इस बात की आवश्यकता के लिए दबाव डालने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए है कि इस बात का सुनिश्चय हो कि हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों तथा मिशनों का कार्य सुचारू रूप से चले और वह राजनयिक मिशनों के कार्मिकों की सुरक्षा तथा हिफाजत का सुनिश्चय करने के लिए वियना अभिसमय के अन्तर्गत अपने दायित्वों को निभाए।

द्विपक्षीय संबंधों के बारे में राजनैतिक स्तर पर भारत-पाकिस्तान वार्ता

[अनुवाद]

142. **श्री कल्पनाथ राय :**

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर के बजाय राजनैतिक स्तर पर बातचीत करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य हो सके; और

(ख) यदि हां, तो इन दो देशों के बीच मंत्री-स्तरीय बैठक कब तक होने की आशा है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) द्विपक्षीय मतभेदों के समाधान और संबंधों को सामान्य बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ किसी भी उपयुक्त स्तर पर बातचीत करने के लिए भारत सरकार सदैव तैयार रही है। राजनीतिक स्तर की बातचीत आपसी भरोसे और विश्वास के वातावरण में उपयुक्त तैयारी करने के बाद ही लाभकारी हो सकती है। इस समय दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत चल रही है। जब भी उपयुक्त समय आयेगा, राजनीतिक स्तर की बातचीत शुरू की जाएगी।

देशों के संचार संघ के लिए उपग्रह

[हिन्दी]

143. **श्री हरीश पाल** : क्या विदेश मंत्री 119 देशों के संचार संघ के लिए उपग्रह के बारे

में 6 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4863 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या 119 राष्ट्रों के संचार संघ के लिए उपग्रह के बारे में अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो वह जानकारी कब तक एकत्रित कर ली जायेगी ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां। इस मंत्रालय के एक आश्वासन को पूरा करते हुए यह संसद को भेजी गयी है।

(ख) इसका विवरण इस प्रकार है—

फ्लोराइड में केप केनावेरल एयर फोर्स स्टेशन से 23 जून, 1990 को इन्टेलसेट-VI शृंखला संचार उपग्रह ने चौथी उड़ान (ई-4) भरी। इस उपग्रह "आई एस-VI (ई-4)" की स्थापना एटलान्टिक सागर क्षेत्र 332.5 डिग्री पूर्व को आवृत्त करते हुए की गयी है। इसलिए भारत को इससे संचार अथवा प्रसारण सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी।

पेय जल सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

3144. श्री हरीश पाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेयजल की कमी को गम्भीर समस्या से निटपने के लिए 10 सितम्बर, 1990 को नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राय बहादुर सिंह) : (क) "स्वच्छ जल तथा स्वच्छता संबंधी विश्व परामर्श" नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 10 से 14 सितम्बर, 1990 तक भारत में हुआ था।

(ख) सम्मेलन के निष्कर्ष के ब्यौरे "नई दिल्ली घोषणा" में दिये गये हैं जिसे सम्मेलन में पारित किया गया था और बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया गया है। अगले दशक के लिए पेयजल के बारे में जो चुनौती निर्धारित की गई है वह है "कुछ के लिए अधिक की बजाय सभी के लिए थोड़ा-थोड़ा"। नई दिल्ली में हुए परामर्श में चार मार्गदर्शी सिद्धांतों की सिफारिश की गई है—

1. जल संसाधनों और तरल तवा ठोस अवशेषों के समेकित प्रबंध की मार्फत पर्यावरण का संरक्षण तथा स्वास्थ्य की सुरक्षा।
2. पद्धतियों, स्वभाव और व्यवहार में परिवर्तन लाने के साथ-साथ समेकित नीति को बढ़ावा देने वाले संस्थागत सुधार, और क्षेत्रीय संस्थाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं की पूर्ण भागीदारी।

3. सेवाओं के सामुदायिक प्रबन्ध के साथ-साथ जल तथा स्वच्छता कार्यक्रमों को लागू करने और उन्हें जारी रखने के लिये स्थानीय संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के उपाय।

4. विद्यमान परिसम्पत्तियों के बेहतर प्रबन्ध के जरिए प्राप्त की गई ठोस वित्तीय प्रणालियां, और उचित प्रौद्योगिकियों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल।

(ग) नई दिल्ली घोषणा को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सप्लाई और पर्यावरण स्वच्छता के कार्यक्रम को आठवीं योजना के लिए तैयार की गई राष्ट्रीय नीति के अनुरूप कार्यान्वित किया जाएगा। तथापि, कार्यक्रम वार्षिक बजट संसाधनों की सीमा में कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

माले में हुए दक्षेस (सार्क) सम्मेलन के परिणाम

[अनुवाद]

145. **श्री चित्त महाता :**
श्री अमर राय प्रधान :
श्री चित्त बसु :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मान्धाता सिंह :
प्रो० के० वी० थामस :
डा० सी० सिलवेरा :
प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षेस (सार्क) देशों का पांचवां सम्मेलन, हाल ही में, माले में सम्पन्न हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर चर्चा की गई और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इन निर्णयों को लागू करने के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) संक्षेप में, पांचवें शिखर सम्मेलन में पिछले शिखर सम्मेलन के बाद से क्षेत्रीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई तथा दक्षिण एशियायी क्षेत्र में रहने वाले आम लोगों के लिए इस सहयोग को और व्यापक बनाने तथा इसे अर्थपूर्ण बनाने के तौर-तरीकों पर विचार किया गया।

शिखर सम्मेलन के निर्माण माले घोषणा तथा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में निहित हैं जिनकी प्रतियां विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) विदेश मंत्रालय पांचवें सार्क शिखर सम्मेलन में हुए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए

अनुवर्ती उपाय के रूप में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं।

विवरण

राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों का पांचवां शिखर सम्मेलन

माले घोषणा

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन के सदस्य देशों के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों की ओर से 23 नवम्बर, 1990 को जारी माले घोषणा।

बंगलादेश जन गणराज्य के राष्ट्रपति महामान्य श्री हुसैन मोहम्द इरशाद, भूटान नरेश महामहिम नरेश जिग्मे सिग्मे वांगचुक, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री महामान्य श्री चन्द्रशेखर, मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति महामान्य मौमून अब्दुल गय्यूम, नेपाल के प्रधान मंत्री परम सम्माननीय कृष्ण प्रसाद भट्टाराई, पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य के प्रधान मंत्री महामान्य श्री मोहम्मद नवाज शरीफ और लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य श्रीलंका के प्रधान मंत्री श्री दीनगिरी बंदा विजेतुंग 21 से 23 नवम्बर, 1990 तक माले में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के पांचवे शिखर सम्मेलन में मिले।

2. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात को दोहराया कि इस क्षेत्र के लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए दक्षिण एशिया के देशों के बीच सहयोग जरूरी है। उन्होंने अपना यह दृढ़ मत दोहराया कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थायित्व कायम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस क्षेत्र के देशों के बीच पारस्परिक सद्भाव, सहयोग और अच्छी प्रतिवेशिता के संबंध कायम किए जाएं। उन्होंने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि की और समान उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में सार्क के तत्वावधान में अपने सहयोग को और बढ़ाने का पुनः संकल्प लिया।

3. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने बलपूर्वक यह बात कही कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और गुट निरपेक्ष सम्मेलन के सिद्धांतों का रूखी से अनुपालन करते हुए, खासतौर पर संप्रभुतात्मक समानता, प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, शक्ति का प्रयोग न करने, दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के सिद्धांतों के प्रति विशेष सम्मान करते हुए इस क्षेत्र में शांति, स्थायित्व और सौहार्दता संवर्धित करना चाहते हैं।

4. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि 1985 में सार्क की स्थापना तथा दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से एकीकृत कार्ययोजना शुरू करने से इस क्षेत्र के लोगों में उत्साह बढ़ा है और आशा जागी है तथा दक्षिण एशिया में एक जागरूकता भी आ गई है जो क्षेत्रीय सहयोग की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है और धीरे-धीरे विकसित भी हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र की जनता में सद्भाव, विश्वास और समझ-बूझ की जो रचनात्मक स्थिति विद्यमान है, उसका वे अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे तथा सार्क को एक ऐसा सक्रिय माध्यम बना देंगे जो अपने उद्देश्यों में सफल हो सके तथा जिससे पारस्परिक सम्मान, समानता, सहयोग और पारस्परिक लाभ पर आधारित एक व्यवस्था कायम हो सके।

5. राज्याध्यक्षों अथवा शासन प्रमुखों ने दक्षिण एशिया में बच्चों की स्थिति पर विचार किया और यह देखा कि हाल ही में जो विश्व बाल सम्मेलन हुआ था उससे इस दिशा में किए जा रहे प्रयत्नों को एक नई प्रेरणा मिली है। उनका यह विश्वास था कि विश्व शिखर सम्मेलन की संगत सिफारिशों का, दक्षिण एशिया के संदर्भ में एक कार्य योजना में लाभप्रद तरीके से इस्तेमाल करके इसके कार्यान्वयन पर हर वर्ष विचार किया जाना चाहिए। इस प्रकार की कार्ययोजना के मार्गनिर्देशक सिद्धांत विशेषज्ञों के एक दल द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जिनका चयन सार्क महासचिव कर सकते हैं। इस कार्य-योजना का स्वास्थ्य एवं जनसंख्या संबंधी कार्यकलाप विषयक तकनीकी समिति भी निरीक्षण कर सकती है। उन्होंने बाल अधिकार संबंधी अभिसमय पारित किए जाने तथा उसे लागू किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि जो सदस्य राज्य अभी तक इस अभिसमय के पक्षकार नहीं बने हैं वे शीघ्र ही इसके पक्षकार बनेंगे।

6. शासनाध्यक्षों अथवा राज्याध्यक्षों ने जून, 1990 में इस्लामाबाद में आयोजित "विकास में महिलाओं के योगदान" के संबंध में सार्क की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक की सिफारिशों की पुष्टि की। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि वर्ष 1990 को "सार्क बालिका वर्ष" के रूप में मनाने पर सदस्य राज्यों ने सामूहिक तौर पर उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने यह निर्णय किया कि बालिकाओं की समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए 1991-2000 ईसवी का दशक "सार्क बालिका दशक" के रूप में मनाया जाना चाहिए।

7. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ रहा है। उन्होंने नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र व्यापार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच बढ़ते हुए गठजोड़ पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने स्वीकार किया कि वर्ष 1989 को नशीली औषधियों के प्रयोग और उनके अवैध व्यापार के लिए सार्क वर्ष वर्ष के रूप में मनाए जाने से इस भीषण समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करने की दृष्टि से बहुत जोरदार प्रभाव पड़ा है और इस बात की आवश्यकता को भी बहुत सराहा गया है कि इस समस्या को जड़मूल से समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि चौथे सार्क शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुरूप "नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसिज" संबंधी सार्क अभिसमय पर माले में हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने सदस्य राज्यों का आह्वान किया कि इस अभिसमय के अनुसमर्थन के लिए शीघ्र उपाय करें ताकि इसे लागू किया जा सके। वे इस ओर से पूर्णतः आश्वस्त थे कि इस अभिसमय से इस क्षेत्र में सार्क के प्रयासों को अधिक कारगर बनाने में सहायता मिलेगी।

8. उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं एवं पर्यावरण के संरक्षणों और परिरक्षणों के कारणों और परिणामों से संबंधित क्षेत्रीय अध्ययन को पूरा करने की समय-सीमा के विषय में मंत्रिपरिषद के निर्णय की पुष्टि की। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि "ग्रीन हाउस इफैक्ट" और इसके प्रभाव पर अध्ययन शुरू करने से संबद्ध रीति को निकट भविष्य में अंतिम रूप दे दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह इच्छा भी व्यक्त की कि यह अध्ययन छठे शिखर सम्मेलन में विचारार्थ पूरा हो जाना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने इस बात पर गौर किया कि सघन वर्षा के क्षेत्रों का विश्वभर में लगातार विनाश होने की वजह से जलवायु संबंधी परिवर्तनों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है तथा

उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि प्रस्तावित अध्ययन में इस पक्ष को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि इन अध्ययनों से पर्यावरण एवं प्राकृतिक विपदा-प्रबंध के क्षेत्र में सार्थक सहयोग की एक कार्य-योजना तैयार हो सकेगी।

9. इस बात को मानते हुए कि पर्यावरण प्रमुख सर्वभौम चिंता का विषय बन गया है, राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर-सरकारी पैनल द्वारा अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन के संबंध में की गई पूर्व सूचना पर गौर किया। उन्होंने विश्व समुदाय से अनुरोध किया कि वे अतिरिक्त वित्त जुटाएं तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराएं ताकि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन और समुद्रीय स्तर के उंचा हो जाने से उत्पन्न नई चुनौतियों का सामना कर सकें। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि सदस्य देशों को इस मसले पर अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थितियां समन्वित करनी चाहिए। उन्होंने वर्ष 1992 को "सार्क पर्यावरण वर्ष" के रूप में मनाने का फैसला किया।

10. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने संतोष के साथ इस बात पर गौर किया कि व्यापार, विनिर्माण एवं सेवाओं के संबंध में राष्ट्रीय अध्ययन पूरा हो गया है। उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि क्षेत्रीय अध्ययन मंत्रिपरिषद द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे क्षेत्र के लोगों की समृद्धि के लिए सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे।

11. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने यात्रा दस्तावेजों के बारे में मंत्रिपरिषद की सिफारिशों को स्वीकार किया और यह योजना शुरू करने का फैसला किया।

12. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर चिंता पर व्यक्त की कि सदस्य राज्यों को मजबूर होकर अपने दुर्लभ संसाधनों को आतंकवाद को दबाने के लिए लगाना पड़ रहा है। उन्होंने आतंकवाद के दमन के संबंध में सार्क क्षेत्रीय अभिसमय के क्रियान्वयन के लिए तेजी से सक्षम उपाय करने का आह्वान किया; उन्होंने सदस्य राज्यों से अभिसमय के अनुसार सहयोग जारी रखने का भी अनुरोध किया।

13. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर गौर किया कि आज उनके देश अगली सहस्राब्दी की दहलीज पर खड़े हैं जबकि संसार आज जबरदस्त परिवर्तनों के दौरे से गुजर रहा है जिन्हें लोकतंत्र, मुक्ति और मानवाधिकारों का प्रयोग करने, सैद्धान्तिक बाधाओं को दूर करने तथा सार्वभौम तनाव को कम करने तथा सार्वभौम संघर्ष के लिए तथा निरस्त्रीकरण की दशा में प्रगति तथा बहुत-सी क्षेत्रीय और सर्वभौम समस्याओं के निराकरण के रूप में अभिव्यक्ति मिल रही है। उन्होंने सार्वभौम अर्थव्यवस्था में उदारता की प्रवृत्ति का तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के विश्व अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में एकधार होने की प्रवृत्ति का स्वागत किया। उन्होंने सार्वभौम उत्पादन, खपत और व्यापार की प्रणाली की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का तथा विश्व अर्थव्यवस्था ढांचे की बढ़ती हुई बहुरूपता तथा अपनी प्रौद्योगिकी गति और प्रतियोगी रुख को बनाए रखने के लिए विकासशील देशों की मंडियों के एकीकरण की प्रवृत्ति पर भी गौर किया। इन परिवर्तनों ने नई चुनौतियां प्रस्तुत की हैं तथा न दक्षिण एशियाई देशों और शेष विकासशील विश्व के लिए नए अवसर दिए हैं। राज्याध्यक्ष अथवा

शासनाध्यक्ष इस बात से संतुष्ट थे कि इन उद्देश्यों पर अधिक प्रभावी ढंग से चलने के लिए उनका आपसी सहयोग काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।

14. विकासशील देशों की दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा के लिए जैव-प्रौद्योगिकी और औषधीय प्रयोजनों के आवश्यक महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने निर्णय लिया कि इस क्षेत्र में सहयोग को और विशेष रूप से आनुवंशिक संरक्षण के विशिष्ट ज्ञान के आदान-प्रदान तथा जनन-द्रव्य बैंकों के रख-रखाव को बढ़ाया जाए। इस संबंध में उन्होंने भारत द्वारा प्रशिक्षण सुविधाएं देने के प्रस्ताव का स्वागत किया और इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि विभिन्न सार्क देशों के पास उपलब्ध आनुवंशिक संसाधनों की सूची बनाने में सहयोग करने से पारस्परिक लाभ होगा। विकासशील देशों के लिए आनुवंशिक बैंक की स्थापना के लिए 15 विकासशील देशों के समूह (जी-15) के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष इस उद्यम में सहयोग देने को तैयार हो गए।

15. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने क्षेत्रीय परियोजनाओं के लिए एक कोष की स्थापना करने के विचार का स्वागत किया। इस कोष से क्षेत्रीय परियोजनाओं को पता लगाने और उनका विकास करने के लिए आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा। वे इस बात पर सहमत हुए कि सदस्य देशों के राष्ट्रीय विकास बैंकों के प्रतिनिधि कोष के स्रोतों की ठीक-ठीक रूप-रेखा तैयार करने के लिए और ऐसे तरीके निकालने के लिए परस्पर विचार-विमर्श करेंगे जिससे इन्हें संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के साथ संबद्ध किया जा सके। उन्होंने भारत द्वारा इस बैठक की मेजबानी करने के प्रस्ताव का स्वागत किया।

16. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने खाड़ी में घटित हाल की घटनाओं को तनाव-शैथिल्य, सहयोग और झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाए जाने की वर्तमान प्रवृत्ति के विपरीत अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के रूप में लिया। उन्होंने इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावों के पालन की पुनः पुष्टि की। इस मसले के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कुवैत से इराकी सेनाओं की शीघ्र और बिना किसी शर्त पर वापसी की मांग की और वहां की वैध सरकार की बहाली की मांग की। उन्होंने कहा कि खाड़ी संकट से उनकी अर्थव्यवस्था पर भयंकर आघात पहुंचा है। प्रेषणों में आई भारी कमी, उनके निर्यात को नुकसान पहुंचने और तेल की कीमतों के बढ़ जाने से उनके भुगतान संतुलन की स्थिति को धक्का लगने के कारण उन्हें जो हानि हुई है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर अन्तर्राष्ट्रीय सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने इन प्रतिकूल परिणामों से उत्पन्न प्रभावों को कम करने के लिए पारस्परिक सहयोग की संभावनाओं को स्वीकार किया।

17. राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर संतुष्टि जाहिर की कि 1989 में संयुक्त राष्ट्र में छोटे राज्यों की रक्षा और सुरक्षा के लिए मालदीव की सरकार ने जो पहल कदमी की थी और जिसका सभी ने समर्थन किया था, उसे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का भी व्यापक समर्थन मिला है। वे इस बात पर सहमत हुए कि छोटे राज्यों की अपनी विशेष किस्म की समस्याएं हैं, इसलिए उनकी स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखण्डता की रक्षा के लिए विशेष उपायों की जरूरत है।

18. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने आशा व्यक्त की कि शस्त्र नियंत्रण पर दो महाशक्तियों के बीच वार्ता का निष्कर्ष उनके नाभिकीय अस्त्रागारों में भारी कमी किए जाने की सहमति के रूप में होगा जिसके माध्यम से बाद में नाभिकीय शस्त्रों को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकेगा। सार्वभौम शस्त्र कटौती के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का स्वागत करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि सदस्य राष्ट्रों के बीच आपसी विश्वास तथा भरोसे को बढ़ाकर इस उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। उन्होंने निरस्त्रीकरण तथा विकास के बीच के संबंधों का उल्लेख किया तथा सभी राष्ट्रों से विशेषत: जिनके पास भारी मात्र. में नाभिकीय तथा परम्परागत शस्त्रागार हैं, से मांग की कि वे अतिरिक्त वित्तीय साधनों, मानव शक्ति तथा सृजनात्मक कार्यों को विकास की दिशा में लगाएं। उन्होंने रासायनिक अस्त्रों पर रोक लगाए जाने तथा व्यापक परोक्ष एवं प्रतिबंध संधि पर शीघ्र निर्णय लिए जाने का समर्थन किया। इस संबंध में, उन्होंने आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि को व्यापक नाभिकीय परीक्षण प्रतिबंध संधि में परिवर्तित किए जाने से संबंधित संशोधनों पर विचार करने के लिए जनवरी, 1991 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाए जाने का स्वागत किया।

19. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि विकासशील देशों की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति, संसाधनों के प्रतिकूल प्रवाह, व्यापार में अत्यधिक अवरोध, गम्भीर विदेशी ऋण समस्याओं तथा अधिक ब्याज दर की है। अत: सार्क देशों के लिए अधिक रियायती साधनों तथा प्रौद्योगिकी और साथ ही उनके निर्यात के लिए मंडियां उपलब्ध कराने की आवश्यकताओं को कम महत्व नहीं दिया जा सकता। उन्होंने आपसी हितों पर आधारित सामूहिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता की मांग की तथा यह अनुभव किया कि सार्वभौम परस्पर आश्रित समान प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से उत्तर-दक्षिण विचार-वि. श किया जाए।

20. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने 1986 में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मसलों पर इस्लामाबाद में हुई प्रधान मंत्री स्तर की बैठक की उपयोगिता को दोहराया। वे इस बात पर सहमत हुए कि उरुग्वे दौर के परिणामों की समीक्षा करने के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, जिसमें पर्यावरण तथा विकास से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1992 शामिल है, स्थिति को समन्वित करने के लिए 1991 में भारत में मंत्री स्तर की ऐसी दूसरी बैठक आयोजित की जाए।

21. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक समता के प्रयासों को जारी रखने के लिए राष्ट्राध्यक्षों, अथवा शासनाध्यक्षों ने स्वावलम्बन के उद्देश्यों के लिए मंत्री-स्तरीय बैठक की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मंत्रियों को क्षेत्रीय साधनों को संचालित करने की नीति तैयार किए जाने का निर्देश दिया। इससे क्षेत्र में अलग-अलग और सामूहिक स्वावलम्बन को उत्साह और बल मिलेगा।

22. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने पेरिस घोषणा (1990) तथा अल्प विकसित देशों से संबद्ध द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा स्वीकार की गई कार्ययोजना को अपना समर्थन दिया। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्ययोजना के सफल कार्यान्वयन में सहयोग देने की मांग की जो क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

23. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने साउथ एशिया के लोगों को स्वदेशी प्रौद्योगिकी जानकारी तथा सामग्री का अनुकूलतम उपयोग करके बेहतर आवास उपलब्ध कराए जाने की

आवश्यकताओं पर जोर दिया तथा निर्णय दिया कि 1991 का वर्ष "सार्क शरण-स्थल वर्ष" के रूप में मनाया जाए।

24. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने नोट किया कि सार्क क्षेत्र मे लाखों अपंग रह रहे हैं तथा उनकी कठिनाइयों को कम करने और उनके जीवन में सुधार लाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जानी जरूरी है। उन्होंने वर्ष 1993 "सार्क अपंग व्यक्तियों का वर्ष" मनाने का फैसला किया।

25. राज्याध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष इस बात से विशेष रूप से प्रसन्न थे कि पांचवां सार्क शिखर सम्मेलन और मालदीव की स्वतन्त्रता की 25वी वर्षगांठ एक ही समय सम्पन्न हुई। इससे उन्हें मालदीव की सरकार तथा लोगों के प्रति अपनी एकजुटता की भावना प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ। उनका विचार था कि माले शिखर सम्मेलन से क्षेत्रीय सहयोग के लाभों को सम्मेकित करने और सार्क के संस्थागत आधार को मजबूत करने में सहायता मिली है।

26. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने 1991 में छठे सार्क शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए श्रीलंका सरकार के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया।

27. बंगलादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने मालदीव के राष्ट्रपति को बैठक के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को शानदार ढंग से निभाने के लिए हार्दिक सराहना की। उन्होंने मालदीव की सरकार का तथा लोगों का उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं तथा बैठक के दौरान उत्कृष्ट व्यवस्था के लिए आभार प्रकट किया।

माले में आयोजित पांचवें सार्क शिखर सम्मेलन के अन्त में, 23 नवम्बर, 1990 को जारी संयुक्त प्रैस विज्ञप्ति

1. बंगलादेश के राष्ट्रपति, भूटान के नरेश, भारत के प्रधानमंत्री, मालदीव के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तथा श्रीलंका के प्रधानमंत्री 21 से 23 नवम्बर, 1990 तक माले में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के पांचवें शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए। उनकी यह बैठक हार्दिकता, सौहार्दता तथा पारस्परिक सद्भाव के वातावरण में हुई।

2. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने सार्क के सिद्धान्तों और उद्देश्यों के प्रति अपनी वचन-बद्धता की पुन: पुष्टि की और सार्क के तत्वाधान में अपने पारस्परिक सहयोग को और सुदृढ़ करने का संकल्प लिया। उन्होंने माले घोषणा जारी की।

3. उन्होंने नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस विषयक सार्क अभिसमय पर माले में मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया तथा इस अभिसमय का शीघ्र अनुसमर्थन करने के उपाय करने का वचन दिया।

4. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात का फैसला किया कि वे एक "विशेष सार्क यात्रा दस्तावेज" शुरू करेंगे जिसके धारकों को इस क्षेत्र में यात्रा के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, राष्ट्रीय संसदों के सदस्यों, राष्ट्रीय वैधिक संस्थाओं के अध्यक्षों को तथा उनके पति/पत्नियों और आश्रित बच्चों को यह दस्तावेज प्राप्त करने का हक होगा।

5. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने मंत्रि-परिषद् के इस निर्णय की पुष्टि की कि 1991 की पहली छमाही में संगठित पर्यटन को संवर्धित करने से संबद्ध योजना शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने सदस्य राज्यों के पर्यटन उद्योगों के बीच संस्थागत सहयोग के प्रस्ताव का ही स्वागत किया ताकि इस क्षेत्र से बाहर के पर्यटकों को और बड़ी मात्रा में आकृष्ट किया जा सके।

6. उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सभी सदस्य राज्यों ने व्यापार, विनिर्माण और सेवा संबंधी अपने-अपने यहां राष्ट्रीय अध्ययन का कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि क्षेत्रीय अध्ययन का कार्य भी निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लिया जाना चाहिए।

7. उन्होंने यह फैसला किया कि कुटीर उद्योग और दस्तकारी के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की स्थापना की दिशा में तत्काल उपाय शुरू किए जाने चाहिए जिससे कि क्षेत्र के भीतर सामूहिक आत्म-निर्भरता बढ़ाने के लिए मंच तैयार हो सके। उन्होंने सार्क महासचिव को निर्देश दिया कि वे सार्क क्षेत्र से 2-3 विशेषज्ञों का चयन करके एक दल का गठन करें जो एक दस्तावेज तैयार करे जिसमें संयुक्त उद्यमों की स्थापना के तौर-तरीके सुझाए गए हों, वित्तीय स्रोत बताए गए हों और अन्य तमाम ब्यौरे दिए गए हों जिस पर मंत्रिपरिषद् अपनी अगली बैठक में विचार कर सके।

8. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने आर्थिक क्षेत्रीय कोष की स्थापना के प्रस्ताव पर गौर किया तथा स्थायी समिति को यह निर्देश दिया कि वह इस प्रस्ताव पर अपनी सिफारिशें दे जिस पर मंत्रिपरिषद् के अगले अधिवेशन में विचार किया जा सके।

9. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने सामूहिक प्रसार-तंत्र के क्षेत्र में सार्क के सदस्य राज्यों के बीच सहयोग के महत्व पर बल दिया और सार्क महासचिव को यह निर्देश दिया कि वे सार्क के तत्वावधान में इस क्षेत्र के पत्रकार परिसंघों/एसोसिएशनों, समाचार अभिकरणों और सामूहिक प्रचार-तंत्रों के बीच और अधिक पारस्परिक कार्यकलाप को सुविधाजनक बनाए।

10. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने सूचना के आदान-प्रदान और रिपोर्टों के आदान-प्रदान तथा अध्ययनों, प्रकाशनों को यूरोपीय समुदाय तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र एसोसिएशन (आसियो) के साथ प्रारम्भ में सहयोग के निर्धारित क्षेत्रों में सूचना का आदान-प्रदान करने का अधिकार सचिवालय को दिए जाने पर स्वागत किया।

11. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पाकिस्तान में मानव संसाधन विकास केन्द्र स्थापित करने का काम ठीक चल रहा है। उनका यह मत था कि इस केन्द्र से इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अधिकतम क्षेत्रीय सहयोग प्राप्त करने की दिशा में योगदान मिलेगा।

12. उन्होंने इस बात का आह्वान किया कि एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में, एक व्यापक रूपरेखा के अन्तर्गत कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने के लिए क्षेत्रीय योजना, "सार्क 2000—बुनियादी जरूरतों की प्राप्ति के संदर्भ में" शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए।

13. उन्होंने निदेश दिया कि आयोजकों को "गरीबी निवारण" संबंधी नीतियों पर गहराई से विचार करना चाहिए जिससे कि समुचित सिफारिशें तैयार की जा सकें।

14. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने यह फैसला किया कि बालिकाओं की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए ईसवी 1991-2000 का दशाब्द "सार्क बालिका दशाब्द" के रूप में मनाया जाएगा। वे सार्क बालिका अपील से बहुत प्रभवित हुए जिसमें बालिकाओं ने अपील की है कि उन्हें स्नेह मिलना चाहिए तथा उनकी समुचित देखभाल होनी चाहिए तथा जिसमें उन्होंने अपना बालपन का अधिकार मांगा है। उन्होंने अपने इस संकल्प को दोहराया कि सामान्यतः सभी बालकों का कल्याण, और विशेषतः बालिकाओं का कल्याण, उनकी प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर रहेगा।

15. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मंचों पर सार्क सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच नियमित विचार-विमर्श के महत्व पर बल दिया जिससे कि, जहां तक समुम-किन हो, समान हित-चिन्ता के मामलों पर वे एकजुट रवैया अख्तियार कर सकें। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मसलों पर मन्त्रि-स्तर की दूसरी बैठक 1991 में भारत में करने का फैसला किया।

16. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने दक्षिण एशिया के लोगों को रहन-सहन की बेहतर परिस्थितियां मुहैया कराने की तत्कालिक आवश्यकता पर बल दिया और यह निर्णय लिया कि "बेघरों" की समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए वर्ष 1991 "सार्क शरण स्थल वर्ष" के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने यह भी फैसला किया कि इस विचार के आधार पर प्रत्येक देश अपने-अपने यहां कार्यक्रम आयोजित करेगा तथा अपने अनुभवों की एक एक-दूसरे के साथ अदल-बदल करेंगे जिससे कि इस क्षेत्र के लोग "सार्क शरण स्थल वर्ष" से व्यावहारिक लाभ उठा सकें।

17. उन्होंने यह फैसला किया एक प्राकृतिक विनाश के कारण और परिणाम तथा पर्यावरण के संरक्षण और परिरक्षण से संबद्ध क्षेत्रीय अध्ययन तथा "ग्रीन हाउस इफेक्ट" संबंधी अध्ययन तथा सार्क क्षेत्र पर इसका प्रभाव अगले शिखर सम्मेलन से पहले पूरा कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब तक ये अध्ययन कार्य पूरे नहीं हो जाते, सदस्य राज्यों को इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने तय किया कि वर्ष 1992 को वे "सार्क पर्यावरण वर्ष" के रूप में मनाएंगे।

18. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सार्क क्षेत्र में रहने वाले करोड़ों अपंग व्यक्तियों के दुख-दर्द को कम करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करने तथा उनके जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उन्होंने वर्ष 1993 को "सार्क अपंग व्यक्ति वर्ष" के रूप में मनाने का फैसला किया।

19. उन्होंने यह निर्णय किया कि 1991 को सार्क शरण स्थल वर्ष, 1992 को सार्क पर्यावरण वर्ष तथा 1993 को सार्क अपंग व्यक्ति वर्ष के रूप में मनाने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिएं। इन क्षेत्रों में सार्क देशों के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने तथा लोगों को इन नियमों के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से क्रमशः श्रीलंका, मालद्वीव और पाकिस्तान राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वयन के लिए कार्यकलाप योजनाएं परिचालित करेंगे।

20. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात पर गौर किया कि "सार्क कृषि सूचना केन्द्र" ने ढाका में अपना काम शुरू कर दिया है। उन्होंने यह निश्चय किया कि क्रमशः नेपाल और भारत में सार्क क्षयरोग केन्द्र तथा सार्क दस्तावेज केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने निदेश दिया कि इन दोनों केन्द्रों की स्थापना की दिशा में तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

21. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि सार्क के तत्वावधान में आयोजित की जाने वाली बैठकों में अधिक से अधिक काम करने और कार्यात्मक शैली कायम की जानी चाहिए। उन्होंने पांचवें सार्क शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष और बंग्लादेश के राष्ट्रपति से अनुरोध किया कि वे इस दिशा में सदस्य राज्यों के साथ विचार-विमर्श शुरू किया जाना चाहिए।

22. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों के मंत्रि परिषद् के अध्यक्ष को यह निदेश दिया कि वे सार्क की गतिविधियों को युक्तियुक्त बनाने की दिशा में अपनी सिफारिशें तैयार करें जिससे कि एसोसिएशन को अधिक कारगर तरीके से चलाया जा सके।

23. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने सार्क सचिवालय के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान इसके प्रथम महासचिव की हैसियत से राजदूत अबुल एहसान ने जो अग्रणी कार्य किया है, उसकी सराहना की। उन्होंने राजदूत अबुल एहसान के उत्तराधिकारी के रूप में राजदूत श्री कांत किशोर भार्गव का स्वागत किया तथा सार्क की चालू गतिविधियों में उनके बहुमूल्य योगदान की सराहना की।

24. उन्होंने इस सुखद संयोग पर बहुत खुशी जाहिर की कि सार्क का पांचवां शिखर सम्मेलन मालद्वीव की स्वतन्त्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है और इस संयोग के कारण ही उन्हें मालद्वीव की जनता और मालद्वीव की सरकार के साथ अपनी एकजुटता खुद अभिव्यक्त करने का मौका मिला।

25. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने श्रीलंका की सरकार के इस प्रस्ताव को साभार स्वीकार किया कि सार्क का छठा शिखर सम्मेलन श्रीलंका में आयोजित करने की इसकी मेजबानी का अवसर प्रदान किया जाए।

26. राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों ने मालद्वीव गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा सार्क के पांचवें शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष की हैसियत से इस बैठक की कार्रवाई संचालित करने की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने मालद्वीव गणराज्य की सरकार और वहां की जनता द्वारा शानदार स्वागत-सत्कार किये जाने पर तथा इस सम्मेलन के लिए बहुत ही अच्छे प्रबंध किये जाने पर अपना हार्दिक आभार प्रकट किया।

पर्वतीय क्षेत्रों में सभी उप-मंडल मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा

[हिन्दी]

146. श्री हरीश रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पर्वतीय क्षेत्रों में सभी उप-मंडल मुख्यालयों को एस० टी० डी० से जोड़ने की कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा;

(ग) क्या अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ पर्वतीय जिलों में सभी उप-मंडलों को वर्ष 1992 तक एस० टी० डी० से जोड़ दिये जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) चालू योजना अवधि के दौरान।

(ग) जी नहीं।

(घ) आठवीं योजना के अन्त तक।

(ङ) उपस्कर की कमी के कारण।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की आपूर्ति

147. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की आपूर्ति के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के बारे में एक संशोधित प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में विश्व बैंक से बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना को मंजूरी कब तक दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व बैंक सहायता के लिए एक प्रारंभिक प्रस्ताव रखा गया है। लागत, कार्यक्षेत्र, कार्यान्वयन के लिए समय-सारिणी आदि सहित अन्तिम परियोजना अभी तैयार की जानी है।

(ग) विश्व बैंक मूल्यांकन मिशन ने राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के साथ विचार-विमर्श किया था।

(घ) केन्द्र सरकार और विश्व बैंक मिशन द्वारा विचार करने के लिए राज्य सरकार को खंडों/जिलों/सामुदायिक भागीदारी का पता लगाने/चयन करने हेतु नीति कागजात 31-12-90 तक और परियोजना कार्यक्षेत्र 28-2-91 तक तैयार करने हैं।

अल्मोड़ा में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

148. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा जिले के सौनी, चौनलियस, हरड़ा, मरचूला, बासोट, भैरोंखाल तथा पौड़ी जिले के गौलीखाल में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त स्थानों पर कब तक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) अल्मोड़ा जिले के सौनी, चौनालिया, मरचूला और भैरोंखाल तथा पौड़ी जिले के गौलीखान में सार्वजनिक टेलीफोन खोलने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) सौनी में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोल दिया गया है । मरचूला, भैरोंखाल और गौलीखाल में स्टोर्स समय पर उपलब्ध होने पर मार्च 1992 तक सार्वजनिक टेलीफोन खोले जाने की संभावना है। चौनालिया में सार्वजनिक टेलीफोन षट्भुजाकार योजना के अधीन नहीं आता है क्योंकि संबंधित षट्भुजाकार क्षेत्र में एक सार्वजनिक टेलीफोन पहले से कार्य कर रहा है।

टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

[अनुवाद]

149. **श्री कमल चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नौएडा में आज की स्थिति के अनुसार एक्सचेंज-वार कितने आवेदन टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार टेलीफोन कनेक्शनों की मांग को पूरा करने तथा प्रतीक्षा सूची को कम करने के लिए दिल्ली और नौएडा मे नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने और/अथवा वर्तमान एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और वर्तमान प्रतीक्षा सूची कब तक पूरी हो जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) 30 नवम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार नौएडा और दिल्ली में नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 9259 और 3,00812 है। दिल्ली में एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) (I) नौएडा में वर्षवार टेलीफोन एक्सचेंज क्षमता के प्रस्तावित विस्तार योजना के ब्यौरे इस प्रकार हैं—

वर्ष	प्रस्तावित विस्तार
1990-91	5000 लाइनें
1991-92	3000 लाइनें
1992-93	1100 लाइनें
1993-94	10,500 लाइनें

तथापि यह उपस्कर के समय पर उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा। वर्तमान प्रतीक्षा सूची की 1993-94 तक निपटाए जाने की आशा है।

(ii) 1990-91 और 1991-92 के दौरान दिल्ली के एक्सचेंजों का विस्तार करने पर नए एक्सचेंज खोलने के प्रस्ताव संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। प्रतीक्षा सूची को 8वीं योजना के अन्त तक निपटाए जाने की संभावना है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

1-12-90 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में उपस्थितों की संख्या

स्तर	एक्सचेंज	जोड़
1	2	3
31, 34, 35	जनपथ	1409
62, 61, 69	जोरबाग	7920
331, 332, 371	शास्त्रीभवन	4345
38, 378	राजपथ	497
301, 379	सेना भवन	717
36 (लोदी रोड)	पी० आर० एक्स०	392
उत्तर— 720	ए० एस० पी०	466
—729	बादली	1730
23, 251, 252, 291, 292	तीस हजारी	9036
—728	नरेला	1050
74, 711, 712, 721, 722, 723	शक्ति नगर	48,321
—727	रोहिणी	11,524

1	2	3
पूर्व— 26, 326, 327, 328	दिलशाद गार्डन	9,693
51, 52, 77, 73	ईदगाह	15,607
221, 220, 224	लक्ष्मी नगर	35,260
—228	एस० एच० आर०	16,671
दक्षिण— 60, 67, 687	चाणक्यपुरी	10,871
65, 66, 686	हौज खास	9,142
641, 693, 644, 646, 642	नेहरू प्लेस	19,463
63, 683, 684	ओखला	8,692
680	सी० पी० आर०	852
689	वसंत कुंज	3,469
पश्चिम—329, 5542	कैंट	3,009
550, 559, 555	जनकपुरी	15,586
58, 571, 572, 573, 575	के० बी०	10,307
5456	नजफगढ़	1,624
547	नांगलोई	3,244
50, 53, 59, 541, 543, 545	राजौरी गार्डन	43,249
570	एस० पी० आर०	903
550	पश्चिम विहार	7,956
कुल जोड़ :		3,00,812

विवरण-II

नई टेलीफोन लाइनें खोलने, नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने तथा एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली का वर्षवार अंतरिम कार्यक्रम

वर्ष	प्लान की गई लाइन	चालू की गई लाइनें	चालू न की जाने वाली लाइनें	निवल
1990-91	81.5	21.5	24.9 हजार	56.6 हजार
1991-92	117 हजार		27 हजार	90 हजार
कुल :	190.5 हजार	21.5 हजार	51.9 हजार	146.6 हजार

ब्यौरे अनुबंध "क" तथा "ख" में दिए गए हैं।

टिप्पणी—"के" हजारों में लाइनों की संख्या को दर्शाता है।

अनुबन्ध-क

चालू करने का कार्यक्रम (1990-91)

I. पहले से चालू किए गए एक्सचेंज—

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम/आर० एल० यू०	क्षमता
1	2	3
	आर० एल० यू०	
	1. दिल्ली गेट	9 के
	2. पश्चिम विहार	+3 के
	3. वसंत कुंज	+1 के
	4. रोहिणी	+0.5 के
	5. जोरबाग	+1 के
	6. शाहदरा-II	1 के
	एक्सचेंज	
	7. नेहरू प्लेस डी-I	+2 के
	8. लक्ष्मी नगर डी-II	4 के
		21.5 के

II. चालू किया जाना है—

	आर० एल० यू०	
	1. वसंत कुंज	+1 के
	2. एन० आई० टी० सी०	1 के
	3. पालम	1 के
	4. ईदगाह	+1 के
	5. पश्चिम विहार	+1 के
	6. चाणक्यपुरी	+2 के
	7. होज खास	+2 के
	8. शाहदरा-II	+5 के
	9. जोरबाग	+6 के

1	2	3
10.	नरेला	+1 के
11.	लारेंस रोड	8 के
12.	नजफगढ़	+1 के
13.	राजौरी गार्डन प्रशासनिक ब्लॉक	5 के
14.	मुखर्जी नगर	2 के
15.	बादली	+1 के
16.	मयूर विहार	2 के

अनुबन्ध-ख

चालू किए जाने का कार्यक्रम (1991-92)

क्रम सं०	नाम	क्षमता
1	2	3
आर० एल० यू०		
1.	शाहदरा-II	+4 के
2.	मयूर विहार	+3 के
3.	पश्चिम विहार	+3 के
4.	दिल्ली विश्वविद्यालय	1 के
5.	वसंत कुंज	+1 के
6.	रोहिणी खंड-III	+3 के
7.	बादली	+1 के
8.	यमुना विहार	2 के
9.	हौज खास-II	7 के
10.	हरिनगर	5 के
11.	राजपथ	+8 के
12.	नांगलोई	+1 के
13.	चाणक्यपुरी	+2 के

1	2	3
एक्सचेंज		
1.	लक्ष्मी नगर डी-II	1 + 4 के
2.	ओखला डी-I	+ 3 के
3.	नेहरू प्लेस डी-II	+ 2 के
4.	जनपथ डी-I	+ 6 के
5.	चाणक्यपुरी डी-I	6 के
6.	जोरबाग डी-I	17 के
7.	राजौरी गार्डन डी-II	10 के
8.	ईदगाह फैटेक्स	+ 10 के
9.	करोल बाग फैटेक्स	+ 10 के
10.	तीसहजारी फैटेक्स	+ 8 के
	जोड़	117 के

टिप्पणी — (1) के एक हजार लाइनों को संकेत देता है।

(2) + का चिह्न मौजूदा एक्सचेंजों के विस्तार का संकेत देता है।

(3) + चिह्न के बिना दर्शाए गए अन्य एक्सचेंज नए एक्सचेंजों का संकेत देता है।

बन्द होने वाले एक्सचेंज :

एक्सचेंज

1.	जनपथ '31'	3 के
2.	जनपथ '34'	2.5 के
3.	जोरबाग '69'	12.6 के
4.	राजपथ '38'	8.9 के
	जोड़	27.0 के

एक्सचेंज

1.	जनकपुरी डी-I	+ 5 के
2.	नेहरू प्लेस डी-I	+ 1 के
3.	नेहरू प्लेस डी-II	+ 2 के

1 2	3
4. राजौरी गार्डन	+2 के
5. शक्ति नगर डी-II	9 के
6. जनपथ डी-I	+1 के
जोड़	66 के
जोड़ 21.5+60=81.5 के	
बन्द किए गए एक्सचेंज	
1. "55"	3 9 के
बन्द किए जाने वाले एक्सचेंज	
1. "74"—शक्ति नगर	5.1 के
2. "62"—जोरबाग	6.0 के
3. "26"—दिल्ली गेट	9.9 के

टिप्पणी --1. + का चिह्न मौजूदा एक्सचेंजों के विस्तार का संकेत देता है।

2. के एक हजार लाइनों का सूचक है।

3. + चिह्न के बिना दर्शाए गए अन्य एक्सचेंज नए एक्सचेंज हैं।

पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ में पर्यटन के विकास के लिए सहायता

150. **श्री कमल चौधरी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान पंजाब और दिल्ली तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यटन के विकास हेतु दी गई सहायता का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक खर्च की गई धनराशि तथा पंजाब और दिल्ली तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक उपलब्ध कराई गई धनराशि पूर्णतः उपयोग कर ली जाएगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) पंजाब राज्य सरकार के साथ परामर्श करके, वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने के लिए अनुमानित 150 लाख रुपये की लागत से पर्यटय स्कीमों/परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारित की गई है। दिल्ली और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के परामर्श से वर्ष 1990-91 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए क्रमशः 4.5 लाख और 4.00 लाख रुपये की स्कीमों की प्राथमिकता निर्धारित की गई है।

(ख) सातवीं योजनावधि और 1990-91 के दौरान, पर्यटन मंत्रालय ने पंजाब सरकार को 81.93 लाख रुपये और राज्य क्षेत्र दिल्ली को 5.00 लाख रुपये रिलीज किए हैं।

(ग) राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों को धन रिलीज करना एक सतत प्रक्रिया है जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा धन के उपयोग पर निर्भर करता है।

दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

[हिन्दी]

151. **प्रो० यदुनाथ पांडेय :**
श्री मनोरंजन भुर :
श्री जोस फर्नान्डीज :
श्री प्रताप सिंह :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्री० सी० वी मुदाल गिरियप्पा :
श्री वी० कृष्ण राव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दूर-संचार विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में पूरे देश में हड़ताल कर दी थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं;

(ग) इन मांगों के संबंध में सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है और इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या उक्त हड़ताल के कारण हुए नुकसान के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लि० के कर्मचारियों की भांति ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ" कर्मचारियों को प्रति माह 100 रु० अग्रिम के रूप में देने की मांग।

(ग) दूरसंचार विभाग का पुनर्गठन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करना जो छह महीने के भीतर देश में दूरसंचार सेवाओं का प्रबन्ध करने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक/प्रचालन संबंधी ढांचे की सिफारिश करेगी।

(घ) हड़ताल के परिणामस्वरूप हुई क्षति का अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगाया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नये शाखा डाकघर खोले जाना

[अनुवाद]

152. श्री श्रीकांत वत्स नरसिंहराज वाडियर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में नये शाखा डाकघर खोलने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) 30 जून, 1990 की स्थिति अनुसार, कर्नाटक राज्य में कितने शाखा डाकघर खोले गये हैं;

(ग) क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान कर्नाटक में कुछ नये शाखा डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी संख्या और ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) शाखा डाकघर खोलने के वर्तमान मानदंडों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। ये मानदंड पहाड़ी, पिछड़े जनजातीय और सामान्य श्रेणी जैसे क्षेत्रों के वर्गीकरण के आधार पर सभी राज्यों पर लागू होते हैं।

(ख) 30-6-1990 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में 7,553 शाखा डाकघर थे।

(ग) और (घ) विभाग इस समय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद की सहायता से सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने में लगा हुआ है। ताकि इस मूल्यांकन के आधार पर आठवीं योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने के लिए इन मानदंडों का पालन किया जा सके। दूसरे राज्यों की तरह कर्नाटक के लिए वास्तविक कार्यक्रम को मौजूदा प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् अंतिम रूप दिए जाने की आशा है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए 19-11-1987 से उदारीकृत मार्गनिर्देश

1. (i) एक ग्राम पंचायत वाला एक ग्राम समूह एक डाकघर के लिए पात्र है बशर्ते कि (क) ग्राम पंचायत में आने वाले ग्राम समूहों की कुल जनसंख्या सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 तथा पहाड़ी, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में 1500 से कम न हो एवं (ख) उस ग्राम समूह में कोई डाकघर न हो।

(ii) डाकघर सामान्यत: ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम में खोला जाएगा। यदि ऐसा ग्राम मौजूदा डाकघर से 3 कि०मी० के भीतर आता हो, तो उसी ग्राम पंचायत के किसी अन्य उपयुक्त ग्राम में डाकघर खोला जा सकता है जो दूरी की शर्त पूरी करता हो।

(iii) पहाड़ी क्षेत्रों में 3 कि० मी० की पाबंदी पर विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत छूट दी जा सकेगी।

(iv) सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम प्रत्याशित राजस्व लागत का 33½ % होगा तथा पहाड़ी, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में यह लागत का 15 प्रतिशत होगा।

2. पहाड़ी, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित मानदंड के अनुसार किया जाएगा।

पहाड़ी क्षेत्र

(i) विशेष श्रेणीबद्ध क्षेत्र अर्थात् हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम।

(ii) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रयोजनार्थ योजना आयोग द्वारा पहाड़ी क्षेत्र के बतौर निश्चित किए गए अन्य राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के जिले/ब्लाक/तालुके।

जनजातीय क्षेत्र

(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिनमें कुल जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक हो, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, दादर एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप, नागालैण्ड और मिजोरम।

(ii) जनजातीय विकास कार्यक्रम के बतौर अभिनिर्धारित अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के जिले/ब्लाक/सब डिवीजन/तहसील/ग्राम।

(iii) पिछड़े क्षेत्र सातवीं योजना के अधीन पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिनिर्धारित क्षेत्र (ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्र)।

पदों के सृजन पर लगातार पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए शाखा डाकघर खोलने के प्रस्तावों छूट देने के लिए डाक विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाएंगे।

कावेरी और कृष्णा घाटियों की परियोजनाएं

153. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराव वाडियर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कावेरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में कितनी परियोजनाएं चालू की जा रही हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के लिए अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने की कौन-सी तिथि निर्धारित की गयी है?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) आठवीं योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

कर्नाटक में कृष्णा और कावेरी बेसिनों में अनुमोदित निर्माणाधीन परियोजनाएं

(रुपए—करोड़/हजार हेक्टेयर)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	सातवीं योजना के अंत तक	1990-91 के लिए परिव्यय	चरम सिंचाई क्षमता	सातवीं योजना के अंत तक सृजित सिंचाई क्षमता
I.	कृष्णा बेसिन					
	(क) वृहद परियोजनाएं					
1.	तुंगभद्रा बांध एवं बायां तट नहर	112.41	91.80	5.00	244.38	242.41
2.	मालाप्रभा	342.00	232.80	18.00	218.19	149.43
3.	तुंगभद्रा एच० एल० सी० चरण-II	27.58	16.58	2.50	80.91	68.27
4.	अपर कृष्णा चरण-I	1214.97	561.37	80.00	424.94	112.43
5.	घाटप्रभा चरण-II	307.50	103.85	15.00	178.06	25.34
	(ख) मध्यम परियोजनाएं					
1.	अमरजा	32.00	8.75	2.00	8.90	—
2.	जोबर मुलामरी	31.45	6.16	1.00	9.71	—
3.	मस्किनाला	15.90	2.39	1.00	2.83	—
4.	हिरेनाला	36.29	2.64	1.00	8.01	—
II.	कावेरी बेसिन					
	(क) वृहद परियोजनाएं					
		शून्य				
	(ख) मध्यम परियोजनाएं					
1.	बोटहोल	23.07	16.44	1.75	7.49	5.24
2.	मनचनबाले	27.67	18.13	2.00	3.85	1.15

चावल की खेती

154. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को निकट भविष्य में विश्वव्यापी चावल की संभावित कमी के बारे में विश्व चावल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई चिंता की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने अधिक क्षेत्रों में चावल उत्पादन करने तथा उत्पादकता का स्तर बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में चावल के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) देश में चावल के अंतरर्गत आने वाले क्षेत्र में वृद्धि सीमित होने के कारण उत्पादन में वृद्धि उत्पादकता में सुधार करके ही होगी। देश में चावल की उत्पादकता के स्तरों में वृद्धि करने के लिए चावल पैदा करने वाले 19 प्रमुख राज्यों में 201 जिलों में चावल के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एकीकृत कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1994-95) के चावल उत्पादन के लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

कर्नाटक में परती भूमि कृषि परियोजनाएं

155. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के दौरान किन-किन राज्यों में परती भूमि कृषि परियोजनाएं प्रारम्भ की गई;

(ख) कर्नाटक में परती भूमि कृषि परियोजनाओं के लिए राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना 25 राज्यों संलग्न विवरण में किए गए ब्योरे के अनुसार शुरू की गई थी।

(ख) कर्नाटक राज्य को वर्ष 1990-91 के लिए 718.30 लाख रुपए (सात करोड़ अट्ठारह लाख तथा तीस हजार रुपए) की केन्द्रीय सहायता आवंटित की गई है।

(ग) राज्य सरकारों ने एन० ई० एस० ब्लाकों का चयन किया है, जो सिंचाई के सुनिश्चित साधनों द्वारा सस्यगत क्षेत्र के 30 प्रतिशत क्षेत्र से कम है तथा ऐसे खंडों में सर्वेक्षण तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में परियोजना नियोजन हेतु सूक्ष्म पनधाराओं का पता लगाया गया है।

विवरण

उन राज्यों की सूची को दर्शाने वाला विवरण जहां इस वर्ष के दौरान बारानी खेती परियोजना शुरू की गई है

क्र० सं०	राज्य का नाम
1	2
1.	आंध्र प्रदेश
2.	अरुणाचल प्रदेश
3.	असम
4.	बिहार
5.	गोवा
6.	गुजरात
7.	हरियाणा
8.	हिमाचल प्रदेश
9.	जम्मू व कश्मीर
10.	कर्नाटक
11.	केरल
12.	मध्य प्रदेश
13.	महाराष्ट्र
14.	मणिपुर
15.	मेघालय
16.	मिजोरम
17.	नागालैंड
18.	उड़ीसा
19.	पंजाब

1	2
20. राजस्थान	
21. सिक्किम	
22. तमिलनाडु	
23. त्रिपुरा	
24. उत्तर प्रदेश	
24. पश्चिम बंगाल	

तिलहनों का उत्पादन

[हिन्दी]

157. डा० चिन्ता मोहन :
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष देश में तिलहनों का कुल कितना उत्पादन होने का अनुमान ?;

(ख) क्या यह मात्रा उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) सरकार ने देश में आगामी वर्ष के लिए तिलहनों के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) वर्ष 1989-90 के लिए तिलहनों का अनुमानित उत्पादन 16.7 मिलियन मीटरी टन है।

(ख) और (ग) जी हां। 16.5 मिलियन मीटरी टन लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उत्पादन 16.7 मिलियन मीटरी टन है।

(घ) वर्ष 1990-91 के लिए तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 18.0 मिलियन मीटरी टन है।

उर्वरकों की सप्लाई

158. डा० चिन्ता मोहन :
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के दौरान देश में उर्वरकों की सप्लाई मांग के अनुपात में कम होने का अंदेशा है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष उर्वरकों की अनुमानित मांग कितनी है और कितनी मात्रा में सप्लाई होने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने मांग और सप्लाई के बीच अंतर को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए 128.24 लाख टन (न्यूट्रीएन्टस के रूप में) उर्वरकों की खपत का अनुमान लगाया गया है जिसमें 79.83 लाख टन नाइट्रोजन, 34 77 लाख फोस्फेट तथा 13.64 लाख टन पोटाश शामिल है। स्वदेशी उत्पादन तथा आयात दोनों से उर्वरकों की संभावित उपलब्धि से उपर्युक्त मांग को पूरा किया जायेगा।

(ग) स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरकों तथा देश में इसकी मांग के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए समय-समय पर उर्वरकों का आयात किया जाता है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न उर्वरकों की निम्नलिखित मात्राएं आयात किये जाने की आशा है :—

(मात्रा लाख टनों में)

डी० ए० पी०	= 22.00
एम० ओ० पी०	= 19.65
एस० ओ० पी०	= 0.59
एन० पी० के०	= 1.54

मध्य प्रदेश में पर्यटन का विकास

159. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों को पर्यटन-स्थलों के रूप में विकसित किये जाने के लिए स्वीकृति दे दी है या उन पर इस प्रयोजनार्थ विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन स्थलों में और मन्दसौर और मन्दसौर जिले के धर्मराजेश्वरी व गांधी सागर भी सम्मिलित हैं; और

(ग) यदि हां, तो इनके लिए बनी विकास योजनाओं का ब्यौर क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) पर्यटन आधारिक-संरचना का विकास करना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेवारी है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर प्रत्येक मामले की गुण-दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तथापि, राज्य सरकार के परामर्श से 1990-91 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु नौ परियोजनाओं/स्कीमों को प्राथमिकता प्रदान की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में नए टेलीफोन एक्सचेंज

160. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मंदसौर और रतलाम जिलों में वर्तमान एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिकी एक्सचेंजों में बदलने, वर्तमान एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करने और नए टेलीफोन एक्सचेंजों को स्थापित किए जाने के बारे में तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) मंदसौर, नीमच, जावरा और रतलाम जिलों में टेलीफोन कनेक्शन के कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) एक्सचेंजों की विस्तृत स्कीमें इस प्रकार हैं :—

स्कीमें	रतलाम जिला	मंदसौर जिला
(i) स्थापित किए जाने वाले नए नए एक्सचेंज :	4	6
(ii) विस्तार---इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों सहित एक्सचेंजों की संख्या	5 (1194 लाइनें)	7 (456 लाइनें)
(iii) एक्सचेंजों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।		

(ख) मंदसौर और रतलाम जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बड़े आवेदनों की संख्या क्रमश: 817 और 1508 है। नीमच और जावरा जिले नहीं हैं, लेकिन यहां पर टेलीफोन कनेक्शनों के लिए दर्ज आवेदनों की संख्या क्रमश: 85 और 176 है।

विवरण

30-9-90 की स्थिति के अनुसार रतलाम जिले में 30 एक्सचेंजों द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है जिनकी कुल क्षमता 4699 कनेक्शन हैं। जिनमें 4212 चालू कनेक्शन हैं और 1500 की प्रतीक्षा सूची है।

(क) रतलाम जिला

(i) नए एक्सचेंजों जिनको खोले जाने की संभावना है।

1. टिटरी

2. बरखेडाकलां

3. हतनेरा

4. मोहम्मद खेडा

(ii) प्रस्तावित विस्तार कार्य :

1. रतलाम मैक्स-I 3000 लाइनों से 4000 लाइनें (1000)

2. भाटी बडोदिया मैक्स III 45 लाइनों से 90 लाइनें (45)

3. सरवन मैक्स III 25 से 45 लाइनें (20)

जोड़ : 1065

(iii) इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलना :

1. देवघर 45 लाइनों के मैक्स-III से 88 लाइनों का सी-डॉट —43

2. पिपलोदा 45 लाइनों के मैक्स-III से ,, ,, ,, —43

3. रावती 45 लाइनों के मैक्स-III से 88 लाइनों का सी-डॉट —43

129

इस समय मंदसौर जिले में 60 एक्सचेंजों द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है जिनकी कुल क्षमता 6135 है जिनमें 5364 चालू कनेक्शन हैं और 817 प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं।

(ख) मंदसौर जिला

(i) खोले जाने वाले संभावित नए एक्सचेंज

1. कानजारदा

2. पिपलिया रावजी

3. रूपपुरा बावल

4. कदवासा

5. अफजालपुर

6. सबाखेड़ा

(ii) प्रस्तावित एक्सचेंज जिन का विस्तार किया जाना है वे इस प्रकार हैं :—

1. मंदसौर 1200 लाइनों से 1300 लाइनें (100 लाइनें)

2. शामगढ़ 200 लाइनों से 250 लाइनें (50 लाइनें)

150 लाइनें

(iii) इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलना :

	अतिरिक्त	से	तक
बोलिया	43	45 लाइनें मैक्स-III	88 लाइनें सी-डॉट
नारायणगढ़	43	45 लाइनें मैक्स-III	88 लाइनें सी-डॉट
मुलनानपुर	53	35 लाइनें मैक्स-III	88 लाइनें सी-डॉट
सिंगाली	43	45 लाइनें मैक्स-III	88 लाइनें सी-डॉट
मनाली	124	260 लाइनें सी०बी०ए०ए०एम०	384 लाइनें आई०एल०टी०

केन्द्रीय बाढ़-नियंत्रण बोर्ड की स्थापना

[अनुवाद]

161. श्री अनादि चरण दास :

श्री भजमन बेहेरा :

क्या जल-संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को, सदैव बाढ़ से प्रभावित उड़ीसा राज्य के लिए बाढ़ नियंत्रण के दीर्घकालीन उपाय के रूप में बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हेतु उड़ीसा सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री तथा भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया):(क) से (ग) जी नहीं। उड़ीसा सरकार ने राज्य के लिए पहले ही एक बाढ़ नियंत्रण बोर्ड गठित कर दिया है। यह बोर्ड नीतियां निर्धारित करता है तथा बाढ़ प्रबंध कार्यों को समन्वित करता है। बोर्ड क्रियान्वयन के लिए स्कीमों को अनुमोदन भी प्रदान करता है तथा बाढ़ प्रबंध कार्यों के अनुरक्षण का प्रबोधन करता है।

नर्मदा सागर परियोजना

162. श्री उत्तम राठौड़ : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा सागर परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है तथा इस पर कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस पर कितनी धन-राशि खर्च होगी; और

(ग) इस संबंध में विश्व बैंक से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त होने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, हां।

(ख) नर्मदा सागर परियोजना में कंक्रीट बांध, एक केन्द्रीय स्पिलवे, एक उप सतही विद्युत गृह, मुख्य सिंचाई नहर, खरगोन लिफ्ट नहर और पुनासा लिफ्ट स्कीम की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना में 1.69 लाख हेक्टेयर की वार्षिक सिंचाई क्षमता और 1000 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता की परिकल्पना की गई। 1989 के मूल्य स्तर पर परियोजना की अनुमानित लागत 2167.67 करोड़ रुपए है।

(ग) यह परियोजना विश्व बैंक को ऋण सहायता हेतु भेजी गई है। तथापि, बैंक के साथ अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है।

बाढ़ों को रोकने के लिए नदियों की गहराई में वृद्धि करना

[हिन्दी]

163. श्री रामलाल साही : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ों को रोकने और जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए मैदानी क्षेत्रों में नदियों को गहरा करने के लिए कोई योजना बनाई गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मैदानी क्षेत्रों में कुछ नदियों के गहरा करने के लिए उनकी गाद निकाली गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) से (घ) बाढ़ नियंत्रण के लिए लंबी पहुंचों में गाद निकालने अथवा तलकर्षण के माध्यम से नदियों की गहराई बढ़ाने की तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं माना जाता है। तथापि, नौवहन उद्देश्यों के लिए ड्राफ्ट बढ़ाने हेतु चुनिन्दा स्थानों और छोटी पहुंचों में तलकर्षण का सहारा लिया गया है।

दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारना

164. श्री रामलाल राही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को दुधारू पशु-पालन हेतु प्रोत्साहित करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे कितने लोगों को दुधारू पशु प्रदान किए गए हैं; और

(घ) पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए 1989-90 के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की

रेखा से नीचे रह रहे चुने हुए परिवारों को दुधारू पशुओं सहित आय सृजन वाली परिसंपत्तियों से सहायता दी जाती है।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे किसान 25% सबसिडी तथा अन्य 33 1/3 प्रतिशत सबसिडी के पात्र हैं तथा दोनों मामलों में, सामान्य क्षेत्रों में अधिकतम सीमा 3,000 रुपए और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में 4,000 रुपए है। 5,000 रुपए की अधिकतम सीमा के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियां 50 प्रतिशत सबसिडी की पात्र हैं।

दोगली किस्म की ओसरे पालने के लिए कार्यक्रम में एक निर्धारित अवधि तक के लिए अधिकतम दो ओसरों के लिए समाहरित चारे की लागत की व्यवस्था है। पशुचारे के लिए लघु तथा सीमांत किसान, दोनों अधिकतम 3,000 रुपए की सीमा तक 50 प्रतिशत सहायता और कृषि श्रमिक 66-2/3 प्रतिशत सहायता के पात्र हैं। आदिवासी अधिकतम 5,000 रुपए की सीमा तक के आधार पर 50 प्रतिशत सहायता के पात्र हैं।

(ग) 1989-90 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 6,41,704 परिवारों को दुधारू पशु देकर सहायता दी गई है।

(घ) पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए 1989-90 के दौरान कई कार्यक्रम जारी थे।

पशुओं की नस्ल में सुधार के लिए भारत सरकार की प्रमुख संस्थाएं/कार्यक्रम निम्नलिखित हैं –

1. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म
2. सेंट्रल फ्रोजन सीमेन प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, हेसरघट्टा
3. सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन स्कीम
4. एक्सटेंशन आफ फ्रोजन सीमेन टैक्नोलाजी फार कैटल एंड बफैलो डैवलपमेंट आउटसाइड आपरेशन फ्लड प्रोजेक्ट
5. को आर्डिनेटेड कैटल ब्रीडिंग/प्रागैनी टैस्टिंग प्रोग्राम फार प्रोडक्शन आफ प्रोवन बुल्स
6. डैवलपमेंट आफ इंडिजिनियस breeds आफ कैटल एंड बफैलोज
7. गौशाला विकास योजना
8. विशेष पशुधन प्रजनन कार्यक्रम

पशुओं के विकास के लिए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम "मुख्य ग्राम योजना" तथा "गहन पशु विकास परियोजना" हैं।

महाराष्ट्र में पर्यटन क्षमता संबंधी सर्वेक्षण

[अनुवाद]

165. **श्री चन्नप्पा मोन्डप्पा सावुल :**
श्री हरिशंकर महाले :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार महाराष्ट्र में तुलजापुर, पंढारपुर, चन्द्र भागा, अकानकोट सिद्धेश्वर मंदिर बीजापुर का पुराना किला जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों का विकास पर्यटन के विकास हेतु करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितना समय लगने की संभावना है; और

(ग) इसके लिए केन्द्रीय सरकार का कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती ऊषा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

खाड़ी के देशों से वापस आए भारतीयों द्वारा वहां छोड़ी गई सम्पत्ति

[हिन्दी]

166. **श्री मदन लाल खुराना :**
श्री कमल नाथ :
श्री ए० के० ए० अब्दुल अहमद :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीयों द्वारा कुवैत और खाड़ी के देशों में छोड़ी गई चल और अचल सम्पत्ति की अनुमानित लागत क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन खाड़ी देशों से मुआवजे की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) कुवैत में भारतीयों द्वारा छोड़ी गई चल और अचल सम्पत्ति के मूल्य का पंजीकरण करने का मामला विचाराधीन है।

(ख) और (ग) भारत सरकार इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प संख्या 674 से मार्ग-निर्देश लेती जिसमें सभी राज्यों को आमंत्रित किया गया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार स्थापित किसी व्यवस्था के जरिए इराक द्वारा प्रत्यर्पण अथवा वित्तीय मुआवजे के अपने दावों तथा अपने राष्ट्रिकों और निगमों के दावों के बारे में सूचना एकत्र करें।

शिपयार्डों की समस्याएं

[अनुवाद]

167. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन कुछ शिपयार्ड समुद्र में डूब रहे हैं और उनके बन्द होने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो इन शिपयार्डों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन शिपयार्डों का खतरे से बाहर निकालने और उनके स्तर को अन्य देशों के शिपयार्डों के बराबर लाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापत्तनम, कोचीन शिपयार्ड लि०, कोचीन और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि० कलकत्ता, जो इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, घाटे में चल रही हैं। इन तीन शिपयार्डों को वर्ष 1989-90 के दौरान हुई हानि और 31-3-90 की स्थिति के अनुसार संचित हानि इस प्रकार है—

	1989-90 के दौरान हुई हानि	31-3-90 को संचित हानि
	(करोड़ रु०)	
हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	79.03	273.20
कोचीन शिपयार्ड लि०	27.71	145.14
हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि०	3.28	15.02 (अनंतिम)

हानि के मुख्य कारण ये रहे—(क) 1987 तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहाजों के मूल्य में गिरावट और सरकार द्वारा जहाजों के निर्धारित मूल्य तथा उत्पादन की वास्तविक लागत में भारी अन्तर (ख) कम उत्पादकता निर्माण लागत में वृद्धि (ग) अपर्याप्त आर्डर (घ) जहाज निर्माण में क्षमता का पूरा उपयोग न होना और (ङ) अपनी कार्यात्मक पूंजीगत आवश्यकताओं इत्यादि को पूरा करने के लिए लिए गए बैंक ऋण पर ऊंचे ब्याज का भार।

(ग) यार्डों की समस्याओं के लिए दीर्घकालीन समाधान ढूंढने के उद्देश्य से सरकार ने 1986 में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० के लिए और 1987 में कोचीन शिपयार्ड लि० के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। सरकार ने सितम्बर, 1986 में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से स्वदेशी सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों में निर्मित जहाजों के लिए एक उपयुक्त मूल्य निर्धारण फार्मूले की सिफारिश के लिए कहा। उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा सिफारिश किए गए कुछ उपायों जैसे जहाज-वार विस्तृत योजना और शैड्यूलिंग, उत्पादन लक्ष्यों की बारीकी से निगरानी, सामग्री की खरीद को तर्कसंगत बनाना, नवीनतम उत्पादन प्रौद्योगिकी लागू करना, गुणवत्ता नियंत्रण पद्धति, जहाज मरम्मत प्रभाग में विस्तार इत्यादि को यार्डों ने पहले ही लागू कर दिया है। इन दो समितियों द्वारा यथा प्रस्तावित अन्य सिफारिशें, जैसे शिपयार्डों को दी जा रही वर्तमान सब्सिडी 30% से बढ़ाकर 40% करना, जहाज के वसूली योग्य मूल्य के 50% के बराबर ओ० जी० एल० के तहत कर मुक्त आयात भारतीय शिपयार्डों में बने जहाजों के मौजूद मूल्य निर्धारण फार्मूले में संशोधन शिपयार्डों के पूंजीगत ढांचे की पुनः संरचना उत्पादकता के मानदंडों में धीरे-धीरे सुधार, शिपयार्ड का आधुनिकीकरण इत्यादि, सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय नौवहन निगम में भर्ती

168. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 नवम्बर, 1990 के इलेस्ट्रेड वीकली आफ इंडिया में "रिक्रूटमेंट स्कैंडल" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि भारतीय नौवहन निगम के अधिकारियों ने कई युवकों को नौकरी देने का वायदा करके उनसे धन ठग लिया है;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा इसमें शामिल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड द्वारा भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के उप-प्रबंधक श्री जे० ए० काम्बले के विरुद्ध विभागीय जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर 30-10-90 को श्री जे० ए० काम्बले की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। जहां तक भा० नौ० नि० के होम ट्रेड वैसल पर मुख्य बावर्ची श्री ए० जी० गोपालाकृष्णन् के विरुद्ध विभागीय जांच का प्रश्न है, उन्हें 13-9-90 को एक आरोप पत्र जारी किया गया था और उसने अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया है, जांच शीघ्र ही शुरू कर दी जाएगी। सरकार ने विस्तृत जांच-पड़ताल के लिए यह मामला जनवरी, 90 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी भिजवाया है।

कलकत्ता में दूरसंचार उपकरण निर्माण एकक की स्थापना

169. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में दूरसंचार उपकरणों का निर्माण करने वाले एकक की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह एकक कब चालू होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भूमिहीन कृषक और बटाईदार

170. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1951, 1961, 1971, 1981 और 1990 में भूमिहीन कृषकों तथा बटाईदारों की संख्या कितनी थी;

(ख) इन वर्षों के दौरान देश में भूमिहीन कृषकों की संख्या में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इन कृषकों की जीवन-दशा में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल छोटालालभाई शाह): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में भूमिहीन किसानों की संख्या का पता लगाने के लिए विशेष रूप से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने उपभोक्ता व्यय तथा रोजगार और बेरोजगार से संबद्ध अपने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 38वें (जनवरी, दिसम्बर 38) सर्वेक्षण में परिवारों द्वारा रखी गई भूमि पर सूचना एकत्र की है। इस सर्वेक्षण के अनुसार यह अंदाज लगाया गया है कि "कृषि में स्व-नियुक्त परिवारों तथा खेतीहर मजदूर परिवारों" में से 29.76 लाख परिवार ऐसे थे जिनके पास 0.01 एकड़ से कम भूमि थी या ऐसे परिवार जिनके पास अपनी वास भूमि थी या जिनके पास अपनी वास भूमि नहीं थी। बड़े राज्यों की सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। प्रश्न में उचित सामान्य वर्ष के बारे में ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है। देश में सह-श्रमिकों के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) देश में भूमिहीन किसानों की वृद्धि के कारण का मामला तब तक नहीं उठता जब तक पहले के वर्षों की सूचना उपलब्ध न हो।

(ग) सितम्बर, 1990 तक भूमि परिसीमन कानून के कार्यान्वयन के फलस्वरूप 72.12 लाख हैक्टेयर क्षेत्र अधिशेष घोषित किया था, जिनमें से 62.10 लाख एकड़, अधिगृहित किया गया तथा 46.93 लाख क्षेत्र वितरित किया गया। 41.85 लाख ग्रामीण निर्धन को अथवा स्तर सुधारने के लिए वितरित किया गया।

कृषि कामगारों के कल्याण हेतु उनके रोजगार, सेवा शर्तों तथा अन्य संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए विस्तृत विधान के अधिनियमन के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

0.01 एकड़ से कम भूमि धारण करने वाले परिवारों की संख्या (1) कृषि में स्वनियोजित परिवारों में से तथा (2) कृषि श्रमिक परिवारों में से

ग्रामीण (आंकड़े हजारों में)

प्रमुख राज्य	0.01 एकड़ से कम भूमि धारण करने वाले परिवार		
	कृषि में स्वनियोजित परिवार	कृषि श्रमिक परिवार	कुल (2 + 3)
1	2	3	4
महाराष्ट्र	24	796	820
गुजरात	27	389	416

1	2	3	4
तमिलनाडु	13	324	337
कर्नाटक	2	174	176
मध्य प्रदेश	8	258	266
हरियाणा	5	74	79
आंध्र प्रदेश	27	240	267
राजस्थान	12	65	77
पश्चिम बंगाल	17	107	124
असम	4	27	31
पंजाब	8	19	27
उड़ीसा	4	48	52
उत्तर प्रदेश	30	147	177
केरल	2	26	28
बिहार	15	52	67
अखिल भारतीय	213	2763	2076

स्रोत : एन० एस० एस० का 38 चक्र (1983)
अंनतिम : संशोधनाधीन

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाएं

[हिंदी]

171. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कितनी स्वीकृत सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है और इनका परियोजना-वार ब्योरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक परियोजना की क्षमता तथा इन पर हुए खर्च का परियोजना-वार ब्योरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में चालू 15 बृहद और 31 मध्यम अनुमोदित सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मध्य प्रदेश की अनुमोदित वृहद और मध्यम परियोजना

(करोड़ रुपए/हजार हेक्टेयर)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	नवीनतम अनुमानित लागत	सातवीं योजना तक व्यय	चरम क्षमता हजार हेक्टे०	सातवीं योजना तक सृजित क्षमता (हजार हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
(क) वृहद परियोजनाएं					
1.	हसदेव बांगो	692.88	304.64	392.00	101.00
2.	राजघाट यूनिट-1	133.50	60.18	—	—
3.	बाणसागर यूनिट-1	448.03	117.95	—	—
4.	उर्मिल	20.70	7.55	7.70	—
5.	रंगवान उच्च स्तरीय नहर	8.50	6.25	17.10	15.10
6.	बेरियारपुर बायां तट नहर	84.60	27.59	43.80	—
7.	पैरी	33.54	18.10	72.80	51.00
8.	सिन्ध फेज-1	32.70	24.16	37.60	36.20
9.	जोंक	36.88	18.78	14.50	4.60
10.	अपर बैन गंगा	128.90	108.87	103.90	44.40
11.	कोडार	38.28	20.17	23.50	22.20
12.	हलाली	18.40	15.26	37.60	36.00
13.	जोब्ट	30.75	4.75	12.51	1.00
14.	माही	99.50	18.27	26.40	—
15.	नर्मदा सागर (सिंचाई क्षेत्र)	952.16	10.09	169.00	—
	उप० जोड़ क०	2559.32	763.15	958.40	311.50

(ख) मध्यम परियोजना

1	2	3	4	5	6
1.	चन्दोरा	15.00	8.98	3.80	0.50
2.	बुण्डेला	14.20	9.58	4.50	0.50
3.	चौराल	27.40	20.05	5.00	—
4.	कैलासोती	51.20	38.60	10.10	1.00
5.	सिल्लर	32.90	25.21	9.90	3.70
6.	दुभी	19.70	7.23	4.90	—
7.	गोमुख	25.50	20.56	8.00	3.80
8.	बुधनानाला	21.60	10.05	3.20	—
9.	मतियामोती	20.00	14.09	6.50	5.00
10.	कनहरगांव	16.32	11.34	3.50	2.00
11.	चीरापनी	25.90	18.67	9.10	—
12	मतियारी	44.30	31.13	13.70	4.50
13.	देजलादेवड़ा	45.20	29.18	12.20	1.00
14.	घुनघुट्टा	38.10	24.39	13.10	4.40
15.	बारनई	15.40	4.18	2.80	—
16.	लालुन्दर	27.60	8.64	8.30	—
17.	मन्द डायवर्सन	40.40	7.90	13.10	—
18.	बिलासपुर डायवर्सन	6.30	0.41	5.60	—
19.	पिपारियानाला	12.50	8.88	6.90	5.70
20.	शिवनाथ डायवर्सन	6.60	4.14	5.90	1.00
21.	सागर	32.80	0.83	12.50	—
22.	कोसरटीडा	35.03	5.56	11.10	—
23.	बिन्दीनाला	9.80	3.03	2.00	—
24.	कुमवारी लिफ्ट	3.80	0.19	3.90	—
25.	घोलाबार्डे	16.88	12.88	6.40	4.00
26.	बंजर	6.60	5.72	2.40	1.50
27.	कमारपाकुट	8.00	6.13	3-40	3.20

1 2	3	4	5	6
28. बंकी	13.20	11.04	3.40	—
29. बालार	10.90	8.05	5.60	5.40
30. दोराहा	4.40	4.05	2.80	2.00
31. रामपुर खुर्द	10.90	2.29	3.10	—
उप योग ख	658.449	362.98	207.70	49.20
जोड़ क+ख	3217.769	1126.13	1166.10	360.70

इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

[अनुवाद]

172. श्री सी० सी० थामस : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में लगाने के लिए दिसंबर, 1989 तक कितनी इलैक्ट्रोनिक इकाइयां सप्लाई की गई;

(ख) एक्सचेंजों के आबंटन का टाइपवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान केरल में कितने एक्सचेंजों को इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलने का कार्यक्रम है; और

(घ) केरल के कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में स्थित प्रत्येक एक्सचेंज में एस० टी० डी० और ग्रुप डायलिंग सुविधाओं का विस्तार कब तक किया जाएगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) दिसंबर, 89 से अब तक की अवधि के दौरान संस्थापना के लिए दी गई यूनिटों का ब्यौरा इस प्रकार से है—

छोटे एक्सचेंज	—	2792 यूनिट
बड़े एक्सचेंज	—	36 यूनिट

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) ब्यौरा विवरण-3 में दिया गया है।

विवरण-I

8वीं योजना अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ राज्य-क्षेत्र को आबंटित किए गए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों का ब्यौरा

	ई० 10 बी० (लाइनें हजार में)	सी-डॉट	64 पी० एम० आई० एल० टी० (संख्या)	126 सी-डॉट रैक्स (संख्या)	512 सी-डॉट (संख्या)	512 पोर्ट आई० एल० टी० (संख्या)	आई० एल० टी० 2048 (संख्या)
1 2	3	4	5	6	7	8	9
1. आंध्र प्रदेश	243.7 के	81.5 के	505	356	75	121	14
2. असम	41.5 के	4.0 के	140	75	33	62	4
3. बिहार	82.5 के	8.0 के	232	69	40	78	11
4. गुजरात	388.5 के	141.0 के	329	188	58	114	13
5. हरियाणा	126.9 के	23.5 के	143	46	34	67	8
6. हिमाचल	8.0 के	16.5 के	55	140	29	68	5
7. जम्मू व कश्मीर	31.0 के	—	22	13	23	51	1
8. कर्नाटक	138.9 के	85 के	847	267	76	139	13
9. केरल	238.0 के	114.5 के	8	86	96	169	28
10. मध्य प्रदेश	115.0 के	52.0 के	600	150	65	110	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	महाराष्ट्र बंबई सहित	1014.5 के	324.0 के	673	324	60	130	14
12.	उत्तर-पूर्व सीमा	21.0 के	2.5 के	164	64	30	56	4
13.	उड़ीसा	29.0 के	9.0 के	232	76	30	56	5
14.	पंजाब चंडीगढ़ सहित	211.0 के	72.5 के	300	85	43	83	12
15.	राजस्थान	140.0 के	47.0 के	372	109	44	91	12
16.	तमिलनाडु	274.0 के	137.5 के	289	220	51	94	8
17.	उत्तर प्रदेश	313.0 के	30.0 के	378	159	63	84	22
18.	पश्चिम बंगाल	198.5 के	95.0 के	315	68	30	40	50
19.	म० टे० नि० लि० दिल्ली	515.0 के	230.5 के	—	—	—	—	—

विवरण-II

1990-91, 1991-92 और 1992-93 की अवधि के दौरान केरल में स्थापित किए जाने वाले विभिन्न किस्मों के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों का ब्यौरा

1990-91		
1. ई० 10 बी०	—	2 यूनिटें
2 2048 आई० एल० टी०	—	1 यूनिट
3. 512 आई० एल० टी०	—	22 यूनिटें
4. 512 सी-डॉट	—	1 यूनिट
5. ई० एस० ए० एक्स० पी० ए० एम०	—	15 यूनिटें
6. 128 पी० सी-डॉट	—	70 यूनिटें
7. एम० आई० एल० टी० 64-पी०	—	6 यूनिटें
1991-92		
1. 2048 आई० एल० टी०	—	6 यूनिटें
2. 512 आई० एल० टी०	—	49 यूनिटें
3. 512 सी-डॉट	—	27 यूनिटें
4. ई० 10 बी०	—	24 यूनिटें
1992-93		
1. ई० 10 बी०	—	15 यूनिटें
2. 2048 आई० एल० टी०	—	4 यूनिटें
3. 512 आई० एल० टी०	—	23 यूनिटें
4. 512 सी-डॉट	—	6 यूनिटें
5. सी-डॉट एम० ए० एक्स०-I	—	1 यूनिट

विवरण-III

1990-91, 1991-92 और 1992-93 की अवधि के दौरान अर्नाकुलम और कोट्टायम जिलों के टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम, जिनका विस्तार किए जाने की योजना है।

1990-91 अर्नाकुलम

1. चट्टानीकारा	— 512 आई० एल० टी०
2. कोचिलींआम	— 200 पी० ए० एम०

3. चाटमाट्टॉम — 128 सी-डॉट
4. चेरुवात्तूर — 128 सी-डॉट
5. कोम्बानाड — 128 सी-डॉट
6. नेरियामंगलम — 128 सी-डॉट
7. तिरुपुनोतुरा — आई० सी० पी० क्रॉसबार से 1200 से 3000
8. कारक्कल — 300 से 100 पी० सी० क्रॉसबार
9. कलमसेरी — 3300 से 4500 एम० ए० एक्स०-I (एस० एक्स० एस०)
10. आलवे — 3900 से 5100 एम० ए० एक्स०-I (एम० एक्स० एस०)
11. कंदकाडावू — 90 से 300 एम० ए० एक्स०-II
12. किझकम्बलम —200 से 500 एम० ए० एक्स०-II
13. झाकुलम — 200 से 300 एम० ए० एक्स०-II
14. कोटाट्टुकुलम — 300 से 500 एम० ए० एक्स०-II

1991-92

1. पोतेमिकाडू — 512 आई० एल० टी०
2. पुथनकुज — 512 आई० एल० टी०
3. अर्नाकुलम — 512 आई० एल० टी०
4. मुम्बीकुलम — 512 सी-डॉट
5. पडापल्ली — 512 सी-डॉट
6. कोठा मंगलम —2048 आई० एल० टी०

1992-93

1. कालाडी — 2048 आई० एल० टी०
2. कोचीन — 4000 आर० एल० यू०
3. कोचीन पानमपल्लीनगर — 2 के० आर० एल० यू०
4. कोचीन वाईपिला — 1 के० आर० एल० यू०
5. अर्नाकुलम त्रिकाकारा — 1 के० आर० एल० यू०
6. पलारी वट्टोम — 4000 सी-डॉट

कोट्टायम जिला

1. कोट्टायम एम० ए० एक्स-1 — 5000 लाइनें ई०-10 बी०
   1200 लाइनें, जिन्हें बदला जाना है
2. मन्नूद — 512 आई० एल० टी०
3. मणिमाला — 512 आई० एल० टी०
4. मेवालूर — 512 आई० एल० टी०
5. तलायोलला परम्बू — 512 आई० एल टी०
6. कोरूथोडा — 128 सी-डॉट
7. कुडावेचूर — 127 सी-डॉट
8. कुनूनी — 128 सी-डॉट
9. आयरकुन्नम — 300 से 500 एम० ए० एक्स०-II
10. कोलापल्ली — 200 से 500 एम० ए० सक्स०-II
11. कुराविलंगाड — 200 से 500 एम० ए० एक्स०-II
12. कुरूपंथोरा — 200 से 500 एम० ए० एक्स०-II
13. मुंडाकायम — 400 से 800 एम० ए० एक्स०-II
14. पिनाकनाडू — 300 से 400 एम० ए० एक्स०-II
15. प्रोवरनी — 200 से 400 एम० ए० एक्स०-II
16. रामपुरम — 400 से 600 एम० ए० एक्स०-II
17. वकतानम — 200 से 400 एम० ए० एक्स०-II
18. वजहूर — 200 से 400 एम० ए० एक्स०-II
19. एरूमेटी — 300 से 500 एम० ए० एक्स०-II

1991-92

1. करूकाचल — 512 आई० एल० टी०
2. कादनमूर — 512 आई० एल० टी०
3. कोजूरानम — 512 आई० एल० टी०
4. मारंगट्टूपल्ली — 512 आई० एल० टी०

5. पालिकाथोडा — 512 आई० एल० टी०
6. वझावूर — 512 सी-डॉट
7. कुरुमन्नू — 512 सी-डॉट
8. मेलूकवुमथाम — 512 सी-डॉट

1992-93

1. कंजीखुभी — 2 के० आर० एल० यू०
2. गांधीनगर — 1 के० आर० एल० यू०
3. चुन्नपाड़ी — 512 आई० एल० टी०
4. टीकॉय — 512 आई० एल० टी०

अर्नाकुलम और कोट्टायम जिलों के बाकी एक्सचेंजों का भी विस्तार किया जाना है और स्विचिंग उपस्करों के उपलब्ध होने पर आठवीं योजना के दौरान उत्तरोत्तर रूप से इनका विस्तार कर दिया जाएगा।

8वीं योजना के दौरान अर्नाकुलम और कोट्टायम जिलों के सभी, एक्सचेंजों में ग्रुप डायलिंग सुविधा का विस्तार प्रत्येक मामले में तकनीकी व्यवहार्यता की शर्त पर किए जाने की संभावना है।

8वीं योजना के अंत तक उपर्युक्त जिलों के बड़े आकार के एक्सचेंजों को एन० एस० डी० नेटवर्क से जोड़े जाने की संभावना है। जबकि बाकी बचे हुए एक्सचेंजों को 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एन० एस० डी० नेटवर्क से जोड़ा जाना है।

खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी नौसेना द्वारा भारतीय जहाजों की जांच

173. **डा० दौलत राव सोनूजी अहेर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी नौसेना द्वारा भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच चलने वाले कई जहाजों का गहरे समुद्र में निरीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो अमरीकी नौसेना द्वारा कितने जहाजों को रोका गया और उनमें चढ़कर उनका निरीक्षण किया गया; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार के निरीक्षण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस संकल्प के संदर्भ में अमरीकी नौसेना के जहाजों ने गहरे समुद्र में निम्नलिखित भारतीय जहाजों का निरीक्षण किया था जिसमें उन सदस्य राज्यों से, जिनकी

समुद्री सेनाएं उस क्षेत्र में तैनात हैं, यह कहा गया है कि वे समुद्री जहाजों के कार्यों और गंतव्य का निरीक्षण तथा सत्यापन करें।

(i) एम० वी० जग जमुना

(ii) एम० वी० टीपू सुल्तान

(iii) एम० वी० अकबर

(iv) एम० वी० विश्व सिद्धी

(ग) सुरक्षा परिषद संकल्प को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भण्डारण नीति

174. डा० दौलत राव सोनूजी अहेर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1990-91 के लिए समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद सुनिश्चित करने हेतु एक नई भंडारण नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेबों के लिए "मार्केट इन्टरवेन्शन स्कीम"

175. श्री के० डी० सुल्तानपुरी : क्या कृषि मंत्री फलों और सब्जियों के लिए समर्थन मूल्य के बारे में 9 अगस्त, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 52 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश में सेबों के लिए मार्केट इन्टरवेन्शन स्कीम शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल):(क) और (ख) जुलाई-नवम्बर, 1990 के दौरान हिमाचल प्रदेश में सेबों के लिए मण्डी हस्तक्षेप योजना चल रही है। अगले मौसम के दौरान इस योजना को शुरू करने संबंधी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कम्प्यूटर प्रणाली प्राप्त करने में योजना का अभाव

176. श्री राम सागर (सैंदपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल मेरीन फिसरीज रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कोचीन के लिए कम्प्यूटर प्रणाली की खरीद योजना की कमी के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च, 1989 (1990 की

संख्या 2) को समाप्त हुए वर्ष की रिपोर्ट के पैरा 29 में की गई टिप्पणी पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) कृषि मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक एककों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटरों की खरीद पर एकक-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जहां कम्प्यूटरों को प्रयोग में नहीं लाया गया है, और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कम्प्यूटरों को प्रयोग में लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचंदभाई शाह) : (क) महोदय, इस मामले में जांच की गई है और सुधार संबंधी उपाय किए गए हैं, ताकि कोष (निधि) को इस तरह से दोबारा रोका न जा सके।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कम्प्यूटरों की खरीद पर 2.23 करोड़ रु० खर्च किए हैं।

(ग) शून्य।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

177. श्री राम सागर (सैदपुर) : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने अपने सभी सामान्य टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलकर तथा इसके फलस्वरूप सभी जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़कर और तहसीलों, सब-डिवीजनों एवं तालुक मुख्यालयों में दूरसंचार की सुविधा उपलब्ध कराकर भारी सफलता हासिल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वी उत्तर प्रदेश में सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल कर परिणामस्वरूप सभी तहसीलों, सब-डिवीजनों और मुख्यालयों में दूरसंचार सम्पर्क उपलब्ध कराकर गाजीपुर, जौनपुर जैसे जिलों को लखनऊ से जोड़ने के लिए इसी तरह उठाए गए कदमों अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) गाजीपुर और जौनपुर जिला मुख्यालय वाराणसी ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंज के माध्यम से राज्य की राजधानी के साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं।

8वीं योजना अवधि के दौरान सभी उप मंडल मुख्यालयों को उत्तरोत्तर एस० टी० डी० सुविधा

प्रदान करके, भविष्य में पुराने एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए जाने के साथ-साथ दूरसंचार लिंक प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

जौनपुर और गाजीपुर जिलों के निम्नलिखित उप मंडल मुख्यालयों में आठवीं योजना अवधि के दौरान एस० टी० डी० सुविधा की व्यवस्था किए जाने का प्रस्ताव है—

मुहम्मदाबाद, सैदपुर, जमानिया, मछली शहर, माडियाहूं, कैराकत और शाहगंज।

सड़क दुर्घटनाएं

178. श्री राम सागर (सैदपुर) :

श्री जगपाल सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 माह के दौरान दिल्ली में श्रेणी वार कितने वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए और यह संख्या गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष दुर्घटनाग्रस्त हुए वाहनों की संख्या से कम है अथवा अधिक और इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति मारे गए;

(ख) इनमें दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही तथा निपटारे के लिए लम्बित पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) क्या दिल्ली परिवहन निगम ने अपने बेड़े में उन प्राइवेट बसों को पुनः शामिल कर लिया है जिनके कारण घातक दुर्घटनाएं हुई थीं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त शामिल की गई इस प्रकार की कितनी बसों से पुनः दुर्घटनाएं हुई हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार ऐसी सभी बसों को बेड़े से हटाने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) (i) ड्राइवर की लापरवाही

(ii) अधिक तीव्र गति

(iii) चढ़ना और उतरना

(iv) अपर्याप्त स्ट्रीट लाईटिंग

(v) सड़कों की खराब हालत

(घ) जी हां।

(ङ) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए एक निर्देश के उत्तर में निजी बस प्रचालकों

से प्राप्त अभ्यावेदनों की जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा जांच की गई और उन बसों को दोबारा लगाने का निर्णय किया गया जो दुर्घटनाओं में अंतर्ग्रस्त थीं। तथापि बसों को कुछ शर्तों के अध्यधीन पुन: लगाया जाता है जैसे घातक दुर्घटनाओं में अंतर्ग्रस्त ड्राइवरों को ब्लैक लिस्ट में शामिल करना, अलग-अलग अवधियों के लिए बसों को निलंबित रखना आदि। बसों को पुन: लगाने के बाद कोई भी बस दोबारा घातक दुर्घटना में अंतर्ग्रस्त नहीं हुई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

हर वर्ष पहली जून से 30 नवम्बर तक दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में अंतर्ग्रस्त वाहन (श्रेणी वार)

वाहनों की किस्म	अंतर्ग्रस्त वाहन	मारे गए व्यक्ति	अंतर्ग्रस्त वाहन	मारे गए व्यक्ति	अंतर्ग्रस्त वाहन	मारे गए व्यक्ति	अंतर्ग्रस्त वाहन	मारे गए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निजी कारें	814	82	653	70	619	58	507	47
माल वाहन	709	240	700	270	572	217	615	185
दि० प० नि० की बसें	289	92	342	99	352	111	319	103
अन्य बसें	320	109	235	63	313	93	198	58
दि० प० नि० के अधीन बसें	36	10	92	38	69	23	131	43
अन्य राज्य बसें	14	07	38	13	28	14	21	11
मिनी बसें	19	11	40	16	39	09	27	09
टैक्सी	34	06	31	03	28	01	35	02
मिलटरी वाहन	05	01	05	02	07	01	17	11
एम० सी० आर०/ टी० एस० आर०	205	20	177	15	189	13	165	11
एम० सी० वाई०/ स्कूटर्स	656	54	547	57	663	56	486	46
डिलिवरी वैन	03	01	06	02	04	—	01	01
ट्रैक्टर	24	06	16	09	22	09	12	06

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पुलिस वाहन	02	01	04	02	09	03	01	—
एम्बुलेंस	—	—	02	—	03	01	02	—
स्टीम रोलर	—	—	01	01	05	02	01	—
टैम्पो	208	51	142	27	125	21	78	08
अज्ञात वाहन	612	150	448	106	329	99	322	79
साइकिल चालक	02	—	03	—	01	01	—	—
तांगा रेहड़ा	02	—	01	01	08	01	03	—
साइकिल रिक्शा	01	—	02	—	01	01	—	—
हाथगाड़ी	—	—	—	—	—	—	—	—
बैलगाड़ी	01	—	02	01	01	—	01	—
मवेशी	—	—	02	—	—	—	—	—
मेटाडोर	54	12	54	09	60	10	57	09
टैंकर	86	14	11	04	23	10	14	03
क्रेन	02	01	—	—	—	—	—	—
जोड़ :	4038	868	3568	808	3370	754	3013	632

पाकिस्तान के साथ बातचीत और उग्रवादियों के प्रशिक्षण केन्द्रों को बन्द किया जाना

179. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
डा० चिता मोहन :
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में अब भी उग्रवादियों के बहुत से प्रशिक्षण केन्द्र काम कर रहे हैं :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या भारत सरकार पाकिस्तान सरकार से इस प्रशिक्षण केन्द्रों को बंद कराने के बारे में बात करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो वार्ता की संभावित तिथि क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) हमें जम्मू कश्मीर तथा पंजाब में

पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ आतंकवाद और अलगाववाद को दुष्प्रेरित करने, बढ़ावा देने और सहायता देने के साक्ष्य मिल रहे हैं।

(ग) और (घ) 28 मई को भारत द्वारा विश्वास पैदा करने संबंधी जो प्रस्ताव रखा गया था उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने वाले सभी शिविरों को बंद किया जाए, हथियारों व गोलाबारूद की सप्लाई बंद की जाए तथा भारतीय सीमा में संभावित घुसपैठ करने वालों तथा आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाए। दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच वार्ता के तीन दौर हो चुके हैं और उन विचार-विमर्शों के दौरान विश्वासोत्पादक आवश्यक उपाय के रूप में आतंकवादियों को सभी प्रकार की सहायता बंद करने की जरूरत पर बल दिया गया। आशा है कि दोनों देशों के विदेश सचिवों की फरवरी, 1991 के अंत में एक और बैठक होगी।

डाक सेवाओं में सुधार

180. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देशभर में डाक सेवाओं को कारगर बनाना है, और डाक सेवाओं से राज-सहायता हटाने का भी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक डाक सेवाओं में सुधार करने के प्रस्ताव है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में (श्री जय प्रकाश) : (क) जी नहीं। भारत का डाक नेटवर्क विश्व में सबसे बड़ा है और इस नेटवर्क का विस्तार सात पंचवर्षीय योजनाओं के परिणामस्वरूप संभव हुआ है। यह प्रणाली पहले ही सरल और कारगर है। लेकिन 1,47,663 डाकघरों और 500,890 लेटर बाक्सों के डाक नेटवर्क, जिसमें लगभग 3,00,000 नियमित पूर्ण कालिक तथा लगभग 3,00,000 अंशकालिक कर्मचारी सम्मिलित हैं तथा विभाग को रेलवे, सड़क यातायात और हवाई यातायात पर निर्भरता, जनसंख्या की बढ़ती हुई सघनता, बड़े नगरों में बहुमंजिल इमारतों का बनना, यातायात में तेजी से वृद्धि होने के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जिसके कारण डाक वितरण की गति धीमी हुई है। संसाधनों की कमी और कर्मचारियों की ओर से विरोध के कारण डाक व्यवस्था के आधुनिकीकरण और यांत्रिकीकरण के कोई भी उपाय आरंभ करने में विभाग की असमर्थता के साथ-साथ पदों के सृजन पर लगा प्रतिबंध भी इसका एक मुख्य कारण रहा है।

इस संबंध में उत्कृष्टता समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है जिसमें अनेक प्रस्ताव किए गए हैं जिन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। एक प्रस्ताव डाक सेवाओं पर पांच वर्ष से अधिक समय से दी जा रही आर्थिक सहायता को समाप्त करने से संबंधित है, क्योंकि समिति महसूस करती है कि जब तक विभाग पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाता तब तक यह आधुनिकीकरण पर अपेक्षित निवेश नहीं कर सकता।

(ख) प्रौद्योगिकी का आरंभ करने के बारे में समिति द्वारा सुझाए गए कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान डाक सेवा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं - विद्यमान परिसंपत्तियों और संसाधनों का अधिकतम उपयोग और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कर्मचारियों से प्राप्त सहयोग की सीमा तक कार्यकरण में सुधार। कर्मचारियों के असंतोष को कम करने के लिए शर्तों में सुधार करने के कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

राजस्थान में कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाया जाना

181. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कोई भावी व्यापक योजना बनायी गयी है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधानमंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी हां।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा तैयार की गई तथा प्रस्तुत की गई व्यापक कृषि विकास परियोजना के प्रारूप का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

विवरण

राजस्थान सरकार द्वारा कल्पित तथा प्रस्तुत व्यापक कृषि विकास परियोजना कार्यक्रम और कुल लागत

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	लागत
1	2	३
		(लाख रुपये में)
1.	सोयाबीन उत्पादन	456.60
2.	मेंहदी रोपण को लोकप्रिय बनाना	103.75
3.	तुम्बा—एक तैलीय फसल को लोकप्रिय बनाना	241.25
4.	इसबगोल—एक औषधीय पौधा-को लोकप्रिय बनाना	169.50
5.	चारा उत्पादन, कृषि वानिकी/वन-चारागाह विकास कार्यक्रम	2204.00
6.	समस्यागत मृदा का सुधार	3820.17
7.	कृषि प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र, दुर्गापुर, जयपुर का उन्नयन	235.90
8.	कृषि सूचना संगठन	361.12
9.	सघन बागवानी विकास कार्यक्रम	7484.85
10.	जल विकास	2132.80
11.	भू-जल खोज, विकास और प्रबंध	1203.81

1	2	3
12.	राजस्थान राज्य बीज निगम का प्रसार	903.37
13.	सहकारी समितियों द्वारा उत्पादन ऋण और कृषि विपणन	15771.70
14.	एकीकृत पशुधन विकास	4443.40
15.	सघन भेड़ विकास कार्यक्रम	1800.00
16.	अंतर्देशीय मात्स्यिकी विकास	695.00
17.	सामुदायिक लिफ्ट सिंचाई	4975.00
	कुल :	47002.22

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया का कार्य निष्पादन

182. श्री ए० के० राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया को विभिन्न यूनिटों के उत्पादन के क्या वित्तीय परिणाम रहे तथा कितनी क्षमता का उपयोग किया गया :

(ख) क्या फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया की यूनिटों के कार्य-निष्पादन में काफी गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एफ० सी० आई० के विभिन्न एककों का कार्यनिष्पादन, उनकी क्षमता, उपयोगिता और वित्तीय परिणाम के रूप में नीचे दर्शाया गया है—

क्षमता उपयोगिता में (%)

एकक का नाम	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4
सिंदरी	70.8	71.2	58.8
गोरखपुर	59.0	57.2	53.7
रामागुंडम	23.7	31.1	23.0
तालचर	37.5	12.5	32.2

1	2	3	4
वित्तीय परिणाम :			(आंकड़ा करोड़ रु० में)
सिंदरी	(—) 16.39	(—) 23.69	(—) 29.75
गोरखपुर	(—) 19.12	(—) 25.51	(—) 36.76
रामागुण्डम	(—) 36.49	(—) 26.80	(—) 39.94
तालचर	(—) 23.81	(—) 73.48	(—) 36.09
अन्य	(—) 19.60	(—) 19.42	(—) 21.36
	(—) 115.41	(—) 168.90	(—) 163.90

(ख) चूंकि तालचर एकक ने क्षमता उपयोगिता सुधार दर्शाया है और समग्र रूप से वित्तीय निष्पादन में भी 1988-89 की तुलना में 1989-90 में आंशिक रूप में सुधार हुआ है अतः एफ० सी० आई० के कार्यनिष्पादन में अनवरत ह्रास की कोई प्रवृत्ति नहीं है।

(ग) एफ० सी० आई० ने असंतोषजनक निष्पादन के कारणों जैसे कोयले की गुणवत्ता, बिजली की कमी, उपस्कर खराबी आदि को दूर करने के लिए कदम उठाये हैं।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन, सिंदरी में वैज्ञानिक और अनुसंधान अधिकारी

183. श्री ए० के० राय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से इस यूनिट में कितने वैज्ञानिक/अनुसंधान अधिकारी कार्य कर रहे हैं, तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है :

(ख) सिंदरी स्थित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन में वैज्ञानिकों और अनुसंधान अधिकारियों में भारी कमी आ गई है :

(ग) यदि हां, तो क्या इसके कारण उपलब्ध भूमि एवं जनशक्ति का उपयोग नहीं हो पा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों से हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० के सिंदरी संस्थान में काम कर रहे शस्य विज्ञानियों और मृदा रसायनों की संख्या दी गयी है।

1988-	42
1989	37
1990	26

(ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० के सिंदरी एकक से अन्य संस्थानों में शस्य

विज्ञानियों और मृदा रासायनज्ञों का स्थानान्तरण आवश्यकतानुसार किया गया है ताकि उनकी विशेषज्ञता और जनशक्ति को बेहतर उपयोग किया जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई व्यवस्था ठीक रखना

18*. **श्री कुसुम कृष्णमूर्ति** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में विनाशकारी बाढ़ से जान और माल की हो रहे निरन्तर नुकसान को रोकने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1990 के प्रारम्भ में लगातार आई अप्रत्याशित बाढ़ और विनाशकारी तूफान से प्रभावित विद्यमान सिंचाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा प्रदान की गई ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1986 में गोदावरी नदी प्रणाली के बाढ़ तटों को ऊंचा उठाने के लिए एक मास्टर योजना तैयार की है। नवम्बर, 1987 में उन्हें मास्टर योजना के अन्तर्गत परिकल्पित नई योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु कहा गया है।

(ग) वर्ष 1990-91 से 1994-95 तक की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश हेतु नौवें वित्त आयोग द्वारा आवंटित राशि 430 करोड़ रुपये है, जिसका 75% गैर योजनागत अनुदान के रूप में केन्द्र द्वारा दिया जाएगा और 25% राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 1990-91 के लिए 64.50 करोड़ रुपये का केन्द्र का अंशदान पहले ही निर्मुक्त कर दिया है। इसके अलावा अन्तर-मंत्रालयीय दल की सिफारिशों पर राज्य सरकार को चक्रवात राहत के लिए 61.1564 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि निर्मुक्त की गई है जिसे वर्ष 1991-92 से 1994-95 तक के लिए राज्य सरकार की निधि में केन्द्र के अंशदान के प्रति चार समान वार्षिक किश्तों में समायोजित किया जाएगा।

इराक द्वारा तेल का प्रस्ताव

185. **श्री शान्तारुम पोटदुखे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक ने भारत को पिछले बारह वर्षों में संचित बकाया 500 मिलियन डालर मूल्य का सम्पूर्ण तेल देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सुरक्षा परिषद के संकल्प 661 के अन्तर्गत इराक पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के कारण इराक से तेल आयात करना संभव नहीं है।

कोहिमा में डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज

186. **श्री शिकिहो सेमा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोहिमा में डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना के लिए भवन का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज के कब से कार्य करने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं तो इस भवन के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां। कोहिमा में नए टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

(ख) कोहिमा में डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, कोहिमा में 8वीं योजना अवधि के दौरान एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित किए जाने की योजना है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

नागालैंड के कोहिमा और दीमापुर जिलों में 'स्पीड पोस्ट' सेवा

187. **श्री शिकिहो सेमा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड राज्यों में "स्पीड पोस्ट" सेवा चालू है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त राज्यों के उन केन्द्रों के क्या नाम हैं जहां से "स्पीड पोस्ट" की सेवा चालू है; और

(ग) नागालैंड के कोहिमा और दीमापुर जिलों में "स्पीड पोस्ट" सेवा कब से शुरू किये जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां। असम, मेघालय और मणिपुर में स्पीड पोस्ट सेवा सुलभ है। नागालैंड में 1-1-91 से प्वाइंट-टू-प्वाइंट स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध हो सकेगी।

(ख) असम में गुवाहाटी और सिलचर, मेघालय में शिलांग और मणिपुर में इम्फाल।

(ग) 1-1-91 से कोहिमा, दीमापुर, गुवाहाटी और शिलांग को एक दूसरे के साथ इंटर लिंक कर दिया जाएगा।

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा

[हिन्दी]

188. **श्री राव बीर सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्राम पंचायतों और विकास खण्ड कार्यालयों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब से और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु कोई सर्वेक्षण किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास खंडों सहित 188897 ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां। सरकार ने चालू वर्ष 1990-91 के दौरान 3000 ग्राम पंचायतों को दूर-संचार सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है।

(घ) अब तक लंबी दूरी के 172 सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किये जा चुके हैं और उपस्कर उपलब्ध होने पर चालू वर्ष के दौरान शेष ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

कराची स्थित महावाणिज्य दूतावास के भारतीय कर्मचारियों को निकाला जाना

[अनुवाद]

189. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने कराची स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में कार्यरत चार भारतीय कर्मचारियों को निकाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान ने इन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या आरोप लगाए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) 8 अक्तूबर, 1990 को पाकिस्तान की सरकार ने भारत से कहा कि वह प्रधान कौंसलावास कराची से अपने चार कर्मचारियों को वापस बुला लें क्योंकि उनकी गति-विधियां पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं और उनकी सरकारी हैसियत के अनुसार नहीं है।

(ग) 9 अक्तूबर, 1990 के एक सरकारी वक्तव्य में भारत सरकार ने पाकिस्तान के अस्पष्ट तथा बेबुनियादी आरोपों को यह कह कर स्पष्ट रूप से नामंजूर कर दिया कि ये मनगढ़न्त तथा बेबुनियाद हैं। स्पष्टतः से यह कार्रवाई बदले की कार्रवाई तो है ही इसके अतिरिक्त यह इस बेबुनियादी आरोप की पुष्टि करने का एक प्रयास भी है कि भारत पाकिस्तान में अस्थिरता पैदा करने वाली गतिविधियों में संलग्न है।

वर्षा सिंचित खेती संबंधी राष्ट्रीय जलाशय विकास कार्यक्रम

[हिन्दी]

190. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्षा सिंचित कृषि हेतु राष्ट्रीय जलाशय विकास कार्यक्रम तैयार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या जो कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था वह आठवीं योजना में भी लागू होगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) :(क) जी, हां।

(ख) परियोजना की मुख्य विशेषताओं में, पनधारा प्रबंध के सिद्धान्तों पर, कम लागत तथा सामर्थ्य योग्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो अधिकतर अपरदन के वर्धिक उपायों तथा स्व-स्थाने नमी संरक्षण तथा लोगों के सक्रिय सहयोग पर निर्भर करता है, एकीकृत फार्मिक प्रणाली विकास के लिए होलिस्टिक एप्रोच शामिल है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया जाएगा, किन्तु प्राप्त अनुभवों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पुनर्निमित कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को जलाया जाना

[अनुवाद]

191. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल में कराची में पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों द्वारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज जलाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) हमने भारत की स्थिति के बारे में पाकिस्तान में किए जा रहे भ्रामक और विकृत प्रचार की ओर पाकिस्तान की सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। घटनाओं को सही और संतुलित तरीके से प्रस्तुत करने से हमारे संबंधों में समझ-बूझ और विश्वास बढ़ेगा।

डाक विभाग द्वारा शुल्क-सहित-लागत योजना आरम्भ किया जाना

192. श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग का विचार डाक वितरण व्यवस्था के भारी दबाव को कम करने तथा इसे सुचारू बनाने के एक अंग के रूप में वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए शुल्क-सहित-लागत योजना, आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) योजना कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) से (ग) डाक सेवाओं में उत्कृष्टता पर बनी विशेषज्ञ समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि डाक विभाग को निकट भविष्य में अपने राजस्व और व्यय को संतुलित करने और दीर्घावधि में अपने मूल्यह्रास और विकास को वित्त पोषित करने के लिए अतिरिक्त आय जुटानी चाहिए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का गहन अध्ययन करने का काम हाथ में लिया गया है। इस प्रकार, इस समय यह बता पाना संभव नहीं है कि किन-किन सेवाओं के लिए लागत से अधिक दरें प्रभारित की जाएंगी और किस निश्चित समय-सीमा के भीतर ऐसे प्रस्तावों को कार्यरूप दिया जा रहा है।

दालों का उत्पादन

193. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1990 में दालों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार को दालों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि होने की जानकारी है, यदि हां, तो दालों के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) दालों का उत्पादन बढ़ाने और इनके मूल्य में कमी करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) 1988-89 के दौरान दालों का कुल उत्पादन 138.49 लाख मीटरी टन था और 1989-90 में 126.15 लाख मीटरी टन है।

(ख) दालों का थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1981-82=100) नवम्बर, 1989 के 212.2 से बढ़कर नवम्बर, 1990 में 237.3 हो गया है। यह वर्ष के दौरान 11.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ग) दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार दो परियोजनाओं नामत: राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम तथा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, दालों के माध्यम से राज्य सरकारों की सहायता कर रही है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

(1) दालों की फसलों को सिंचित कृषि प्रणाली के अन्तर्गत शामिल करना;

(2) दुहरा/बहुविध/अन्तर फसल प्रक्रियाएं अपनाना;

(3) लघु अवधि किस्मों को लागू करके अतिरिक्त रकबे को दालों की खेती के अन्तर्गत लाना;

(4) उन्नत बीजों, पादप संरक्षण उपाय अपनाने, फास्फोटिक उर्वरक तथा रिजोबियम कल्चर के अधिकाधिक प्रयोग जैसे आदानों का वर्द्धित प्रयोग।

राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में पर्यटन पर प्रभाव

194. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन माह के दौरान राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में अशान्ति के कारण पर्यटन पर काफी प्रतिकूल असर हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न देशों के देश-वार, कितने विदेशी पर्यटन-दौरे, रद्द किए गए;

(ग) विदेशी पर्यटन दौरों के रद्द होने से कुल कितनी विदेशी-मुद्रा का नुकसान हुआ; और

(घ) राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तथापि, यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कितनी यात्राएं रद्द हुईं और कितनी विदेशी मुद्रा का नुकसान हुआ क्योंकि यात्रा व्यवसाय मुख्य रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र में है।

(घ) इन राज्यों में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में विपणन तथा नए गंतव्यों तथा आकर्षणों का संवर्धन शामिल है।

कुवैत से विस्थापित भारतीयों का पुनर्वास

195. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इराक के कुवैत पर आक्रमण के पश्चात् कुवैत से विस्थापित हुए कितने भारतीयों का सरकार ने अब तक पुनर्वास किया है; और

(ख) उनके पुनर्वास पर कुल कितना खर्च किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारत सरकार ने इराक और कुवैत से प्रत्यावर्तित भारतीयों को अभी तक पुनर्स्थापित नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डाक सेवाओं में सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें

196. **श्री शंकर सिंह बघेला** :
डा० ए० के० पटेल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को डाक सेवाओं में सुधार संबंधी विशेषज्ञ समिति को संगठनात्मक ढांचे, सेवा स्तर, वित्त और प्रौद्योगिकी स्तर में बारे में सिफारिशें कब प्राप्त हुई थीं;

(ख) विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट संसद में कब प्रस्तुत की गई थी;

(ग) सरकार द्वारा "स्वीकार की गई" सिफारिशों का ब्योरा क्या है और प्रत्येक श्रेणी के बारे में कार्यान्वयन किस चरण में है;

(घ) सरकार द्वारा मंजूर न की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन सिफारिशों के बारे में मजदूर संघों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) डाक सेवाओं में उत्कृष्टता पर विशेषज्ञ समिति ने 31 दिसंबर, 1988 को अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और 30 सितंबर, 1989 को उसने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन बातों के साथ-साथ संगठनात्मक संरचना, सेवा की गुणवत्ता, वित्त और प्रौद्योगिकी के स्तर का उल्लेख है।

(ख) विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत नहीं की गई।

(ग) और (घ) ऊपर (क) में उल्लिखित विषयों पर डाक सेवाओं में उत्कृष्टता पर विशेषज्ञ समिति ने 36 सिफारिशें कीं। 16 सिफारिशों के संबंध में कार्यान्वयन की स्थितियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। अन्य सिफारिशें मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं।

( ) रिपोर्टों की प्रतियां सेवा यूनियनों को उपलब्ध करा दी गई हैं और उनके विचार आमंत्रित किए गए हैं।

विवरण

(क) वित्त (ख) प्रौद्योगिकी का स्तर (ग) सेवा की गुणवत्ता के संबंध में सिद्धांत रूप में मानी गई/अशोधन से साथ/मानी गई समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित की गई स्थितियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	सिफारिश का मूल पाठ	कार्यान्वयन की स्थितियां
1	2	3
1.	डाक सेवाओं के प्रचालन में वर्ष-दर वर्ष भारी घाटे के कारण निम्नलिखित हैं :— (i) डाक सेवाओं की प्रचालन लागत में वृद्धि, और (ii) एक अवास्तविक मूल्य निर्धारण नीति।	डाक सेवाओं में उत्कृष्टता पर विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार डाक सेवा बोर्ड ने डाक सेवाओं की मूल्य निर्धारण नीति और वित्तीय उद्देश्यों पर विचार किया। जबकि अल्प अवधि में वित्तीय उद्देश्यों में आत्मनिर्भरता
2.	डाक सेवा के घाटे की सुस्पष्ट प्रमाणय सामाजिक-आर्थिक महत्व को देखते हुए बिना किसी पर्याप्त औचित्य के सामान्य राजकोष	प्राप्त करना और दीर्घकालीन लक्ष्य के रूप में लाभ के साधन जुटाना जिससे मूल्यांस और विकास का खर्च उठाया जा सके। यह

1	2	3

से पूरा किया जाता है। इतनी मात्रा में आर्थिक सहायता की वजह से प्रबंध की समस्याओं से निपटने में डाक प्रशासन में लचीलापन पनप रहा है और यह अपने उपभोक्ताओं के अलावा उनको भी समान रूप से आर्थिक-दंड दे रहा है जो इसका उपयोग नहीं करते। इस प्रकार यह समाज के अत्यन्त गरीब वर्गों पर भार बन रहा है।

3. भारत में डाक सेवाओं को एक अल्पावधि (अधिक से पांच वर्ष के भीतर) में अपने राजस्व और खर्च के बीच संतुलन कायम करना होगा और दीर्घावधि में (अर्थात् 10 वर्ष के भीतर) अपने घाटे को पूरा करने और विकास कार्यों के अतिरिक्त राजस्व जुटाना होगा।

4. डाक राजस्व और खर्च में संतुलन रखने के अल्पकालिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, मूल्य निर्धारण का ग्रहणशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे डाक सेवा अंदरूनी रूप से एक सेवा से दूसरी के लिए और बाहरी रूप से किसी प्रकार की आर्थिक मदद के बिना अपने उत्पादों और सेवाओं का मूल्य निश्चित करे। लेकिन, उपभोक्ता मूल्य निश्चित करते समय, सरकार अपनी इक्विटी और कल्याण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस प्रकार घोषित मूल्यों पर आर्थिक सहायता देने के लिए स्वतंत्र होगी। इससे आर्थिक सहायता को स्पष्टतया निर्धारित क्षेत्रों में लगाने में और डाक सेवाओं के संसाधनों का कुशलता से प्रबंध करने में मदद मिलेगी।

5. विकास कार्यों और घाटे को पूरा करने के लिए वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर होने के महसूस किया गया कि विभाग को शुल्क में वृद्धि करने की ऐसी नीति अपनानी चाहिए जो उनके वास्तविक लागत के अनुरूप हो और अन्य उन विभागों से लागत वसूल करने के प्रयास करना चाहिए जिनकी ओर से यह विभाग एक एजेंट के रूप में काम करता है।

व्यावसायिक लागत लेखाकारों द्वारा डाक सेवाओं की लागत निर्धारण करने और स्वतंत्र डाक दर आयोग द्वारा उनकी जांच पड़ताल करने संबंधी प्रश्नों के मामलों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है और इस सम्बन्ध में अभी अंतिम दृष्टिकोण स्पष्ट किया जाना है।

1	2	3
	दीर्घकालिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कतिपय प्रीमियम सेवाओं के लिए बढ़े हुए मूल्यों के साथ डाक उत्पादन और सेवाओं के मूल्यों को अन्योन्य आर्थिक सहायता से मुक्त रखने की सिफारिश की गई है ।	
	6. एक उपयुक्त लागत निर्धारण प्रणाली को कार्य अध्ययन/दक्षता ब्यूरो के साथ अपना तालमेल बैठाने की आवश्यकता होगी ताकि लागत-नियंत्रण, सेवा की गुणवत्ता और मूल्य निर्धारण के मानदंडों का निर्धारण आपस में एक-दूसरे से जुड़ा हुआ हो ।	
	7. डाक सेवाओं की लागत का निर्धारण व्यावसायिक कॉस्ट एकाउंटेंट्स द्वारा किया जाना चाहिए और उसकी जांच एक स्वतंत्र डाक दर आयोग द्वारा की जानी चाहिए ताकि डाक उत्पादों और सेवाओं के मूल्यों का औचित्य और इक्विटी सरकार और उपभोक्ताओं दोनों को स्पष्ट किया जा सके।	
	. हालांकि, डाक दरों में संशोधन करने के लिए किसी निश्चित आवर्तित-अवधि की आवश्यकता नहीं है, उनका लागत के साथ सीधा सम्बन्ध होना चाहिए।	
	प्रौद्योगिकी	
	9. डाक सेवाओं के मशीनीकरण के लिए किए गए अब तक के प्रयास केवल नाममात्र के ही रहे हैं । 30 वर्षों से भी अधिक समय से इस सेवा ने बगैर किसी नीति-लक्ष्य के अपने काम में अधिक से अधिक यांत्रिक उपकरणों की शुरुआत करके आधुनिकीकरण और मशीनीकरण की विधि को अपनाया है। बिना निर्देशानुत्मक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी	सामान्य टिप्पणी। कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

1	2	3
	की सुरक्षित डाक सेवाओं के लिए मात्र गूंगे का गुड़ ही बनी रहेगी।	
10	इस बात पर बल देना होगा कि डाकघर में सभी प्रौद्योगिकीय सुधारों का अंतिम लक्ष्य तीन तरह का होना चाहिए, अर्थात् अपने कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाकर प्रचालन लागत में कमी करना, उपभोक्ता के लिए बेहतर स्तर की सेवा सुनिश्चित करना और कर्मचारियों के संतोष में वृद्धि करना। विकासशील अर्थव्यवस्था की संचार आवश्यकताओं के लिए अधिकाधिक प्रीमियम सेवाएं शुरू करनी होंगी। उचित प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने से बार-बार एक ही काम करने की नीरसता दूर करने और अत्यन्त विशाल कार्यबल को बेहतर प्रोत्साहन देने और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करने में मदद मिलेगी।	—वही—
11.	प्रथम चरण में विभाग को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए :	
	(क) डाकघरों में 20,000 काउंटरों पर पीसी आधारित बहु-उद्देशीय काउंटर मशीनों का उपयोग शुरू करना,	सॉफ्टवेयर का विकास कर लिया गया है और दिल्ली तथा बैंगलूर में प्रयोग के आधार पर छः महीने लगाई गई है। इस प्रयोग से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए अन्य शहरों के और डाकघरों में इसे लगाए जाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।
	(ख) बचत बैंक प्रचालन, डाक जीवन बीमा और प्रधान लेखा कार्यालय के काम का कम्प्यूटरीकरण,	सांसद मार्ग प्रधान डाकघर, सेंट्रल बैंक डाकघर (सेना डाक सेवा) के काउंटरों पर बचत बैंक और जीवन बीमा के लेजर एकाउंटिंग को पहले ही कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। अन्य प्रधान डाकघरों में कम्प्यूटरीकरण करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से किये जाने की योजना है।

1	2	3
		डाक जीवन बीमा के कार्य के लिए एन० आई० सी० ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तथा अंतिम प्रोटोटाईप विकसित कर लिए हैं। डाक जीवन बीमा के कार्य का बेंगलूर में कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है।
		प्रधान डाकघरों के लेखों का कम्प्यूटरीकरण करने पर विचार किया जा रहा है।
(ग) बड़े कार्यालयों में इलैक्ट्रॉनिक फैंकिंग मशीनों को शुरूआत करना;		(ग) देश के 60 चुनिन्दा डाकघरों में उच्च गति की फैंकिंग मशीनें पहले से ही सज्जित हैं।
(घ) "सेटेलाइन मेल' के क्षेत्र में ठोस शुरूआत। इसमें आरंभ में इलैक्ट्रॉनिक एंड ट्रांसफर, जी० आई० आर० ओ० और सेटेलाइट के माध्यम से अत्यावश्यक संदेशों का संचारण शामिल करना;		(घ) सीमित नेटवर्कों पर उपग्रह द्वारा डाक भेजने की शुरूआत करने का प्रस्ताव पारेषण की मदद के लिए दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत किया गया क्योंकि यह सुविधा दूरसंचार विभाग द्वारा दिशित है। जी०आई० आर०ओ० स्कीम की शुरूआत करने पर विचार किया जा रहा है।
(ङ) इन चैनलों का निम्नलिखित के लिए उपयोग करना (i) प्रबंध सूचना प्रणाली को कारगर बनाना। (ii) डाटा संचारण, और (iii) केन्द्रित लेखाविधि जैसे मनीआर्डर पेयरिंग।		(ङ) इस प्रयोजन के लिए गठित समिति ने टू-टायर एम० आई० एस० नेटवर्क का गठन करने की सिफारिश की है जिसमें निदेशालय और सर्किल शामिल हैं। एन० आई० सी० के माध्यम से आवश्यक हार्डवेयर और सापटवेयर प्राप्त किया जा रहा है। कार्यान्वयन संबंधी कार्रवाई की जा रही है। चुने हुए डाकघरों में पोलीमर डाक-टिकटों की आपूर्ति की गई है।
(च) अनुरक्षण प्रणाली की स्थापना;		
(छ) मोहरों और सीलों में सुधार लाने के लिए नई प्रौद्योगिकी की शुरूआत।		
सेटेलाइट मेल सर्विस आरंभ में सभी जिला मुख्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण शहरों में शुरू की जा सकती है जिनकी संख्या 550 है। तथापि, इन केन्द्रों का लंबी दूरी के संदेशों को नजदीकी भू-केन्द्रों तक पहुंचाने के		यह प्रस्ताव भविष्य में विचार करने के लिए है।

1	2	3
	लिए और जहां तक कि परिवहन के वर्तमान माध्यमों से हार्ड कापी को और आगे भेजने में उपयोग किया जा सकता है।	
12.	पांच वर्ष की अवधि के दूसरे चरण में, विभाग को चाहिए कि :	
	(क) "हाई कापी" संचारण की शुरूआत करे और सेटेलाइट मेल सेंटर्स का अन्य 500 वितरण कार्यालयों तक विस्तार करे।	पहले चरण के क्रियान्वित हो जाने पर इस पर अमल किया जाना है।
	(ख) इस प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ जोड़े।	
	(ग) इलैक्ट्रॉनिक मेल बाक्स और प्राइवेट पी० सी० और एफ० ए० एक्स० मशीनों को सीधी मेलिंग।	
13.	तीसरे चरण में, 10 वर्ष के बाद, विभाग को निम्नलिखित की स्थापना करने पर विचार करना चाहिए :	दूसरे चरण के क्रियान्वित हो जाने पर इस पर अमल किया जाना है।
	(क) अंतः शहरी संचारण को गति देने के लिए प्रमुख वितरण कार्यालयों के नीचे डेडीकेट टेलीकम्युनिकेशन चैनलों तथा महानगरों के बीच माइक्रो-अर्थ स्टेशन सुविधा की स्थापना :	
	(ख) संदेशों के कम खर्चीले संचारण के लिए वॉयस मेल विकसित करना।	
	(ग) मैसेंजर सर्विस, फारवर्डिंग, ऐड्स सर्विस, और डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग आदि के वाणिज्यिक क्षेत्र में विकास करना।	
14.	(क) हमने जो सिफारिश की है, उनसे पारम्परिक डाक सेवा एक आधुनिक हाई टेक्नालॉजी सेवा परिवर्तित हो जाएगी। हमारी सिफारिशों को लागू करने के लिए एक "टास्क फोर्स" या "मिशन अप्रोच" की आवश्यकता होगी। अतः हम यह	एक तकनीकी समिति का संगठन किया गया है जो सिफारिशों के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है।

1	2	3
	सिफारिश करते हैं कि परियोजनाओं के बीच समन्वय रखने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सक्षम (विकास), डाक सेवा बोर्ड के समग्र निर्देशन एक ऐसे योग्य तकनीकी कर्मचारी होने चाहिएं—जो —उपयुक्त प्रणालियों का चयन कर सकें, —चयनित प्रणाली के अनुकूल उपस्कर का पता लगा सकें, —अनुरक्षण और प्रशिक्षण प्रदान कर सकें। (ख) सेवा की गुणवत्ता।	
15.	(क) विभाग को डाक लाने-ले जाने और वितरण के लिए वास्तविकताओं पर आधारित मानदंड अवश्य निर्धारित करने चाहिएं और फिर सेवा की गुणवत्ता पर निगरानी रखनी चाहिए ताकि आखिरकार समूचे देश के लिए एक राष्ट्रीय कार्यकुशलता मानदंड तैयार किया जा सके।	(क) प्रथम श्रेणी के डाक के संबंध में कार्यान्वित कर दिया गया है।
	(ख) समिति महसूस करती है कि डाक प्रेषण के क्षेत्र में उसके द्वारा सुझाए गए सुधार-कार्यों से देश में प्रथम श्रेणी के डाक के वितरण के लिए निश्चित मानदंड स्थापित करना संभव होगा जैसे दो महानगरों के बीच, हवाई मार्ग द्वारा सीधे जुड़े शहरों के बीच और उसी नगर/शहर में वितरित की जाने वाली स्थानीय डाक को डाक में डालने के बाद अगले दिन वितरण।	(ख) कोई टिप्पणी नहीं।
16.	(क) समिति यह महसूस करती है कि गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए डाक प्रेषण प्रणालियों की कार्यकुशलता सुनिश्चित करने लिए सांख्यिकी तकनीकों के उपयोग को विकसित करना होगा।	(क) सेवा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए मानक मार्गस्थ मानदंडों पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है। समय-समय पर चलाई जाने वाली राष्ट्रीय परीक्षण पत्र की प्रक्रिया अपनाई जाती है और कम्प्यूटर के

1	2	3
	(ख) भारत में अधिकांश डाक शहरी क्षेत्रों की होती है और इसमें भी अत्यंत उच्च प्रतिशत सात या आठ प्रमुख नगरों का होता है। इसलिए आरंभ में आठ प्रमुख नगरों में इस प्रणाली की कार्यकुशलता निर्धारित करने के लिए आधुनिक सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग करते हुए एक पायलट परियोजना शुरू की जानी चाहिए और बाद में शेष बड़े राज्यों की राजधानियों और उद्योग-धंधों की बहुलता वाले कुछ शहरों तक इसका धीरे-धीरे विस्तार किया जाना चाहिए।	माध्यम से उनका विश्लेषण किया जाता है। इसी प्रकार सर्किल परीक्षण पत्र और जिला परीक्षण पत्रों को संचालित करने का काम स्तरों पर किया जाता है। मानक मार्गस्थ मानदंडों की जांच करने के लिए विभिन्न डाक सर्वेक्षणों का संचालन किया जाता है।

खारापन नियंत्रण संयंत्र की स्थापना

197. **श्री शंकर सिंह बघेला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के किन-किन जिलों में भूमिगत जल का खारापन उक्त क्षेत्र के लिए कठिनाई पैदा करता है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त जिलों में राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत खारापन नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना को प्राथमिकता देने का है;

(ग) वृन्दावन और मथुरा में ऐसे संयंत्रों की स्थापना करने की स्थिति क्या है; और

(घ) इन संयंत्रों की स्थापना करने संबंधी मानदंड एवं शर्तें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : (क) विभिन्न राज्यों में उन जिलों, जहां अभी तक खारापन दूर करने के संयंत्र लगाने के लिए पीने के पानी के उद्देश्य से भू-जल में खारेपन की मौजूदगी का पता लगाया गया है, के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) वृन्दावन और मथुरा अथवा अन्य जिलों में खारापन दूर करने के संयंत्र लगाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) खारापन दूर करने के संयंत्र लगाने के लिए अपनाए जाने वाला मुख्य मानदंड निम्न प्रकार हैं :—

1. पीने के लिए मीठे पानी का कोई दूसरा वैकल्पिक स्रोत न हो जिसे कम लागत पर समयाग्रस्त गांवों में ग्रामीण लोगों को मुहैया कराया जा सके।

2. खारापन दूर करने के संयंत्र लगाने हेतु पंचायत आदि द्वारा उनको इच्छा दर्शाने वाला एक सही प्रस्ताव पास किया गया हो और साथ ही राज्य सरकार ऐसे संयंत्रों की स्थापना और उनको तीन वर्षों की प्रारंभिक अवधि के बाद उनके उचित संचलन और रख-रखाव के लिए सहमत हो।

ऐसे संयंत्रों के लिए मुख्य शर्तें हैं कि इनकी स्थापना चयन किए गए सप्लायरों द्वारा प्रतियोगी बोली लगाकर समुचित आधार पर की जाए जिसमें यह शर्त होती है कि संयंत्रों की स्थापना के लिए अपेक्षित सिविल निर्माण-कार्य किया जायेगा, उन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए उसके संतोषजनक रूप से संचलन और रख-रखाव का कार्य करना होगा, स्थानीय लोगों/जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग के कर्मचारियों को तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् उन संयंत्रों के संचलन और रख-रखाव के लिए उचित प्रशिक्षण देना होगा। संयंत्रों की स्थापना और तीन वर्षों की अवधि के लिए उनमें संचलन और रख-रखाव का सारा खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। संनंत्रों की क्षमता समस्याग्रस्त गांवों की जनसंख्या, कच्चे पानी में लिए कुल घुले हुए ठोस पदार्थों (टी० डी० एस०) आदि पर निर्भर करती है। सप्लायरों को उपयुक्त किस्तों में भुगतान किया जाता है। संयंत्रों के लिए स्थलों का चयन संबंधित राज्य सरकार और सैन्ट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर जो राष्ट्रीय पेयजल मिशन की ओर से संयंत्रों की स्थापना का समन्वय कर रहा है, द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। कच्चे पानी के स्रोत (कुआं, पम्प और एक दिन की जल सप्लाई के लिए भंडारण टैंक) का विकास करने और पावर/बिजली की सप्लाई का प्रबंध करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	वे जिले जिनमें भूजल में खारापन, क्षेत्र के निवासियों के लिए समस्या पैदा करता है
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	मछलीपटनम
		पश्चिमी गोदावरी
		पूर्वी गोदावरी
		गुण्टूर
2.	गुजरात	जामनगर
		भावनगर
3.	हरियाणा	गुड़गांव

1	2	3
4.	महाराष्ट्र	अमरावती
		ठाणे
5.	राजस्थान	चुरू
		नागौर
		झुनझुनू
		बीकानेर
		जयपुर
		जोधपुर
		भरतपुर
6.	तमिलनाडु	रामनाथपुरम्
		दक्षिण अरकोट
7.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर
8.	पाण्डिचेरी	माहे
		यानम
9.	लक्षद्वीप	

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के हस्तान्तरण/अन्यत्र लगाए जाने के लिए प्रतीक्षा सूची

198. **श्री पी० एम० सईद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के हस्तान्तरण/अन्यत्र लगाए जाने के लिए कितने आवेदन पत्र प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) हस्तान्तरण के मामलों में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त मामलों में टेलीफोन कनेक्शन कब तक हस्तान्तरित कर दिए जाएंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) दिल्ली के विभिन्न एक्सचेंजों में 15-12-90 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन ट्रांसफार/शिफ्ट करने के 1904 मामले प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे।

(ख) टेलीफोन शिफ्ट करने संबंधी लंबित कुछ मामलों में प्रमुख कारण एक्सचेंज की उपपर्याप्त क्षमता का होना और अतिरिक्त केबिल पार्ट का न होना है।

(ग) ट्रांसफर के सभी लंबित मामलों को एक वर्ष के अंदर निपटा दिये जाने की संभावना है।

दिल्ली परिवहन निगम में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां

199. **श्री पी० एम० सईद** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों में कितने मामले तीन वर्षों से भी अधिक समय से लंबित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) दिल्ली परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के इन आश्रितों को रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम ने सूचित किया है कि अनुकम्पा के आधार पर रोजगार के लिए मृत कर्मचारियों के आश्रितों के लगभग 159 आवेदन रिक्तियां उपलब्ध न होने के कारण तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। समय-समय पर, जहां तक संभव होता है, दिल्ली परिवहन निगम के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियमित रोजगार प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ को आवधिक आधार पर वतन की दैनिक दरों पर भी रोजगार दिया जाता है जब कभी ऐसे विनियोजना की आवश्यकता होती है।

खाद्यान्नों का उत्पादन

[हिंदी]

200. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 में चालू खरीफ फसल के दौरान कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ है;

(ख) पिछले वर्ष की खरीफ फसल की तुलना में इस वर्ष की खरीफ फसल का कितना उत्पादन हुआ है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) वर्ष 1990-91 के लिए खरीफ खाद्यान्न उत्पादन के अंतिम अनुमान अभी देय नहीं हुए हैं। तथापि, प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर इस वर्ष खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 1989-90 के 100.94 मिलियन मीटरी टन की तुलना में अनुमान सामान्यतः 101-102 मिलियन मीटरी टन लगाया गया है।

उड़ीसा में एस० टी० डी० सुविधा

[अनुवाद]

201. **श्री बालगोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कितने स्थानों को एस० टी० डी० सुविधा के जोड़ा गया है;

(ख) क्या सरकार का उड़ीसा में और अधिक स्थानों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) 47.

(ख) जी हां।

(ग) 8 वीं योजना अवधि के दौरान।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तिलहन के बीजों का मूल्य

202. **श्री बालगोपाल मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में बुवाई में उपयोग के लिए तिलहन बीजों के मूल्यों को एक समान रखने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) जी हां।

(ख) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के तहत विभिन्न तिलहन फसलों के लिए प्रजनक बीजों का एकसमान मूल्य निर्धारित करने पर विचार किया जा रहा है।

खाड़ी संकट के कारण भारतीय नौवहन निगम को घाटा

203. **श्री बालगोपाल मिश्र** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम को खाड़ी संकट के कारण घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) खाड़ी संकट के परिणामस्वरूप तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने और बीमा आदि जैसी अप्रत्यक्ष प्रचालन लागतों में वृद्धि होने के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय नौवहन निगम लि० का लाभ 40 करोड़ रु० कम होने का अनुमान है।

(ग) भारतीय नौवहन निगम लि० स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। सरकार भी भारतीय नौवहन निगम लि० के वित्तीय निष्पादन पर कड़ी निगरानी रख रही है और आवधिक रूप से इसकी समीक्षा की जा रही है।

दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में टेलीफोन तारों की चोरी

[हिंदी]

204. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में टेलीफोन तारों की चोरी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले पकड़े गए तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान दस चोरियां हुईं। सभी मामलों में पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है।

शाहदरा में नए टेलीफोन एक्सचेंज

205. श्री बालेश्वर यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शाहदरा, दिल्ली में एक नए टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना की है;

(ख) यदि हां तो यह कब तक अपना कार्य शुरू कर देगा;

(ग) जमुना पार क्षेत्र में टेलीफोन के लिए पंजीकृत प्रतीक्षारत व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या प्रस्तावित एक्सचेंज के चालू होने के बाद सभी पंजीकृत आवेदनकर्ताओं को टेलीफोन की सुविधा दी जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्रवाई करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) "229" कोड वाला नया शाहदरा डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक रिमोट लाइन यूनिट 26-11-'90 को चालू किया गया था।

(ग) 1-12-90 की स्थिति के अनुसार यमुना पार क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या के निम्नानुसार है :—

लक्ष्मी नगर एक्सचेंजों में		35,260
शाहदरा एक्सचेंज में	:	16,671

(घ) और (ङ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रारंभ में शाहदरा एक्सचेंज में 6000 लाइनें होंगी। इसका वर्ष 1991-92 में 10,000 लाइनों तक विस्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लक्ष्मी नगर में कोड "222" वाला एक 4000 लाइनों का एक्सचेंज भी स्थापित किया गया है। उपस्कर उपलब्ध होने पर 1992-95 के दौरान यमुनापार क्षेत्र में 30,000 लाइनें और जोड़ने का प्रस्ताव है। उपलब्ध क्षमता के आधार पर उपभोक्ताओं को उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन प्रदान किए जायेंगे।

राजस्थान में पर्यटक केन्द्रों का विकास

206. श्री गिरधारी लाल भार्गव : पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु नए पर्यटक केन्द्र विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को तीन नए पर्यटक केन्द्र विकसित करने और पांच मौजूदा पर्यटक केन्द्रों का आगे विकास करने संबंधी प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह): (क) जी, हां। पर्यटक केन्द्रों का विकास करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय राज्यों को उनसे प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के गुण-दोषों, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए पर्यटक आधारित-संरचना को सुदृढ बनाने के लिए वित्तीय सहायता देता है।

(ख) और (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान, राजस्थान सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए पर्यटन मंत्रालय को 6 प्रस्ताव भिजवाए हैं जिसमें धोलपुर में वार्गस्य सुविधा स्वीकृत की जा चुकी है। अन्य प्रस्तावों पर निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा।

राजस्थान के जालौर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधाओं के लिए योजना

207. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णयानुसार राजस्थान को पांच लाख एकड़ भूमि में सिंचाई के लिए पानी आबंटित किया गया है;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को जालौर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसे मंजूरी कब तक दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) नर्मदा जल विवाद अधिकरण ने राजस्थान को 0.5 मिलियन एकड़ फुट (616.74 मि० क्यू० मी०) जल आबंटित किया है।

(ख) से (घ) जी हां। 498.70 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की नर्मदा नहर परियोजना जिसमें राजस्थान के जालौर और बाड़मेर जिलों में 124 गांवों को 74,000 हैक्टेयर वार्षिक सिंचाई और पेयजल आपूर्ति की परिकल्पना की गयी है, हाल ही में, प्राप्त हुई है। राज्य सरकार को गुजरात सरकार की सहमति प्राप्त करना तथा अन्य तकनीकी-आर्थिक मुद्दे हल करना अपेक्षित हैं।

फिजी में "जातिवाद के उदय" पर संगोष्ठी

[अनुवाद]

208. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 15 सितम्बर, 1990 को "इमरजेंस आफ रेसिज्म इन फिजी" विषय पर एक संगोष्ठी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें फिजी में रह रहे भारतीयों के जीवन के बारे में क्या तथ्य उजागर हुए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ने 15-9-1990 को नई दिल्ली में अपने अहाते में "फिजी में जातिवाद का उदय" के विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता भूतपूर्व विदेश राज्य मंत्री श्री हरि किशोर सिंह ने की थी। अन्य वक्ताओं के अतिरिक्त इसमें श्री जसराम रैड्डी, श्री महेन्द्र चौधरी और श्री नवीन महाराज भी शामिल थे जो फिजी के प्रतिनिधिमण्डल के सदस्य थे जिसमें डा० बतान्द्रा के नेतृत्व वाली मिली-जुली सरकार के मंत्रियों का प्रतिनिधिमण्डल था। फिजी में भारत के तीन भूतपूर्व हाई कमिश्नरों ने भी भाग लिया।

(ख) वक्ताओं ने बताया कि फिजी में भारतीय मूल के लोगों को कई प्रकार के भेदभावों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 1996 से भूमि को पट्टे पर देने की समाप्ति की संभावना तथा शिक्षा और नौकरियों (विशेषकर सिविल सेवाओं) के अफसरों में कमी भी शामिल है। वक्ताओं ने फिजी में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को दी जाने वाली धमकियों और उन पर बरसाई जाने वाली हिंसा की दारुण कहानी विस्तार से कही जिसकी वजह से बहुत से लोग फिजी छोड़कर चले जाएं और बाकी चुप हो जाएं। इन वक्ताओं ने बताया कि जुलाई, 1990 के संविधान का उद्देश्य भारतीय मूल के फिजीवासियों को हमेशा-हमेशा के लिए दबा देना और सदा सर्वदा के लिए उन लोगों का प्रभुत्व कायम करना है जो अपने आपको मूल फिजीवासी होने का दावा करते हैं।

नई कृषि नीति

209. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री भाग्यता सिंह :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक नीति संकल्प की तरह कृषि नीति संकल्प तैयार करके इसे अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस नीति की घोषणा कब तक कर दी जाएगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) जी नहीं, कृषि नीति संकल्प का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

(ग) शीघ्रातिशीघ्र नई कृषि नीति को अंतिम रूप देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सी के किराए में वृद्धि

210. **श्री नाथूराम लिधिया :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोल और पैट्रोलियम उत्पादनों में हाल में की गई 25 प्रतिशत वृद्धि के बाद दिल्ली में आटो रिक्शा और टैक्सी के भाड़े में वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी हां। पैट्रोल और पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल ही में हुई 25% वृद्धि के बाद आटो रिक्शा/टैक्सी की भाड़ा दरों में 16-10-1990 से वर्तमान दरों पर 12½% की वृद्धि की गई थी।

(ख) संशोधित दरों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राज्य परिवहन प्राधिकरण : दिल्ली

आटो रिक्शा के लिए विद्यमान और संशोधित भाड़ा दरें

क	ख	ग
कि० मी०	24-3-90 से विद्यमान दर-भाड़ा	संशोधित भाड़ा (खाड़ी अधिभार) (पूर्णांकित)
1	2	3
1	3.00	3.40
	3.10	3.50
	3.20	3.60
	3.30	3.70
	3.40	3.80
	3.50	3.90
	3.60	4.10
1.5	3.70	4.20
	3.80	4.30
	3.90	4.40

1	2	3
	4.00	4.50
	4.10	4.60
	4.20	4.70
	4.30	4.80
2	4.40	5.00
	4.50	5.10
	4.60	5.20
	4.70	5.30
	4.80	5.40
	4.90	5.50
	5.00	5.60
2.5	5.10	5.70
	5.20	5.90
	5.30	6.00
	5.40	6.10
	5.50	6.20
	5.60	6.30
	5.70	6.40
3	5.80	6.50
	5.90	6.60
	6.00	6.80
	6.10	6.90
	6.20	7.00
	6.30	7.10
	6.40	7.20
3.5	6.50	7.30
	6.60	7.40
	6.70	7.50
	6.80	7.70
	6.90	7.80

1	2	3
	7.00	7.90
	7.10	8.00
4	7.20	8.10
	7.30	8.20
	7.40	8.30
	7.50	8.40
	7.60	8.60
	7.70	8.70
	7.80	8.80
4.5	7.90	8.90
	8.00	9.00
	8.10	9.10
	8.20	9.20
	8.30	9.30
	8.40	9.50
	8.50	9.60
5	8.60	9.70
	8.70	9.80
	8.80	9.90
	8.90	10.00
	9.00	10.10
	9.10	10.20
	9.20	10.40
5.5	9.30	10.50
	9.40	10.60
	9.50	10.70
	9.60	10.80
	9.70	10.90
	9.80	11.00
	9.90	11.10

1	2	3
6	10.00	11.30
	10.10	11.40
	10.20	11.50
	10.30	11.60
	10.40	11.70
	10.50	11.80
	10.60	11.90
6.5	10.70	12.00
	10.80	12.20
	10.90	12.30
	11.00	12.40
	11.10	12.50
	11.20	12.60
	11.30	12.70
7	11.40	12.80
	11.50	12.90
	11.60	13.10
	11.70	13.20
	11.80	13.30
	11.90	13.40
	12.00	13.50
7.5	12.10	13.60
	20.20	13.70
	12.30	13.80
	12.40	14.00
	12.50	14.10
	12.60	14.20
	12.70	14.30
8	12.80	14.40
	12.90	14.50

1	2	3
	13.00	14.60
	13.10	14.70
	13.20	14.90
	13.30	15.00
	13.40	15.10
8.5	13.50	15.20
	13.60	15.30
	13.70	15.40
	13.80	15.50
	13.90	15.60
	14.00	15.80
	14.10	15.90
9	14.20	16.00
	14.30	16.10
	14.40	16.20
	14.50	16.30
	14.60	16.40
	14.70	16.50
	14.80	16.70
9.5	14.90	16.80
	15.00	16.90
	15.10	17.00
	15.20	17.10
	15.30	17.20
	15.40	17.30
	15.50	17.40
10	15.60	17.60
	15.70	17.70
	15.80	17.80

1	2	3
	15.90	17.90
	16.00	18.00
	16.10	18.10
	16.20	18.20
10.5	16.30	18.30
	16.40	18.50
	16.50	18.60
	16.60	18.70
	16.70	18.80
	16.80	18.90
	16.90	19.00
11	17.00	19.10
	17.10	19.20
	17.20	19.40
	17.30	19.50
	17.40	19.60
	17.50	19.70
	17.60	19.80
11.5	17.70	19.90
	17.80	20.00
	17.90	20.10
	18.00	20.30
	18.10	20.40
	18.20	20.50
	18.30	20.60
12	18.40	20.70
	18.50	20.80
	18.60	20.90
	18.70	21.00
	18.80	21.20

1	2	3
	18.90	*21.30*
	19.00	21.40
12.5	19.10	21.50
	19.20	21.60
	19.30	21.70
	19.40	21.80
	19.50	21.90
	19.60	22.10
	19.70	22.20
13	19.80	22.30
	19.90	22.40
	20.00	22.50
14	21.20	23.90
15	22.60	25.40
16	24.00	27.00
17	25.40	28.60
18	26.80	30.20
19	28.20	31.70
20	29.60	33.30

राज्य परिवहन प्राधिकरण : दिल्ली

आढो रियक्षा के लिए विद्यमान और संशोधित भाड़ा दरें

क	ख	ग
कि० मी०	24-3-90 से विद्यमान दर-भाड़ा	संशोधित भाड़ा (खाड़ी अधिभार) (पूर्णांकित)
1	2	3
1	5.00	5.60
	5.20	5.90
	5.40	6.10
	5.60	6.30
	5.80	6.50
	6.00	6.80
	6.20	7.00
1.5	6.40	7.20
	6.60	7.40
	6.80	7.70

1	2	3
	7.00	7.90
	7.20	8.10
	7.40	8.30
	7.60	8.60
2	7.80	8.80
	8.00	9.00
	8.20	9.20
	8.40	9.50
	8.60	9.70
	8.80	9.90
	9.00	10.10
2.5	9.20	10.40
	9.40	10.60
	9.60	10.80
	9.80	11.00
	10.00	11.30
	10.20	11.50
	10.40	11.70
3	10.60	11.90
	10.80	12.20
	11.00	12.40
	11.20	12.60
	11.40	12.80
	11.60	13.10
	11.80	13.30
3.5	12.00	13.50
	12.20	13.70

1	2	3
	12.40	14.00
	12.60	14.20
	12.80	14.40
	13.00	14.60
	13.20	14.90
	13.40	15.10
	13.60	15.30
	13.80	15.50
	14.00	15.80
	14.20	16.00
	14.40	16.20
	14.60	16.40
4.5	14.80	16.70
	15.00	16.90
	15.20	17.10
	15.40	17.30
	15.60	17.60
	15.80	17.80
	16.00	18.00
5	16.20	18.20
	16.40	18.50
	16.60	18.70
	16.80	18.90
	17.00	19.10
	17.20	19.40
	17.40	19.60
5.5	17.60	19.80

1	2	3
	17.80	20.00
	18.00	20.30
	18.20	20.50
	18.40	20.70
	18.60	20.90
	18.80	21.20
6	19.00	21.40
	19.20	21.60
	19.40	21.80
	19.60	22.10
	19.80	22.30
	20.00	22.50
	20.20	22.70
6.5	20.40	23.00
	20.60	23.20
	20.80	23.40
	21.00	23.60
	21.20	23.90
	21.40	24.10
	21.60	24.30
7	21.80	24.50
	22.00	24.80
	22.20	25.00
	22.40	25.20
	22.60	25.40
	22.80	25.70
	23.00	25.90

1	2	3
7.5	23.20	26.10
	23.40	26.30
	23.60	26.60
	23.80	26.80
	24.00	27.00
	24.20	27.20
	24.40	27.50
8	24.60	27.70
	24.80	27.90
	25.00	28.10
	25.20	28.40
	25.40	28.60
	25.60	28.80
	25.80	29.00
8.5	26.00	29.30
	26.20	29.50
	26.40	29.70
	26.60	29.90
	26.80	30.20
	27.00	30.40
	27.20	30.60
9	27.40	30.80
	27.60	31.10
	27.80	31.30
	28.00	31.50
	28.20	31.70
	28.40	32.00
	28.60	32.20

1	2	3
9.5	28.80	32.40
	29.00	32.60
	29.20	32.90
	29.40	33.10
	29.60	33.30
	29.80	33.50
	30.00	33.80
10	30.20	34.00
11	33.00	37.10
12	35.80	40.30
13	38.60	43.40
14	41.40	46.60
15	44.20	49.70
16	47.00	52 90
17	49.80	56.00
18	52.60	59.20
19	55.40	62.30
20	58.20	65.50

लोखंडवाला कम्प्लेक्स अंधेरी (पश्चिम) मुम्बई में डाकघर खोलना

211. **श्रीमती जयवंती नवीन चंद्र मेहता** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोखंडवाला कम्प्लेक्स अंधेरी पश्चिम मुम्बई में कोई स्थानीय डाकघर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को वहां एक डाकघर खोलने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या डाक विभाग ने डिलीवरी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) जी हां।

(ख) पोस्टमास्टर जनरल, बंबई ने लोखंडवाला परिसर में विवरण डाकघर खोलने की मंजूरी दे दी है। इसे उपयुक्त स्थान उपलब्ध होते ही खोल दिया जाएगा।

(ग) स्टाफ की मंजूरी दिए जाने में सरकार द्वारा नए पदों के सृजन पर लगाई गई पाबंदी के कारण समय लग सकता है। जब तक स्टाफ की संख्या की पुनरीक्षा का कार्य समाप्त नहीं हो जाता, अंधेरी रेलवे स्टेशन डाकघर, जिसके जरिए लोखंडवाला परिसर को भी सेवा प्रदान की जाती है, के लिए निम्नलिखित स्टाफ की मंजूरी दी गई है—

डाक सहायक	— 7
छटाई पोस्टमैन	— 2
पोस्टमैन	— 15
समूह "घ"	— 2

मानखुंड टेलीफोन एक्सचेंज का कार्य न करना

212. **श्रीमती जयवन्ती नवीन चंद्र मेहता** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुंबई में मानखुंड टेलीफोन एक्सचेंज के वर्ष 1981 से कार्य न करने के बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

तूतीकोरिन पत्तन में तलकर्षण

213. **श्री कादम्बूर एम०आर० जनार्दनन** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान तूतीकोरिन पत्तन न्यास द्वारा यातायात संचालित किया गया;

(ख) क्या पत्तन को और अधिक गहरा बनाने हेतु इसके तलकर्षण में अनावश्यक विलंब हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस पत्तन के तलकर्षण की व्यवस्था करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान टूटीकोरिन पत्तन ने कुल 53.24 लाख टन ट्रैफिक हैंडल किया।

(ख) और (ग) टूटीकोरिन पत्तन को और गहरा करने हेतु निकर्षण कार्य, मद्रास उच्च न्यायालय में लंबित एक अदालती मामले के कारण रुका पड़ा है। मामले को शीघ्र निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सरदार सरोवर और नर्मदा सागर परियोजनाओं की पुनरीक्षा

214. **श्री काशीराम राणा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा बचाओ आन्दोलन के प्रतिनिधियों ने केन्द्रीय सरकार से सरदार सरोवर और नर्मदा सागर परियोजनाओं की पुनरीक्षा करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय से निपटाए गए प्रश्न पर पुन: विचार करने का है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

कुवैत में इराक की कार्यवाही के संबंध में संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव

215. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुवैत में इराक की कार्यवाही के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम प्रस्ताव का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के कार्यान्वयन का बिना शर्त समर्थन करती है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने कुवैत में इराक की कारंवाई के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नवीनतम संकल्प पर गौर किया है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने कुवैत से इराकी सेनाओं की पूर्ण और बिना शर्त वापसी तथा कुवैत की संप्रभुता और स्वाधीनता की बहाली की बराबर मांग की है। भारत सरकार का विचार है कि खाड़ी का संकट शांतिपूर्ण समाधान के जरिए सुलझाया जाना चाहिए।

मुम्बई और गोआ के बीच यात्री स्टीमर सेवा

216. **प्रो० मधु दंडवते** :
श्री यशवन्तराव पाटिल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोकण तट से होकर मुम्बई से गोवा तक यात्री स्टीमर सेवा शुरू करने की स्वीकृति बिना किसी नौवहन कम्पनी को दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नौवहन कम्पनी ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो यात्री स्टीमर सेवा कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) और (ख) सरकार ने निम्नलिखित कंपनियों को बम्बई से गोवा तक यात्री सेवा चलाने हेतु जहाज खरीदने के लिए स्वीकृति दी है :—

1. ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लि०
2. बिकम शिपिंग प्राईवेट लि०
3. सत्यगिरि शिपिंग कंपनी लि० (एस० एस० सी० एल०)
4. लिंक-आन सी० लिंक प्रा० लि० (एल० पी० एस० एल०)

ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कं० लि० तथा बंकिम शीपिंग प्राइवेट लि० को दी गई संस्वीकृति की वैधता समाप्त हो चुकी है। सत्यगिरी शिपिंग कं० लि० (एस० एस० सी० एल०) ने जहाज खरीदने के लिए प्रारंभिक राशि जमा करने की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।

मैसर्स लिंक-आन सी लिंक प्राइवेट लि० ने आवश्यक अनुमति के लिए अभी आवेदन नहीं दिया है।

(ग) सत्यगिरी शिपिंग कंपनी लि० ने सूचित किया है कि जैसे ही उन्हें जहाज प्राप्त होगा वे यात्री सेवा शुरू कर देंगे। संभव है कि इसमें लगभग 12 महीने लग जाएं।

मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थलों का विकास

[हिन्दी]

217. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से देश के प्रत्येक जिलों में पर्यटक स्थल विकसित करने की कोई योजना है;

(ख) केन्द्रीय सरकार को कोई ऐसी योजना प्राप्त हुई है जिसमें मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सुप्रसिद्ध चचाई-प्रपातों और देव तालाब के तीन शताब्दी पूर्व प्राचीन मंदिरों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) पर्यटन का विकास करना मुख्यत: राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के गुण-दोषों, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए वित्तीय सहायता देता है, न कि प्रत्येक जिलेवार।

(ख) और (ग) पर्यटन मंत्रालय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

गुजरात में पर्यटकों का आवागमन

[अनुवाद]

218. श्री बलवंत मनवर : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में पिछले एक वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में पर्यटकों की संख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य में आने वाले स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में पर्यटक स्थलों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है और क्या पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि करने के लिए कोई प्रोत्साहन कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार गत दो वर्षों और चालू वर्ष के प्रथम नौ महीनों के दौरान गुजरात की यात्रा करने वाले स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या का प्रतिशत अंतर निम्नलिखित है—

वर्ष	संख्या	% अंतर
1988	1,07,296	—
1989	1,11,156	3.9
1990 (जनवरी-सितम्बर)	66,232	—23.5*

*गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में।

(ग) और (घ) पर्यटक परिपथों का अभिनिर्धारण और विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है। भावनगर-पलिताना-लोथल-अहमदाबाद, मोधरा, गुजरात में एक विस्तार परिपथ है जिसका अभिनिर्धारण राज्य में पर्यटन के क्षितराव के लिए किया गया है। गुजरात के पर्यटक आकर्षणों का स्वदेश और विदेश दोनों में व्यापक प्रचार किया जा रहा है।

उड़ीसा में कपास की खेती के लिए मिट्टी की जांच करना

219. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में कपास की खेती की संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए मिट्टी की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के कौन-कौन से क्षेत्र/जिले कपास की खेती के उपयुक्त पाए गए हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों में कपास की खेती के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) से (ग) उड़ीसा में कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सघन कपास विकास कार्यक्रम की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है। कपास की खेती राज्य के विभिन्न भागों में औसतन 5,900 हैक्टेयर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में की जाती है। राज्य में 11 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन वे किसी विशेष फसल की खेती की संभावनाओं का पता लगाने का उल्लेख किए बगैर मृदा परीक्षण करती हैं। मृदा के अलावा भी कई अन्य कृषि जलवायु संबंधी तथ्य होते हैं, जो किसी एक क्षेत्र में किसी फसल की संभावना का निर्धारण करते हैं।

दक्षिणी राज्यों में पर्यटन

220. श्री जी० एस० वासवराज : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों ने क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु उत्तर भारत के "गोल्डन ट्रिन्गल" के अनुरूप, एक जोरदार पर्यटन अभियान चलाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को राज्यों से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त राज्यों को राज्य-वार कितनी-कितनी सहायता दी गई है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उषा सिंह) : (क) जी हां। दक्षिणी राज्य दक्षिण क्षेत्र में पर्यटन का विकास करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

(ख) कोई ठोस प्रस्ताव नहीं हुआ है।

(ग) पर्यटन का विकास और संवर्धन करना मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, पर्यटन विभाग विभिन्न राज्यों को, उनसे प्राप्त विशिष्ट स्कीमों पर उनके गुण-दोष, धन की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता पर विचार करते हुए पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता देता है। 7वीं योजनावधि में दक्षिणी राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता निम्नानुसार है :—

(लाख रुपयों में)

क्रमांक	राज्य का नाम	स्वीकृत राज्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	310.46
2.	कर्नाटक	252.20
3.	केरल	861.10
4.	तमिलनाडु	473.67

संयुक्त राष्ट्र अल्पसंख्यक मानव अधिकार आयोग में चर्चित मामले

221. **श्री ए० के० अब्दुल समद** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 और 1990 के दौरान संयुक्त राष्ट्र अल्पसंख्यक मानव अधिकार आयोग एवं इसके उप आयोग में किन-किन बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई;

(ख) इन वर्षों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक घोषणापत्र का प्रारूप बनाने, उसे स्वीकार करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं का समर्थन करने एवं वैकल्पिक समझौते को स्वीकार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1989 और 1990 के दौरान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने तथा अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव को रोकने और उनकी रक्षा संबंधी इसके उपयोग ने मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं से संबद्ध तरह-तरह के विषयों पर विचार किया था। जबरदस्ती अथवा इच्छा के विरुद्ध लापता कर देना, उत्पीड़न, धार्मिक असहिष्णुता पर बिना पूरी तरह विचार किए अथवा मनमाने तरीके से मृत्युदंड जैसे मूल विषयों के अतिरिक्त अनेक देशों में, जिनमें वे देश भी शामिल हैं, जहां मानवाधिकारों का एक ही तरीके से घोर और निरन्तर उल्लंघन का पता चला है, मानवाधिकारों के दुरुपयोग के प्रश्न पर आयोग और इसके उपायोग के इन अधिवेशनों में ध्यान केन्द्रित किया गया।

(ख) मानवाधिकार आयोग के 1989 और 1990 के अधिवेशनों में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डलों का नेतृत्व क्रमशः श्री वीरेन्द्र पाटिल, ससद सदस्य और श्री राज मोहन गांधी ने किया था। अल्प-संख्यकों के प्रति भेदभाव को रोकने और उनकी रक्षा करने से संबंधी उपायोग के 1989 और 1990 के अधिवेशनों में स्वतंत्र भारतीय विशेषज्ञों के रूप में क्रमशः श्री एम० सी० भण्डारे, संसद सदस्य और न्यायमूर्ति श्री एम० आर० सच्चर गये थे।

(ग) राष्ट्रीय, जातीय, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों से सम्बद्ध घोषणा का प्रारूप तैयार करने के लिए मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त मुक्त छोर कार्यकारी कार्य दल सीमित प्रगति कर सका है। इस मसौदे के पाठ पर जनता में कार्यकारी दल के दो सप्ताह के अधिवेशन में पुन: विचार किया जाना है, जो फरवरी, मार्च, 1991 में मानवाधिकार के अगले अधिवेशन के दौरान होगा।

(घ) और (ङ) भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक प्रसंविदा का तथा आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबद्ध प्रसंविदा का भी अनुसमर्थन कर दिया है। हम नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा के दो ऐच्छिक प्रोतोकोलों के अनुसमर्थन पर फिलहाल विचार नहीं कर रहे हैं।

हज मिशन, 1990 पर व्यय

222. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हज, 1990 के लिए गए हज मिशन के अधिकारियों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई तथा प्रमुख मोर्चों पर हुए व्यय का विवरण क्या है;

(ख) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई;

(ग) उपहारों और आतिथ्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) हज मिशन द्वारा सरकार को दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) मुख्य शीर्ष 2061-सी—विदेश मंत्रालय-सी-9—अन्य व्यय—सी-9 (4)—संयुक्त राष्ट्र आदि के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल शीर्ष के अन्तर्गत हज 1990 के लिए सरकारी हज सद्भावना प्रतिनिधिमण्डल के खर्च का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) हज सद्भावना प्रतिनिधिमण्डल ने सरकार को जो सिफारिशें की हैं वे संलग्न विवरण-2 में दी गई हैं।

विवरण-I

मुख्य शीर्ष 2061-सी—विदेश मंत्रालय-सी-9—अन्य व्यय सी-9 (4) संयुक्त राष्ट्र आदि के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल शीर्ष के अन्तर्गत हज 1990 के लिए सरकारी हज सद्भावना प्रतिनिधिमण्डल पर हुए खर्च को दर्शाने वाला विवरण

	भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा
1. हवाई किराया	2,00,752.00	
2. स्थानीय परिवहन	—	6,20,470.00
3. आवास	—	20,67,957.00 रु०
4. उपहार/आतिथ्य	25,963.00 रु०	—
	2,26,055.00 रु०	26,88,436.00 रु०
कुल योग	29,15,091.00 रु०	

विवरण-2

हज 1990 के लिए भारतीय हज सद्भावना प्रतिनिधिमण्डल की रिपोर्ट

मुख्य सिफारिशों का सार

हज 1990 की मुख्य विशेषता थी हज समिति और राजदूतावास के बीच अन्तिम रूप से दी गई हज कार्य योजना का कुशल क्रियान्वयन जिसके अनुसार भारतीय हज यात्रियों के आवास के लिए मक्का और मदीना में भवनों की पूर्ण व्यवस्था की गई थी जिसके बाद प्रत्येक हज यात्री के लिए आवास यूनिटें और देश में आने वाली तथा देश से चलने वाली उड़ानें आवंटित की गई थीं। इन आवंटनों को एक स्टिकर पर मुद्रित किया गया था जिसे प्रत्येक हज यात्री के हज वास पर चिपकाया गया था। इस प्रकार भारत से प्रस्थान करने से पहले आरक्षित आवास योजना में शामिल प्रत्येक हज यात्री के पास निम्नलिखित ब्यौरा था :

1. मक्का और मदीना में हज यात्री को आवंटित आवास के विशिष्ट यूनिटों का पूरा ब्यौरा;
2. उन उड़ानों की तारीखें और संख्या जिन पर हज यात्री को दोनों ओर से यात्रा करनी थी;
3. मक्का और मदीना के बीच हज यात्री के चलने की तारीखें :

"इस वर्ष हज के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थीं वे आने वाले वर्षों में हमारे लिए एक आदर्श का काम करेंगी।"

2. अराफत दिवस और हज समिति द्वारा हज यात्रियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए जारी विज्ञापन की तारीख के बीच 10 महीने का अन्तर होना चाहिए। प्रतिनिधिमण्डल ने एक आदर्श कार्य योजना तैयार की है जिसमें वे तारीखें दर्शाई गई हैं जिस तक हज समिति और राजदूतावास द्वारा विभिन्न कार्रवाई पूरी की जानी हैं।

कार्य योजना में हज 91 से लिए विशिष्ट तारीखें भी दी गई हैं। इस कार्य योजना का हज समिति और राजदूतावास द्वारा कुशलता से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

3. हालांकि यह बात प्रशंसनीय है कि हज यात्रियों को यह अवसर दिया गया है कि वे हज समिति/राजदूतावास को अपने उन मित्रों संबंधियों का ब्यौरा बताएं जिन्हें वे उन भवनों में ठहराना चाहते हैं जिनमें कि वे स्वयं रह रहे हैं। फिर भी इस सुविधा का और अधिक प्रचार किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक हज यात्री इससे फायदा उठा सकें।

4. उन हज यात्रियों की संख्या के बारे में कोई सीमा नहीं होनी चाहिए जो किसी दत्त वर्ष में हज कर सकें : हज करने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को अपेक्षित विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जानी चाहिए किन्तु साथ ही जिन हज यात्रियों ने पिछले पांच वर्षों में हज किया है उनके संबंध में राज्य हज समिति द्वारा कम्प्यूटरों पर हज यात्रियों के वैयक्तिक रिकार्ड रखकर मौजूदा प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

5. हज यात्रियों को समुद्री यात्रा में जिस असुविधा का सामना करना पड़ता है और किंगडम

में अधिक समय तक ठहरने के कारण जो अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है उसको देखते हुए हज समुद्री यात्रा को खत्म कर दिया जाना चाहिए। हज चार्टर किरायों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा समुद्र से जाने वाले हज यात्रियों को दिये जाने वाले अनुदान को हवाई जहाज द्वारा जाने वाले हज यात्रियों को देना चाहिए।

6. आरक्षित आवास योजना में शामिल हज यात्रियों को अन्तिम संख्या के बारे में अनिश्चितता से हज समिति को नुकसान हो सकता है और साथ ही हमें अन्तिम क्षणों में कतिपय अनुपयुक्त भवनों को मजबूरन किराये पर लेना पड़ता है। वह समय सीमा निर्धारित और लागू की जानी चाहिए जिसके द्वारा रूबत आबंटन और "बिना विदेशी मुद्रा के" श्रेणी में शामिल हज यात्रियों को समय पर अन्तिम रूप दिया जा सके, केन्द्रीय सरकार के कोटे में शामिल हज यात्रियों के संबंध में अनिश्चितता को कम करने के लिए हज यात्रियों को एक श्रेणी में रखा जाना चाहिए।

7. जिन भवनों में कतिपय प्रमुख कमियां पाई गई हों उनका पता लगाया जाना चाहिए और अगले वर्ष उन्हें किराए पर नहीं लिया जाना चाहिए।

8. हज यात्रियों की शिकायतों को दूर करने के लिए भवन पर्यवेक्षण कार्य के महत्व को देखते हुए तथा कुछ मौसम के असहयोगपूर्ण दृष्टिकोण को देखते हुए भी भवन पर्यवेक्षण को अधिक प्रभावी किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए अधिक पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने चाहिए।

9. उनकी निष्ठा और लग्नता के लिए खुदाम हुज्जाज का चयन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, राजदूतावास को उनकी सेवाओं का प्रभावी इस्तेमाल भवन पर्यवेक्षण कार्य और हज यात्रियों की शिकायत को दूर किए जाने के लिए किया जाना चाहिए।

10. राजदूतावास को कौंसलावास में नियुक्त किए गए नये रूवात अधिकारी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे रूवातों की मरम्मत/पुरुत्थान पर तेजी से कार्यवाही की जा सके, उन रूवातों को प्राथमिकता दी जाए जिनमें हमें निकट भविष्य में सफलता मिलने की संभावना है।

11. "प्रायोजित" हज यात्रियों की उड़ानों और आवास समस्याओं पर सरकार को निकट से पर्यवेक्षक रखना चाहिए। इन हज यात्रियों को यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वे अपने आपको स्वेच्छा आधार पर आरक्षित आवास योजना में शामिल हो सकें।

12. सरकार को कौंसलावास को एक चलती फिरती चिकित्सा वैन उपलब्ध करानी चाहिए ताकि हज यात्रियों को मक्का में उनके भवनों में और मीना तथा अराफत में भारतीय कैम्पों में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

13. इस बात का सुनिश्चय किया जाना चाहिए कि कौंसलावास द्वारा इंडेन्ट की गई दवाइयों से चिकित्सा मिशन की आवश्यकता के अनुसार ही भेजी जाएं।

14. जियारक के लिए मदीना जाने वाले हजारों भारतीय यात्रियों की देखभाल करने के लिए मदीना स्थित भारतीय डिस्पेंसरी को सारे वर्ष काम करना चाहिए (न कि केवल हज मौसम के दौरान)।

15. कौंसलावास की कर्मचारी अपेक्षाएं

(1) अवन पर्यवेक्षण कार्य के लिए अतिरिक्त कर्मचारी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

(2) कौंसलावास में यथाशीघ्र एक उप कौंसिल (हज) तैनात किया जाना चाहिए।

(3) मौसमी कार्य के लिए अस्थानीय रूप से अहंक कम्प्यूटर आपरेटरों की भर्ती में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए हज मौसम के दौरान कौंसलावास में चार भारत आस्थानी कम्प्यूटर आपरेटर तैनात किए जाने चाहिए।

(4) मदीना में भारतीय डिस्पेंसरी में एक डाक्टर तैनात किया जाना चाहिए।

16. इस बात का सुनिश्चय किया जाना चाहिए कि जद्दा और धार्मिक शहरों के बीच हमारे हज यात्री एयर कंडीशन बसों में यात्रा करें और उनसे आवश्यक प्रभारों में अतिरिक्त राशि ली जाए।

17. विदेश मंत्री द्वारा सउदी हज मंत्री डा० अब्दुल वहाब अब्दुल वसिया को भारत आने का औपचारिक निमंत्रण दिया जाना चाहिए।

फसलों को लाभप्रद मूल्य संबंधी विशेषज्ञ समिति

[हिन्दी]

223. श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को उनकी फसलों के लाभप्रद मूल्य देने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) और (ख) जी हां, समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, और उस पर सरकार विचार कर रही है।

सागर द्वीप समूह के पास नया पत्तन-स्थल

[अनुवाद]

224. श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागर द्वीप समूह के पास एक नया पत्तन स्थापित करने के लिए स्थल चयन हेतु अध्ययन किया गया था, जिसे कलकत्ता व इसके आस-पास का प्रदेश पूरे वर्ष इस्तेमाल कर सके;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन का क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) भविष्य में विशेषकर पैट्रोलियम व स्नेहक तेल पदार्थों की मात्रा में बुलाई की दृष्टि से, होने वाली वृद्धि को देखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कलकत्ता पत्तन पर कितनी धन-राशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कलकत्ता पत्तन के लिए आठवीं योजना हेतु 503.83 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है। पी० ओ० एल० उत्पादों को हैंडल करने के लिए 51.69 करोड़ रु० के निवेश की परिकल्पना की गई है।

नेताजी की मृत्यु के बारे में नई जांच

225. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 नवम्बर, 1990 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "फ्रेस प्रोब इन टू द एस० सी० बोस डैथ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा एकत्रित किए गए तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का जर्मन पत्रकार द्वारा किए गए रहस्योद्घाटन के परिप्रेक्ष्य में उक्त मामले की नए सिरे से जांच कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एर्णाकुलम जिले में मुक्तुपूजा में ई-10 बी० इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

226. **श्री पी० सी० थामस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एर्णाकुलम जिले में मुक्तुपूजा में एक ई-10-बी इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस एक्सचेंज से कितनी लाइनें दिए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या इस एक्सचेंज के लिए वहां रिमोट लाइन यूनिट सुविधा होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) इस समय केरल में एर्णाकुलम जिले के मुवाट्टुपूजा में एक ई-10-बी इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पोकर बांध परियोजना

[हिन्दी]

227. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार की थोकर बांध परियोजना के लिए कोई आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस आवंटन से परियोजना पर कितना खर्च किया गया है; और

(ग) परियोजना इस समय किस चरण में है और इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मधुभाई कोटडीया) : (क) से (ख) ऐसी कोई वृहद अथवा मध्यम परियोजना निष्पादित नहीं की जा रही है और न ही राज्य सरकार द्वारा आठवीं योजना में कोई प्रस्ताव किया गया है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के सतर्कता विभाग को प्राप्त शिकायतें

228. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के सतर्कता विभाग और क्षेत्रीय प्रबंधक पूर्वी क्षेत्र (दरियागंज) को पिछले दो वर्षों के दौरान कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) प्रत्येक शिकायत का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) 1-1-89 से म० टे० नि० लि०, नई दिल्ली के सतर्कता कक्ष में पूर्वी क्षेत्र सहित दिल्ली के सभी क्षेत्रों से कुल 2384 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 930 शिकायतें सतर्कता से संबंधित थीं जिनकी जांच की गई और शेष 1454 शिकायतों को उनके सीधे निपटाने के लिए संबंधित यूनिटों को हस्तांतरित कर दिया गया।

(ख) शिकायतों के स्वरूप का मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकरण किया गया है—

(क) अधिक बिल आने संबंधी शिकायतें।

(ख) टेलीफोन दोष।

(ग) टेलीफोन लाइनों का विपथन (डाइवर्सन)।

(घ) रिश्वत/पैसे की मांग।

(ङ) यात्रा भत्ता बिलों/छुट्टी यात्रा रियायत बिलों के झूठे दावे।

(च) भर्ती के लिए जाली प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना।

(छ) जाली शपथ-पत्र, जाली वेतन प्रमाण-पत्र, जाली एस० एस० आई० प्रमाण-पत्र आदि जैसे वाणिज्यिक मामले।

(ज) टेलीफोन का दुरुपयोग।

(झ) स्टोरों की चोरी और हेराफेरी।

(ग) निविदाएं एवं संविदाएं।

(ट) टेलीफोन को देर से लगाना।

(ठ) विषम सम्पत्ति।

पिछले दो वर्षों के दौरान कुल 930 शिकायतों की जांच की गई जिनमें से 383 शिकायतों में अनियमितता पाई गई। 120 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करना

[अनुवाद]

229. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों की सिफारिश पर प्राथमिकता के आधार पर नये टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने का कोई कोटा निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जय प्रकाश) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए संसद सदस्यों से प्राप्त सिफारिशों पर समुचित रूप से विचार किया जाता है।

केन्द्रीय सड़क कोष से राज्यों को दिया गया धन

230. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सड़क कोष से कितना धन दिया और राज्यों ने कितना धन खर्च किया ?

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : इस योजना के अन्तर्गत किया जाने वाला खर्च प्रारम्भ में राज्य सरकार द्वारा अपने योजनागत संसाधनों से किया जाता है और इसे वर्ष की समाप्ति पर रिलीज किया जाता है बशर्ते निधियां उपलब्ध हों। सातवीं योजना के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को रिलीज की गई निधियों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सातवीं योजना के दौरान रिलीज की गई कुल निधियां

(लाख रु० में)

क्रम सं०	राज्य का नाम	राशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	303.14
2.	असम	117.50

1	2	3
3.	बिहार	45.00
4.	गुजरात	632.23
5.	हरियाणा	102.10
6.	हिमाचल प्रदेश	91.31
7.	जम्मू और कश्मीर	31.77
8.	कर्नाटक	364.024
9.	केरल	394.006
10.	मध्य प्रदेश	95.40
11.	महाराष्ट्र	333.06
12.	मणिपुर	40.00
13.	नागालैंड	21.96
14.	उड़ीसा	45.00
15.	पंजाब	1.50
16.	राजस्थान	260.00
17.	सिक्किम	10.00
18.	तमिलनाडु	175.00
19.	त्रिपुरा	7.00
20.	उत्तर प्रदेश	515.00
21.	पश्चिम बंगाल	124.00
22.	चण्डीगढ़	15.40
23.	दिल्ली	52.40
	जोड़ :	3776.80

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए । कृपया, अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अरे, करना है तो हिम्मत से कहो कि कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आपने श्री आडवाणी को विपक्ष का नेता बनाने का जो निर्णय लिया है, वह बिल्कुल उचित है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री दण्डवते जी, आपने अपनी बात कह ली है। कृपया, अब श्री दिनेश सिंह की बात सुनिए।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : आपके विनिर्णय को चुनौती देने की हमारी कोई मंशा नहीं। निश्चय ही हम इसका सम्मान करेंगे। परंतु मैं आपके प्रति तथा इस सभा के प्रति अपना कर्त्तव्य निर्वाह करने में असफल रहूंगा; अगर मैं इस ओर आपका ध्यान नहीं दिलाता कि जो विनिर्णय आपने दिया है उसमें आपने कुछ बातों की ओर पूरा ध्यान नहीं दिया··· (व्यवधान)

[हिंदी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, ये रूलिंग को चैलेंज कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ये रूलिंग को मान रहे हैं। रूलिंग को क्वैश्चन नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनका यह कहना है कि वह मेरे विनिर्णय को चुनौती नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : इस संबंध में मैं कुछ मूल बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहूंगा क्योंकि इस संबंध में इस सभा में ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। कुछ एक जो पूर्वोदाहरण हैं, वह हाउस ऑफ कामन्स तथा केरल और तमिलनाडु जैसी कुछ विधान सभाओं के हैं। अब, महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस (इ) अभी भी एक विपक्षी दल है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ कहना चाहते हैं उन्हें उसका अधिकार है। आपको भी अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है। कृपया, उनकी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिंदी]

श्री मदन लाल खुराना : सरकार को सपोर्ट भी करेंगे और अपोजीशन लीडर भी बनेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना साहब, सुनने में क्या दिक्कत है आपको।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मदन लाल खुराना : महोदय, वह आपके निर्णय को चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा है कि वे निर्णय को चुनौती नहीं दे रहे।

श्री विनेश सिंह : मैं श्री खुराना जी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमें उस कुर्सी की लालसा नहीं जिस पर श्री आडवाणी जी बैठे हैं। आपने निर्णय दिया है और हम उसका सम्मान करेंगे क्योंकि इस सदन में पहले ऐसा कोई पूर्वोदाहरण नहीं है और आपके निर्णय से यह उदाहरण स्थापित हो जाएगा, इसलिए, मैंने यह उचित समझा कि मैं आपके निर्णय को चुनौती दिए बगैर ये बातें आपकी जानकारी में लाऊं। महोदय, मुख्य बात यह है कि जनता दल तथा जनता दल (एस), दोनों ने ही एक घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी तथा वामपंथी दलों का भी चुनावी समझौता था। कांग्रेस (इ) ने किसी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस (इ) ने अपने चुनाव घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ा···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या यह जरूरी है कि आप पूरा दिन इनके साथ सहमत हों?

[अनुवाद]

क्या आपने अपनी बात पूरी कर ली है?

श्री विनेश सिंह : अगर अनुमति दें तो मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा। मैं यह कहना चाहता था कि कांग्रेस (इ) ने स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता के अपने घोषणा पत्र पर चुनाव लड़ा। इसलिए, इस सदन में यह एक स्वतंत्र दल है। हमने इस सरकार के निर्माण में अपना समर्थन दिया है तथा हम उन मुद्दों पर इस सरकार का समर्थन करते रहेंगे, जिन्हें हम ठीक समझते हैं। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम इस सरकार का हिस्सा हैं जैसा कि वे थे, जब वे उस तरफ बैठे थे···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। वह अपनी बात कह रहे हैं।

श्री विनेश सिंह : एक और बात भी है। जनता दल तथा जनता दल (एस) की परस्पर स्थिति भी आपने अभी निर्धारित नहीं की है। इसलिए, अभी यह कहना उचित नहीं कि हमारे दल के अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ा दल है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनके पश्चात् मैं विपक्ष के नेता को बोलने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री विनेश सिंह : मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अन्तिम निर्णय लेते समय आप मेरी बातों पर भी गौर करें।

अध्यक्ष महोदय : विपक्ष के नेता श्री आडवाणी।

श्री• सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : पहले आप मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाइए। मैं आपको तब बोलने के लिए आमंत्रित करूंगा, जब आप अपनी सीट पर चले जायेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : नियम 388 के अन्तर्गत, मैंने प्रश्नकाल को निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पहले आप मेरी बात सुनिए··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब आप अपने स्थान पर बैठ जायेंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे इस बात का दुख है कि नियमों के पालन के बावजूद भी मेरी बात नहीं सुनी गई है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियम 388 के अन्तर्गत मैंने प्रश्न काल निलंबित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ताकि साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में मेरे स्थगन प्रस्ताव पर विचार किया जा सके। अभी देश में साम्प्रदायिकता फैली हुई है जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा बना हुआ है··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। व्यवस्था के प्रश्न के बारे में मैंने आपकी बात सुन ली है। अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं।

(**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। और यह मेरा अधिकार है कि मेरी बात सुनी जाए। आपको पहले मेरी बात सुननी चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री आडवाणी।

[**हिन्दी**]

विरोधी दल के नेता को सुनिए मेहरबानी करके।

[**अनुवाद**]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह कैसेटें सभा की सम्पत्ति बनायी जानी चाहिएं। (**व्यवधान**)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे सहयोगी, श्री दंडवते ने इस सरकार की वैधता के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है। मेरे विचार में कांग्रेसी प्रवक्ता को स्वयं से यह प्रश्न करना चाहिए था। इसकी बजाय, उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि क्या कांग्रेस पार्टी सरकार का समर्थन करने वाली पार्टी है अथवा विपक्षी पार्टी। उनका यह कहना है कि समर्थक दल जैसी कोई चीज नहीं है तथा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी तथा वामपंथी दलों को भी पिछले 9-10 मिनट में विपक्षी दल बताया है। मैं आपके निर्णय तथा मेरे स्वयं के विचारों में कोई तर्क-वितर्क नहीं करना चाहता जिस पर कि पिछले छः सप्ताह से वाद-विवाद हो रहा है। मैं श्री दंडवते जी की इस सरकार की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाने की बात पर भी असहमत नहीं हो सकता। इस तथ्य को

सामने रखते हुए कि यह सरकार एक नियमित प्रक्रिया के द्वारा अस्तित्व में आई है और वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रपति महोदय ने अपने आपको संतुष्ट कर लिया है कि सदन में बहुमत ने स्पष्ट तौर से श्री चन्द्रशेखर जी को प्रधान मंत्री बनाने की वचनबद्धता दर्शाई है और इसलिए सरकारी विज्ञप्ति में भी 'बिना शर्त समर्थन' शब्द का प्रयोग किया गया है··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अनिवार्य रूप से नहीं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : हां, अनिवार्य रूप से नहीं। मैं मानता हूं और इसमें सुधार करता हूं··· (व्यवधान)। लेकिन माननीय राष्ट्रपति जी ने यह देखा है कि चन्द्र शेखर जी द्वारा गठित इस सरकार को सभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो क्योंकि इसके 58 अथवा 60 सदस्य हैं, मुझे निश्चित संख्या पता नहीं है, इसके अलावा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के 210 सदस्य हैं उन्होंने यह नहीं कहा कि वह कुछ मुद्दों पर उनका समर्थन करेंगे। यदि जो आज कहा गया है, वह माननीय राष्ट्रपति जी को कहा गया होता तो मुझे विश्वास है कि वह यह सरकार गठित नहीं करते। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस दोहरा फायदा उठाना चाहती है··· (व्यवधान)। उससे यह सरकार वैध नहीं हो जाती।

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : आपने ग्यारह महीने तक यही किया··· (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस सरकार का संबंध है, यह उचित सांविधानिक प्रक्रिया द्वारा बनी है और यह तभी हट सकती है जब इसके विरुद्ध उचित अविश्वास प्रस्ताव होगा और इस दल ने जो भी किया है तब उसकी परीक्षा होगी। लेकिन, चूंकि दिनेश सिंह जी ने मेरा और वामपंथी दलों का उल्लेख किया है और मुझे विश्वास है कि वामपंथी दल स्वयं अपना उत्तर देंगे लेकिन, इस सभा में मुझे यही कहना है कि इन ग्यारह महीनों में जब हमारे सहयोगियों ने स्थगन् प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दल से मांगी तो वह हमने नहीं दी। हमने कहा कि हम स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम सरकार के समर्थक हैं। जब भी उन्होंने बजट के संबंध में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी तो हमने कहा नहीं, हम सत्ताधारी दल के समर्थक हैं इसलिए हमारी ओर से कोई कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे क्योंकि विपक्ष कटौती प्रस्तावों का समर्थन करेगा तथा सरकार को गिरा देगा। अतः विपक्ष के लिए हमेशा स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करके सरकार को गिराना संभव होगा। स्थगन प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव द्वारा किसी सरकार के गिरने के परिणामों के बारे में वे सभी व्यक्ति जानते हैं, जो संसदीय प्रथाओं के बारे में जानते हैं। इसलिए, मेरे दल ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि हम विपक्षी दल हैं। वास्तव में एक बार मुझे यह अवसर दिया गया था।

प्रो० मधु दंडवते : आज कांग्रेस दल का एक व्यक्ति स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : एक बार सरकार ने मुझे यह सुझाव दिया था कि 'उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है इसलिए आपके दल में से कोई सहयोगी क्यों न उपाध्यक्ष बने'। मैंने कहा 'नहीं, मेरा यह विचार है और मैंने इस सभा में तथा दूसरी सभा में बार-बार कहा है कि उपाध्यक्ष विपक्षी दल का होता है और मैं विपक्षी दल का नहीं हूं क्योंकि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं।' मेरे दल का स्पष्ट रूप से यही विचार है।

जहां तक वैधता का प्रश्न है मैं दंडवते जी और उनके सहयोगियों से अनुरोध करता हूं कि यह सरकार वैध है। हम अलग-अलग व्यक्तियों के बारे में बात कर सकते हैं। हां, ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें आशंका का कारण है लेकिन, जहां तक सरकार का संबंध है, यह संविधानिक रूप से गठित की गई है और तथ्य यह है कि आज कांग्रेस दल दोहरी नीति अपना रहा है तथा कांग्रेस के इस रवैये से इस सरकार की वैधता में कोई अंतर नहीं आएगा। इस दोहरी नीति के कारण ऐसे अवसर आएंगे जैसा आज आया है, उदाहरण के लिए यदि कांग्रेस दल का कोई सदस्य स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और उस प्रस्ताव पर चर्चा होती है, तो उसके परिणाम सत्ताधारी दल को भुगतने होंगे। उन्हें यह बात समझनी चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, यह बहुत ही असाधारण स्थिति है और मेरे विचार से मंत्रिमंडल और सत्ताधारी दल के सदस्य बहुत दुविधा में हैं और अब उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें क्या रवैया अपनाना है। यह स्थिति रेत से बने घर से भी अधिक अस्थिर है और मुझे विश्वास है कि आज कांग्रेस (आई) नेताओं का यह अनुरोध कि वे विपक्ष में रहेंगे, इस सरकार के लिए पहला नैतिक अविश्वास है। (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : हम सभा में सही स्थिति स्पष्ट करते आ रहे हैं कि एक सत्ताधारी दल है और शेष सभी विपक्षी दल हैं।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : नहीं, ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह : मुझे नियम दिखाइए। यदि आप नियम नहीं जानते हैं, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मुझे नहीं पता कि संख्या के अनुसार और राजनीतिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव कब प्रस्तुत होगा लेकिन, श्री दिनेश सिंह द्वारा दिया गया यह तर्क सही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दल जब जनता दल का समर्थन कर रहे थे, ये तब भी विपक्ष में थे क्योंकि जब··· (व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : अब आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खुले रूप से सहयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकार के सहयोगी थे और इस बात से वह इंकार कर रहे हैं (व्यवधान) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) हमेशा से कह रही थी कि उनका भारतीय जनता पार्टी से कुछ लेना-देना नहीं है और अब वह कह रहे हैं कि वे और भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकार के सहयोगी थे। अब आप उनसे पूछिए। (व्यवधान) महोदय, मेरा निवेदन है··· (व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खान (बहराइच) : हम आपको समझा नहीं सकते। यही हमारी समस्या है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी, कृपया स्पष्ट कीजिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कृपया उन्हें बैठाइए। मैं ऐसे नहीं बोल सकता।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय एक बात स्पष्ट करें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज फर्नान्डीज, मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मेरा निवेदन है···

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी बात अभी समाप्त नहीं की है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं बाद में बोलूंगा।

श्री संफुद्दीन चौधरी : महोदय, आपने उनका संशय दूर कर दिया है। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमने पिछली सरकार को समर्थन दिया और उसी कारण इस सरकार का बहुमत बना। हम अनेक कारणों से मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि जनता दल और वामपंथी मोर्चा अपने घोषणा पत्र के अनुसार कार्य करे। चूंकि हम नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का लाभ उठाए इसलिए, इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वे सत्ता से बाहर रहें, हम सरकार में शामिल नहीं हुए। हमने कभी यह नहीं कहा कि हम विपक्षी दल के हैं। मैं नहीं जानता हूं कि विपक्षी नेता को क्या लाभ मिलते हैं। आप अभी भी श्री राजीव गांधी को वही लाभ दे सकते हैं। हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि किसी व्यक्ति को क्या लाभ दिए हुए हैं। अब यहां जो प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, वह एक राजनीतिक प्रश्न है। अब उनकी क्या स्थिति है ? जब सरकार गठित की गई थी, तब उन्होंने अपना समर्थन दिया। अब कांग्रेस (आई) ने नया रवैया अपना लिया है। वे इस अनैतिक सरकार का दायित्व नहीं लेना चाहते। यह बात सच है। (व्यवधान)

श्री विनेश सिंह : जो राजनैतिक प्रश्न उन्होंने पूछा है, हमारी स्थिति वैसी नहीं है जैसी भारतीय जनता पार्टी की है। वह सरकार का समर्थक दल था और उसी ने सरकार को गिरा दिया। हमारी स्थिति भारतीय जनता पार्टी जैसी नहीं है। हमारा वैसा समर्थक दल नहीं है, जो सरकार को गिरा दे। (व्यवधान)

श्री संफुद्दीन चौधरी : महोदय, दोनों अवसरों में एक अंतर है। जब सरकार बनी थी, उन्होंने अपना समर्थन देने की घोषणा की। अब उनका एक नया दृष्टिकोण है। वे स्वयं को इस सरकार के साथ नहीं मिलाना चाहते और वे विपक्ष में रहना चाहते हैं। वे इस अनैतिक सरकार को चलाए रखने का उत्तरदायित्व वहन नहीं करना चाहते। यह उनकी ओर से अविश्वास का सूचक है। (व्यवधान)

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलेप्पी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : महोदय, क्या सदन में इस पर बहस करना उचित है कि इस सरकार को बहुमत प्राप्त है अथवा नहीं ? अगर उन्हें यह विश्वास है कि इस सरकार ने बहुमत खो दिया है, तो वे अविश्वास प्रस्ताव रखें। इस तरह बहस करके हम कुछ सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इस सरकार ने

एक विश्वास प्रस्ताव रखा है और वह पारित हो गया है। अब, यदि वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सरकार को विश्वास मत प्राप्त नहीं है तो उन्हें एक अविश्वास प्रस्ताव रखने दें। इस तरह चर्चा करने से क्या लाभ ? मैं इस पर आपका विनिर्णय चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री संफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री संफुद्दीन चौधरी : शुरू में मैंने कहा था कि यह एक असाधारण स्थिति है। इसका प्रमाण यह है कि आज कांग्रेस (आई) पार्टी ने साम्प्रदायिकता पर एक स्थगन प्रस्ताव रखा है और आपके सचिवालय ने स्वीकार कर लिया है। क्या यह अविश्वास की अभिव्यक्ति नहीं है ? उन्हें यह स्पष्ट करने दें कि वर्तमान सरकार के सम्मुख उनकी क्या स्थिति है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को बोलने के लिए बुला रहा हूं।

श्री कमल नाथ : महोदय, मुझे कब बोलने का अवसर मिलेगा ? आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे बुलाएंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, कृपया उन्हें बुला लें। उन्हें प्राथमिकता दे दें।··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त, क्या आप अपनी बात कहेंगे ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, यहां जिस मुद्दे पर बहस हो रही है, दुर्भाग्य से, मैं नहीं समझता कि आप उस पर कोई विनिर्णय दे पाएंगे। इस सरकार की वैधता के संबंध में दण्डवते जी ने जो मुद्दा उठाया था, अगर इससे उनका अर्थ इस सरकार की संवैधानिक या कानूनी वैधता से है, तो मैं उनसे सहमत नहीं हूं। निर्णय लेने से पूर्व राष्ट्रपति ने कई संवैधानिक उपायों पर विचार किया जो उनके लिए आवश्यक था। यहां उसकी व्याख्या की जा चुकी है। अंत में जब उन्होंने यह निर्णय किया कि श्री चन्द्रशेखर को प्रधान मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए तो यह निर्णय कांग्रेस द्वारा उन्हें दिए गए एक वचन के आधार पर लिया गया था। अन्यथा, उन्होंने ऐसा नहीं किया होता। चाहे वे इससे इंकार करें कि कांग्रेस (आई) ने भारत के राष्ट्रपति से यह वायदा किया था कि हालांकि श्री चन्द्रशेखर के दल में सिर्फ 60 के लगभग सदस्य हैं, हमारे 210 या 209 सदस्य उन्हें समर्थन देंगे। किन्तु स्पष्टतः इसके लिए प्रधान मंत्री ने श्री चन्द्रशेखर को नहीं चुना होगा। किन्तु मैं सोचता हूं कि तकनीकी, संवैधानिक या वैधानिक रूप से हम अब राष्ट्रपति के उस निर्णय पर शंका नहीं कर सकते। उन्होंने उचित कदम उठाया है। उनके सामने तब अन्य कोई रास्ता नहीं था।

अभी हमने यहां जो मुद्दा उठाया है—क्योंकि कुछ सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखा है—वह इस सरकार की और कांग्रेस (आई) नामक दल की राजनैतिक और नैतिक वैधता के बारे में है। उन्हें इसका उत्तर देना है। हम श्री दिनेश सिंह जी के इस प्रश्न पर बहस नहीं कर रहे हैं कि उनका दल विपक्षी दल है या समर्थक दल है या क्या है। हमें इसमें कोई रुचि नहीं है। न ही हमारी इसमें रुचि है कि हम इसका उल्लेख करते रहें कि पिछले 11 महीनों में क्या हुआ था। यह निर्णय करना

इतिहास का काम है। इतिहास निर्णय करेगा; लोग निर्णय करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे उदाहरणों का अनुसरण करें और हमारा अनुसरण करें, आपका स्वागत है।

श्री कमल नाथ : हम यह कभी नहीं करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : फिर, आप हमेशा इसकी चर्चा क्यों करते रहते हैं। उस समय भी हमने यह स्पष्ट कर दिया था कि न तो हम इस सरकार में हैं और न ही विपक्ष में हैं। मतगणना से जो परिणाम निकला था, उससे उत्पन्न यह एक अजीब स्थिति थी। यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी, ऐसी स्थिति पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई थी। लोगों ने एक विशेष ढंग से मतदान किया जिसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस (आई) सत्ता से बाहर हो गई। परन्तु, साथ ही किसी अन्य राजनैतिक गठबन्धन को सरकार बनाने के योग्य बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। इस स्थिति में, जो व्यवस्था की गई, वह सरकार बनाने और उसे चलाने का एकमात्र रास्ता था। न तो भारतीय जनता पार्टी, वामपंथियों का समर्थन कर रही थी और न ही वामपंथी दल भाजपा को अपना समर्थन दे रहे थे। परन्तु, हम दोनों ही दल सरकार से बाहर रहकर सरकार के साथ सहयोग कर रहे थे। यदि आप हमारे उदाहरण का अनुकरण करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है।

जो प्रश्न हम उठा रहे हैं वह यह है कि लिखित रूप से एक दृढ़ प्रतिज्ञा की गई थी। वह पत्र यहां है। अगर आप चाहते हैं, तो इसका संदर्भ आपको पुनः दिया जा सकता है, आप इसे देख सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह जाली नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी की गई एक सरकारी विज्ञप्ति है और इसे पढ़िए कि इसमें क्या कहा गया है। राष्ट्रपति को किस आधार पर श्री चन्द्रशेखर के दावे को स्वीकार करने के लिए राजी किया गया। क्या वह आधार यह था कि कभी-कभी हम उनका समर्थन करेंगे और कतिपय विशेष मुद्दों पर हम कभी-कभी उनका विरोध भी कर सकते हैं? कुछ अवसरों पर हम स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं और अन्य अवसरों पर उनके पक्ष में, मतदान करेंगे— क्या यही आधार था? अगर एक अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो हम उसके विरोध में मतदान करेंगे, और यदि हम श्री चन्द्रशेखर के विरुद्ध एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहेंगे तो हम ऐसा करने के लिए स्वतन्त्र होंगे— क्या यही आधार था? हम उनके बजट पर कटौती प्रस्ताव ला भी सकते हैं और नहीं भी? क्या राष्ट्रपति जी के सामने उन्होंने यही कहा था? राष्ट्रपति जी को यह विश्वास दिलाया गया था कि यह सरकार केवल कांग्रेस (आई) दल के समर्थन के आधार पर ही बनाई जा सकती है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि यह समर्थन बिना शर्त नहीं था। अतः, मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं—मैं संवैधानिक या तकनीकी वैधता को चुनौती नहीं दे रहा हूं। यह एक प्रेस विज्ञप्ति है। यदि आप चाहें तो कृपया इसे चुनौती दें।

राष्ट्रपति भवन— 9 नवम्बर, 1990

"कांग्रेस-आई ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया किन्तु श्री चन्द्रशेखर को बिना शर्त समर्थन देने का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रपति ने श्री चन्द्रशेखर से पूछा कि क्या वह एक स्थिर सरकार बनाने की स्थिति में हैं। श्री चन्द्रशेखर ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और अपने दल को कांग्रेस-आई और कुछ अन्य दलों, ए० आई० ए०, डी० एम० के० इत्यादि के

समर्थन के प्रमाण प्रस्तुत किए। राष्ट्रपति प्रथम दृष्टि में इस बात से संतुष्ट हैं कि श्री चन्द्रशेखर के नेतृत्व वाले दल में एक स्थिर सरकार बनाने की क्षमता है।"

इसलिए, यह सोच बहुत स्पष्ट था। इस आधार पर, मैं अपने मित्र राजा दिनेश सिंह को बताना चाहता हूं कि वे इस प्रकार इस ओर या उस ओर पैंतरेबाजी नहीं कर सकते। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर उनके दल में काफी मतभेद है। हम सब इसे जानते हैं। वे इस सरकार को समर्थन देने के लिए अपने आपको एक नहीं कर सकते। उनमें से कई के पास अन्य कोई उपाय नहीं है। मैं समझता हूं कि वे अप्रसन्न हैं और, इसलिए वे इस प्रकार का दोगलापन दिखा रहे हैं।

श्री दिनेश सिंह : मैं अपने मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने राष्ट्रपति से जो वायदा किया था हम उस पर दृढ़ हैं। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि हम सरकार का समर्थन करते हैं, तो हम इस सदन में काम करने के अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। ...(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने राष्ट्रपति से यह स्पष्ट नहीं कहा कि उनका समर्थन बिना शर्त नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बताया ? क्या आप अपना विनिर्णय देंगे ? मैं नहीं सोचता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष को इस पर विनिर्णय देने की आवश्यकता नहीं है। विनिर्णय का कोई प्रश्न नहीं है। मैं अगला विषय ले रहा हूं।

श्री दिनेश सिंह : वामपंथी दलों ने भी सरकार को समर्थन देने के लिए राष्ट्रपति को लिखित में कहा। क्या इसका यह अर्थ है कि उन्होंने सदन में इस विषय को नहीं उठाया था ? मैं नहीं जानता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमारा विपक्षी दल है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, यदि कोई अन्य नए विषय हैं तो आप मुझे बताएं। आप इसे दुहराएं नहीं।

(व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : आप कृपया मुझे श्री चित्त बसु के बाद बोलने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री समरेन्द्र कुन्डू, हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं इस पर चर्चा कराने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री चित्त बसु, संक्षिप्त रूप में अपनी बात कहें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : यह मुद्दा हल हो गया है। हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि क्या सरकार वैध है। सरकार ने अपनी नैतिक वैधता खो दी है। इस बारे में कोई शंका नहीं है। किन्तु जहां तक संवैधानिक वैधता का प्रश्न है, स्थिति स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ने सभी पहलुओं पर

विचार करके श्री चन्द्रशेखर को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया है और उन्होंने सदन में विश्वास मत भी प्राप्त किया है।

जहां तक सरकार की संवैधानिकता का प्रश्न है, इस समय, ऐसे प्रश्न को उठाना तर्कसंगत नहीं है। किन्तु सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल की भूमिका का प्रश्न है। यहां कांग्रेस (आई) ने पूर्ण रूप से दिग्भ्रमित गड़बड़ी फैला दी है। एक बार वे कहते हैं कि वे विपक्ष में हैं। यदि वे विपक्ष में हैं, तो उन्हें विपक्षी दल की भूमिका को पूरी तरह से निभाना चाहिए था। ऐसा करने के लिए उनका स्वागत है। यह लोकतन्त्र है। यह संसदीय लोकतन्त्र है। वे विपक्षी दल के उत्तरदायित्व को नहीं निभा रहे हैं। न ही वे सत्तारूढ़ दल का हिस्सा होने के रूप में सत्तारूढ़ दल के उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं।

उन्होंने वामपंथी दलों की भूमिका का प्रश्न उठाया है। अन्य दलों ने अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। मैं भी अपनी स्थिति स्पष्ट करता हूं। आपकी जानकारी के लिए, हम विपक्ष में नहीं थे। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा अवसर पहले कभी नहीं आया है जब हमने स्थगन प्रस्ताव पेश किया हो हालांकि हमें सरकार की नीतियों पर सख्त ऐतराज था। बजट की चर्चा के दौरान हमने कोई कटौती प्रस्ताव पेश नहीं किया है क्योंकि सदन में ऐसे प्रस्तावों के परिणामों के बारे में हम जानते थे। उनकी ओर देखें। उनसे सहानुभूति करें। वे विपक्ष में भी होना चाहते हैं और सरकार का भी एक हिस्सा होना चाहते हैं। अब वे श्री चन्द्रशेखर को कठिनाई में छोड़ रहे हैं। उन्होंने स्थगन प्रस्ताव पेश कर दिया है। इसलिए, निर्वाचन अधिकारी के रूप में उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि सत्तारूढ़ दल की विशेष भूमिका क्या है और विपक्षी दल की विशेष भूमिका क्या है। इस सम्बन्ध में, मैं दृढ़ता से कांग्रेस दल पर आरोप लगाता हूं कि वे न केवल ऐसे दल के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं जो सरकार का समर्थन करता है अपितु इसके साथ ही वे कहते हैं कि वे विपक्ष में हैं। वे विपक्षी दल के रूप में कार्य करते हैं। स्थिति असामान्य हो गई है। यहां यह एक समर्थन दल है। दूसरे सदन में, यह एक विपक्षी दल है। जनता दल यहां एक विपक्षी दल है और वहां पर एक सत्तारूढ़ दल है। इसलिए, महोदय, यह स्पष्ट करना आपका कर्त्तव्य है। यह विषय उठाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं राज्य सभा में जनता दल की भूमिका और इस सदन में कांग्रेस की भूमिका क्या है? यहां पर कांग्रेस दल समर्थन देने वाला एक दल है। अब वे कहते हैं कि वे विपक्ष में हैं। इसका फैसला कैसे हो सकता है? यदि वे अपना समर्थन वापस लेना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए उनका स्वागत है···(व्यवधान)···इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि आपको अपना मार्गदर्शन कांग्रेस दल को देना चाहिए।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय: मैंने सभी पक्षों के माननीय सदस्यों के विचार सुने हैं और उनके वक्तव्यों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। किन्तु मैं महसूस करता हूं कि जो मुद्दे उठाए गए हैं उनका निर्णय लेना अध्यक्ष का काम नहीं है। इसलिए मैं यह विनिर्णय देता हूं कि जो मुद्दे उठाए गए हैं, वे ठीक नहीं हैं।

12.37 म० प०

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

(एक) दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त नोटिस के बारे में टिप्पणी

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभी को सूचित करना है कि 7 दिसम्बर, 1990 को दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 1990 की सिविल रिट याचिका संख्या 3871 के संबंध में मुझे 'कारण बताओ' का उत्तर देने के लिए कहा गया था। रिट याचिका में अन्य बातों के साथ-साथ संविधान (52वां संशोधन) अधिनियम, 1985 की 10वीं अनुसूची के पैरा 6 और 7 की वैधता और संवैधानिकता को चुनौती दी गई है।

सदन की सुस्थापित प्रथा के अनुसार मैंने इस सूचना का उत्तर न देने का फैसला किया है। मैंने विधि और न्याय मंत्री को सम्बन्धित पत्र भिजवा दिए हैं ताकि वह उच्च न्यायालय को सही संवैधानिक स्थिति और सभा की सुस्थापित प्रथा के बारे में अवगत कराने के लिए उचित कार्यवाही करें।

12.37½ म० प०

(दो) लोक सभा में विपक्ष के नेता को मान्यता

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मैंने संसद में विपक्ष के नेता वेतन और भत्ता अधिनियम, 1977 की धारा 2 के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी को 24 दिसम्बर, 1990 से लोक सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दे दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

12.38 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टूरिज्म एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

उप-प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1573/90]

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

[अनुवाद]

जल-संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 566 (अ), जो 8 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम न्यास कर्मचारी (अनुकंपा निधि) संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 571 (अ), जो 13 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन (चालकों की अनुज्ञप्ति और नियंत्रण) विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 625 (अ), जो 9 जुलाई, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास के प्रथम श्रेणी के अधिकारी (सेवा-निवृत्ति के पश्चात् नियोजन की स्वीकार्यता) संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा० का० नि० 754(अ), जो 3 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मारमुगाव पत्तन कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा० का० नि० 759(अ), जो 6 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन (चालकों का प्राधिकरण) संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(छह) सा० का० नि० 810(अ), जो 24 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मद्रास पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) (पहला संशोधन) विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(सात) सा० का० नि० 832(अ), जो 10 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (हल्दिया गोदी प्रक्षेत्र के अतिरिक्त) (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) चौथा संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(आठ) सा० का० नि० 871(अ), जो 26 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन कर्मचारी (भर्ती वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(नौ) सा० का० नि० 875(अ), जो 31 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन कर्मचारी (छुट्टी) संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(दस) सा० का० नि० 887 (अ), जो 1 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (आवास का आवंटन) संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(ग्यारह) सा० का० नि० 572(अ), जो 13 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) दूसरा संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(बारह) सा० का० नि० 870(अ), जो 25 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (ऋण निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(तेरह) सा० का० नि० 237(अ), जो 24 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास (पोतों का करस्थम् या गिरफ्तारी और बिक्री) विनियम, 1989 का अनुमोदन किया गया है।

(चौदह) सा० का० नि० 738(अ), जो 28 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास गोदी उप-विधियों में संशोधनों का अनुमोदन किया गया है।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 932(अ), जो 30 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास (चीन के मछली पकड़ने वाले जालों को अनुज्ञप्ति) विनियम, 1976 का अनुमोदन किया गया है। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1574/90]

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण :—

(एक) वाणिज्य पोत परिवहन (अग्नि संधिन) नियम, 1990 जो 11 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 500 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्य पोत परिवहन (मास्टरों और मेटों की परीक्षा) संशोधन नियम,

1990, जो 29 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 606(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) वाणिज्य पोत परिवहन (वाणिज्य नौसेना के इंजीनियरों की परीक्षा) संशोधन नियम, 1990, जो 18 अगस्त, 1990 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 531 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1575/90]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) की अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) वाटर एण्ड पावर कंसलटैन्सी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) वाटर एण्ड पावर कंसलटैन्सी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये एल० टी० 1576/90]

(4) (एक) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियम) अधिनियम, 1948 की धारा 5ङ के अन्तर्गत कोचीन डाक श्रमिक बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1989-80 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोचीन डॉक श्रमिक बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1577/90]

(5) (एक) केन्द्रीय जल आयोग के कर्मचारियों के संवर्ग की समीक्षा के बारे में श्री जे० चोक्काराव द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4525 के 5 सितम्बर, 1990 को दिये गए उत्तर में शुद्धि करने तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1578/90]

(6) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1579/90]

टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली; हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड मद्रास और भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं आदि

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० संजय सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1580/90]

(2) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1581/90]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1582/90]

(ख) (एक) भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1583/90]

असम राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 27-11-90 को जारी की गई उद्घोषणा; राष्ट्रपति को प्रेषित असम के राज्यपाल के प्रतिवेदन और उद्घोषणा के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 27-11-90 को दिए गये आदेश

जल-संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : महोदय, मैं श्री सुबोध कांत सहाय की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) असम राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 27 नवम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 27 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 925 (अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक शुद्धि-पत्र जो 10 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का नि० 941 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1584/90]

(दो) उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 27 नवम्बर, 1990 को दिये गये आदेश, जो 27 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 926(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1585/90]

(2) राष्ट्रपति को प्रेषित असम के राज्यपाल के 26 नवम्बर, 1990 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1586/90]

(3) (एक) गोवा राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 14 दिसंबर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत 14 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 949 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1587/90]

(दो) उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा 14 दिसम्बर, 1990 को दिये गये आदेश, जो 14 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 950(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1588/90]

(4) राष्ट्रपति को प्रेषित गोवा के राज्यपाल के 11 दिसम्बर, 1990 के प्रतिवेदन की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1589/90]

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल बीरचन्दभाई शाह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(एक) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द के वर्ष 1989-90 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1590/90]

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली तथा प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवेलपमेंट इंडिया लिमिटेड, सिंदरी के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षाएं

[हिंदी]

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम बहादुर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(क) (एक) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1591/90]

(ख) (एक) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1592/90]

(ग) (एक) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, सिंदरी के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इण्डिया लिमिटेड, सिंदरी का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1593/90]

(घ) (एक) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1594/90]

(ङ) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1595/90]

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन – संघ सरकार (सिविल) समन्वित बाल विकास सेवाएं

[अनुवाद]

जल संसाधन तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : महोदय, मैं श्री दिग्विजय सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) —

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन (1990 का संख्या 14) -संघ सरकार (सिविल) —समन्वित बाल विकास सेवा। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए एल० टी० संख्या 1596/90]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन (1990 का संख्या 15) – संघ सरकार (सिविल)—पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय सहायता योजनायें। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1597/90]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप सभी अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उस मसले पर अभी आ रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करिये।

12.40 म० प०

इस समय श्री ए० चार्ल्स तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए तथा सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।

(व्यवधान)

12.41 म० प०

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड

[हिन्दी]

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 4 की उपधारा (4) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु श्री उत्तम राठौड़, जिन्होंने बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 4 की उपधारा (4) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु श्री उत्तम राठौड़, जिन्होंने बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर, अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(दो) राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटडीया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम 1963 के नियम 4 (1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड नियम 1963 के नियम 4 (1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(तीन) नारियल विकास बोर्ड

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयंतीलाल वीरचन्द भाई शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा (4) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा (4) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन नारियल विकास बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 (ख) के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) के द्वारा अपेक्षित रीति से सभा के सदस्यों में से दो सदस्य, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु, समिति के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए, डा० सी० मिल्वेरा के स्थान पर, जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दिया है, और श्री नकुल नायक के स्थान पर, जो संसदीय सचिव के रूप में नियुक्ति के पश्चात् सदस्य नहीं रहे, निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 (ख) के उपनियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) के द्वारा अपेक्षित रीति से सभा के सदस्यों में से दो सदस्य, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु, समिति के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए डा० सी० सिल्वेरा के स्थान पर, जिन्होंने समिति से त्यागपत्र दिया है, और श्री नकुल नायक के स्थान पर, जो संसदीय सचिव के रूप में नियुक्ति के पश्चात् सदस्य नहीं रहे, निर्वाचित करें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

12.45 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

वर्तमान वित्तीय स्थिति

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं अर्थव्यवस्था के प्रबंध के संबंध में सदन के समक्ष कुछ नीति-विषयक मुद्दों के बारे में यह वक्तव्य दे रहा हूं। यह एक कठिन घड़ी है। बड़े पैमाने पर राजकोषीय असंतुलन बने हुए हैं। भुगतान शेष की स्थिति गंभीर है। मूल्य स्तर पर मुद्रास्फीतिकारी दबाव विचारणीय हैं। मेरे लिए यह आवश्यक है कि मैं तथ्यों को सही रूप में प्रस्तुत करूं और माननीय सदस्यों के साथ हम इन समस्याओं पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करें।

1986 से 1990 के दौरान अर्थव्यवस्था का निष्पादन वृद्धि दर के अनुसार महत्वपूर्ण रहा लेकिन यह बृहत-आर्थिक असंतुलनों की उभरती हुई प्रवृत्तियों से सम्बद्ध था। हाल के वर्षों में हमें सरकार की आय और व्यय के बीच काफी अन्तर देखने को मिला, जिससे भारी बजट घाटे होते रहे हैं। इसी समय, अर्थव्यवस्था में आय और व्यय के बीच के अन्तर में समग्र रूप से धीरे-धीरे वृद्धि होती गई जिससे भुगतान शेष में चालू लेखा घाटे निरन्तर होते रहे।

सातवीं आयोजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार का बजट घाटा जोकि राजकोषीय असंतुलन का केवल आंशिक उपाय ही है, यह सकल घरेलू उत्पाद के स्तर के 2 प्रतिशत के आसपास घटता-बढ़ता रहा। केन्द्रीय सरकार का राजस्व घाटा 1985-86 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 1989-90 में सकल घरेलू उत्पाद का 2.8 प्रतिशत हो गया। लेकिन केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा जो राजस्व और कुल व्यय के बीच के अन्तर को मापता है, समग्र सातवीं आयोजना अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 8 प्रतिशत से अधिक था, जबकि 1980-81 में यह 6.1 प्रतिशत और 1974-75 में 3.2 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटे को उधार से पूरा करना पड़ा था। इस ऋण भार का शोधन करना अब दूभर हो गया है। ब्याज भुगतान केन्द्र सरकार के सरकार के कुल व्यय का केवल 20 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत बैठता है जबकि इसकी तुलना में ये 1980-81 में क्रमशः 10 प्रतिशत और 2 प्रतिशत थे।

हाल के वर्षों में भुगतान शेष की स्थिति भी काफी चिन्ताजनक रही। सातवीं आयोजना अवधि

के दौरान चालू खाते का घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.2 प्रतिशत था जबकि छठी आयोजना अवधि के दौरान यह सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत था। ऐसे भारी चालू लेखा घाटों से जो विदेशों से उधार लेकर निरन्तर वित्त-पोषित किए जाते रहे थे, इनके कारण विदेशी ऋणों में लगातार वृद्धि होती रही जिसमें अनिवासी भारतीय निक्षेप भी शामिल हैं, 1984-85 के अन्त में सकल घरेलू उत्पाद के 17.1 प्रतिशत से बढ़कर 1989-90 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद का 22.6 प्रतिशत हो गया। इसके फलस्वरूप, ऋण शोधन भार जो 1984-85 में चालू लेखा प्राप्तियों का 12.8 प्रतिशत और निर्यातों से आय का 21.5 प्रतिशत था, काफी अधिक बढ़कर 1989-90 में चालू लेखा प्राप्तियों का 21.9 प्रतिशत और निर्यातों से आय का 30.7 प्रतिशत हो गया।

यह स्पष्ट है कि चालू वित्तीय वर्ष के आरंभ में भी अर्थव्यवस्था एक गंभीर राजकोषीय संकट में थी और उसने भुगतान शेषों की कठिन स्थिति का सामना किया।

खाड़ी संकट से राजकोषीय स्थिति में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है क्योंकि तेल सबन्धय सुधिति के अधिशेषों को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता; उर्वरक संबंधी आर्थिक सहायता के कारण भार में वृद्धि होगी, कुवैत से भारतीय नागरिकों के प्रत्यावर्तन की लागत राजकोष द्वारा वहन की जानी होगी और इससे उस राजस्व में कमी आएगी जो गैर-तेल आयातों और उत्पादन की कमी के दबाव के कारण होगी। भुगतान शेषों की स्थिति के ऊपर खाड़ी संकट का प्रभाव भी बहुत अधिक है। पी० ओ० एल० के आयातों की लागत जिसका अप्रैल, 1990 में 6400 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था अब यह बढ़कर 12000 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है। इससे भी अधिक हमें कुवैत और इराक से प्राप्तियां करने में और वहां निर्यात करने में लगभग 800 करोड़ रुपये की हानि होगी। इसके अतिरिक्त, खाड़ी संकट ने अर्थव्यवस्था में मौद्रिक दबावों और सम्भावनाओं को उजागर किया है।

देश में कुछ उतार-चढ़ावों से हमारी कठिनाइयां बढ़ी हैं। 1990-91 के लिए कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में 24 लाख मीट्रिक टन की कमी आने का अनुमान लगाया गया है यह असम में हुए दंगों के कारण है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों पर निर्भर रहते हुए, विदेशी मुद्रा में हमें लगभग 1000 करोड़ रुपये की कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले कुछ महीनों में कानून और व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति से भी उत्पादन में कुछ कमी हुई तथा परिवहन में व्यवधान पड़ा है जिससे उत्पाद शुल्क के राजस्वों पर प्रभाव पड़ेगा।

आज के परिप्रेक्ष्य में हल्के विकल्पों का महत्व नहीं रह गया है। अब हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम बृहत आर्थिक समायोजन करने प्रारंभ करें। हमें इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि वर्षों से हो रहे राजकोषीय असंतुलन समाप्त किए जा सकते हैं। परंतु यह आवश्यक है कि हम सुधार लाने के उपाय शुरू करें। हालांकि इसके लिए कठोर निर्णय लेने तथा कठिन विकल्पों की आवश्यकता होगी। यदि हमें अपने देश की आर्थिक दशा में सुधार लाना है, तो हमें कथाए वास्तविकता को नजरअंदाज करने के उसका सामना करना होगा। इस सन्दर्भ में हम राजकोषीय समेकन को उच्च प्राथमिकता देते हैं। अतः न केवल चालू वित्तीय वर्ष में ही बल्कि 1991-92 और उससे भी आगे के वर्षों में भी वित्तव्यवस्था सरकार का एक मुख्य साधन होगा।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए, पिछली सरकार ने पैट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों में 25 प्रतिशत खाड़ी अधिभार तथा बाद में 7 प्रतिशत अधिभार निगम पर कर लगाने की पहले ही घोषणा कर दी थी। यह एक आवश्यक कदम था किन्तु इससे राजकोषीय स्थिति पर खाड़ी संकट के प्रभाव को कम करना पर्याप्त नहीं था। इससे प्रतीत होता है कि पैट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों में वृद्धि करने मात्र से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में वृद्धि होने के कारण कच्चे तेल और पैट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात बिल में सम्पूर्ण वित्तपोषण करना पर्याप्त नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बढ़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों से अर्थव्यवस्था पर कोई अप्रत्यक्ष राजकोषीय बोझ न पड़े, पैट्रोलियम उत्पादों के घरेलू मूल्यों पर 25 प्रतिशत खाड़ी अधिभार लगाया जाना अगले वित्तीय वर्ष के दौरान भी जारी रहेगा। हम बजटीय स्थिति को और अधिक विकृत नहीं होने देना चाहते। इसलिए, अधिक समय नष्ट न करते हुए मैंने अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए एक मुश्त उपाय आरंभ किए हैं। इस हिसाब से इन उपायों के कारण चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सकेगा।

अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में सहायक सीमा शुल्कों में 254 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी जबकि वर्ष के शेष भाग में गैसीय पेय पदार्थों और हाथ से बने रेशे/धागे से 137 करोड़ रुपए का शुल्क प्राप्त होगा। प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में दो नए प्रस्तावों के साथ मैं एक विधेयक लागू कर रहा हूं। पहला, गैर-निगमित कर-दाताओं के मामले में, जिनकी आय 75,000 रुपए से अधिक है आय कर पर अधिभार 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। दूसरा, यह प्रस्तावित है कि चालू लेखा वर्ष में मूल्यह्रास में कटौती को अन्यथा अनुमेय के 75 प्रतिशत की सीमा तक प्रतिबंधित किया जाए। इन दोनों प्रत्यक्ष कर संबंधी प्रस्तावों से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रमशः 60 करोड़ रुपए और 750 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त बेहतर कर अनुपालन और प्रशासन के माध्यम से राजस्व संग्रहण के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। इस कार्य के लिए मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा।

इसके साथ-साथ मैंने यह भी निदेश दिया है कि व्यय पर सख्त नियंत्रण रखा जाए और हमें चाहिए कि इस बारे में अधिकतम संभव नियंत्रण बनाए रखें। राजस्व और व्यय, दोनों के क्षेत्र में किए गए समन्वित उपायों से यह सुनिश्चित होगा कि चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू का 8.3 प्रतिशत से अधिक न हो जबकि 1989-90 में यह सकल घरेलू उत्पाद का 8.9 प्रतिशत था।

सरकार अगले वित्तीय वर्ष के दौरान राजकोषीय स्थिति में सुधार लाने तथा इसका समेकन करने की प्रक्रिया जारी रखेगी। हमें उम्मीद है कि केन्द्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे में काफी कमी हो जाएगी ताकि यह 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6.5 प्रतिशत हो जाए। इस प्रकार होने वाली कमी से, हमारी सतत बनी रहने वाली राजकोषीय नीति का प्रारंभ तीन वर्षों की अवधि में हो जाएगा जिनमें राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3 से 4 प्रतिशत तक हो जाएगा जैसा कि 8 वें दशक के मध्य में था। इस प्रयोजन के लिए सरकार व्यय पर कठोर नियंत्रण रखेगी और आर्थिक सहायताओं को युक्तियुक्त बनाएगी ताकि गरीब वर्ग के लोगों को उनका पर्याप्त लाभ मिल सके। उसी समय सरकार राजस्व संग्रहों में वृद्धि करेगी। अपेक्षित राजकोषीय सुधारों को प्राप्त करने

के लिए राजस्व और व्यय संबंधी उपायों का मिश्रित रूप आने वाले वर्षों में तैयार किया जाएगा और इसे आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा।

यह कार्य हमारे सम्मुख अवश्य ही चुनौतीपूर्ण है लेकिन यह असाध्य नहीं है। हमें सरकार की ओर से दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है जिसमें कि संसद और जनता का सहयोग अपेक्षित है। अत्यावश्यक राजकोषीय समेकन से हम अर्थव्यवस्था में स्फीतिजन्य दबाव से राहत पा सकते हैं और भुगतान शेष की कठिन समस्या को सुलझा सकते हैं। कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में बनी रहने वाली वृद्धि की संभाव्यता के अनुसार अर्थव्यवस्था की लोच और उसकी शक्ति हमारे भौतिक आधार-भूत ढांचे और मानव संसाधनों द्वारा समर्थित है। बुनियादी शक्ति संकट पर काबू पाना है। हमें स्वस्थ अर्थव्यवस्था को बनाने और इसे जीवंत रखने की दिशा में उच्च प्राथमिकता देनी होगी। मैं इस राष्ट्रीय-कार्य में आपका सहयोग चाहता हूं।

12.50 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1990-91

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं वर्ष 1990-91 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1598/90]

12.50½ म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (असम), 1990-91

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं वर्ष 1990-91 के बजट (असम) के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1599/90]

12.50½ म० प०

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आयकर अधिनियम, 1961 तथा वित्त अधिनियम, 1990 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

*दिनांक 27-12-1990 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड में प्रकाशित।

"कि आयकर अधिनियम, 1961 तथा वित्त अधिनियम, 1990 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती है। मंत्री महोदय अब विधेयक पुरःस्थापित कर सकते हैं।

श्री यशवंत सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

(व्यवधान)

12.51 म० प०

राशन की दुकानों से वितरित किए जाने वाले चावल के मूल्य में वृद्धि के बारे में

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : इस सरकार द्वारा राशन की दुकानों से वितरित किए जाने वाले चावल के मूल्य में 45 पैसे प्रति किलो की वृद्धि की गई है। इस निर्णय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि पहले ही सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो चुकी है। इसलिए सरकार को इस अधिसूचना को वापस ले लेना चाहिए। (व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : चावल के मूल्य में वृद्धि सम्बन्धी मुद्दे को मेरे ध्यान में लाया गया है। हमने इस प्रश्न पर ध्यान दिया है तथा हमने आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं कि मूल्यों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए तथा पुराने मूल्यों पर ही चावल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

12.52 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे म० प०
तक के लिए स्थगित हुई।

2.04 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.04 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : साम्प्रदायिक स्थिति के सम्बन्ध में दिए गए स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : श्री कालवी को शामिल किये जाने के बारे में हमने माननीय प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य नहीं सुना है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों आगे आ रहे हैं ? अपनी सीट पर बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : देश में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में आप क्या कहते हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, अयोध्या में ह्यूमन राइट्स का हनन हुआ है··· (व्यवधान)

2.05 म० प०

ऊर्जा मंत्री, श्री कल्याण सिंह कालवी द्वारा सती प्रथा के कथित समर्थन के बारे में

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी अब यहां उपस्थित हैं। क्या यह उचित है कि श्री कालवी जी एक मंत्री के रूप में इस सभा में उपस्थित रहें क्योंकि वे सती प्रथा के प्रबल समर्थक हैं ? हम सती प्रथा के समर्थक को मंत्रिमंडल में बने रहने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जायें। आप प्राइम मिनिस्टर की तो सुनिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, सुबह श्री कल्याण सिंह कालवी के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाये थे। उस समय भी मैंने कुछ स्पष्टीकरण देना चाहा लेकिन दुर्भाग्यवश हम एक दूसरे की बात नहीं सुन पाये। जब तीन या चार वर्षों पूर्व यह मुद्दा उठाया गया था, इस पर राजस्थान विधान सभा में भी वाद-विवाद किया गया था और तत्कालीन जनता पार्टी में भी इसकी चर्चा की गई थी। श्री कालवी का वक्तव्य कि उन्होंने सती प्रथा का समर्थन कभी नहीं किया है, राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित है। उन्होंने कहा था कि जब तक राजस्थान में बुद्धिजीवी लोग हैं, वे सती प्रथा को फिर से शुरू किया जाना कभी पसंद नहीं करेंगे और फिर एक जन सभा में भी उन्होंने यह वक्तव्य दिया था। आज सुबह इस प्रतिष्ठित सभा में श्री कालवी यह वक्तव्य देने के लिए तैयार थे कि वे सती प्रथा का समर्थन नहीं करते हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी सती प्रथा का समर्थन नहीं करेगा तथा सती प्रथा का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस सरकार में जगह नहीं मिलेगी। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं। श्री कालवी ने उस समय की स्थिति स्पष्ट कर दी थी और आज भी वे उसी बात पर डटे हुए हैं···(व्यवधान)···कुछ मतान्तर भी हैं जिन्हें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। झुनझुनु में एक सती मन्दिर है जो कि 400 या 500 वर्ष पुराना है। जब कुछ लोगों ने उस मन्दिर को गिरा देने की मांग की तो न सिर्फ श्री कालवी ने बल्कि अनेक अन्य लोगों ने भी इसका विरोध किया था। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को ऐसा कुछ कहना चाहिए जिससे कुछ लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचे। अन्यथा सती प्रथा की निन्दा सभी को करनी चाहिए और अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं यह आश्वासन देता हूं कि सती प्रथा का समर्थन कर रहे श्री कालवी या अन्य किसी भी व्यक्ति का इस सरकार से कोई संबंध नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्हें इस सभा के समक्ष यह कहना चाहिए। उन्हें यह कहना चाहिए कि वे सती प्रथा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : मैं आपकी बातों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वे उनके घर गये थे। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : जी हां। वे उनके घर गये थे क्योंकि वे उनके रिश्तेदार थे और यह बिल्कुल स्वाभाविक है तथा यह इस देश में शिष्टाचार की बात है। जब किसी भी व्यक्ति की स्वाभाविक मौत भी होती है, लोग उसके घर जाते हैं और श्री कालवी भी वहां गये। इसमें गलत क्या है? (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वे जो कुछ भी कहना चाहते हैं उन्हें एक वक्तव्य के रूप में कहना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कालवी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया श्री कालवी की बात सुनेंगे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

ऊर्जा मंत्री (श्री कल्याण सिंह कालवी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आज चर्चा चली है, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा दुःख हो रहा है। मैं इतना ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज मैं इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता, क्योंकि आप कहेंगे कि यह आफ्टर थॉट है··· (व्यवधान)···इसलिए मैं जो विधान सभा में बोला हूं, वह अंकित है, वहां की कार्यवाही में लिखा हुआ है। उसको मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, अपने आप ही सारा मामला स्पष्ट हो जायेगा।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब क्या हुआ ?

श्री कल्याण सिंह कालवी : जैसा मैंने पहले ही स्पष्ट कहा था, जहां तक राजस्थान का सवाल है, हमारे प्रदेश के अन्दर न तो सती प्रथा नाम की चीज कभी थी और न आज है। और जब तक राजस्थान के अन्दर समझदार लोग रहेंगे तब तक इस प्रथा का पुनर्जीवित होना या इस प्रकार की शंका करना यहां पर बिल्कुल निर्मूल बात है। न हम इस बात को कभी होने देंगे।···(व्यवधान)··· मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस तरह की परम्परा भी हमारे यहां पर कभी नहीं रही।

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै (करूर) : महोदय, यह सभी को ज्ञात है कि हाल ही में श्रीलंका के उग्रवादियों द्वारा तमिलनाडु में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां की जाती रही हैं। इन गतिविधियों के कारण तमिल लोगों का सामान्य जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ है। दिनांक 24 दिसम्बर, 1990 को जब हमारी पार्टी की नेता कुमारी जयललिता मद्रास में एम० जी० रामचन्द्रन की पुण्य तिथि पर उनकी समाधि पर अपनी श्रद्धांजलि देने गईं तो श्रीलंका के एक उग्रवादी ने उन पर हथियार से हमला करने का प्रयास किया। मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस संबंध में केन्द्र और राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : स्थगन प्रस्ताव के विषय में क्या हुआ है ?···(व्यवधान)

2.11 म० प०

स्थगन प्रस्ताव

देश में साम्प्रदायिक स्थिति और साम्प्रदायिक ताकतों पर काबू पाने में सरकार की असफलता

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे निम्न सदस्यों से देश में साम्प्रदायिक स्थिति के संबंध में 26 स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

1. प्रो० रासा सिंह रावत
2. श्री राघवजी
3. श्री शोपत सिंह मक्कासर
4. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री
5. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा
6. श्री मदन लाल खुराना
7. श्री चित्त बसु
8. श्री बसुदेव आचार्य
9. श्री गुमान मल लोढा
10. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
11. श्री सैफुद्दीन चौधरी
12. प्रो० सैफुद्दीन सोज
13. श्री पलाई के० एम० मैथ्यू
14. श्री रशीद मसूद
15. श्री यादवेन्द्र दत्त
16. श्री ए० के० राय
17. श्री राम विलास पासवान
18. श्री इन्द्रजीत गुप्त
19. श्री भोवेन्द्र झा
20. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
21. श्री हरीश रावत
22. श्री पी० आर० कुमारमंगलम
23. श्री नाथू सिंह
24. डा० चिन्ता मोहन
25. श्री जनार्दन तिवारी
26. प्रो० मधु दण्डवते

मैं श्री हरीश रावत को, जिनको बैलेट में प्रथम स्थान मिला है, निम्नलिखित रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं—

"साम्प्रदायिक ताकतों, जिनके कारण राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को खतरा पैदा

हो गया है और जो देश के विभिन्न भागों में हाल में भड़के साम्प्रदायिक दंगों के रूप में उभर कर आई हैं, को कुचलने में केन्द्र सरकार की असफलता।"

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एडजॉर्नमेंट मोशन के मूव करने के अपने अधिकार को बनाए रखते हुए···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं कहना है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जो एडजॉर्नमेंट मोशन का नोटिस दिया है, उसकी शब्दावली में और जो कुछ आपके द्वारा स्वीकार किया गया है, उसमें बहुत अन्तर है। आज जो साम्प्रदायिक स्थिति है, जो तनाव है और जो हिंसा हो रही है···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको भाषण देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति मांगनी है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : उस हिंसा को सपोर्ट करने वाले कई साम्प्रदायिक संगठन हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल भी हैं।···(व्यवधान)···मेरा जो एडजॉर्नमेंट मोशन है, उसको आपने स्वीकार नहीं किया है, इसका मुझे दुःख है। जो असली अपराधी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग और जनता दल के लोग, ये उससे बच निकलेंगे।···(व्यवधान)···इसलिए मैं यह एडजॉर्नमेंट मोशन मूव नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिस रूप में मैंने नोटिस दिया है, उसी रूप में उसको लाया जाए और स्वीकार किया जाए।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं मांग रहे हैं। मैं प्रो० सैफुद्दीन सोज को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति मांगने को कहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति मांग रहे हैं या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति नहीं मांग रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति मांगने के इच्छुक नहीं हैं। मैंने प्रो० सैफुद्दीन सोज को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति मांगने के लिए बुलाया है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। आपने जो नाम लिए हैं अगर इनको विदड्रा करना था, तो इन्होंने अपना नाम क्यों दिया ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार कर दिया है। आप कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० सोज, क्या आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अगर इनको मूव नहीं करना था तो इन्होंने अपना नाम क्यों दिया ? मैं भी इसमें इनवाल्व्ड था क्योंकि मेरी तरफ से मोशन था तो मेरा नाम उसमें आ जाता।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 56 के अन्तर्गत है।

नियम 56 में कहा गया है :

> "इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अविलम्बनीय लोक-महत्व के किसी निश्चित विषय की चर्चा के प्रयोजन से सभा के कार्य को स्थगित करने का प्रस्ताव अध्यक्ष की सहमति से किया जा सकेगा।"

मैंने और श्री रावत ने एक निश्चित विषय का उल्लेख करते हुए एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। यदि आप हमारे प्रस्ताव पर अपनी सहमति देते हैं तो आपको उस पर उसी रूप में अपनी सहमति देनी चाहिए जिसमें वह प्रस्तुत किया गया है अन्यथा उस पर अपनी सहमति देने का कोई मतलब नहीं होगा। अतः आपको यह निश्चित कर लेना चाहिए कि क्या आप पहले विषय पर और फिर स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय करना चाहते हैं या आप पहले स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय करें और फिर विषय पर। महोदय, हम यह जानना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, अध्यक्ष उसे स्वीकार्य योग्य बनाने के लिए उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। श्री रावत, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : आप बताइये कि आप इस मोशन को स्वीकार करते हैं ?

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आपने विषय पर पहले ही निर्णय कर लिया था तब आपको बैलट में हमारे नाम नहीं डालने चाहिये थे। यदि आपने विषय पर निर्णय नहीं किया है तब आप हमें अपना विषय प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : इसमें जो आज की साम्प्रदायिक स्थिति के लिए दोषी हैं वे क्या निकलेंगे।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नांडीज : महोदय, इससे यह आभास मिलता है कि पर्दे के पीछे किसी तरह की खींचतान चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना व्यवस्था का प्रश्न बताइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : आप बताइये कि आप बी० जे० पी० को आज की कम्युनल स्थिति के लिए दोषी पाते हैं या नहीं ? ··· (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडीज : बीज आप बोते हैं फसल इनकी पार्टी काटती है।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फर्नांडीज, आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्री जार्ज फर्नांडीज : महोदय, माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा है कि क्या मैं उन्हें दोषी मानता हूं या नहीं। मैं कहूंगा, जी हां। वह इसके बीज बोने के दोषी हैं और यह पार्टी उसकी फसल काटने की दोषी है।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यदि माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तो उस प्रस्ताव को जिस रूप में माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किया था, उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अब यदि यह विचार है कि इसका निर्णय सचिवालय करेगा कि प्रस्ताव की भाषा कैसी हो जिससे मामले के बारे में भ्रम पैदा किया जा सके या माननीय सदस्य जिस बात पर जोर देना चाहते हैं, उसकी मुख्य बात को बदला जा सके तो इसमें पर्दे के पीछे चल रही एक प्रकार की खींचतान का ही पता चलता है क्योंकि वह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए खड़े होते हैं और लेकिन यह कहते हैं कि यद्यपि उन्हें स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है परन्तु चूंकि सचिवालय ने इसमें कुछ बदलाव किया है, इस कारण वह इसे प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब प्रो० सोज को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति नहीं मांग रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नांडीज : महोदय, माननीय सदस्य को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए खड़ा होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : आप हमें प्रस्ताव को उसी रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दीजिए, जिस रूप में हमने इसे प्रस्तुत किया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, श्री हरीश रावत जी ने बहुत सीरियस चार्ज लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो मोशन उन्होंने दिया था, बिना उनसे पूछे हुए सचिवालय ने उस मोशन को बदल दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर उनका मोशन ठीक नहीं था और उस तरह से नहीं आ सकता था तो उस मोशन को रद्द किया जाना चाहिए था। उनसे पूछे बिना मोशन बदल कर, ठीक करके, जो मोशन आ सकता था, उस तरह से बनाकर उनका नाम बैलट में निकालना, मैं समझता हूं कि यह बहुत गलत काम हुआ है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा का ध्यान नियम 337 की ओर आकर्षित करता हूं :

> "यदि अध्यक्ष की राय में किसी सूचना में ऐसे शब्द, वाक्यांश या बातें हैं, जो प्रतर्कात्मक, असंसदीय, व्यंग्यात्मक, असंगत, आडम्बरपूर्ण या अन्यथा अनुचित हों, तो वह, स्वविवेक से, ऐसी सूचना में, परिचालित किये जाने से पूर्व संशोधन कर सकेगा।"

मैंने ऐसा किया है। यह अब सही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था संबंधी प्रश्न क्या है ?

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। अभी आपने जो 15-16 नाम पढ़े, जिनका मोशन आया, मेरा भी उसमें नाम है, जिन नामों का बैलट किया गया। बैलट में रावत साहब का नाम आया। रावत साहब ने अगर मोशन मूव नहीं करना था, या तो वे अब्सेंट होते, लेकिन जब वे यहां पर उपस्थित हैं तो फिर कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अब तो यह हाउस की प्रापर्टी है। अगर इनका नाम न होता तो हो सकता था बैलट में मेरा नाम आ जाता। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा अवसर है जबकि आपसे यह स्पष्ट विनिर्णय अपेक्षित है कि एक स्थगन प्रस्ताव क्या है। अगर यह विनिर्णय दिया जाता है तो इससे इस प्रकार की चर्चा को दोहराना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने सुबह एक घंटा या 45 मिनट के लिए जो चर्चा की उसका परिणाम यही था कि सरकार का समर्थन दे रही पार्टियों का उत्तरदायित्व क्या है और इसके परिणाम क्या हैं। महोदय, अब मैं कौल और शकधर की पुस्तक से पढ़ता हूं कि एक स्थगन प्रस्ताव क्या होता है :

"किसी स्थगन प्रस्ताव का विषय भारत सरकार के व्यवहार उसकी किसी भूल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में संबंधित होना चाहिए और उसमें भारत सरकार के किसी काम की आलोचना उपलक्षित होनी चाहिए, अर्थात या तो उसने कोई काम किया है और या कोई काम करने में चूक की है, जो कि उस समय करना बहुत आवश्यक था।"

अब, यदि मेरे साथी श्री हरीश रावत मौजूदा साम्प्रदायिक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार पर चर्चा चाहते हैं तो वह ऐसा किसी भी अन्य प्रस्ताव के माध्यम से कर सकते हैं लेकिन एक स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नहीं क्योंकि एक स्थगन प्रस्ताव केन्द्र सरकार की विफलता के संबंध में होता है, किसी अन्य मुद्दे पर नहीं होता। कोई भी पार्टी ऐसा मुद्दा उठा कर बाद में कुछ और सोच कर इस आधार पर ऐसे प्रयास न करे कि इस संबंध में सचिवालय ने अन्याय किया है। आपने यह ठीक ही कहा है कि यदि जरूरी हो तो सचिवालय को सदस्य के प्रस्ताव की शब्दावली को ठीक करने का पूरा अधिकार है। लेकिन यदि वह इस प्रस्ताव के माध्यम से हमारे ऊपर आक्षेप करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि यह सही नहीं होगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सदस्य ने वास्तव में क्या लिखा था जिसके विरोध में वह अब कह रहे हैं कि वे यह प्रस्ताव नहीं रख रहे।

[हिन्दी]

मेरा निवेदन है कि यह मौका है, फिर इसके बाद कभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य एडजर्नमेंट मोशन मूव नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री जग पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको सुबह नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : वह इस पर नहीं था।

श्री जग पाल सिंह : इसी पर है। मैंने नोटिस दिया कि जिन लोगों ने पीपल रिप्रजेंटेटिव एक्ट के मुताबिक चुनाव लड़ा है और जीतने के बाद सदन में आकर संविधान की शपथ ली है, वही लोग आज कम्युनल सिचुएशन खराब कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्वाइंट आफ आर्डर क्या है, किस नियम के अंतर्गत है।

श्री जग पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो पार्टियां "हिन्दू राष्ट्र" का नारा देकर इस देश में

सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही हैं, ऐसे सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि बी० जे० पी० के सदस्य, कु० उमा भारती और आडवाणी जी, खुले आम सांप्रदायिक तनाव फैला रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जग पाल सिंह : उमा जी जहां-जहां भी जा रही हैं, कम्युनल रायट्स वहीं हो रहे हैं। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि उन लोगों की संसद-सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए, जो संविधान की शपथ लेने के बाद आज इस देश में हिन्दू राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था सम्बन्धी कोई प्रश्न नहीं है। क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० कुरियन, क्या आपका व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न है ?

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : नहीं। उन्होंने हमारी पार्टी का उल्लेख किया है। हमारी पार्टी को इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिक्रिया करने का कोई प्रश्न नहीं है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : जब उन्होंने हमारी पार्टी का उल्लेख किया है तो क्या मैं इस पर प्रतिक्रिया न करूं ? आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं गुस्सा नहीं हो रहा। क्या आप व्यवस्था संबंधी प्रश्न कर रहे हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : आडवाणी जी के कथन पर भी मैं प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। क्या आप श्री आडवाणी को ही अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अनुमति दे रहा हूं। मैं नहीं जानता कि आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं। क्या आपको व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न करना है ? मैं यही पूछना चाहता हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मुझे तो केवल श्री आडवाणी के कथन पर प्रतिक्रिया करनी है। (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप लगातार उनसे यह पूछ रहे हैं कि क्या उनका कोई व्यवस्था संबंधी प्रश्न है, और वह यह उत्तर दे रहे हैं कि उनका व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए, जब उनका कोई व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न ही नहीं है, तो वह किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अपनी बात कहने की अनुमति दी है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : स्थगन प्रस्ताव अथवा कोई अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाला, अगर प्रस्ताव प्रस्तुत करना न चाहे, तो वह इसके लिए स्वतन्त्र है । इसके लिए वह कोई भी कारण प्रस्तुत कर सकता है । अगर प्रस्ताव लाने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता है, चाहे वह इसके लिए कोई भी कारण दे, तो इस सदन में इसे किसी प्रकार भी दण्डनीय नहीं माना जाएगा ।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : यह कैसे हो सकता है ? वह अध्यक्ष के सचिवालय पर आरोप लगा रहे हैं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, अगर प्रस्ताव लाने वाले को प्रस्ताव न प्रस्तुत करने का अधिकार है तो मामला वहीं समाप्त हो जाता है और मेरे विचार में इस सम्बन्ध में और चर्चा नहीं की जानी चाहिए ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : श्री रावत जी को इस देश में हो रही घटनाओं तथा साम्प्रदायिक स्थिति पर चिन्ता है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप रावत साहब को बोलने नहीं दे रहे हैं । मैंने सोज साहब को पुकारा है ।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खान (बहराइच) : प्रो० कुरियन को श्री रावत जी की ओर से स्पष्टीकरण देने की क्या आवश्यकता है ? वे श्री रावत के स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने से मना कर रहे हैं । अन्यथा श्री रावत बड़े स्पष्ट व्यक्ति हैं । वह अपनी बात स्पष्ट कर सकते हैं । उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । श्री रावत, क्या आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं ? क्या आप सदन की अनुमति लेने जा रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तो आप प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं । मैं अपना विनिर्णय दे रहा हूं । प्रो० सोज, क्या आप प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं ।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मैं अपने नोटिस को पढ़ देता हूं । "कुछ उग्र धार्मिक संगठनों व कतिपय राजनीतिक दल, बी० जे० पी० और जनता दल द्वारा राजनीतिक उद्देश्य से देश में धार्मिक उन्माद का वातावरण पैदा करने के फलस्वरूप हो रही साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाओं से देश की स्थिरता पर, एकता के लिए उत्पन्न खतरे के संदर्भ में मैंने नोटिस दिया है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री रावत को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री हरीश रावत : इसका न तो कांग्रेस पर कोई प्रभाव पड़ेगा और न ही भारतीय जनता पार्टी पर ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सभा की अनुमति प्राप्त कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी-अभी कौल तथा शकधर की पुस्तक से आडवाणी जी ने ठीक पढ़ा । वर्षों से मैंने अध्यक्षों के विनिर्णय सुने हैं । श्रीनगर में अध्यक्षों के सम्मेलन में यह कहा गया था कि प्रत्येक स्थगन प्रस्ताव में सरकार के विरुद्ध आलोचना का पुट होता है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पहले ही सदन के समक्ष रख दिया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : इसलिए स्थगन प्रस्ताव सत्तारूढ़ सरकार के विरुद्ध होना चाहिए । यह किसी विशेष दल के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : यही प्रक्रिया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : इसलिए, महोदय, आपने जो विनिर्णय दिया है, वह न्यायोचित है ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सोज बोलेंगे । मैंने पहले ही अपना विनिर्णय दे दिया है । श्री सोज साहब, क्या आप सदन की अनुमति प्राप्त कर रहे हैं ? क्या आपको मेरा निर्णय स्वीकार है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझे आपका निर्णय स्वीकार है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सदन की अनुमति प्राप्त कीजिए ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं देश की सांप्रदायिक स्थिति और साम्प्रदायिक ताकतों पर काबू पाने में सरकार की असफलता के बारे में अपना स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति प्राप्त करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको अनुमति देने पर आपत्ति है ? क्या कोई सदस्य इसका विरोध कर रहा है ?···अनुमति प्रदान की जाती है ।

नियम 61 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव पर 4.00 बजे म० प० के अथवा उससे पहले चर्चा की जायेगी तथा इसके लिए 2.30 घण्टे निर्धारित किए गए हैं । क्या प्रस्ताव पर 4.00 बजे म० प० को चर्चा की जा सकती है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, जो आरोप लगाया गया है, उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहती हूं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए ।

[अनुवाद]

क्या आप इस पर 4.00 बजे चर्चा करवाना चाहते हैं अथवा अभी? क्या सदन की यही इच्छा है कि इस पर अभी चर्चा करवाई जानी चाहिए । इस पर सर्वसम्मति बनाई जानी चाहिए ।

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : कई अवसरों पर जब सदस्य ने सभा की अनुमति प्राप्त कर ली हो तो 12.00 मध्याह्न को··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे आज समाप्त किया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : अगर आप पूर्व उदाहरणों पर नजर डालें तो पहले भी ऐसी स्थिति में तुरन्त स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत चर्चा करवाई गई है जबकि सदन ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी थी। इसलिए, हमारा यह सुझाव है कि इस पर अभी चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अभी 2.30 बजे हैं। आप 3 अथवा 4 घंटे इस पर चर्चा कर सकते हैं ताकि माननीय प्रधान मंत्री जी 6.30 बजे इसका उत्तर दे सकें।

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर अभी चर्चा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि सभा का यही मत है कि इस पर अभी चर्चा की जानी चाहिए।

श्री जसवन्त सिंह : लेकिन मेरी महिला सहयोगी ने आपसे अनुरोध किया है। उनके विरुद्ध अनेक आरोप लगाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है श्री कुन्डू, कृपया···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुन्डू कृपया आप बैठ जाइए। आपको अपना स्थान नहीं छोड़ना चाहिए। कृपया बैठ जाइए। मुझे श्री जसवन्त सिंह की बात सुनने दीजिए। श्री कुन्डू, मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा।

श्री जसवन्त सिंह : स्थगन प्रस्ताव स्वीकार होने से पूर्व चर्चा के दौरान मेरे दल की एक महिला सहयोगी पर कुछ आरोप लगाए गए थे। यह उनका अधिकार है कि वह आपसे अनुमति मांगें और स्पष्टीकरण दें। कृपया उन्हें लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने के लिए न कहें क्योंकि उनके विरुद्ध जो कुछ भी कहा गया है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने में एक मिनट का समय ही लगेगा। (व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू : क्या आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं सुनेंगे ? सुबह से मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप किस नियम के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : यह अति महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपने देखा है कि यह स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री सोज द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका सत्ताधारी दल की ओर से किसी ने विरोध नहीं किया। इसका क्या अर्थ है ? क्या यह सरकार के विरुद्ध आरोप है ! वे पहले ही इसे स्वीकार कर चुके हैं। आपको इसी मुद्दे से चर्चा शुरू करनी चाहिए। मतदान करने का कोई प्रश्न नहीं है। आपको यह विनिर्णय देना चाहिए कि सरकार की पहले ही निन्दा की जा चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। कृपया आप बैठ जाइए।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : संसद के इतिहास में यह असाधारण बात है जब सरकार ने स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करने का विरोध नहीं किया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, उमा भारती जी ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, मैंने प्रधान मंत्री जी को बुलाया है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। सांप्रदायिक स्थिति काफी तनावपूर्ण और खराब है। यह देश के लिए शर्म की बात है। हम चाहते हैं कि सदस्यों को इस मामले पर चर्चा करनी चाहिए और इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। माननीय सदस्य ने ठीक नहीं कहा है। जब दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए तो मैं एक घंटे के भीतर ही उस स्थान पर गया। मैं राज्यों में नहीं गया, वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं और मुझे राज्य मुख्य मंत्रियों से सलाह लेनी पड़ी। मैं किसी भी स्थान पर राज्य सरकारों की अनुमति और सलाह के बिना नहीं जाता हूं। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : किसने आपको जाने से रोका है···

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर : कोई मुख्य मंत्री मुझे रोक नहीं सकता है लेकिन मैं इस विषय में स्पष्ट था ···(व्यवधान) नहीं, अनुमति नहीं। कृपया मेरी बात सुनिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

मैं यह कह रहा हूं कि प्रिवेंशन का सवाल नहीं है।

[अनुवाद]

डा० विप्लव दास गुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : क्या आपने किसी राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी ?

श्री चन्द्र शेखर : यदि आप यही बात सुनना चाहते हैं तो मैंने अनुमति मांगी थी। ठीक है, अब आप बैठ जाइए। ऐसे मामलों में यदि सदस्य ऐसी बातें न कहें तो वह देश का बहुत बड़ा काम करेंगे। ऐसे गंभीर मुद्दों पर हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अनुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या आप यह बात गंभीरता से कह रहे हैं ?

श्री चन्द्र शेखर : जी हां, मैं बिल्कुल गंभीर हूं और इसीलिए मैं आपकी बात का उत्तर नहीं दे रहा हूं। मेरा कहना है कि जहां भी ऐसी समस्याएं थीं मैंने वहां के मुख्य मंत्रियों से लगातार संपर्क

बनाए रखा और जिस भी सहायता की उन्हें आवश्यकता थी वह केन्द्र सरकार ने उन्हें दी। मेरे वहां जाने से केवल प्रेस द्वारा मुझे ख्याति मिलती लेकिन उससे स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सदस्य इस मुद्दे के बारे में और अधिक गंभीर बनें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपनी बात समाप्त नहीं की है। मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं भी अपनी टिप्पणी देने जा रहा हूं।

श्री चन्द्र शेखर : मुझे आशा है कि बहस कटुता के वातावरण में नहीं होगी बल्कि हम सांप्रदायिक दंगे होने के कारण और इस स्थिति से निपटने के उपाय ढूंढने का प्रयास करेंगे। चर्चा की यही भावना होनी चाहिए। इस मुद्दे पर हमें एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। मुझे इतना ही कहना है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज : मैं चुप बैठा हूं, लेकिन उन्होंने बताया कि सभी हल्के तौर पर ले रहे हैं, बस वही गंभीरता से देख रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका यह मतलब नहीं है।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : जार्ज फर्नांडीज की गंभीरता को मैं गंभीरता से लेता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जायें। जब इस पर बहस होगी तो ये हिस्सा लेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि सदस्य गम्भीर नहीं हैं। वह ऐसा कैसे कह सकते हैं ? उन्हें इसे वापस लेना चाहिए··· (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : मैंने गम्भीर होने के लिए कहा था।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उनका अभिप्राय अधिक गंभीर होने से था।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं कहा है और न कोई अनपार्लियामेंटरी शब्द ही इस्तेमाल किया है। बैस, उमा भारती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विप्लव बाबू आप बैठ जायें।

कुमारी उमा भारती : मेरी परिस्थिति में इस सदन के सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि मैं जहां-जहां जाती हूं, वहां दंगे होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक विशेषज्ञ से उत्तर प्रदेश का

दौरा शुरू किया। एक तारीख को आगरा गई, दो तारीख को फिरोजाबाद गई और उसके बाद··· (व्यवधान)

दो तारीख को अखबारों में एक बयान आया जिसमें लिखा था कि दिल्ली के इमाम अब्दुल्ला बुखारी ने कहा कि यदि बाबरी मस्जिद को हाथ लगाया गया तो हिन्दुओं के धार्मिक स्थानों में आग लगा दी जायेगी और बाद में मुझ पर हमला हुआ। जहां-जहां मैं गई हूं, वहां मेरे भाषण हुए हैं और मेरे भाषणों के बाद वहां के अखबारों में यह रिपोर्ट आई है जिसे मैं इस हाउस के अन्दर पेश कर सकती हूं। मेरे जाने के बाद··· (व्यवधान)···आगरा में मेरा भाषण हुआ, वहां दंगा नहीं हुआ। फिरोजाबाद में मेरा भाषण हुआ, वहां कोई दंगा नहीं हुआ, मैनपुरी में मेरा भाषण हुआ, वहां कोई दंगा नहीं हुआ। मैं तो यह कहूंगी कि जहां-जहां मेरा भाषण नहीं हुआ, वहां पर ही दंगा हुआ है···

अध्यक्ष महोदय : आप जल्दी कम्प्लीट कीजिये।

कुमारी उमा भारती : इसलिए मेरी मांग है कि मुझ पर जो आरोप इस सदन में लगाया गया है, जिस तरफ से यह आक्षेप मुझ पर आया है, उसे सदन की कारंवाई से बाहर निकाला जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जगपाल सिंह जी, आप बैठ जायें। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा की सर्वसम्मति है कि हम तुरन्त चर्चा शुरू कर सकते हैं। अगर सभा सहमत है तो प्रधान मंत्री जी 6.00 म० प० पर हस्तक्षेप कर सकते हैं और उसके बाद प्रस्तावक वाद-विवाद का उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जगपाल सिंह, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है। यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जा रही है। कृपया क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

सभा की सर्वसम्मति है कि हम तुरन्त चर्चा शुरू करें। यदि सभा सहमत है तो प्रधान मंत्री 6.00 म० प० पर हस्तक्षेप कर सकते हैं और उसके बाद प्रस्तावक वाद-विवाद का उत्तर दे सकते हैं।

स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं सभा के सभी वर्गों से अपने विचार व्यक्त करने में संयम बरतने की अपील करूंगा। मुझे विश्वास है कि हाल की घटनाओं के कारण देश की छवि धूमिल होने से समूचा सदन राष्ट्र के दुःख में भागीदार है। हमें संयुक्त रूप से और पूरी शक्ति के

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

साथ साम्प्रदायिकता के दानव से लड़ना है। मुझे आशा है कि सदस्य रचनात्मक सुझाव देंगे जिससे कि देश की राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को सुदृढ़ बनाया जा सकेगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मेरा विचार है कि आप मुझे 4.00 म० प० पर बोलने के लिए कहेंगे, जिससे कि मैं स्वयं को मुश्किल प्रश्न के लिए तैयार कर सकूं। लेकिन अब मुझे जो कुछ याद है वही बोलूंगा। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अब सभा स्थगित हो।"

यह एक बहुत गम्भीर स्थिति है। समूचा देश साम्प्रदायिकता की आग में जल रहा है। मेरे लिए इससे ज्यादा दुःख की बात क्या हो सकती है कि यह आग सुनियोजित प्रयासों द्वारा फैलाई जा रही है। अध्यक्ष की बात मानना मेरे लिए आवश्यक था। लेकिन पहले मेरे विचार भिन्न थे। मेरे भाषण की भावना उस पर आधारित होगी।

2.47 म० प०

[श्री बक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

चूंकि कतिपय राजनीतिक पार्टी के सुनियोजित प्रयासों से देश में साम्प्रदायिकता तेजी से फैल रही है जिससे लोकतन्त्र को खतरा पैदा हो गया है। चूंकि मैं इस प्रस्ताव पर बोलना चाहता था इसलिए माननीय अध्यक्ष की बात को मानना आवश्यक था।

जब निन्दा का प्रश्न मेरे दिमाग में आया तो मैंने विचार किया कि श्री चन्द्र शेखर के प्रधान मंत्री बनने से पहले गत ग्यारह महीनों के दौरान क्या हुआ। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं सभा का समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। लेकिन मैं कुछ बातों का उल्लेख करूंगा जो श्री वी० पी० सिंह की सरकार के दौरान हुई है। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि श्री वी० पी० सिंह ने अयोध्या के बारे में क्या सोचा था। श्री अरुण शोरी के आरोपों का उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि अयोध्या के प्रश्न पर श्री वी० पी० सिंह के वास्तविक विचारों को श्री अरुण शोरी ने अखबारों में व्यक्त किया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है।

इस समय साम्प्रदायिकता एक राजनीतिक पार्टी द्वारा अयोध्या के प्रश्न पर फैलाई जा रही है, जिसके बारे में सभी जानते हैं।

एक माननीय सदस्य : शिलान्यास।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जी हां, शिलान्यास और शिला पूजन। महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि श्री वी० पी० सिंह ने श्री अरुण शोरी को बताया था कि :

[हिन्दी]

"भाई, मन्दिर कहां है, मन्दिर है ही कहां ?"

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : मन्दिर नहीं मस्जिद कहो।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हां, मस्जिद। आपने ठीक कहा···(व्यवधान)···आपके वक्त में, मैं चुप रहूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया टीका टिप्पणी मत कीजिए, सभा में इस तरह का व्यवहार करना ठीक नहीं है। श्री सोज आप पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें···

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, प्रधान मंत्री की निजी राय भी मायने रखती है। उन्होंने श्री अरुण शोरी को बताया ··· (व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय, आज वह··· (व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप इस तरह नहीं कह सकते। यदि कोई सदस्य कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो वह खड़ा हो सकता है और यदि सदस्य को अनुमति मिल जाती है तो वह प्रश्न पूछ सकता है। अन्यथा आप इस प्रकार प्रश्न नहीं उठा सकते तथा शोर नहीं मचा सकते···

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जो कुछ उन्होंने कहा है कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्हें अपनी बात कहने दी जाए। अतः मैं आपको हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दे सकता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, श्री अरुण शोरी के प्रति विश्वास के बारे में श्री सिंह द्वारा दी गई अपनी राय के बावजूद मैं श्री वी० पी० सिंह के गुणों का अत्यधिक सम्मान करता हूं। मुझे यह पता है कि व्यक्तिगत रूप से वह एक ईमानदार और सज्जन व्यक्ति हैं। मैं उनका सम्मान करता रहूंगा। महोदय, मैं आपको बता रहा था कि एक प्रधान मंत्री की व्यक्तिगत राय काफी माने रखती है क्योंकि जब मैंने श्री अरुण शोरी का लेख पढ़ा तो मेरे लिए यह बड़ा दुःखद अनुभव था क्योंकि उन्होंने यह कहा :

[हिन्दी]

"अरे भाई मस्जिद है ही कहां। अगर एक-एक ईंट सारे घर ले जायेंगे तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जायेगा।"

श्रीमती सुभाषिनी अली : लेकिन उठाने तो नहीं दिया न।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप उसको तो नहीं झुठला सकते हैं, जो उसने कहा। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : क्या उसी के खिलाफ आप यह मोशन लाये हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री सोज, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आप ठीक तरह से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह सदन में बर्ताव करने का कोई तरीका नहीं है।···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जेना, आपको भी अवसर मिलेगा। यदि आप उनसे सहमत नहीं हैं तो आप अपना मत व्यक्त कर सकते हैं। यदि उनका आशय श्री वी० पी० सिंह की ओर है तो वह सदन के एक माननीय सदस्य हैं। वह इन बातों का खंडन कर सकते हैं। प्रत्येक सदस्य को अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने की स्वतन्त्रता है। भगवान के लिए सदन में उचित बर्ताव कीजिए।

श्री लोकनाथ जेना : मैं श्री सोज को यह याद दिलाना चाहूंगा कि सरकार बदल गई है। श्री वी० पी० सिंह के स्थान पर श्री चन्द्र शेखर प्रधान मंत्री हैं। वह श्री चन्द्र शेखर सरकार का समर्थन कर रहे हैं और उन्होंने ही उनकी सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव रखा है। अतः उन्हें इस बारे में भी बोलना चाहिए।

सभापति महोदय : इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। श्री सोज आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं अनेकों उदाहरण नहीं दे रहा हूं। मैं केवल दो उदाहरण दूंगा। मैं तथ्यों के आधार पर अपनी बात कहूंगा, क्योंकि श्री शोरी का खंडन नहीं किया गया है। महोदय, दूसरी बात आडवाणी जी के बारे में··· (व्यवधान)·· मैं भारतीय जनता पार्टी पर भी बोलूंगा, आप मुझे समय दीजिए··· (व्यवधान)···

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, यह उचित नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, फिर उस प्रसिद्ध अध्यादेश के बारे में··· (व्यवधान)···

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : सभापति महोदय··· (व्यवधान)···

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझे अपनी बात कहने दीजिए··· (व्यवधान)···सभापति महोदय उस प्रसिद्ध अध्यादेश के बारे में···

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि लोक सभा की प्रक्रिया और नियमों में यह साफ प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य के विरुद्ध कोई आरोप लगाना हो, तो उसका नोटिस पहले देना चाहिए। हमारे माननीय सदस्य सोज साहब ने अभी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के ऊपर एक बहुत ही गम्भीर आरोप लगाया है, लेकिन उन्होंने इसकी सूचना श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को नहीं दी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उनके आरोप को अन्य कार्यवाही से निकाल दें क्योंकि इन्होंने यह आरोप नियमों के विरुद्ध लगाया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, नहीं—मैं नहीं समझता कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, प्रो० सोज आप अपनी बात जारी रखिये।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : माननीय सभापति महोदय, जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय शास्त्री जी ने उठाया है, उस पर आपका क्या निर्णय है ?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ये तरीके दूसरे पक्ष के सदस्यों द्वारा भी अपनाये जा सकते हैं। यह ठीक नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपके माननीय नेताओं को भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। उनके कार्य की भी आलोचना हो सकती है। अतः यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने भूतपूर्व प्रधान मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाये हैं। मैं सिर्फ सच्चाई बयान कर रहा था। भूमि अधिग्रहण के उस प्रसिद्ध अध्यादेश के बारे में एक और सच। यहां तक कि जो प्रतियां हमें दी गई थीं उनमें श्री आडवाणी जी ने शुद्धि की थी। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित होने दीजिए। यही सच तथ्य है, मैं इस शासन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगा रहा हूं··· (व्यवधान) ···आपको यह मालूम होना चाहिए। मुझे किसी प्रकार के सुपर मंत्री या मुख्य मंत्री की गद्दी नहीं चाहिए।

महोदय, भूतपूर्व प्रधान मंत्री के बारे में अपनी बात कहने के बाद मैं प्रधान मंत्री श्री चन्द्र शेखर को यह बताना चाहूंगा कि वह वामपंथी या दक्षिणपंथी किसी भी ओर के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अंततः उन्हें प्रधान मंत्री के रूप में ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, चाहे इस विषय पर उनकी अपनी धारणा कोई भी हो।

महोदय, अब मैं उस व्यक्ति या दल के विषय में चर्चा करूंगा जो देश में साम्प्रदायिकता की आग फैलाने के जिम्मेदार हैं। श्री आडवाणी जी यहां मौजूद नहीं हैं। मैं श्री आडवाणी जी को "हेल आडवाणी" कहना चाहूंगा, जिस प्रकार नाजी जर्मनी में वह हिटलर को सम्बोधित करते थे। वह कहते थे "हेल एडोल्फ हिटलर" क्योंकि जो कुछ नाजी जर्मनी में हुआ और जो कुछ आज भारत में हो रहा है मुझे उसमें काफी समानताएं दिखाई देती हैं। वह हिटलर ही था जिसे यहूदियों में काल्पनिक शत्रु दिखाई दिये और उसने जर्मनी में यहूदियों का सबसे भयंकर उत्पीड़न प्रारंभ किया और यदि श्री आडवाणी को हिटलर बनने दिया जाता है जिन्हें मुसलमानों में काल्पनिक शत्रु नजर आ रहे हैं और इसी तरह उनके दल और वह मुसलमानों को भयक्रांत कर रहे हैं और मैं कहता हूं "हेल आडवाणी ! हेल आडवाणी !" पूरे राष्ट्र में वह भारत में एक और हिटलर बन रहे हैं क्योंकि उन्हें मुसलमानों में काल्पनिक शत्रु दिखाई दे रहे हैं।

महोदय, श्री आडवाणी के भाषण ऐसे होते हैं कि सभा के कुछ सदस्यों के लिए उनका समझना सम्भव नहीं है क्योंकि वे आपको मीठी गोली के समान लगते हैं, श्री आडवाणी एक योग्य वक्ता हैं,

और वह अपने भाषणों को कम से कम भारतीय संविधान की भावना के अनुसार तो तैयार करते हैं। परन्तु मैं आडवाणी जी के बारे में यह कहना चाहता हूं कि उनके भाषणों का प्रभाव ऐसा है जिससे कुमारी उमा भारती और दूसरे लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसके परिणामस्वरूप स्वतन्त्र भारत के इतिहास में सबसे भीषण साम्प्रदायिकता फैली है। प्रत्यक्ष रूप से कुमारी उमा भारती इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। मेरे सहयोगी ने मुझे बताया है और उन्होंने मुझे कैसटें दिखाई हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि कुमारी उमा भारती, श्री अशोक सिंघल, खुराना जी और अन्य नेता नहीं बल्कि आडवाणी जी भारत में हिटलर बनना चाहते हैं। (व्यवधान)

3.00 अ० प०

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह सदन का अपमान है। मुझे आपसे संरक्षण चाहिए, आप इस मामले में मेरी रक्षा कीजिए। ये वह आक्षेप लगा रहे हैं जिसका इनके पास कोई आधार नहीं है··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं इसके बाद कह सकती हैं। यदि आप किसी बात का खण्डन करना चाहती हैं अथवा कुछ कहना चाहती हैं तो बाद में कह सकती हैं। अभी आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

कुमारी उमा भारती : वह अनावश्यक रूप से मेरा नाम घसीट रहे हैं। मैं अपने स्थान पर नहीं बैठूंगी। (व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्होंने अभी तक किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। यदि आप उनके विचार से सहमत नहीं हैं अथवा आप कोई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहती हैं तो आप बाद में ऐसा कर सकती हैं।

(व्यवधान)

प्रो० संफुद्दीन सोज : मैं अभी यह कहना चाहता हूं कि बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के तमाम भाषणों के कारण··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

यहां पर दंगा मत करो। (व्यवधान)

डा० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव (पटना) : अभी प्रो० सोज ने कहा कि दंगा मत करो। इसका मतलब यह है कि ये मानते हैं कि दंगा हो रहा है··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप एक प्रोफेसर हैं इसलिए आपको नियम समझने चाहिएं। आप या तो प्रश्न पूछ सकते हैं अथवा व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं।

आप उठ कर शोर नहीं मचा सकते हैं । यह अनुचित बात है, इसे भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : ये·····**·····हैं ।

मोहम्मद हसन कमांडर (लद्दाख) : आप किस बात के लिए बोलते हैं कि '·····' हैं ।

(व्यवधान)

श्री सन्तोष भारतीय (फर्रुखाबाद) : अभी एक माननीय सदस्य ने दूसरे माननीय सदस्य को '·····' कहा है । मेरा अनुरोध है कि इस वाक्य को कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि किसी ने किसी माननीय सदस्य को '·····' कहा है तो यह नियमों के विरुद्ध है, इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

प्रो० संफुद्दीन सोज : इसे कार्यवाही वृत्तान्त से नहीं निकाला जा सकता है, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है । (व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री जगपाल सिंह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए । कृपया उन्हें बोलने दीजिए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उनको माफी मांगनी चाहिए ।···(व्यवधान)···आप उनसे कहिए कि माफी मांगें ।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमें इस सभा की गरिमा बनाए रखनी चाहिए । कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सारा देश तुम्हारी नीति को जानता है ।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभापति की अनुमति के बिना दिए गए वक्तव्यों में से किसी को भी कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा । सभापति की अनुमति के बिना कही गई किसी भी बात को कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा तथा इसे प्रकाशित भी नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : परन्तु मैं यह कहूंगा कि क्या श्री आडवाणी जी तथा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का तात्पर्य पाकिस्तानी होना है ? मैं चाहता हूं कि इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाए । में उनसे भयभीत नहीं हूं ।

मैं श्री आडवाणी जी को किसी कारणवश कुछ बातें बता रहा था। मैं सिर्फ अपनी बात स्पष्ट कर रहा था । श्री लाल कृष्ण आडवाणी जो दुर्भाग्यवश सिंध से आए थे वे एक तरीके से पाकिस्तानी हो सकते हैं । मेरे पूर्वज भारत में रहते थे तथा मैं एक भारतीय के समान रह रहा हूं तथा एक भारतीय की भांति ही मरूंगा ।

मैं श्री आडवाणी जी को ये बातें इस कारण से बता रहा था क्योंकि दो वर्ष पूर्व जब से श्री आडवाणी जी ने खान मार्केट में शिला पूजन किया था उसी दिन से मैं उनके बारे में अत्यंत गंभीरतापूर्वक सोच रहा हूं । मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य जो उस समय संसद सदस्य नहीं थे वे सब बहुत परेशान थे । मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस देश का प्रत्येक हिन्दू साम्प्रदायिक नहीं है । वे भारतीय जनता पार्टी के प्रति कृतज्ञ नहीं होंगे । भारतीय जनता पार्टी में ही कुछ सदस्य ऐसे हैं जो अयोध्या के मुद्दे पर श्री आडवाणी, श्री खुराना अथवा कु० उमा भारती के कारण काफी परेशान हैं । परन्तु वे एक दल में हैं तथा उन्हें दल में कुछ समय रहना भी है । परन्तु हर हिन्दू साम्प्रदायिक नहीं है । वे नहीं चाहते कि श्री आडवाणी हिटलर का रूप धारण करें । मैं उन्हें जिम्मेवार मानता हूं क्योंकि वह ही इसकी शिक्षा दे रहे हैं । मैंने उनके भाषणों को रुचि के साथ पढ़ा है । उन्हें समझना अत्यन्त कठिन है परन्तु उन्होंने कु० उमा भारती, श्री खुराना तथा अन्य कई सदस्यों को ऐसी शिक्षा दी है कि उन्होंने अत्यन्त उग्र भाषण दिए हैं । वे भाषण मुस्लिमों के खिलाफ नहीं हैं क्योंकि भारत में मुस्लिमों का विनाश नहीं किया जा सकता । यहां पर पन्द्रह करोड़ मुस्लिम हैं तथा पन्द्रह करोड़ व्यक्तियों का नाश कौन कर सकता है । वे इस देश में प्रश्न-चिह्न बन जाएंगे । परन्तु इससे पहले कि श्री आडवाणी जी मुस्लिमों का विनाश करें तथा वह वास्तव में हिटलर का रूप धारण करें—परन्तु यह भी निश्चित है हिटलर की तरह व्यवहार करने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि हमारी जनता समझदार है तथा वह उचित समय आने पर उन्हें उत्तर देगी । परन्तु फिर भी यदि उन्हें अवसर प्राप्त हो जाता है तब मुस्लिमों का अन्त करने से पूर्व आपको इस देश का ही पूरी तरीके से अन्त करना होगा । इस समय यदि देश को तथा देश की अखंडता को कोई खतरा है तब भी इस बात का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता कि कोई अन्य पाकिस्तान बनने जा रहा है क्योंकि इस देश में किसी भी मुसलमान द्वारा यह आवाज उठाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता कि वे एक और मातृभूमि चाहते हैं । वह युग समाप्त हो चुका है । परन्तु एक अत्यन्त भयंकर स्थिति उत्पन्न हो रही है और वह स्थिति है विभाजन की । यह विभाजन के बीज कौन बो रहा है ? यह श्री आडवाणी हैं क्योंकि वह दल के अध्यक्ष हैं तथा रथयात्रा, कार-सेवा का नेतृत्व कर रहे हैं तथा भाषण दे रहे हैं । आज आप उन मौलाना मुहम्मद सईद मसौदी को उचित सम्मान देना भूल गए, जो भारत के संविधान निर्माताओं में से एक थे तथा जो इन व्यक्तियों को भलीभांति जानते थे । जिस तरीके से श्री आडवाणी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं वह निश्चित रूप से लोकतन्त्र के खिलाफ है । वह इस देश को समाजवाद की तरफ ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं । श्री आडवाणी जी की रथयात्रा को पूरी ताकत के साथ हमारे आदेश पर रोका जाएगा ।

किस मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए ? देशवासियों के समक्ष आज चर्चा का विषय अयोध्या का मसला है जहां पर आडवाणी जी राम मन्दिर का निर्माण कराना चाहते हैं। मैं उनमें से एक हूं जिन्होंने इस मामले का अत्यन्त गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया था। यह मेरे लिए गर्व का विषय है। मैं कुछ समय पश्चात् राम के सम्बन्ध में भी कहूंगा। मैं आपको बताता हूं कि मुसलमान राम के बारे में क्या सोचते हैं तथा राम की तुलना बाबर से क्यों नहीं की जा सकती ? बाबर सिर्फ एक राजा था। राम सभ्यता के प्रतीक थे। मैं उस पर बाद में बोलूंगा। परन्तु अयोध्या के प्रश्न पर मेरे लिए यह कहना गर्व का विषय है। मैं वर्ष 1949 से पहले के इतिहास का आपके समक्ष जिक्र नहीं करूंगा। मैं आपके सामने केवल वर्ष 1949 तक का ही जिक्र करूंगा। वह कौन व्यक्ति है जो फैजाबाद में थाना में चोर रात्रि में गया था तथा इंस्पेक्टर से मिला था ? वह भी एक हिन्दू था। सूचना देने वाला, एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक हिन्दू – मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा उस व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में सूचना दी थी कि मूर्तियां चुराई गई थीं तथा उन्हें बाबरी मस्जिद में रख दिया गया था। पहली सूचना एक हिन्दू ने दर्ज की थी तथा जब यह मामला काफी जोर पकड़ गया तब पुनः अक्षय ब्रह्मचारी जो एक हिन्दू था तथा जो उस समय कांग्रेस का जिला सचिव था तथा जिसने कि इस मुद्दे पर भूख-हड़ताल की थी कि मुसलमान आतंकित हैं वे मस्जिद में नहीं जा सके थे क्योंकि उनमें भय था तथा वहां पर मूर्तियां रखी हुई थीं तथा जो वर्ष 1950 में भूख-हड़ताल पर चला गया था। यह तो श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अक्षय पंडित को लिखित में आश्वासन दिया था कि फैजाबाद में मुस्लिम, अन्य मुसलमानों के साथ इस देश में पूरे सम्मान तथा प्रतिष्ठा के साथ रहेंगे। उसे यह आश्वासन दिया गया था कि यदि वह अपनी भूख-हड़ताल समाप्त कर लेंगे तब मस्जिद को मस्जिद बने रहने दिया जाएगा।

मुझे पुनः काफी गर्व का अनुभव होता है कि तीसरा हिन्दू भी एक कश्मीरी पंडित था। उसके पूर्वज भी उससे लगभग 300 वर्ष पूर्व कश्मीर के ही थे। अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट वर्ष 1950 में जिला न्यायाधीश के पास गए थे तथा उन्हें राजस्व सम्बन्धी रिकार्ड दिखाए थे तथा यह सिद्ध किया था कि यह एक खाली जमीन थी। उन्होंने सब न्यायाधीश से कहा था कि यह एक खाली जमीन का टुकड़ा था और उन्होंने राजस्व रिकार्ड्स की भी जांच की है और वे उनके सामने यह सिद्ध कर रहे थे कि यह मुसलमानों से सम्बन्ध रखता है और मस्जिद को एक खाली जमीन के टुकड़े पर बनाया गया था। यह वह साक्ष्य है किन्तु व्यक्तिगत रूप से मैं इस साक्ष्य को स्वीकार नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि उसे खुला छोड़ देना चाहिए। और यही भाजपा को एक सबक सीखना चाहिए यदि यह भारत की एकता और अखण्डता के लिए कार्य करना चाहता है। मुद्दा यह है कि यही साक्ष्य है। यह रिकार्ड है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यह रिकार्ड का हिस्सा है। मेरा निवेदन है कि विश्व हिन्दू परिषद या भारतीय जनता पार्टी या उनकी इकाईयां वास्तव में आर० एस० एस० हैं। श्री आडवाणी जी और अन्यों के लिए यह बात गर्व का विषय है कि वे आर० एस० एस० से सम्बन्धित रहे हैं जो मेरे विचार में देश की एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। किन्तु, मैं कहता हूं कि दरवाजा खुला छोड़ दें। मुसलमान नेताओं से पूछें। मैं एक धार्मिक नेता नहीं हूं। उनके पास रिकार्ड्स हैं। आपके पास रिकार्ड्स हैं। हमें एक दूसरे से बदल लेना चाहिए और वार्तालाप द्वारा एक समझौता करना चाहिए।

किन्तु केवल अयोध्या में ही उन्होंने आग नहीं लगाई है। यहां तक कि गोष्ठियों में भी मलकानी और अन्य लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। यह एक भावनात्मक मुद्दा है। वार्तालाप द्वारा कोई समाधान नहीं हो सकता। अन्त में वे कहते हैं कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे। इससे एक बड़ा प्रश्न पैदा होता है। यदि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अस्वीकार करता है तो भारतीय संविधान में बनाए गए प्रावधानों के अधीन इस साम्प्रदायिक खतरे को नियन्त्रित करने के लिए यहां कोई अन्य व्यवस्था नहीं है, जैसे कीमतों की वृद्धि को रोकने के लिए कोई तंत्र नहीं है क्योंकि प्रो० मधु दण्डवते ने पेट्रोल और अन्य वस्तुओं में 3% से 4% तक की वृद्धि की अनुमति दी थी, तो कीमतें 20% बढ़ गई थीं। मूल्यों पर नियन्त्रण करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है—नहीं है। संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। मुद्दा यह है कि यदि आप उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार नहीं करते तो आप भारत के संविधान को मानने से इंकार करते हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय का प्राधिकार, भारतीय संविधान का एक अखण्ड हिस्सा है। (व्यवधान) संसद कुछ भी कर सकती है। मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करता। (व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव : शाहबानो केस में क्या हुआ था ?

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : कोर्ट ने भी तो कुछ कहा था। कोर्ट ने क्या आदेश दिया था ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अगर समय होता तो मैं बताता। उसे आपने नहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ा है।

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय (हजारीबाग) : पंचकोसी परिक्रमा·· **

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो० सैफुद्दीन सोज, आप पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें वे जो भी कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप अपनी शक्ति नष्ट कर रहे हैं। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह बहुत बुरी बात है। आपको कार्यवाही नियमों का पालन करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री पाण्डेय, आप जो भी कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। फिर, आप अपनी शक्ति नष्ट क्यों कर रहे हैं।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया, व्यवस्था बनाए रखें। मुझे अत्यन्त दुःख है कि आप नियमों का

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पालन नही कर रहे हैं। इस सम्माननीय सदन की एक महान परम्परा है। संसद में व्यवहार करने का यह कोई तरीका नहीं है। कृपया अपनी जगह पर बैठें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री पाण्डेय, कृपना अपनी जगह पर बैठें। प्रो० सोज कृपया अपना भाषण जारी रखें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं आपको स्पष्ट कर रहा था कि भाजपा न तो बातचीत द्वारा कोई हल निकालना चाहती है, न ही रिकार्ड देखना चाहती है और न ही न्यायालय का कोई निर्णय चाहती है। तब भाजपा० चाहती क्या है ? भाजपा० भारतीय संविधान के प्रति कोई सम्मान प्रदर्शित नही करती। वे लोग जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय को मानने से इंकार करते हैं उन्हें अन्त में संसद के पास आना पड़ेगा। यह सर्वोच्च संस्था है। वे कहते हैं कि वे संसद के निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे। वे कहते हैं कि वे उच्चतम न्यायालय जो भारतीय संविधान का अखण्ड हिस्सा है, के निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा अराजकता, फासिज्म से कम कुछ नहीं चाहती।

[हिन्दी]

जिसको आप राम-राज्य कहते हैं मेरे भाई, वह फासिज्म है और इस हिन्दुस्तान के नागरिक, हिन्दुस्तान के शहरी कभी कबूल नहीं करेंगे···(व्यवधान)···

डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव : राम नाम तो महात्मा गांधी ने दिया था, क्या वे फासिस्ट थे ···(व्यवधान)···

प्रो० यदुनाथ पांडेय : महात्मा गांधी की समाधि पर राम लिखा हुआ है, उसको भी बदल दो, गांधी जी की समाधि को बदल दो।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पांडेय, कृपया व्यवस्था बनाए रखें। आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। मैं नियमों का पालन करूंगा। कृपया अपनी जगह पर बैठें। वे यह नहीं कह रहे हैं कि राम-राज्य अराजकता है। किन्तु वे यह कह रहे हैं कि आप जो राम-राज्य कहते हैं वह अराजकता है। दोनों में फर्क है। कृपया अपनी जगह पर बैठें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उर्दू में कहते हैं कि इनकी दुखती रग को मैं छेड़ रहा था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि भाजपा वार्ता के द्वारा समझौते को नहीं मानती, यह दस्तावेजों को नहीं मानती, यह ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों को नहीं मानती; यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय को नहीं मानती; यह भारत के संविधान को नहीं मानती। और भाजपा को सिर्फ अराजकता ही स्वीकार्य है। वे भारत को फासिज्म की ओर ले जाना चाहते हैं। हम श्री आडवाणी की इस दलील को पूरी तरह नकारते हैं। किन्तु मैं श्री वी० पी० सिंह को एक

क्षण के लिए पुन: याद करना चाहता हूं। उन्होंने ही उन्हें छूट दे रखी थी। श्री वी० पी० सिंह चुनाव नीति के कारण ही उन्हें संस्थागत घमण्ड हुआ और दो से बढ़कर उनकी संख्या 88 तक पहुंच गई। यह भाजपा का राजनैतिक घमण्ड है।

अब मैं तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं भाजपा के कुछ सदस्यों से एक प्रश्न पूछता हूं। मैं भाजपा के कुछ सदस्यों को धर्मनिरपेक्ष मानता हूं। भाजपा में भी कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनका भाजपा की नीति से मेरे ही समान दम घुट रहा है। मैं कांग्रेस (आई), जनता दल, जनता दल (एस), दोनों वामपंथी दलों और स्वयं से एक प्रश्न पूछता हूं: आपने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किसलिए किया था, जिसमें कई बार संशोधन किया गया था और अंतत: 1988 में उसमें संशोधन किया गया था जिसके द्वारा आपने एक खण्ड जोड़ा और कई अन्य बातें भी सम्मिलित कीं। मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि सत्तारूढ़ दल सहित ये पांचों दल भाजपा के विरुद्ध रक्षात्मक रुख अपना रहे हैं।

[हिन्दी]

डा० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

[हिन्दी]

डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि श्रीमान् प्रो० सोज साहब साम्प्रदायिकता पर या किसी भी विषय पर बी० जे० पी० का नाम लिए बिना, एक मिनट के लिए भी अपना भाषण दे सकते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं आपका ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के खण्ड 29(क) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो 1988 में संशोधित लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में जोड़ा गया था। यह राजनैतिक दलों में पंजीकरण के बारे में है। यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल होना चाहिए। इसके उप खण्ड 5 में कहा गया है और मैं उद्धरित करता हूं—

> "उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ संगम या निकाय के, ज्ञापन या नियमों और विनियमों की चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हों, एक प्रति होगी और ऐसे ज्ञापन या नियमों और विनियमों में यह विनिर्दिष्ट उपबंध होगा कि वह संगम या निकाय विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा और भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा।"

यह कानून है। मैं आपके माध्यम से इस सदन में और पूरे देश से एक प्रश्न पूछता हूं। क्या भाजपा भारत की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। क्या यह समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध है। क्या यह लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है। (व्यवधान)

सभापति महोदय : यह उचित नहीं है। हर वाक्य के लिए आप खड़े क्यों हो रहे हैं ? आपको एक अवसर मिलेगा और आपके दल को अवसर मिलेगा। आप बेचैन क्यों हो रहे हैं ? आपमें धैर्य होना चाहिए।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको इतना अधिक भावुक नहीं होना चाहिए।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पांडे, आप अपनी शक्ति व्यर्थ क्यों कर रहे हैं ? यहां कोई शब्द नहीं लिखा गया। आपने जो भी कहा है वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया। फिर आप अपनी शक्ति क्यों व्यर्थ कर रहे हैं ? भावुक मत बनिए।

श्री भवानी शंकर होटा (सम्बलपुर) : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यहां बैठे हुए एक माननीय सदस्य ने अभी-अभी यह आरोप लगाया कि जम्मू और कश्मीर में तीन सौ से भी ज्यादा हिंदू मंदिर नष्ट किए गए हैं। यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। मैं गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वे यह मामला स्पष्ट करें। अन्यथा इस प्रकार का यह झूठा प्रचार साम्प्रदायिक स्थिति को भड़काता रहेगा।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई भी दो या तीन सदस्य यह शोर मचा सकते हैं। परन्तु यह एक सदस्य के लिए अशोभनीय है। कृपया अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। यह बहुत गलत है।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री गुमान मल लोढ़ा : मैंने पहले राम जन्म भूमि मुद्दे पर एक सांग पत्र दिया था। इस सम्माननीय सदन के माननीय अध्यक्ष ने एक पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि यह मामला अदालत के विचाराधीन है; अतः इस पर बहस नहीं हो सकती (व्यवधान) अब, यहां प्रमाणों पर चर्चा की जा रही है कि 1949 में अमुक व्यक्ति गए और उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई, इत्यादि, और अमुक मामला लिया गया था। इन सब प्रमाणों पर चर्चा हो रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अध्यक्ष के विनिर्णय को बदला जाएगा क्योंकि आज हम इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : अध्यक्ष का विनिर्णय अपनी जगह है। किन्तु इसके साथ ही, यहां तथ्यों को कहा जा सकता है। अगर इसे यहां नहीं कहा जा सकता तो अन्यत्र कहां कह सकते हैं ?

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गुमान मल लोढा : सभापति महोदय, कृपया मेरी बात सुनें।

सभापति महोदय : नहीं, मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : महोदय, तब क्या आप इसकी इजाजत दे सकते हैं? **(व्यवधान)**

प्रो० संफुद्दीन सोज : महोदय, श्री लोढा ने प्रधान मंत्री से एक प्रश्न पूछा है। हमें सावधान रहना चाहिए। इस देश में किस प्रकार के लोग उच्च न्यायाधीश बन गए हैं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : प्रो० सोज, कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

प्रो० संफुद्दीन सोज : महोदय, मैं कश्मीर के बारे में अधिक नहीं बोलूंगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि झूठा प्रचार किया जा रहा है। वर्ष 1986 में दो मंदिर आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हुए थे जिनकी मरम्मत सरकारी खर्च पर एक सप्ताह के अंदर कर दी गयी थी, लेकिन, वे यहां झूठ बोल रहे हैं। मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि वे उस संबंध में आंकड़े दें। वे झूठ प्रचार कर रहे हैं। आज कश्मीर अलग क्यों महसूस कर रहा है। इसका एक कारण भारतीय जनता पार्टी है और दूसरा सांप्रदायिकता है। आप चालीस वर्षों से मुसलमानों की हत्या करते रहे हैं। इस अलगाव का यह मुख्य कारण है। आप स्वयं को ठीक करें। **(व्यवधान)** आप अपनी जगह पर बैठें और मेरी बात सुनें।

सभापति महोदय, कृपया आप देखें कि वे देशवासियों को क्या कह रहे हैं। **(व्यवधान)** श्री सुबोध कांत सहाय को इस संबंध में आंकड़े देने चाहियें। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : प्रो० सोज, कृपया आप अपनी बात समाप्त करें।

प्रो० संफुद्दीन सोज : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : दंगों में हिन्दू भी मरे हैं। हिन्दुओं के बच्चे भी मरे हैं। आप इसको डिसटौर्ट क्यों कर रहे हो। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो० संफुद्दीन सोज : मैं तथ्यों को तोड़-मरोड़ नहीं रहा हूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री सोज, कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें अन्यथा आप अपनी बात समाप्त करें।

3.33 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रो० संफुद्दीन सोज : उपाध्यक्ष महोदय, मैं देश के धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों जैसे कांग्रेस(इ), जनता दल, जनता दल(एस), कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यहां क्या कर रहे हैं? जन प्रतिनिधि कानून के प्रावधानों का भारतीय जनता पार्टी उल्लंघन कर रही है। भारत के संविधान के प्रति

सम्मान का भाव उनमें नहीं है। वे खुले आम इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। वे धर्म-निरपेक्ष नहीं हैं। ये पार्टियां यहां क्या कर रही हैं? आप एक जुट होकर उन्हें दी गई मान्यता रद्द करने के लिये भारत के चुनाव आयोग को क्यों नहीं कहते। आपको यह कहना चाहिये। वे बहुत ही संभल कर चाल चल रहे हैं और हो सकता है कि इसके लिए उन्हें अधिक कीमत चुकानी पड़े। इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी द्वारा तेजी से बढ़ाई जा रही सांप्रदायिकता पर आक्रामक रुख अपनाएं और इसमें देशवासी आपकी सहायता करेंगे। वे भारतीय जनता पार्टी को अस्वीकार कर देंगे। लेकिन, आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा करना चाहिये और यही हमारा आपसे निवेदन है। (व्यवधान) महोदय, श्री आडवाणी की हिन्दू राष्ट्र की दलील देश को स्वीकार्य नहीं है। हम सभी धर्मनिरपेक्ष दल और देश की अपार जनता इसे नकारती है। हमारे लिये हिन्दू राज्य नहीं हो सकता। बहुधर्मी राष्ट्र में ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता। हमारे परे भारत का संविधान लागू होता है जिसमें यह कहा गया है कि हम धर्मनिरपेक्ष बनें और लोकतंत्र में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का अनुपालन करें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जोशी जी, आपको बोलना है मैं आपको मौका दूंगा। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

कृपया टोकें नहीं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर): मेरा आपसे एक निवेदन है। यदि प्रधानमंत्री 6.00 म० प० पर हस्तक्षेप करेंगे और यदि पहला वक्ता ही इतना अधिक समय ले ले, तो मैं समझता हूं कि हम अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल पाएंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया टोकें नहीं।

[हिन्दी]

एक अहम विषय पर बोल रहे हैं, आप इनको बोलने दीजिए। आपको कोई जवाब देना है, तो आप अपने जवाब में दे सकते हैं। मेरा निवेदन यह है कि थोड़ा-सा टाईम ज्यादा सदस्यों को देना है, आप इंटरवीन न कीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मक्कासर, कृपया उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश नहीं करें। मैं उन्हें रोकूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज: उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने मेरी बात में हस्तक्षेप किया और उन्होंने

मेरा काफी समय बर्बाद किया। मैं इसके लिए जिम्मेवार नहीं हूं। मैं अब केवल कुछ ही मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कुछ मिनट से आपका तात्पर्य दो मिनट से है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : पांच से सात मिनट। मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण सामग्री है। लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे पास काफी कुछ कहने को है। यदि श्री आडवाणी यहां होते तो मैं कुछ ऐसी बात कहता जो वह भी चाहते कि मैं कहूं। मैं श्री आडवाणी से यह कहता, "मुस्लिम समुदाय को आतंकित करने के लिए अपने दल का इस्तेमाल उचित नहीं है।" मेरे मित्र कहते हैं, "मुस्लिम समुदाय ही क्यों ?" अन्य अल्पसंख्यक भी बहुत खराब महसूस कर रहे हैं और काफी आतंकित महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह हमारे देश में प्रमुख अल्पसंख्यक समुदाय है और वे इसे खुले आम आतंकित कर रहे हैं। मैं श्री आडवाणी के सम्मान में एक शेर कहना चाहता हूं जैसा कि बड़ों के लिए आदर स्वरूप कहा जाता है :

"जेरे कदमत हजार जान अस्त,
आहिस्ता कराप बल्कि मलराम।"

अर्थात

"ऐ, महबूब आपके कदमों के नीचे हजार जानें हैं, आहिस्ता चलो, बल्कि बिल्कुल न चलो, ताकि किसी की जान न जाए, बल्कि बिल्कुल न चलो।"

अब वह विपक्ष के नेता बन गये हैं। इस दल को इस राष्ट्र और मुसलमानों के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। अतः श्री आडवाणी को कुमारी उमा भारती के भाषणों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं उनका आदर करता हूं। वह हमारी बहन हैं। उन्हें पंजाब की अन्य लड़कियों तथा विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के द्वारा दिए गए भाषणों की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास (करौलबाग) : यह कैसेट है या रिकार्डर है, क्या ये अलाऊ है ? (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : ये कैसेट है। मैं उन्हें आपके समक्ष पेश कर रहा हूं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सोज जी, इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं आपको ये कैसेट दे रहा हूं और मैं नहीं जानता कि आप इसका क्या करेंगे··· (व्यवधान) अब ये सभा की सम्पत्ति हो गए हैं। महोदय, आपको नियमों की बेहतर जानकारी है। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष पीठ और यह सभा, बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद द्वारा दिये गये भाषणों की जांच करें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सोज जी, इस तरह नहीं। आप कृपया प्रक्रिया का अनुसरण करें।

(व्यवधान)

प्रो० संफुद्दीन सोज : मैं कैसेट सभा पटल पर रख रहा हूं। आप भाषणों का अध्ययन कर सकते हैं। मैं कोई अन्य प्रश्न नहीं उठाऊंगा। यदि आप उनका अध्ययन करें तो देखेंगे कि उन्होंने मथुरा और बनारस में कैसे गड़बड़ी पैदा की और वे मुसलमानों को कैसे आतंकित कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें, अगर आपको कुछ करना है तो उसका एक तरीका है, एप्लीकेशन देकर कर सकते हैं।

[अनुवाद]

सोज जी, यदि आप कुछ पेश करना चाहते हैं तो आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा। आप इन्हें वापस लीजिए।

(व्यवधान)

प्रो० संफुद्दीन सोज : महोदय मैं नियमों का पालन करूंगा लेकिन इस बीच मैंने आपको कैसेट दिखाए हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उनकी बात में इस तरह हस्तक्षेप न करें। आप उन्हें इस तरह नहीं रोक सकते हैं। यदि आप उनको बाधा पहुंचायेंगे तो वह ज्यादा समय लेंगे और इस प्रकार आपका समय बर्बाद होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। मुझे जो कहना था मैं कह चुका।

(व्यवधान)

प्रो० संफुद्दीन सोज : मुझे आपका विनिर्णय मान्य है। **(व्यवधान)**

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या उनके मुताबिक इस टेप में रिकार्ड विषय वस्तु बुरी है? मैं नहीं जानता कि इन्हें क्यों पेश किया गया है। क्या उनमें अशोभनीय बातें हैं? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर सकता हूं कि इस तरह हस्तक्षेप न करें। यदि आप इस तरह हस्तक्षेप करेंगे तो इस व्यवधान में केवल आपका ही समय खराब होगा। यदि आप कोई मुद्दे रखना चाहते हैं और किन्हीं मुद्दों को काटना चाहते हैं तो आपके पास इस सब के लिए समय होना चाहिए। यदि आप इस तरह से हस्तक्षेप करेंगे तो यह नहीं किया जा सकता। सोफ जी के फायदे के लिए मैं नियम के संबद्ध भाग को पढ़ देता हूं। "सदस्य को दस्तावेज सदन में नहीं फाड़ने चाहिएं; सदस्य को कैसेट या टेप सदन में न तो लाने चाहिएं और न ही बजाने चाहिएं।" आप इसे ला भी नहीं सकते हैं। यदि आप सदन में कोई चीज लाना या पेश करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए आवेदन देना पड़ेगा।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझे आपका विनिर्णय स्वीकार है। मैं वही करूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव : वह कांस्टीट्यूशन सिखा रहे हैं, आपको पढ़कर सुना रहे हैं। ···(व्यवधान)

[अनुवाद]

वह इसे नहीं ला सकते हैं। लेकिन वह इसे लेकर आये हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सोज जी पहले आप अपना भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं आपके विनिर्णय के अनुसार आवेदन लिखकर ये कैसेट आपको दे दूंगा···(व्यवधान)···मैं कह रहा था कि आडवाणी जी को जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए क्योंकि मुसलमानों को आतंकित करना कोई छोटी बात नहीं है। अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदाय भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें इसकी अनुमति भी नहीं दी जा सकती है।

जो शेर पढ़ा था, वह जिम्मेदारी का था —"आहिस्ता खराम बिला खराम" चूंकि आपको फारसी के साथ मोहब्बत नहीं है, उर्दू के साथ नहीं है, मगर इन शब्दों के ट्रांसलेशन से आप खुश हो जायेंगे।" (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : भारतीय जनता पार्टी की भी एक जिम्मेदारी है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों में साक्षरता दर केवल तीन प्रतिशत है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह मुसलमानों को अधिक शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करें। बजाय इसके वह सुबह-शाम मुसलमानों में काल्पनिक शत्रु की छवि भी देखते हैं जैसे कि एडोल्फ-हिटलर का नाजी जर्मनी में यहूदियों के प्रति दुश्मनी का भाव था।

अन्त में, मैं आपको बताऊंगा कि मुसलमान राम के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं और आप राम मन्दिर के नाम पर देश में साम्प्रदायिक हत्याकांड को आरम्भ करके राम नाम की उस संकल्पना को ही खत्म कर रहे हैं। महोदय, मैं आपके जरिये इस देश को बचाना चाहता हूं कि आडवाणी जी की यह दलील कि यह बाबर बनाम राम का प्रश्न है एकदम भ्रान्तिजनक और गलत बात है तथा इस राष्ट्र को गुमराह करने वाली बात है। बाबर केवल एक राजा थे। यदि यह बाबर और राम के बीच किसी एक को चुनने की बात हो और यदि मुसलमानों को चुनने के लिए कहा जाय तो मुझे यकीन है कि मुसलमान अपनी समझबूझ और विवेक से केवल राम का पक्ष लेंगे न कि बाबर का। आप तो अपने शाखा-कार्यक्रम के परे और कुछ भी सीखना नहीं चाहते हैं···(व्यवधान) मुझे आश्चर्य है कि श्री लोढा भी आपको गुमराह कर रहे हैं।

राम के बारे में कोई विवाद नहीं है। बाबरी मस्जिद के संबंध में कोई विवाद नहीं है। यह एक मस्जिद है। यह दूसरी बात है कि आप इसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पर्याप्त सबूत हैं। राम हर जगह हैं, हमारे दिलों में, हमारे मन में; राम हमारी संस्कृति हैं। बंगलादेश और पाकिस्तान सहित इस महाद्वीप में मुसलमानों में सबसे महान अल्लमा इकबाल थे; राम के प्रति उनकी श्रद्धा देखिए मैं केवल 4-5 शेर पढ़ूंगा। (व्यवधान) आपको भारत में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए मुसलमानों और अन्य समुदायों के साथ सदभाव से रहना सीखना चाहिए।

"इस देश में हुए हैं हजारों मलिक सरिश्त,
मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नामे हिन्द।"

[अनुवाद]

भारत में महान आत्मायें पैदा हुई हैं और उन्होंने इस देश को बहुत गौरव दिलाया है।

"है राम के वजूद पे हिन्दुस्ता को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमामे हिन्द,
ए जाज इसका यही है चिरागे हिदायत, रोशन तराज सहर है जमाने में शामे हिन्द।"

(व्यवधान)

आप भारत के लिए अंधेरे के समान हैं, आप सभी नहीं बल्कि आपमें से कुछ।

"तलवार का धनी था शुजात में फर्द था
पाकीजगी में जोश मोहम्मद में फर्द था।"

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : एक प्वाइंट ऑफ इनफॉरमेशन है। नार्मली मूवर के बोलने के बाद जो मेन अपोजीशन पार्टी है उसको बोलने का मौका मिलना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया था कि कोई व्यक्ति किसी के दबाव में बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नाजी) : उनको तो बोलने भी न दिया जाए क्योंकि "वे दूसरों को बोलने नहीं देते।" (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : महोदय, सर्वसम्मति यह है कि इस कैसेट पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए क्योंकि उन्हें जहां भी चलाया जाता है, वहां मृत्यु और विनाश लीलाएं आरम्भ हो जाती हैं। चूंकि ये कैसेट सरकार के ध्यान में लाये गये हैं, अतः उसे इन पर कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप निवेदन कर सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह अब कार्यवाही वृत्तान्त का हिस्सा नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : सरकार को इस तरह के कार्यों के विरुद्ध गंभीरता से पेश आना चाहिए, उसे सर्वदलीय सम्मति के लिए इन्तजार नहीं करना चाहिए। सरकार इस उत्तरदायित्व से नहीं बच सकती है। सरकार को कार्यवाही करने दीजिए, इस पर प्रतिबन्ध लगाने दीजिए और इसके निर्माताओं और तैयार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि सभा अब स्थगित हो।"

जी हां, अब श्री गुजराल बोलेंगे।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल (जालन्धर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कभी भी नहीं सोचा था कि नई सरकार बनने पर इस वक्त मुझे इस मुद्दे पर बोलने के लिए बुलाया जाएगा विशेष रूप से स्थगन प्रस्ताव के संबंध में। मुझे आज बहुत पीड़ा और दुख से अपनी आवाज उठाने पर मजबूर किया गया है। राष्ट्र आज इस स्थिति से जूझ रहा है जिसकी फिक्र हम सबको होनी चाहिए न कि सभा के इस पक्ष को या केवल उस पक्ष को। इस समय राष्ट्र ऐसी स्थिति से जूझ रहा है, जबकि सभी आधारभूत नैतिक मूल्यों लोकाचार और इनकी नींव पर ही प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। हम राष्ट्र के ऐतिहासिक अनुभवों को अनदेखा किया जा रहा है और एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि हम वह सब बातें भूल जायें जो हमारी सांस्कृतिक विरासत में निहित हैं। उन लोगों पर चोट करने की कोशिश की जा रही है, जो उन मूल्यों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तथा उनको हमसे अलग कर रहे हैं ताकि वे ऐसे लगें कि वह इस राष्ट्र की धरोहर नहीं हैं। आज वे सब मूल्य जिनसे हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने इस देश को सींचा है, तथा स्वयं गांधी जी जैसे महान व्यक्ति का जिसमें हाथ था, उन पर आज प्रश्नचिन्ह लगा है। इन सभी मूल्यों और राष्ट्र के आधारभूत ढांचे पर आज चोट की जा रही है। अतः आज जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो मैं सरकार की उसकी निष्क्रियता या कार्यवाही न करने के संबंध में आलोचना नहीं करूंगा बल्कि मैं उन्हें आज की स्थिति से अवगत कराना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि जब सरकार उत्तर देगी, तो वह इस पीड़ा में भी साझा करेगी।

वे भी इस तथ्य को मानते हैं कि आज स्थिति ऐसी है कि अगर हम एक होकर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो भविष्य में उल्लेख योग्य कुछ भी नहीं बचेगा। मेरे जैसे जिन लोगों को स्वतन्त्रता संघर्ष में भाग लेने का सौभाग्य मिला था उन्हें पता है कि जब इस महान देश की नींव रखी जा रही थी तब हम गांधी जी के महान नेतृत्व के तहत क्या बनाना चाह रहे थे। मुझे याद है, उस समय भी ऐसे सिद्धान्त मुखर हुए थे जिन्हें हम आज सुन रहे हैं और जो धर्म-निरपेक्षता का विरोध कर रहे हैं और जिन्हें भावनाओं को भड़काने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। यह स्थिति जिसे हम आज देख रहे हैं, नई नहीं है। उस समय भी ऐसी स्थिति थी और हमारे काम की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में अन्ततः गांधीजी की हत्या कर दी गई। गांधीजी उन संकुचित दृष्टिकोण वाले लोगों द्वारा मारे गए जो उनकी महानता को नहीं देख सके। उनकी हत्या उन लोगों ने की जो यह नहीं समझ सके कि गांधीजी देश के निर्माण का प्रयास कर रहे थे। उन्हें उन लोगों ने मारा जो यह

सोचते थे कि गांधी जी को मारकर वे गांधी जी की आवाज को चुप कर देंगे। इस समय मुझे उर्दू का एक शेर याद आ रहा है जिसमें कहा गया है :

[हिन्दी]

खा के जो तीर देखा, कभी गांव की तरफ,
तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गयी।

[अनुवाद]

उस समय भी हमने ऐसी स्थिति देखी थी। अब हम अपने चारों तरफ देखते हैं कुछ लोग कभी किसी रंग के वस्त्र पहनते थे, मैं इस रंग का उल्लेख नहीं करूंगा, वे फिर से गांधी जी और उनके सिद्धांतों के विरुद्ध बन्दूक ताने खड़े हैं, उस समय की बात यह बन्दूक भी गांधी जी की परंपरा के विरुद्ध नहीं बल्कि इस देश के सभी बुनियादी मूल्यों के विरुद्ध है। आज जब हम ये कठिनाइयां देखते हैं तो पाते हैं कि वही स्थिति फिर से आ रही है।

हमें यह भी याद है कि हमारे स्वतन्त्रता संघर्ष के प्रारम्भिक चरणों और बाद में भी महापुरुष मौलाना आजाद की भी इसी प्रकार निन्दा की गई थी। मुझे याद है कि 1965 की लड़ाई में स्वयं जाकिर हुसैन जैसे महान व्यक्ति के बारे में जानबूझकर अफवाह उड़ाई गई थी। हम सब यह जानते हैं और यह भी जानते हैं कि इन सब ने किस प्रकार साहस तथा धैर्य के साथ इस बात का सामना किया था। उन्होंने इस देश के लिए संघर्ष किया जो हमें विरासत में मिला है। वे जानते थे कि यह देश धर्म-निरपेक्ष राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह सकता। हमारी विविधता ही ऐसी है। हम अनेक भाषाएं बोलते हैं; हम विभिन्न तरीकों से जीवन जीते हैं; हम अनेक प्रकार का भोजन करते हैं; हम अपने देश के विभिन्न भागों में रहते हैं और हमारे ऐतिहासिक अनुभव विविध हैं। फिर भी, गांधी जी और उनके साथियों ने यह पाया कि इस विविधता को एकत्रित करके ही हमारे देश का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कभी भी एकरूपता को आधार बनाने का प्रयास नहीं किया। वे जानते थे कि हमारे जैसे समाज में एकरूपता संभव नहीं थी और न ही यह व्यावहारिक अथवा उचित थी। उन्होंने यह सही महसूस किया था कि केवल हर व्यक्ति को भागीदारी, समानता की भावना देकर और प्रत्येक संस्कृति को विकसित होने का अधिकार देकर और प्रत्येक समुदाय को स्वयं को व्यक्त करने का अधिकार देकर ही इस देश का निर्माण किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि मुझे इस पुनीत सभा को यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस दृष्टिकोण के अभाव में भारत आज के भारत जैसा नहीं होता। इस दृष्टिकोण के अभाव में भारत आजाद नहीं हो सकता था क्योंकि मैकाले और उसके मित्रों ने विविधता में हमारी एकता को नष्ट करने का प्रयास किया था। गांधी जी ने हमारी एकता की इस सभ्यता को पुनः जीवित किया था जिसे मैकाले ने नष्ट करने का प्रयास किया था। भारत इसीलिए आजाद हो सका कि गांधी जी के नेतृत्व में आन्दोलन हमारी आत्मा को वापस लाने और उसमें प्राण फूंकने और विविधता के आधार पर एकता की हमारी सभ्यता को वापस लाने में सफल हुआ था। हम सदैव ही यह महसूस करते थे और ऐसा महसूस कर रहे हैं और मैं समझता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि विशेषकर यह सभा और हममें से भी अधिकांश अब भी यह महसूस करते हैं कि विविधता हमारे देश का एक सम्मानित

पहलू है। विविधता अन्तर्निष्ट है और केवल इन विविधताओं की एकता से ही हम इस देश की अखंडता को कायम रख सकते हैं।

आज जब हम विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं का सामना कर रहे हैं, हम देखते हैं कि एक समान तनाव है, चाहे यह पंजाब की व्यथा है, कश्मीर की या कानपुर की, अलीगढ़, आगरा की व्यथा···मैं ऐसी अनेक घटनाएं बता सकता हूं···(व्यवधान)

प्रो० संकुहीन लोज : अयोध्या की व्यथा के बारे में क्या कहना है ?

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आप हर जगह यही पहलू पाते हैं···(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अहमदाबाद की व्यथा के बारे में क्या कहना है जहां पर शिक्षकों और बच्चों की हत्या कर दी गई थी ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस सभा में इस तरीके का अनुसरण नहीं करते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : यह क्या है, किसी को बोलने ही नहीं देते। क्या तरीका बना रखा है। (व्यवधान)

श्री कान्का दास (करोलबाग) : उपाध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप पहले उनको तो मना करिये कि इस तरह बीच में इंटरप्ट न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

4.00 प्र० प०

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जब मैं कुछ पहलुओं का उल्लेख करता हूं और कुछ नामों को छोड़ देता हूं तो ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं इन नामों या स्थानों को अधिक महत्व देता हूं बल्कि ऐसा इसलिए है कि यह सूची बहुत लम्बी है और यदि मैं ये नाम गिनूंगा तो सम्भवत: भारत के आधे भाग के नाम गिन चाऊंगा जो कि इस कष्ट और व्यथा का सामना कर रहे हैं। खून किसका बह रहा है ? मृत लोगों के प्रति ऐसा करना सरल और पागलपन है। हम यह गिनती कर रहे हैं कि किस समुदाय का अधिक नुकसान हुआ और किस समुदाय के कितने बच्चे मारे गए। हम यह गिनती कर रहे हैं कि ये शव मुसलमानों के थे, हिन्दुओं के थे, सिखों के थे और फिर इस तथ्य से अत्यधिक धार्मिक गर्व महसूस करते हैं कि अमुक-अमुक समुदाय ने मेरे अपने समुदाय से अधिक हत्याएं कीं। हम यह भूल जाते हैं कि मारा गया हर व्यक्ति एक निर्दोष भारतीय है जिसका कसूर सिर्फ यही है कि वह यहां पर एक ऐसे समुदाय में जन्मा जहां वह स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है। वह असुरक्षित महसूस करता है और उसे उसके अधिकार नहीं मिलते। क्या हम एक संगठित राष्ट्र के रूप में ईमानदारीपूर्वक ऐसा सोच सकते हैं जिससे धर्म, मत अथवा भाषा पर गौर किए बगैर ही अपने नागरिकों का बचाव कर सकें और उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकें।

मुझे याद है कि यहां पर बैठे मेरे मित्र श्री अकबर ने दो वर्ष पूर्व एक पुस्तक लिखी थी जिसका विषय यही था। उन्होंने उस समय सावधान किया था और हिन्दुओं तथा मुसलमानों, दोनों पर समान रूप से किए विभिन्न दंगों और कथाओं का वर्णन किया था। हमने इस पुस्तक को पढ़ा और फिर इसे भूल गए। हम हमेशा यही करते रहते हैं। हमने यहां अनेक बार चर्चा भी की है। हम एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। हम श्री ख से अधिक श्री क पर आरोप लगाते हैं। चाहे श्री क ने श्री ख से भी अधिक बुरे कार्य किए हैं लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं जब तक दंगे फिर से नहीं भड़क जाते। समय बीतने के साथ राष्ट्र में हम वही रूढ़िवादी और सांप्रदायिक भावना पाते हैं। आज पूरे राष्ट्र में तनाव की स्थिति है। मेरा आप सबसे यह अनुरोध है कि आप अपने आस-पास देखें और किसी और स्थान पर देखने की बजाय अपने आप में झांकें और स्वयं से यह प्रश्न करें कि "क्या मैं भारतीय हूं, यदि मैं भारतीय हूं तो मेरा भारतीय होने के बारे में क्या अवधारणा है; क्या मैं गांधी जी का सम्मान करता हूं, यदि मैं उनका सम्मान करता हूं तो मेरे उनके बारे में क्या विचार हैं; क्या मैं भारतीय संविधान में विश्वास करता हूं, यदि मैं उसमें विश्वास करता हूं तो उसके बारे में मेरा क्या विचार है तथा क्या मैं धर्म-निरपेक्षता में विश्वास करता हूं, तथा धर्म-निरपेक्षता के बारे में मेरा क्या विचार ?" आज संपूर्ण ढांचे पर प्रभाव डाले बिना इन संकल्पों में से किसी एक को भी नहीं बदल सकते हैं। यदि आप मुझे धर्म-निरपेक्षता के संकल्प को बदलने के लिए कहें तो आपको भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्र के संकल्प को बदलना पड़ेगा, गांधी जी ने जो लिखा है उसे बदलना पड़ेगा और यहां तक कि इतिहास को भी बदलना पड़ेगा जैसा कि कुछ राष्ट्रों में क्रूरता और वेदना से किया गया। जब मैं अपने आसपास देखता हूं तब मुझे बहुत दुख होता है और मुझे अपनी स्थिति वैसी ही प्रतीत होती है जैसी महाभारत में अर्जुन की थी। उसे यह नहीं पता था कि जो स्थिति उस समय थी उसके लिए वह किसे उत्तरदायी ठहराये। आज के दंगे चौथे अथवा पांचवें दशक में हुए दंगों के समान नहीं हैं। उनमें एक भिन्नता है। ऐसा समय था जब दंगा करने वाले लोगों में केवल दुर्भावना होती थी लेकिन धीरे-धीरे दुर्भावना का स्थान क्रूरता ने ले लिया है। दंगाई अब निर्मम हत्या कर देते हैं लेकिन वह दुर्भावना अपराध नहीं था। हम यह भी देखते हैं कि घातक से घातक हथियारों का उपयोग किया जा रहा है। एक समय था जब लाठी का उपयोग किया जाता था, बाद में चाकूओं का उपयोग होने लगा। उसके बाद बंदूकों का उपयोग शुरू हुआ और अब हम इससे भी अधिक घातक हथियारों अथवा पूर्ण विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रकार मानव जिंदगी, उनकी संपत्ति, बच्चे, घर और उनकी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। यह सबसे बुरा समय है। हमने यह भी देखा है कि समय के साथ यह स्थिति, यह पागलपन अथवा विनाशकारी रवैया लोगों के मन में फैल रहा है। मैं सभी पुलिस कर्मियों अथवा वर्दीधारी व्यक्तियों पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, चाहे वह पुलिस के व्यक्ति हों अथवा केन्द्र और राज्य सरकार के अर्द्ध-सैनिक बलों के सदस्य हों लेकिन उनमें से कुछ शक्तियों का व्यवहार चिंताजनक है। यदि एक समुदाय अथवा दूसरा समुदाय यह महसूस करता है कि उन्हें उन्हीं व्यक्तियों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है जो उनकी रक्षा के लिए तैनात थे और यदि एक समुदाय महसूस करता है कि उनके बच्चे मारे जा रहे हैं तथा समाचार-पत्र यह समाचार प्रकाशित करते हैं कि कुछ बच्चे मारे गए हैं तो उन्हें महत्व देने और उनका स्वागत करने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि अंततः इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर इस देश में हम उस भावना को बढ़ावा दे रहे हैं जो जर्मनी उस समय थी जब वहां नाजीवाद उभरा था मुझे उसी की याद आ

रही है। महोदय, मैं आपको याद नहीं कराना चाहता हूं क्योंकि आप स्वयं यह सब जानते हैं। आपको वह बात याद होगी जब किसी ने कहा था कि जब वे पहली बार आये थे तो वे यहूदियों के लिए आए थे और मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा था। बाद में उन्होंने साम्यवादियों की बात की और मैं साम्यवादी नहीं था इसलिए मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। जब उन्होंने मेरे बारे में कहा तब कोई भी मेरा साथ देने के लिए नहीं था। यदि हम उन व्यक्तियों के लिए एक आवाज में नहीं बोलेंगे जो कष्ट में हैं तो वह दिन दूर नहीं है जब यह क्रूरता ऐसी स्थिति ले लेगी जब हम में से कोई भी बोलने वाला नहीं रह जाएगा।

मेरा अनुरोध है कि हमें राष्ट्र के विभिन्न समुदायों की भूमिका और स्थान को समझना चाहिए। क्या भारत अल्पसंख्यक समुदायों के बिना एक राष्ट्र बना रह सकता है। क्या भारत अल्पसंख्यकों की भूमिका और स्थान के बिना राष्ट्र बना रह सकता है? क्या भारत उनकी भाषाओं और संस्कृतियों के बिना रह सकता है? क्या भारत में केवल एक संस्कृति और भाषा हो सकती है? क्या भारत में एक धर्म, और एकरूप रवैया हो सकता है? भगवान ही इससे बचाए। यदि वह दिन आता है तो भारत वह नहीं रहेगा जो गांधी जी का स्वप्न था। शायद हिटलर अपनी कब्र से उठकर भारत पर कब्जा करने के लिए आ जाएगा। अतः मैं महसूस करता हूं कि हमें धर्म-निरपेक्षता को पुनः परिभाषित करना चाहिए। हां, इसको पुनः परिभाषित करें, इसे अधिक महत्व दें ताकि वह व्यक्ति जो परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे राष्ट्र के मूल ढांचे को पुनः परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं वह राष्ट्र की नजरों में अपराधी हों।

मैं यह भी महसूस करता हूं कि राज्य का बदलता स्वरूप अपने आपमें अपराध है जिसकी इस सभा में तथा अन्य स्थानों पर भी कड़ाई से आलोचना की जानी चाहिए। मैं इस बात की ओर अपने उन मित्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो आज सरकार में हैं। वे मेरे सहयोगी, मित्र और भाई हैं। मैं उनकी वेदना को समझता हूं। मैं उनकी प्रेरणा के बारे में प्रश्न नहीं करता हूं। वे राज्य तंत्र के लिए उत्तरदायी हैं। उन्हें इस बात की गहनता से जांच करनी होगी कि दंगे ऐसे विशिष्ट प्रकार के राज्यों में ही क्यों भड़क रहे हैं? दंगे उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में क्यों भड़क रहे हैं जहां एक विशिष्ट दल सत्तारूढ़ है अथवा समर्थन कर रहा है? मैं ऐसी आलोचना करने ...(व्यवधान) कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : हम विशेष परिस्थितियों के कारण शासन कर रहे हैं। विधायकों को आपने ही चुना है (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप इसे स्वयं की आलोचना क्यों नहीं मानते हैं?

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : ठीक है, हम इसे स्वीकार करते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : जब उत्तर प्रदेश और गुजरात में आप सत्ता में थे तब भी वहां दंगे होते थे। कृपया संसद को गुमराह करने का प्रयास न करें। सार्वजनिक तौर पर दिए गए भाषणों में ऐसा कहना उचित है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मुझे बहुत खेद है। मुझे संतोष मोहन देव के साथ सहानुभूति है क्योंकि वह मेरी बात समाप्त होने से पहले ही उत्तेजित हो गए। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं और

जिस भावना से कह रहा हूं उन्हें यह बात समझनी चाहिए। उन्हें और मुझे कांग्रेस की विरासत मिली है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। उन्हें और मुझे गांधी जी की भी विरासत मिली है। यदि उसी को खतरा है और हम उन मुख्य मंत्रियों, प्रशासकों, पुलिस कर्मियों तथा उन व्यक्तियों, जो कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी हैं, की रक्षा करते हैं और इसलिए रक्षा करते हैं कि वे हमारी विचारधारा के हैं तब निश्चय ही देश का विनाश होगा तथा हमारे लिए कोई रोने वाला नहीं रहेगा। कृपया उन राज्यों में देखिए कि वहां ऐसा क्यों हो रहा है। कृपया केवल यह चर्चा मत कीजिए और यह मत कहिए कि मैं भी इसके लिए उत्तरदायी था। किसी न किसी प्रकार से आप, मैं और हम सब इसके लिए उत्तरदायी हैं। हमें यह बात समझनी चाहिए कि आज हम सबका दायित्व है और मैं उसी भावना से बोल रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप इसे उसी भावना से लें।

हम सबको एक मुद्दे की ओर ध्यान देना चाहिए। इसी कारण श्री सोज ने अपने विचार व्यक्त किए और मुस्लिम लीग के मेरे मित्र बोलने जा रहे हैं। हम प्रत्येक देश को देखें, चाहे वह भारत है अथवा कोई और देश है। एक राष्ट्र की परीक्षा एक बात से होती है। क्या अल्पसंख्यक अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं ? क्या अल्पसंख्यक यह महसूस करते हैं कि उनकी भाषा सुरक्षित है ? मैं केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन व्यक्तियों की भी बात कर रहा हूं जो भारत के सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं। कुछ बातें सही भी हो सकती हैं। शायद कुछ भ्रांतियां हैं और उन्हें विश्वास दिलाया जाता है कि वे सुरक्षित नहीं हैं। यदि कुछ व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे सुरक्षित नहीं हैं तो क्या यह हमारा दायित्व नहीं है कि हम उन्हें यह महसूस करवाएं कि वे सुरक्षित हैं ? क्या यह हमारा दायित्व नहीं है कि हम उनके समर्थन में अपनी आवाज उठाएं ताकि उन्हें यह महसूस हो कि उन्हें कोई खतरा नहीं है और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके साथ हैं और उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं ? भारत में ऐसे अनेक वीर हुए हैं जिन्होंने उनके लिए भी अपना जीवन न्यौछावर किया था। मुझे कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी की याद है जो दंगाइयों के बीच खड़े हो गये थे और उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। दुर्भाग्यवश ऐसे वीर पुरुषों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। इन दोनों परस्पर विरोधी समुदायों के बीच झगड़ा समाप्त कराने के बजाय दुर्भाग्यवश हम सब एक दूसरे को विभाजित करने में बहुत अधिक रुचि लेते हैं। जिन साम्प्रदायिक विचारधाराओं का आज अनुसरण किया जा रहा है, उनका उद्देश्य क्या है ? लोगों ने समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखों के बारे में कहा है। कुछ लोगों ने कुछ 'कैसेटों' के बारे में कहा है। कुछ लोगों ने दिए गए उत्तेजनापूर्ण भाषणों के बारे में भी कहा है। मैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन मैं एक साधारण-सा प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या यह सब बातें राष्ट्र में एकता पैदा कर सकती हैं ? क्या इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं जिससे राष्ट्र अधिक संगठित हो सकता है ? क्या इससे और अधिक आपसी समझ और अधिक सुरक्षा उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी ? यदि ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए ? यदि ये साम्प्रदायिक विचारधारायें, फूट डालने वाली विचारधारायें जो एक विचारधारा को दूसरी विचारधारा से अलग करती हैं तथा जो संस्कृति और भाषाओं तथा धर्मों को मिटाने का प्रयास करती हैं, अब इस प्रकार की विचारधारायें हैं तो क्या सदन के रूप में हमारी कोई जिम्मेदारी है या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है ? या क्या हमारे लिए इनके विरुद्ध आवाज उठाना, आक्षेप लगाना और फिर चुप बैठ जाना

और कर चले जाना ही पर्याप्त है क्योंकि अभी तक हमें एक साथ मिलकर इस समस्या का हल खोजने की जिम्मेदारी नहीं डाली गई है।

मैं विपक्षी दल के अपने सहयोगियों को कहना चाहता हूं कि थोड़े से समय में ही दृढ़ कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। सरकार को थोड़े से समय में ही अपना अधिकार स्थापित करना चाहिए। अल्पसंख्यकों को महसूस कराया जाना चाहिए कि वे इस देश में सुरक्षित हैं। थोड़े से समय में ही हमें इसे अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि जहां कहीं अपराध हों, अपराधियों को तत्काल सजा दी जानी चाहिए। लेकिन हमारा संघर्ष थोड़े समय के लिए ही नहीं है। हमारे व्यवहार, विचारों और धारणाओं में दीर्घकाल में परिवर्तन लाया जाना चाहिए और हम सबको मिलकर इस दिशा में प्रयास करने चाहिए।

दुर्भाग्य से मंदिर और मस्जिद की विवादास्पद स्थिति से राष्ट्र को काफी नुकसान हुआ है। हमारा समाज एक सभ्य समाज है। हम विवादों को सभ्य तरीकों से निपटाने की प्रणाली को जानते हैं। इस लोकतान्त्रिक देश में हमें आपसी बातचीत के माध्यम से एक-दूसरे को सहमत कराना चाहिए। अन्यथा यह सदन असंगत हो जायेगा। यह सभा इसीलिए संगत है क्योंकि हम एक दूसरे को सहमत करने का प्रयास करते हैं, हम एक दूसरे से चर्चा करते हैं जैसे कि मैंने श्री संतोष मोहन देव को उत्तर देने में प्रयास किया है। यह सदन वाद-विवाद और चर्चा का मंच है और यहां वाद-विवाद, चर्चा तथा सहमति का निर्माण किया जाता है। हमारा एक संविधान है जिसमें न्यायपालिका को ऊंचा स्थान दिया गया है। यदि मंदिर और मस्जिद के बारे में विवाद है — मैं मामले के गुण या दोषों का वर्णन नहीं कर रहा हूं — लेकिन मेरा विचार यह है कि यदि हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते, यदि हम इसे सुलझा नहीं सकते तो हमें इस मामले को न्यायालय में ले जाना चाहिए। न्यायालय को इस मामले को सुलझाने दीजिए। जो कुछ न्यायालय निर्णय देगा, उसके बारे में कुछ संदेह उठाये गये हैं। लेकिन हम निर्णय देने से पहले ही अनुमान लगाने का प्रयास क्यों करें? हम यह क्यों कहें कि अगर निर्णय हमारे पक्ष में होगा केवल सभी हम इसे स्वीकार करेंगे? यदि हम बातचीत या न्यायालय के फैसले द्वारा मामलों को नहीं सुलझाना चाहते तो हम न्यायपालिका में राष्ट्र का विश्वास कैसे स्थापित कर सकते हैं? इस संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है और मेरे विचार से हम सबको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे समाज में धर्म और राजनीति के बीच क्या संबंध है? इस सभा में हमने इस पर कई बार चर्चा की है। विशेषतया जब पंजाब में इस तरह की स्थिति हमारे समक्ष आयी है तो हम हमेशा धर्म और राजनीति को मिलाने के खतरों के बारे में बात करते रहे हैं। मेरे विचार से इस सभा में आम सहमति है कि धर्म और राजनीति को मिलाया नहीं जाना चाहिए। मैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध आक्षेप नहीं लगाना चाहता लेकिन हम सबको सोचना चाहिए कि क्या यह अभी हाल ही किया गया है या नहीं? अगर यह किया गया है तो क्या हम इसके परिणामों का अन्दाजा लगा सकते है? क्या हम महसूस करते हैं देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या हम महसूस करते हैं कि इसका कश्मीर में क्या प्रभाव पड़ रहा है? पंजाब में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है और पूर्व में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसलिए, धर्म और राजनीति को मिलाकर हमें कुछ और वोट अवश्य मिल सकते हैं लेकिन बाद में इसका बहुत अधिक मूल्य चुकाना होगा। विभिन्नता में एकता की भारत की बहुत पुरानी परम्परा

रही है। प्रो० रंगा यहां बैठे हैं और प्रो० दंडवते जो मेरे वरिष्ठ साथी हैं—इन लोगों ने स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लिया था। इस संबंध में, मेरे विचार से, हम सब लोगों का विशेष दायित्व बनता है कि राष्ट्र को इस बात की याद दिलायें कि हमारी परम्परा मूल रूप से दया-भावना की रही है। हमारे धर्म दया पर आधारित हैं। हमारी राष्ट्रीय विचारधारा दया, सच्चाई तथा लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने पर आधारित है। इसके बिना न तो संयुक्त संस्कृति बनायी जा सकती थी, न कोई भारतीय राष्ट्रीयता बन सकती है और इसके बिना कोई भी सरकार सभ्य ढंग से कार्य नहीं कर सकती है। सरकार की इस संबंध में विशेष जिम्मेदारी है। सरकार को इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। मेरे जैसे लोग देश विभाजन से एक बार चोट खा चुके हैं। में उनमें से एक हूं जिसे गहरा आघात पहुंचा था। हम सब कुछ छोड़कर यहां आये थे। इस राष्ट्र का धन्यवाद है जिसने हमें अपनाया, उचित सम्मान दिया और जिसने हमें एक बार फिर आगे आने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

लेकिन हमारे जख्म अभी ताजा हैं।

[अनुवाद]

हम इसे अभी तक भूल नहीं पाये हैं। हम जानते हैं कि विभाजन का क्या मूल्य चुकाना पड़ता है। इससे केवल एक ही समुदाय को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे सबको कठिनाई होगी। भारत की एकता से हमारा अभिप्राय देश की एकता से नहीं बल्कि लोगों की एकता से है। कश्मीरी लोगों के बिना कश्मीर नहीं हो सकता; पंजाबियों के बिना पंजाब नहीं हो सकता; मुसलमानों या सिखों या ईसाइयों के बगैर भारत नहीं हो सकता। यह भारत उस ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का है, जो यहां पैदा हुआ है, जो यहां रहता है और जो इस राष्ट्र से प्रेम करता है। यह हम ऐसे ही भारत को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सदन के समक्ष मैं यही विभिन्नता में एकता की बात रखना चाहता हूं। हम सबको मिलकर इस राष्ट्रीय स्वरूप की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि यह देश पतन के कगार पर खड़ा है, इसलिए यदि हम एक बार गिर जाते हैं तो हम कभी भी ऊपर नहीं उठ सकेंगे।

दुर्भाग्य से, मेरे मित्र श्री चन्द्र शेखर यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। हमने अपने जीवन में काफी कुछ मिलजुलकर भोगा है। हमारे मूल्य एक जैसे हैं। हमारा व्यवहार एक जैसा है। हमने कई काम मिल-जुलकर किये हैं। लेकिन कवि के शब्दों में आज मैं कहना चाहूंगा।

[हिन्दी]

"न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा,
न तू रहजनों का जिक्र कर, तेरी रहबरी का सवाल है।"

[अनुवाद]

यह उनके नेतृत्व का प्रश्न है। कृपया इसे राष्ट्र को समर्पित कीजिए। हम यही चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में, देश में जो

साम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं, उस पर आज एडजर्नमेण्ट मोशन रखा गया है। मुझे इस बात का दुख है कि साम्प्रदायिक दंगों में केन्द्र सरकार की भूमिका और केन्द्र सरकार उन साम्प्रदायिक दंगों को रोक नहीं सकी, इस सवाल के ऊपर बोलने के बजाय यहां पर ज्यादातर साम्प्रदायिक स्थिति पर भाषण दिये गये और स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का नाम उसमें लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिक दंगों में किसी की भी हत्या हो, कोई भी निर्दोष आदमी मारा जाय, किसी, बच्चे की या किसी महिला की हत्या हो जाय, इससे ज्यादा निन्दनीय और इससे ज्यादा बुरी कोई बात नहीं है। मरने वाला हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, सब भारतीय हैं, सब इन्सान हैं, सब प्राणी हैं और उनकी रक्षा करना इस देश का कर्तव्य है, इस सरकार का कर्तव्य है। इस देश में मजहब के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाय, पूजा पद्धति के आधार पर कोई भेदभाव न हो, ऊंच-नीच के आधार पर किसी पर अन्याय और अत्याचार न हो। यह इस देश की निष्ठा होनी चाहिए और मैं यह समझता हूं कि सैक्युलरिज्म, सहिष्णुता, उदारता हिन्दू समाज के मूल के अन्दर विद्यमान है। इसीलिए जब हिन्दुस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना और वह मजहब के आधार पर, दो राष्ट्रों के सिद्धान्तों के आधार पर बनाया गया। उस समय भी हिन्दुस्तान में 86 प्रतिशत हिन्दू थे। उन्होंने इस देश को सैक्युलर रखा। विभाजन के बाद पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया और बंगलादेश इस्लामिक राष्ट्र बन गया। मध्यपूर्व के तथा दूसरे इस्लामिक मुल्कों में अल्पसंख्यकों के किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे। उसके बावजूद भी यहां की 86 प्रतिशत हिन्दु जनता ने हिन्दुस्तान को एक सैक्युलर राज्य रखा। उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि उस सैक्युलरिज्म को, उस धर्म-निरपेक्षता को और उस पंथ-निरपेक्षता को जब तक हम लोग यहां पर पूरी तरह से और ठीक प्रकार से बलवती नहीं बनायेंगे और इस बात में नहीं जायेंगे कि कि 43 सालों के अन्दर भी इस देश के अन्दर साम्प्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं, तब तक इसका ठीक प्रकार से निदान नहीं हो सकता है। तोतों की तरह से कुछ रटी बातें बार-बार कही जाती हैं और यहां पर कुछ रिकार्ड बजा दिये जाते हैं कुछ लोग यहां पर गोबैल्स को भी मात कर देते हैं, इस तरह से गलत बात बोल करके। मैं इस बात को सिद्ध करना चाहता हूं कि आडवाणीजी की रथ-यात्रा के कारण इस देश में साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं।

इस देश में साम्प्रदायिक दंगे कब-कब हुए हैं, उस ओर भी आपको देखना चाहिए। इस देश में सन् 1950 से लेकर 1990 तक कम से कम पच्चीस सौ बार इस देश में दंगे हुए हैं। प्रायः हर साल दंगे होते रहे हैं। एक ही शहर गोधरा के अन्दर 1947, 1952, 1959, 1961, 1965, 1967, 1969, 1972, 1974, 1980, 1983, 1985, 1989 और 1990 में दंगे हुए हैं। उस वक्त तो राम रथ यात्रा नहीं थी। तब राम रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी। वर्ष 1989 से पूर्व हिन्दुस्तान में अहमदाबाद के अन्दर, आगरा के अन्दर और देश के अनेक हिस्सों में हजारों आदमी साम्प्रदायिक दंगे में मरे हैं। उस वक्त तो रथ यात्रा नहीं थी। यहां कश्मीर में 55 मंदिर तोड़े गए हैं वहां रथ यात्रा तो नहीं गई। मुझे अफसोस है, सोज साहब इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर मंदिर नहीं तोड़े गए। मेरे पास यह रिपोर्ट है—रॉयट्स इन कश्मीर। इस रिपोर्ट को इडिपेंडेंट संस्था कश्मीर समिति ने, जिसमें कांग्रेस के लोग थे, तैयार किया। इसमें जगहों के नाम दिये हैं कि कौन-

कौन-से मंदिर तोड़े गए हैं। इसके मुताबिक 55 मंदिर तोड़े गए हैं और 550 से ज्यादा हिन्दू कत्लेआम हुए हैं तथा ढाई लाख से ज्यादा हिन्दू आबादी को पूरी तरह से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। सोज साहब, आप हिटलर के नाम का जिक्र करना चाहते हैं और उनको आप आडवाणी जी के नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं। यहां हिन्दुस्तान में 1950 के अन्दर मुसलमानों की पोपुलेशन केवल 9 प्रतिशत थी, जो आज 12 प्रतिशत हो गई है। कश्मीर के अंदर ढाई लाख लोगों को, हिन्दुओं और सिक्खों को निकालकर बाहर कर दिया गया है और आप इसके बारे में कोई जिक्र करना नहीं चाहते हैं। आप आडवाणी जी का नाम बार-बार लेकर कहना चाहते हैं कि रथ यात्रा के कारण ही दंगे फैले। कश्मीर के दंगे हों या उसके पहले लगातार दंगे हुए हैं, जबकि रथ यात्रा तो सितम्बर, 1990 में शुरू हुई। जब तक आप हिन्दुस्तान में हुए दंगों के कारणों में नहीं जायेंगे जब तक आप दंगों का ठीक निदान नहीं कर पायेंगे और देश में कभी दंगे रुक नहीं सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां आडवाणी जी की रथ यात्रा के असर का जिक्र किया गया। आडवाणी जी की रथ यात्रा से एक असर हुआ है कि इस देश में इतनी बड़ी जागृति आई है राष्ट्रीय ताकतों के अन्दर कि देश में देश-भक्ति और राष्ट्रीय एकता की लहर पैदा हुई है जिससे इस देश में करोड़ों लोगों में जो विभेदकारी ताकतें हैं इस देश को जो तोड़ने वाली ताकतें हैं उनके कलेजे चिर गए हैं। वे अपने आप एक स्केप-गोट ढूंढ कर और केवल उसका नारा लगाकर अपने जो दुष्कृत्यों पर पर्दा डालने की बात कर रहे हैं। यहां सदन में मेरे साथी गुजराल जी ने महात्मा गांधी की बात कही है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गांधी के होते हुए इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर किया गया था। ये सब पार्टियां, जो सामने बैठी हैं, उन्होंने इस विभाजन का समर्थन किया था और मजहब के आधार पर हिंदुस्तान को बांट दिया और पाकिस्तान बना दिया। आज भी मजहब के आधार पर कश्मीर के अन्दर देश तोड़ने की इस प्रकार की कोशिश हो रही है। एक तरफ आप एकता की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ कश्मीर में प्रथकतावादी ताकतों को आप लोग सहारा दे रहे हैं।आज भी पंजाब के अन्दर आतंकवादियों को सहारा दिये चले जा रहे हैं और नाम लेते हैं भारतीय जनता पार्टी का। हमारे दोस्तों का बस चलता नहीं, नहीं तो मेरे दोस्त यहां पर यह भी कहने से हिचकिचाते नहीं कि बेरुत के दंगे, रूस में होने वाले दंगे और पाकिस्तान में मजहब के आधार पर होने वाले दंगों में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गुजराल साहब से सहमत हूं कि माइनोरिटीज के मन में यह चिन्ता नहीं होनी चाहिए कि वे यहां पर सुरक्षित हैं या नहीं, उनको यह फिक्र नहीं होनी चाहिये कि कि उनकी भाषा यहां पर रहेगी या नहीं रहेगी। माइनोरिटीज को इस बात की चिन्ता नहीं होनी चाहिये कि उन पर अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। परन्तु आपमें से क्या किसी ने यह सोचा है कि मेजोरिटी को भी इसके बारे में डर नहीं होना चाहिये कि यहां पर, इस देश में 86 प्रतिशत जनसंख्या होने के बावजूद उनका धर्म, उनकी संस्कृति या उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ रहा है? क्या सेक्युलरिज्म का मतलब सिर्फ यह है कि इस देश को हिन्दुविहीन कर दिया जाए? क्या इसका मतलब यह है कि केवल मेजोरिटी के लोग दबे, पिसे रहें? उनकी जनसंख्या कम होती चली जाये। पिछले 30 साल के अन्दर हिन्दुओं की जनसंख्या 3 प्रतिशत कम हो गई। कोई भी मुझे इस बात को बताये कि जहां पर कत्लेआम होता हो, किसी माइनोरिटीज का, तो उस देश में माइनोरिटीज की संख्या बढ़ती है और मेजोरिटी की संख्या

कम होती जाती है ? जो लोग बढ़ा-चढ़ा कर हिन्दुस्तान की गलत पिक्चर पेश करके, इस बात का दुनिया के सामने प्रचार करते हैं कि यहां पर माइनोरिटीज का कत्लेआम हो रहा है, माइनोरिटीज यहूदियों की तरह मारी जा रही है, मैं समझता हूं कि वे इस देश के साथ द्रोह कर रहे हैं, इस देश को खतरा पहुंचा रहे हैं और देश का नाम सारी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। मरने वाले लोगों को हिन्दू और मुसलमान करके नहीं देखना चाहिए, मैं उसकी गिनती नहीं करना चाहता हूं, इसके आंकड़ों में जाना नहीं चाहता। परन्तु सोज साहब ने जिस तरह से भाषण दिया - इससे गलतफहमी पैदा होती है, क्या यह सत्य नहीं है कि हैदराबाद में जो दंगे हुए, उसमें मरने वाले 90 प्रतिशत हिन्दू हैं और वहां पर 6-6, 7-7 और 8-8 साल के बच्चों को छुरे मारे गये ? (व्यवधान) हैदराबाद में जो दंगा होता है उसके बारे में आप बार-बार यह कहते हैं और यही नाम लेते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया। जहां पर मरने वालों की संख्या में 90 प्रतिशत हिन्दू आते हैं। (व्यवधान) यहां पर अलीगढ़ के अन्दर दंगे हुए···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण बीच में रोकने को तैयार नहीं हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मेरी पार्टी वहां गई थी। उसकी रिपोर्ट हमारे पास है। मैं आपको वह रिपोर्ट दे सकता हूं, मैं उन लोगों के नाम दे सकता हूं जो मारे गये थे।

श्री जनार्दन पुजारी : यदि आप एक मिनट के लिए रुकें। महोदय, मैं हैदराबाद गया था, वास्तव में, हिन्दू भी मारे गये थे मुसलमान भी मारे गये थे और लगभग छः महीने के छोटे-बच्चों की भी हत्या की गई थी। हम अस्पताल में घरती मरीजों को देखने गये थे। महोदय, आप विश्वास नहीं कर सकते, कि ··(व्यवधान) मैं मुद्दे पर आ रहा हूं···(व्यवधान) जब हिन्दुओं को अस्पताल में देखने गये और मुसलमानों को भी, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता वहां आये थे···(व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिये। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां आये और हमें बताया कि वे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने जा रहे थे···(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : पाठक जी, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। आप बार-बार उठ कर डिस्टर्ब कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। मक्कासर जी, आप भी बीच में न बोलें, बैठ जाएं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उनको कहने के बाद ही आपको कह रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोशी, कृपया बैठ जाएं। शायद आप यह नहीं अनुभव कर रहे हैं कि आप अपने ही सदस्यों को परेशान कर रहे हैं। इसलिये आप कृपया हस्तक्षेप नहीं करें।

[हिन्दी]

तिवारी जी, आप एक दूसरे से बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं, लेकिन आप चुपचाप बैठिए।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि मरने वाला कोई भी हो, औरत हो, बच्चा हो, वह इन्सान है और इसलिए अगर कोई भी निर्दोष व्यक्ति मरता है तो सारे सदन को चिंता होनी चाहिए, परंतु यहां गलत तस्वीर पेश की जा रही है, सोज साहब ने जिक्र किया कि मुसलमानों के साथ वह व्यवहार किया जा रहा है जो हिटलर ने यहूदियों से किया था। यह आडवाणी जी को हिटलर कहने की कोशिश कर रहे थे। उपाध्यक्ष महोदय, देश में, हिन्दुस्तान भर में जिस जगह भी, कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, वहां पर या तो दंगे बिल्कुल नहीं हुए या बहुत कम हुए हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अंदर देखिए, दिल्ली में सबसे ज्यादा ताकतवर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। दिल्ली में पीछे एकमात्र दंगा हुआ, लेकिन कराने वाला कौन था। सारे अखबारों ने, यहां तक कि आई० पी० एफ० ने, इंडियन पीपल्स फ्रंट ने भी कहा, श्री चन्द्रशेखर भी वहां गये थे, सारे अखबार इस बात को कहते हैं कि उस दंगे को कराने वाले कौन थे। इमाम ने भी कहा, हालांकि उनसे ज्यादा कम्युनल आदमी नहीं हैं, उन्होंने भी कहा कि जो मुसलमान तत्व थे, जिन्होंने जुलूस निकाला, उन्होंने वहां पर दंगे कराए। आई०पी०एफ० ने कहा कि कांग्रेस ने करवाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : आपके कैसेट विष उगल रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी का नाम इन बातों के अंदर लेना उचित नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता था कि इसके अंदर माइनरटीज और मेजारटीज का नाम न लेते और इस तरह की तस्वीर पेश न करते तो ज्यादा अच्छा होता। संबल में 100 फीसदी मरने वाले हिन्दू थे, लेकिन यहां पर भाषण दिया गया कि मुसलमानों का कत्ले-आम हो रहा है।

श्री के० मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : अभी इन्होंने कहा कि बी० जे० पी० के समय में कहीं दंगे नहीं हुए, मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर, जहां कभी दंगे नहीं हुए थे, आज बी० जे० पी० की सरकार के होते हुए वहां पर दंगे हुए हैं। (व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर आपके सामने उत्तर प्रदेश के कुछ समाचार पत्र पढ़ना चाहता हूं। मुझे इस बात का दुख है कि अकबर साहब यहां पर खड़े हैं, जिन्ना ने भी कभी वह भाषा नहीं बोली जो अकबर साहब बोल रहे हैं। हैदराबाद में जो कुछ हुआ,

चेन्ना रेड्डी ने कहा कि दंगों में बी० जे०पी० का हाथ नहीं है, एन० टी० रामाराव ने कहा कि बी० जे० पी० का हाथ नहीं है, किसी ने चार्ज नहीं लगाया, लेकिन ये यहां दिल्ली में बैठ कर अपना भाषण दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें हाथ है और मरने वाले लोग कौन हैं। (व्यवधान)

आपने यह चार्ज लगाया, चेन्ना रेड्डी ने नहीं लगाया। आप जिन्ना नहीं बन सकते, कांग्रेस में रह कर आप जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश के कुछ अखबार पढ़ना चाहता हूं। वहां के मेरे पास 6-7 अखबार हैं और ये अखबार किनके हैं, कांग्रेस या जनता दल समर्थक अखबार हैं। इनकी हैड-लाइन्स देखिए। जो अखबार कांग्रेस और जनता-दल का समर्थक रहा है, जिनका मालिक इनसे संबंधित रहा है, उन अखबारों को हैड-लाइन्स देखिए। "मस्जिदों से सुरक्षा बलों के खिलाफ जेहाद का ऐलान, कानपुर में स्थिति विस्फोटक, सेना, पी० ए० सी० के दस्तों से अल्पसंख्यकों का घमासान युद्ध—10 मरे।" उपाध्यक्ष महोदय, "सुरक्षा बलों पर बात लगाकर हमले", यह अमर उजाला है। तीसरा अखबार है—'अलीगढ़ में देखते ही गोली मारने के आदेश, विश्व-विद्यालय के निकट भयंकर हिंसा।" उपाध्यक्ष महोदय, ये सारे के सारे अखबार चीख-चीख कर उजागर कर रहे हैं कि दंगे कौन करा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, ये दंगे क्यों हुए ? ये अत्याचारों के कारण नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में···* ··ने सब जगह जा-जाकर लोगों से कहा, मुसलमानों से कहा कि हथियार इकट्ठे करो, अबैध हथियार रखो और हथियार लेकर बाहर निकल आओ। उसके कारण दंगे हुए।···*···, की सद्भावना यात्रियों ने दंगों को फैलाया। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अभी बार-बार कैसेट्स का जिक्र किया जा रहा है। मैं कैसेट्स पर ही बोल रहा हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० चिदम्बरम : आपका अपने कैसेटों के बारे में क्या कहना है ? उस कैसेट को यहां बजाया जाए, पूरे सदन को सुनने दिया जाए, फिर वे निर्णय करें कि भावनाओं को कौन भड़का रहा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, आज कैसेट्स का जिक्र हो रहा है। आज के नवभारत टाइम्स में, कश्मीर से एक शकील अख्तर ने, एक मुसलमान ने रिपोर्ट भेजी है और इस अखबार में छपी है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर के अन्दर धड़ल्ले से जो कैसेट्स बिक रही हैं अगर कोई आदमी उन कैसेट्स को सुने, जो कश्मीर में बिक रही हैं, शकील अख्तर उसके बारे में खुद लिख रहे हैं, मैं उसको पढ़ कर सुनाता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बालगोपाल मिश्र (बोलनगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मुलायम सिंह यादव इस सदन

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के सदस्य नहीं हैं और वे अपना बचाव प्रस्तुत करने के लिए यहां नहीं हैं। दुर्भाग्यवश श्री मल्होत्रा ने उनके नाम का यहां उल्लेख किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी व्यवस्था का प्रश्न मैं स्वीकार करता हूं। उनके नाम का कार्यवाही वृत्तान्त में उल्लेख नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने जिस तरह के भाषण दिए यात्रा और मुसलमानों से कहा कि हथियार इकट्ठे करो, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में दंगे हुए। (व्यवधान)

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : उन्होंने सद्भावना की, उसकी वजह से दंगे दबे हैं। जो उन्होंने आग लगायी थी उसकी वजह से भड़के थे।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं कांग्रेस को दोष दे रहा हूं। वह···*···का समर्थन कर रही है। आपकी मर्जी के खिलाफ कांग्रेस···*···को समर्थन दे रही है और जो हत्याओं के लिए जिम्मेदार है उसको आप फायदा पहुंचा रहे हैं। उसको आपने बनाए रखा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा के भाषण के तुरंत बाद यदि श्री संतोष मोहन देव को कुछ कहना है तो मैं उन्हें बोलने का मौका दूंगा। मैं सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे सदन को संबोधित करें और सदन के माध्यम से जनता को। वे आपस में एक दूसरे से बात न करें क्योंकि इससे बहुत कठिनाइयां हो रही हैं।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : कश्मीर के अन्दर जो कैसेट बिक रहे हैं और यह लिख रहे हैं अखबार के श्री शकील अख्तर, कि उनको कोई सुन ले तो उसको देखकर ऐसा भीषण देशद्रोह उनके मन में पैदा होता है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने लिखा है कि दो और कैसेट हैं जिन्हें भी सुनकर मुरदे जाग जाएं। ऐसे भीषण देशद्रोहपूर्ण कैसेट देशभर में बिक रहे हैं तो क्या आप में से किसी को यह नजर नहीं आता।·····(व्यवधान) आपको यह नजर नहीं आता है कि अयोध्या में जो कार-सेवक गए, जो शांति पूर्ण और बिना हाथ में कंकर लिए हुए, बिना डंडा लिए हुए, शांति से रामधुन गाते हुए गए तो उन पर गोलियां चलाई गईं और सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी गई।···(व्यवधान) वहां पर कोठारी बंधुओं को घर से निकालकर, दोनों भाइयों की कनपटी पर बंदूक रखकर गोली से उड़ा दिया गया। उसके बारे में कोई कैसेट बनाए तो यह कहा जाता है कि सांप्रदायिक बात है। आखिर सरकार ने इन लोगों को क्यों मार डाला है। वहां पर उनका क्या कसूर था। देश में दोहरी बात नहीं चल सकती। मैं चन्द्र शेखर जी से कहना चाहता हूं कि जो लोग

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बड़े जोर-शोर से प्रचारित कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि मरने वाले में केवल माइनोरिटी का कत्ले-आम हो रहा है यह अच्छी बात नहीं कि मजहब के नाम पर मरने वालों की कोई गिनती की जाए। परंतु जितने मरे हुए हैं उनके विषय में सरकार व्हाइट पेपर इश्यु करे कि कितने हिन्दू और मुसलमान मरे हैं। इससे लोगों में स्थिति सामने आ जायेगी। सी० आई० डी० की रिपोर्टों को भी सामने लाना चाहिए। रिपोर्टें सामने आने से पता चलेगा कि किन्होंने दंगे शुरू किए हैं और दंगा शुरू करने वाले कौन हैं। आप उनकी रिपोर्ट अगर दबा दें और स्वार्थी लोगों की दूसरी रिपोर्ट सामने लाएं तो न्याय नहीं होगा। सोज साहब दिल्ली से बाहर कश्मीर में कदम नहीं रख सकते। यहां बैठकर के जनरल वरडिक्ट देते हैं तो उससे काम नहीं चल सकता। तीन-चार बातें मैं और कहना चाहता हूं। यहां पर सचमुच में राम जन्म भूमि का जिक्र किया गया और इस सदन में जितने मुसलमान भाई बैठे हैं तो वे यह बता दें कि क्या वह स्थान जहां पर नमाज नहीं होती क्या वह मस्जिद हो सकती है? जहां नमाज नहीं पढ़ी जाती और दो सौ किलोमीटर के अन्दर मुसलमान नहीं जा सकता, क्या वह मस्जिद हो सकती है··· (व्यवधान) जहां पर रामलला की मूर्ति रखी हुई है और जिस स्थान पर अखंड पूजा हो रही है उसे बार-बार जिक्र करके मस्जिद का रूप बनाया जा रहा है··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० विप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय सदस्य ने न्यायालय का उल्लेख किया है। उन्हें न्यायालय के निर्णय को मानना चाहिये।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में साम्प्रदायिक दंगे खत्म कैसे हो सकते हैं। आश्चर्य है कि जो लोग दो राष्ट्रों की थ्योरी की बात करते हैं और दो राष्ट्रों के सिद्धान्तों पर देश का विभाजन करते हैं और जो लोग मल्टी नेशनल की बात करते हैं और कहते हैं कि हिन्दुस्तान एक राष्ट्र नहीं है और कई राष्ट्रों का समूह है। वह तो राष्ट्रीय बनते हैं और हम जो एक राष्ट्र की बात करते हैं, वह साम्प्रदायिक है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इस देश में एक राष्ट्र है, एक संस्कृति है और इस देश की एकता व एकात्मकता रहनी चाहिए। उनके बारे में यह कहा जाता है कि ये कम्युनलिज्म की बात करते हैं।

[अनुवाद]

डा० विप्लव दासगुप्त : आपकी नीतियों से देश का विघटन हो जायेगा।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, सारा सदन इस बात को स्वीकार करे कि इस देश के लोगों के साथ मजहब के आधार पर, पूजा-पद्धति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा चाहे मैजोरिटी हो या माइनोरिटी हो। मुझे तकलीफ होती है जब यह कहा जाता है कि साम्प्रदायिकता मैजोरिटी की हो सकती है, माइनोरिटी की नहीं हो सकती है, 42 साल तक आप लोगों ने तुष्टीकरण करके बहुसंख्यकों को दबाया है। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : सी० पी० एम० ने मुस्लिम लीग के साथ पैक्ट किया या नहीं, यह बतायें। (व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : जब सदन में साम्प्रदायिकता को खत्म करने की बात हो रही है और साम्प्रदायिक दंगों को रोकने की बात कही जा रही है तो सदन में इन चीजों पर तो विचार किया ही जाये लेकिन इन सब बातों से उठकर इस पर भी विचार किया जाये कि जो लोग दंगे करा रहें हैं वे कौन हैं··· (व्यवधान) पाकिस्तान इस देश को तबाह करने की साजिश कर रहा है और जो पाकिस्तानी एजेंट्स के कारनामों को छिपाना चाहते हैं या पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब होने से रोक देना चाहते हैं वे लोग भी दंगों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं जो इस देश के अन्दर मुस्लिम वोटों के ठेकेदार बने हुए हैं वे मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मुस्लिम वोटों के ठेकेदार जो यहां पर हैं··· (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर : आप हिन्दू वोटों के ठेकेदार बने हुए हो।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मुझे तो कम्युनिस्ट पार्टी से कोई हैरानी नहीं होती, वह शुरू से ही इस देश की राष्ट्रीयता और संस्कृति को तबाह करने पर तुली हुई है ··(व्यवधान) कम्युनिस्ट पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि इस देश में जब तक धार्मिक भावना रहेगी तब तक कम्युनिज्म नहीं आ सकता, इसलिए वह यहां धर्म को तबाह करना चाहती है। (व्यवधान) मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से अवैध हथियार लाये गये हैं और इकट्ठे किये जा रहे हैं, सरकार को चाहिए और मैं प्राइम मिनिस्टर से अपील करना चाहता हूं कि आप इस बात को देखें कि पाकिस्तान से जो हथियार आ रहे हैं, पाकिस्तान तस्करी के जरिए जो अवैध हथियार भेज रहा है और शहर-शहर के अन्दर अवैध हथियारों की फैक्टरीज खुली हुई हैं इनको क्यों नहीं रोका जा सका। प्राइम मिनिस्टर कदम उठाना चाहते हैं तो अवैध हथियारों को बन्द कीजिए, उनकी फैक्टरीज बन्द कीजिए, घर-घर से तलाशियां लीजिए, जिस घर से अवैध हथियार मिले उनको सख्त से सख्त सजा मिले तभी यह चीज बन्द हो सकती है।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : : तुम्हारे त्रिशूल कहां गये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मि० जोशी, मि० मक्कासर आप बैठ जायें, प्लीज। मैं सम्माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि जो बोलने के लिए खड़ा है, उसको आप सुनते ही नहीं हैं और एक दूसरे के साथ बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं। इससे मुश्किल हो जाती है। जोशी जी, आप भी बार-बार खड़े हो जाते हैं। जब मैं खड़ा हूं तो आप लोग बैठ जायें लेकिन आप भी खड़े हो जाते हैं। यह बात ठीक नहीं है। मैं मि० जोशी और मि० मक्कासर दोनों से यही कहूंगा कि आप बैठ जायें। यह ठीक नहीं है कि आप दोनों आपस में बोलने के लिए खड़े हो जायें। प्लीज आप लोग बैठ जायें।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उपाध्यक्ष महोदय, बंगला देश से दो करोड़ से ज्यादा लोग घुसपैठ करके हिन्दुस्तान में आए हैं। उनकी पहचान करें कि कोई विदेशी नागरिक हिन्दुस्तान में कैसे आ सकता है? जो दो करोड़ आये हैं, उनमें से बहुत से लोग यहां के दंगों में लिप्त हैं उनको यहां से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार, ये विदेशी लोग घुसपैठ करके हिन्दुस्तान में कैसे आ सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान से जो बीजा लेकर आते हैं और यहां ओवर स्टे करते हैं, उनकी अवधि खतम हो गयी है, फिर भी यहां बैठे हुए हैं?

बीजा लेकर आने के बाद जो यहां ओवर स्टे कर रहे हैं, उनमें से ऐसे बहुत से लोग हैं जो सेंसटिव एरियाज में काम कर रहे हैं, उनको बाहर निकाला जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी अपील करना चाहता हूं कि अगर इस देश में मजहब के आधार पर एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्ज चलेंगी, चाहे वे हिन्दू हों, मुस्लिम हों, सिक्ख हों या ईसाई हों तो उनमें मजहब के आधार पर एडमिशन होना, मजहब के आधार पर अलीगढ़ की तरह यदि यहां पर यूनिवर्सिटीज बनाई जायेंगी जो विद्यार्थी मजहब के आधार पर दाखिला लेगा वह मजहब के आधार पर ही सोचेगा। इसलिए उन सभी यूनिवर्सिटीज में शिक्षा का सारा का सारा तरीका एक जैसा करना चाहिए। इसमें कोई मजहब की बात नहीं आनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में कॉमन सिविल कोड की बात कही गई है फिर इस बात को न मानना और सबके लिए बराबर न रखना, यह भेदभाव पैदा कर रहा है। मैं एक बात और कहकर समाप्त करना चाहता हूं। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर वे सद्भाव यहां रखना चाहते हैं तो उन लोगों को इस देश की बहुमत आबादी से कोई खतरा नहीं है, यदि उन्हें खतरा है तो केवल उन लोगों से जो इस "मैंड रेस" में मुस्लिम वोट के ठेकेदार बनते हैं, उनसे इन लोगों को खबरदार रहना चाहिए। मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप एक बार राम जन्म भूमि राम जन्म स्थान पर बनने वाले मन्दिर में एक शिला डालकर तो देखें, इस देश में हिन्दू-मुसलमान में कैसा सद्भाव बनता है और यहां शान्ति पैदा होती है ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहमत हूं कि इस देश के अन्दर रहने वाला मुसलमान, सिक्ख या ईसाई या अल्पसंख्यक इस देश का पूरा नागरिक है वह दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं होना चाहिए। परन्तु एक हजार साल तक हिन्दुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर रखा गया। अगर यही अब वह आगे दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं रहेगा हिन्दुओं से अन्याय को ही यदि सेक्यूलरिज्म बनाकर रखा गया तो इस देश में साम्प्रदायिक शान्ति नहीं हो सकती। साम्प्रदायिकता को खत्म करने का एक ही तरीका है कि सारा देश एक राष्ट्र हो, उसकी एक संस्कृति हो और सारे भारतवर्ष का हर आदमी इसको भारतमाता मानकर अपने को उसका पुत्र समझे तभी यहां शान्ति रह सकती है।

श्री देवी लाल : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन यहां ठेकेदारी की बात चल पड़ी। मुस्लिम वोटों के ठेकेदार ये सारी हवा बढ़ा रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं डिप्टी स्पीकर साहब आपकी मार्फत, कि पाकिस्तान बनने से पहले पंजाब जिस समय हरियाणा था उस वक्त भी शासन यही लोग किया करते थे, सिर गिना दिया करते थे हरियाणा के और सरकार इनकी चला करती थी। हम कोशिश किया करते थे कि मुसलमानों को आर्थिक आधार पर साथ लेकर चलो, आर्थिक आधार इनका कोई था नहीं। उन दिनों में पाकिस्तान का सिर्फ मुस्लिम लीग नाम चला करता था, मुल्क तब एक था। लेकिन इन बी० जे० पी० वालों ने उन दिनों में जब ये जनसंघ थे··· (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : जनसंघ तो 1951 में बना था···(व्यवधान)

श्री देवी लाल : उससे पहले दूसरे नाम से था···(व्यवधान) मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, उन दिनों जनसंघ नहीं था लेकिन एक भावना थी शहरी लोगों की।

चौधरी छोटूराम थे जिन्होंने आर्थिक आधार पर हिन्दुस्तान के मुसलमानों को, सिखों को, हिन्दुओं को इकट्ठा किया था और उस छोटूराम को ये छोटू खां कहा करते थे और आज मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम सिंह कहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये झगड़े तुम्हारी वजह से हुए या किसी और की वजह से ? अगर ये राम जन्म भूमि यात्रा होती तो सोमनाथ से चलकर के सीधे अयोध्या पहुंचनी चाहिए थी लेकिन सारे हिन्दुस्तान का दौरा करके बंगाल से आगे, बिहार से आये गए। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि राम जन्म भूमि तो ढाई सौ साल पहले भी थी; 40 साल तक ये कांग्रेसी राज करते रहे, उनको याद क्यों नहीं आई ? अब जबकि हिन्दुस्तान में गांव वाले लोगों में एक भावना पैदा हो गई, उस भावना की बदौलत ये आ गए, अगली दफा आएं फिर देखूंगा। (व्यवधान) मैं बता रहा हूं आप लोग मक्कासर को कहते हो—बीकानेर में लोक सभा के चुनाव में मक्कासर को हराने के लिए तुम्हारा बी० जे० पी० का उम्मीदवार खड़ा हुआ था और उसके बावजूद तुम ठेकेदार बने फिरते हो राजस्थान के। ये ठेकेदारी तो जल्दी साफ हो जाएगी लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं उसे सुन लो··· (व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : मैं जिम्मेवार होऊंगा अगर तुम कोटा की सीट से जीत कर दिखा दो। (व्यवधान)

श्री देवी लाल : मैं डिप्टी स्पीकर साहब, आपसे अर्ज कर रहा था कि जब चारों तरफ यह भावना पैदा हुई और हिन्दुस्तान में जब 548 मेम्बर थे इस लोक सभा में प्रोफेसर एन० जी० रंगा यहां बैठे थे, चौधरी रणबीर सिंह, डॉ० राम सुभग सिंह और चौधरी बदन सिंह बदायूं से और गुजरात से सरदार पटेल। इन लोगों ने दुखी होकर हमने अलग होने का फैसला किया। (व्यवधान) हरियाणा को भी इन्होंने अलग करने की कोशिश की। मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया क्योंकि पंजाब में राज ये करते थे और इस राज करने की वजह से हमारे अन्दर किसानों के अन्दर एक भावना पैदा हुई कि इन शहरियों से किसी तरीके से पीछा छुड़ाएं। हमने अकालियों के साथ बैठकर के फैसला किया कि इनसे पीछा छुड़ाओ। तुम पंजाबी सूबा जो भी चाहते हो पंजाब में संभालो, हम हिन्दुस्तान में हिन्दी हरियाणा मांगते हैं। हमने मिलकर यह एजिटेशन लड़ी थी और एजिटेशन क्यों लड़ी थी इसकी मिसाल दे दूं आपके सामने। हमारे कांग्रेस पार्टी की मीटिंग थी···

एक माननीय सदस्य : आपकी कांग्रेस ?

श्री देवी लाल : हां, मैं कांग्रेसी था (व्यवधान) अब मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। (व्यवधान) हमारी पार्लियामेंटरी पार्टी की मीटिंग थी कांग्रेस की। मैं कांग्रेस का मेंबर था। तो जमीन हमारे यहां गुहला चीका के पास जमीन थी जो सैण्ड यूटिलाइजेशन एक्ट के तहत हरिजनों को देनी थी पर यह जमीन देने लगे अमृतसर-गुरदासपुर के हरिजनों को। हमारे बाबू मूलचन्द थे

5·00 म० प०

। उन्होंने कहा कैरो साहब, जमीन अगर हरिजनों को देंगे तो हरियाणा वालों को क्यों नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि दरख्वास्त ही नहीं दी किसी ने। उस समय पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर थे सच्चर साहब, उन्होंने कहा कि हम क्या करें किसी हरियाणा वाले की एप्लीकेशन ही नहीं है।

सच्चर साहब उन दिनों चीफ मिनिस्टर थे। मैंने उस समय जैन साहब से खड़ा होकर कहा था कि ये बेचारे क्या करें, हमारे यहां कोई दरख्वास्त देने वाला ही नहीं है। आपको यह सोचकर चलना चाहिए कि पंजाब का बनिया हमारे बनिये से ज्यादा होशियार है। पंजाब का हरिजन हमारे हरिजन से कहीं ज्यादा होशियार है। पंजाब का जाट हमसे कहीं अच्छा है। पंजाब का एम० एल० ए० हमसे ज्यादा चालाक है। सच्चर साहब बोले : क्या आपसे भी ज्यादा कोई है। मैंने कहा : इसमें कोई शक है क्या ? लुधियाना से 11 में से 9 अकाली एम० एल० ए० आए हैं और दो आप कांग्रेसी हैं—एक श्री दीवान जगदीश चन्द्र और एक भीमसैन सच्चर। आप तो उसमें से मीडर बन गए और वह सैक्रेटरी। हम जिले से 11 की टीम लिए फिरते हैं फिर भी हमें कोई पूछता नहीं। इसी वास्ते हमने यह सोचा कि इनसे पीछा छुड़ाओ। पीछा छुड़ाते ही इधर हरियाणा बन गया और उधर पंजाबी सूबा बन गया। उसके बाद मैंने सारे हिन्दुस्तान को इकट्ठा किया और कहा कि किसी तरह से इन शहरी अमीरों से पीछा छुड़ाओ। उसी का नतीजा यह हुआ कि हम 319 यहां बैठे हैं, उनके साथ नहीं गये। उन 319 में से एक प्राइम मिनिस्टर श्री चन्द्र शेखर ये बैठे हैं और मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हूं। (व्यवधान) मैं दुआ देता हूं आपको कि आपकी मेहरबानी से ही हम यहां आए हैं। जहां पहले गोपी चन्द भार्गव थे, वहां आज बादल और सिमरन जीत सिंह मान आ गए हैं। जहां भीम सैन सच्चर जैसे लोग राज करते थे, वहां आज चौटाला, हुकम सिंह और बंसी लाल जैसे लोग आ गए हैं। जहां पहले चन्द्र भानु गुप्त हुआ करते थे आज वहां मुलायम सिंह आ गये, जिनके खिलाफ आपको सख्त शिकायत है। जहां पहले ललित नारायण मिश्र हुआ करते थे आज वहां लालू प्रसाद आ गये हैं। जहां पहले मोहन लाल सुखाड़िया हुआ करते थे, आज वहां भैरों सिंह शेखावत आ गए। जहां पहले हितेन्द्र देसाई हुआ करते थे आज वहां चिमन भाई पटेल आ गए। कहीं बंगारप्पा आ गए तो कहीं जनार्दन रैड्डी आ गए। मतलब यह कि सारे के सारे गांव वाले राज में आ गए तो अब इन लोगों को यह आग लगी कि तुम्हारे पास कोई आर्थिक प्रोग्राम तो है नहीं, कर्जे तुम माफ नहीं कर सके, बुड्ढों को पेंशन तुम नहीं दे सके, बिजली पानी का प्रबन्ध तुम नहीं कर सके इसलिए अब तुम धार्मिक भावनाएं भड़काओ। अतः इन लोगों ने राम जन्म भूमि का मसला उठाने की बात सोची। वही आज राम जन्म भूमि बन गयी है। पुराने वक्तों में एक कहावत हुआ करती थी और वह काफी हद तक असलियत भी थी, रामचन्द्र जी ने कहीं सुन लिया जब एक धोबी बैठा हुआ अपनी धोबिन से कह रहा था कि मुझे राम मत समझ लेना जो कि लंका में रही सीता को घर रख लिया। इस कारण सीता को वनवास करना पड़ा। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया··· (व्यवधान)···अरे, सुनो भी तो। उसी का तो नतीजा है कि हम इधर के इधर बैठे हैं, हम अपनी असली जगह पर ही हैं और तुम्हें यहां से हटकर उधर जाना पड़ा। तुम ही हमें छोड़कर गए हो। मेरा कहने का मतलब है कि जब इन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो इन्होंने रथ यात्रा शुरू की। वह रथयात्रा अश्वमेध यज्ञ की तरह की। लेकिन सीता को तो मालूम था कि घोड़ा किसका है। उन्होंने घोड़े की लगाम छोड़ने के लिए लव और कुश को कहा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर तुम इतने राम भक्त हो तो लाहौर और कसूर जिसे लव और कुश ने बसाया था उनको लेकर दिखाओ जो आज पाकिस्तान में हैं। क्या इसी तरह से चक्रवर्ती राजा बनना चाहते थे। हमने बड़ी मुश्किल से राज लिया है। आप यों चक्रवर्ती राजा नहीं बन सकते। इसी वास्ते मैंने लालू प्रसाद यादव को मुबारकबाद दी कि लालू प्रसाद तुमने खूब हिम्मत की कि रथ की लगाम को तो पकड़ा। जिस तरह

से इन्होंने कम्यूनल भावनाएं भड़काने की कोशिश की, हिन्दू मुसलमानों के बीच झगड़ा खड़ा किया और यहां बैठकर कांग्रेस की सरकार और हम पर दोषारोपण करते हैं, हमारा नाम लेते हैं लेकिन इग्वौर और अहमदाबाद तथा राजस्थान में जो झगड़े हुए हैं वे किसने करवाए हैं ? वे सब झगड़े आप लोगों ने करवाए हैं । (व्यवधान) सब आपने करवाए हैं ।

श्री फूल चन्द वर्मा (शाजापुर) : मध्य प्रदेश किसका है ? मुलायम सिंह के पाप कौन ढो रहा है ?

श्री देवी लाल : मुलायम सिंह का दर्द आपको होना चाहिए । उसने सारे किसानों को इकट्ठा किया । जब मुलायम सिंह ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और सद्भावना सभायें शुरू कीं तो उनकी सभाओं में लाख दो लाख आदमी आने लगे ।

हिन्दुस्तान से जो पैदा हुआ है वह चाहता है कि हिन्दुस्तान में सद्भावना पैदा हो । मैं पूछना चाहता हूं कि जनरल नियाजी को एक लाख फौज को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया, वह किसने किया ? जनरल अरोड़ा ने किया । जब पाकिस्तान समझौते के तहत उन एक लाख फौजियों को भेजने की बात हुई तो एक साल लगा । कुवैत से 1 लाख 28 हजार कहते निकाल लिए । उनको निकालने में सारे समुद्री और हवाई जहाज लगा दिए । मैं पूछना चाहता हूं, 12 करोड़ मुसलमान हैं, तुम्हारी जो नीति है, उसके अनुसार उनको निकाल दो, तो कितना वक्त लगेगा और कैसे और कहां उन्हें भेजोगे । यह झगड़ा और करवा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल गलत है । ये ऐसा भाषण दे रहे हैं जिससे दुनिया के अंदर भारत की तस्वीर खराब होगी । ये भारत की तस्वीर को खराब करना चाहते हैं । यह किसने कहा है कि देश से मुसलमानों को निकालना चाहते हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, यह छोटी-सी बात नहीं है । हिन्दुस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यह कह रहा है कि हिन्दुस्तान के लोग हिन्दुस्तान के 12 करोड़ मुसलमानों को यहां से भगाना चाह रहे हैं । यह कैसे कह रहे हैं ? यह किसने कहा है ? यह कहां कहा है ? पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज इनकी बात को बार-बार उठायेंगे और कहेंगे कि हिन्दुस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि 12 करोड़ मुसलमानों को हिन्दुस्तान से भगाना चाहते हैं । इसलिए इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए । यह हिन्दुस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है । (व्यवधान)

श्री देवी लाल : हिन्दुस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सच्ची बात कह रहा है । जो देख रहा है उसके मुताबिक कह रहा है ।

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, ये जनता दल के नेता नहीं हैं बल्कि यहां देश के उप प्रधान मंत्री हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि ये ऐसी छोटी बातें न करें । (व्यवधान)

श्री देवी लाल : मैं यह कह रहा हूं कि इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है । (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय भारतीय जनता पार्टी पर बहुत प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं । उनका उत्तर समय पर मिल जाएगा । मौखिक उत्तर अभी भी मिल रहा है और समय पर जनता भी उत्तर दे देगी, लेकिन मैं उप प्रधान मंत्री जी से

आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कोई मेरी पार्टी का व्यक्ति है जिसने ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात कही है कि मुसलमानों को हिन्दुस्तान से निकाल देना चाहिए, तो मैं चाहूंगा उसके बारे में, मैं बात करूं क्योंकि मैं इस बात पर गर्व करता हूं कि जब हिन्दुस्तान का विभाजन हुआ और धर्म के नाम पर पाकिस्तान ने मजहबी राज्य घोषित किया तो भी भारत ने इस वर्तमान संविधान को स्वीकार किया जो कि सैकुलर संविधान है जिसमें सबको समान अधिकार प्राप्त हैं। कोई नागरिक अव्वल दर्जे का नहीं, कोई दूसरे दर्जे का नहीं है। मैं मानता हूं कि इसको बदलने की कोई भी अगर कोशिश करता है तो वह गलत कोशिश करता है, मेरी पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ है। (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह मक्कासर: हमारे पास कैसेट है, हम आपको बताएंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने कैसेटों को सुना है। (व्यवधान)

मैंने विडियो कैसेट भी देखा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

चौधरी देवी लाल जो बात कह रहे हैं तो वह चौधरी देवी लाल जी नहीं कह रहे हैं, देश का उप प्रधान मंत्री कह रहा है और उप प्रधान मंत्री द्वारा ऐसी कोई बात कही जाएगी तो उसका परिणाम देश में ही नहीं विदेश में भी होता है, इस बात की सावधारी बरतिए। (व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख है कि इस तरह का विवाद यहां पर खड़ा हुआ है। जब चौधरी साहब बोल रहे थे तो मैं आडवाणी जी को विश्वास दिलाता हूं कि उनका यह मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को देश से बाहर निकालना चाहती है। कुछ लोग ऐसे नारे लगाते हैं "बाबर की सन्तान छोड़ो हिन्दुस्तान"। (व्यवधान)

मैं ऐसा समझता हूं कि चौधरी साहब उस तरह के नारों का जिक्र कर रहे थे कि अगर सारे देश से निकालने की बात कही गई तो वह गलत है। भारत के संविधान में सबको समान रूप से रहने का अधिकार है। दुनिया के सामने हम यह चित्र पेश नहीं करना चाहते हैं, कोई भी किसी को इस देश से निकालने की कोशिश करेगा तो यह सरकार इस बात की इजाजत नहीं देगी चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। चौधरी साहब का मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीति से नहीं था, उन नारों से था जो नारे कुछ लोग लगाते हैं और इसके लिए आप लोग जिम्मेदार नहीं हैं तो यह अच्छी बात है। (व्यवधान)

श्री देवी लाल: आडवाणी साहब ने कहा कि हमारी तरफ से किसी वक्ता ने ऐसा कहा। अभी आपके सामने पाकिस्तान का एजेन्ट तक तो कह दिया गया है कि सामने जो बैठे हैं वह पाकिस्तान के एजेन्ट हैं। इन्होंने कहा कि जो बोल रहा है वह उप प्रधान मंत्री बोल रहा है। मैं आडवाणी साहब से पूछता हूं कि जब रथ यात्रा कर रहे थे तो उस वक्त बी० जे० पी० के प्रधान थे। उस रथ यात्रा से सारा माहौल बिगड़ा है। उस वक्त हिन्दू धर्म नहीं था, इनका हिन्दू धर्म तो बटैची में, बीफ केस में होता है। हिन्दू धर्म तो हमारा है, देश हमारा है। मैं कहता हूं कि मेहरबानी

करके हिन्दू धर्म के नाम पर ठेकेदारी न लो, हिन्दू हम भी हैं। हमें पंजाब ने हिन्दू नहीं माना था। जो यह शोर-शराबा करते हैं उनको मैं तसल्ली दिलाता हूं कि हम इलैक्शन से नहीं डरते हैं। इलैक्शन आया तो तुम्हारा पत्ता साफ हो जाएगा, हिन्दू-मुस्लिम झगड़े तुम नहीं करवा सकोगे। (व्यवधान)

आज ये सब बहुत शोर कर रहे हैं। इस्तीफा ये भी दे दें और मैं भी दे दूं तो इन्हें पता चल जायेगा कि राजस्थान में किसका दबदबा है? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : आप हमारी बदौलत ही राजस्थान से जीत कर आये। अगर आप में थोड़ा भी दम होता तो राजस्थान का दौरा अवश्य करते। (व्यवधान)

श्री देवी लाल : आपने तो बीकानेर में जोर मारा था लेकिन मक्कासर मेरी बदौलत ही वहां से जीत कर आया, न कि आपकी बदौलत। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जायें। मैं सारे सम्माननीय सदस्यों से रिकवेस्ट करूंगा कि आप सब जब आपस में इस प्रकार से बात करते हैं तो बोलने वालों को तकलीफ होती है। मैं विभिन्न पार्टियों के लीडरों से और उनके चिप से यह रिकवेस्ट करूंगा कि वह अपने मेम्बरों को इस प्रकार बोलने से रोकें क्योंकि मैं अकेला सब लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेते हुए मुझे बहुत अधिक परेशानी, दुख और अप्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हमारे संविधान में धर्म-निरपेक्षता का प्रावधान होते हुए भी हमें आजादी के 43 वर्ष बाद देश में सांप्रदायिक तनाव पर चर्चा करनी पड़ रही है। देश की स्थिति और वे मुद्दे, जिनसे देश में तनाव पैदा हो रहा है तीन चार घंटों के चर्चा के दौरान वे ही मुद्दे सदन में भी तनाव पैदा कर रहे हैं। मैंने जनता पार्टी, श्री इन्द्र कुमार गुजराल, प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा और अन्य सदस्यों की बात को तन्मयता से सुना है। सबसे पहले मैं अपने दल की ओर से इस सरकार की एक उपलब्धि के लिये वर्तमान सरकार तथा प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं। राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर जो दोनों पार्टियां लड़ रहे हैं उन्हें बातचीत के लिये सहमत कर लिया गया है। इसके अलावा, उन्हें दस्तावेजों के आदान-प्रदान करने के लिये कहा गया है। यह सही दिशा में उठाया गया सही कदम है। मेरे विचार से इससे निश्चय ही 43 दिन पुरानी इस सरकार के सम्मान में इससे वृद्धि हुई है। मैं आशा करता हूं कि इस चर्चा के पश्चात् पूरा सदन एक मत से यह संकल्प पारित करेगा कि जाति और धर्म के नाम पर विभाजित देश को पूर्व स्थिति में लाने तथा देश में घट रही दुखद घटनाओं को भुलाने के लिये सरकार को सभी तरह के समर्थन के साथ-साथ राजनीतिक समर्थन दिया जाए ताकि सरकार द्वारा इस दिशा में शुरू किये गये प्रयासों को जारी रखा जा सके। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा धर्मनिरपेक्षता की बात कही है और भविष्य में भी कहेगी। चाहे इसके लिये कांग्रेस पार्टी को कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े लेकिन वह धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी। यह हमारा सिद्धांत है और हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि वर्तमान सरकार भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाए रखेगी और साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ेगी जो कि हमारे देश की वर्तमान परिस्थितियों में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा

बन गया है··· (व्यवधान) ···मैंने श्री वी० के० मल्होत्रा को भी सुना है जो कि बड़े बहुत अच्छे मित्र हैं। जिस ढंग से उन्होंने बात कही, उसकी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। उन्होंने इस सदन में यह प्रमाणित कर दिया है कि उनके दल के बारे में जो भी बताया गया है, वह सच है। उनके भाषण का ढंग कैसा था ? अब उन्होंने उप प्रधान मंत्री पर आरोप लगाने की चेष्टा की है। वह एक विशेष बात ही क्यों दोहरा रहे हैं ? मैं श्री विजय कुमार मल्होत्रा से निवेदन करता हूं कि वह इसका उत्तर दें। उनका यह कहना है कि इस देश में मुसलमानों की जनसंख्या 3 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है और इससे देश को खतरा उत्पन्न हो गया है। आप पाकिस्तान और बंगलादेश को क्या संदेश देना चाहते हैं ? अभी-अभी उन्होंने इस संबंध में भाषण दिया। आपने यह कहा कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है, वहां कोई दंगे नहीं हो रहे हैं। मैं इससे सहमत हू क्योंकि आप अपने राज्यों में गड़बड़ फैलाना नहीं चाहते हैं। इसलिए आप श्री मुलायम सिंह यादव, श्री चिमनभाई पटेल और दूसरे कांग्रेस और गैर-कांग्रेस शासित राज्यों में जाकर अशांति फैलाते हैं, जहां पर आपकी सरकार नहीं है। आप शांति के दुश्मन हैं। सारा सदन एक निर्णय पर पहुंच चुका है और अगर आपमे सदन के निर्णय को समझने की शक्ति है तो आपको यह निर्णय लेना चाहिए कि अब काफी हो चुका है, इसके पश्चात् और कोई दंगा-फसाद नहीं होगा। मैं आपको यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप राष्ट्र को 'हिन्दू राष्ट्र' के आधार पर विभाजित कर रहे हैं। क्या मैं श्री आडवाणी जी और श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी से यह कहता हूं कि ईरान और इराक मुस्लिम राष्ट्र होने के बावजूद आपस में क्यों लड़ रहे हैं ? बेगम खालिदा और बेगम हसीना बंगलादेश की गलियों पर अपना आन्दोलन क्यों चला रही हैं जबकि वह एक मुस्लिम राष्ट्र है। श्रीमती बेनजीर भुट्टो सत्ताच्युत होकर सड़क पर क्यों आई हैं तथा लड़ने का आह्वान कर रही हैं; यह इसलिए क्योंकि इसका संबंध आर्थिक स्थिति से है जिसमें लोगों की अत्यधिक रुचि है। केवल धर्म अथवा हिन्दू राष्ट्र आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। अगर आप इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं तो यह एक अलग बात है। परन्तु क्या आप देश का विभाजन करके इसे चुनावी मुद्दा बनायेंगे ? देश की अखण्डता को खतरा पैदा हो गया है।

आपके नेता श्री आडवाणी जी ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में एक साक्षात्कार दिया है। उन्होंने क्या कहा है ? उन्होंने कहा, "मुझे गर्व है कि अपने चिह्न 'कमल के फूल' के साथ मैंने रथयात्रा का नेतृत्व किया और जब मैंने रामेश्वर से लेकर समस्तीपुर तक की यात्रा की; उस दौरान कोई दंगा नही हुआ।" इतिहास ऐसा नहीं मानता। 106 दंगे हुए। गृह मंत्री यहां पर उपस्थित हैं, और वह इस बारे में जानकारी देंगे। इतना ही नहीं, 600 लोग मारे गए। आपने यह दिखाने के लिये एक कैसेट तैयार करवाई कि अयोध्या में लोग कैसे मारे गए। जिसने भी यह किया है, चाहे वह मुलायम सिंह यादव हो या कोई और, मैं उसकी निंदा करता हूं। परन्तु उस समय प्रधान मंत्री कौन था ? वह लालू प्रसाद बनाम अन्य का खेल देख रहा था। उन्होंने कुछ समय तक श्री आडवाणी जी को यात्रा निकालने दी और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह श्री वी० पी० सिंह ही थे जिन्होंने मथुरा के बारे में कुछ भी कहने से इन्कार कर दिया था क्योंकि वहां पर आपके दल का झण्डा लगा हुआ था। उन्होंने कहा, यह एक साम्प्रदायिक पार्टी है। जब तक आप यह झण्डा नही उतारते, मैं नहीं बोलूंगा। दो से आपकी अठ्ठासी सीटें हो गईं। आप श्री वी० पी० सिंह के कारण यहां पर हैं। उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई कि एक उम्मीदवार से एक उम्मीदवार का ही मुकाबला हुआ। बहुत अच्छा। श्री वी० पी० सिंह ने आपको बनाया और आपने उसे भी तबाह कर दिया · (व्यवधान)।

हां, उसे मैंने पैदा किया। उसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और चल दिया। खैर, कृपया, मुझे तंग मत कीजिए।

मुझे बड़ा आश्चर्य है कि श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने इस सदन में कुछ मुद्दे उठाए हैं। सारे देश में इन मुद्दों पर चर्चा हुई और उन्होंने पूछा है कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब वह प्रतिदिन सुबह का नाश्ता तथा दोपहर और रात का खाना श्री वी० पी० सिंह के साथ करते थे तो आपने यह समस्याएं क्यों नहीं सुलझाईं? और अब अचानक आपको इसका अहसास हुआ।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने बहुत अच्छा भाषण दिया। परन्तु, इससे मुझे एक कहानी याद आती है। एक आदमी अपने पड़ोसी के घर में आग लगा कर अग्निशमन सेवा केन्द्र को टैलीफोन करता है। इस दौरान पड़ोसी का घर तथा उसका अपना घर जल कर राख हो जाते हैं। श्री गुजराल ने कहा कि हमें देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाये रखना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते: वह लगातार ऐसा कहते आ रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव: हां, परन्तु वह एक बात पर अपना दृष्टिकोण बदलते रहे है। उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, परन्तु यही भाषण उन्होंने अगर अपनी सरकार के शासनकाल में दिया होता तो देश को इस स्थिति का सामना न करना पड़ता। मैं उनके भाषण पर आपत्ति नहीं कर रहा। उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया परन्तु उनके भाषण से सहमत होना मेरे लिए मुश्किल है। एक बार उन्होंने यह बात इस सदन में प्रचलित करने की कोशिश की कि समस्या केवल कांग्रेस द्वारा शासित अथवा कांग्रेस के समर्थन से शासित राज्यों में है। श्री चिमनभाई पटेल आपकी सरकार के समय मुख्यमंत्री थे तथा सभी विधायकों और मंत्रियों का चयन आपने किया था। इस सरकार को कांग्रेस का समर्थन इसलिए देना पड़ा क्योंकि देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई थीं, और मैं इससे सहमत हूं; परन्तु अगर आप यह कहें कि यह कांग्रेस द्वारा शासित राज्य हैं और हम इन परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी हैं तो यह ठीक नहीं। श्री चिमनभाई पटेल को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण कांग्रेस से निकाला गया था। परन्तु जब वह आपकी पार्टी में शामिल हो गए तो वह एक अच्छे व्यक्ति बन गए। अब वह फिर वापस आ गये हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव के साथ क्या हुआ? श्री यादव, श्री ज्योति बसु तथा दूसरे नेताओं ने कानपुर में बैठक की और अब कानपुर में दंगे हो रहे हैं। श्री बसु और श्री यादव पर मैं इसका आरोप नहीं लगाना चाहता। कांग्रेस कार्यकारी समिति की बैठक में कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि यू० पी० में कार सेवकों के साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जायेगा जैसा कि श्री वी० पी० सिंह के शासनकाल में किया गया। अगर कोई हमसे यह कहे कि वे एक हिन्दू पार्टी बन गए हैं, तो हमें कोई आपत्ति नहीं, परन्तु रामजन्म भूमि तथा बाबरी-मस्जिद मुद्दे पर हमारा दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): आपका दृष्टिकोण क्या है?

श्री संतोष मोहन देव: मैं आपको बता रहा हूं।

अगर आपको ऊंचा सुनाई देता है, तो भी मैं आपको सुनाने का प्रयत्न करूंगा, परन्तु मुझे अपनी बात कहने का अवसर दीजिए।

हमारा दृष्टिकोण बड़ा स्पष्ट है कि हम मस्जिद को गिराने और मन्दिर के निर्माण की अनुमति नहीं देंगे। हम इससे सहमत नहीं कि विवादास्पद स्थान पर मन्दिर अथवा मस्जिद का निर्माण किया जाये। हमने यह कहा है कि छः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का आयोग गठित किया जाना चाहिए तथा जो दस्तावेज संबंधित पक्षों अर्थात् बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी तथा विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को दिए गए हैं, उन्हें इन न्यायाधीशों को दे दिया जाए। उन्हें इन दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए तथा यह जांच समयबद्ध होनी चाहिए तथा जो भी निर्णय इस आयोग द्वारा दिया जाए वह इन दो संबंधित पक्षों तथा सरकार को स्वीकार्य होना चाहिए। यही हमारा दृष्टिकोण है। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछ सकता हूं कि अगर उन्हें इतना अटल विश्वास है कि उक्त स्थान केवल रामजन्म-भूमि है तथा वहां पर कभी भी कोई मस्जिद नहीं थी तथा केवल मूर्ति थी, तो उन्हें न्यायालय का निर्णय स्वीकार करने में डर क्यों है? वे वैधानिक स्थिति को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने कुछ कमजोरियां पैदा कर ली हैं। आप भगवान राम के साथ राजनीति का खेल खेल रहे हैं; परन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि भगवान राम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। उचित समय पर भगवान राम आपको दण्ड देंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भगवान राम के साथ राजनीति का खेल न खेलें।

अपनी पार्टी की ओर से मैं माननीय प्रधान मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए थे और वी० पी० सिंह सरकार द्वारा भी उनका पालन किया गया और इस सरकार द्वारा भी इनका पालन किया जा रहा है कि भड़काने वाले भाषण, पोस्टर, रेडियो तथा ऑडियो कैसेट के सार्वजनिक प्रयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो कमजोरी कहां पर है? यहां जो कैसेट मौजूद है, आप उसे क्यों नहीं सुनते? आप सभी दलों के नेताओं को बुलाइये और उन्हें कैसेट सुनने दीजिए। यदि सभी नेता यह कहें कि यह कैसेट भड़काने वाली है और राष्ट्र के हित में नहीं है···

श्री आर्य पट्टनीक (मुजफ्फरपुर) : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि मैं एक और कैसेट को सुनवाना चाहूंगा जो इस समय मेरे पास है और जिसमें अयोध्या के महात्मा परमहंस से बातचीत दर्ज है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस सारी समस्या की शुरुआत सितंबर, 1984 में हुई जब उन्होंने श्री दाऊदयाल और अन्य लोगों के साथ श्रीमती गांधी से मुलाकात की थी। श्रीमती गांधी ने उन्हें बताया···**···(व्यवधान) मेरे पास टेप मौजूद है श्री परमहंस मुझसे बात कर रहे हैं···(व्यवधान)

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : हम आप पर कैसे विश्वास कर लें? हमें यह कैसे पता चलेगा कि श्रीमती गांधी ने ऐसा कहा था? हम आप लोगों को अच्छी तरह जानते हैं और राष्ट्र भी आप लोगों को अच्छी तरह जानता है। हम आप पर कैसे विश्वास कर लें? (व्यवधान)।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री जार्ज फर्नांडीज : इस महीने की अठठारह तारीख को श्री परमहंस ने मुझसे अयोध्या में यह बातचीत की। उन्होंने उस समय यह वक्तव्य दिया।...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये। मैं खड़ा हूं, कृपया बैठ जाइए।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री का उल्लेख किया गया है जो अब हमारे बीच नहीं हैं। यह साबित करना कि जो कुछ कहा गया है, वह ठीक है या नहीं काफी कठिन है। अतएव वह भाग जिसमें उनका उल्लेख किया गया है, कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, ऐसा निर्णय देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इस चर्चा को लम्बा नहीं खींचना चाहता। मैं इसी विषय तक अपने आपको सीमित नहीं रखना चाहता। जब मैंने कैसेट, पोस्टर तथा अन्य चीजों का उल्लेख किया, तो मेरा आशय उन सभी वस्तुओं से था, जो साम्प्रदायिक तनाव पैदा करती हैं और जो जाति और सम्प्रदाय के आधार पर विभाजन कर रही हैं। ऐसी सभी चीजों को हटा दिया जाना चाहिए। श्री विजय कुमार मल्होत्रा ने आरोप लगाया था कि हम उन पर लांछन लगा रहे हैं। उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नारा दे रही है जिसमें कहा गया है :

[हिन्दी]

"बच्चा-बच्चा राम का, मुसलमान बच्चा हराम का।"

यह नारा बजरंग दल द्वारा दिया गया है। श्री आडवाणी का कहना है कि वह इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। मात्र संसद में यह कह देना ही काफी नहीं है। आपको वास्तविक रूप में यह साबित करना होगा कि आप इन सबमें विश्वास नहीं करते हैं। क्या आप यह जानते हैं कि जब हमारे कांग्रेस दल ने हैदराबाद का दौरा किया और वह घायल लोगों से मिलने अस्पताल गये, उस समय उनके दल के कुछ सक्रिय व्यक्ति आये और उन्होंने कहा कि वह मुसलमानों को भारत से बाहर निकाल देंगे।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : माननीय, मैं भी हैदराबाद गया था। इनको वहां पर घुसने नहीं दिया और यह लोग वापस आ गये।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भुलावे में हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में मंडल कमीशन आन्दोलन के दौरान उन्हें और उनके नेता को छात्रों ने धक्के मारे थे। यह याद रखिये कि जब आप किसी पर कटाक्ष करते हैं, तो आपको कटाक्ष सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यह याद रखिये कि मैं गांधी जी का नहीं अपितु नेता जी का अनुयायी हूं।

यदि हम वास्तव में इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो हमें वही उपदेश देने होंगे, वही करना होगा जिसे हम सही समझते हैं। दुर्भाग्यवश राष्ट्र की वर्तमान स्थिति के कारण मन्दिर, मस्जिद, मंडल मसले बन गये हैं। मुख्यतया इस स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी और कुछ हद

तक 11 महीने पुरानी विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार भी जिम्मेदार है। उन्होंने यह काम मंडल कमीशन रिपोर्ट के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस (आई) के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करके किया···(व्यवधान)···मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य दलों के हमारे मित्रों ने हमेशा साम्प्रदायिकता का विरोध किया है। मैं इसके लिए उनकी तारीफ करता हूं। लेकिन, अब वह एक तरह से पितामह की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। वह हरेक को अपनी सलाह देते रहते हैं कि श्री चन्द्रशेखर को ऐसा करना चाहिए, श्री देवी लाल को ऐसा करना चाहिए, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को ऐसा करना चाहिए या श्री आडवाणी को ऐसा करना चाहिए। वह भूल जाते हैं कि केरल और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे राष्ट्र में वह कहीं सत्ता में नहीं हैं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा···(व्यवधान)···हमारे मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी ने आज यह स्वीकार किया कि वह कभी भी विपक्ष में नहीं थे और वह पिछली सरकार का समर्थन कर रहे थे। क्या यह सच नहीं है कि यह समर्थन न केवल उनके द्वारा, अपितु भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी दिया गया था ? आपने उस सरकार को समर्थन दिया जिसे भारतीय जनता पार्टी समर्थन दे रही थी और यह किस तरह संभव है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य का समर्थन न किया हो ?

मैं अपने व्यक्तिगत मित्र, श्री सैफुद्दीन चौधरी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा रथ यात्रा शुरू करने, देश में साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने और सरकार से समर्थन वापिस ले लेने से पहले आपने समर्थन वापिस क्यों नहीं लिया। यह आकलन मेरा नहीं है यह आपके नेता श्री सुरजीत और श्री ज्योति बसु का है। आप इस बात का उत्तर दीजिए कि आपने उस समय ऐसा क्यों नहीं किया ? उन्हें या तो यह कहना चाहिए कि उन्होंने गलती की है या फिर यह कहें कि उनके विचार से भारतीय जनता पार्टी के रवैये में उन्हें बदलाव की उम्मीद होगी।···(व्यवधान) श्री गुजराल ने यह बहुत सही प्रश्न उठाया है कि धर्म और राजनीति को आपस में नहीं मिलाया जाना चाहिए। लेकिन, आज समस्या यह है कि धर्म और राजनीति को जोड़ा जा रहा है। इसी सदन में हमारे समय में पंजाब पर एक विधेयक पारित हुआ था और उसका सभी दलों ने समर्थन किया था। मुझे प्रो० मधु दण्डवते का भाषण अभी तक याद है। शायद वह उनका अब तक का सबसे अच्छा भाषण था। उन्होंने स्थिति का आकलन किया था। उन्होंने सदन को बताया कि धर्म और राजनीति को मिलाया नहीं जाना चाहिए। परन्तु आज क्या हो रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि धर्म और राजनीति को मिलाया जा रहा है।

ऐसा कौन कर रहा है ? जो व्यक्ति आपके दाहिनी तरफ बैठे हैं। सभा को एक जुट होकर भारतीय जनता पार्टी को समझाना है कि धर्म को राजनीति से जोड़ने वाली वाली इस विचारधारा को छोड़ दे।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मेरा माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध है तथा हमारी पार्टी की भी मांग है कि उन्हें इन कैसटों, भाषणों और पोस्टरों के संबंध में तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। (व्यवधान) आपने इन बातों को अपने तक ही सीमित नहीं रखा है बल्कि जनता के बीच भी फैला दी है जिससे देश प्रभावित हुआ है। आप हमारे बिना शर्त समर्थन का भय मत कीजिए। हम

आपके साथ हैं। हम आपको समर्थन देते रहेंगे। हम ऐसा इसलिए चाहते हैं कि आप अच्छे कार्य करें। परन्तु जब तक आप सख्त कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक यह सम्भव नहीं है'' व्यवधान)

डा० बिप्लव दासगुप्त : साम्प्रदायिकता के मुद्दे पर आपकी पार्टी मूक क्यों बनी रही? (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दासगुप्त, इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया इस प्रकार से हस्तक्षेप मत कीजिए। मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। आप उनसे अपनी बातें कह सकते हैं।

(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : वह चुप हो गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह मेरी वजह से चुप हो गए हैं न कि आपकी वजह से। यदि वह आपके कारण चुप हो गए हैं तो मैं आपको बोलने की अनुमति दे दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देव, क्या आप उनकी वजह से चुप हो गए हैं?

श्री सन्तोष मोहन देव : ठीक है, मैं उनकी बात सुनूंगा।

डा० बिप्लव दासगुप्त : मेरी बात बिल्कुल साधारण ही है कि हम पश्चिम बंगाल में साम्प्रदायिकता से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। परन्तु मुझे यह प्रतीत नहीं होता कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी बैठकों तथा प्रदर्शनों के द्वारा अथवा किसी अन्य तरीके से साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए कुछ कर रही है। 5 दिसम्बर को उन्होंने कलकत्ता में एक रैली का आयोजन किया था। उसमें भाषण दिए गये। श्री ज्योति बसु के विरुद्ध आरोप लगाए गए परन्तु साम्प्रदायिकता, भारतीय जनता पार्टी तथा राम जन्म-भूमि के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी पश्चिम बंगाल में इन मुद्दों पर मूक क्यों है।

श्री सन्तोष मोहन देव : हम यह बात सभी राजनैतिक दलों से कह रहे हैं। परन्तु यह एक दिलचस्प बात है कि प्रत्येक व्यक्ति कहता 'कि चन्द्रशेखर जी एक नेक व्यक्ति हैं, वह तहुत दिनों से मेरे साथ रहे हैं।" लेकिन इसके बाद वे उनकी आलोचना करने लगते हैं।

पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र त्रिपुरा में था। श्री ज्योति बसु ने कहा था: "चन्द्रशेखर जी आ रहे हैं मैं उनसे मिलने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। उन्होंने मुझे सूचित नहीं किया है।" उसके बाद अचानक मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि प्रधान मंत्री महोदय से एक दिन पहले आने का अनुरोध किया गया है। प्रधान मंत्री महोदय वहां एक दिन पहले पहुंच गए और कुछ विचार-विमर्श किया गया। जब कभी भी केन्द्रीय सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जाता है तो

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के हल्दिया आदि मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं। मैं यह नहीं जानता कि प्रधान मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री महोदय के बीच क्या बातचीत हुई और मुख्य मंत्री महोदय को क्या दिया गया। तत्पश्चात् श्री ज्योति बसु ने कहा :

"कुछ मुद्दों पर मैं चन्द्रशेखर जी का निश्चित रूप से समर्थन करूंगा।" संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा था, श्री चन्द्र शेखर एक दल-बदलू हैं।"

एक माननीय सदस्य : यह कोई साम्प्रदायिक मुद्दा नहीं है।

श्री संतोष मोहन देव : मैंने नहीं कहा कि यह साम्प्रदायिक मुद्दा है (व्यवधान) प्रधान मंत्री महोदय ने एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया था। उसमें उनसे पूछा गया कि श्री ज्योति बसु ने अमुक-अमुक बातें कही हैं। प्रधान मंत्री महोदय ने अपनी विशिष्ट शैली में जवाब दिया कि यदि कोई व्यक्ति किसी बात को अपने स्तर से समझता है तो उससे मेरा कोई लेन-देन नहीं है। वह जो कुछ कहता है उसके बारे में मुझे कोई चिन्ता नहीं है। बिल्कुल ठीक इसके बाद क्या हुआ ? उनके जाने के बाद मुख्य मंत्री महोदय ने उनके विरुद्ध आरोप लगाया कि उनके शासन काल में साम्प्रदायिकता पश्चिम बंगाल के अलावा पूरे देश में फैल गयी है। मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं पुरुलिया में क्या हुआ ? क्या वह साम्प्रदायिक दंगा नहीं था ? (व्यवधान) पश्चिम बंगाल में साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। परन्तु मैं इसका दोष सी० पी० आई० (एम०) पर नहीं लगाऊंगा यद्यपि वे मेरी आलोचना करते हैं क्योंकि मैं यह स्वीकार करता हूं कि पश्चिम बंगाल में जहां साम्प्रदायिक दंगे होते हैं वहां श्री ज्योति बसु विशेष कदम उठाते हैं। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। परन्तु मैं यह नहीं कहता कि वहां साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते हैं। उन्होंने जो कार्य किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं (व्यवधान)

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : अपना भाषण समाप्त करने से पहले आप यह स्पष्ट कीजिए कि आप स्थगन प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं अथवा विरोध।

श्री संतोष मोहन देव : इसका निर्णय हम गृह मंत्री महोदय जो प्रधान मंत्री भी हैं, का जवाब सुनने के बाद करेंगे। यदि हम उनके जवाब से संतुष्ट होंगे तो हम कोई निर्णय लेंगे और यदि संतुष्ट नहीं भी हुए तो भी कोई निर्णय लेंगे। आप चिन्ता क्यों करते हो ? परन्तु आपको मौका नहीं मिलेगा। श्री मधु दंडवते, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज मैं आपके कार्य को देखकर प्रसन्न हूं। परन्तु वित्त मंत्री के रूप में आप असफल रहे हैं (व्यवधान) पार्टी द्वारा आपके नाम का जिक्र किया जाएगा। आपमें से कोई भी इस पक्ष में आने के योग्य नहीं है। आपका धीरे-धीरे पतन हो रहा है और हम ऊपर उठ रहे हैं। चिंता मत कीजिए, यद्यपि आप इस पक्ष में आने के लिए महत्वाकांक्षी हैं। (व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : शिलान्यास के बारे में आपने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट क्यों नहीं किया है ?

श्री संतोष मोहन देव : वह स्वयं होशियार हैं। हमें उन्हें सलाह देने की आवश्यकता नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में बैठने से खुश हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देव, सभी प्रश्नों का जवाब मत दीजिए समय बहुत कम है। मेरे विचार से प्रधान मंत्री महोदय 6 म० प० पर जवाब देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन सभी प्रश्नों का जवाब मत दीजिए जो आपसे पूछे गए हैं।

श्री संतोष मोहन देव : मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दूंगा अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं।

मैंने कैसट और पोस्टरों का उल्लेख किया है। मेरा प्रधान मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक तत्काल बुलायी जाए। मैं जानता हूं कि वह इस सत्र के कार्यों में व्यस्त हैं। इस सत्र के बाद राष्ट्रीय एकता परिषद की एक बैठक बुलायी जाए और यदि आवश्यक हो तो इसमें सुधार किया जाए और कुछ जोड़-तोड़ किया जाए तथा उस बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की जाए।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मेरा आपसे और अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि पहले की तरह इस चर्चा के अन्त में अध्यक्ष पीठ की ओर से एक संकल्प प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखा जाए और शान्ति बहाल की जाए। मेरे विचार से इससे उन लोगों को धैर्य बंधेगा जो इस विशेष स्थिति के कारण परेशान हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी, मेरा आपसे अनुरोध है कि अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए अन्यथा आपको अपने भाषणों का शानदार जवाब मिलेगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : जी, हां। मैं ऐसा ही करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : उन्हें अध्यक्षपीठ की ही शक्ल पसंद है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जो साम्प्रदायिक दंगे फैल रहे हैं वे हमारी राष्ट्रीयता, संविधान के मूल सिद्धान्तों और देश की एकता तथा अखण्डता के लिए चुनौती है।

यह दुख की बात है कि देश के विभिन्न भागों हैदराबाद, अहमदाबाद, अलीगढ़, खुर्जा तथा राजस्थान में दंगे हुए हैं और उनमें अमूल्य जानें गयी हैं। इन दंगों के जिम्मेदार लोगों की निंदा की जानी चाहिए। जिन लोगों की जानें गयी हैं। मैं उन्हें हिन्दू अथवा मुसलमान के रूप में पहचानना नहीं चाहता—वे सभी भारतीय हैं इससे हमें स्थिति की गम्भीरता को समझना है।

इस समय इस बात की आवश्यकता है कि सुपरिचित साम्प्रदायिक पार्टियों के अतिरिक्त, जिन्हें जान-बूझकर छोड़ दिया जाना चाहिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतें एक जुट हो जायें। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं। जिस ढंग से सरकार बनायी गयी है वह

मुझे पसन्द नहीं है। मुझे कांग्रेस पार्टी की नीतियां पसंद नहीं हैं परन्तु राष्ट्र को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि देश में साम्प्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए हम सब जो विभिन्न पार्टियों में विभाजित हैं एक जुट हो जायें और देश में साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए सरकार जो कार्यवाही करेगी उसमें सहयोग देने के लिए मैं और मेरी पार्टी तैयार हैं।

अब इस सन्दर्भ में मुझे दो घटनाएं याद आ रही हैं, जिनका कुछ ही दिन पहले अपने अलीगढ़ तथा बुलन्दशहर के दौरे के दौरान मैंने सामना किया था।

अलीगढ़ के एक अस्पताल में मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिस पर कुछ व्यक्तियों ने हमला किया तथा पेन की निब से उसकी आंखें फोड़ दी गई थीं। जब उसकी एक आंख फोड़ी गई, तब उसने उनसे याचना की थी कि उसकी दूसरी आंख न फोड़ी जाए किन्तु, उसकी वह आंख भी फोड़ दी गई। उसकी दोनों आंखें अब फोड़ दी गई हैं। जब मैं उससे मिला—वह चाहे हिन्दू था अथवा मुस्लिम, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, उसने मुझ से अपनी एक आंख वापस करने के लिए कहा। मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं उसे क्या उत्तर देता।

तत्पश्चात् एक स्थान पर एक कमरे में लगभग 24 व्यक्तियों ने शरण ले रखी थी। उन्होंने इसे अन्दर से बन्द कर लिया था। हमलाकर्ताओं ने कमरे में आग लगा दी थी। कमरे में धुआं निकल रहा था तथा उनका दम घुटा जा रहा था। वे कमरे के एक कोने में एक-साथ होते जा रहे थे। बाहर से हमला होने का उन्हें ऐसा भय था कि वे बाहर नहीं आ रहे थे तथा अन्दर ही अन्दर मृत्यु के द्वार की तरफ अग्रसर हो रहे थे। उनमें नौ बच्चे थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : ऐसा बुलन्दशहर में हुआ था।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जी हां, बुलन्दशहर जहांगीरपुर के निकट ऐसा हुआ था। वे हिन्दू हैं अथवा मुस्लिम, मुझे इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या आप अपने बच्चों की हत्या करने के लिए राम अथवा अल्लाह चाहते हैं? यदि ऐसा है तो मैं कहूंगा कि मुझे इस देश में किसी भी भगवान की आवश्यकता नहीं है चाहे वह राम हो अथवा अल्लाह हो। क्या अपने बच्चों को मारने के लिए हमें मन्दिर और मस्जिद की आवश्यकता है? हमें इसका जवाब देना है। श्री मुजराल द्वारा अपने भाषण में कही गई बातों की मैंने काफी प्रशंसा की है। परन्तु उन्होंने कहा था कि वह किसी पर कोई उंगली उठाना नहीं चाहते। परन्तु मेरा कहना है कि आज वह उचित समय आ गया है, जब हम ऐसे किसी भी व्यक्ति पर उंगली उठा सकते हैं जो राजनीति को धर्म के साथ मिलाता है। चाहे वह श्री शाहबुद्दीन हों अथवा श्री आडवाणी जी हों। मैं चाहता था कि श्री आडवाणी जी यहां पर उपस्थित होते। मैं जानता हूं कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र मुझसे अत्यन्त नाराज होंगे। मैं जानता हूं कि वर्ष 1986 में श्री शाहबुद्दीन ने साम्प्रदायिक स्थिति में काफी योगदान किया था। परन्तु, इन हाल ही के साम्प्रदायिक दंगों के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी तथा इसके नेता श्री आडवाणी जी ही जिम्मेवार हैं। मैं समझ सकता हूं कि इस सम्बन्ध में विवाद है तथा विश्व हिन्दू परिषद का कहना है कि अयोध्या में एक विशिष्ट स्थान राम का जन्मस्थल है। वह एक हिन्दू संगठन है। परन्तु भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वह एक हिन्दू संगठन नहीं है। तब श्री आडवाणी अयोध्या की ओर अपनी रथयात्रा क्यों ले गए? उन्हें इसका जवाब देना है।

यदि वह इतने ही रामभक्त हैं, तब वह बोट क्लब पर बैठकर आत्मदाह नहीं बल्कि भूख हड़ताल पर क्यों नहीं बैठ जाते तथा यह कहते कि "राम मेरे हृदय में विराजमान हैं तथा मैं चाहता हूं कि अयोध्या में उस स्थान विशेष पर ही राम मंदिर का निर्माण किया जाए।" जहां पर दो सम्प्रदायों की भावनाओं का सम्बन्ध होता है, उस स्थिति में वह केवल एक सम्प्रदाय का ध्यान रखते हुए यात्रा पर नहीं जा सकते, उन्हें नहीं पता है कि इसका क्या असर हो सकता है तथा इसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है । इन सभी हत्याओं के लिए कौन जिम्मेवार है ? उन्हें इसका जवाब देना है ।

कैसेटों के सम्बन्ध में इतना कुछ कहा गया है। उन कैसेटों को लाने की क्या आवश्यकता थी ? मुझे नहीं ज्ञात है कि संभवतः इमाम ने कुछ कहा हो, यह भी हो सकता है कि कश्मीर में किसी ने वह कैसेट निकाला हो, यह भी हो सकता है कि किसी अन्य संसद सदस्य ने वह कैसेट निकाला हो। उसकी क्या आवश्यकता थी ? उन कैसेटों में क्या था ? इसको उचित तरीके से देखा जाए। मैं चाहता हूं कि इस सदन में उपस्थित सभी नेतागण एक साथ बैठें तथा इन सभी कैसेटों को सुनें तथा पहचान करें कि वे कौन व्यक्ति हैं, जो इस कार्य में शामिल हैं तथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ।

इसके अलावा कुछेक अन्य मुद्दे भी हैं । मैं हर उस व्यक्ति का सम्मान करता हूं, जो वास्तव में पवित्र धार्मिक भावना रखता है। यदि कोई मंदिर का निर्माण करवाना चाहता है, तो उसका स्वागत है । यदि कोई मस्जिद की स्थापना करना चाहता है, तो उसका भी स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सक्रियता दिखाई है वह वास्तव में मंदिर-निर्माण के लिए है अथवा सत्ता की खातिर उसने ऐसा किया है। प्रश्न यही है । हमें उनकी वास्तविकता को उजागर करना है । वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि लोग धर्म में विश्वास करते हैं। श्री आडवाणी जी ने अनेक बार यह बताया है कि उन्होंने रथयात्रा निकालने का निर्णय क्यों लिया। कलकत्ता में एक समाचार पत्र के साक्षात्कार से मैंने यह महसूस किया कि जब वह अपने समर्थकों को सम्बोधित कर रहे थे, मैंने देखा कि उन्होने इस सरकार को गिराने का निर्णय कर लिया है । जब मंडल आयोग सम्बन्धी मामला उठा, तब उन्होंने निश्चय किया कि इस सरकार को गिराने का यही उचित समय है। तब मैंने पूछा था कि राम मंदिर वास्तविक मुद्दा है अथवा मंडल आयोग मुद्दा है, जिसके लिए इस सरकार को गिराने का निर्णय किया गया है। वास्तविक मुद्दा क्या है ? मेरे विचार से असली मुद्दा यही है। इसके पीछे एक उद्देश्य है। आज भी श्री वी० पी० सिंह तथा श्री मुलायम सिंह की जिम्मेवारी के बारे में काफी कुछ कहा गया है । यदि उन्होंने ज्यादतियां की हैं, तब वास्तव में वह निन्दनीय हैं। मेरा पहला मुद्दा यह है कि श्री आडवाणी जी को अयोध्या जाने का साहस नहीं करना चाहिए । जब भी शाहबुद्दीन ने अयोध्या जाकर मस्जिद की रक्षा करनी चाही, तब हमने उनकी निन्दा की थी और कहा था कि उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था तथा उन्हें बोट क्लब पर धरना देना चाहिए अब श्री आडवाणी ने कहा है कि "श्री मुलायम सिंह ने हर एक को भड़काया है । मुलायम जी ने इस प्रकार के भाषण दिए हैं। हम उन्हें सीख देना चाहते थे। इसीलिए हमारे कुछ व्यक्ति मस्जिद पर चढ़ गये थे।" महोदय, क्या यही तरीका है ? क्या यही जिम्मेदारीपूर्ण रवैया है ? यदि उन्हें श्री मुलायम सिंह को कोई सीख देनी होती, तब वह सीधे लखनऊ की ओर अपने रथ को मोड़ सकते थे, सचिवालय में प्रवेश करते तथा उन्हें वहीं पर डांट सकते थे। वह सब करने के स्थान पर उन्होंने अयोध्या जाना बेहतर समझा तथा उसी के कारण देश जल रहा है । इससे अधिक

वैर-जिम्मेवार रवैया और क्या हो सकता है। इसके पीछे एक उद्देश्य है। यह केवल एक हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न नहीं है। परन्तु राजनैतिक दृष्टिकोण से स्थिति से फायदा उठाने संबंधी यह प्रश्न है।

पाकिस्तानी एजेंटों तथा उनकी सक्रिय भागीदारी के सम्बन्ध में काफी कुछ कहा गया है। हम सभी यह जानते हैं। वे इस कारण सक्रिय हैं ताकि मुस्लिमों को इस देश से हटाया जा सके। पाकिस्तान का यही उद्देश्य है तथा इसीलिए वे हमारे देश में विखंडनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इस समय यदि एक राजनीतिज्ञ होने के नाते मैं इस तरीके का व्यवहार करूं, जिससे कि यह अन्तर और बढ़ जाए, तब उस स्थिति में ऐच्छिक रूप से नहीं परन्तु अनिच्छा से ही क्या मैं एक पाकिस्तानी एजेंट के रूप में कार्य नहीं करूंगा ? इस प्रकार, आज हमारे देश में सबसे बड़ा पाकिस्तानी एजेंट कौन है ?

एक माननीय सदस्य : आडवाणी जी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं नहीं जानता। आप स्वयं निर्णय कीजिए। इस सबके पीछे भी कोई कारण हो सकता है। मैं श्री गोलवॉकर की पुस्तक "वी आर आवर नेशनहुड डिफाइन्ड" से एक पैराग्राफ उद्धृत करना चाहता हूं :

> "जर्मन 'रेस' का अपने आपको सर्वोत्कृष्ट समझना इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अपनी 'रेस' की शुद्धता बनाए रखने और संस्कृति को बरकरार रखने के लिए जर्मनी ने 'सेमेटिक रेस' अर्थात् 'ज्यूज' का सफाया करना शुरू करके विश्व को अचम्भे में डाल दिया। यहां पर हमें अपनी 'रेस' की सर्वोच्चता पर घमण्ड करने का उदाहरण मिलता है। जर्मनी ने हमें यह भी दिखाया है कि अलग-अलग 'रेसों' और संस्कृतियों के लिए, जिनके परस्पर बहुत अधिक मतभेद हैं, वे भी किस प्रकार से एक हो सकते हैं और यह हिन्दुस्तानियों के लिए सीखने का एक अच्छा सबक है।"

अब इस सिद्धांत को भारत में व्यवहार में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : कुछ समय पूर्व आपने यह विनिर्णय दिया था कि इसमें किसी भी मुख्य मंत्री का नाम नहीं लिया जाएगा। पहले तो, इसकी अनुमति ही नहीं दी जानी चाहिए थी। अब उन्होंने श्री गोलवलकर के नाम का उल्लेख किया है जो अब नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : वह जो उद्धरण दे रहे हैं उनकी पुस्तक में से है। (व्यवधान)

श्री राम नाईक : मुझे यह पता है। किन्तु जिस विषय को लिया जा रहा है, उससे इसका कुछ संबंध होना चाहिए, अगर हम एक उचित दिशा में जाना चाहते हैं। श्री मुलायम सिंह या श्री गोलवलकर का उल्लेख करने से हम उस दिशा की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। फिर विवादास्पद बातों को अनावश्यक रूप से लाने का क्या लाभ है ? और महोदय, आप इस पर पहले ही विनिर्णय दे चुके हैं··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो कहा है मैं उसकी सराहना करता हूं। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे उन लोगों का उल्लेख न करें जो सदन में आकर अपने विरुद्ध लगाए आरोपों का उत्तर देने में समर्थ न हों। जहां तक पुस्तक का सम्बन्ध है, यदि यह पुस्तक में लिखा हुआ है, तो यह पता लगाया जा सकता है कि वहां यह लिखा हुआ है अथवा नहीं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह एक उद्धरण है। मैं यह अंतर स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये सिर्फ साधारण दंगे नहीं हैं किन्तु इनके पीछे एक षडयंत्र है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने कुछ अन्य नामों का भी उल्लेख किया है। वे यहां नहीं हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या मैं किसी पुस्तक में से उद्धरण नहीं दे सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पुस्तक में से उद्धरण देने की अनुमति है। मैं यह कह रहा हूं कि उन लोगों का उल्लेख मत करिए जो यहां नहीं हैं। मैंने आपको पुस्तक में से उद्धरण देने की अनुमति दी है।

6.00 म० प०

मैं कह रहा हूं कि कृपया अन्य व्यक्तियों का उल्लेख मत करें। आपने दो तीन अन्य नाम भी लिए हैं। मैंने जो कहा है आपने उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई अदालत नहीं है जहां आप जिरह करें। मैंने पुस्तक में से उद्धरण देने की अनुमति दी है। मैंने जो कहा है आप वह समझे नहीं हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, एक षड्यंत्र है, एक विचारधारा है और देश में इस प्रकार की भावनाओं को भड़का कर सत्ता तक पहुंचने का प्रयास है। इसलिए, यह हिन्दू बनाम मुस्लिम का प्रश्न नहीं है, यह एक कट्टरपन, प्रतिक्रियावाद, नव फासीवाद, साम्प्रदायिकता बनाम पूरे देश की धर्म निरपेक्ष ताकतों का प्रश्न है। हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और मुझे कुछ बातों को प्रधान मंत्री के ध्यान में लाना है, जिसके लिए मुझे दुख है। प्रश्न यह नहीं है कि जब देश में दंगे हो रहे थे तो प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की अनुमति किसने दी थी। मैं आपका आदर करता हूं किन्तु होना यह चाहिए कि आपको वहां जाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी क्योंकि कुछ नैतिक कर्तव्य निभाना आवश्यक था। कई भागों में प्रशासन चरमरा गया। पुलिस बलों का व्यवहार भी पक्षपात-पूर्ण था। इसके लिए यह आवश्यक था। अब आप प्रधान मंत्री हैं और आपको वह नैतिक कर्तव्य निभाना है। किन्तु अगर मैं इसके लिए आपकी निन्दा करूं तो आप इसे गंभीरता से मत लें। यह एक बहुत गंभीर मामला है और मात्र कुछ बातों के कारण नहीं इसको उभारना उचित नहीं है। इस तरह की बातें होती हैं। मैं नहीं जानता। वहां की स्थानीय प्रेस के बारे में मुझे कुछ कहना है। आगरा से प्रकाशित होने वाले 10-12-90 के समाचार पत्र 'आज' का एक कतरन मेरे पास है।

[हिन्दी]

"28 मरीजों सहित 74 मौत के घाट उतारे गए।"

[अनुवाद]

यह एक मेडिकल कालेज की हत्याओं के बारे में है। यह शीर्षक है। क्या आपने इसे देखा है? फिर इसमें एक छोटे से कोने में यहां लिखा हुआ है :

[हिन्दी]

ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री जी, क्या आपने इसे देखा है ? यह शीर्षक है। अलीगढ़ में यह सात दिनों तक पिटता जाता रहा और राष्ट्रीय प्रेस को वहां जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसके लिए कौन उत्तर-दायी है ? मैं प्रेस पर रोक नहीं लगाना चाहता किन्तु संपादकों का भी कोई उत्तरदायित्व है। पत्रकारों का भी उत्तरदायित्व है। क्या उन्हें एकजुट होकर इस समाचार पत्र को सरकुलेशन से नहीं निकाल लेना चाहिए ? उस पर, अलीगढ़ में निरंकुश हत्याएं हुईं। इस प्रकार का घोर जिम्मे-दार व्यवहार किया गया और प्रशासन ने उचित समय पर उचित कदम नहीं उठाया। स्थिति बहुत गंभीर है। मैं वार्ता के पक्ष में हूं। बातचीत होनी चाहिए। मैं जानता हूं अगर आज भी आडवाणी जी अपनी रथ यात्रा शुरू करें और अयोध्या जाने का प्रयास करें, तो श्री चन्द्र शेखर जी भी वही करेंगे जो वी० पी० सिंह ने किया था। उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। उसी प्रकार की कड़ी कार्यवाही करनी होगी। और मैं यह भी जानता हूं कि अगर आप चुनावों की घोषणा कर दें तो भाजपा व आडवाणी जी उसी प्रकार का कदम उठायेंगे। रामचन्द्रजी महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि चुनाव अधिक महत्वपूर्ण हैं। हम जानते हैं कि वे किस प्रकार काम करते हैं। इस संदर्भ में आपके पास फालतू समय भी नहीं है, आपको कई कार्य करने हैं—मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमारे पास अभी भी कार्यवाही करने का समय है। इस देश में दोनों राज्य के समर्थकों को, सिर्फ मौखिक रूप से ही नहीं बल्कि जो वास्तव में इसमें विश्वास करते हैं, मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि वे यह देखें कि बंगलादेश के इरशाद का क्या हाल हुआ था। उन्होंने बंगलादेश में इस्लामी राज्य घोषने का प्रयास किया, जहां धैर्यवान और सभ्य संस्कृति की एक परम्परा है। अब इरशाद जेल में है। यह होता है। आप भावनाओं को भड़का सकते हैं। लोगों को ईंटें लाने के लिए उत्तेजित किया जा सकता है। किन्तु जब षड्यन्त्र सामने आ जाता है तो वही ईंटें आपके ऊपर भी फेंकी जा सकती हैं। इसलिए, इससे सावधान रहिए। हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते। आप हमें बुलाइए। सभी राजनैतिक दलों को बुलाइए, भा० ज० पा० को भूल जाइए, मुस्लिम लीग को भूल जाइए। हम धर्मनिरपेक्ष हैं। अर्थव्यवस्था के बारे में हममें मतभेद हैं, कई अन्य बातों पर मतभेद हैं, बोफोर्स पर भी मतभेद हो सकता है। किन्तु इसके लिए कृपया हमें बुलाएं। हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी प्रकार की आवश्यक सहायता देंगे। यह समय की मांग है। यह समय की मांग है और मुझे आशा है कि सरकार उसके अनुसार कार्य करेगी।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मंजेरी) : महोदय, मैंने इस पर स्वयन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मुझे बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर देना चाहूंगा। किन्तु मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप संक्षेप में अपनी बात कहें। मैं नहीं जानता कि माननीय प्रधानमंत्री के पास समय है अथवा नहीं···

एक माननीय सदस्य : हमें बोलना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ मिनट हर सदस्य को दूंगा।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : अब दूसरे लोग एक घण्टे तक बोल सकते हैं, तो कम से कम कुछ मिनट हमें भी दिए जाने चाहिए। यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है? (व्यवधान) हमारा दिल जल रहा है। देश में साम्प्रदायिक दंगों के कारण हम दुखी हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों की संख्या के अनुसार समय की अनुमति दूंगा। अब, श्री इन्द्रजीत गुप्त बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सदस्यों की संख्या के आधार पर है। आप यह जानते हैं कि आप सदन के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। श्री गुप्त, मैं उनको संबोधित कर रहा हूं, आपको नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अगर सदन सहमत है और आप सहमत हैं, तो विषय की महत्ता और अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए···

उपाध्यक्ष महोदय : हम कुछ और समय दे रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ····हम कल भी एक घण्टे के लिए चर्चा जारी रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कल नहीं। हमें इसे आज ही करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, अनेक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। निर्धारित समय-सूची के अनुसार आप उन सबको बोलने का अवसर देने में सफल नहीं हो पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह करना ही है। आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है, मैं इसे जारी रखूंगा। अन्य मित्रों के बारे में क्या करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका निर्णय करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, 31 दिसम्बर को अयोध्या में जो टकराव हुआ वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं किसी भी पक्ष को दोष नहीं देता। जो टकराव हुआ उसे रोका जा सकता था। उसके बाद होने वाली घटनाओं से पता चलता है कि इसे रोका जा सकता था और इस टकराव के परिणामस्वरूप हुई मौतों के कारण हम अति शोकाकुल हैं।

हमने इस मन्दिर और मस्जिद के मसले के सम्बन्ध में हमेशा एक दृढ़ रवैया रखा है। हम मन्दिर बनवाने के विरुद्ध नहीं हैं। हम कभी भी अयोध्या में किसी भी मन्दिर, राम मन्दिर, के निर्माण के विरुद्ध नहीं रहे हैं। हमने केवल यह कहा है कि मस्जिद को गिरा करके मन्दिर नहीं बनवाया जाना चाहिए। श्री मल्होत्रा का यह तर्क है कि यह मस्जिद नहीं है···इत्यादि। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इनका विवरण दूं। उन्होंने कहा कि यह हिन्दुओं की आस्था और विश्वास आदि का प्रश्न है। किन्तु, अन्य लोग जो हिन्दू नहीं हैं उनकी भी अपने धर्मों में आस्था और निष्ठा होगी। श्री गुजराल ने प्रशंसनीय ढंग से यह कहा है कि हमारा ऐसा देश है, ऐसा राष्ट्र है, जहां हम सब लोगों के कई विभिन्न धार्मिक विश्वास, संस्कृतियां और भाषाएं हैं। यह पाकिस्तान नहीं है। यह

बांग्लादेश या पाकिस्तान या ईरान या इराक या कोई अन्य ऐसा देश नहीं है। मुझे इस तथ्य पर गर्व है कि कि भारत एक ऐसा देश है जहां इतने विभिन्न आस्थाओं और विश्वासों वाले लोग एक साथ भारतीय बनकर रहते हैं। विश्व में कोई ऐसा अन्य देश नहीं है जो ऐसा उदाहरण दे सके। किन्तु, अब यदि देश के इस सामाजिक ढांचे को अव्यवस्थित और नष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं तो इन्हें रोका जाना चाहिए। वे सदा हिन्दू राष्ट्र के बारे में बात करते हैं जिसकी निन्दा की जानी चाहिए। भाजपा कह सकती है 'हम हिन्दू राष्ट्र की मांग नहीं करते, कोई और इसकी मांग कर रहा है।' मैं नहीं जानता, किन्तु कठिनाई यह है कि व्यक्तियों के इतने अधिक समूह हैं और उनका आपस में क्या सम्बन्ध है, हम नहीं जानते। भाजपा है, आर० एस० एस० है, बजरंग दल है, विश्व हिन्दू परिषद है, और भी कुछ है। जब किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो वे सदा यही कहते हैं कि 'यह हम नहीं हैं, कोई और है।' मैं चाहता हूं कि भाजपा के नेता सभा में यह स्पष्ट रूप से कहें कि भाजपा और विश्व हिन्दू परिषद में क्या सम्बन्ध है। क्या वे एक ही हैं? स्पष्टतया नहीं। क्या वे उन सभी मुद्दों से सहमत हैं जो इस विवाद से सम्बन्धित हैं अथवा नहीं? यदि उनमें अन्तर हैं, तो क्या भाजपा के नेता कृपया हमें बताएंगे कि वे कौन से अन्तर हैं?

महोदय, भाजपा एक राजनैतिक दल है और यह वह दल है जिसके नेता का लोक सभा में विपक्षी नेता का स्तर है। विश्व हिन्दू परिषद एक राजनैतिक दल नहीं है। यह एक दिन बन सकता है, मैं नहीं जानता। वर्तमान में, यह एक राजनैतिक दल नहीं है, यह व्यक्तियों का एक समूह है जो धर्म से प्रेरित है। विश्व हिन्दू परिषद ऐसी संस्था है जिसे इस देश के संविधान की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें संविधान से कुछ लेना-देना नहीं है। किन्तु भाजपा एक राजनैतिक दल है, इसके सदस्य, इसके विभिन्न राज्य मंत्री, इसके संसद सदस्य, इसके विधायक संविधान की शपथ लिए बिना विधान सभा में सीट नहीं ले सकते। वे संविधान के मुख्य सिद्धांतों और मूलभूत उसूलों से बंधे हुए हैं। उन्होंने शपथ उठाई है और इसीलिए वे वहां बैठे हैं। विश्व हिन्दू परिषद को संविधान की परवाह नहीं है। हमने बहुत बार यह देखा है कि कई मुद्दों पर वे कहते हैं कि वे विश्व हिन्दू परिषद के साथ चलेंगे। वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं जिसे विश्व हिन्दू परिषद नापसन्द करता है। ऐसा हाल ही में कई घटनाओं में सिद्ध हो चुका है। मेरे विचार में आप मुझे कम से कम प्रेस से उद्धरण देने की अनुमति देंगे। विश्व हिन्दू परिषद के उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व पुलिस महानिदेशक श्री गिरीश चन्द्र दीक्षित का प्रेस में एक वक्तव्य छपा था जिसमें उन्होंने अयोध्या में मन्दिर-निर्माण के लिए भाजपा के समर्थन का स्वागत किया था। श्री दीक्षित ने यह स्पष्ट किया था कि यह आन्दोलन प्रारम्भिक रूप से विश्व हिन्दू परिषद का कार्यक्रम था, भाजपा का नहीं। विश्व हिन्दू परिषद को इसकी चिन्ता नहीं है कि भाजपा ने राम भक्ति के कारण या इस मुद्दे से राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए समर्थन दिया था। कोई भी दल चाहे उसकी राजनैतिक विचारधारा और उद्देश्य कुछ भी हों हमारे साथ मिलकर लाभ उठाने के लिए स्वतन्त्र है बशर्ते यह अयोध्या में मन्दिर निर्माण के हमारे कार्य के लिए उपयुक्त है। विश्व हिन्दू परिषद बहुत स्पष्ट है और वे कहते है कि वे नहीं जानते कि भाजपा का उद्देश्य क्या है; कि क्या वे वास्तव में राम के लिए चिन्तित हैं अथवा इस मुद्दे से राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं। किन्तु, मैं जानना चाहता हूं कि

भाजपा प्रत्येक विषय में विश्व हिन्दू परिषद का अनुसरण क्यों कर रहा है। यदि नहीं तो वे यह कहें कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वे यहां कहें कि वे विश्व हिन्दू परिषद से बंधे हुए नहीं हैं। कृपया यह कह दें। यदि आप उनसे बंधे हुए हैं आपके लिए कुछ भी कहना बहुत कठिन होगा। यदि आप उनसे बंधे हुए नहीं हैं, तो यहां यह बात स्पष्ट करें, क्योंकि ऐसा दल जिसने संविधान की शपथ उठाई है और ऐसी धार्मिक संस्था जो संविधान की बिल्कुल परवाह नहीं करती है, वे दोनों ऐसे किसी विषय पर एक साथ नहीं चल सकते। स्वयं श्री दीक्षित के वक्तव्य में राजनीति को धर्म से जोड़ने की बात परिलक्षित होती है।

जहां तक कांग्रेस पार्टी का सम्बन्ध है, 7 नवम्बर को जब हम श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे तो श्री राजीव गांधी ने अपना भाषण दिया था। उन्होंने श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की यह कहते हुए आलोचना की, "जब श्री आडवाणी ने गुजरात से अपनी यात्रा आरम्भ की थी तो तब उन्हें गिरफ्तार करने का उनमें साहस क्यों नहीं हुआ ? आपको उन्हें उसी समय गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपकी सरकार कमजोर है; आप एक कमजोर प्रधान मन्त्री हैं।" किन्तु जब मुलायम सिंह यादव की सरकार में विश्वास का यह मुद्दा उत्तर प्रदेश सभा में आया था, आप कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा दिए गए भाषण को आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि श्री आडवाणी को गिरफ्तार करना और उनके रथ को रोकना गलत था। इसे अयोध्या तक ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी; तब बिल्कुल शान्ति होती और कोई समस्या न होती। इस रथ यात्रा के बारे में कांग्रेस (ई) के क्या विचार हैं ? क्या श्री गांधी द्वारा व्यक्त विचार या लखनऊ में श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा व्यक्त विचार ? ये दोनों बिल्कुल परस्पर विरोधी दृष्टिकोण हैं। आप इस पर अवश्य निर्णय लें और निश्चय करें। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अनिर्णयात्मक स्थिति में नहीं थे, यह आप हैं जो निर्णय नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या कह रही है और क्या प्रचारित कर रही है यह उसे अपने अंतर्मन में टटोलना चाहिये। मेरा यह कहना है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25, 29, 51क एवं अन्य अनुच्छेदों के बिल्कुल विरुद्ध है। इस अभियान को चलाते हुए आप ऐसा नहीं कह सकते—

[हिन्दी]

ईश्वर के नाम पर हमने इस कांस्टीट्यूशन की शपथ ली है।

[अनुवाद]

साम्प्रदायिक ताकतों को नियंत्रित करने में सरकार की विफलता के मुद्दे पर श्री सैफुद्दीन सोज का स्थगन प्रस्ताव है। इस स्थगन प्रस्ताव पर सरकार को जवाब देना होगा। केन्द्र सरकार की साम्प्रदायिक ताकतों को नियंत्रित करने में विफलता के बारे में, जो देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा है, मैं सहमत हूं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे केवल यह सरकार ही चिन्तित है। इस देश में अब तक कोई भी केन्द्र सरकार ऐसी नहीं हुई है जिसने साम्प्रदायिक ताकतों पर नियंत्रण करने के लिये कोई कारगर कदम उठाया हो। वे लोग जिन्होंने ऐसे उत्तेजक कैसेट बनाए हैं उनके विरुद्ध कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया गया हम उसकी बात कर रहे हैं। इसका जवाब तो उन्हें देना

है। या उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई जिन्होंने समाचार पत्रों में ऐसी बातें प्रकाशित की है जिसे श्री सैफुद्दीन ने पढ़कर सुनाया है ? इसका उत्तर भी उन्हें देना है। यदि सरकार इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती है तो इन शिकायतों पर भारतीय प्रेस परिषद को विचार करना होगा। सरकार उन लोगों के विरुद्ध जो गैर जिम्मेदाराना ढंग से झूठे समाचार प्रकाशित करते हैं, प्रेस परिषद के समक्ष शिकायत दर्ज क्यों नहीं करती है ?

पिछले दिनों हुए विभिन्न बड़े दंगों की जांच के लिये कई जांच आयोग नियुक्त किए गए जिन्होंने अपनी रिपोर्ट और निष्कर्ष पेश कर दिए हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इन रिपोर्टों के आधार पर कभी भी कोई कार्रवाई की गई है ? महाराष्ट्र के भिवंडी में कुछ वर्ष पहले भीषण दंगा हुआ था। जांच आयोग ने लम्बे समय तक जांच करने के बाद विशाल रिपोर्ट पेश की। उस पर क्या कार्रवाई की गई ? जमशेदपुर और रांची में तथा गत वर्ष भागलपुर में दंगे हुए। हर वर्ष एक जांच आयोग नियुक्त किए जाते हैं पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वे उन जांच आयोगों को भूल चुके हैं। क्या यही सरकार की जिम्मेवारी है ?

मैं सभा को भागलपुर में हुए दंगे के बारे में याद दिलाना चाहता हूं जिसके बारे में सभी जानते हैं कि सेना के एक सिख अधिकारी मेजर विर्क अपने जवानों की कम्पनी के साथ उस गड़बड़ी वाले क्षेत्र में तैनात थे। उन्होंने उन एक सौ मुस्लिम पुरुष, स्त्री और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया था जिन्होंने किसी जमींदार के बड़े घर में शरण ली थी। उन्होंने रात से अगले दिन तक के लिये उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस को सौंप दी थी। दूसरे दिन जब वह लौटे तो वहां एक भी व्यक्ति जीवित नहीं मिला। मेजर विर्क अपने यूनिट में वापस लौट गये। वे पंजाब के जालंधर में सदस्य थे। इस सेवा के अधिकारियों को उनकी इच्छानुसार छुट्टी नहीं मिल सकती है। न्यायालय में तथा भागलपुर दंगे की जांच कर रहे जांच आयोग के समक्ष शपथ पत्र दाखिल करने मेजर विर्क पंजाब से वहां पहुंचे। उन्होंने जो कुछ भी वहां देखा और अनुभव किया उसके बारे में वे एक शपथ पत्र दाखिल करना चाहते थे। आज तक उन्हें शपथ-पत्र दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई। किसी ने कभी यह जानने की चेष्टा की कि किस बहाने से, किस तकनीकी अथवा कानूनी दलील पर उस सैनिक अधिकारी को शपथ-पत्र दाखिल करने से रोका गया ? मेरे विचार से यदि सरकार इस मामले में गंभीर है तो मेजर विर्क का फिर पता लगाए। शायद वे पंजाब के जालंधर में हैं, मैं नहीं जानता। आप उन्हें यहां आने और अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दें।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : कौन प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे, यह बताएं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कोई भी हों, सब लोग ऐसा ही करते रहे।

श्री विजय कुमार मल्होत्रा : कम से कम बी० जे० पी० के नहीं थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा।

[अनुवाद]

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता पर मुझे यह पक्का पता है चाहे श्री आडवानी व्यक्तिगत

तौर पर ऐसा मानते हैं अथवा नहीं लेकिन उनके रथ यात्रा का उद्देश्य वातावरण में जहर घोलना ही था। मैं जानता हूं कि उन्होंने मुसलमानों पर हमला करने अथवा उनसे घृणा करने का आह्वान नहीं किया है। लेकिन मुद्दा यह है कि यहां बहुत से ऐसे लोग हैं, विभिन्न एजेंसियां और संगठन हैं जो इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। शायद मत बटोरने का अंतिम अस्त्र है। मैं नहीं जानता। लेकिन क्या इसमें कोई शक है कि मुसलमानों को आतंकित किया जा रहा है ? ये लोग जो यह नारा दे रहे हैं।

[हिन्दी]

अगर इस देश में रहना है तो हिन्दू बन कर रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको यह देश छोड़ कर जाना पड़ेगा।

[अनुवाद]

यह संविधान के बुनियादी अनुच्छेदों का उल्लंघन है। उन्हें यह नारे लगाने का अधिकार किसने दिया है ? यदि यह अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है तो उन्हें खुलेआम इसकी निंदा करनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : हमने कहा था कि यह गलत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यहां नहीं बाहर जाकर कहना पड़ेगा।

[अनुवाद]

आपको लोगों की हत्याओं की निंदा करनी चाहिये चाहे वे मुसलमान है अथवा हिन्दू या किसी अन्य धर्म के हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : "जो यहां रहेगा हिन्दू रहेगा" और "बच्चा-बच्चा राम का, जन्म भूमि के काम का ऐसे स्लोगनों को हमने कंडेम किया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस बात का दावा नहीं करता हूं कि मुसलमानों में कोई भी साम्प्रदायिक तत्व नहीं है अथवा उनमें कोई साम्प्रदायिक संगठन भी नहीं है। निस्संदेह हैं। मैं आपको यह बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी तथा विश्व हिन्दू परिषद को हिन्दुओं के नाम से बोलने का अधिकार नहीं है। उन्हें यह अधिकार किसने दिया है। पिछले चुनाव में उन्हें 11 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं और वे हिन्दुओं के एकमात्र प्रवक्ता बन बैठे हैं। हिन्दू आपके खिलाफ हैं। अधिकांश हिन्दू आपके विरुद्ध हम किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हैं जिसका किसी धर्म में विश्वास है परन्तु धर्म का साम्प्रदायिक उद्देश्य के लिये इस्तेमाल कीजिए। एक दूसरे के विरुद्ध उकसाने के लिये धर्म का प्रयोग मत कीजिए। दूसरों के पूजा स्थलों में हस्तक्षेप मत कीजिए जो इस देश के अन्य लोगों के हैं। (व्यवधान) इस देश के प्रधान मंत्री को क्या हुआ ? उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्या आप सोचते हैं कि दिल्ली में प्रधान

मंत्री की हत्या का चार महीने पूर्व की घटनाओं से कोई संबंध नहीं था। श्रीमती इंदिरा गांधी ठीक थीं अथवा नहीं परंतु उस समय जो स्थिति थी जिसके कारण स्वर्ण मंदिर में सेना भेजी गई उसके बारे में आपके अपने विचार हो सकते हैं। हो सकता है स्वर्ण मंदिर के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया हो। परंतु सच यह है कि जिन लोगों का इस मंदिर से संबंध था जो कि उनके सिख धर्म में विश्वास का प्रतीक है, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? यदि सेना मंदिर अथवा मस्जिद अथवा चर्च में हथियार लेकर प्रवेश करती है।

[हिन्दी]

बूट पहन कर और बन्दूक लेकर हमारे गुरुद्वारे में आप लोग घुसे और वहां लोगों को मारा और गोली चलाई, कभी भी हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसका बदला लेकर छोड़ेंगे। बदला तो उन्होंने लिया। साढ़े चार महीने के अंदर बदला लिया।

[अनुवाद]

मैं नहीं समझता कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या का स्वर्ण मंदिर की कार्रवाई से संबंध नहीं था। हमारे देश में बड़ी नाजुक बात है जिसे हम लोगों को समझना चाहिये। आपका कहना है कि देश में किसी को भी अलग धर्म मानने का अधिकार नहीं है और सभी को एक ही धर्म मानना चाहिये, क्या यह संभव है? तब देश टुकड़ों में बंट जाएगा।

एक माननीय सदस्य : हमने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तब आप सभी धर्मों का सम्मान करें। आप उन्हें कार्य करने दें (व्यवधान) अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण और अल्पसंख्यकवाद के रूप में धर्म-निरपेक्षता अथवा अस्थायी-धर्म-निरपेक्षता का ब्यौरा देना बिल्कुल गलत है। कोई व्यक्ति कह सकता है : "बहुसंख्यक वाद का क्या होगा?" यदि अल्पसंख्यकवाद है तब बहुसंख्यकवाद भी होगा। धर्म-निरपेक्षता का अर्थ है कि इस देश के सभी धर्मों को समान अधिकार दिए जाए; उन्हें समान आदर और सम्मान दिया जाए तथा जिन व्यक्तियों का भिन्न-भिन्न धर्मों में विश्वास है, उनके कार्यों में किसी प्रकार से हस्तक्षेप न किया जाए। यदि भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी संगठनों को यह बात समझ आ जाए, तो इस देश में यह समस्या कम हो जाएगी। यदि इसके पीछे उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य है, क्योंकि कभी न कभी तो चुनाव होने हैं, तब कठिनाई पैदा हो जाएगी। कभी न कभी चुनाव होंगे। इसलिए, यदि मेरे मित्र यह समझते हैं कि हिंदुओं के वोट प्राप्त करने का यह बेहतर तरीका है, तब वह इन कार्यवाहियों को जारी रखेंगे। देश के भिन्न-भिन्न भागों में और दंगे होंगे तथा और निर्दोष लोग मारे जाएंगे। यदि सरकार सुदृढ़ कदम नहीं उठाती है, तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी। मेरा कहना है कि वह सुदृढ़ कदम नहीं उठा रही है। हमने इस सभा में बहुत बार सुना है और मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पुरानी बात कर रहा हूं। तब से हम विभिन्न गृह मंत्रियों से यह सुन रहे हैं कि "हम एक मिला-जुला पुलिस बल गठित करने जा रहे हैं जो विशेष रूप से दंगों की स्थिति से निपटेगा।" एक दिन मैंने अपने मित्र श्री सुबोध कांत को दूरदर्शन पर यह कहते हुए सुना कि "हम विशेष कमांडो बल गठित करने जा रहे हैं, जिसमें सभी समुदायों के व्यक्ति शामिल होंगे और उन्हें सभी समस्याग्रस्त स्थानों पर भेजा जाएगा ताकि वे दंगों की स्थिति से निपट सकें।"

लेकिन, मैंने इस सभा में पिछले 10-12 वर्षों में पचासियों बार यही बात सुनी है । अब तक इस बारे में कुछ नहीं किया गया। आप दंगाग्रस्त क्षेत्रों में जहां भी जाएं, लोग सबसे पहले उस राज्य की पुलिस के बारे में शिकायत करते हैं चाहे वह प्रांतीय सशस्त्र बल हो अथवा बिहार सशस्त्र पुलिस हो अथवा राजस्थान सशस्त्र बल हो। सभी जगह लोग राज्य पुलिस बलों की भूमिका के बारे में शिकायत करते हैं। अतः, मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या मिला-जुला पुलिस बल गठित करने का कोई समय-बद्ध कार्यक्रम है, जो दंगों की स्थिति से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाए और विभिन्न धार्मिक मतों का पालन करने वाले नागरिकों के प्रति निष्पक्ष रवैया अपनाएगा। लेकिन, इतना करना ही पर्याप्त नहीं होगा । मैंने यह बात कई बार सुनी है। इस बारे में कुछ नहीं किया गया ।

इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि वर्तमान प्रधान मंत्री द्वारा पद संभालने के बाद अपने दल की ओर से मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था, वह इस बात को जानते हैं, जो समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था । उसमें हमने उन्हें पूर्ण सहायता देने का आश्वासन दिया था, यदि वह सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक ताकतों को समाप्त करने के लिए सुदृढ़ कदम उठाएं। मैंने यह लिखा था कि हमारे आपसे अनेक मतभेद हो सकते हैं लेकिन, इस मुद्दे पर कृपया राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाएं और हम कुछ उपाय करें जिसके द्वारा हम संयुक्त रूप से इस सांप्रदायिकता में मुकाबला कर सकें। मेरे पत्र का यही सार था। उन्होंने एक बैठक बुलाई थी । यह एक अनौपचारिक बैठक थी। मुझे नहीं पता कि उस बैठक के क्या परिणाम रहे । लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं और इस मुद्दे के बारे में यह मेरे अंतिम विचार हैं। मैं नहीं समझता कि उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जो विधि के महान विद्वान हैं और कानून को अच्छी तरह समझते हैं, दोनों पक्षों द्वारा दिए गए प्रमाणों के आधार पर यह निर्णय देने के लिए योग्य व्यक्ति हैं कि मस्जिद से पहले वहां मंदिर था या नहीं। शुरू में यह कहा गया था कि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है; केवल हमारा विश्वास ही पर्याप्त है। प्रत्येक हिंदू व्यक्ति यह मानता है कि वह राम जन्म भूमि है। इसलिए आप प्रमाण क्यों चाहते हैं ? दोनों पक्ष अपने प्रमाणों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। मुझे पता नहीं है कि उन्होंने यह प्रमाण कहां से प्राप्त किए। इसके परिणाम क्या होंगे ? मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी से इस मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध है । यदि ये न्यायाधीश कागजात और दस्तावेज देखने के बाद यह कहते हैं कि अब हमें विश्वास हो गया है कि वहां मंदिर था, तो अगला कदम क्या होगा ? मस्जिद को गिराया जाना चाहिए। तब पूरे देश के अन्य अनेक स्थानों पर क्या होगा ? जो पांच सौ अथवा छः सौ वर्ष पहले नहीं हुआ अथवा नहीं हो सका उसमें अब सुधार किया जाए । क्या हमारा इकट्ठे रहने और भिन्न-भिन्न धर्मों की सहनशीलता सिखाने का यही तरीका है ? आप यह निर्णय क्यों नहीं देते हैं कि चाहे 15 अगस्त, 1947 को अथवा जिस तिथि से संविधान लागू किया गया था, को सभी धार्मिक पूजा स्थल जहां भी अथवा जैसे भी थे, उनकी यथास्थिति बनाई रखी जाए और कानून द्वारा उनकी रक्षा की जाए। कुछ सही कदम उठाएं। अन्यथा इस सांप्रदायिक स्थिति, दंगों और हत्याओं का कोई अंत नहीं होगा। अतः हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन, कृपया दूसरों के साथ परामर्श करके कुछ सुदृढ़ कदम उठाएं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरा दिल बहुत दुखी है और मैं इस

सम्माननीय सभा के समक्ष कुछ कटु सत्य रखना चाहता हूं। इसलिए, मेरी इस सम्माननीय सभा और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से पुरजोर अपील है कि वह मेरी बात सुनें। मुझे आशा है कि आप तब तक घंटी नहीं बजाएंगे जब तक मैं पर्याप्त समय तक नहीं बोल लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप संक्षेप में बोलिए।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : सभी लोग इस देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। लेकिन, यह बात मुझे समझ नहीं आती है कि इस देश में धर्म-निरपेक्षता और लोकतंत्र है कहां। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम रोज देखते हैं कि लोकतंत्र को छिन्न-भिन्न किया जा रहा है और धर्म-निरपेक्षता को नष्ट किया जा रहा है। मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि पिछले दस वर्षों में फासिस्टवादी आक्रामक और सांप्रदायिक ताकतें बढ़ती जा रही हैं। जब यह ताकतें मजबूत होती हैं, तो सांप्रदायिक दंगे बढ़ते हैं और देश में बहुत विनाश होता है। आज स्थिति यही है। इन दंगों का क्या उद्देश्य है ? यह दंगे पूर्व नियोजित हैं। यह दंगे पहले से बनाई गई योजनाओं के अनुसार हुए। इनका उद्देश्य देश में मुसलमानों का मनोबल गिराना है। आप चाहे जो भी कहें, इसका उद्देश्य यही है और आप इससे इन्कार नहीं कर सकते। सभी दंगे मुसलमानों का मनोबल तोड़ने और आर्थिक रूप से उन्हें कमजोर करने के लिए होते हैं। इनका यही उद्देश्य है। आप चाहे जो भी कहें कि प्रत्येक भारतीय बराबर है तथा हिन्दू और मुसलमान में कोई अन्तर नहीं है, परन्तु वास्तविकता इससे अलग ही है। यह एक तथ्य है। आप हमें तथ्यों की जानकारी क्यों नहीं देते ? जब भी दंगे होते हैं, तो सबसे ज्यादा हानि मुसलमानों की होती है, सबसे ज्यादा मुसलमान मारे जाते हैं, और उन्हीं के घर जलाए जाते हैं। मैं जानता हूं कि 90 प्रतिशत मुसलमानों को तकलीफ उठानी पड़ती है। दूसरों को भी दुख उठाने पड़ते हैं, परन्तु उनमें 90 प्रतिशत मुसलमान हैं। यह सब कुछ इस देश में स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर आज तक होता आ रहा है। हम सबसे अधिक पीड़ा झेल रहे हैं। इसलिए हमें सरकार की सहानुभूति तथा न्याय की आवश्यकता है।

हमारे प्रधान मंत्री का यह कहना है कि वह इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि यह कानून और व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। परन्तु मेरी यह विनम्र राय है कि जहां तक सांप्रदायिक दंगों और साम्प्रदायिक हिंसा का प्रश्न है; वह उन्हें केवल कानून और व्यवस्था का मुद्दा कहकर इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। आज यह सब राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुरक्षा मिले। यह आमतौर पर होता आया है कि पी० ए० सी०, आर० ए० सी० तथा दूसरे राज्य बल इस सम्बन्ध में असफल रहे हैं। अभी-अभी मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि राज्यों के सुरक्षा बल बिल्कुल असफल प्रमाणित हुए हैं और अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है तो वह केन्द्रीय सुरक्षा बलों के वहां पहुंचने पर ही हुआ है। अब यह केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व है। यहां पर आपको 'रथ यात्रा' के उद्देश्य को समझना पड़ेगा। जैसा कि उनका कहना है कि रथ यात्रा का उद्देश्य मन्दिर के निर्माण के लिए कार सेवा करना है। परन्तु, मैं यह कहता हूं कि ऐसा नहीं है। रथ-यात्रा का उद्देश्य मस्जिद को गिराना तथा देश में तनाव पैदा करना, इस देश की अखंडता को नष्ट करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि हिन्दू-राष्ट्र को अस्तित्व में लाया जा सके। आपको मेरा ऐसा कहना पसंद नहीं आयेगा क्योंकि आप मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं। परन्तु रथ-यात्रा में क्या

हो रहा था ? रथ-यात्रा के दौरान तलवारें और त्रिशूल लहराये जा रहे थे। रथ-यात्रा में अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। यहां पर वे मुसलमानों को इस सदन का सदस्य बनाना चाहते हैं। वे यह कहते हैं कि सभी मुसलमान उनके भाई हैं। उनके लिए कितना प्यार है ! कम से कम इस सदन में मुसलमानो के लिए प्यार दिखाने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। परन्तु सदन से बाहर ?

[हिंदी]

"हिन्दुस्तान में रहना है तो हिन्दू बन कर रहना होगा"।

[अनुवाद]

इसका क्या अर्थ है ? क्या उनका यह नारा दीवारों पर नहीं लिखा हुआ है ? इस सम्बन्ध में पोस्टर भी लगाये गए और रथ-यात्रा के दौरान भी यह नारे लगाए गए।

[हिन्दी]

"हिन्दुस्तान में रहना है तो हिन्दू बन कर रहना होगा।"

[अनुवाद]

वे हमेशा यह चाहते रहे कि हमें पाकिस्तान भेज दिया जाये। वे हमेशा हमें पाकिस्तान के बारे में सोचने पर मजबूर करते रहे हैं तथा यह अहसास दिलाते रहे हैं कि हम यहां पर सुरक्षित नहीं हैं। क्या यह सब हमसे न्याय करना है ? अभी भी वे यह कहते हैं कि :

[हिन्दी]

"और फिर क्या कहा आपने कि मुसलमानों के हम दोस्त हैं।"

[अनुवाद]

इसका तात्पर्य यह है कि अगर आप भारत में रहना चाहते हैं, तो या तो कुरान को छोड़कर हिन्दुओं की तरह रहिए अन्यथा भारत छोड़ दीजिए। यह उनका नारा है।

आप यह कहेंगे कि मुझे उन लोगों के नाम नहीं लेने चाहिए जो इस सदन में उपस्थित नहीं हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि विश्व हिन्दू परिषद के एक नेता ने कहा है कि केवल एक मस्जिद नहीं बल्कि वे तीन हजार मस्जिदों पर आधिपत्य जमायेंगे। उन्होंने यह कहा है कि मुसलमान इस देश में किसी राजनैतिक पार्टी अथवा राजनैतिक संरक्षण की आड़ में नहीं रह सकते। मुसलमान केवल हमारी दया पर इस देश में रह सकते हैं। जरा देखिए कि उन्होंने क्या घोषणा की थी। जब ऐसी घोषणायें की जाती हैं कि मुसलमानों को उनकी दया पर रहना होगा तथा तीन हजार मस्जिदों पर अधिकार किया जाएगा, तब सरकार क्या कर रही होती है ? कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है। जो भी ऐसी घोषणा करता है, साफ बच कर निकल जाता है।

और फिर पी० ए० सी० है। मैंने हमेशा इस सदन में कहा है कि पी० ए० सी० एक स्थायी साम्प्रदायिक बल है। उनमें मानवीयता नहीं आ सकती। प्रो० मधु दण्डवते यहां पर उपस्थित हैं, कई वर्षों से हम यह मांग करते आ रहे हैं कि एक सम्मिलित बल का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें

मुस्लिम, ईसाई और सिक्ख, सभी को सम्मिलित किया जाना चाहिए। परन्तु पी० ए० सी० में शत-प्रतिशत एक ही समुदाय के लोग हैं। मुस्लिम लोगों को इस पर भरोसा नहीं। पी० ए० सी० हमेशा लोगों पर आक्रमण करती है, आग लगाती है तथा लोगों को मारती है—जिनमें अधिकतर मेरे हिंदू भाई नहीं होते। मेरे हिन्दू भाई नहीं बल्कि यह बल ही लोगों को मारता है, लूटता है और उनकी सम्पत्ति को आग लगाता है।

मैंने उस दिन भी कहा था कि यह एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। कानपुर में पी० ए० सी० ने कहा कि ठीक है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम इस मुहल्ले पर हमला नहीं करेंगे बशर्ते आप हमें पांच लाख रुपए दे दें क्योंकि जब हम लूटमार और आगजनी करते हैं तो हम पांच लाख रुपए कमा लेते हैं। उन्होंने यह कहा है कि सभी मोहल्ला निवासी मिल कर हमें पांच लाख रुपए दे दो और हम आपकी सुरक्षा करेंगे। इस प्रकार की कार्यवाही पी० ए० सी० कर रही है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य किया जाना चाहिए जो कि अत्यावश्यक है।

हमारे मित्र दंगा निरोधक बल के गठन की मांग करते रहे हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि अगर कहीं दंगा होता है तो उसके लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाती है। इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। जब हम यहां पर मामले को उठाते हैं तो कभी एक लाख रुपये, कभी पचास हजार रुपये और कभी बीस हजार रुपये मुआवजे के रूप में दे दिए जाते हैं। यह अंतर क्यों है ? एक जगह कोई आदमी मारा जाता है तो उसके आश्रितों को मुआवजे का एक लाख रुपए दिया जाता है और दूसरी जगह पचास हजार या बीस हजार रुपए।

श्री मदन लाल खुराना : हैदराबाद में केवल दस हजार रुपए।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : ऐसा क्यों किया जाना चाहिए ? अगर एक स्थान पर एक लाख रुपए दिया जाता है तो हर स्थान पर एक लाख रुपए ही दिए जाने चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : क्योंकि वहां पर मरने वाले ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग थे।

[अनुवाद]

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : जो भी हो, मुआवजा हर जगह समान मिलना चाहिए। पुनर्वास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। हमें वर्तमान स्थिति तथा फासिस्ट और सामुदायिक ताकतों के उद्देश्यों को समझना चाहिए। इसलिए हमें यह कदम अवश्य उठाने चाहिए। हमें गंभीर कदम उठाने होंगे तथा पी० ए० सी० का पुनर्गठन करना होगा। यह सरकार का दायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करे जोकि इस देश में अत्यधिक कष्ट झेल रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि प्रधान मंत्री को सभी दंगा-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए था, इससे वहां के अल्पसंख्यकों को कुछ सांत्वना मिलती। मैं जानता हूं कि वे दिल्ली के दंगा-ग्रस्त क्षेत्रों में गए थे। परन्तु यह स्थान काफी

नजदीक है। उन्हें बिजनौर, अलीगढ़, हैदराबाद तथा आगरा की भी यात्रा करनी चाहिए थी। इससे वहां के अल्पसंख्यकों के मन में विश्वास की भावना पैदा होती क्योंकि वे राज्य सरकार तथा राज्य सरकार के सुरक्षा बलों पर निर्भर नहीं रह सकते; वे केवल केन्द्र सरकार पर विश्वास कर सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और यह प्रचार कि आपकी उनके प्रति सहानुभूति है, उसे गलत साबित किया जा सके। दिल ही दिल में वे उन्हें तबाह और समाप्त करना चाहते हैं। वे उन्हें आर्थिक रूप में तबाह करना चाहते हैं और उनकी पहचान मिटाना चाहते हैं। यही उनका मुख्य उद्देश्य है। आज हमें इसे समझना चाहिए। सभी धर्म निरपेक्ष ताकतों को एकजुट हो जाना चाहिए। आप मुस्लिम लीग को साम्प्रदायिक संगठन कह सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग को साम्प्रदायिक संगठन कहना गलत है। यह मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों का एक राष्ट्रीय राजनैतिक संगठन है। यह देश की अखण्डता और धर्म निरपेक्षता बनाए रखने के लिए है। यह झगड़ा और घृणा फैलाने वाली प्रतिक्रियावादी फासिस्ट तथा साम्प्रदायिक ताकतों का मुकाबला करने के लिए सभी धर्म निरपेक्ष ताकतों का साथ देती है। मुझे आशा है कि सरकार अपने कर्तव्य को समझेगी और इसके साथ ही सभी वामपंथी दलों को यह समझना चाहिए कि देश को संकट से बचाना राष्ट्रीय कर्तव्य है और हमें देश में शान्ति कायम करनी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बाद में बोलने का अवसर दिया जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देशमुख, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री महाडीक, आप भी अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। यदि आप सब अपनी मर्जी से बोलना चाहते हैं तो मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं। यदि आप दस मिनट तक अपने भाषणों को जारी रखेंगे तो इससे कठिनाई पैदा हो जाएगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सभा की कार्यवाही का संचालन करने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : महाडीक जी, देशमुख जी, आप सब बैठ जाइए, मैं खड़ा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, आप लोग अगर इस तरह से टाइम लेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा।

(व्यवधान)

श्री सुदाम दत्तात्रेय देशमुख (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मुस्लिम लीग के सदस्यों को बोलने की अनुमति दी गई है तो शिवसेना के सदस्यों को भी बोलने का समय मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्लीज, अंडरस्टैंड, एक मिनट सुन लीजिए।

श्री वामनराव महाडीक (मुंबई दक्षिण मध्य) : हमको भी थोड़ा-सा समय मिलना चाहिए, ताकि प्रधान मंत्री महोदय हमारी बातों का भी जवाब दे सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको 2 मिनट का समय देते हैं तो आप 10 मिनट का समय ले लेते हैं। मैं आपको समय दे रहा हूं, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : आपके नियम सबके लिए समान होने चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपके सदस्यों को भी अधिक समय दिया है।

[हिन्दी]

आप इतने समय में बोल भी लेते। मैं आपको समय दे रहा हूं। दो मिनट में जो कुछ बोलना है, आप बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमने प्रधान मंत्री महोदय को 6 म० प० पर बोलने का समय दिया है। अब 7 म० प० बज चुके हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय दूंगा। परन्तु आपको सभा से सहयोग करना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : फिर आप बार-बार बोल रहे हैं। अगर इस प्रकार करेंगे तो न आपको समय मिलेगा और न दूसरों को समय मिलेगा।

श्री वामनराव महाडीक : उपाध्यक्ष महोदय, पहले से आप ऐसा बोल रहे हैं। मेरे ऊपर आप रोक लगा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी पर चार्ज लगाते हैं कि रथ-यात्रा के कारण हिन्दू-मुस्लिम के रॉयट्स हो गए। अयोध्या का युद्ध काण्ड हो गया तो हिन्दू-मुसलमान फसाद नहीं हुआ लेकिन दूसरा काण्ड जब शुरू हुआ सत्याग्रह का जब हिन्दू-मुस्लिम फसाद सब जगह होने लगा। इसके पीछे कोई न कोई शक्ति है, कोई न कोई कारण है। पाकिस्तान स्पोंसर्ड जो मुसलमान हैं उन्होंने यह सब किया है। उनके पास आधुनिक हथियार कहां से आए? आधुनिक अस्त्र-शस्त्र कहां से आए, इसकी जांच करें। यह जो युद्ध-काण्ड है इसके बारे में बताइये। जब-जब हिन्दू मार खाता है,

वह जुल्म सहन करता है तो यह सैक्यूलेरिज्म होता है और जब माइन्योरिटी के ऊपर कोई हमला हो जाए तो सैक्यूलेरिज्म होता है, लेकिन हिन्दू के ऊपर जुल्म हो जाए और वह उसका प्रतिकार करे तो सैक्यूलेरिज्म नहीं है। वह धर्म-विद्रोह है। यह कैसा सैक्यूलेरिज्म है ? आज नहीं तो कल सब हिन्दू एक होने वाले हैं और अपने ऊपर होने वाले जुल्म का प्रतिकार करने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो लैफटिस्ट्स ने सैक्यूलेरिज्म की बात बोली और हमें सिखाने की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने रशिया में क्या किया, चीन में क्या किया। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ ? सब रक्तपात किया। ये हमें बता रहे हैं कि शान्ति रखो। हैदराबाद तक दंगा-फसाद हो गया। यह सब पाकिस्तान स्पोंसर्ड है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। इससे आडवाणी जी का क्या संबंध है ? पाकिस्तान जिन्दाबाद बोलते हैं, पाकिस्तान का झण्डा लहराते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं, जब हिन्दू का दिल तोड़ते हैं, अपमान करते हैं, तब न्याय ध्यान में नहीं आता। बाबरी मस्जिद के बारे में जो आप कहते हैं, बाबर कौन था ? ही वाज इनवेटर आफ इण्डिया। जितने हमारे धार्मिक स्थान थे वे तोड़ डाले। जंगल का कानून रखने वाले बाबर के साथ प्यार कैसे हो सकता है। आज हिन्दू लोगों को लात मारते हैं, उनका अपमान करते हैं, उसके ऊपर जुल्म करने वाले का साथ देते हैं, इसलिए सब हिन्दू एक हो जायेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहा है।

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी, देश को मजबूत करने के लिए तीन चीजें हैं जो संविधान में लिखी गई हैं। वे हैं धर्मनिर्पेक्षता, प्रजातंत्र और समाजवाद। कुछ ऐसे लोग समाजवाद का मंदिर, प्रजातंत्र का मंदिर, और धर्म-निरपेक्षता का मंदिर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देश में कुछ ताकतें खड़ी होकर फासिज्म फैलाने का प्रयास कर रही हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मुख्य मानते हैं। ये ही लोग देश को तोड़ने वाले हैं और इससे देश का कल्याण नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी निजी तरीके से फासिज्म पैदा करने के लिए कटिबद्ध है।.....(व्यवधान) लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या किया। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लोग, अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोग और अकलियत के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और राजनैतिक तथा सामाजिक चेतना से लैस हो रहे हैं और अपने हकों के बारे में जागरूक हो रहे हैं। आने वाले समय के लिए धर्म का विष पिलाकर के इन्हें पीछे धकेलने का प्रयास किया जा रहा है और सामाजिक चेतना से शून्य किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है और हमारे यहां के अगल-बगल के लोग कार-सेवा में नहीं गए थे। सारे के सारे लोग बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कार-सेवा में बुलाए गए थे। उत्तर प्रदेश के बहुत कम संख्या में कार-सेवा में गए थे। दूसरे इलाकों के लोग भी बुलाए गए थे.....(व्यवधान) जबकि जनता ने इनका समर्थन नहीं किया। हमारे क्षेत्र फूलपुर में जगतगुरू शंकराचार्य को पता नहीं चला। आडवाणी साहब का रथ उत्तर प्रदेश में जाता तो भारतीय जनता पार्टी को पता लग जाता। रथ यात्रा को पंजाब और काश्मीर में क्यों नहीं ले जाते। वहां पर आपको जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में हिन्दू धर्म का खतरा नहीं है। आडवाणी साहब धर्म और राजनीति को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के लोग काफी जागरूक हैं। हिन्दू धर्म की रक्षा करनी थी तो पंजाब में जाना चाहिए था। वहां जाने की हिम्मत

आतंकवाद की वजह से नहीं कर सके। अयोध्या की जनता राजनीतिक और सामाजिक चेतना से लैस है।··· (व्यवधान) इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे सारे देश की जनता का सवाल पैदा हो गया है··· (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्य जो बोलना चाहते हैं वे बोलें और प्रधान मंत्री जी भी कल बोलें, आप इसका समय बढ़ा दें। आप इसको स्वीकार कर लें। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर प्रदेश में कितनी संपत्ति को नुकसान हुआ और कितने लोग मारे गए, इसके लिए दोषी कौन है··· (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस बहस का समय बढ़ा दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर यह कल 193 में आ जाता तो इसको कल लिया जाता। आपने एडजर्नमेंट मोशन के तरीके से लिया है। एडजर्नमेंट मोशन का डिसकशन समाप्त करके थोड़ा-सा बिजनेस लेना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से एडजर्नमेंट मोशन को 193 में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है इसलिए आप उस पर दबाव न डालें।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मित्रसैन जी ने जो सुझाव रखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय जो परिस्थिति है, वह बहुत विस्फोटक और विषम है और सदस्यगण उसके बारे में विचार व्यक्त करना चाहते हैं, यदि सारा सदन इस मामले में एकमत हो तो इसको 193 के रूप में बदल कर कल लिया जाए। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर प्रसाद (आरा) : जैसा कि तमाम सदस्यों ने साम्प्रदायिकता पर अपने विचार यहां पर रखे कि विश्व हिन्दू परिषद और भा० ज० पा० हिन्दू राष्ट्र के बारे में प्रचार कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, कई भाषाएं वाले व बहुत सारी राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं और इसके बावजूद वहां एक धर्म की बात करके हिन्दू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है, वह निश्चित रूप से देश को तोड़ने की बात की जा रही है। पूर्वांचल में देखिये वहां क्रिश्चियन अधिक हैं, पश्चिम यानी काश्मीर में मुसलमान लोग हैं, पूरे देश में 12 प्रतिशत मुसलमान हैं और फिर भी यहां राम नाम की बात की जाती है, उसको थोपने की बात की जाती है। आडवाणी जी ने सफाई दी, लेकिन शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव जी ने हाउस में कहा कि इस देश में रहना है तो राम का नाम लेना होगा। यह जबर्दस्ती एक धर्म को सब पर थोपने की बात हो रही है। इस देश में रथ यात्रा से दूसरे धर्मों के लोगों में एक उन्माद पैदा किया जा रहा है, दंगे हो रहे हैं और लोगों की जानें जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए साम्प्रदायिक दंगे करा रही हैं। इस पर कड़ाई से रोक लगाने की जरूरत है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसी शक्तियों को खासकर जिनका दंगों में नाम आया है उन लोगों को सजा देने का काम किया जाये। जब तक उनको कोई सजा नहीं दी जायेगी तब तक देश में ये दंगे नहीं रोके जा सकते हैं।

श्री मुन्नन खां (बलरामपुर) : माननीय, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक राष्ट्र हमारा है।

इस राष्ट्र में आज गली में, शहर में, कूचे से, सड़कों पर, रेलों में, बस में जो साम्प्रदायिकता की लहर छाई हुई है और हर गांव से साम्प्रदायिकता का धुआं उठ रहा है, इसकी असली जड़ मन्दिर और मस्जिद नहीं है, हमारे प्रजातंत्र में कुछ कमजोरियां हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे प्रजातंत्र में वर्तमान चुनाव पद्धति साम्प्रदायिकता की देन है और जड़ है। जिस तरह से ग्राम सभा प्रधान से लेकर संसद सदस्य के चुनाव होते हैं उसमें जातिवाद बढ़ता है और ये चुनाव हमारे देश में खर्चा भी बढ़ाते हैं। जो आगे जाकर साम्प्रदायिकता में बदल जाता है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि वर्तमान चुनाव व्यवस्था में समय देकर हमारे सुझाव को मान लें और देश में साम्प्रदायिकता की समाप्ति के लिए राष्ट्रीय समाजवादी भावनाओं वाले मान्य दलों के आधार पर चुनाव करवाने की व्यवस्था संबंधी और यह हमारे जो पूजा स्थल हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावशाली कानून बहुत जल्द बनायें और जो हमारे यहां साम्प्रदायिकता को बढ़ाने वाले कुछ विदेशी खूराना और आडवाणी जी जैसे लोग बैठे हुए हैं इनकी नागरिकता को खत्म किया जाये (व्यवधान) मान्यवर, यह जो अखबारों के माध्यम से, पम्फलैट्स के माध्यम से और दीवारों पर नारों के माध्यम से साम्प्रदायिकता फैलाई जाती है इसको बन्द किया जाये, इस पर रोक लगाई जाये और इन दंगों में जो वांछित लोग हैं, जो दंगे-फसाद के लिए जिम्मेदार हैं, भागीदार हैं उनकी जांच कराई जाये और दंगों का सारा खर्चा इन्हीं से वसूल किया जाये। जो हमारे राष्ट्र की कमाने वाली इकाई है वह भयभीत है। एक पाई का काम नहीं कर रही है तथा उनकी जायदाद जब्त कराई जाए। मान्यवर, हमारे राष्ट्र की कमाऊ इकाई भयभीत है। कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। मजदूर किसान, व्यापारी, दुकानदार अपने-अपने काम पर नहीं जा पाते हैं। आदमी, अगर खेत में काम करता है तो वह नहीं कर रहा, पानी नहीं दे रहा, उत्पादन नहीं हो रहा, घर में लोग बैठे हैं। हमारे राष्ट्र की कमाई की इकाई अपनी जान बचाने के लिए खेतों में बैठी है और अपनी रातें गुजार रही है। इनकी सुरक्षा के लिए आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि इनके लिए अच्छे आवास बना दिये जायें, निर्बलों की सुरक्षा के लिए या तो इन्हें लाइसेंस दिये जायें या इस देश के सारे लाइसेंसों को निरस्त किया जाये। इसके साथ ही गरीब लोगों की सुरक्षा के लिए उनको फौज में भर्ती किया जाये। राष्ट्र की मर्यादा की सुरक्षा कल्पना राष्ट्र के सभी वर्गों की निर्भीकता तथा खेती व व्यापार में गति ही राष्ट्रीय गौरव का मात्र आधार बिन्दू है।

7.00 म० प०

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने बड़ी पीड़ा के साथ इस सारे विवाद को सुना। जो कुछ भी पिछले दिनों में हुआ है, उससे किसी भी भारतीय को लज्जा का अनुभव होगा। मैं किसी दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहता। इस सदन के नेता के रूप में और भारत के प्रधान-मंत्री के रूप में मैं पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हूं। मैं मानता हूं कि अगर एक भी हिन्दुस्तानी मरता है तो हमारे लिए कलंक की बात है, एक शर्म की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में उन मित्रों से कहना चाहूंगा कि सारी बीमारी डेढ़ महीने में पैदा नहीं हुई है। यह बीमारी पुरानी है। इसके इलाज के लिए हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह इलाज ला-इलाज रहा। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। पिछले दिनों में कितने दंगे हुये, कितने लोगों की मौत हुई, इससे हमारा डांडस नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा कि यदि एक भी आदमी मरता है तो हमारे लिए यह कलंक

की बात है। हमें इसकी तह में जाना पड़ेगा कि ये दंगे क्यों होते हैं? हमारी भावना और हमारे जजबात क्या हैं? जब हमने इन्द्रजीत जी और सैफुद्दीन जी का भाषण सुना तो हमें थोड़ा ढांढस मिला कि हमारे दिल में बैठा हुआ वह जजबा जो भाई-भाई को और इनसान को इनसान से अलग करता है, वह दंगे की जड़ में है। दंगे के लिए मजहब जिम्मेदार नहीं है लेकिन जब मजहब का इस्तेमाल सियासत के लिए करते हैं तो मजहब खतरनाक चीज हो जाती है। मजहब अगर भगवान और आदमी के बीच रिश्ता कायम करने का हथियार है तो यह मजहब आदमी को ऊंचाईयों की ओर ले जाता है। जब मजहब हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन में प्रवेश करके इनसान की फितरत और आदमी के स्वभाव को प्रभावित करने लगता है तो मजहब खतरनाक बन जाता है और यही बीमारी हमारे देश में है। यह बीमारी पुरानी है। इसके नाम पर इस देश का बंटवारा हुआ और वह इतिहास हमारे पीछे है। हमारे उप-प्रधानमंत्री ने जब उस जमाने का जिक्र किया तो उस समय भी यही नहीं कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, वे भावावेश में जकड़े हुए थे, दूसरी ताकतें भी थीं जो बहुमत की ताकतें थीं, उनके मन में भी वही जजबात काम कर रहा था। हम नहीं जानते हैं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते और न ही किसी नेता का नाम लेना चाहते हैं क्योंकि यह वातावरण ऐसा नहीं है कि हम यहां तनाव पैदा करके कुछ और लोगों की मौत का कारण बनें। इसलिए नहीं लेना चाहते, इसमें कोई हिचक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि जब हिन्दुस्तान के किसी कोने में कोई नारा लगाता है कि "बाबर की सन्तान, छोड़ो हिन्दुस्तान" तो इससे पता चलता है कि जजबा क्या है? दिलों में कितना द्वेष, कितनी घृणा, कितना एक दूसरे के प्रति नफरत भरी हुई है। ये नारे लगाने वाले हमारे ही भाई हैं। ये नारे लगाने वाले हमारे ही बीच के लोग हैं और जब हमारे देश में यह कहा जाता है कि धर्म के मामले में सबको बराबरी है, हमको इसमें कोई ऐतराज नहीं है। किसी धर्म में कोई अंतर नहीं होना चाहिए – चाहे वह बहुमत का धर्म हो, चाहे अल्पमत का धर्म हो। लेकिन जब यह कहा जाता है कि अल्पमत वालों को समान अवसर क्यों नहीं दिए जाते, उनको अगर कोई विशेष मदद दी जाती है, जो उनको तुष्ट करने की बात है, उनके साथ वोट की राजनीति है, मैं बड़े विनम्र शब्दों में उन लोगों से कहूंगा कि उन्होंने शायद हमारे संविधान की मूल धाराओं को नहीं समझा। हमारे संविधान में धर्म में सबको बराबरी दी गई है लेकिन अल्पमत को विशेष सुविधा देने का प्रावधान हमारे संविधान में क्यों रखा गया? क्योंकि अल्पमत के लोगों के दिलों में जो डर होता है, जो उनके मन में शंका होती है और मैं यह कहूं अगर मुझे गलत न समझा जाए—समाज में जो उनका तिरस्कार होता है या उनकी जो जरूरत की मांगें पूरी नहीं होतीं, उसके पीछे हमारे संविधान के बनाने वालों ने सोचा था कि उस समय कोई ऐसा संविधान में प्रॉविजन हो, ऐसा अंश हो जिससे हमारे अल्पमत के लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर यह कहना चाहूंगा कि हमारे देश की कोई नई बात नहीं। सारी दुनिया में अल्पमत के लोगों के मन में यह डर होता है, यह शंका होती है, चाहे अकलियत हो जुबान की भाषा की, चाहे वह अकलियत हो धर्म की या "ऐथनिक माइनॉरिटीज" हों, उन अकलियत के दिलों के इस डर को मिटाने की जिम्मेदारी अकसरियत की, हुकूमत की और सरकार की होती है। अगर इस जिम्मेदारी को हम निभाने के लिए तैयार नहीं हैं तो उपाध्यक्ष महोदय, बिना किसी की ओर

संकेत किए हुए मैं आपके द्वारा इस सदन से कहना चाहूंगा कि हम अपने राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करते। हम अपनी कौमी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करते। यह बात हमें समझनी चाहिए। हमारे देश में वह बात एक ओर बड़े जज्बे के साथ जुड़ी हुई है जो कुछ अच्छी यादें नहीं हैं बुरी यादें हैं। उन यादों को मैं दोहराना केवल इसलिए चाहता हूं कि हम असलियत के नजदीक पहुंच सकें। इस देश के दो टुकड़े हुए। कौन लोग पाकिस्तान गए। जितना यहां का धनी मुसलमान था, बड़े ओहदे पर था, वह पाकिस्तान चला गया। यहां गरीब मुसलमान रह गए। जिस समाज में साधन कम होते हैं, अवसर कम होते हैं वहां अवसर उन लोगों को मिलते हैं जो लोग अवसर पाने के लिए सिफारिश कर सकते हैं। हमारे हिन्दू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं। मुसलमान के साथ भी यह होता है, हिन्दू के साथ भी यही होता है। बड़ी जातियों के साथ यही होता है और पिछड़ी जातियों के साथ यही होता है। जो समाज पर ऊंचे तबके में बैठे हुए हैं वह अपने तबके के लोगों को ज्यादा प्रश्रय देते हैं। यह इन्सानी फितरत है, मानव स्वभाव है। यह सारी दुनिया में होता है, हिन्दुस्तान उससे कोई अछूता नहीं है। जब जितने धनी लोग थे चले गए, यहां गरीब मुसलमान रह गया। उसकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए अगर हम देखें—हमें यह मत फिर कहिएगा कि मैं चुनाव के लिए कोई वोट मांग रहा हूं। मैं केवल इस सदन के जरिए इस देश को बताना चाहता हूं कि 1947 के पहले सरकारी नौकरियों में···(व्यवधान)···अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल लीजिये, उसके बाद मैं बोल लूंगा। मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आपसे बहस में पड़ूं।

श्रीमन्, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर 1947 के पहले के आंकड़ों को देख लीजिए, चाहे वह सरकारी नौकरी हो चाहे वह तिजारत हो, चाहे दूसरे औद्योगिक प्रतिष्ठान हों, उनमें अकलियत के लोग, माइनॉरिटीज के लोग धीरे-धीरे पीछे होते गए। हमारे मित्र विजय कुमार मल्होत्रा ने एक बात कही, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक आंकड़ा दिया जो आंकड़ा अपने ही खिलाफ दिया। "जो बच्चे ज्यादा पैदा करता है वह ज्यादा गरीबी करता है"। जो ज्यादा पिछड़ा होता है वही ज्यादा बच्चे पैदा करता है, चाहे वह हरिजन हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाला इन्सान हो जिसके पास भविष्य के लिए कोई और आशा नहीं होती है, वह बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। इसलिए नहीं कि मुसलमान इस देश पर बहुमत करके 13 करोड़ अगर होंगे तो 85 करोड़ को पीछे नहीं कर सकते। 85 करोड़ में 72 करोड़ को पीछे नहीं कर सकते। इस नजरिए से अगर हम अकलियत की समस्याओं को उनके मसायल को देखेंगे तो हम गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। मैं भी यह बात मानता हूं। कभी-कभी हमारे अकलियत के नेता और अकलियत के लोग गुस्से में बातें करते हैं यहां सदन के अन्दर भी और सदन के बाहर भी। मैंने फिर कहा कि सारी दुनिया में होता है। मगर अकलियतों की बातों का अर्थ अगर हम शब्दकोष से लगायेंगे, डिक्शनरी से लगायेंगे तो हरदम हम गलत राजनीतिक फैसले पर पहुंचेंगे। अकलियत के लोग गुस्से में बोलते हैं तो वह हमारे लिए चुनौती नहीं है, वह उनके मन का दर्द है उनके मन की पीड़ा है, उनके दिल के जजबात हैं, जिन जजबातों को जाहिर करने के लिए वे मजबूर हैं। मैं बड़े विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि अकलियत के लोगों की बातों पर इस देश के बहुमत को, इस देश की अक्सीरियत को नहीं जाना चाहिए। हम उनके जजबातों को देखें। वे भी आप ही के भाई हैं। वे बाबर की संतान नहीं हैं। बाबर तो 10 हजार लोगों को लेकर आया था, यहां के करोड़ों लोग वैसे

10 हजार नहीं पैदा कर सकते थे। वे तो हमारे ही भाई, हमारे ही घर के तिरस्कृत लोग थे, हमसे दुत्कारे गए थे, जो मुसलमान हो गए थे। इसलिए इतिहास को हमें इस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अगर इतिहास को हम इस नजरिए से देखेंगे तो हमेशा इतिहास को बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार हम ही होंगे। मैं मानता हूं कि सवाल कुछ उठाये जाते हैं। क्या राम हमारे विवाद का विषय हो सकते हैं। कोई भी हो, जो भारत में रहता है, समझता है कि राम हमारी सभ्यता और संस्कृति के अनूठे व्यक्तित्व थे। यों कहिए कि ऐसी विभूति थे जिस पर किसी भी भारतीय को गर्व हो तो क्या राम के नाम पर भाई भाई का खून बहायेगा। मैं नहीं जानता कि किस राम की परिभाषा में हमसे कहा गया है कि राम एक गज जमीन के अन्दर पैदा हुए। मैं यहां कोई उस विवाद में नहीं जाना चाहता। अगर हमारे मुसलमान भाई कृपापूर्वक उनको कहेंगे कि राम को आप यहां बना लो तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन किस हिन्दू धर्म में कहा गया है ऐसा। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यसभा में मैथिली शरण गुप्त ने कहा था :

राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या,

विश्व में रमे हुए, सभी कहीं नहीं हो क्या।

तब मैं निरीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करे,

तुम नरोत्तम हो, मन तुममें रमा करे॥

यह हमारी कल्पना है। राम हर मन्दिर में हैं, हर मस्जिद में हैं, हममें, तुममें हर कण-कण में व्यापे राम हैं —यही हिन्दू धर्म है। कौन-सा हिन्दू धर्म हमें यह बताता है कि एक गज जमीन के लिए, राम के नाम पर हत्याओं का व्यापार इस देश में चले। यदि कोई राजनैतिक नेता कहे, कोई धार्मिक नेता कहे···(व्यवधान)···याद रखिये, हजारों वर्षों की सभ्यता और संस्कृति की धारा को हम नहीं बदल सकते हैं। हम लोग संसद् के सदस्य हो सकते हैं लेकिन भारतीय संस्कृति के नीतिकार नहीं हो सकते हैं। हम कोई शास्त्रकार भी नहीं हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति की अनवरत धारा गंगा की तरह बहती हुई है। इसकी एक ही विशेषता है, कि हमने हर धर्म के लोगों को अपने में समाविष्ट किया। किसी का हमने तिरस्कार नहीं किया। समाविष्ट करने के लिए, हमने किसी के विरुद्ध हथियार नहीं उठाये, अपने में समाविष्ट करने के लिए हमने कोई जोर जबर्दस्ती नहीं की बल्कि समझा-बुझाकर समाविष्ट किया। इसीलिए जब मैंने प्रयास किया कि राम जन्मभूमि के मसले का हल आपसी बातचीत के जरिए किया जाए तो हम समझते थे कि जो भारतीय संस्कृति की अनमोल देन है, जो हिन्दुओं के मन में भी है और मुसलमानों के मन में भी है, मैं आपसे निवेदन करूं कि भारतीय संस्कृति किसी एक व्यक्ति की विरासत नहीं है। हमारी संस्कृति उन करोड़ों लोगों की उपलब्धि है जो भारत मां की धरती में जन्मे हैं। कौन कहेगा कि ताजमहल हमारी संस्कृति का अंग नहीं है। कौन इंकार करेगा कि लाल किला हमारी संस्कृति की अनूठी देन नहीं है। अगर यह बात है तो किसको आप अपने से अलग कर रहे हो। क्या अपने एक अंश को, टुकड़े को काटकर, शरीर को विकसित करना चाहते हो। इस तरह से न तो हमारी संस्कृति का विकास होगा और न देश का विकास होगा। यही बुनियादी सवाल आज हमारे सामने है। इसीलिए मैं आज आपसे कहूंगा, उपाध्यक्ष जी, मैं आपके जरिए इस देश की जनता से कहना चाहता हूं

कि इस सवाल पर कोई विवाद मत खड़ा कीजिये। हमारे पास विवाद के लिये अनेक अवसर हैं। विवाद के लिए हमारे सामने आर्थिक सवाल हैं दूसरे सवाल हैं। इंसान-इंसान के रिश्ते के बीच में किसी तरह का विवाद हमें पैदा नहीं करना चाहिए। हम राम और रहीम के बीच में फर्क करने की कोशिश न करें। यदि राम और रहीम के बीच में फर्क करेंगे तो क्या उससे हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ जायेगी, क्या हमारा गौरव बढ़ जाएगा। आज मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं, जैसा कि हमारे मित्र सैफुद्दीन साहब ने कहा, वे नौजवान आदमी हैं, उनमें जोश ज्यादा है, जब कि मुझमें उतना जोश नहीं है। मैं जानता हूं कि कोई भी मुख्यमन्त्री हो, उसे रोक नहीं सकता लेकिन जिस समय दंगे होते रहते हैं, गोलियां चलती हैं, छुरे चलते हैं, मुश्किल से 100-200 या 500 पुलिस के लोग वहां होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मन की कमजोरियां हो सकती हैं। यदि प्रधान मन्त्री कहीं जाता है तो कोशिश चाहे कितनी भी करते रहिए, सारी पुलिस उस प्रधान मंत्री की सुरक्षा में लग जाती है और कोई दंगाग्रस्त इलाके में नहीं जाता। मैं नहीं जानता, मेरा आंकलन गलत हो सकता है, मैं यह नहीं कहता कि मैं सही हूं, मैं अपने दोस्त, बुजुर्ग मुस्लिम लीग के नेता से भी कहना चाहता हूं कि जहां हम जानते थे कि इतनी फौज है, इतनी पुलिस वहां लगी हुई है, पांच सौ, हजार लोग प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में लग जायें, तो उन गलियारों में जहां लोग तड़प रहे थे, शायद एक भी पुलिस का आदमी न रह जाए। यह मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन कोई इसलिए नहीं कि मेरे पास साधन की कमी है, कोई इसलिए नहीं कि मुझे डर था कि वहां जाने पर कोई हमको मार डालेगा, लेकिन हर आदमी की अपनी कमजोरियां होती हैं। शायद वह मेरी कमजोरी हो, इसको स्वीकार करने में मैं हिचकूंगा नहीं, लेकिन इसलिये नहीं कि दंगे के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। उसके हर घंटे की बात, जहां कहीं भी दंगा हुआ है, चाहे वहां के मुख्य मंत्री से, चाहे वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और चाहे वहां के एस० पी० से, हमने सम्पर्क किया है।

सैफुद्दीन साहब ने अलीगढ़ की बात की। मैं जानता हूं कि कई जगह पर अधिकारियों ने असावधानी बरती और वे जानते हैं, लेकिन दूसरा पहलू उन्होंने नहीं कहा कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस० पी० को 4 घंटे के अन्दर वहां से ट्रांसफर किया है। हमको यह जानकारी थी और कदम उठाया गया। ऐसा नहीं है कि हमने कदम नहीं उठाए, जहां हवाई जहाज से फौज और पुलिस भेजी जा सकती थी, हमने कोशिश की।

यह भी एक बात कही जाती है कि वायदे किए। मैं नहीं जानता कि कितने वायदे किए गए। राइट पुलिस बनाने के बारे में लोगों ने बात कही और इस मामले को उठाया है कि इसमें कठिनाई है। हमारे साथी सुबोध कांत कहते रहे हैं—कठिनाई यह है कि बहुत-सी राज्य सरकारें, क्षमा कीजिएगा फिर कोई यह न समझे कि मैं फिर उनकी कोई आलोचना कर रहा हूं या उनको कोई धमकी दे रहा हूं, लेकिन बहुत-सी राज्य सरकारें शायद इसके लिए तैयार नहीं हैं और जिस तरह की वे बनायेंगे उस पर लोगों को विश्वास नहीं है। आज से कुछ दिन पहले हमारे यहां एक प्रस्ताव आया। प्रस्ताव यह आया कि जैसे हमारे यहां नैशनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो किसी भी इमरजेंसी में भेजा जा सकता है, अगर यह सदन इजाजत दे, तो हम यह चाहते हैं और हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि इस बात पर वे सोचें कि भारत सरकार के अन्दर

एक राइट पुलिस होनी चाहिए। जहां-कहीं भी राइट हो, उसके 3 घंटे के अन्दर उसको हम वहां भेजने का इन्तजाम कर सकें, लेकिन इसमें सदन का समर्थन चाहिए, इसमें राज्य सरकारों की सहमति चाहिये और इसके लिए अगर आप हमें इजाजत दें, तो इसमें साल दो साल नहीं लगेंगे, अगले सैशन में आने से पहले वह रॉयट पुलिस बनकर तैयार होगी, अगर आप इस बात के लिए तैयार हों। इसकी इजाजत आपको देनी होगी, सोचना पड़ेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं मानिए कि मैं कोई यह नयी बात कह रहा हूं—नैशनल सिक्योरिटी गार्ड है—जहां हाई जैकिंग होती है, कहीं खतरा पैदा होता है, तो जो सेंट्रल पुलिस है, वह जाती है। इसी तरह से अगर हम इस पैमाने पर सोचें और मैं कहता हूं कि हमें सोचना चाहिए। अगर कहीं राइट होता है, तो वहां पर जिम्मेदारी मर्कज को संभाल लेनी चाहिए और उसमें राज्यों की सरकारों का सहयोग ले और उसमें भी मजिस्ट्रेसी हो, उनकी इजाजत से किया जाए, लेकिन उस पुलिस को अपनी मर्जी से काम करने की छूट होनी चाहिए। शर्तें लगा सकते हैं कि वह पुलिस कहीं पर भी 3 दिन या 7 दिन से अधिक नहीं रहेगी। केवल रायट कंट्रोल करके, वापस आ जायेगी। इस तरह की बात हो सकती है। एक पुलिस की बात करते रहिए, बातें चलती रहेंगी —कब टैस्ट होगा, कब उनकी भर्ती होगी, किस आधार पर बनेगी, कहां से लोग ढूंढे जायेंगे, कौन भर्ती करने वाली मशीनरी होगी, जो उसमें फिर पक्षपात नहीं करेगी, ये सारे सवाल हैं। आज हमारे पास बहुत से पुलिस आर्गेनाइजेशन हैं, उनसे लोगों को लेकर हम इस तरह की एक व्यवस्था कर सकते हैं।

जहां तक दूसरा सवाल है, जो इन्द्र जीत जी ने उठाया, जज के बारे में। अब हम कहते हैं कि हमारे पास क्या रास्ता है —सोच सकते हैं - या तो आपस में बातचीत करके फैसला करें या दूसरा रास्ता, जुडीशियरी के जरिए हम फैसला करें। इस मुद्दे पर बहुत विवाद उठाया गया और कहा गया कि कांग्रेस प्रेसीडेण्ट ने यह प्रस्ताव दे दिया – मैं मजबूर था उस प्रस्ताव को मानने के लिये। यहां के दैनिक अखबारों ने, बड़े मशहूर अखबारों ने भी एक टिप्पणी की, एडीटोरियल लिखे हैं कि राजीव गांधी के दबाव में चन्द्र शेखर इस बात को मानने के लिये तैयार हुए। उपाध्यक्ष महोदय, आप पूछ लीजिये— वे किसी पार्टी के मैम्बर नहीं हैं —जस्टिस कृष्णा अय्यर, वर्गीज साहब और स्वामी अग्निवेश, हमारे पुराने मित्र हैं, हालांकि हमारे वे समर्थक नहीं हैं, इन लोगों ने पहले पहल वह प्रस्ताव रखा था। उसी प्रस्ताव को परिष्कृत रूप में श्री राजीव गांधी ने रखा और मैंने कहा कि इस पर सोचना चाहिये, इस पर विचार करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर सके, उसमें ऐतराज हो सकते हैं। किसी ने उपाध्यक्ष महोदय से पूछा कि क्या दोनों पक्ष उसको मानने के लिए तैयार हैं ? दोनों पक्ष उसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों पक्षों ने उसका विरोध नहीं किया है। उन दोनों पक्षों के नेताओं से हमने बातचीत करने की कोशिश की, कम से कम बाबरी मस्जिद समिति ने तो यह कहा है कि न्यायालय का निर्णय हमें मान्य होगा। जो कुछ भी होगा उस निर्णय को हम मान लेंगे। मैं यह अपेक्षा करता हूं कि विश्व हिन्दू परिषद के लोग भी इस तरह का ऐलान करेंगे। यही एक रास्ता है देश को बचाने के लिए, बनाने के लिए और एक बार में यह बात हो जाए तो फिर उसमें यह भी सुझाव है कि दूसरे पूजास्थलों के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, चाहे 1947 की तारीख मान लीजिए या जिसमें संविधान लागू हुआ 1950 का। संसद में प्रस्ताव लाकर संविधान में परिवर्तन करके जो भी करना होगा, करना है। इस बात को एक समय के लिए और हमेशा के लिए हल करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो यह भूत हमारा पीछा करता रहेगा

और इसके लिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम उसके लिए कृत संकल्प हैं चाहे उसके लिए जो भी कठिनाई उठानी पड़े। इंसान की जिन्दगी से बेशकीमती चीज कोई नहीं है। मैं यह समझता हूं कि पुलिस की गोली से दस लोगों को मरना पड़े तो मरें लेकिन छुरा मारने वालों के छुरे से कोई भी इंसान मरने को मजबूर नहीं होगा। आखिर राजसत्ता किसलिए है ? राजसत्ता लोगों की शक्ति का एक समुच्चय है। जब आदमी अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सका तो उसने अपनी ताकत राजसत्ता में, सरकार में दी। हमारी हिफाजत एक कलैक्टिव पावर्स, कलैक्टिव ऐनर्जी, स्ट्रैन्थ में सामूहिक शक्ति का प्रोत्साहन है यह राजशक्ति। राजशक्ति का उपयोग गांधी के देश में, बुद्ध के देश में न हो तो यह सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन अगर मजबूरियां हों, आदमी आदमी का खून बहाने के लिए बैठा हो तो राजशक्ति हाथ में हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। हमें आश्चर्य होता है, जगह-जगह से खबरें आती हैं कि कहीं फौज जा रही है, कोई सरकार तोड़ी जा रही है, कोई फौज न कहीं जा रही है न कोई सरकार तोड़ी जा रही है, सबकी अपनी-अपनी सीमाएं हैं और सबको अपनी-अपनी सीमाओं के अंदर काम करना होगा। भारत सरकार की अपनी सीमा है, राज्य सरकार के काम में दखलअन्दाजी करने का हमें कोई अधिकार नहीं है लेकिन राज्य सरकारें जब अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करती हैं तो भारत सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी होती है और दुख के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए कभी-कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। यह बात हमें मालूम है। उसी तरह राजशक्ति सहारा, सुरक्षा देने के लिए है लेकिन इंसान की सुरक्षा के ऊपर अगर कोई दूसरा खतरा करे तो ऐसे लोगों को डर के जरिए, कानून-व्यवस्था के जरिए सही रास्ते पर लाने का काम भी राजशक्ति का है। मैं समझता हूं कि साम्प्रदायिक उन्माद के सवाल पर मजहब की सीमा या शक्ति को हमें परखना होगा। मजहब को उत्तेजित नारों के जरिए न इस्तेमाल कीजिए, न ही गुस्सा दिखाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। असलियत में लोगों के मन में जो डर है, भय है, उनके दिल में जो दर्द है वह मैं समझता हूं। उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा कि अपने गुस्से में कभी ऐसी बात का इजहार मत कीजिए जिसकी वजह से दूसरों को बहाना मिले। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो बहाना ढूंढती रहती हैं। मैं आपसे फरियाद, दरख्वास्त करूंगा कि बहाना देने का काम मत कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार आपके हितों की रक्षक है। मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि इसका यह मतलब नहीं है अकलियत का कानून-व्यवस्था संविधान या नियम के ऊपर है जो हम जानते हैं और कम से कम मुझे आश्चर्य और दुख हुआ कि हमारे मित्र खुराना साहब और विजय कुमार मल्होत्रा साहब जानते हैं कि मेरा रुख दिल्ली के रायट्स, साम्प्रदायिक दंगों में क्या रहा था। मैं उन बातों को वक्तव्यों में नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जब यह कहा जाता है कि सरकार असफल रही, सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी थी···

श्री मदन लाल खुराना : दिल्ली पुलिस का दिल्ली के दंगों में क्या हुआ ?

श्री चन्द्र शेखर : मैं आपके जरिए मदन से कहना चाहता हूं कि यहां ऐसे वक्ता हैं जो कहते हैं जैसे मैं पूरे शांतिमय वातावरण में प्रधान मंत्री हुआ था, चारों ओर शांति थी, किसी में कोई तनाव नहीं था, सब ओर सुख की गंगा बह रही थी, अचानक मेरे जाते ही विप्लव अवस्था तैयार हो गई तो क्या डेढ़ महीने में यह सब कुछ हो गया ?

प्रो० मधु दंडवते : वह आपकी सरकार थी।

श्री चन्द्र शेखर : हमारी सरकार थी इसलिए मैं कहता हूं और मैं इसको राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझता हूं, इसलिए मैं किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा, आज भी कहा कि अतीत से जो जुड़ा रहता है वह भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकता, अतीत की गलतियां दोहराने से हम नया भविष्य नहीं बना सकते। नया भविष्य बनाने के लिए तो इस सदन से एक ही निवेदन करूंगा कि आइए अल्पमत के लोगों को विश्वास दिलाएं कि उनकी रक्षा के लिए सारा देश है, सारी सरकार है, सारा सदन मिलकर कहे कि हम भाई-भाई की तरह से रहने के लिए तैयार हैं। मैं पंडित नहीं हूं नियम का, जो आपके सदन का नियम है लेकिन अगर यह सारा सदन मिलकर एक आवाज में कहे कि हम सब मिलकर सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, सारे देश के भाई-भाई मिलकर रहेंगे तो कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं होगा तो हम देश की एक बड़ी सेवा करेंगे, इस सदन की मर्यादा को ऊंचा उठायेंगे। यहां से अगर एकता का एक संदेश जायेगा तो एकता स्थापित करने में बड़ी सहायता मिलेगी। इधर से कांग्रेस के श्री संतोष मोहन देव जी ने प्रस्ताव रखा कि आपके जरिये अगर कोई प्रस्ताव जाये तो हम सर्वसम्मति से कहें कि आइये, हम सब के मन में विश्वास पैदा करेंगे, हम सब के मन में एक नई आस्था पैदा करेंगे, यह दंगे का दिन बीतेगा और एक नई शुरुआत होगी। मैं भी इसका स्वागत करता हूं।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : कैसेटों के बारे में क्या विचार है ?

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : इस बारे में नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहता हूं। जो कैसेट बंट रहे हैं वह बहुत बुरे हैं। हम से बार-बार कहा गया कि उस कैसेट पर कोई कानूनी कार्यवाही की जाये। इतने छोटे कैसेट जो आदमी अपनी पाकिट में ला सकते हैं; अनेकों में गांव में जाकर पुलिस उनको जब्त नहीं कर सकती है। अगर हम उनको जब्त करेंगे तो अदालत उनको सुनेगा। इसलिए उसे जब्त नहीं किया गया। लेकिन कैसेट में जो बातें कही गई हैं वे किसी तरह से शोभनीय नहीं हैं और किसी भी तरह से उचित नहीं हैं। बड़ी कृपा होगी अगर उस कैसेट का वितरण बंद कर दें।··· (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : जो कैसेट कश्मीर में बजते हैं उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहता कि यही एक कैसेट है क्योंकि उसके बारे में पूछा गया है और वह ज्यादा आपत्तिजनक कैसेट है लेकिन उन कैसेटों को बजाने वाले लोग हमारी सीमाओं के पार हैं। उस कैसेट को चलाने वाले लोगों का इस सदन में कोई प्रतिनिधि नहीं है।

श्री मदन लाल खुराना : कश्मीर हमारे देश की सीमा के अन्दर है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : कश्मीर में जो कैसेट बजते हैं उनको क्या कभी आपने सुना है ? उसमें भी बहुत आपत्तिजनक बातें हैं। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : मैं जानता हूं कि कश्मीर में बहुत बुरी बातें हो रही हैं लेकिन कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, उसका उपाय भी हम कर रहे हैं। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसका हम उपाय नहीं कर रहे हैं इसलिए गुस्सा इन्द्रजीत जी को है, लेकिन हम नहीं चाहते कि यहां पर भी वही करना पड़े जो कश्मीर में हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कई मित्र और फिर विजय कुमार जी ने बहुत गुस्सा दिखाया, यू० पी० के मुख्यमंत्री पर और यह कहा गया कि प्रचार बहुत जोरों से हो रहा है। दूसरी बात हमारे चौधरी जी ने कही कि कुछ अखबार के लोगों ने छापा कि अलीगढ़ में 28 लोगों को मुसलमान डाक्टरों ने अस्पताल में मार दिया। यह बिल्कुल तथ्यहीन बात है और कोई इसमें सत्यता नहीं है। इस बात को लेकर बनारस में दंगे हुए।

एक माननीय सदस्य : कानपुर में भी हुए।

श्री चन्द्र शेखर : कानपुर में भी हुए। क्या करें अखबार वालों का? अखबारों की स्वतंत्रता है। मशहूर, प्रमुख बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार लोग हैं और दुर्भाग्य मेरा यह है··· (व्यवधान)···

श्री राजेन्द्र अनिहोत्री : कानपुर से दंगे एक साजिश के द्वारा हुए··· (व्यवधान)···

श्री चन्द्र शेखर : उपाध्यक्ष महोदय, दंगों में अफवाहें बहुत फैलती हैं लेकिन एक नहीं 3-3 और 4-4 अखबारों में इस तरह की अनउत्तरदायित्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई। उधर वह अखबार वाले जो मुझ पर बड़े वर्षों से कृपालु हुए इसलिए जरूर इस सदन के जरिये उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अब वह अपनी हरकत से बाज आयें तो अच्छा है नहीं तो कभी मजबूरन कुछ करना पड़ा तो उन्हें भी कष्ट होगा और हमें भी कष्ट होगा। एक बार जो हो गया है उसको न दोहरायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजमाता जी की बहुत इज्जत करता हूं। उन्होंने गुस्से से मुझसे कहा था और मैं तब से लगातार उसकी छानबीन कर रहा हूं। सैकड़ों लाशें बोरियों में बंद करके अयोध्या में सरयू नदी में फेंक दीं। मैं लगातार लोगों से कह रहा हूं सैकड़ों का नहीं, दस आदमियों का नाम हमको दीजिये। ताकि हम जांच कर सकें कि कौन लोग हैं और याद रखिये, केवल आपकी ओर से नहीं, दूसरी ओर हमारे एक बहुत सम्मानित मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने कहा, डेढ़ हजार मुसलमानों को मारकर बिजनौर में कब्र में दफना दिया गया, यह जिम्मेदार लोगों की बातें हैं। राजमाता जी ने खुद नहीं कहा, कहीं से सुना होगा लेकिन मैंने आपसे फिर तो भेंट नहीं की। जो लोग आपसे यह बातें कह रहे थे, उनसे दो बार मैं कह चुका कि आप 10 आदमियों का नाम दो, जिनके घर के लोगों की लाशें सरयू के अन्दर चली गई हैं और नहीं मिलीं। उसी तरह से मैंने उस मुस्लिम नेता से कहा, डेढ़ हजार में से 5 लोगों का नाम लाओ, जिनकी लाशें उनके घर वालों को नहीं मिलीं। आज तक मुझे दोनों में से किसी ने कोई सूचना नहीं दी। इसलिए हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये से इस सदन से कहना चाहता हूं, मैं उन लोगों में से हूं, जो जब्त बहुत कम रखते हैं लेकिन हालात इतने खराब हैं कि उन खराब हालात में अगर मैं भी जब्त न रखूं तो पता नहीं क्या होगा। इसीलिए इस जब्त को मेरी कमजोरी न समझा जाय तो बहुत अच्छा है। मैं चुप हूं, इसलिए कि हालत और न बिगड़े। इस मौन को अगर कोई यह समझता है कि यह मेरी कमजोरी है तो वह गलतफहमी में है। मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरह की बातें हों। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस देश में साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने के लिए, यहां कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए, यहां अकलियत के मन में एक नया विश्वास पैदा करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, वह कदम उठाये जायेंगे और मुझे विश्वास है कि इस सदन का सहयोग इस काम में मुझे मिलेगा।

श्री राजवीर सिंह (अंबला) : इस सदन में जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए प्रधान मंत्री जी कोई समिति बनाएंगे? (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं और मैं इस बात के लिए तैयार हूं। इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए मैं आडवाणी जी को जिम्मेदारी देता हूं कि इस सदन के जिन पांच सदस्यों का नाम वह चाहें, उनके नेतृत्व में मैं समिति बनाने को तैयार हूं और जांच करके जो रिपोर्ट वह दे देंगे, वह रिपोर्ट मैं मान लूंगा। (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : प्रधान मंत्री जी ने एक बात कही है, मैं समझता हूं कि अयोध्या में जो कुछ भी 30 अक्तूबर और दो नवम्बर को हुआ, उसके बारे में अगर सरकार जांच कराने को तैयार है तो बहुत अच्छा काम होगा, क्योंकि, उससे सारी बातें जुड़ी हुई हैं और प्रधान मंत्री··· (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : आडवाणी जी ने जो बात कही, मैं यह जानता हूं। मैं यहां पर एलान नहीं कर सकता लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, हम समझते हैं, को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। एक पहलू, जिस पहलू पर आपने कहा कि लाशें बहा दी गईं। (व्यवधान)

उस पर भी मैं तैयार हू कि सारे पहलुओं पर हो कि तनावपूर्ण वातावरण क्यों बना··· (व्यवधान)

अगर सारे पहलू हैं तो सारे पहलू हैं। मैं उसके लिए भी तैयार हूं।

श्री ओमप्रकाश सिंह ककाकासर : जांच का बिन्दु यह भी होना चाहिए कि आपने क्या किया··· (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : मैं इसके लिए भी तैयार हूं।

श्री नवल प्रभाकर खुराना : उपाध्यक्ष जी, जांच का क्या हुआ?

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : रथयात्रा से लेकर अयोध्या तक की जांच होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री समरेन्द्र कुण्डु (बालासोर) : मैं प्रधान मंत्री जी का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। प्रधान मंत्री जी ने साम्प्रदायिक दंगों के प्रत्येक पहलू की जांच कराने के लिए सहमत हो गये हैं। यह अच्छी बात है। और उन्होंने विपक्ष के नेता, श्री आडवाणी को यह जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या श्री आडवाणी इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गये हैं। मेरा यह सुझाव है कि इस मामले में सभी विपक्षी दलों से सलाह की जाए और जांच करने का तरीका और उसकी प्रक्रिया तय की जाए। यह सब जल्दी में और झुंझलाहट में नहीं किया जाना चाहिए। यही मेरा नम्र निवेदन है।

[हिन्दी]

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (सीतापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार को, मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देने के पहले हमने शर्त रखी थी कि अयोध्या कांड और उत्तर प्रदेश में जो रॉयट्स हो रहे हैं, उसके लिए हाई लेवल जुडिशियल इन्क्वायरी की जाए और इस बात को उस समय माना गया था, लेकिन अभी तक किसी जज की नियुक्ति नहीं की गई है। मैं प्रधान मंत्री जी से इस सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि अविलम्ब उसके लिए जज नियुक्त किया जाए।

श्री चन्द्र शेखर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह मालूम नहीं है कि इनकी और मुलायम सिंह के बीच में शर्त क्या हुई थी। इसकी मुझे जानकारी नहीं है···(व्यवधान)···लेकिन एक बात बाजपेयी जी से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मुलायम सिंह जी ने आज इस बात का एलान किया है कि जांच होगी। उन्होंने शायद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है कि कोई जज दिया जाए, जो इस मामले की जांच करे। वह बात जो आपकी इच्छा है, उसकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने कदम उठाया है। मैं चूंकि इस बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं, लेकिन मुझे जानकारी है और इसको पूछ कर आपको सूचना दूंगा।

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रधान मंत्री जी ने आडवाणी जी के बारे में कहा है, मेरा कहना है कि उसकी यहां घोषणा करें कि सुप्रीम कोर्ट का जज या इस तरह का कोई जज सारे दंगों की जांच करे। उसकी घोषणा करें।···(व्यवधान)···आपको सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या दिक्कत है?

श्री चन्द्र शेखर : हमें कोई दिक्कत नहीं है।···(व्यवधान)···उपाध्यक्ष महोदय, मदन लाल खुराना जी से मैं यह कह रहा हूं कि राम जन्म भूमि का मामला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया जाए, तो क्यों नहीं मानते हैं।···(व्यवधान)···

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के जज से दंगों की जांच करानी चाहिए। इस पर हंसते क्यों हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करवाइए।···(व्यवधान)···

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह सूचना देना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी जिस जज का एलान किया है, उसमें सिर्फ अयोध्या में घटित घटनाओं का मामला नहीं है, बल्कि जो तमाम साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वे भी उस जांच के हिस्सा बनेंगे···(व्यवधान)···मैं आपके माध्यम से एक बात यह जरूर कहना चाहूंगी कि अगर पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की जाती है दंगों की जांच करने के लिए, तो जांच का हिस्सा यह भी होना चाहिए कि क्या किसी एक प्रादेशिक सरकार को मौजूदा संविधान के रहते हुए यह अधिकार है कि वह दूसरे प्रदेश के ऊपर हमले को संगठित कर सके। हम यह कहना चाहेंगे कि यह जांच का हिस्सा होना चाहिए।···(व्यवधान)···

श्री मदन लाल खुराना : मेरा यही कहना है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए।

श्रीमती सुभाषिनी अली : प्रदेश की सरकार अपने प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित रूप से आदेश दे कि वे लोगों को संगठित करे कि दूसरे प्रदेश के···(व्यवधान)···यह भी इस जांच का हिस्सा होना चाहिए।···(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : सिर्फ उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए बल्कि ये सारे दंगे गुजरात, कर्नाटक और आन्ध्र में भी हुए हैं। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के द्वारा करानी चाहिए। अगर इन दंगों के मूल में जाना है जो पिछले तीन-चार महीनों में हुए तो आपको इसकी जांच अवश्य ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करानी चाहिए। (व्यवधान)

श्री प्रकाश कोको शास्त्रभट्ट (बड़ौदा) : क्या प्रधान मंत्री जी ने राम जन्म भूमि का मामला चन्द्रा स्वामी को सौंप दिया है ?

श्री चन्द्र शेखर : आप ऐसा मत समझिए। मैंने कोई काम श्री चन्द्रा स्वामी को अपनी ओर से नहीं दिया है। चन्द्रा स्वामी तो एक साधु हैं।···(व्यवधान)···देश में जैसे बहुत से लोग दिलचस्पी ले रहे हैं वैसे ही चन्द्रा स्वामी भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री चन्द्रा स्वामी सभा के सदस्य नहीं हैं और प्रधान मंत्री जी को उन्हें साधु के रूप में चरित्र चित्रण करने का कोई अधिकार नहीं है। महोदय, इसलिए इसे निकाला जाना चाहिए।

श्री चन्द्र शेखर : जी हां, इसे निकाला जाए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि पहले ही इतनी देर हो गई है।···(व्यवधान)···मुझे यह उम्मीद बन गई है क्योंकि वजीरे आजम की तकरीर का जो

रद्देअमल आडवाणी जी ने दिखाया है मुझे लगता है कि बड़ा खुशगवार है। क्योंकि आडवाणी जी ने जब खुद फरमाया कि इसकी जांच की जाए तो इसकी जांच हम में से तो कोई नहीं करेगा, अदालत ही इसकी जांच कर सकती है।···(व्यवधान)···लेकिन आडवाणी जी का यह फरमाना कि वजीरे आजम की तकरीर के रद्देअमल से कम से कम मेरे दिल में तो यह उम्मीद बन गई है कि शायद आडवाणी जी अदालत की इफादियत समझेंगे, जिस अदालत की इफादियत, जिस अदालत का अख्तियार आज इस हिन्दुस्तान में है। (व्यवधान)

अब मैं कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा, आखिर में आडवाणी जी से अपील करनी है, लेकिन वजीरे आजम जी ने जब यह मसला छेड़ा और तकरीबन दिल से बोले इस मससे पर, मुझे खुशी है कि टकराव का रास्ता उन्होंने अख्तियार नहीं किया और किसी राजनीतिक पार्टी की नुक्ताचीनी नहीं की। (व्यवधान)

प्रधान मंत्री जी ने बातचीत का दरवाजा खुला रखा है। मैं माननीय आडवाणी जी से फरियाद करता हूं कि वे खुराना जी को संभालें। जानेवाला मुझे 2-3 बातें जरूरी कहनी हैं। मुझे खुशी है कि चन्द्र शेखर जी ने अपनी तकरीर में बातचीत का दरवाजा खुला रखा है। उनकी जो बातचीत हुई है राजमाता जी से या आडवाणी जी से, मैं उसका खैरमकदम करता हूं, क्योंकि बातचीत के दरवाजे खुले रहें तो सारे फसाद खत्म हो सकते हैं और जो रद्देअमल आडवाणी जी ने दिखाया, जरा खुल कर नहीं दिखाया, हो सकता है इससे अंधेरे के बादल छंट जाएं।

एक दो बातों की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं और आखिर में आडवाणी जी की तरफ आ जाऊंगा। (व्यवधान)

मैं नुक्ताचीनी बिल्कुल नहीं करूंगा, आप इस बात को मानते क्यों नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मल्होत्रा जी मेरे भाई हैं, पढ़े-लिखे हैं, लेकिन इन्होंने कुछ बातों की तरफ इशारा किया है जो बहुत गलत हैं, रिकार्ड में हैं, मसलन आबादी की बात इन्होंने उठाई। मैं माथि-याद का विद्यार्थी रहा हूं, स्टूडेंट आफ इकनामिक्स हूं, मेरे पास फिगर्स हैं। हिन्दुस्तान में जो हिन्दी बैल्ट है या हिन्दू बैल्ट है, वह बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का इलाका है जहां सबसे ज्यादा आबादी की शराह 2.9 परसेंट इन प्रांतों में कुल मिलाकर है और कश्मीर जो मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है, यह केरल से जाकर मिलता है आबादी की शरह में, इसलिए हकीकत को झुठलाना नहीं चाहिए। इसी तरह मल्होत्रा साहब मेरे भाई कहते हैं कि इतने हिन्दू मरे, इतने मुसलमान मरे, यह गलत बात है। खून का एक ही रंग होता है, चाहे अयोध्या में बहे, कश्मीर में बहे या पंजाब में बहे, सब इन्सानों का ही खून होता है, इससे हम सब को दुःखी होना चाहिए। मैं मल्होत्रा साहब से अपील करता हू, बी० जे० पी० को कुछ बातों पर नजरेसानी करना पड़ेगा, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, देर हो चुकी है। कल जिस वक्त कश्मीर प्रांत में गवर्नर ने कुछ इनोसेंट यासुब 18 लोगों को जेल से रिहाई दे दी और जम्मू प्रांत के बी० जे० पी० लीडर ने बयान दाग दिया कि गवर्नर ने बहु गलत किया है। इसका मतलब यह है कि जहां मुसलमान को राहत मिलती है वहां बी० जे० पी० सीख पा ही जाती है। आडवाणी जी अहम कुर्सी पर आए हैं, लीडर आफ अपोजीशन

का रोल जनतंत्र में सत्ता पक्ष के रोल से कम नहीं होता। इसलिए आडवाणी जी को देखना चाहिए, यह बात रिकार्ड में है कि श्री चमन लाल गुप्ता ने जम्मू में गवर्नर का किस तरह विरोध किया, हालांकि कमेटी बनी हुई है, तो यह बहुत गलत बात है।

इसी तरह से आप कहते हैं कि कश्मीर में कैसेट आया हो गई, जो गलत है। कैसेट चाहे कश्मीर में हों या अयोध्या में हों, मेरे पास भी दो रखी हैं, ऐसी कई हो सकती हैं।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से यह एक आपत्तिजनक बात है। इस साम्प्रदायिक स्थिति की तुलना कश्मीर की स्थिति से नहीं की जानी चाहिए। वह यह कहना चाहते हैं कि कश्मीर एक साम्प्रदायिक समस्या है। यह एक साम्प्रदायिक समस्या नहीं है; यह एक विद्रोह की समस्या है। अतः माननीय सदस्यों को इन दोनों बातों में फर्क को समझना चाहिए। मुझे दुःख है कि वह एक समस्या को दूसरी समस्या में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह बिल्कुल गलत स्थिति है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, मुसलमानों या हिन्दुओं का उससे कोई संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो० संकुहीम सोज : मेरी दरख्वास्त यह होगी, कश्मीर में जिस तरह की बातें कही गई हैं; उसमें बी० जे० पी० को आग को और नहीं भड़काना चाहिए, इसलिए पालिसी पर नजर रखनी चाहिए। यह जो कैसट्स हैं, मुझे वजीरे आजम से इसलिए इख्तलाफ है, मैंने जो यहां पर दो कैसेट्स दी हैं, और भी कैसेट्स हैं। (व्यवधान) कम से कम पार्लियामेंटरी कमेटी इन कैसेट्स को देखे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 138 के तहत जो वजीरेआजम चाहते हैं कि यह सारे मसले की जांच करे, अयोध्या के मसले की जांच करे और उस पर फैसला दे, मैं उसके हक में हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया है। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : वह प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के लिए बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो० संकुबीन सोज : आखिर में, मैं आडवाणी जी से अर्ज करना चाहता हूं, वह यह है कि अगर आपका मकसद हिन्दुस्तान की यकजहती है तो वह मुसलमान, बोद्ध, जैन और हिन्दू सबको प्यारी है। इसलिए उसी यकजहती के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जो आज तक हुआ है उसे भूल जाइए और इसी शाम से या कल सुबह से अयोध्या पर जो होगा वह बातचीत से होगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा होगा। लेकिन आज ही यह तय कर लें कि इस देश में जो गुरबत हो रही है उसके खिलाफ हम जंग लड़ेंगे। आगे आप रहें, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। वजीरेआजम की तकरीर से मैं मुतमईन हूं और मैं इस मोशन को प्रैस नहीं कर रहा हूं।

[प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) :- میں سمن کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں کیوں کہ پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی ہے۔ (انٹرپشن) — مجھے یہ امید بندھ گئی ہے کیونکہ وزیر اعظم کی تقریر کا جو ردِ عمل ایڈوانی جی نے دکھایا ہے مجھے لگتا ہے کہ بڑا خوشگوار ہے۔ کیوں کہ ایڈوانی جی نے جب خود فرمایا کہ اس کی جانچ کی جائے تو اس کی جانچ ہم میں سے تو کوئی کریگا نہیں، عدالت ہی اس کی جانچ کر سکتی ہے۔ (انٹرپشن) لیکن ایڈوانی جی کا یہ فرمانا کہ وزیر اعظم کی تقریر کے ردِ عمل سے کم سے کم میرے دل میں تو یہ امید بندھ گئی ہے کہ شاید ایڈوانی جی عدالت کی افادیت سمجھیں گے جس عدالت کی افادیت جس عدالت کا اختیار آج ہندوستان میں ہے۔ (انٹرپشن)۔ اب میں کوئی گستاخی نہیں کروں گا آخر مجھے ایڈوانی جی سے اپیل کرنی ہے۔ لیکن وزیر اعظم جی نے جب یہ مسئلہ چھیڑا اور تقریباً دل سے بولے اس مسئلے پر مجھے خوشی ہے کہ ٹکراؤ کا راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا اور کسی راج نیتک پارٹی کی نکتہ چینی نہیں کی۔ (انٹرپشن) — پردھان منتری جی نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ میں ماننیے ایڈوانی جی سے فریاد کرتا ہوں کہ وہ کھورانہ جی کو سمجھالیں۔ جنابِ والا مجھے دو تین باتیں ضروری کہنی ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ چندر شیکھر جی نے اپنی تقریر میں بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ان کی جو بات چیت ہوئی ہے راج ماتا جی سے یا ایڈوانی جی سے میں اسکا خیر مقدم کرتا ہوں، کیونکہ بات چیت کے دروازے کھلتے رہیں تو سارے فساد ختم ہو سکتے ہیں، اور جو ردِ عمل ایڈوانی جی نے دکھایا ذرا کھل کر نہیں دکھایا، ہو سکتا ہے اس سے اندھیرے کے بادل چھنٹ جائیں۔

ایک دو باتوں کی طرف میں دھیان دلانا چاہتا ہوں اور آخر میں ایڈوانی جی کی طرف آجاؤں گا۔ (انٹرپشن)۔ میں نکتہ چینی بالکل نہیں کروں گا، آپ اس بات کو مانتے کیوں نہیں ہیں۔

اُپادھیکش مہودے۔ ملہوترا جی میرے بھائی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو بہت غلط ہیں، ریکارڈ میں ہیں، مثلاً آبادی کی بات انہوں نے اُٹھائی۔ میں معاشیات کا وِدّیارتھی رہا ہوں اسٹوڈینٹ آف ایکونومکس ہوں، میرے پاس فیگرس ہیں۔ ہندوستان میں جو ہندی بیلٹ ہے یا ہندو بیلٹ ہے وہ بہار، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور راجستھان کا علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ آبادی کی شرح ۲۲۹ پرسینٹ پرانتوں میں کُل ملا کر ہے اور کشمیر جو مسلم اکثریت کا علاقہ ہے یہ کیرل سے جاکر ملتا ہے۔ آبادی کی شرح میں اس لئے حقیقت کو جھٹلانا نہیں چاہیئے۔ اسی طرح ملہوترا صاحب میرے بھائی کہتے ہیں کہ اتنے ہندو مرے اتنے مسلمان مرے، یہ غلط بات ہے۔ خون کا ایک ہی رنگ ہوتا ہے چاہے وہ ایودھیا میں بہے یا کشمیر میں، یا پنجاب میں بہے، سب انسانوں کا ہی خون ہوتا ہے اس سے ہم سبکو دُکھی ہونا چاہیئے۔ میں ملہوترا صاحب سے اپیل کرتا ہوں بی جے پی کو کچھ باتوں پر نظرِ ثانی کرنا پڑے گا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، دیر ہو چکی ہے۔ کل جس وقت کشمیر پرانت میں گورنر نے کچھ اِنوسینٹ معصوم اٹھارہ لوگوں کو جیل سے رہائی دیدی اور جموں پرانت کے بی جے پی لیڈر نے بیان داغ دیا کہ گورنر نے یہ غلط کیا ہے۔ اس کا مطلب

یہ ہے کہ جہاں مسلمان کو راحت ملتی ہے وہاں بی جے پی سیخ پا ہو جاتی ہے۔ ایڈوانی جی اہم کرسی پر آئے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کا رول جن تنتر میں ستا پکش کے رول سے کم نہیں ہوتا' اسلئے ایڈوانی جی کو دیکھنا چاہیئے یہ بات ریکارڈ میں ہیں کہ شری چمن لال گپتا نے جموں میں گورنر کا کسطرح ورودھ کیا حالانکہ کمیٹی بنی ہوئی ہے تو یہ بہت غلط بات ہے۔

اسیطرح سے آپ کہتے ہیں کہ کشمیر میں کیسیٹ شائع ہو گئی ہے جو غلط ہیں۔ کیسیٹ چاہے کشمیر میں ہوں یا الودھیا میں ہوں میرے پاس بھی دو رکھی ہیں' ایسی کئی ہو سکتی ہیں۔

Shri Chandra Shekhar : Mr. Deputy Speaker, Sir, I think this is a serious objectionable expression. This communal situation should not be compared with the Kashmir situation. He wants to give an impression outside that Kashmir is a communal problem. It is not a communal problem; it is the problem of immergency. So, the Hon. Member should understand the implications of both these things. I am sorry that in one problem, he tries to bring another problem. This is altogether a different situation. Whatever is being done in Kashmir, has nothing to do with the Muslims or Hindus.

پروفیسر سیف الدین سوز : میری درخواست یہ ہوگی کشمیر میں جسطرح کی باتیں کہی گئی ہیں اسمیں بھی بی جے پی کو آگ اور بھی نہیں بھڑکانا چاہیئے اس لئے پالیسی پر نظر رکھی چاہیئے۔ جو کیسیٹیں ہیں مجھے وزیر اعظم نے اس لئے اختلاف ہے میں نے جو یہاں پر دو کیسیٹیں دی ہیں اور بھی کیسیٹیں ہیں — (انٹرپشن)۔ کم سے کم پارلیمنٹری کمیٹی ان کیسیٹس کو دیکھے۔ سپریم کورٹ کے بارے میں آرٹیکل 738 کے تحت جو وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ وہ سارے مسئلے کی جانچ کریں' اپادھیائے کے مسئلے کی جانچ کرے اور اس پر فیصلہ دے میں اس کے حق میں ہوں۔

Mr. Deputy Speaker : You have not followed the procedure. Please conclude.

Prof. Madhu Dandavate : He is speaking to get the motion defeated.

پروفیسر سیف الدین سوز : آخر میں میں ایڈوانی جی سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا مقصد ہندوستان کی یکجہتی ہے تو وہ مسلمان' بودھ' جین اور ہندو' سبکو پیاری ہے۔ اس لئے اس یکجہتی کیلئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو آج تک ہوا ہے اُسے بھول جائیے اور اس شام سے یا کل صبح سے ایودھیا پر جو ہوگا وہ بات چیت سے ہوگا سُپریم کورٹ دُوارا ہوگا۔ لیکن آج ہی یہ طے کرلیں کہ اس دیش میں جو غُربت ہو رہی ہے اس کے خلاف ہم جنگ لڑیں گے۔ آگے آپ رہیں' ہم آپ کے پیچھے چلنے کیلئے تیار رہیں۔ وزیر اعظم کی تقریر سے میں مطمئن ہوں اور میں اس موشن کو پریس نہیں کر رہا ہوں۔ شکریہ۔]

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अपील का संबंध है, यह बिल्कुल उपयुक्त है। बाद में, हम पीठासीन अधिकारी से कोई संकल्प स्वीकार कर सकते हैं। वह अलग बात है। हमें स्थगन प्रस्ताव के साथ इस संकल्प को नहीं मिलाना चाहिए।

जैसा कि आप भली प्रकार जानते हैं, जहां तक नियम 339 का संबंध है, इसमें काफी स्पष्ट रूप से कहा गया है अगर प्रस्तावक स्थगन प्रस्ताव को वापिस लेना चाहते हैं, यदि कोई एक भी सदस्य इसका विरोध करता है एक भी आवाज इसके खिलाफ उठती है, उस स्थिति में प्रस्ताव को मतदान के लिए रखना होगा।

हम प्रधान मंत्री की अपील को स्थगन प्रस्ताव के साथ नहीं मिलाना चाहते। स्थगन प्रस्ताव का अपना स्थान है और इस पर मतदान करना होगा। जहां तक आम अपील का संबंध है, समूचा सदन उनसे सहमत होगा। अलग से एक संकल्प पारित करना होगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जहां तक इस प्रस्ताव की प्रक्रिया का संबंध है, दंडवते जी ने जो

कुछ कहा है स्पष्ट है । यदि प्रस्तावक प्रस्ताव को वापिस लेना भी चाहते हैं तो इसे सभा के मतदान के लिए रखना होगा ।

लेकिन मैं महसूस करता हूं आज सुबह मेरे मित्र श्री हरीश रावत जी ने जो कुछ बताया है या अब जो श्री सैफुद्दीन सोज ने इस बात पर बल दिया है कि इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्होंने सरकार को बनाया है और यह ठीक बात है । मैं यह नहीं कह रहा हूं, यह गलत बात है। लेकिन इसमें केवल कांग्रेस पार्टी और इसके सहयोगी दलों की भूमिका को समर्थक पार्टी कहा गया है और वे एक विपक्षी पार्टी की भूमिका को स्वीकार नहीं कर सकते । इस स्थगन प्रस्ताव ने उस दृष्टि से काफी लाभप्रद भूमिका निभायी है ।

प्रो० मधु दण्डवते : इसे दोहरी सदस्यता कहा जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सुझाव दिया गया था कि इस संबंध में सर्वसम्मत संकल्प पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत तथा इस सभा द्वारा पारित किया जाना चाहिए । ऐसे संकल्प को सभा के सदस्यों की पूर्व सहमति के साथ पारित किया जा सकता है । ऐसा संकल्प स्थगन प्रस्ताव से अलग भी किया जा सकता है । इसलिए कुछ अन्य अवसरों पर अगर संभव और आवश्यक हो तो हम ऐसा संकल्प ला सकते हैं ।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : इसका पूर्व दृष्टान्त है ।

प्रो० मधु दण्डवते : एक बार भी ऐसा अवसर नहीं आया जब इसे पारित किया गया हो ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे नियम 193 के अधीन पारित किया गया था ।

अब इसके खिलाफ आवाज उठाई गई है । अतः, मैं स्थगन प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित हो ।"

जो पक्ष में हैं, कृपया "हां" कहेंगे ।

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इसके विरोध में हैं, वे कृपया 'नहीं' कहें ।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय 'नहीं' वालों के पक्ष में हुआ । निर्णय 'नहीं' वालों के पक्ष में हुआ है ।

कुछ माननीय सदस्य : निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप मत-विभाजन के प्रति वस्तुतः गंभीर हैं।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : दीर्घायें खाली कर दी जायें।

अब दीर्घायें खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

पक्ष में

मत विभाजन संख्या—1 समय : 8.00 म० प०

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अर्गल, श्री छविराम
अली, श्रीमती सुभाषिनी
आचार्य, श्री वसुदेव
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
उमा भारती, कुमारी
कटारिया, श्री गुलाब चन्द
कापसे, प्रो० राम गणेश
काबडे, डा० वेंकटेश
कालका दास, श्री
काले, श्री सुखदेव नन्दाजी
कुन्दू, श्री समरेन्द्र
खनोरिया, श्री डी० डी०
खां, श्री सुधेन्दु
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गिरि, श्री सुधीर
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई
चौधरी, श्री खड्गसेन
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जसवन्त सिंह, श्री
जांगड़े, श्री रेशम लाल
जाटव, श्री धान सिंह
जेना, श्री श्रीकान्त

जोरावर राम, श्री
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी
डोम, डा० राम चन्द्र
तारीफ सिंह, श्री
तिवारी, श्री जनार्दन
त्यागी, श्री के० सी०
दण्डवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
दानवे, श्री पुंडलीक हरि
दास, श्री अनादि चरण
दासगुप्त, डा० दिप्लव
दीक्षित, श्री नरसिंहराव
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार
नाईक, श्री राम
नीतीश कुमार, श्री
पचेरवाल, श्री गोपाल
पटेल, श्री चन्द्रेश
परास्ते, श्री दलपत सिंह
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, प्रो० यदुनाथ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, श्री एम० एस०
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री खेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री आर० एस०
प्रेम प्रदीप, श्री
फर्नांडीज, श्री जार्ज
फुंडकर, श्री भाऊसाहब पुंडलीक
बनातवाला, श्री जी० एम०
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बाला, डा० असीम
बेग, श्री आरिफ
बेहेरा, श्री भजमन
बैठा, श्री महेन्द्र
बोपचे, डा० खुशाल परसराम
ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
मंडल, श्री सनत कुमार
मन्टोष, श्री पाल आर०
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार
महाडीक, श्री वामनराव
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, डा० किरोड़ी लाल
मीणा, श्री नन्दलाल
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री कड़िया
मेघवाल, श्री कैलाश
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री सत्यपाल सिंह
यादवेन्द्र दत्त, श्री

राघवजी, श्री
राजवीर सिंह, श्री
राम धन, श्री
राय, श्री ए० के०
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री लालबाबू
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हरधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रावत, प्रो० राजा सिंह
लोधी, श्री गंगा चरण
विजयराघवन, श्री ए०
शाह, श्री बाबूभाई मेघजी
सरोज, श्री सरजू प्रसाद
साय, श्री ए० सरंग
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे

विपक्ष में

अकबर, श्री एम० जे०
अग्रवाल, श्री जे० पी०
अम्तुले, श्री ए० आर०
अम्बारासु इरा, श्री
अमात, श्री डी०
अम्बरी, श्री लेहता
अरुणाचलम, श्री एम०
अशोकराज, श्री ए०
उरांव, श्रीमती सुमति
एन्टनी, श्री पी० ए०
ओडेयर, श्री चनैया
कमाण्डर, श्री मोहम्मद हसन
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
सिंह, श्री तेज नारायण
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री राम नरेश
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामदास
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह, श्री हर गोविन्द
सुर, श्री मनोरंजन
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सेल्वाराजु, श्री एम०
हंसदा, श्री मतिलाल
हन्नान मोल्लाह, श्री
हर्षवर्धन, श्री
हीरा भाई, श्री
होटा, श्री भवानी शंकर

कामसन, प्रो० मिजिनलंग
कालवी, श्री कल्याण सिंह
कालीमुथु, डा० के०
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुशवाहा, श्री जगदीश सिंह
कृष्ण कुमार, श्री एस०
केसरी लाल, श्री
कोटड़िया, श्री मनुभाई
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री बुल्फिकार अली
गजपति, श्री गोपी नाथ
गांधी, श्रीमती मेनका

गाडगिल, श्री वी० एन०
गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौड़ा, श्री डी० एम० पुट्टे
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चांद राम, श्री
चार्ल्स, श्री ए०
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्नीथाला, श्री रमेश
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री दसई
चौधरी श्री राम प्रसाद
चौहान, श्री प्रभात सिंह
जग पाल सिंह, श्री
जनार्दनन्, श्री कादम्बुर एम० आर०
जमुना, श्रीमती जे०
जय प्रकाश, श्री
जगमोहन, श्री ए०
जायनल अबेदिन, श्री
जावाली, डा० वासवराज
जीवरत्नम, श्री आर०
डेनिस, श्री एन०
तम्बि दुरै, डा०
तिवारी, श्री बृज भूषण
थापा, श्री नन्दू
थामस, प्रो० के० वी०
थामस, श्री पी० सी०
थोरट, श्री एस० बी०
दास, श्री भक्त चरण
दिनेश सिंह, श्री
देव, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देशमुख, श्री अनन्तराव
धनखड़, श्री० जगदीप
धवन, श्री हरमोहन
नन्दी, श्री येल्लैया
नायक, श्री नकुल
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नेताम, श्री अरविन्द
पंडियन, श्री डी०
पटेल, श्री अर्जुन भाई
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास
पलनीसामी, श्री के० सी०
पांजा, श्री अजीत
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वसंतराव
पाटिल, श्री वासवराज
पाटिल, श्री शंकरराव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरोहित, श्री बनवारीलाल
पेरूमाल, डा० पी० वल्लल
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रभु, श्री आर०
बंसी लाल, श्री
बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह

बलरामन, श्री एल०
बागा रेड्डी, श्री एम०
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बीरेन्द्र सिंह, राव
ब्रह्म दत्त, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भागेय गोवर्धन, श्री
भाटिया, श्री राम सेवक
भारद्वाज, श्री परसराम
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री मंगाराज
महाजन, श्री बाई० एस०
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री राज मंगल
मुधिया, श्री आर०
मुरलीधरन, श्री के०
मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण
मैथ्यू, श्री पनाई के० एम०
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, श्री बालेश्वर
यादव, श्री रामबीलाल
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
युवराज, श्री
रंगा, प्रो० एन० जी०
राकेश, श्री आर० एन०
राजू, श्री एम० एम० पल्लम
राजेश्वरन, डा० वी०
राठौड़, श्री उत्तम
राम प्रकाश, चौ०
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामदास, डा० आर०
राममूर्ति, श्री के०
राव, श्री आर० गुंडू
राव, श्री के० एस०
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
रावत, श्री हरीश
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री पी० नरसा
रेड्डी, श्री वी० एन०
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वाडियर, श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज
वेंकटस्वामी, श्री जी०
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस०
शंकरानन्द, श्री बी०
शकीलुर्रहमान, डा०
शर्मा, श्री धर्म पाल
शाक्य, श्री राम सिंह
शास्त्री, श्री कपिल देव
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई
शिगडा, श्री डी० वी०
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शेखड़ा, श्री गोविन्दभाई कानजीभाई
श्रीकान्तय्या, श्री० एच० सी०
सरवर हुसैन, श्री
सहाय, श्री सुबोध कान्त

साबुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या	सिंहदेव, श्री ए० एन०
सारण, श्री दौलत राम	सिलवेरा, डा० सी०
सिंगरावडीवेल, श्री एस०	सुंदरराज, श्री एन०
सिंधिया, श्री माधवराव	सुनील दत्त, श्री
सिंह, श्री उदय प्रताप	सुमन, श्री रामजी लाल
सिंह, श्रीमती उषा	सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी	सोमा, श्री शिकिहो
सिंह, श्री ललित विजय	सेलवम, श्री कांसी पन्नीर
सिंह, श्री धनराज	सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सिंह, श्री धर्मगज	सोनकर, श्री कल्पनाथ
सिंह, श्री के० मानवेन्द्र	सोलंकी, श्री सूरजभानु
सिंह, श्री राम बहादुर	

उपाध्यक्ष महोदय : ध्वनि के अध्यधीन* मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 120

विपक्ष में : 171

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

8.01 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

वित्त (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1990 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला विवरण

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं वित्त (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1990 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1600/90]

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया।

पक्ष में : सर्वश्री शिवाजी पटनायक, अजय सिंह, श्री जोस फर्नान्डीज और यमुना प्रसाद शास्त्री।

विपक्ष में : श्री देवी लाल, श्री ओस्कर फर्नान्डीज, श्री बेगा राम चौहान, श्री बालगोपाल मिश्र, डा० बंगाली सिंह, श्री टी० बाल गौड, श्री कमालुद्दीन अहमद, श्री जे० चोक्का राव, श्रीमती टी० मनेम्मा, श्री आर० एस० प्रसाद, श्री प्यारे लाल हान्डू और श्री मोहम्मद शफी।

8.01½ म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

8.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 1990/7 पौष, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3, बीराम मार्ग, दक्षिणी मोतीनगर, दिल्ली-53